Gandhi at Swaraj Bhawan, Allahabad, January 1931

गांधीजी स्वराज्य भवन, इलाहाबादमें; जनवरी, १९३१।

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

४५

(दिसम्बर १९३०–अप्रैल १९३१)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

जनवरी १९७२ (पौष १८९३)

Rs 10.00

निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली-१ द्वारा प्रकाशित
और शान्तिलाल हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

भूमिका

इस खण्डमें १५ दिसम्बर १९३० से १५ अप्रैल १९३१ तककी सामग्री संगृहीत है। चार महीनोंकी इस अवधिका सम्बन्ध मुख्य रूपसे गांधीजी और लॉर्ड इर्विनके बीच हुई उस बातचीतसे है जिसकी परिणति कांग्रेस और सरकारके बीच सन्धिरूपमें हुई। इस समझौतेके फलस्वरूप गोलमेज परिषदमें कांग्रेस द्वारा भाग लिये जानेका मार्ग प्रशस्त हुआ। मार्चके अन्तमें सरदार वल्लभभाई पटेलकी अध्यक्षतामें कांग्रेसका कराचीमें पूर्ण अधिवेशन हुआ और कुछ दिनोंके बाद कार्य-समितिने गांधीजीको कांग्रेसकी ओरसे गोलमेज परिषदके लिए अपना एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त किया। कांग्रेसके इस अधिवेशनमें यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि देशके किसी भी भावी संविधानमें जनताके मूलभूत अधिकार समाविष्ट किये जाने चाहिए। इस प्रकार गांधीजी और जवाहरलाल नेहरूके प्रभावके कारण राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्रोंमे जो प्रगतिशील प्रवृत्तियाँ दाखिल हो रही थी, उनपर कांग्रेसने अपनी स्वीकृतिकी मोहर लगा दी। देशके स्वातन्त्र्य-संग्रामके इस एक नये और प्रारम्भिक कालमें ही श्री मोतीलाल नेहरूका निधन हो गया। देशकी एक बड़ी और गांधीजीके लिए तो व्यक्तिगत रूपसे अपूरणीय क्षति ही हुई।

गांधी-इर्विन विचार-विमर्शका आधार उदार दलीय नेताओं — वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, तेजबहादुर सप्रू तथा श्री मु० रा० जयकरके प्रयत्नोंसे तैयार हुआ था। पहली गोलमेज परिषदकी समाप्तिपर १९ जनवरीको प्रधान मन्त्री रेम्स मैकडोनल्डके वक्तव्यके अनुसार गांधीजी और कार्यसमितिके अन्य सदस्य २६ जनवरीको रिहा कर दिये गये और इसे मैत्रीपूर्ण कदम माना गया। उक्त तीनों उदार दलीय नेताओंने परिषद्से देश लौटते समय गांधीजीसे तार द्वारा यह अनुरोध किया कि वे अभी प्रधानमन्त्रीके वक्तव्यपर अपनी कोई राय जाहिर न करें, वे लोग स्वदेश लौट रहे हैं और स्वयं उनको पूरी परिस्थिति मिलकर समझा देना चाहते हैं। गांधीजी ने इस अनुरोधको जैसा-का-तैसा मान लिया और अपनी रिहाईके बाद अपने पहले ही वक्तव्यमें कहा, "मैं जेलसे बाहर आ गया हूँ और मेरे मनमें कोई पूर्वग्रह नहीं है; मेरी मन:स्थिति किसी प्रकारके वैर-भावसे बाधित नहीं है; किसी प्रकारके तर्कके प्रति मेरे मनमें पक्षपात नहीं है और मैं हर दृष्टिकोणसे पूरी स्थितिका अध्ययन करनेको तैयार हूँ।" . . (पृष्ठ १२६)

किन्तु थोड़ा ही समय बीतनेपर गांधीजीके मनमें कुछ खटका-सा पैदा हो गया। 'डेली हेरॉल्ड' के एक तारके जवाबमें उन्होंने कहा कि दमन-चक्र जारी ही है और

इसलिए नेताओंकी रिहाई श्रीहीन हो गई है। यह रिहाई राजनीतिक समस्याके लिए एक उचित और शान्त वातावरण निर्माण करनेको दृष्टिमे रखकर की गई थी। दमन जारी रहनेसे यह वातावरण नही वन पा रहा है। (पृष्ठ १३२) वाइसरायको गांधीजी ने लिखा कि फिर भी मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मै आपकी अपीलके अनुसार सहयोग देनेके लिए केवल किसी अनुकूल सकेतकी प्रतीक्षा-भर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि . . . "मै यह भी मानता हूँ कि कुछ वहुत ही अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं।" (पृष्ठ १३८) उन्होंने कहा कि जवतक "एक अन्तिम समझौतेकी समुचित आशा" नही वँधती, "जवतक काफी वड़ी संख्यामे लोगोंको समझौतेकी आशा नही हो जाती" . . . "जबतक दमन अपने उग्र रूपमें जारी रहता है," तवतक असहयोग आन्दोलन वन्द नही किया जा सकता। (पृष्ठ १४०) गांधीजीने अपने मनका यह सन्देह श्रीनिवास शास्त्रीपर भी प्रकट किया कि भारतमें जो वातावरण है, उससे मुझे नही लगता कि आपका और दूसरे मित्रोका इतना हर्षित होना सही है। उन्होंने कहा कि फिर भी मुझे यह जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी आशंकाएँ निराधार थी। (पृष्ठ १६२) 'पायोनियर' को भेंट देते हुए उन्होंने कहा कि मै एक शान्तिप्रिय व्यक्ति हूँ और उन हजारो लोगोंको जो भोले वच्चोंकी तरह मुझपर विश्वास करते हैं, कष्टमे डालते हुए मुझे खुशी नही हो सकती। (पृष्ठ १५४) गांधीजी ने इसलिए यह आशा भी व्यक्त की कि शास्त्री, सप्रू और जयकर "जो खुद भी देशको मेरी ही तरह प्रेम करते है", मुझे यह विश्वास दिला सकेंगे कि उनकी आशावादिताके लिए उनके पास उचित आधार है। (पृष्ठ १५४)

निरपराध स्त्रियों और लड़कियोंपर पुलिसने लाठियोंसे हमला किया, इससे गाधीजीको विशेष दुःख हुआ। उन्होंने इस कार्यका विवरण देते हुए वाइसरायको बताया कि "असभ्यतापूर्वक नृशंस ढंगसे लाठियाँ चलाई गई . . . मुझे आधुनिक इतिहासमें ऐसी कोई घटना याद नही आती जिसकी तुलना सर्वथा अरक्षित और निरपराध स्त्रियोके प्रति इस सरकारी अमानुषिकतासे की जा सके।" (पृष्ठ १३८-३९) टी० रगाचारीको भी पत्र लिखते हुए लगभग ऐसे ही कड़े शब्दोंमें उन्होंने अपने दुःखको व्यक्त किया: "यदि अधिकारियोंका वस चले तो आम लोगोंको और अव तो स्त्रियोंको भी हमेशा पुलिसके पैरो तले रौंदा जायेगा। यह ऐसी स्थिति है जिसे मेरा वस चले तो मैं कमसे-कम एक क्षणके लिए भी वरदाश्त नही कर सकता।" (पृष्ठ १६५)

गांधीजी ने स्त्रियोपर किये गये सरकारके नृशस आक्रमणकी निन्दा की; किन्तु साथ ही आन्दोलनमे स्त्रियोंने जो काम करके दिखाया, उसके प्रति उन्होंने गौरवका अनुभव किया। समाचारपत्रोंको दी गई एक भेटमे उन्होंने कहा, "उन्होने स्वराज्यको

अपेक्षाकृत पास लानेमें हाथ बँटाया है; इस तरह वह खुद तो ऊँची उठी ही है, उन्होंने राष्ट्रको भी ऊँचा उठाया है।" (पृष्ठ १३१) वोरसदके जुलूसमें आश्रमकी जिन महिलाओंने भाग लिया था और जिन्हें चोटें लगी थी, उनके साहस और अक्रोधकी गाधीजीने प्रशसा की। गंगावहन वैद्यको लिखते हुए उन्होंने कहा: "इस अत्याचारसे मनमें आवेश तो आया किन्तु दु:ख जरा भी नही हुआ . . . लहूसे भीग जानेके कारण सुन्दर दिख रही (तुम्हारी) लाल साडी मैं देखता तो कितना खुश होता! . . ." (पृष्ठ १४०)

गाधी-इर्विन वार्ता ब्रिटिश-राज्यके भारतीय इतिहासकी एक बड़ी प्रमुख घटना है। ब्रिटिश साम्राज्यकी स्थापनाके बाद यह पहला ही अवसर था जब सरकारने देशके किसी ऐसे प्रतिनिधिसे बातचीत की, जिसने उसके अधिकारको चुनौती दी थी, सो भी बराबरीके आधारपर और सौजन्यके साथ। भारतकी राजनीतिक स्वतन्त्रताको पानेकी दिशामें इस विचार-विमर्शके कोई स्पष्ट परिणाम प्रकट नही हुए। वाइसराय महोदयने बड़ी सख्त सौदागरी की, और जितने तात्कालिक लाभ मिल सकते थे, सारेके-सारे प्राप्त कर लिये। उग्र राष्ट्रवादियोंने सन्धिकी शर्तोंकी बड़ी कटु आलोचना की; फिर भी परस्पर वार्तालापका इतना अर्थ तो हुआ ही कि सत्याग्रहको राजनीतिक संघर्षके लिए एक विधिसम्मत उपायके रूपमे स्वीकार कर लिया गया और इससे जनशक्ति तथा लोगोंके नैतिक बलकी उपयोगिता भी स्पष्ट हुई।

गाधीजी और वाइसरायके बीच विचार-विमर्शके लिए जो मुलाकाते होती थी, वे जनताके औत्सुक्य और मानसिक जागृतिके विचारसे बहुत विशिष्ट कही जा सकती हैं; साथ ही वे उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोणसे भी इसीलिए बड़ी विशिष्ट रही। ये दोनो ही महापुरुष परस्पर एक-दूसरेकी ओर अपने इसी विश्वासके आधारपर आकर्षित होते गये कि विश्वका शासन करनेवाली कोई सार्वभौम और नैतिक एक सत्ता है। फिर भी वे लोग थे वास्तविक प्रतिद्वन्द्वी ही। एकको साम्राज्यके स्वार्थका ध्यान था तो दूसरेको जनताके हितोंका। गाधीजीका विश्वास था कि "क्रान्ति तो जनताके द्वारा ही लाई जाती है (विशिष्ट पुरुषोंके द्वारा नही)" और क्रान्तियोंके अपने अबाध्य नियम होते है। (पृष्ठ ९५) उनका यह भी विश्वास था कि वास्तविक जनमत जो स्वयं जनताका अपना मत है और उसपर कृत्रिम रूपसे आरोपित नही है, रामराज्यका विशुद्ध आधार बन सकता है। (पृष्ठ ३४८) सघर्ष बन्द हुआ, किन्तु इस सघर्षको बन्द करने या करानेमें यशका भागी बननेका दावा लॉर्ड इर्विनने नही किया। उन्होंने कहा, "शान्तिकी दिशामें बडी-बडी शक्तियाँ स्वयं प्रवाहमान थी।" (बर्कनहेड: हेलिफेक्स, पृष्ठ ३०३) उन्होंने कहा कि महामहिमकी सरकारने जिस रास्तेको अपनाया, उसने भारतमें और विश्व-भरमें हमारी नैतिक स्थितिको बड़ी ताकत दी है। उन्होंने

अनुभव किया कि इस महत्त्वपूर्ण कार्यमें उनका यत्किंचित् भाग उनके सौभाग्यका चिह्न है। (वर्कनहेड: हेलिफेक्स, पृष्ठ ३०७) इन दोनों ही प्रतिद्वन्द्वियोंने कामना की कि इतिहास यह कहे कि आपको तथा मुझे भारत और मानवताका एक महत् कार्य करनेका निमित्त बनाया गया था। (पृष्ठ २८४)

दूसरे दिनकी मुलाकातके बारेमें महादेव देसाईको बताते हुए गांधीजी ने कहा कि "आज़ तो खासी मुठभेड़ हुई, किन्तु ऐसा नही लगा कि इसके कारण कोई बदमज़गी" हुई है। (पृष्ठ १९७) यह बात समूचे वार्तालापके बारेमें कही जा सकती है। गांधीजी ने कहा, "मैं भारतके वाइसरायसे मिलनेके लिए इतना इच्छुक नही हूँ जितना कि आपके हृदयमें बैठे हुए इन्सानसे!" (पृष्ठ १७९) वास्तवमें तो वे वाइसरायसे भी मिले और वाइसरायके हृदयमें बैठे हुए व्यक्तिसे भी। सत्याग्रहके स्वभावके अनुसार उन्होंने वाइसरायकी बहुत-सी बातें मान ली क्योंकि सत्याग्रह व्यक्तिका आदर करना जानता है। लॉर्ड इर्विन व्यक्तिगत मामलोंकी हदतक गांधीजीके प्रति अत्यन्त नरम बने रहे। स्वयं गांधीजीने महादेव देसाईसे इस बातके लिए उनकी प्रशंसा की। एक अवसरपर इर्विनने भी कुछ इस तरहकी बात कही कि आपने तो नमकके प्रश्नके आसपास खासा चक्रव्यूह ही रच डाला। (पृष्ठ २०७) फिर भी वाइसराय महोदय ब्रिटिश-सरकारके सम्मानके प्रति पूरी तरह सतर्क बने रहे। गांधीजीने अपनी पहली मुलाकातमें ही पुलिसके अत्याचारोंकी जाँचके विषयमें जो माँग की, उसे वाइसरायने दृढतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह तो पुलिसको प्रतिवादीकी स्थितिमे लाकर खड़े करदेने-जैसी बात है; हम इसे स्वीकार नही कर सकते। (पृष्ठ १९२) नमक, धरना और खेड़ा-जिलेकी जब्तशुदा जमीनोंको वापस करनेके मामलोंमें उन्होंने छोटी-मोटी सुविधाएँ दी। उदाहरणार्थ, धरनेके बारेमें उन्होंने कहा: "मुझे पूरा भरोसा है कि यदि धरनोंको राजनीतिक अस्त्रके रूपमें इस्तेमाल करनेकी कोशिश नाकाम कर दी जाये और इन्हे मात्र आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रतक ही सीमित कर दिया जाये तो ये उपाय तीन हफ्तोंमें ही दम तोड़ देंगे। मेरे पास आनेवाले और इसके बारेमें मुझसे बातें करनेवाले सभी भारतीयोंकी पक्की राय यही है।" (पृष्ठ २५४) खेड़ा-जिलेकी जब्तशुदा जमीनोंको वापस लेनेकी बातको लेकर अन्तमें जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं, उनका उल्लेख करते हुए वाइसरायने लिखा—"नैतिक संकोचोंको बढ़नेके लिए और ज्यादा वक्त न दिया जाए।" (पृष्ठ २६२) एक-आध बार वाइसरायके मनमें गांधीजीकी नियत तकके विषयमें शका उठी किन्तु वाइसराय निश्चयने किया कि बातचीत टूटने नही देनी चाहिए। इस बातकी तो पूरी आशंका थी ही कि गांधीजी पुलिसके सवालपर ही वार्ता भंग कर देनेका प्रयत्न करेंगे। (पृष्ठ २५१) वे यह भी मानते थे कि नमकके मामलेको

लेकर गांधीजी जो आग्रह कर रहे हैं, वह केवल उनकी "आत्माभिमानकी मिथ्या धारणा ही थी।" (पृष्ठ २५३)

जान पडता है कि गांधीजीने विचार-विमर्शका प्रारम्भ इससे बिल्कुल ही अलग रुखके साथ किया था। रेजिनॉल्ड रेनॉल्ड्सने गाधीजी की रिहाईके बाद जब उनके सन्धि-सूचक वक्तव्यकी आलोचना करते हुए उन्हे लिखा तो गाधीजी ने उन्हे जवाब देते हुए अपने मानसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट की। उन्होने कहा कि सत्याग्रह सौम्य हो सकता है, उसे सौम्य होना ही चाहिए और विशेषतः उस अवसरपर जब सौम्य रहना कर्त्तव्य हो। (पृष्ठ २३१) गाधीजी के इस विचारके अनुसार व्यवहार करनेके विषयमें स्वयं वाइसरायने कहा है कि पुलिसके अत्याचारोंकी जाँच किये जानेकी माँगके दौरान गाधीजीने थोड़ी देर बाद ही एक ऐसी बात कही जो बादमे मेरे लिए इस बातकी कुजी बन गई कि मुझे उनके साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। गाधीजी ने कहा. "जब आप या एमर्सन अपनी बातकी पुष्टिमे प्रबल-से-प्रबल तर्क देते है तो उनका मुझपर कोई असर नही पडता, किन्तु जब आप यह कहते है कि सरकार इसमे कठिनाईमे पड जायेगी और इसलिए आप मेरी बात माननेमे असमर्थ है तो मेरा मन झुक जानेके लिए तैयार हो जाता है।" (पृष्ठ २५८) पुलिस सम्बन्धी विचार-विमर्शमे बिल्कुल यही बात चरितार्थ हुई। गाधीजी भली-भाँति जानते थे कि वाइसरायके सोचनेके शासकीय व्यक्तिगत ढंगमे अन्तर है। इसलिए उन्होने कहा था कि "मै अभी यह नही कह सकता कि वे निष्कपट है। लेकिन उनका व्यवहार तो मित्रतापूर्ण और साफ था" . . एक हदतक मै यह कह सकता हूं कि "वे मुझसे निष्कपट भावसे ही मिले, मेरी निष्कपटताका प्रतिदान वे किसी और तरह कर भी तो नही सकते थे।" (पृष्ठ २१६)

वार्तालाप जिस भावनासे प्रारम्भ हुआ था, वार्तालापकी समाप्तिपर गाधीजीने उसके अनुकूल देशमें सहयोग और शान्तिका वातावरण निर्मित करनेका काम शुरू कर दिया। जिस दिन समझौतेकी शर्तोंका अन्तिम रूप निश्चित हो गया, उस दिन उन्होने पत्रोंको वक्तव्य देते हुए वाइसरायकी बडी प्रशसा की और कहा कि वाइसराय महोदयने अथक धैर्य, अध्यवसाय और अचूक शिष्ट-व्यवहारका अद्भुत परिचय दिया है। (पृष्ठ २६५) उन्होने यह भी कहा कि मै इसे काग्रेसकी जीत नही मानता, "इस प्रकारके समझौतेके बारेमे यह नही कहा जा सकता —— कहना उचित भी नही है कि अमुक पक्ष विजयी हुआ। अगर किसीकी विजय हुई ही हो तो मै कहूँगा कि वह दोनों पक्षोंकी हुई है।" (पृष्ठ २६६) उन्होंने रजवाड़ो और अंग्रेजोसे भी सहयोग करनेकी अपील की। रजवाडोंने 'फेडरेशन' के विचारको स्वीकार्य माना था; इसकी प्रशसा करते हुए उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे अपने-अपने राज्योंमें प्रजा-

तन्त्र लागू करें। अंग्रेजोको सम्वोधित करते हुए उन्होने उनके सक्रिय सहयोगको भारतके लिए अनिवार्य वताया और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतको वैसी ही स्वतन्त्रताका उपभोग करने देनेके लिए उत्सुक रहें, जैसी स्वतन्त्रताको "प्राप्त करनेके लिए वे अपने प्राणतक दे सकते हैं।" (पृष्ठ २६८) इंग्लैडके औद्योगिक हितोको आश्वस्त करते हुए उन्होने एक भेंटमें कहा कि यदि हमारे ऊपर उनका कोई ऋण निकलेगा तो मै उसमें से एक पैसा भी नही कटने दूंगा। साथ ही कांग्रेसकी "जो माँग है और जिसपर वह जोर देगी, वह यह है कि वह ऋण न्यायोचित सिद्ध होना चाहिए।" (पृ० २८१)

जनतासे गाधीजीने आग्रहपूर्वक कहा कि आन्दोलनके दौरान जो थोड़ी-बहुत हिंसा दिखाई पडी, उसका पूरी तरह त्याग किया जाना चाहिए। समझौतेके कुछ दिनो वाद दिल्लीकी एक सार्वजनिक सभामें वोलते हुए उन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञाको स्थगित करके अव हम अनुशासित आज्ञा-पालनके युगमें प्रवेश कर रहे हैं। अव हमने विदेशी-वस्त्र और शरावकी दुकानोके आगे धरना देनेमें निष्क्रिय, सक्रिय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष — सभी तरहकी हिंसासे वचनेकी प्रतिज्ञा की है। (पृष्ठ २८९) उन्होने इसी विषयपर 'यग इडिया' में लिखते हुए कहा : "समझौतेको पूरा करनेकी शर्तोका शत-प्रतिशत पालन करनेसे कांग्रेस राष्ट्रीय स्थितिको अभिव्यक्त करनेवाली अदम्य शक्ति वन जायेगी।" (पृष्ठ २९९)

इस सवके वावजूद गांधीजीने ऐसा नही माना था कि सरकारका हृदय-परिवर्तन हो गया है। (पृष्ठ ३७७) 'शिकागो ट्रिव्यून' के प्रतिनिधिसे भेंट करते हुए उन्होंने कहा कि हमने परिस्थिति वदल जानेके कारण अपनी पद्धति वदल दी है। (पृष्ठ ३५२) इसके पहले राष्ट्रको अपनी शक्तिका ठीक-ठीक अनुमान नही था किन्तु समझौतेके पहलेके दस महीनोमें जो असहयोग आन्दोलन हुआ उसकी महानताने उन्हें वार्तालापके समय अपनी शक्तिके अहसाससे परिचित रखा। (पृष्ठ ३५१) वम्बईकी एक सार्वजनिक सभामे उन्होने कहा कि सत्याग्रही जिस तरह संघर्षके लिए सदा तैयार है, उसी तरह वह समझौतेके लिए भी सदा तैयार रहता है; उसे शान्ति और समझौतेका सदा स्वागत करना चाहिए। (पृष्ठ ३२१)

समझौतेकी शर्तोंसे जवाहरलाल नेहरू और तरुण राष्ट्रीय कार्यकर्त्तागण खुश नही थे; गांधीजीने उन्हें भी धैर्यपूर्वक अपनी वात समझानेकी कोशिश की। एक टिप्पणीमें कदाचित् जवाहरलाल नेहरूको सम्वोधित करते हुए उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि तुम अपने-आपको एकाकी और विरक्त-जैसा महसूस करते हो। . . . मैं जो-कुछ कर रहा हूँ तुम्हारा सक्रिय सहयोग चाहता हूँ और वह सहयोग मैं तवतक नही पा सकता जवतक कि तुम आलोचना नही करते, रद्दोवदल या

सुधार करनेका सुझाव नही देते, या मुझसे असहमति आदि प्रकट नही करते।" (पृष्ठ २५६) मार्चके अन्तिम सप्ताहमे कराचीमे कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ और उसके तनिक पहले ही भगतसिहको फांसी दे दी गई। तरुण-वर्गके सामने इस घटनाने गांधीजीकी स्थितिको बहुत ही विषम बना दिया। वाइसरायसे अपनी पहली भेटमें गांधीजीने भगतसिंहकी फांसी रद कर देनेकी जो अपील की थी, सो किसी समझौतेकी शर्तके रूप न होकर मानवताके आधारपर की थी। फांसीके दिन भी गांधीजीने अन्तिम क्षणमे अपील करते हुए लिखा, "चूंकि आप शान्ति स्थापनाके लिए मेरे प्रभावको, जैसा भी वह है, उपयोगी समझते प्रतीत होते है, इसलिए अकारण ही मेरी स्थितिको भविष्यके लिए अधिक कठिन न बनाइए, यों ही वह कुछ सरल नहीं है।" (पृष्ठ ३५४) उन्होंने वाइसरायसे यह भी कहा कि दया एक ऐसी वस्तु है जो कभी निष्फल नहीं होती। (पृष्ठ ३५४) गांधीजीकी अपीलपर वाइसरायने ध्यान नही दिया और गांधीजीने कहा कि सरकारने शान्तिकारी पक्षोंको अपनी तरफ करनेका सुनहरा अवसर गँवा दिया। उनके द्वारा "पशु-बलसे काम लेनेका यह आग्रह कदाचित् अशुभका सूचक है और बताता है कि सरकार मुंहसे तो नेक और शानदार इरादे जाहिर करती है, पर सत्ता नहीं छोड़ना चाहती।" जिन तरुणोंने गांधीजीका स्वागत काली झण्डियाँ दिखाकर तथा 'गांधीवादका नाश हो,' 'गांधी वापस जाओ,' आदि नारे लगाकर किया, उनकी भावनाके प्रति पूरी सहानुभूति व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनका इस प्रकार क्रोध जाहिर करना बिल्कुल उचित है। (पृष्ठ ३६५) किन्तु उन्होंने अपनी मान्यतामें कोई परिवर्तन नहीं किया। वे यही कहते रहे कि फांसीकी सजाएं रद करना समझौतेकी शर्तोंमे शामिल नहीं था और इसलिए उन्होंने शान्तिका जो पथ स्वीकार किया है, वे उसपर दृढ बने रहेंगे। उन्होंने भगतसिंह और उनके साथियोंकी वीरता और बलिदानकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की, किन्तु कहा कि "हमारा साहस ऐसा नम्र, सभ्य और अहिंसक हो जो किसीको चोट पहुँचाये बिना अथवा मनसे किसीको चोट पहुँचानेका तनिक भी विचार किये बिना फांसीपर झूल जाये।" (पृष्ठ ३६४) उन्होंने कहा कि किसी विदेशीकी हिंसा करने और अपने देशवासीकी हिंसा करनेमें अन्तर नहीं किया जा सकता। कानपुरके दंगोंके बारेमे उन्होंने कहा कि दंगोंका अर्थ दीवारपर लिखे अक्षरोंकी तरह साफ है। हमने हृदयोंमे हिंसाको पनपने दिया और हम पशु-बलका प्रयोग करनेके अपराधी हुए। गांधीजीने देशसे पागलपन छोड़नेका हार्दिक अनुरोध किया और कहा: "खूंरेजीके इन कारनामोंसे मैं बेहद शर्मिन्दा हुआ हूँ और जिन लोगोंतक मेरी आवाज पहुँच सकती है, मैं उन सबको पुकारकर कहना चाहता हूँ कि ये बाते किसी दिन मेरे लिए असह्य हो जायेंगी। उन्होंने यहाँतक कहा कि मुझे जैसे ही इस बातका असहसास होगा कि जीवन

असह्य हो गया है, मैं अनशन करके ऐसी खून-खराबीका साक्षी होनेके बजाय मरना पसन्द करूँगा; मुझे आशा है कि भगवान मुझे ऐसा निर्णय करनेकी शक्ति देगा।" (पृष्ठ ३७२)।

यद्यपि गांधीजी भारतकी विशिष्ट परिस्थितियोंके कारण अहिंसाके आचरणको व्यावहारिक आधारपर यह कहकर अधिक अच्छा मानते थे कि यहाँ हिंसक संघर्षके मुकाबलेमें अहिंसक संघर्षके सफल होनेकी अधिक सम्भावनाएँ हैं, तथापि इसके साथ-साथ उनका यह भी विश्वास था कि यदि हमने स्वातन्त्र्य प्राप्त करनेके लिए उसका राजनीतिक शस्त्रके रूपमें उपयोग किया तो उससे हमें नये भारतको गढनेमें सफलताकी जो आशा बँधेगी, वह किसी और बातसे बननेवाली नही है। क्योंकि गाधीजी तो भारतको केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता नही दिलाना चाहते थे, उनका स्वप्न तो ऐसे स्वराज्यका निर्माण था जिसे धर्मराज्य, रामराज्य अथवा जनताका सच्चा राज्य कहा जा सके। वे मानते थे कि उस प्रकारके राज्यमें राव और रंक समानाधिकार प्राप्त करके समान भावसे सुखोंका उपभोग कर सकेंगे। (पृष्ठ ३४८) 'शिकागो ट्रिब्यून' के प्रतिनिधिको उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, "मैं अपने देशके पुनर्निर्माणमें सक्रिय योगदान देते रहना चाहूँगा।" और इसके बदले उन्होंने कुछ पानेकी इच्छा नही की। (पृ० ३५२) यों तो गाधीजी सत्याग्रह-आन्दोलनोंके द्वारा भी देशका निर्माण कर रहे थे। उन्होंने कहा, "सत्याग्रह लोक-शिक्षा और लोक-जागृतिका बड़े-से-बड़ा साधन है।" (पृष्ठ ३४९) वे मानते थे कि जो स्वराज्य अहिंसक संघर्ष और आत्मशुद्धि द्वारा प्राप्त होगा, वह भारतके अल्पसख्यकोंकी समस्याको हल कर देगा; क्योंकि उनकी यह मान्यता थी कि इस पद्धतिके द्वारा प्राप्त किया हुआ स्वराज्य किसी छोटी या बडी जमातके अधिकारोंको हड़पनेसे प्राप्त नही हो सकता; बल्कि वह तभी प्राप्त हो सकता है "जब देशके गरीब-से-गरीब और कमजोर-से-कमजोर व्यक्तिको भी समान रूपसे" न्याय और उचित बरताव प्राप्त हो सके। (पृष्ठ २४२-४३). "राक्षस और बौना" नामक एक लेखके अन्तमे जिसमें गाधीजीने ब्रिटिश और भारतीय हितोंकी समानताकी माँगको अनुचित बताते हुए यह लिखा था कि विश्वके देशोंके समूहमें भारत किस तरह हाथ बँटानेकी बात सोचता है, उन्होंने कहा : "मेरा राष्ट्रवाद उग्र होते हुए भी वर्जनशील नही है, और उसका उद्देश्य किसी भी राष्ट्र या व्यक्तिको हानि पहुँचाना नही है।" (पृष्ठ ३६५) वे अंग्रेजीके 'इंडिपेंडेंट' शब्दको 'स्वराज्य' शब्दके मुकाबलेमें कम पसन्द करते थे। वे मानते थे कि इंडिपेंडेंस एक निषेधवाचक शब्द है, जब कि स्वराज्यमें विध्यर्थ है। उनका कहना था कि स्वराज्यका अर्थ है आन्तरिक नियमके अनुसार चलनेवाला राज्य; जब कि इंडिपेंडेंसका अर्थ स्वेच्छाचार भी हो सकता है। (पृष्ठ २७९) "स्वराज्य एक पवित्र शब्द है, वैदिक शब्द है और इसका

अर्थ है स्वशासन, स्वनियन्त्रण, न कि सभी नियन्त्रणोसे मुक्ति जैसा कि बहुधा इडिपेंडेंसका अर्थ किया जाता है।" (पृष्ठ २७९)

गाधीजी देशभक्तिको अन्तिम नैतिक मूल्य नही मानते थे। उन्होने कहा कि मैं सत्यके लिए देशका बलिदान कर रहा हूँ, यह कहना ठीक नही है; किन्तु इसके साथ ही उन्होने स्पष्ट शब्दोमें यह भी कहा कि यदि ऐसा विकल्प सामने आ जाये कि सत्य और देशमें से किसी एकका बलिदान आवश्यक हो "तो मैं सत्यकी खातिर देशका बलिदान कर दूंगा।" (पृष्ठ २६२)

उन्होने विस्तारके साथ 'हिन्द स्वराज्य' (खण्ड १०) मे यह बात समझाई थी कि भारतको अपना आपा जानने-समझने और तदनुरूप बननेका साहस करना ही चाहिए; उसे अपनी नैतिक और आध्यात्मिक परम्परामे बद्धमूल रहना है। वे यह नही चाहते थे कि भारत पश्चिमी सभ्यताकी आँधीमे अपने स्वरूपको छिन्न-भिन्न हो जाने दे। (पृष्ठ ४२१) पश्चिमी सभ्यताके दुर्गुणोके बारेमे उन्होने 'हिन्द स्वराज्य'मे जो-कुछ कहा था, उसके विषयमे उनके विचार बिलकुल नही बदले थे। (पृ० ३५३) उन्होने उसमे लिखा था कि यदि इंग्लैंड और भारत समानताके आधारपर एक-दूसरेके साथ रह सके तो वे एक-दूसरेको मदद पहुँचायेंगे और इससे ससारको भी लाभ होगा। किन्तु वे मानते थे कि यह तभी सम्भव है जब हमारे ये सम्बन्ध धर्मकी भूमिमे गहरी जड़े जमाये। (खण्ड १०, पृष्ठ ६२) गाधीजीकी इच्छा थी कि देशो और राष्ट्रोके बीच न्याय और समानताके आधारपर सम्बन्ध बने और इसीलिए उन्होने गाधी-इर्विन समझौतेको धर्म और नीतिके आधारपर सहयोगका एक अवसर माना।

स्वदेश और ससारका नैतिक आधारपर निर्माण तभी हो सकता है, जब व्यक्ति स्वय अपनेको निर्दोष बनानेका प्रयत्न करे। गाधीजीने कहा कि "सभी बातोकी औषधि आत्मशुद्धि है। यदि आत्मामात्र एक है तो विश्वास रखो कि आत्मशुद्धिमे पूरे ससारका कल्याण होता है।" (पृष्ठ ११३) वास्तवमे स्वराज्यका अर्थ आत्मशुद्धि ही हो सकता है क्योंकि जीवनमें पवित्रताका समावेश करनेसे व्यक्ति आत्मशासित बन जाता है। (पृष्ठ २६३) देशके शक्ति सम्पन्न होनेके विषयमे भी वे यही मानते थे कि शक्ति आत्मशुद्धिके द्वारा ही प्राप्त होगी। विगत १२ महीनोके इतिहासने यह स्पष्ट कर दिया था कि "स्वराज्य जब भी आयेगा हमारे अपने ही प्रयत्नोंसे आयेगा" (पृष्ठ २२९-३०) यह आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधारकी पद्धतिसे अपने दोषोको समझकर और उन्हे निरन्तर निर्मूल करनेके प्रयत्नोमे प्राप्त हो सकता है। उन्होने कहा कि जबतक हमने आन्तरिक दोषोको नि.शेष नही कर डाला है तबतक एक क्षण भी शान्तिका अनुभव नही होना चाहिए। "घरमें बैठे साँपको निकाले बिना चैन नही मिल सकता . . उसी तरह हृदयमें बैठे साँपके बारेमें भी समझें।" (पृष्ठ ५५-५६)

गांधीजी सदा इस बातका ध्यान रखते थे कि सरकार या जेलके अधिकारियोंको किसी प्रकारकी परेशानी न उठानी पड़े। इसीलिए उन्होंने मीराबहनको सावधान किया कि वह उनकी बीमारीकी खबरको समाचारपत्रोंमें छपनेके लिए न दें। (पृष्ट ८२) नारणदास गांधीको भी उन्होंने चेतावनी दी कि अप्पासाहब पटवर्धन और अन्य राजनीतिक कैदियोको यज्ञ-रूपमें कताईकी जो अनुमति दिलानेका प्रयत्न वे कर रहे है, उसे भी प्रचारित न किया जाये। (पृष्ठ १२४) गांधीजीके जेलसे लिखे पत्रोसे भी उनकी आन्तरिक मनःस्थितिपर प्रकाश पड़ता है। हिंसा कितना भयानक विचार है यह बात उन्होंने जेलमें देखे हुए कीड़ोंका वर्णन करते हुए कही; और स्पष्ट किया कि मैंने इन क्षुद्र जीवोंमें भी "भगवानके दर्शन किये।" (पृष्ठ २०) उन्होंने एक स्थानपर पंछियोंके साथ अपने सम्भाषण और तारोंसे भी चुपचाप बातचीत करनेका विनोदपूर्वक उल्लेख किया है। (पृष्ठ ७९) उनकी ऐसी मान्यता थी कि प्रतीकात्मक रूपमें हिन्दू-देवतागण जिन विचारों और मूल्योंकी प्रतीति कराते है, वे पंचेन्द्रियों द्वारा अनुभवित; तथाकथित यथार्थ वस्तुओसे कही अधिक वास्तविक हैं। और इसलिए उन्होने एक जगह उल्लेख किया है कि 'कुन्देन्दु धवला सरस्वती'की वन्दना उनके लेखे एक मुग्ध कर देनेवाला कार्य बन जाता है। (पृ० ९८)

रिहाईके दूसरे ही दिन अपने तमाम सार्वजनिक कामकाजों और बोझोके बीच अपने एक सहयोगी अंग्रेज कैदी व्हीलरके लिए वे दाँत भिजवानेकी बात नही भूले। (पृष्ठ १२७) उन्होने जेलमें जो सूत काता था, अखिल भारतीय चरखा संघको उसमें से उचित अंश देना भी वे नही भूले; साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे चाहेंगे कि नारणदास गांधी बचे हुए सूतसे बा के लिए एक साड़ी बुनवा दे। (पृष्ठ १८५)

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गाधीजीके स्वाक्षरोमें मिली है, उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोंकी स्पष्ट भूलें सुधार दी गई हैं।

मूल सामग्रीके वीच चौकोर कोष्ठकोमें दिये गए अश सम्पादकीय हैं। गाधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। भापणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजीके कहे हुए नही है, बिना हाशिया छोडे गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भापणो और भेंटकी रिपोर्टोंके उन अशोमें जो गाधीजीके नही हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही कुछ छोड़ भी दिया गया है।

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है। साथ ही भापाको सुपाठ्य वनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके हैं, हमने उनका उपयोग मूलसे मिलाने और सशोधन करनेके वाद किया है। नामोको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणके वारेमें संशय था, उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दायें कोनेमे ऊपर दी गई है; जहाँ वह उपलब्ध नही है, वहाँ निश्चित तिथि अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोमें दे दी गई है और आवश्यक होने पर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। शीर्षकके अन्तमे साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गाधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ दृढ़ आधारपर उनका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है, वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गए हैं।

सम्पूर्ण गाधी वाङ्मयके खण्ड १ के सन्दर्भ जून १९७० के सस्करणसे सम्बन्धित हैं।

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०' सकेत, सावरमती सग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका; 'जी० एन०' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज – पत्रोका, 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाधी) द्वारा सग्रहीत पत्रोंका तथा 'एम० एम० यू०' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालयमें उपलब्ध मोवाइल माइक्रोफिल्म यूनिटकी रीलोका सूचक है।

मूलसे सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए कुछ परिशिष्ट भी जोड दिये गये है। अन्तमें साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ भी दी गई हैं।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास और संग्रहालय; नवजीवन ट्रस्ट; गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली; श्री ईश्वरलाल जोशी; श्री एस० डी० सातवलेकर, पारडी; श्री ए० के० सेन, कलकत्ता; कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बम्बई; श्री कुमारसिंह, कालाकाँकर; श्रीमती गंगाबहन वैद्य, बोचासन; श्री घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता; नारणदास गांधी, राजकोट; श्री नारायण देसाई, बारडोली; प्रमिला ठाकरसी, पूना; श्री बनारसीदास बजाज, वाराणसी; मनुबहन मशरूवाला, श्रीमती मीराबहन, गाडेन आस्ट्रीया; श्रीमती लक्ष्मीबहन खरे, अहमदाबाद; श्री वालजी गोविन्दजी देसाई, पूना; श्री शान्तिकुमार मोरारजी, बम्बई; श्रीमती शारदाबहन शाह, वढ़वान; 'आज', 'गुजराती', 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'ट्रिब्यून', 'नवजीवन', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'यंग इंडिया', 'लीडर', 'स्टेट्समेन', 'हिन्दी नवजीवन', 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'हिन्दू', समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं और निम्न-लिखित पुस्तकोंके प्रकाशकोंके आभारी हैं:

४५वी इंडियन नेशनल कांग्रेसकी रिपोर्ट, 'गोल्डन बुक ऑफ टैगोर', 'नरसिंहरावनी रोजनिशी', 'श्री निवास शास्त्रीके पत्र', 'पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद', 'बापुना पत्रो – ७ : छगनलाल जोशीने', 'बापुना पत्रो – ६ : गं० स्व० गंगाबहनने', 'बापुना पत्रो – ५ : 'प्रेमाबहन कंटकने, बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन' पटेलने, 'बापूना पत्रो – ९ : नारणदास गांधीने', 'बापुना पत्रो – १० : प्रभावती बहेनने', 'बापुकी विराट वत्सलता', 'बापुनी प्रसादी', 'महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी', 'हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस'।

अनुसंधान व सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयका अनुसन्धान एवं सन्दर्भ विभाग (रिसर्च एण्ड रेफरेन्स डिवीजन), इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, नेहरू स्मारक संग्रहालय, और श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली; नगर निगम संग्रहालय, इलाहाबाद; इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लंदन; नेशनल आर्काईव्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र हैं। प्रलेखोंकी फोटो-नकल तैयार करनेमें मदद देनेके लिए हम सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, फोटो-विभाग, नई दिल्लीके आभारी हैं।

विषय-सूची

१. पत्र : नारणदास गांधीको

शनिवार, सुबह १३/१६ दिसम्बर, १९३०

चि० नारणदास,

इस बार मुझे तुम्हारा बंडल बुधवार बारह बजे मिला। 'गीताबोध'[1] की पत्रिका मिल गई है। [कर्म] यज्ञके विषयमें जो लोग टिप्पणी लिखते हैं, वे दैनन्दिनीमें ही लिखते होंगे। उनके बारेमें याद दिलाते रहनेसे वे सावधान रहेंगे। ऐसा प्रबन्ध कर देना कि सूत तोलने और जांचनेके साधनोंका सब तुरन्त इस्तेमाल कर सकें। महादेवके प्रश्नका उत्तर इसकि पत्रमें लिखा है और काकासाहबको लिखे पत्रमें अपने स्वास्थ्यके बारेमें। इसलिए ये दोनों पत्र पढ़ लेना।

(दोपहर बाद)

जयप्रकाशका पत्र आया है कि प्रभावती वहां आयेगी। शायद इस पत्रके पहुँचने तक आ भी गई हो। आ जाये तो उसका खूब ध्यान रखना। उसे हिस्टीरिया होता है; पर आश्रममें तो यह बिल्कुल बन्द हो जाना चाहिए। उसके लिए फलादिकी जरूरत पड़े तो ले लेना। डाक्टरको दिखाना पड़े तो दिखाना। मुझे जब भी पत्र लिखनेकी जरूरत हो, लिख देना।

रात्रि, १५ दिसम्बर, १९३०

मणिलालका पत्र मिला। चिन्ता दूर हुई। स्वास्थ्यकी रक्षा करते हुए जितने संयमका पालन कर सकें उतना करे। ११०-११५ तो सचमुच कम वजन है। मणिलालका १२०-१२५ तक रहना चाहिए। किन्तु यदि शक्तिकी रक्षा की होगी तो इतना वजन बाहर निकलते ही बढ़ जायेगा। शरीरमें किसी रोगको घर न करने देना चाहिए। जो कुछ घटा है वह ठीक है। परन्तु पूरा-पूरा लाभ उठानेके लिए जहाँतक हो सके मेरे सुझावोंपर अमल करे। बाकी जहां नानाभाई[2] जैसे लोगोंका सत्संग प्राप्त है और बादमें महादेवका भी मिलेगा, वहाँ मुझे ज्यादा पथ-प्रदर्शन करनेकी जरूरत नहीं है। जो-कुछ पढ़ रहा है, वह अच्छा है। पर उसमें याद रखने या समझनेके लिए कम है। मैंने जो सुझाव दिये हैं उनमें स्मरणशक्ति और विचारशक्ति सीखनेके साथ रस भी आयेगा। 'जीवनशोधन'[3] ध्यानपूर्वक दो-तीन बार पढ़ ले तो ही समझमें आ सकता है। फिर पढ़ रहा है तो अच्छा है। मेरे लेख समझना आसान है। उसका एक कारण यह है कि आजकल मैं इसी दृष्टिसे लिखता हूँ कि

१. भगवद्‌गीता पर गांधीजीके प्रवचन नारणदास गांधीको लिखे पत्रोंमें दिये गये हैं; देखिए खण्ड ४४, पृष्ठ २७४, पा० टि० १ और पृष्ठ ३३४ अनुच्छेद २। इन प्रवचनोंके पाठके लिए देखिए खण्ड ४९, "गीता पत्रावली", २१-२-१९३२।

२. नृसिंहप्रसाद कालीदास भट्ट।

३. किशोरलाल मशरूवाला लिखित, नवजीवनका एक प्रकाशन।

आश्रमके सब लोग उसे तुरन्त समझ लें। उससे पहलेके लेख भी सामान्य लोगोंको दृष्टिमें रखकर लिखे गये थे, विद्वानोंके लिए नही। इसलिए स्वभावत: मेरे लेख सरल लगते है। मुझे फिर लिखे। जब कभी लिखनेकी आज्ञा और अवसर मिले, तभी मुझे लिखे।

मैंने देवदासके पत्रके बारेमें पूछा था, उसका उत्तर नही मिला। मैंने तो फिर पत्र लिखनेका सुझाव भी दिया है। जमनाको बम्बईका जलवायु अनुकूल पड़ता है तो उसे फौरन आश्रम बुला लेनेका आग्रह न करना। आश्रममें अभी रोटी बनती है? बनती है तो कैसी बनती है और कौन बनाता है? अच्छी बनती हो और यदि कोई इस ओर आ रहा हो तो नमूना भेजना। रोटी बनानेका जो तरीका मुझे लिख भेजा था उससे यहाँ रोटी अच्छी नही बनी। क्या दोष रह गया, यह मालूम नही हुआ।

आज रातके लिए कह सकता हूँ कि अभीतक तो ज्वार-बाजरेकी भाखरीसे कोई हानि हुई नही लगती। खाता तो बहुत कम हूँ परन्तु ताकत बराबर बनी हुई है। कोई भी चिन्ता न करे। इस प्रयोगको जारी रखनेका हठ नही करूँगा।

हरियोमलजी और गिजुभाईके पत्र दिखे नही। हरिभाईके बदले गिजुभाई तो नही लिखा? मैंने हरिभाईका नाम राधाकी टिप्पणीमें तो नहीं देखा।

बापूके आशीर्वाद[1]

मंगल प्रभात, १६ दिसम्बर, १९३०

इस अध्यायमें प्राणायाम-आसन आदिकी स्तुति है। पर स्मरण रखो कि भगवानने उसीके साथ ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म-प्राप्तिके लिए नियमादि पालनकी आवश्यकता बतलाई है। यह समझ लेना आवश्यक है कि केवल आसनादि क्रियाओसे कभी समत्व नही प्राप्त हो सकता। यदि उस हेतुसे वे क्रियाएँ हों तो आसन प्राणायामादि मनको स्थिर करनेमें, एकाग्र करनेमें थोड़ी-सी मदद करते हैं, अन्यथा उन्हे अन्य शारीरिक व्यायामोकी श्रेणीमें समझकर शरीर-सुधार करना भर ही उनकी कीमत माननी चाहिए। शारीरिक व्यायामके रूपमें प्राणायामादिका बहुत उपयोग है। व्यायामोंमें यह व्यायाम सात्विक है, ऐसा मै मानता हूँ। शारीरिक दृष्टिसे इसका साधन उचित है। पर उससे सिद्धियाँ पाने और चमत्कार दिखानेके लिए ये क्रियाएँ करनेमें मैंने लाभके बजाय हानि होती देखी है। यह अध्याय तीसरे, चौथे और पाँचवें अध्यायका उपसंहाररूप समझना चाहिए। यह प्रयत्नशीलको आश्वासन देता है। हमें समता प्राप्त करनेका प्रयत्न हारकर भी नहीं छोड़ना चाहिए।

बापू

[पुनश्च :]

७१ पत्र हैं।

गुजराती एम० एम० यू० – १ से।

१. इसके बाद दिये गीता प्रवचनके (छठे) अध्यायके लिए देखिए खण्ड ४९, "गीता पत्रावली", २१-२-१९३२।

२. पत्र : शंकरजीको[1]

यरवदा
१६ दिसम्बर, १९३०

प्रिय शंकरजी,

आपसे आपकी प्रगतिका हाल जानकर मुझे खुशी हुई। क्या आप मलाबार या कमसे-कम कोचीनके खादी-उत्पादनके आँकड़े मुझे दे सकते हैं? क्या आप जानते हैं रामचन्द्र कहाँ है? कृपया मुझे समय-समयपर लिखते रहिए।

आपका
बापू

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-१२-१९३०

३. पत्र : प्रेमलीला ठाकरसीको

यरवदा मन्दिर
१६ दिसम्बर, १९३०

प्रिय बहन,

कृपया चार रतल रुई भेज दें। अब काका साहबकी जगह प्यारेलाल आ गया है। वह ज्यादा कात सकता है इसलिए ज्यादा रुईकी खपत होगी। आप जहाँसे रुई खरीदती हैं वहाँ बता दें कि उसमें कचरा और किरी बहुत ज्यादा है। और इसलिए उसे साफ करनेमें भी काफी समय लगाना पड़ता है; काफी रुई तो बेकार भी चली जाती है।

आपको ज्यादा काम तो नहीं सौंप रहा हूँ न? इतना मान लिया है कि मेरे निमित्त रुई इकट्ठी करेंगी तो उसका दूसरा उपयोग भी होगा ही।

आप सभी बहनें सकुशल होंगी।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४८१७)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : प्रेमलीला ठाकरसी

१. 'स्वराज भवन' एर्नाकुलम (कोचीन राज्य), केरलके।

४. पत्र : मानशंकर जयशंकर त्रिवेदीको

१६ दिसम्बर, १९३०

चि० मनु,

तेरा पत्र मिला। तू [आश्रमके] इतने पास है फिर भी आश्रमकी मार्फत लिखनेसे कुछ दिनोंकी देरी हो जाती इसलिये सीधा पत्र लिखनेकी हिम्मत कर रहा हूँ। मिल तो जाना चाहिए। तू निराश क्यों होता है? जिनको ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास है, उन्हें निराशा कभी होती ही नहीं। सेवा करनेकी तीव्र इच्छाका होना सेवा करनेके बराबर है। फिर अधैर्य क्यों? किसे मालूम है कि ईश्वर तुझसे क्या सेवा लेना चाहता है? तेरा संकल्प मात्र ही उसके लिए काफी हो, तो भी हम क्या जानें? तू कताई-यज्ञ तो करता ही है; यह सेवा नहीं तो क्या है? रामनाम लो और सावधान रहो। निराशा छोड़ दो। दुर्बलता और बीमारीके विचारोंको मनसे निकाल ही दो। और यदि अच्छा लगता हो तो 'गीता' और 'रामायण'का पाठ करो। सीधे मुझे पत्र लिखना और लिखते रहना।

बापूके आशीर्वाद

चि० मनु
द्वारा प्रो० त्रिवेदी
तिलक रोड, पूना शहर

गुजराती (जी० एन० ७७७३)की फोटो-नकलसे।

५. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

यरवदा मन्दिर
१६ दिसम्बर, १९३०

भाई घनश्यामदासजी,

आपका खत मिला है। मुझे डर है कि मै राजी हो जाउं तो भी मिलनेकी रजा नहिं मिलेगी। इसलिये पत्रमे हि जितना हो सके उसमे अब तो संतोष मानना होगा। बीमासे मेरा मतलब यह नहिं कि भविष्यके लिये सौदा हि न किया जाय। बीमाका अर्थ जुगार। बाजार बढ़ जायगी ऐसी आशासे मैं १००० गासडी रुई खरीदता हुं। मुझे रुईकी आवश्यकता नहिं है। मै रुई मेरी गुदाममें भी नहिं रखता। केवल सौदाचिट्ठी हि करवाई है। अब मैं दाम बढ़नेकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बढ़नेसे बेच

डालता हुँ — इसको मैं जुगार समजता हुँ। इस प्रकारके लेनदेनसे मुलकको या कहो जगत्‌को वहोत हि हानि हुई है। मेरे खतमें[1] तो यही अर्थ था। हां, मैं चाहता हुँ इससे ज्यादा परंतु आज ऐसा करनेकी आपमें शक्ति नहिं होगी। भविष्यकी वाजारपर निर्भर हि न रहना परन्तु जो दाम हमें लगे वही दामपर कुछ वृद्धि करके माल वेचना इसको मैं शुद्ध व्यापार समजता हूँ। आज भले ऐसा व्यापार करनेमें कठिनाई हो। अतमें ऐसा व्यापार फलदायी हो सकता है। आपको याद होगा कि खद्दरके लिये मेरी यही कल्पना है। परतु मैं जानता हु कि यह बड़ी वात है। यदि बीमाको आप सब भाई छोड सकें तो मुझे वड़ा आनंद और संतोष होगा। कैसे भी हो जितना आपकी बुद्धि स्वीकार करे और शक्तिके प्रमाणमें होवे इतना हि किया जाये। मैं यह कभी नही चाहता हुं कि क्योंकि यह मेरी सूचना है और वह भी जेलसे इसलिए उसका अमल किया जाय। जिसमें बुद्धिका प्रयोग हो सकता है उसमें श्रद्धाको स्थान न देना चाहिये।

जयप्रकाश मुझे लिखता है कि आप आज नये आदमीयोंकी भरती नहिं करते है तदपि मेरा खत लेकर वह आया इसलिए उसको कुछ न कुछ जगा दीइ जायगी। मेरा अभिप्राय अवश्य है कि जयप्रकाश अच्छा नवयूवक है पर मैं नहिं चाहता हुं कि उसके लिये स्थान आज न होवे तो पैदा किया जाय।

पू० मालवीजीके वारेमें अखवारोमें वुखारका पढ़ा था इसलिए कुछ चिंता होती थी। अब शांति हुई। मेरी उमेद है कि जेलमें से अच्छा शरीर बनाकर नीकलेंगे। आपके स्वास्थ्यके वारेमें सुनकर भी आनंद होता है। मैं फिर दूध छोडनेका प्रयोग कर रहा हूं। इस वखत बधकोप निमित मिला। अब तो वाजरी जुवारकी रोटी जो कैदीयोंके लिये पकती है भाजी तीन तोला वादाम और खजुर इतनी चीज लेता हु। खजुर छोडनेकी चेष्टा कर रहा हूं। बंधकोष तो मिटा है। यदि शक्ति कम हो जायगी तो फिर दूध पर आ जाउंगा। दूध छोडनेको अब प्रायः एक मास हुआ।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१९१ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१. देखिए खण्ड ४४, पृष्ठ ३५०।

६. पत्र : उदित मिश्रको

यरवदा मन्दिर
१७ दिसम्बर, १९३०

भाई उदित मिश्रजी,

आपका पत्र मिला। 'भजनावली'का मैंने प्राय: शब्दार्थ हि दिया है। अब तो केवल मीराबहेनके लिये है। अनुवादको प्रगट करनेके लायक मैं नहिं समजता हुं। जब तक मैं यहाँ हुँ प्रगट हो भी नहिं सकता है। भजनमें से मैं कया चुनाव करूँ? एक समय एक प्रिय लगता है दूसरे समय और सब प्रिय है ऐसा हि कहा जाय। नयी आवृत्तिमें से कइ भजन काटनेकी इच्छा है सही। 'जाके प्रिय न राम वैदेही'में 'राम'का अर्थ मेरे नजदीक दरिद्रनारायण है और जो दरिद्रनारायणकी सेवा न करे उसका संग छोड़ना धर्म है। इसीमें से असहयोग पैदा होता है।

गुजरातीका प्रारंभ किया है उसके लिए धन्यवाद। गुजरातके साथ इतना संबंध होनेसे गुजराती जानना अच्छी बात है। यों तो हिंदुस्तानकी जितनी भाषा जानी जाय उतना अच्छा हि है।

एनिमाका मैं हमेशा प्रयोग नहिं करता हुँ। प्रसंगोपात उसका प्रयोग लाभदायी भी समजता हुँ। नित्य उसका प्रयोग करना अच्छी बात नहिं है। उससे हानि भी हो सकती है।

बाल मण्डलीको आशीर्वाद। जो कानके जेवर निकाले थे वह पीछे तो दाखल नहिं हुए हैं ना? मेरा आशा तो यह है कि अब तो सब और भी अधिक सादे हुए होंगे।

आपका
मोहनदास

जी० एन० ४२१८ की फोटो-नकलसे।

७. पत्र : काशिनाथ त्रिवेदीको

यरवदा मन्दिर
१८ दिसम्बर, १९३०

चि० काशिनाथ,

कलाविहीन मनुष्य पशुके समान है। पर कला किसे कहे? कला तो 'कर्मसु-कौशलम्' है। तीसरे अध्यायका योग सम्पूर्ण कला है। यही बात बाह्यकलाके बारेमें भी है। जिससे करोडो लोगोको आनन्द न मिलता हो वह कला नही, स्वच्छन्दता है, भोग है। फिर चाहे वह कण्ठकी हो, कपड़ेपर की गई हो, चाहे पत्थरपर। करोडो एक स्वरमें रामधुन गायें, यह कला भी है और आवश्यक भी है। अनेको मन्दिर कलामय है और वह कला करोडोको आनन्द दे पाती है। मन्दिरोमें पूजा पाठादि ठीक तरह और श्रद्धापूर्वक किया जाये, तो वह कलाका एक नमूना हो। इसी तरह जहाँ स्थान, काल और औचित्यकी ठीक अनुपातमें रक्षा की जाती हो वहाँ कला है। फिल्म मुझे नही रुचती। मैं सिनेमा देखने कभी नही गया।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५२६७) की फोटो-नकलसे।

८. पत्र : महालक्ष्मी माधवजी ठक्करको

१८ दिसम्बर, १९३०

चि० महालक्ष्मी,

तुम्हारा पत्र मिला। बच्चोके बारेमें समझ गया हूँ। उनके शरीर मजबूत होने चाहिए। जो खूराक दी जा रही है, वही दी जायेगी और कसरत करेंगे तो शरीर मजबूत होगा ही। उनके बारेमें जो लिखना उचित हो, वह कलकत्ता लिख भेजो और धीरज रखो। क्योंकि इस समय इससे अधिक कुछ करना असम्भव है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६८०७) की फोटो-नकलसे।

९. पत्र : भवानीदत्त जोशीको

यरवदा मन्दिर
१८ दिसम्बर, १९३०

भाई भवानीदत्त,

तुमारा खत पाकर मुझे आनंद हुआ। जिसको सेवाका हि ध्यान है उसे ईश्वर ऐसा मौका दिया करता है। प्रभुदासके चर्खे पर हाथ जम जानेसे अच्छा परिणाम आ जावे तो उस चर्खेके मार्फत बहोत कार्य हो सकेगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

जी० एन० १०४ की फोटो-नकलसे।

१०. पत्र : राधाबाई ओकको

१९ दिसम्बर, १९३०

प्रिय बहन,

मेरा सन्देश आपको मिल गया होगा। आप खूब सेवा कर रही हैं, यह सुनकर खुशी हुई है। किन्तु आप खादीकी साड़ीसे डरती हैं। इस तरह गरीबोके हाथके प्रसादसे डर जायें तो गरीबोंकी सेवा कैसे हो सकेगी। इसपर विचार करना।

मोहनदासके वन्देमातरम्

श्रीमती राधाबाई ओक
मार्फत-सुशीला [गांधी]

गुजराती (जी० एन० ६७२६) की फोटो-नकलसे।

११. पत्र : सुशीला गांधीको

१९ दिसम्बर, १९३०

चि० सुशीला,

राधाबाईको लिखा पत्र[1] इसके साथ है। 'वंमा विश' (पढाऊँगी) क्यों लिखा है? एक ही शब्दके दो भाग क्यों कर दिये? और 'विश' क्यों लिखा? 'वीश' होना चाहिए। गुजरात विद्यापीठकी ओरसे जो शब्दकोश[2] प्रकाशित हुआ है, उसमें हिज्जोंसे सम्बन्धित नियम हैं; उन्हें जान लेना। ताराको तो उसके विषयमें मालूम होगा ही। देशकी वस्तुओंसे प्रेम करनेमें भाषाका भी स्थान है न? हम भाषाका गला न काटें।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७८०)की फोटो-नकलसे।

१२. पत्र : बलभद्रको

यरवदा मन्दिर
१९ दिसम्बर, १९३०

चि० बलभद्र,

तेरा पत्र मिला। लगता है, तू अच्छी सेवा कर रहा है। और साथ-साथ वजन भी बढ रहा है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। खूराकमें सब कुछ लेते हो, इसका अर्थ समझाना। मर्यादाका पालन करना। किसीसे कुछ माँगना मत। जो मिले, उससे सन्तोष करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९२१५)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए पिछला शीर्षक।
२. जोडणीकोश; देखिए खण्ड ४०, पृष्ठ २२४।

१३. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको

यरवदा मन्दिर
१९ दिसम्बर, १९३०

चि० पुरुषोत्तम,

तुम तो कर्त्तव्य-पालन अच्छी तरहसे कर रहे हो, इसलिए दूसरी इच्छाओंका स्थान नहीं है। तुम्हें क्या मार्ग बताऊँ? हम रोज गाते हैं 'प्रजहाति यदा कामान्।'[1] तुम्हें तो कामना-मात्रको जला देना चाहिए। इस तरह तुम्हें सहज ही अपना मार्ग मिल जायेगा। 'स्थित-प्रज्ञ'[2] सम्बन्धी श्लोकोंपर विचार करो और समझ लो कि वे तुम्हारे लिए हैं। देखो कि उनमें से किन बातोंका पालन नहीं होता और क्यों नहीं हो पाता। इससे तुम्हारी सब उलझनें दूर हो जायेंगी। मुझे पत्र लिखा करो। बड़ोंको मेरा दण्डवत, जमनादासको आशीर्वाद।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९०१)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१४. पत्र : कुसुम देसाईको

यरवदा मन्दिर
१९ दिसम्बर, १९३०

चि० कुसुम (बड़ी),

तेरा पत्र मिला। कृपलानीका शरीर तो अच्छा है न? कांति वगैरासे थोड़े दिनोंमें मिलूँगा। प्यारेलालकी संस्कृत-सन्धि और संस्कृत-समास वगैराकी पुस्तकें तेरे पास हैं या वे कहाँ हैं, उनकी जानकारी तुझे है, ऐसा प्यारेलाल कहता है। ये पुस्तकें भेज देना। 'गीता' के ठीक अध्ययनके लिए उसे इनकी जरूरत पड़ती है। हम दोनोंकी तबीयत अच्छी है। अभी तो ज्वार-बाजरेकी रोटियाँ मुझे सध गई हैं, ऐसा माना जा सकता है।

स्वास्थ्य-सम्बन्धी ब्योरेवार समाचार सबके लिए लिखे पत्रमें लिखता हूँ, इसलिए अलगसे नहीं लिखता।

१. गीता, अध्याय २, श्लोक ५५।
२. गीता, अध्याय २, श्लोक ५५-७२।

प्यारेलालके पत्र त्रिवेदीके[1] मार्फत भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १८१४)की फोटो-नकलसे।

१५. पत्र : मीराबहनको

यरवदा मन्दिर
शामके ४-३० बजे, २० दिसम्बर, १९३०

चि० मीरा,

तुम्हारे पत्रसे मेरे स्वास्थ्यके बारेमें जैसी चिन्ता झलकती है, वह बिलकुल गैरजरूरी है। गुरुवारको वजन लिया गया था, उससे जाहिर हुआ कि डेढ पौंड वजन बढा है। सात दिनमें यह वृद्धि बहुत अच्छी है। मुझे कोई कमजोरी भी महसूस नही होती। मै अपनी दो घंटेकी तकली-कताई आम तौर पर खड़े-खडे करता हूँ और कोई खास थकान मालूम नही होती। तकलीपर कताई कर चुकनेके बाद अभी-अभी यह पत्र लिखने बैठा हूँ। पिछली बार की हुई तमाम भूलोसे बच रहा हूँ। पाखाना अच्छी तरह बँधा हुआ होता है। प्यारेलालका कहना है कि कोई खास गन्ध भी नही है। सारा भोजन यानी तरकारी और रोटी, अच्छी तरह पकाया जाता है। रोटी तो मुझे दुबारा सेंककर दी जाती है। तुम्हें याद होना चाहिए कि उस बार मै सारा भोजन बिना राँधा हुआ लेता था — मय अन्न और दालके।[2] आजकल तो मै लगभग वे ही चीजें ले रहा हूँ, जो मै बिना राँधा हुआ आहार शुरू करनेके पहले लेता था। फर्क इतना ही है कि गेहूँके स्थानपर बाजरा या ज्वार ले रहा हूँ। शायद यह एक सुधार ही हुआ है। एक दफे उबला हुआ पानी, नीबू और नमक ले रहा हूँ। इस सारे प्रकट सुधारके बावजूद अगर पाखानेकी कोई अनियमितता, कमजोरी या वजनकी लगातार कमी, इन तीनोंमें से कोई चीज दिखाई देगी तो मैं फिर दूध लेने लगूंगा। लेकिन अभी जब तन्दुरुस्ती अच्छी मालूम होती है, मुझे चाहिए कि मै अपने आपको दूध छोड़ देने और बाजरे या ज्वारकी रोटी लेनेके सुखसे वंचित नही करना चाहता। और फिर मुझे इन रोटियोका स्वाद पसन्द है। इस विस्तृत स्पष्टीकरण और विवरणसे तुम्हे और दूसरे भाई-बहनोको पूरा सन्तोष हो जाना चाहिए और भविष्यके लिए कोई चिन्ता नही रहनी चाहिए।

जहाँ तक तुम्हारा सम्बन्ध है, मेरी रायमें, यह तो जरूरी है कि तुम अपने मेनूपर निगाह रखो किन्तु साथ-साथ यह भी है कि तुम्हारा मुख्य रोग मानसिक है। मनपर जरा-सा बोझ पडते ही तुम्हारे शरीरपर तुरन्त उसकी प्रतिक्रिया

१. पूनाके प्रो० जयशंकर त्रिवेदी।

२. मीराबहनने अपनी पुस्तक **बापूज़ लैटर्स टु मीरा**में यह लिखा है: "मैंने एक पत्रमें बापूको याद दिलाया था कि उन्होंने पहले साबरमती आश्रममें जब भोजनका प्रयोग किया था, तो उसके बाद उन्हें सख्त पेचिश हो गई थी।" देखिए खण्ड ४१।

होती है। तुम्हें चिन्ताका यह रोग मिटा देनेका प्रयत्न करना चाहिए। 'निरर्थक चिन्ता न करो।' "लुक एट द लिलीज आफ द फील्ड, दे टायल नॉट, नाइदर डु दे स्पिन एण्ड यट सोलोमन इन ऑल हिज ग्लोरी वाज नॉट एरेड लाइक वन ऑफ दीज।"[1] पता नहीं मैंने ठीक उद्धरण दिया है या नही। वहरहाल, ये फूल मेहनत नही करते, अपने लिये सूत नही कातते, ऐसा केवल ऊपरसे दिखाई देता है। असलमें वे दोनों काम करते हैं। लेकिन इतने स्वाभाविक रूपमें करते हैं कि हम उनकी परिश्रमपूर्ण कताईको देख नही पाते। अगर वे परिश्रम न करें, तो मुरझा जायें। वात इतनी ही है कि उनमें हमारी तरह अहंकार और इसलिए आसक्ति, पसन्दगी और नापसन्दगी नही है। लेकिन जव हम उनकी तरह अनासक्त होकर मेहनत करेंगे, तो हमारी मेहनत दिखाई नही देगी और इसलिए शरीरपर उसका वुरा असर नही होगा।

शामके ७-३० वजे

तुम्हें, मुझे और हम सवको यह सुखद स्थिति प्राप्त करनेके लिए ज्ञानपूर्वक और विचारपूर्वक प्रयत्न करना है। नही तो हमारा 'गीता' पढ़ना वेकार है।

तुम स्टोवके विषयमें सावधान रहना; कही जल मत जाना। तुम जानती हो कि स्टोवको काममें लानेसे कितनी ही गुजराती स्त्रियाँ जल चुकी हैं। ढीली-ढाली साड़ियोंके कारण जलनेकी वहुत सम्भावना रहती है, खास तौरपर स्टोव सुलगाते समय। वह फर्शपर रखा जाता है; इसलिए स्त्रियोंको झुकना पड़ता है और उठती हुई लपट साड़ीकी किसी तह या खुले पल्लेको आसानीसे पकड़ लेती है। इसलिए तुम्हारे लिये समझदारीकी वात यह होगी कि स्टोवको किसी धातुकी सतहवाली तिपाई पर रखो। फिर तुम्हारे छोटे-से कमरेमें जगह भी तो वहुत थोड़ी है। वहरहाल, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी। अव तुम सावधानीके वतौर जो मुनासिव समझो, करना।

मुझसे अलग रहनेपर अकेले समाचारपत्र निकालनेका तुम्हारा विचार मुझे कतई पसन्द नहीं आता। उससे तुम वँध जाओगी और मैं चाहूँगा कि तुम मुक्त रहो ताकि जो-कुछ तुम्हारे भाग्यमें आये, उसका मुकावला कर सको। और फिर समाचारपत्रमें कई अन्य लोगोंकी मेहनत भी लगेगी। मैं तो इस विचारसे ही डरता हूँ; लेकिन मेरी रायका कोई मूल्य नही है। ठीक निर्णय तो तुम तथा अन्य कार्यकर्त्तागण ही ले सकते हो।

हाँ, मैंने 'गीता' के अपने अनुवादकी भूमिकाका पहला भाग अभी पूरा किया है।[2] मुझे आशा है कि कमसे-कम एक अनुच्छेद रोज कर लूँगा। अगर कर सका तो भूमिकामें ज्यादा दिन नही लगेंगे।

१. अर्थात् मैदानमें खिले हुए लिलीके नन्हे-नन्हे फूलोंको देखो; वे कोई श्रम नहीं करते, न अपने लिये सूत कातते हैं; और फिर भी वे कितने सुन्दर हैं; इजराईलके राजा सुलेमान अपने पूरे ऐश्वर्यके साथ सज्जित होकर इनमें से किसी एकके भी समान सौन्दर्यशाली नहीं दिख सकते थे।

२. अनासक्तियोग, देखिए खण्ड ४१।

नये गांडीवमें[1] लगभग वे सारे सुधार हो गये हैं जो मैंने सोचे थे। दोनों मालोके लिए दो स्प्रिंग हैं। वह किसी वाद्य-यन्त्रकी तरह सहज गतिसे काम कर रहा है और उसपर बहुत कम ध्यान देना जरूरी होता है। इन सुधारोंके लिए मैं सुपरिटेंडेंट और एक साथी अंग्रेज कैदीका आभारी हूँ। वह होशियार कारीगर है और इस काममें बहुत दिलचस्पी रखता है। उसने मोढ़ियेमें स्प्रिंगको मौलिक ढंगसे लगाया है। कल्पना इतनी सादी है कि विश्वास ही नही होता; और फिर भी वह बहुत कारगर है। लेकिन इस विषयको और विस्तार देना जरूरी नही है।

मुझे खुशी है कि तुमने सुरेन्द्रको सँभाल लिया है। उसका इस तरह शरीरकी उपेक्षा करना भारी अपराध है। सन्त फ्रान्सिस अपने शरीरको गधा कहते थे, फिर भी उसकी कुछ सँभाल तो रखते थे। और आखिरकार गधा बहुत ही उपयोगी और सहिष्णु जानवर है। यह 'गधाभाई' भी अगर ठीक ढंगसे रखा जाये और उसका न तो लाड़-प्यार किया जाये और न उसकी तरफ लापरवाही बरती जाये, तो वह बहुत ही अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

और यह लो प्रातःकालकी प्रार्थनाका पहला श्लोक :

"प्रात.कालके समयमें अपने हृदयमें स्फुरित होनेवाले आत्मतत्त्वका स्मरण करता हूँ; वह सत् (शाश्वत), चित् (ज्ञान) है; और सुखम् (आनन्द) स्वरूप है; वह परमहंसोकी अन्तिम गति है; वह चतुर्थ अवस्थारूप है। मैं वह शुद्ध ब्रह्म हूँ जो स्वप्न, जाग्रति और निद्रा, तीनों अवस्थाओंको सतत जानता है; मैं पंच-महाभूतों (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर)से बना हुआ यह शरीर नही हूँ।" यह तुम्हें बता दूं कि यह पहला श्लोक पिछली ६ मईको प्रारम्भ किया गया था।[2]

मुझे दुःख है कि पहले ही श्लोकके [अनुवादको] शुद्ध करनेकी जरूरत पड़ी। मैं जितना अधिक विचार करता हूँ, अर्थ उतना ही अधिक साफ दिखाई देता है। और तब मैं यह भी परवाह नही करता कि अनुवादमें कितनी बार काटा-कूटी होती है। पहले मैं इस श्लोकका उच्चारण करते समय यह समझकर डरता था कि इसमें जो दावा किया गया है, उसमें अहंकार है। लेकिन जब मैंने इसका अधिक स्पष्ट अर्थ समझा, तो फौरन देख लिया कि दिनका प्रारम्भ करनेके लिए यही सबसे उत्तम विचार है। यह गम्भीर और पवित्र घोषणा है कि हम वे परिवर्तनशील शरीर नही हैं, जिन्हें नीद वगैराकी जरूरत होती है; बल्कि गहराईमें हम सत् है, वह साक्षी हैं जिसने असंख्य शरीरोको व्याप्त किया है। पहले भागमें इस मूलतत्त्वके अस्तित्वका स्मरण किया गया है और दूसरे भागमें यह दावा किया गया है कि हम वही मूलतत्त्व हैं। सत् यानी ब्रह्मका वर्णन भी बिलकुल ठीक है। वह है; और अन्य कुछ सत् नही है। वह सम्पूर्ण ज्ञान या प्रकाश (चित्) है और इसलिए स्वभावतः ही सम्पूर्ण सुख या जैसा आम तौर पर कहा जाता है, आनन्द है। बाकी भाग तो सीधा है। तुम इस

१. एक नये किस्मका चरखा।

२. गांधीजीने मीराबहनके उपयोगके लिए आश्रम भजनावलिके श्लोकों और भजनों आदिका अंग्रेजी अनुवाद करना शुरू किया था। देखिए आश्रम भजनावलि खण्ड ४४, परिशिष्ट-६।

अनुवादकी तुलना वालजीभाई द्वारा किये हुए अपने पासके अनुवादसे करना। अगर काफी अन्तर हो तो मुझे उनका अनुवाद भेज देना। विद्वत्तामें मुझे उनका लोहा मानना चाहिए। इस प्रकार ईश्वरने चाहा तो अब तुम हर सप्ताह इस प्रकारकी एक भेंटकी आशा रख सकती हो। लो, बिगुल बज रहा है और मुझे याद दिला रहा है कि नौ बजने ही वाले हैं।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२८४) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : मीराबहन

१६. पत्र : महालक्ष्मी माधवजी ठक्करको

२० दिसम्बर, १९३०

चि० महालक्ष्मी,

तुम्हारे नामको शोभा देनेवाला तुम्हारा ब्योरेवार पत्र मिल गया है। उसमें जो उत्साह है, वह मुझे अच्छा लगा। किन्तु हमारे सिद्धान्तके अनुसार वहाँके कामके बारेमें मै निर्णय नहीं कर सकता। कैदखानेमें पड़े कैदीके मतपर निर्भर भी नही रहना चाहिए। नेता और सेवक-सेविकाओंके परस्पर धर्मके बारेमें मैंने समझा दिया है। मीठूबहनसे अपना मतभेद उसे समझाना। यह तो हमेशाका नियम है, इसलिए इससे आगे नही जाऊँगा। तुम्हें जो-कुछ करना धर्म लगे, उसका पालन करनेकी छूट है। अपने धर्मको जाननेके लिए ही हम व्रत-नियमोंका पालन करते हैं। अन्तरात्मा सबको जवाब नही देती। जिनमें जाग्रत होती है, उन्हे ही जवाब मिलता है।

प्रभु तुम्हारा कल्याण करे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६८०८)की फोटो-नकलसे।

१७. पत्र : महावीर गिरिको

२१ दिसम्बर, १९३०

चि० महावीर,

मनमें जो प्रश्न उठे, पूछ लिया करो। मुझे यहाँ प्रश्नोंके उत्तर देनेकी फुरसत जरूर मिल जाती है। सभी दोष एक-साथ न सुधर सकें तो जो पहले सुधारा जा सकता हो, उसे सुधारे। इस तरह सभी दोषोंको दूर करनेकी शक्ति आ जायेगी। तुम्हारी लिखाई बुरी तो नही कही जा सकती; किन्तु अभी उसे ज्यादा सुन्दर बनाया जा सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२२२)की फोटो-नकलसे।

१८. पत्र : मणिबहन पटेलको

यरवदा मन्दिर
२१ दिसम्बर, १९३०

चि० मणि(पटेल),

तू लिखे या न लिखे, मै तो लिखता ही रहूँ न? आखिर तू अपना वचन भूल गई। तू तो मुझे पत्र लिखती ही रहनेवाली थी। जब जागे तभी सवेरा; भूले, वहींसे फिर गिनें। अब वचनका मूल्य समझ। अपने अनुभव लिखना। तेरा स्वास्थ्य कैसा रहा? क्या खाती थी?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४: मणिबहेन पटेलने

१९. शान्तिलाल मेहताको लिखे पत्रका अंश

[२२ दिसम्बर, १९३०][1]

चि० शान्ति,

तुमने पत्र लिखकर ठीक किया। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। अपनी जिम्मेदारी पर तो मैं कुछ भी नही करूँगा। जो ठीक होगा सो मणिलाल ही करेगा। लगता है, वह अभी तो नही आ सकेगा। ऐसे समय . . .[2]

१९, फर्स्ट ऐवन्यू
डर्बन

गुजराती एम० एम० यू० २२ से।

२०. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

२२ दिसम्बर, १९३०

चि० गंगाबहन (बड़ी),

लोग जवान लड़कियोंको हमें सौंप देते हैं। इससे हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, इसमें शक नही। ईश्वर निभायेगा। जहाँ ऐसा करना हिम्मतसे बाहर लगे, वहाँ साफ 'ना' कर देना। जो लड़कियाँ तुम्हारा कहना न मानें, उन्हें वापस भेज देना। पहलेसे ही साफ-साफ बात कर लेना। ऐसे व्यावहारिक कदम न उठायें, तो ईश्वर हमारी मदद नही करेगा। डरपोक, आलसी और लापरवाहकी तो वह मदद करता ही नहीं है।

शरीरके ध्यानसे योग्य सुविधाएँ प्राप्त करके भी उसे सँभालना। चाय, काफीसे शरीर चलता हो तो उसे लेनेमें जरा भी संकोच या शर्म नही करना। इस समय हमारी साधना चाय, काफी छोड़नेकी नही है। साधना तो वहाँ आश्रममें बसे हुए दुखी लोगोंकी सेवा करनेकी है।

मधु और अन्य जिनको कब्ज रहता है, उनके लिए मैं कोई उपाय नही सुझा सकता। अपना कब्ज मैंने कैसे दूर किया, यह लिख रहा हूँ। तीन-चार दिन तो सिर्फ टाँका या उसी जैसी सब्जी पका कर खाई। उससे टट्टी तो बिलकुल ठीक आने लगी।

१. गांधी संग्रहालयमें दर्ज की गई तिथिसे।
२. पत्रका शेष भाग उपलब्ध नहीं है।

फिर बादाम भी लेने शुरू किये। उनकी तो वहाँ जरूरत नहीं है। वहाँ तो शायद सब्जी भी न मिले। किन्तु प्याज तो मिलेगा ही। प्याज उबालकर खायें तो भी कब्ज दूर हो सकता है। टमाटर मिले तो उन्हें प्याजमें डाल सकते हैं। इस तरह उबाले हुए प्याज नमक डालनेपर अच्छे न लगें, टमाटर भी न मिले तो उनमें कोकम[1] डाल लें।

शीर्षासन करके देखो। इससे कई लोगोंका बरसों पुराना दर्द चला गया है। शीर्षासन खाली पेट ही किया जा सकता है। आसान भी है। लहँगेको कच्छकी तरह बाँध कर दीवारके सहारेसे सिरके बल खड़े हो। बादमें दीवारके सहारेकी जरूरत नहीं रहेगी। सिरको दोनों हाथोंसे सहारा दें।

तुम्हें मालूम है न कि आजकल मैं जेलमें मिलनेवाली ज्वार-बाजरेकी रोटी और वहाँ जो सब्जी मिलती है, वही खाता हूँ। सब्जी अलग बनानी पड़ती है क्योंकि जेलकी सब्जीमें मसाला होता है। खजूर अभी है और दूधके बदले चार तोला बादाम लेता हूँ। स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठीक न रहा तो फिरसे दूध लेना शुरू कर दूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७६८)की प्रतिसे।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

२१. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

यरवदा मन्दिर
२२ दिसम्बर, १९३०

चि० प्रेमा,

तेरा तथ्योंसे भरा हुआ पत्र मिला। 'निजनामग्राही'के दोनों अर्थ ठीक हैं। नारणदासका अर्थ गुजराती भाषाके लिए शायद ज्यादा अनुकूल हो। लेकिन तेरा अर्थ बिलकुल न चले, ऐसा नहीं है।

तू बच्ची ही है, यह कल्पना करके मैं प्रार्थना सम्बन्धी तेरे प्रश्नका उत्तर दे रहा हूँ। जैसे माता-पिता हमारे जन्मदाता हैं, वैसे ही उनके भी कोई जन्मदाता हैं। इस तरह एक-एक सीढ़ी ऊँचे चढ़ते जायें तो [सभीके] जिस जन्मदाताकी कल्पना हम कर सकते हैं, वह ईश्वर है। उसका दूसरा नाम सर्जनहार भी इसीलिए पड़ा है और जैसे हमारे माता-पिता बहुत बार हमारे बिना कहे ही हमारी इच्छाको समझ जाते हैं, वैसा ही हम ईश्वरके बारेमें भी समझें; और अगर माता-पितामें इतना समझनेकी शक्ति होती है, तो सब जीवोंके सर्जनहारमें तो हमारे मनकी बात जाननेकी

१. एक प्रकारकी खटाई।

बहुत अधिक शक्ति होनी चाहिए। इससे ईश्वरको हम अन्तर्यामीके रूपमें भी पहचानते हैं। उसे देख सकनेकी जरूरत नही है। अपने बहुत-से सम्बन्धियोको हमने देखा नही है; किसीके माता-पिता बचपनमें विदेश गये हो या मर गये हो, तो भी वे हैं या थे, हम दूसरोकी बातको सच मान कर ऐसा मानते हैं; वैसे ही हमारे सामने ईश्वरके बारेमें सन्तोकी साक्षी है। उसपर विश्वास रखकर हमे मानना चाहिए कि अन्तर्यामी ईश्वर जरूर है। और अगर वह है तो फिर उसका भजन करने, उसकी प्रार्थना करनेकी बात तो सरलतासे समझमे आ जायेगी। अगर हम समझदार हो तो सुबह उठकर और रातको सोते समय माता-पिताको साष्टाग नमस्कार करते है, वैसे ही ईश्वरको भी करना चाहिए। और जैसे हम माता-पिताको अपनी इच्छा बताते हैं, वैसे ही ईश्वरको भी बतानी चाहिए। आजके लिए इतना काफी है न? इसमें कुछ सार मालूम न हो तो लिखनेमें संकोच मत करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२४७)की फोटो–नकलसे।

२२. पत्र : प्रेमलीला ठाकरसीको

२२ दिसम्बर, १९३०

प्रिय बहन,

आपकी भेजी हुई खजूरकी दो पेटियाँ और रुई भी मिल गई है। दोनोंके लिए धन्यवाद दूँ? भाई विट्ठलदासको लिखना कि खजूर बहुत बढ़िया है। इसका यह अर्थ नही कि वे मुझे भेजते ही रहा करें। मेरा तो यह कहना था कि यदि उनका भाई खजूर काफी मात्रामें मँगाता हो तो उसकी कीमत यहाँके अधिकारीको लिखे और जब यहाँ जरूरत हो तब भेज दिया करे। आपका पत्र भी मिला है। फिर जब रुईकी जरूरत होगी तब लिखूँगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४८१८)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : प्रेमलीला ठाकरसी

२३. पत्र : लीलावती आसरको

यरवदा मन्दिर
२२ दिसम्बर, १९३०

चि० लीलावती,

सचमुच तेरी परीक्षा हो रही है। देखना, हारना नही। मानको घोल कर पी जानेमें आत्मसम्मानकी रक्षा है। गगाबहन जैसी माँ तुझे फिर नही मिलेगी। वह कुछ कडे स्वभावकी है, उसे सहन कर लेना। उसका सेवाभाव और समभाव समझना और उसकी कद्र करना। जिन्हे सेवा करनी है उन्हे सघमें रहना आना चाहिए। सगठनमे रहनेका अर्थ है, किसीके अधीन रहना। ऊपरवालेके ऊपर भी कोई होता है। गीताका १२वाँ अध्याय कण्ठस्थ कर लेना। उसके एक श्लोकमे कहा गया है कि भक्तके लिए मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, शत्रु-मित्र सब एकसे है। यह अपने विषयमे सही साबित करना। मुझे लिखनेमे आलस्य मत करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९३१८)की फोटो-नकलसे।

२४. पत्र : प्रभावतीको

यरवदा मन्दिर
२२ दिसम्बर, १९३०

चि० प्रभावती,

तुम्हारे पत्र मिल गये है। कल पोस्टकार्ड मिला था। उसके हिसाबसे आज तुम्हारा पत्र आना चाहिए था, किन्तु आया नही। जयप्रकाशके पत्रके अनुसार तो तुम्हे आश्रम जाना चाहिए था। किन्तु तुम्हारे पत्रसे कुछ स्पष्ट नही होता। फौरन आश्रम पहुँच जाओ तो अच्छा है। हिस्टीरियाके दौरे अब भी आते है, यह मुझे पसन्द नही है। पिताजीके साथ हुई बातचीतका हाल मुझे अब मिलना चाहिए। उनके स्वास्थ्यका समाचार भी मिल जायेगा। मै ठीक हूँ। अभीतक तो ज्वार-बाजरा हजम हो रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३८५)की फोटो-नकलसे।

२५. पत्र : नारणदास गांधीको

गुरुवार सुबह, १८/२३ दिसम्बर, १९३०

चि० नारणदास,

तुम्हारा पुलिंदा कल शामको मिला। इस बार मैंने पिछले मंगलवारको जो आश्रमके पत्र भेजे थे, वे तुम्हें गुरुवार यानी आज मिलने चाहिए। अधिकारीसे कहा था कि हो सके तो उन्हें तुरन्त भेज दिया जाये और उसने मंगलवारको ही भेज देनेकी बात कही थी।

तुम्हारे लम्बे पत्र मुझे अच्छे लगते हैं, किन्तु तुम सायास लम्बे पत्र लिखो, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे ऊपर कितना बोझ है, यह मैं समझ सकता हूँ। केशुके बारेमें मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए था। तो भी तुमने मन हलका करने और आत्मसंतोषकी खातिर लिखा, सो तो समझमें आता है।

सूरजभानका पोस्टकार्ड मुझे मिला था। उसमें लिखा है कि यशोदा देवीको आश्रम बुला लें तो अच्छा है। वह अम्बालामें लाला दुनीचन्द वकीलके घर है। उसे लिखना। रतिलालका किस्सा सुखद है और दुःखद भी। उसका पागलपन दुःखद है। किन्तु उस व्यापारीने हीरा लौटा दिया, गोपीने पैसा वापस कर दिया, यह सारी सज्जनता सुखद है। उन्होंने ही पहले अपराध किया था, यह बात हमारे मनसे निकल जाती है। चम्पा तो मूर्ख है ही। समझानेपर भी हीरे-मोतियोंका लालच रखती है और बादमें पैसा गँवाती है। रतिलाल तो आ गया होगा। न आया हो तो भी मुझे चिन्ता नहीं होती। ईश्वर उसे बचा लेता है। किन्तु इसीका नाम तो संसार है। मनुष्यका समय एक-दूसरेकी भूलोंको ठीक करनेमें ही चला जाता है। जो मनुष्य ऐसा काम निःस्पृह रहकर कर सकता है, उसके लिए यह श्रम व्यर्थ नहीं होता। यह उसकी साधना है और उसीके द्वारा वह ईश्वरका साक्षात्कार करता है। इस तरह कल सुबह मैंने एक इल्ली और घुनमें भगवानके दर्शन किये। प्यारेलालको तुम पूरी तरह कहाँ जानते हो? वह कवि है इसलिए स्वप्नोंमें तो खोया ही रहेगा। मैंने उसे खजूरमें लगी इल्ली निकालनेके लिए कहा। उन्हें निकालकर किसी ठीक जगह डालना चाहिए था। किन्तु कर्त्तव्यका विचार करनेके बदले वह जाने किस विचारमें खोया था। इल्ली साफ करके उसने हाथ धोनेके बर्तनमें डाल दिया। और घुन भी उसीमें डाल दिये। उस बर्तनमें मैं हाथ-मुँह धोता तो दोनोंकी मृत्युका निमित्त बन जाता। मैंने उसमें हाथ न धोनेका निश्चय किया। किन्तु जब मेरा काम निबट गया और मैं हाथ धोने उठा तो मैंने देखा कि हाथ धोनेके बर्तनमें न इल्ली थी और न कोई घुन। वे धीरे-धीरे रेंग कर निकल गये थे। और मुझे लगा कि मुझे इल्ली और घुनकी इस घटनामें ईश्वरके दर्शन हुए। नास्तिक अथवा बुद्धिवादी तो इसे एक

मामूली आकस्मिक घटना ही मानेंगे। आकस्मिक घटना तो यह है ही। किन्तु ईश्वर-दर्शन भी तो अकस्मात ही होता है। समझ सकें तो रोज दर्शन कर पायें, न समझें तो जन्म-भर बीत जा सकता है। किन्तु इसपर ज्यादा नही लिखता। यह बात तो कलकी दैनन्दिनीमें लिखनी थी। दूसरे कामके कारण दैनन्दिनीमें नित्ययज्ञ आदिके बारेमें ही लिख पाया और यह बात रह गई। व्यापारी और गोपीकी बात लिखते हुए यह पुराण-स्मरण ताजा हो गया। इसलिए तुम्हे उसका भागीदार बनाया है। मैंने कल इस दर्शनसे और भी बहुत कुछ सीखा है। सब हजम होगा या नही, यह तो प्रभु जानें। इस मौके पर तुम्हारे प्रश्नका जवाब दे दूं। जितना गहराईमें जायें, जितनी शान्ति रखें, उतना ही अहिंसा और सत्यका अर्थ स्पष्ट होता जाता है और उनकी परम उपयोगिता दिखाई देती जाती है। मुझे लगता है कि हम उनका जितना आचरण करते हैं, ईश्वरसे उतना ही अधिक साक्षात्कार होता जाता है। इसके बाहर ईश्वर साक्षात्कारकी बात काल्पनिक है, मेरा ऐसा विश्वास दृढ होता जाता है। किसी सगठनमें एक दूसरेके प्रति अहिंसाका आचरण किस प्रकार किया जा सकता है? साथियो और दूसरे लोगोके प्रति उदारता और अपने दोषोंके प्रति कठोरतासे काम ले। दूसरेके दोप देखनेवाला जाने-अनजाने यह मानता है कि उसमें दोप नही है। इससे अहंकार हो जाता है। सही नियम तो यह है कि स्वय सभी नियमोंका कठोरतासे पालन करे और दूसरोके द्वारा उनका कुछ ढीला-ढाला पालन भी सहन करें। इसमें मेहरबानीकी कोई बात नही है; यह न्याय ही है। जो ढिलाईसे नियम पालन कर रहा है, वह कितना प्रयत्न कर रहा है, यह हम कहाँ जानते हैं? यदि बिना किसी प्रयत्नके ही कोई कठोर लगनेवाले नियमका पालन कर पाते हो तो उसके लिए उसमें कठोरता ही कहाँ है? भीम जैसा मनुष्य चार सेर वजन आसानीसे उठा ले तो उसमें आश्चर्यकी क्या बात है। किन्तु यदि एक बालिका एक सेर उठाते हुए गिर जाये और भीम उसकी हँसी उडाये तो सच कहे, तो उस बालिकाके प्रयत्नका ही मूल्य भीमके वजन उठा लेनेकी अपेक्षा बहुत अधिक है। वजन उठानेका काम भीम न करता तो उसका कोई भाई करता; किन्तु उस बालिकाने अपने प्रयत्नसे जगतको कर्त्तव्यका पाठ सिखाया और प्रभुकी प्रसन्नता प्राप्त की। इसलिए हमारा धर्म दूसरो-की आलोचनामें समय खोना नही है; यह तो हिंसा है। हमारा धर्म तो स्वयं अधिक जागृत होनेका है। एक बैल धीमा जान पड़ता है या सचमुचमें धीमा है, उसके साथ यदि किसी तेज बैलको काम करना हो तो इस तेज बैलका कर्त्तव्य है कि वह धीमे बैलका भी कुछ काम अपने ऊपर ले ले। मालिक भी कमजोर बैलकी अपेक्षा शक्तिशाली बैलसे ज्यादा काम लेता है। यदि तेज बैल अधिक काम न करे तो वह भी सुस्त ही कहा जायेगा। तब वह स्वार्थी और दयाहीन हुआ। हम कभी कामसे जी न चुरायें। अपने कर्त्तव्यका पालन करे। साथियोका और हमारा न्याय करनेवाला ईश्वर है। उसीके पास सबके हृदयकी चाबी है। हमारे पास तो शायद अपने हृदयकी भी न हो। अहिंसाकी साधना करनेसे इतना हमें सहज ही मिलता है।

सत्यकी साधनासे हमें आचारशुद्धिकी सीख मिलती है। इससे हम समाजके छोटेसे-छोटे काम और अपने रोजके काममें भी ज्यादा सावधान हो जाते हैं। सत्यकी आराधना करते हुए हम प्रार्थनामे हाजिर होकर शान्त रहे; इतना ही नही, एकाग्र-चित्त होनेका प्रयत्न भी करे। समयपर उपस्थित हो जो गाया जाये या बोला जाये, उसे समझें और उसमें नित्य नवीनताका अनुभव करें। नवीनता भजनोमे या पाठ की जानेवाली सामग्रीमें नही होती। नवीनता तो हमारी शुद्धिकी वृद्धिमें होती है। हमारा सन्तोष रोज बढना चाहिए, हमारी शान्ति रोज बढ़नी चाहिए। ऐसा अनुभव न हो तो दोष प्रार्थनाका नही किन्तु हमारे अन्तस्में स्थित असत्यका है। हम सच्ची निष्ठाकी भावनासे जायें तो वहाँ शान्ति ही मिलेगी। मन्दिरमें जानेवाले श्रद्धालु मन्दिरकी मलिनता नही देखते, पूजारीका पाखण्ड नही देखते, मूर्तिके पत्थरको नही देखते, वे तो कोलाहलमे भी शान्ति पा लेते है और शुद्ध होकर बाहर आते हैं। मेरे जैसे उस व्यक्तिको, जिसका ऐसे कोलाहलसे दम घुटता है और जो मूर्तिके पत्थरको पत्थर ही मानता है, दर्शनके लिए मन्दिरमें नही जाना चाहिए। जो जिस रीतिसे ईश्वरका भजन करता है, उसे वह वैसा ही दिखाई देता है। क्योंकि वह बाहर नही, सबके अन्तस्में है। यह समझ लें तो हमारा सादासे-सादा और छोटेसे-छोटा काम शोभायमान हो उठे और उसमे से हमें ईश्वर भी प्राप्त हो। ऐसा करनेके लिए प्रार्थना, कताई आदि नित्यकर्म हमारे लिए दीपस्तम्भ या समकोणकी तरह है।

शनिवार सुबह

गिरिराज[1] शान्त रह सके तो यह काम भी निवट गया मानें। मै देखता हूँ कि अभी बच्चोंको आश्रम नही लाया जा सकता। उसने अभी तो [किसीको] सौंप दिया है। अब जैसा उनका नसीब। मेरा काम अभी तो चल रहा है। इस सप्ताह एक या डेढ़ रतल वजन बढ़ा है। खजूर-मुनक्का छूट गया है, ऐसा तो अभी नही कहा जा सकता। अभी तो जमनाबहन और विट्ठलदासने फिर खजूर भेजी है। दो-तीन दिन लेकर छोड दी है। इस तरह उसे लेने और छोड़नेका असर देखता रहता हूँ। छूट सके तो छोड़नेकी इच्छा तो है ही। इसलिए अभी गोभी, चुकन्दर, गाजर, कद्दू आदि सब्जीमें से एक, बाजरा या ज्वारकी भाकरी, चार तोला बादाम और नीबू — इतना खानेके लिए लेता हूँ। ईश्वर निभायेगा तो ठीक; नही तो नम्रभावसे दूध और दही लेना शुरू कर दूँगा। इतनेसे निभ ही जायेगा, ऐसा अभी नही कह सकता। नही निभेगा, ऐसा तो कहूँगा ही नही। ज्वार-बाजरा हजम होगा, इसकी तनिक भी आशा नही थी; किन्तु अभी तो उनसे काम चल रहा है।

तुम्हारी बात समझ गया। वस्तु और प्रमाण ठीक है। मूँगफली छोड़ कर अच्छा किया। वजन कम होनेमे कोई बुराई नहीं है। शक्ति कम नही होनी चाहिए। जरूरत हो तो दूध अथवा दहीकी मात्रा बढ़ाना। खुराकमें एक तोला बादाम भी

१. गिरिराजकिशोर, एक आश्रमवासी। कट्टो और विमलाके पिता। ये बच्चे माँकी मृत्युके बाद आश्रमकी एक बहनके पास रहने लगे थे।

लेने लगोगे तो शायद फायदा हो। पारनेरकरका मामला दृढतापूर्वक सुलझाना। यह एक दु:खद प्रकरण साबित हो रहा है। 'गीता बोध' के प्रकरण मिल गये हैं। चमड़ा अभी तक तो नही मिला।

पत्रोमें से कताई-यज्ञके बारेमें जो-जो लेना हो, लेकर छाप लेना। सार्वजनिक हितसे सम्बन्धित ऐसी अन्य सामग्री लेनेमें भी कोई हानि नही है। यज्ञ-शुद्धि जितनी हो उतनी कम समझो। सामूहिक रूपसे जो-कुछ किया जा सके, उसका चमत्कार और ही होता है। यथासम्भव जो-कुछ शुरू किया है, उसे न छोड़ना। चरखा आदि सब चीजें बिल्कुल दुरुस्त हालतमें रहनी चाहिए। इस सबका असर हमारे मनपर और कामकी गतिपर तो पड़ता ही है। तुम्हारी गति काफी बढ़ गई है। मैं अभी चरखे पर २०० और तकलीपर ६० से ज्यादा तार नही कात सका हूँ। किन्तु आशा तो करता ही हूँ। मेरी उँगलीमें ही कुछ दोष हो तो नही कह सकता। हो सकता है कि उसके मज्जातन्तु शिथिल हो गये हैं और उससे उसे जितनी गतिसे काम करना चाहिए, न कर पाती हो। जिस तरह जल्दी सो जानेका नियम है, वैसे ही निश्चित समयसे जल्दी उठा करो तो अच्छा है। ४ बजे सुबहसे ९ बजे रात तक जो हो सके, उतना ही करके आराम करो। यदि काम ज्यादा हो और इतने समयमे न हो सके तो उसमें से जो छोड़ा जा सके, उसे छोड़ दो। कोई दूसरा उसे कर सकता हो तो दूसरेको सौंप दो। यो तो इस सम्बन्धमें तुम्हें सुझाव देनेकी जरूरत नही, फिर भी ज्यादा सावधान करनेके लिए लिख दिया है। अनासक्तिका एक लक्षण यह है कि अनासक्तके मनपर कामका बोझ नही होता या कहें, लगभग नही होता, भले ही वह एक क्षण भी खाली न बैठा हो। किन्तु अभी तो हमारी स्थिति सामर्थ्यसे परे मनोरथ जैसी है। तो भी उक्त श्लोकको बुद्धिमे तो समझ ही ले। समझ कर उस स्थिति तक पहुँचनेका प्रयत्न करे। अनासक्तकी स्थिति दयनीय नही लगनी चाहिए। बेचारेपर कितना बोझ है, उसके विषयमें ऐसा किसीको नही लगना चाहिए। ईश्वर पर कामका बोझ कितना होगा। किन्तु वह तो अकर्मी लोगोंका सरदार है। वह किसीकी दयाका पात्र नही है। उलटे हम ही उसकी दयाके भूखे हैं। इस स्थितिसे जरा भी नीची स्थिति होनेपर हमें सन्तोष नही होना चाहिए। भले ही वह चौदह लोकोका बोझ उठाये और हम एक कणमे भी कम। जिस तरह वह चौदह लोकोंका बोझ उठाये रह कर भी हलकेका हलका है उसी तरह हमें कण-भर बोझ उठाते रहकर हलकापन महसूस होना चाहिए। शून्यवत् हो जायें तो यह स्थिति सहज प्राप्त हो सकती है। मीराबहन अनासक्त नही बन पाती; किन्तु वह साध्वी है; इसलिए किसी दिन तो इस स्थितिके पास पहुँच जायेगी। [वह] नये अखबारके झझटमें न पड़े तो अच्छा है, ऐसा मुझे यही बैठे-बैठे लगता है। शीतलासहायके बारेमें पत्र पाये बिना ही जान गया था; उसके पत्रकी इच्छा इसीलिए थी।

यह तो है ही कि अपनी हस्तरेखाओकी छाप किसीको देना मुझे अच्छा नही लगता; साथ ही ऐसा करना यहाँके नियमोके विरुद्ध है। इसलिए मुझे विचार करनेकी जरूरत ही नही है। काकासाहब अपने चित्रपर हस्ताक्षर भी नही दे सके।

मुझे यह नियम ठीक भी लगता है। पुरुषोत्तमको पत्र[1] लिखा है। वह पढ़ लेना। कनु भी थोड़ा परेशान हुआ लगता है।

रविवार सुबह

मुझे . . के[2] पत्रसे जरा भी सन्तोष नही हुआ। तुम उससे स्वयं मिलोगे या मिल लिये होगे। इसलिए बात करके पता लगाना और तुम्हारे ऊपर जो छाप पड़े, वह लिखना। यह किस्सा भी . . .की तरह लगता है। जो सामने आ चुका है उससे अधिक उसने कुछ भी कबूल नही किया, सुरेन्द्र, छगनलाल आदि पर ऐसी छाप पड़ी जैसे कुछ भी गलत नही हुआ हो। पर मुझपर वैसी ही छाप नही पड़ सकी और अन्तमे उसने अपनी भयंकर गलती स्वीकार की। . . . के बारेमें भी ऐसा ही निकले तो मुझे आश्चर्य नही होगा। उसकी भाषामें 'उलटा चोर कोतवालको डाँटे'का आभास होता है। पता लगाना।

कुसुमको पोरबन्दरमें नौकरी मिलनेका सवाल उठा है। उसका उसने उल्लेख किया है। मेरा जवाब देखना और जैसा ठीक लगे वैसा मार्गदर्शन करना। जयाको 'आरामगाह'[3] पहुँचनेके लिए धन्यवाद। उसका वहाँ कौन है जिसे पत्र लिखा जा सकता है। काका साहब कुछ न बता पाये हों तो गीतापारायण जिस तरह चल रहा है, उसे उसी तरह चलने देना ठीक लगता है। सुबह-शाम दोनों वक्त पारायण करके सात दिनमें उसे पूरा करनेका सुझाव मेरे गले नही उतरा। जो कर रहे है उसे ही अच्छी तरह कर सकें तो कितना अच्छा हो। मै देखता हूँ कि मुझे पत्र लिखते समय तुम्हें पौने तीन घण्टे लगे। और जो समय पत्र भेजनेका प्रबन्ध करनेमें लगा हो, सो अलग। इतना समय निकाला जा सकता है, तब तो ठीक ही है; किन्तु इसमेंसे कुछ समय बचा लेना जरूरी हो तो बचा लेना।

विद्यावहनके[4] बारेमें मजेदार भूल हुई। एक नामके ज्यादा लोगोके होनेपर अब ज्यादा सावधान रहूँगा।

भगवानजीभाईसे सम्बन्धित मणिबहनको रोक देना ठीक ही लगता है। जब वह सचमुच भगवानजीकी बहन बन जाये और दोनों इस स्थिति तक पहुँच जायें तब वह खुशीसे आ सकती। फिलहाल दोनों एक दूसरेसे दूर ही अच्छे रहेगे।

भनसाली तुम्हारी ठीक परीक्षा कर रहा है। गोदरेज कम्पनीकी दो पेटियाँ मिली। औरोंके बारेमें पूछा है। सोनी रामजीके दानका जैसा योग्य लगे वैसा उपयोग करना। और जिस खातेमें उसे डालो, उसकी खबर उन्हें देना। नयनको डाक्टरको

१. देखिए "पत्र: पुरुषोत्तम गांधीको", १९-१२-१९३०।

२. यहाँ नाम नहीं दिये जा रहे हैं।

३. जेलसे मतलब है।

४. आश्रममें इस नामकी दो बहनें थी — एक आनन्द हिंगोरानीकी पत्नी और दूसरी रावजी भाई मणिभाईकी बेटी।

दिखाना ठीक लगे, तो दिखा देना। उसका बुखार जाना चाहिए। काशिनाथके बारेमें तुमने जो फैसला किया है, वह ठीक लगता है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

अमीनाकी उर्दू शिक्षाकी जिम्मेदारी हमपर है। गिरिराज सिखाता था। फिर वही सिखाये; या दूसरा कोई प्रबन्ध करना।

२१ दिसम्बर, १९३०

हरिइच्छाके पत्रकी नकल रखी हो तो राधाको दिखाना। काका और मीराबहनको लिखे मेरे पत्र पढ लेना। शान्तिका पत्र मणिलालको बता दिया था? न दिखाया हो तो उसका सार याद होगा। वह मणिलालको बता देना। शान्तिको लिखा मेरा जवाब पढ लेना। 'गीता बोध' दुबारा पढ गया हूँ। तुम्हारा पत्र नही पढ सका। कुछ समझ न आये या अधूरा लगे तो पूछ लेना।

बापू[1]

[पुनश्च :]

पत्र ७२ हैं।

गुजराती एम० एम० यू०/१ से।

२६. पत्र : हॉरेस जी० एलेक्जेंडरको

यरवदा सेन्ट्रल जेल
२३ दिसम्बर, १९३०

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। यदि गोलमेज परिषद ऐसा कुछ कर सके जो राष्ट्रके महान त्यागके अनुरूप और इसलिए स्वीकार्य हो तो मुझे खुशी होगी। लेकिन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मनमें अविश्वासकी भावना भर जानेके कारण मुझे फिरसे भरोसा तो केवल जो परिणाम निकलेगा, उसे देखकर ही होगा।

ऋणोंका सवाल बेहद आसान है। एक निष्पक्ष न्यायाधिकरणके सामने यह मसला रखनेकी स्पष्ट शर्त लाहौर-प्रस्तावमें है।[2] लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि किसी भी कांग्रेसीने उन्हें सर्वथा अस्वीकार करनेका सिद्धान्त कभी प्रतिपादित नहीं किया है। कांग्रेसी लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जो माँग करते हैं सो यह

१. इसके बाद दिये गीता प्रवचनके सातवें अध्यायके पाठके लिए देखिए खण्ड ४९, "गीता पत्रावली", २१-२-१९३२।

२. देखिए, खण्ड ४२, पृष्ठ ३४८।

है कि राष्ट्रके प्रतिनिधियोको यह अधिकार होना चाहिए कि वे तथाकथित राष्ट्रीय ऋण, रियायतों और इसी तरहकी चीजोंका कोई भाग एक ऐसे निष्पक्ष न्यायाधिकरणके सामने रख सकें, जिसका निर्णय अन्तिम और दोनो पक्षोके लिए अनिवार्य रूपसे मान्य रहे। मैं समझता हूँ कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूके बारेमें भी मैं यह बात बिना किसी जोखिमके कह सकता हूँ। इन ऋणोंको बिना किसी उचित कारणके पूर्णतया अस्वीकार कर देना जिस तरह राष्ट्रकी प्रतिष्ठाके प्रतिकूल होगा उसी तरह उक्त पद्धतिको न अपनाना राष्ट्रके प्रति विश्वासघात करना होगा।

मौलाना मुहम्मद अली मेरे बारेमें चाहे जो सोचें, मेरे मनमे उनके प्रति कोमल भावनाओके अलावा और कोई भावना नही है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय गलतफहमियोको दूर कर देगा। चूँकि इस्लाम या मुसलमानोके विरुद्ध मेरे मनमे कोई भावना है ही नही, इसलिए मेरे मनमें कोई परेशानी नही है।

रेजिनाल्डको मेरा प्यार। मैं जानता हूँ कि चार्ली एन्ड्रयूज अब आपके साथ नही हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

हॉरेस एलेक्जैंडर
१४४, ओकट्री लेन
सीली ओक
बरमिंघम

अंग्रेजी (जी० एन० १४०९)की फोटो-नकलसे।

२७. पत्र : मनमोहनदास गांधीको

यरवदा मन्दिर
२४ दिसम्बर, १९३०

भाईश्री मनमोहनदास,

आपका पत्र मिला। किन्तु पुस्तकके प्रूफ नही मिले। जाँच कर रहा हूँ। मिलेंगे तब देख लूँगा।

मेरे जैसा नाम होनेसे एक लाभ तो है ही कि मैं बहुतसे पत्र-व्यवहारसे बच जाता हूँ।[1]

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ७)की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजीकी बहुत-सी डाक भूलसे उनके यहाँ भेज दी जाती थी।

२८. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

यरवदा मन्दिर
२७ दिसम्बर, १९३०

चि० शान्तिकुमार,

बहुत दिनोंके बाद तुम्हारा पत्र मिला है। कोई ब्योरेवार पत्र तो मुझे मिला ही नहीं। फिर लिखो तो अच्छा हो। तुम्हारी भेजी हुई पुस्तक मैं अभी तक नहीं पढ़ सका हूँ। पूरा दिन कातने-पीजनेमें लग जाता है और बचा हुआ समय डाकमें। इसलिए थोड़ा ही पढ़ पाता हूँ।

तुम जुहू रहने चले गये हो, यह मुझे बहुत अच्छा लगा है। वहाँ माँजीको शान्ति मिलनी चाहिए।

सुमतिका स्वास्थ्य ठीक रहता है न?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७२०)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी

२९. पत्र : मणिबहन पटेलको

यरवदा मन्दिर,
२७ दिसम्बर, १९३०

चि० मणि (पटेल),

तेरा पत्र आखिरकार मिला। कहा जा सकता है कि बदला एक हद तक मिल गया। अपना शरीर तो अच्छा कर ही डालना। तेरे पास सेवा[1] इतनी पड़ी थी कि पढ़नेकी जरूरत नहीं थी। तूने लड़ाई[2] तो अच्छी लड़ी मालूम होती है। और वह उचित थी।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। कब्जके बाद केवल एक दिन सख्त मरोड़ उठी थी। इसलिए जो खाया था, उसे [जुलाब लेकर] निकाल दिया और दूसरे दिन केवल सागका रसा ही लिया। इससे कब्ज दूर हो गया। इस निमित्तसे जो दूध छूटा सो

१. जेलमें दूसरी बहनोंकी देखभालका काम।
२. साबरमती जेलमें महिला कैदियोंको चूड़ियाँ पहनने देनेके बारेमें।

छूटा ही हुआ है। दिनमें यहाँ मिलनेवाली ज्वार या बाजरेकी एक रोटी और साग तथा थोड़े बादाम लेता हूँ। मेरे बारेमें चिन्ताका कोई कारण नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ मणिबहेन पटेलने

३०. पत्र : वनमाला पारेखको

२७ दिसम्बर, १९३०

चि० वनमाला,

तुमने सुन्दर अक्षर लिखे हैं। तकलीपर तुम्हारी गति मेरी जैसी हो, यह काफी नहीं माना जायेगा। बूढ़े और बालक एक बराबर होते हैं क्या? वर्धामें कितनी गति है, क्या यह तुम्हें मालूम है? तुम्हारी उम्रकी लड़की वहाँ आधे घंटेमें ८०-८५ तार कातती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५७५७)की फोटो-नकलसे।

३१. पत्र : रामचन्द्र खरेको

२७ दिसम्बर, १९३०

चि० रामभाऊ,

निश्चय व्रत ही तो है। तू हिमालय जैसे पवित्र अंचलमें है, इसलिए जिन आलस आदि बातोंको तू मान रहा है, उन्हे त्याग दे। याद रखना कि तू वहाँ प्रभुभाईकी[1] सेवा करने और अच्छा बननेके लिए गया है। इसलिए मगनचक्र [भी] नियमित चलाना, प्रभुभाईकी आज्ञामें रहना और आलस बिलकुल निकाल फेंकना।

तेरे अक्षर बहुत बुरे नहीं हैं और भूलें भी बहुत नहीं हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८७)से।
सौजन्य : लक्ष्मीबहन खरे

१. सम्भवतः प्रभुदास गांधी, जो उन दिनों अल्मोड़ामें थे।

३२. पत्र : मथुरी खरेको

२७ दिसम्बर, १९३०

चि० मथुरी,

यह रंगीन कागज प्यारा है या नहीं? प्रार्थनामें अब ऊँघ आती ही नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है। मेहनत करे तो अक्षर मोतीके दाने जैसे हो जाते हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २५८ अ)की प्रतिसे।
सौजन्य : लक्ष्मीबहन खरे

३३. पत्र : शारदा सी० शाहको

२८ दिसम्बर, १९३०

चि० शारदा,

तेरा पत्र मिला। मैं तो तुझे लिखा ही करता हूँ, फिर भी मैं न लिखूं तो तू भी पत्र न दे, मैं इस शर्तको भी मान लेता हूँ। वैसे बच्चोंको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सबको तो एक-एक पत्र ही लिखना पड़ता है और मुझे 'सबको', हरएकको अलग-अलग। मेरे तो हजारों क्या लाखों बच्चे हैं। इसलिए जितना बन सकता है उतना ही कर पाता हूँ। सब बच्चे मुझे लिखें और सभीको मैं लिखूं, ऐसी यदि माँग हो तो?

खाँसीसे तुझे छुट्टी पानी ही चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८९६)से
सौजन्य : शारदाबहन चोखावाला

३४. पत्र : कलावती त्रिवेदीको

२८ दिसम्बर, १९३०

चि० कलावती,

तुमारा पत्र मिला। पहले थे उससे तो अक्षर कुछ अच्छे हैं। प्रयत्नसे तुमारे अक्षर अवश्य सुधरेंगे। हमेशा स्वच्छ अक्षरसे कुछ न कुछ लिखो भले ही दस मिनिटके लिये। शुद्ध अक्षर सामने रखो। सेवामें परायण रहना।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० ५२६९की फोटो-नकलसे।

३५. पत्र : वसुमती पण्डितको

२८ दिसम्बर, १९३०

चि० वसुमती,

क्या कानका परदा खराब हो गया है और क्या डाक्टरने ऐसा कहा है कि यदि वह ठीक न हो तो उसे निकलवा देना चाहिए? यदि ऐसा कहा हो तो परिणामस्वरूप जो बहरापन आयेगा, उसे भी सहो और इस दुःखसे छुटकारा पाओ। क्या कान बहता रहता है? इस दर्दको इसी तरह मत चलते रहने दो। मेरी गाड़ी अभी तो दूधके बिना चल रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९२९७)की फोटो-नकलसे।

३६. पत्र : माधवजी ठक्करको

२८ दिसम्बर, १९३०

चि० माधवजी,

यह पत्र शायद तुम्हारे पास पहुँच जायेगा। जेलके बाहर या अन्दर, हमारे लिए एक ही बात है। आत्मशुद्धि भी सेवा है और बाहर या अन्दर, जहाँ भी हो, वह तो वहाँ की ही जानी चाहिए। सेवा करते हुए भी आत्मशुद्धि तो करते ही रहना है।

सुरेन्द्रने जान-बूझकर अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया है।

मैं सावधानीसे काम कर रहा हूँ; फिर भी भूल हो जाये तो क्या हो सकता है? आत्माके विषयमें त्रुटि होनेकी अपेक्षा शरीरके विषयमें होना अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६८०९) की फोटो-नकलसे।

३७. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

२८ दिसम्बर, १९३०

चि० प्रेमा,

मैं तुझे वचनमें नहीं बांधना चाहता। तू मुझे विश्वास दिलाती है, इतना काफी है। चिल्ला-चिल्ला कर गला खराब मत कर लेना। उपवासका कुछ असर हुआ या नहीं? बच्चे मुझे जो पत्र लिखते हैं उन्हें कोई देख लिया करे तो अच्छा हो — अक्षर और भाषा दोनोंकी दृष्टिसे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२४८)की फोटो-नकलसे।

३८. पत्र : भगवानजी पंड्याको

२८ दिसम्बर, १९३०

चि० भगवानजी,

लम्बे पत्रको संक्षिप्त बनानेमें जो समय गया, वह व्यर्थ नही गया। ऐसा करनेसे विचार-शुद्धि प्राप्त होगी। और जैसे-जैसे विचार शुद्ध होता जाता है, हमें जो-कुछ कहना हो, वह हम थोड़ेमें कह सकते है। आत्माकी खोजमें रागद्वेष आदि भीतरके दोषोंको पकड़ना ही आत्म-शोधन है। हिमालयकी शोध करते हुए जिस प्रकार अनेक कष्ट अंगीकार करने पड़ते है, ऊँचे-शिखर उलाँघने होते है, इस शोधको भी वैसा ही समझो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ३३२)से।
सौजन्य : भगवानजी पुरुषोत्तम पंड्या

३९. पत्र : कुसुम देसाईको

यरवदा मन्दिर
२९ दिसम्बर, १९३०

चि० कुसुम (बड़ी),

शान्ता तेरे साथ थोड़ा समय बिताये तो बहुत अच्छा। शिक्षाके बारेमें क्या चाहती है, यह पता चले तो कुछ लिखना सूझे। उपवासमें बलात्कार हो सकता है। जब वह दूसरोंको मजबूर करनेके लिए किये जानेवाले आत्मपीडनका रूप ग्रहण करे तो वह त्याज्य है। ये सवाल तूने पहले पूछे हों, ऐसा याद नही आता।

शंकरभाईके स्वर्गवासने तेरी जिम्मेदारी बढा दी न? विधवाके बालक हैं? वह पढी हुई है? इसके सिवा कोई और जिम्मेदारी शंकरभाई पर थी क्या? विधवा पुर्नविवाह करना चाहे तो तू मदद देगी ही, ऐसा मै मान लेता हूँ। मुझे सब हाल लिखना।

मेरा वजन १०१ तक फिर पहुँच गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १८१५)की फोटो-नकलसे।

४० पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेको

२९ दिसम्बर, १९३०

चि० पण्डितजी,

क्या बेकार यहाँ-वहाँ घूमनेवाले बच्चोकी सगीत-सेना नही बन सकती? उससे उन्हें थोड़ा अक्षर ज्ञान भी मिलेगा। किन्तु तुम काकाके साथ सलाह कर रहे हो, इसलिए इस विषयमें मुझे लिखनेकी जरूरत नही है। लोगोको और बच्चोको उपयोगी कामोमें लगानेकी पूरी आवश्यकता तो है ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २१४)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: लक्ष्मीबहन खरे

४१. पत्र : रैहाना तैयबजीको

२९ दिसम्बर, १९३०

उस्तानी साहिबा,

'तू कहती है बाकी तो बिलकुल अच्छा है। वाह! मेरा खात्मा करके कहती है, सब ठीक है'।[1] इतना पाठ आजके लिए काफी है न? तू खूब तारीफ करती है इसलिए मैं मेंढक की तरह नही करूँगा। मेरी उर्दू कितनी सुन्दर है, इसका मुझे पूरा अन्दाज है। किन्तु मुझे उसकी शर्म नही है। प्रेमकी बोलीके लिए प्रेमका शृंगार काफी है फिर चाहे वह पागलपनसे भरी हो, चाहे तोतली हो। कुशल डाक्टरोकी शल्यक्रियाको तूने सगीतकी उपमा दी है, वह बिलकुल ठीक है। यही अच्छा है कि उन लोगोने तेरी नाक बचे रहने देनेकी कृपा की है; हड्डियाँ चाहे सब निकाल दी हों। बाबाजानके लिए अब कुछ सजा ढूंढनी चाहिए। तुम सब मदद करो। सफेद दाढ़ीवाला जवान अस्पतालमें जायेगा कैसे? यह तो ढोग माना जायेगा। अब तो वे अरबी घोड़े जैसे हो गये होंगे? अम्माजानको वन्देमातरम्। बाबाजानको भुर्रर्रर।

तुम्हे
बापूके आशीर्वाद और बहुत दुआएँ

गुजराती (एस० एन० ९६२५)की फोटो-नकलसे।

१. ये दो वाक्य उर्दूमें हैं।

४२. पत्र : जुगतराम दवेको

यरवदा मन्दिर
२९ दिसम्बर, १९३०

भाई जुगतराम,

तुम्हारे पत्रकी राह देख ही रहा था। तुमने तथ्य तो काफी इकट्ठे कर लिये हैं। मीठूबहनसे[1] काम लेना भी एक कला है। अपनी पूरी कला लगा देना। बहनोंने भी मेरे पास शिकायत भेजी है। फिर समय तो सबका भाई-बन्धु है ही। वह सब सुधार देता है। तभी अंग्रेजीमें उसे बाप कहते हैं। हमने तो उसे ही भगवान माना है। वह संसारको मिटाता है सो भी उसीकी भलाईके लिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० २६९०)की फोटो-नकलसे।

४३. पत्र : कुँवरजी मेहताको

२९ दिसम्बर, १९३०

भाई कुँवरजी,

तुम्हारे पत्रसे नमूने तो पर्याप्त मिल जाते हैं। हम सत्य और शान्तिको न छोड़ें तो उलटा पड़नेवाला पासा भी सीधा हो जायेगा। इसलिए इनका पूरा-पूरा पालन करना और करवाना। प्रागजीको लिखना कि अधीर न हों।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

दूध बिना अभी तो मेरी गाड़ी चल रही है।

गुजराती (जी० एन० २६९१)की फोटो-नकलसे।

१. मीठूबहन पेटिट।

४४. पत्र : गंगाबहन झवेरी और नानीबहन झवेरीको

यरवदा मन्दिर
२९ दिसम्बर, १९३०

चि० गंगावहन और नानीवहन,

तुम्हारा पूरा पत्र मिल गया है। मै यहाँसे तुम्हारा मार्गदर्शन भली-भाँति नही कर सकता। हमारा तो यह सिद्धान्त है न कि कैदमें पड़ा मनुष्य न वाहरकी वातोंमें पड़े, न वाहरवालोंका मार्गदर्शन करे। मैंने तो अपने माने हुए सिद्धान्तकी तरफ ही तुम्हारा ध्यान खीचा है। इसका विचार करके तुम्हे जो धर्म लगे, खुशीके साथ उसीके अनुसार शान्त मनसे व्यवहार करो। अपना कर्त्तव्य न समझ आये तो पन्नालालके साथ-साथ नारणदासकी भी सलाह लो। अभी तो काका साहव भी वहाँ है। उनके साथ वात करनेके वाद तुम्हारी अन्तरात्मा जो कहे, वैसा करना। मुझे लिखते रहना। दोनो अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना। क्या पन्नालाल अव विलकुल ठीक हो गया है?

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३१०९)की फोटो-नकलसे।

४५. पत्र : काशिनाथ त्रिवेदीको

२९ दिसम्बर, १९३०

चि० काशिनाथ,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने शान्ताके पतिके वारेमें जो किया है, वह मुझे एकदम ठीक लगा है। शान्ता हिम्मत न छोडे, इतना ही काफी है। चाहे जो हो, शान्ता वहाँ न जाये। उसे फिर झगड़ा करने आना हो तो वह आये। शान्ताको जवरदस्ती ले जाना चाहे, तो वह विरोध करे। अकेली रहे ही नही। वह आदमी कहाँ गया है, तुम्हे इसकी खोज करनेकी कोई जरुरत नही। उसके घरवालोंको लिख दिया है, इतना काफी है। छिपकर फिर हमला करने न आये, इसका ध्यान रखना। माँ इससे सहमत हो, तो तुम्हारा मार्ग साफ रहेगा।

विवाह-सम्वन्धी प्रश्नका जवाव तो मैंने दिया था। मै देखता हूँ, इतना काफी नहीं है और है भी। मैंने तो आजके युगमे जो शोभा दे सके, ऐसा वैदिक आदर्श वताया है। अपनी असमर्थता देखते हुए उन आदर्शोंमे जितनी ढील देनी हो, दे ले। लेकिन असमर्थताको मापनेका कोई पैमाना तो मैं नही वता सकता।

गंगावहनके बारेमें तुम्हारे लिखनेमें कुछ बुराई नही है। वे जानबूझ कर पक्षपात नही करतीं। किन्तु अनजानेमें या उतावलीमें ऐसा हो जाता है। ऐसा होनेपर भी वे नेतृत्व करनेके लायक जरूर हैं। वे जैसा कहती है, वैसा करनेमें ही कलावती आदिकी सेवा आ जाती है। और उससे उन्हें सन्तोष भी कर लेना चाहिए। स्वच्छता, खादी आदिमें लोग सहयोग न दें तो उसमें हम हारे नही। लोग अन्तत: प्रेम और रोजमर्राके मिलने-जुलनेसे अनुकूल हो ही जायेंगे। ऐसे स्थानोंमें सेवकोंकी उपस्थिति ही काफी है। शर्त यह है कि वे सारा दिन काममें ही लगायें। तकली और चरखा तो होगा ही, अपने-आप लोगोंके पाखाने आदि भी साफ करे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५२८९)की फोटो-नकलसे।

४६. पत्र : भगवानजी पण्डयाको

२९ दिसम्बर, १९३०

चि० भगवानजी,

तुम्हारा पत्र मिला। यदि जगतको असत्य अर्थात् क्षणिक समझो तो क्या यह विचार बुद्धिके विरोधमें जाता दिखता है? क्षणिक असत्य है क्योंकि वह सदा नही टिकता और इसलिए क्षणिकके प्रति मोह किसलिए? जो श्रद्धाके विषय है उनमें बुद्धिका उपयोग तुम्हें कम ही दिखाई पड़ेगा। यदि कोई बात बुद्धिसे समझमें आ जाये तो फिर वह श्रद्धाका विषय नही रहती। निस्सन्देह श्रद्धाके माध्यमसे किसी दिन अनुभव प्राप्त हो जाता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ३३३) की प्रतिसे।
सौजन्य : भगवानजी पुरुषोत्तम पण्डया

४७. पत्र : नारणदास गांधीको

शनिवार सुबह, २७/३० दिसम्बर, १९३०

चि० नारणदास,

इस बार तुम्हारा पुलिंदा अभी कल ही (शुक्रवारको) दो बजेके बाद मिला। क्रिसमसके दिनोंके कारण डाकघरमें कुछ घोटाला हुआ लगता है। यहाँ तो डाकके लिए सब काफी सावधान मालूम होते हैं। इसीलिए तुम्हे मेरे भेजे हुए पत्र गुरुवारको मिल गये।

चप्पलके लिए चमड़ा मिल गया है। तुम्हारी टिप्पणीके अनुसार देखता हूँ कि महादेवने पत्र लिखा था, पर मिला नही। शायद दुर्गाका पत्र हो। किन्तु वह भी दिखाई नहीं दिया। रतिलाल वापस आ जायेगा, यह तो मनमें था ही। कहाँ की सैर करके आया है? किसी आने-जानेवालेके हाथ कभी वहाँकी रोटी भेजना। गिरिराजका दिमाग ठिकाने आ जाये तो अच्छा है। तुमसे जो हो सके, करते रहना। उसका हृदय निर्मल है। त्याग भी काफी है। इसलिए किसी दिन ठिकाने आ जायेगा: 'न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गति तात गच्छति।'[1]

मेरी खूराकके बारेमें सबका चिन्ता करना समझमें आता है। क्योंकि मैं उसमें पूरी तरह विजयी नही हो सका हूँ। किन्तु तुम शायद अपनी तरफसे इतना कह सकते हो कि मैं समयपर सावधान होकर आवश्यक फेरफार कर लेता हूँ; और यदि शरीर जवाब दे तो भी सहज प्राप्त धर्मको कैसे छोड़ूँ? कल वजन लिया था। फिर डेढ़ रतल बढ़ा लगता है। लगता है, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पिछली बार शौचके बाद और इस बार शौचसे पहले वजन लिया है। पाखानेके वजनको वृद्धि नही, बेकारका बोझ मानना चाहिए। यदि आधा रतल कम मान लें तो एक रतल बढ गया माना जायेगा। किन्तु इस वजनमें ज्यादा महत्त्वपूर्ण तो वह स्फूर्ति है जो मुझे अपने शरीरमें आई मालूम होती है। अभी तो दुर्बलताका कोई चिन्ह नही दिखाई दिया। दोनों भोजनोंके समय आधी-आधी करके यहाँकी एक भाखरी मजेसे खा लेता हूँ। लगभग दो औंस बादाम खा लेता हूँ। इतना हजम होता रहे तो भी शक्ति कायम रहेगी। अभी तो ऐसा दिख रहा है। इसलिए किसीको भी चिन्ता करनेका कोई कारण नही है। बहुत सावधानीसे काम ले रहा हूँ; किन्तु अन्ततः यह भी तो अनासक्तिका प्रयोग ही है। यह काँचसे भी नाजुक वस्तु कब हाथसे निकल जायेगी या टूट जायेगी, यह कौन कह सकता है।

१. गीता, अध्याय ६, श्लोक ४०।

उस कान्तुको[1] तुमने हाथके कागजकी दैनन्दिनी बाँधनेके लिए भेजी थी, यह याद होगा। वह उसने मुझे हस्ताक्षर करनेके लिए भेजी है। उसको बहुत बुरी तरहसे बाँधा गया है। उसमें सुघड़ता तो है ही नही और बाँधी भी इस तरीकेसे है कि खुल ही न सके। बाँधनेकी कला सरल है, आसानीसे सीखी जा सकती है। किसीको सीख लेनी चाहिए अथवा ऐसा काम बाहरसे करा लेना चाहिए। यहाँ छापाखाना है। फिरसे वही बँधवानेका विचार है। यह तो तुम्हें सिर्फ आगेके लिए बतानेके विचारसे लिखा है। "योग: कर्मसु कौशलम्"[2], यह चीज हमारे हर छोटेसे-छोटे काम में दिखाई देनी चाहिए। जो न आये, उसे न करनेमें भी "कर्मसु कौशलम्" है, वह अकर्ममें कर्म है। न करना भी एक प्रकारका काम ही है। फारसीसे ली गई अंग्रेजीकी एक उक्ति है: "जो जानता है कि मैं नही जानता, वह बुद्धिमान है।"[3] यह सब तो मै तुम्हें अपने अनुभवसे लिख रहा हूँ। बहुत सावधान होते हुए भी अपने कते सूतमें मुझे अपनी अपटुता और उसे ढाँकनेकी बहुत कोशिश दिखाई देती है। सूतमें आँटी पड़ जाती हो, तो उसे देखते हुए भी वैसा ही छोड़कर काम चलाता रहता हूँ। किसी जगह सूत में बल कम हो तो भी काम चला लेता हूँ। सूत टूटने पर जोड़ते तो बनता ही नहीं है और कातता चला जाता हूँ। यह कैसा यज्ञ है? मैं रोज अपनेमें इस महायज्ञके प्रति असावधानी, प्रमाद, लापरवाही — कुछ भी कहो — देखता हूँ, रोज सुधारनेका प्रयत्न करता हूँ। रोज हारता हूँ। ऐसा करते-करते किसी दिन यह यज्ञ सध जायेगा, ऐसी आशाके किले बनाता रहता हूँ। नही तो 'बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते'[4] का आश्वासन तो है ही। यह श्लोक इस दृष्टिसे अनिष्टकारी है कि मनुष्य उसका सहारा लेकर अपने आलस्यका सहज ही पोषण कर सकता है। प्रत्येक शब्दकी पूरी कीमत आँके तो व्यक्ति दृढ़ बनेगा, नहीं तो श्लोक ऐसा [भी] है कि मनुष्यको बिलकुल गढ़ेमें ढकेल दे। अभी ५-३० का भोंपू बजा है; मेरी चहलकदमीका समय हुआ।

मंगलवार, ७-३० बजे

पुलिंदा बिना रजिस्ट्रीके भेज देनेसे शायद तुम्हें डाक देरसे मिले। किन्तु पता लगाकर जैसे ठीक लगे, वैसे करना। मुझे इस बार काम निबटानेमें काफी कठिनाई हुई है। रोज तो इस समय चरखा चलता है। प्रभावतीका पत्र मुझे मिलता रहता है। उसे अबतक आश्रम पहुँच जाना चाहिए। जैसे पहुँचे, फौरन

१. कान्तिलाल गाजीवाला; देखिए खण्ड ४४, पृष्ठ १३६।
२. भगवद्गीता, २,५०।
३. मूलमें यह वाक्य अंग्रेजीमें है।
४. भगवद्गीता, ७, १९।

पोस्टकार्ड लिख कर भेजना। बहुत करके मिल जायेगा। काका और मीराबहनका पत्र पढ़ लेना। आज तो यही बस करता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

अमीदासका वर्णन तुमने पढ़ा होगा? न पढ़ा हो तो हरिवल्लभदाससे माँग लेना। लगता है उसने इसकी नकल रखी है।[1]

[पुनश्च:]

८२ पत्र हैं।

गुजराती एम० एम० यू०-१से।

४८. पत्र : मीराबहनको

२९/३० दिसम्बर, १९३०

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला। इस बार मुझे बहुत संक्षेपमें लिखना पड़ेगा क्योंकि डाक दो दिन देरसे आई। इसलिए मैं दूसरे श्लोकके[2] अनुवादसे शुरू करता हूँ: "जो मन और वाणीके लिए अगोचर है, जिसकी कृपासे चतुर्विध वाणी प्रकट होती है, जिसका वर्णन वेदोंने भी 'नेति नेति' कहकर ही किया है, उस ब्रह्मको मैं सुबह उठकर भजता हूँ। ऋषियोंने उसे देवोंका देव, अजन्मा, पतनरहित और सबका आदि कारण कहकर पुकारा है।"

मैं नहीं मानता कि इसका अर्थ समझानेकी जरूरत है। भूमिकाका[3] अनुवाद तेजीसे हो रहा है। और चूँकि शुक्रवार तक आश्रमकी डाक नहीं आई थी, इसलिए मैंने बचा हुआ वक्त अधिक अनुच्छेदोंका अनुवाद करनेमें लगा दिया। फल यह हुआ कि अब केवल दस ही और बच रहे हैं। इसके बाद 'गीता' पर जो टिप्पणियाँ मैं आश्रमवासियोंके लिए लिखता हूँ, उनके अनुवादकी सम्भावनाके विषयमें सोचूँगा। अभी तो तकली पर १०० तार कातनेमें बहुत समय लग जाता है, परन्तु अब मुझे गति बढ़ती दिखाई दे रही है। गाण्डीवपर मेरी गति आज पहलेसे बढ़ गई यानी ४० मिनटमें १६९ तार निकाले। इसका मतलब हुआ ६० मिनटमें २५५। मुख्यतः यह गति उसमें किये गये सुधारोंके कारण हुई है। अगर प्रगति

१. इसके बाद दिये गीता प्रवचनके आठवें अध्यायके पाठके लिए देखिए खण्ड ४९, "गीता पत्रावली", २१-२-१९३२।

२. देखिए खण्ड ४४, परिशिष्ट ६।

३. अनासक्तियोगकी; देखिए खण्ड ४१, पृष्ठ ९२-९९।

होती रही, तो मुझे लिखनेके कामके लिए कुछ समय और मिल सकता है क्योंकि अभी तो अधिक सूत कातनेका लालच मैं नहीं करना चाहता। जबतक मेरी गतिमें स्थायी रूपसे वृद्धि नहीं जान पड़ेगी, मैं चरखेपर ३०० और तकलीपर १०० तार ही कातता रहूँगा।

मुझे पूरा भरोसा था कि तुम्हें अपनी विदेशी डाक मिल जायेगी।

मेरी तन्दुरुस्ती खूब अच्छी है। उसके बारेमें सामान्य पत्रमें अधिक लिखा है।

तुम्हारे पत्रकारिताके साहसिक कार्यके बारेमें मेरी राय बदली नहीं है और वह हालके अध्यादेशसे और दृढ़ हो गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, मेरी रायको किसी तरहका कोई महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४२५) से; सौजन्य: मीराबहन; तथा जी० एन० ९६५९ से भी।

४९. पत्र: शान्ता शंकरभाई पटेलको

यरवदा मन्दिर
३० दिसम्बर, १९३०

चि० शान्ता (शंकरभाई),

तुम्हारा पत्र मिला। नये वर्षके लिए आशीर्वाद आज ही ले लो। तुम जो व्रत लो सोच-विचार करनेके बाद ही लो और ले लेनेके बाद आग्रहपूर्वक उसका पालन करो। सात उपवास करनेकी कोई जरूरत नहीं। शायद वह तुम्हारे लिए ज्यादा हो जायेगा। वर्षगाँठके दिन उपवास करो, तो काफी है। जो व्रत लो उसके बारेमें शंकरभाईको और मुझे लिखना। वहाँ रहनेवाली बहनोंके सामने व्रत लेना। वह दिन कुसुमबहनके साथ बिता सको, तो उसके साथ बिताना। उससे सलाह करके व्रत लो तो अच्छा है। फीके खानेके बारेमें तो तुम्हारा बहाना ही है। जिसे फीका खाना है, वह जो चाहे ढूंढ़ लेता है। रोटी, भात या छाछमें तो मिर्च नहीं होती न? रोटी, छाछ और नमक इतना ही काफी है। जिस तरह रोज खाते-पीते हैं उसी तरह दैनन्दिनी भी लिखें। इच्छा हो तो सब हो जाता है। कमूको मैंने पत्र लिखा था। उसने पहुँच नहीं दी। पूछ लेना कि उसे पत्र मिला है या नहीं? उसका पति अहमदाबादमें क्या करेगा?

पिस्सू, खटमल मारनेमें कोई पाप नहीं है, यह कैसे कहा जा सकता है। साग-सब्जी काटना-पकाना पाप तो है ही। किन्तु कितने ही पाप अनिवार्य मानकर हम करते रहते हैं। मच्छरोंसे परेशान होकर धुआँ करना पड़ता है और उससे असंख्य कीटाणु

भरते हैं; किन्तु हम लाचार होकर ऐसा करते हैं। किन्तु ऐसे संयोगोसे ही हम यह सीखते हैं कि देह धारण-मात्रसे छूटना सबका धर्म है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४०५७) की फोटो-नकलसे।

५०. पत्र : हरिलाल देसाईको

३० दिसम्बर, १९३०

चि० हरिलाल (देसाई),

इस वक्त मेरे पास समय कम है, इसलिए ज्यादा नही लिखता। तुमने मुझे विस्तारपूर्वक लिखकर अच्छा किया है। मैं नही चाहता कि भाई वालजी अभी मेरी राय जानें। बाहर आनेके बाद भले ही उन्हें मालूम हो जाये। हरिइच्छाका पत्र पढनेके बाद मेरी राय और भी दृढ़ हो गई है। किन्तु जो हो गया, सो हो गया। अब किस तरह बिगड़ी बातको[1] सुधारा जा सकता है, इसके बारेमें मैंने हरिइच्छाको लिखा है। शायद तुमने वह पत्र न देखा हो; वह दिखायेगी — तुम मांग लेना।

तुम्हारा धर्म तो अब जो नौकरी की है, उसमे लगे रहना है। वहांसे सहज छोड़ना सम्भव हो, तभी दूसरा विचार किया जा सकता है। तुम्हारी अस्थिर मनोदशा तो मैंने देख ली है। तिसपर भी विश्वास है; क्योंकि तुम वालजीके सम्बन्धी हो और तुम्हारा अपना हृदय स्वच्छ है। ऐसे मनुष्यको व्यवस्थित होते समय नही लगता। दूधीबहनका[2] क्या हुआ?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६६२६) की फोटो-नकलसे।

१. हरिइच्छाका विवाह एक विधुरसे कर दिया गया था

२. वालजी देसाईकी पत्नी।

५१. पत्र : प्रभावतीको

३० दिसम्बर, १९३०

चि० प्रभावती,

तुम्हारे चार पत्र एक साथ मिले हैं। तुम्हें यह बात न भूलनी चाहिए कि मैं कैदी हूँ। अधिकारी आयें, तभी पत्र मिलते हैं। फिर भी तुरन्त मिल जायें, इसके लिए प्रयत्न करता ही रहता हूँ। अब तुम आश्रम कब पहुँचोगी? फौरन पहुँच जाओ, यही चाहता हूँ। दुर्बलता चली ही जानी चाहिए। आश्रम जाकर भी काम करनेका लोभ न करना। दूध, दही, फल बराबर लेती रहना। खुली हवाका फायदा तो तुम्हें मालूम ही है। सब तरहसे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मेरी चिन्ता न करना। ताजे फल तो मैंने [दांडी] कूचमें ही छोड़ दिये थे। उनकी जरूरत भी नही दिखाई देती। चार-पाँच तोला बादाम पच जाते लगते हैं और उससे शक्ति भी बनी रहती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३८६) की फोटो-नकलसे।

५२. पत्र : प्रभावतीको

३१ दिसम्बर, १९३०

चि० प्रभावती,

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। किन्तु तुम अब किसी भी दिन आश्रम चली जाओगी, ऐसा सोचकर लिखनेसे रुक जाता हूँ। जितना तुम वहाँ रुक रही हो उतना मैं चिन्तित होता जा रहा हूँ। तुम आग्रह करके वहाँसे क्यों नही चली जाती? जयप्रकाशके आनेमें देर हो तो क्या हरसूबाबूसे नही कहा जा सकता? आश्रम जानेमें जितनी देरी हो रही है उतनी दुर्बलता बढ़ती जा रही है, यह मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं जयप्रकाशको भी ज्यादा क्या लिखूं?

इस स्थितिमें तुम क्या खा रही हो? तुम बेहोश होती हो तो तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? तुम पिताजीसे मिली थी तब उन्होने क्या कहा था? तुम्हें सवाल पूछते हुए भी डरता हूँ, क्योंकि इनपर विचार करके जवाब देनेका बोझ तो तुम्हारे दिमाग पर पड़ता ही है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा कर रहा है और करेगा, इसी विश्वाससे चिन्ताको दवा लेता हूँ। मैं तो ठीक ही हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३८७)की फोटो-नकलसे।

५३. एक पत्र

यरवदा मन्दिर
३१ दिसम्बर, १९३०

चि०,

"ध्रुवं जन्म मृतस्य च" का जो अर्थ मैं लगाता हूँ, हो सकता है कि किसी विद्वान्की दृष्टिसे वह किसी कामका न हो। किन्तु उसका अर्थ आत्मा और देह, दोनोंपर लागू हो सकता है। मोहरहित आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है; किन्तु जो उसे नश्वर मानता है, उसे उसके फिर जन्म लेनेकी बातको भी मानना ही चाहिए। क्योंकि इस जगत्में कोई भी चीज सर्वथा नष्ट नही होती। जड़ देह भी सर्वथा नष्ट नही होती। देह एक रूप त्यागकर दूसरा रूप धारण करती है। उसका रूपान्तर होता ही रहता है। देह भस्म होनेके बाद परमाणु रूपमें भी स्थित नही रहती। क्योंकि परमाणुका रूपान्तर भी होता है। क्या बात कुछ समझमें आती है? विनोबाकी शैली बहुत जीवन्त है, इसलिए उसमें बहुत रस आ सकता है। किन्तु मैं तो इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि 'गीता' के अनेक अर्थ किये जा सकते हैं और वे सही भी हो सकते हैं। फिर भी उनकी ध्वनि एक ही होगी। बादमें उनसे जितने अनुकूल राग निकालने हों, निकालें। वे सब वृन्दवादन (यह उपयुक्त शब्द है)— आर्केस्ट्राके बहुतसे वाद्योंकी तरह सुन्दर लगेंगे और उसकी तरह ही सब स्वर एक-दूसरेमें मिल जायेंगे। 'बैठा है', 'बैठता है', और 'चलता है', इनके तीन अलग अर्थ जरूर निकाले जा सकते हैं; किन्तु 'गीता' इस प्रकार लिखा गया शास्त्रीय ग्रन्थ नही है। इसमें पुनरुक्ति है। इसमें भाषा भी सुगठित नही। यह कोई दोष नही है, पर है सही।

आजकल तकलीपर रोज कमसे-कम १०० तार कातता हूँ। लोहेकी तकलीसे नही कात पाया; काफी मेहनतकी, अब फिर बाँसकी तकलीसे शुरू किया है। अब ठीक है। गति एक घंटेमें ७५ तक हो गई है। ज्यादा हो जायेगी। एक बार हाथ सधने पर फिर लोहेकी तकलीपर कोशिश करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३१७)से।
सौजन्य: नारणदास गांधी

५४. पत्र : भगवानजी पु० पण्ड्याको

[दिसम्बर, १९३०][1]

चि० भगवानजी,

अपने प्रश्नोंका जवाब तुमने ठीक ही निकाला है, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा-सा और लिख रहा हूँ।

धर्म संकट और दु:खकी सीमा ही नहीं है। इन्हींमें से सच्ची जिज्ञासा पैदा होती है।

शरीरकी उत्पत्ति पापमें से है फिर भी वह आत्म-दर्शनका साधन बनकर पुण्यक्षेत्र हो सकता है। जो नित्य आसुरी वृत्तियोंसे जूझता है, उसने इसे पुण्य क्षेत्र बना लिया है।

ज्ञानका अर्थ है—आत्माका अनुभव। जिसने सत्य और अहिंसाका पूर्ण रूपसे विकास कर लिया है वह निरक्षर होते हुए भी पूर्ण ज्ञानी है। इसमें 'हमें किसलिए प्राप्त करनी चाहिए इत्यादि'का उत्तर आ गया।

अनासक्ति अर्थात् आसक्तिका अभाव। आसक्ति अर्थात् किसी फलकी इच्छा। मुझे हिमालयपर चढ़ना है, यह आसक्ति है। हिमालय चढ़नेका कर्त्तव्य प्राप्त हो जाये तो उसे चढ़ लेना चाहिए—इसे अनासक्तिपूर्वक चढ़ना कहेंगे।

योग : अनासक्तिपूर्वक किया हुआ काम। तुम किताबें लिखते हो किन्तु उसके बदले बड़प्पनका लोभ, पैसेका लोभ, किसीकी प्रशंसाका लोभ नहीं करते। लिख कर सेवा करना ही तुम्हें प्राप्त हुआ है इसलिए उसे करना योग हुआ।

मैं प्रश्न पूछनेकी मनाही नहीं करता किन्तु अच्छा और सच्चा मार्ग तो यह है कि इस प्रकारकी समस्याएँ हम स्वयं सुलझाएँ और जो शंकाएँ उत्पन्न हों, उन्हें पूछ लें। यदि ऐसा न करें तो विवेक-दृष्टि विकसित न हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ३३१) की प्रतिसे।
सौजन्य : भगवानजी पुरुषोत्तम पंड्या

१. जो भगवानजी पंड्याने दी है।

५५. पत्र : दुर्गा गिरिको[1]

[१९३०]

चि० दुर्गा,[2]

तेरा सुन्दर पत्र मिला। और आगे बढ़ना। खूब काम करना। सवेरे उठना कभी न भूलना। उठकर प्रार्थनामें बराबर जाग्रत रहना।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी विराट् वत्सलता

५६. पत्र : सत्यदेवी गिरिको

यरवदा मन्दिर
मौनवार, [१९३०]

चि० सत्यदेवी,[3]

अगर तुम लड़कियोंका या और किसीका यह खयाल हो जाये कि मैं जिसे पत्र नहीं लिखता हूँ, उसे भूल गया हूँ, तब तो मेरी मुसीबतका कोई पार ही न रहे। क्या इतने बड़े परिवारमें सबको लिखा जा सकता है? लेकिन तुम सब तो जरूर लिख सकती हो।

तेरे अक्षर सुन्दर हैं, और गमला व गमलेमें खड़े फूल सुगन्ध बिखेरते हुए लगते हैं। सब कुछ ध्यान देकर करती है न? क्या धर्म[4] अब भी ऊधम मचाता है?

बापूके आशीर्वाद

बापूकी विराट् वत्सलता

१. साधन-सूत्रसे पता चलता है कि यह यरवदा सदर जेलसे लिखा गया था तथा यह और इससे अगले दो पत्र भी मूलतः गुजरातीमें लिखे गये थे।

२ व ३. दलबहादुर गिरिकी पुत्री।

४. धर्मकुमार गिरि, सत्यवती गिरिका भाई।

५७. पत्र : धर्मकुमार गिरिको

यरवदा मन्दिर
मौनवार [१९३०]

चि० धर्मकुमार,

तेरा पत्र मिला। स्याहीसे लिखनेकी आदत डालनी और छापेके अक्षरों जैसे अक्षर लिखने चाहिए। ऊधम मचाता है न?

बापूके आशीर्वाद

बापूकी विराट् वत्सलता

५८. पत्र : शान्ताको

१[1] जनवरी, १९३१

चि० शान्ता,

तुम्हारा खत मिला। हिम्मत रखो और दृढ़ रहो। तुम्हारे सामने अच्छी समस्या है।[2] स्त्री-वर्गकी प्रार्थनाके श्लोकोंका अच्छी तरह मनन करो। उनके माने समझ लेना।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० ५२७४ की फोटो-नकलसे।

५९. पत्र : मनमोहनदास गांधीको

१ जनवरी, १९३१

भाईश्री मनमोहनदास,

आपकी पुस्तिकाके पन्ने मिल गये हैं। उन्हें पढ़ लिया है। इनमें आपने कुछ सही आँकड़े इकट्ठे किये हैं। पुस्तिकाका नाम उपयुक्त नहीं है। मिलके कपड़ेके बारेमें हाथसे कते-बुने कपड़ेकी अपेक्षा ज्यादा सूचनाएँ हैं और वे अधिक प्रामाणिक हैं। पढ़नेपर पुस्तिकाका नाम 'हाऊ टू कम्पीट विद फोरेन क्लॉथ' कुछ बड़ा ही लगता है। आपने हाथ-कताईका सूक्ष्म निरीक्षण नहीं किया है। मुख्य चावी (मास्टर की)

१. लगता है साधन-सूत्रमें '१' को ठीक करके '७' किया गया है, जो संभवतः पत्र भेजनेकी तिथि थी।

२. देखिए "पत्र : काशिनाथ त्रिवेदीको", २९-१२-१९३०।

हाथ-कताई है; यह बात यदि आप समझ चुके हों तो आपको उसे अपने तरीकेसे कहना चाहिए। यदि न समझे हो तो आजके वातावरणका ख्याल करके ही उसकी चर्चा नही करना चाहिए। मेरा तो यह विश्वास दिन-प्रतिदिन ज्यादा दृढ़ होता जा रहा है कि हाथ-कताईके बिना स्थायी बहिष्कार असम्भव है और उसके बिना हाथ-बुनाईका टिकना भी असम्भव है। यह बात आप मानते हो तो उसे स्पष्ट करके कहना चाहिए।

हाथ-कताईका पक्षपाती होते हुए भी मैं तालचेकरकी दलीलको निराधार मानता हूँ। उसके साथ मैंने पत्र-व्यवहार भी किया था। उसने हाथ-कते सूतकी उत्तमताके बारेमें जो लिखा है, वह उसके अपने अनुभवके आधारपर नही लिखा गया। बहुत-सी बातोके संयोगसे हाथ-कता सूत मिलके सूतकी अपेक्षा ज्यादा मजबूत बन सकता है; किन्तु सामान्य रूपसे हाथका सूत मिलके सूतसे निर्बल ही होगा। किन्तु उससे क्या? कारखानेके साँचेमें बने बिस्कुट हाथकी भाकरीके मुकाबले हमेशा ज्यादा गोल, चिकने और सुन्दर रहते हैं तो भी हाथकी भाकरीके मुकाबलेमें वे त्याज्य ही गिने जायेंगे। आपने यह मनवानेका प्रयत्न किया है कि मिल और हाथका कपडा एक-दूसरेके लिए पोषक हो सकते हैं।[1] अभी यह भले सम्भव हो पर हमेशा निभनेवाली बात नही है। पुस्तिकाके विभाग भी ठीक नही किये गये। उसको दुबारा देख ले। इसके अतिरिक्त मुझे और विशेष कुछ नही कहना।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ८)की फोटो-नकलसे।

६०. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

१ जनवरी, १९३१

चि० प्रेमा,

इस हफ्तेकी डाकमें इस बार भी देर हो गई है। इस बीचमें मैंने तो पत्र लिखने शुरू कर ही दिये हैं।

फुरसत होती है तो मनमें लडके-लड़कियोका विचार आता है। तेईस दिसम्बरका दिन सबसे छोटा क्यो होता है, यह बच्चे नही जानते होंगे। इसे समझाते समय भूगोल तथा खगोलका कुछ ज्ञान सहज ही कराया जा सकता है। क्या तू यह नही करेगी? वर्षके सबसे छोटे दिनके बारेमें समझाते हुए सबसे बड़े दिन और जिस दिन, दिन-रात बराबर होते हैं, उसके बारेमें भी समझा देना। उसीके साथ ऋतुओंके परिवर्तनकी बात भी। [ईसाइयोका] 'बडा दिन' क्या है, यह भी समझा देना।

१. देखिए "पत्र : मनमोहनदास गांधीको", २०-१-१९३१ भी।

ऐसी प्रस्तुत बातोंमें शिक्षक और विद्यार्थी, दोनोंको रस आना चाहिए। इसी तरह अंकोंकी देशी पद्धति और जबानी हिसाबकी बात है। यह भी बच्चोंको खेल-खेलमें सिखाया जा सकता है। इसी परसे मुझे सहज ही वनस्पति-शास्त्रका ध्यान आ गया। मैं तो इसमें बिलकुल कोरा ही रहा। तुझे शायद कुछ आता होगा। न आता हो तो तू आसानीसे सामान्य ज्ञान प्राप्त करके वह बालकोंको दे सकती है और मुझे पत्रमें लिखकर भेज सकती है। सीखती जा और बालकोंको सिखाती जा। दिमागको इसका बोझ महसूस नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हो सके तो बच्चोंका और मेरा काम बन जाये।

बच्चोको जो देना चाहिए, वह हम नहीं देते, ऐसा लगता रहता है। आसानीसे जो दिया जा सके, वह तो हमें देना ही चाहिए। नारणदासके साथ मिलकर इसपर विचार करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२४९) की फोटो-नकलसे।

६१. पत्र : कृष्णदासको

[२ जनवरी, १९३१ से पूर्व]

प्रिय कृष्णदास,

तुम्हारे १६ तारीखके पत्रमें पहले पत्रके जवाबमें लिखे गये मेरे पत्रकी प्राप्तिकी सूचना नहीं है। क्या वह तुम्हें नहीं मिला? उसमें मैंने तुम्हारा पत्र पानेपर अपनी खुशी जाहिर करनेके साथ-साथ तुमसे गुरुजीके बारेमें बताने आदिको लिखा था।

अब मुझे खादीके टुकड़े[1] मिल गये हैं; उन्हें मैं अवश्य बड़ी खुशीसे अपने काममें लाऊँगा और यदि प्यारेलालको कुछ कपड़ोंकी जरूरत हुई तो हम आपसमें बाँट कर उनका इस्तेमाल कर लेंगे। कृपया सभी सहयोगी कार्यकर्त्ताओंको इन सुन्दर टुकड़ोके लिए धन्यवाद दीजिएगा। मोटेपन या खुरदरेपनके लिए कोई क्षमा-याचनाकी जरूरत नहीं है। खूबसूरती तो उस सौजन्य और सरल प्रेमभावनामें होती है, जिससे कार्य प्रेरित हो। मैं सिर्फ मोटी और खुरदरी खादी ही इस्तेमाल करता रहा हूँ; इस अभ्यासके कारण बारीक और चमकीला कपड़ा शायद सुख नहीं दे पायेगा।

अपने बारेमें मुझे सब कुछ जरूर लिखना। तुम्हारे माता-पिता कैसे हैं? गुरुजी अब कहाँ हैं? क्या तुम कभी हेमप्रभादेवीको देखने जाते हो? अगर नहीं जाते

१. दमदम जेलमें २ अक्टूबरको राजनैतिक कैदियों द्वारा हाथ-कते सूतसे बुने गये खादीके ६ टुकड़े गांधीजीको भेजे गये थे।

तो अब जरूर जाना। तुम्हारी तबीयत कैसी चल रही है? मुझे पण्डितजीके बारेमें भी विस्तारसे लिखना। हम दोनों स्वस्थ और अच्छे हैं।

सस्नेह,

बापू

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २-१-१९३१

६२. पत्र : शिवाभाई पटेलको

यरवदा मन्दिर
२ जनवरी, १९३१

चि० शिवाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा वहाँके कष्टोंके बारेमें लिखा पत्र भी मिला था। उसका जवाब भी तुम्हे दे दिया था; मिल गया होगा।

तुमने सब कबूल कर लिया है, यह ठीक किया है। मेरी दृष्टिसे तो तुम्हे अपनी पत्नीके साथ भोग नही करना चाहिए। उसकी बुद्धि विकसित करनेके लिए उसकी शिक्षाका प्रबन्ध किया जाना चाहिए। यदि तुम विकारमय सम्बन्ध न बनाये रखनेके बारेमें दृढ हो तो तुम्हे उससे यह स्पष्ट कर लेना चाहिए ताकि वह दुखी न हो और आशा छोड़ दे। इसके साथ यदि वह दूसरा विवाह करना चाहे तो तुम्हे उसे ऐसा करनेकी छूट भी देनी चाहिए। यदि मनही-मन विकार बनाये रखनेकी इच्छा हो तो तुम्हे यह कदम नही उठाना चाहिए। जबतक यह संघर्ष चालू है तबतक तुम कुछ नही कर सकते, यह तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहिए। वह साधनहीन है इसलिए उसके भरण-पोषणका बोझ तुम्हे उठाना चाहिए। इसके लिए तुम्हे उसे आश्रम चले जानेके लिए कह देना चाहिए। विकार त्रस्त करें तो उनका इलाज कार्यमें लगे रहना है। जो अपने कर्त्तव्यमें लीन है, उसे विकारोंके विषयमें सोचनेका समय कहाँ है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९५०३) की फोटो-नकलसे।

६३. पत्र : मैत्रि गिरिको

यरवदा मन्दिर
२ जनवरी, १९३१

चि० मैत्री,

तुम पत्र लिखनेमें बहुत आलस्य तो करती ही हो। न करो तो अच्छा है। ढेढ और भंगियोंके लिए तुम सब जो वहाँ हो, तुरन्त पानीकी व्यवस्था क्यों नही कर देती। जो उन्हें बचा-खुचा जूठन देते हैं, उन्हें भी तुम विनयपूर्वक समझा सकती हो। क्या यह सब गंगाबहनको बता देती हो? तुम मोटी भले ही हो जाओ, पर शरीरको ठोस और लोहे जैसा मजबूत बनाना। खूब मेहनत ही इसका उपाय है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२२३) की फोटो-नकलसे।

६४. पत्र : रमाबहन जोशीको

यरवदा मन्दिर
२ जनवरी, १९३१

चि० रमाबहन,

तुम्हारा उत्साह मैं समझता हूँ। 'गीता'का तो यह कहना है कि परधर्म ज्यादा अच्छा हो तो भी स्वधर्म ही ठीक है। स्वधर्मके पालनमें चाहे मरण हो, तो भी परधर्म तो भयावह ही है। स्वधर्म अर्थात् स्वकर्म। तुम्हारा काम वही है जो मीठूबहन तुम्हें सौंपे। तुम और तुम्हारा समर्थन करनेवाले दूसरे लोग मीठूबहनको समझायें। जबतक वह न समझे तबतक धीरज और शान्ति रखना। तुम्ही लिखती हो कि रोज कुछ सीखनेको मिलता है। अब उतावली किसलिए? बाकी क्या करना है, क्या नही करना, यह कहनेका अधिकार कैदीको नही है। जो जेलसे छूटकर आये हैं, उन्हे मेरा आशीर्वाद। जोशीने वहाँ दस रतल वजन क्यों गँवा दिया,[1] यह मालूम करना पड़ेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५३२९)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र : छगनलाल जोशीको", ३-१-१९३१।

६५. पत्र : मीराबहनको

३ जनवरी, १९३१

चि० मीरा,

प्रातःकालकी प्रार्थनाके पहले श्लोकके जो दो अनुवाद तुमने मुझे भेजे है, मैंने पढ़ लिये है। व्यवहारके लिए और शायद अर्थ सूचित करनेकी दृष्टिसे मुझे अपना अनुवाद अधिक पसन्द है। अगर तुम्हें कही कोई कसर दिखाई दे तो मुझे बताना। दूसरे श्लोकका अनुवाद मैंने पिछली डाकसे तुम्हारे पास भेजा है।[1] तीसरा यह है:

'अन्धकारसे परे, सूर्यके समान, पूर्ण, शाश्वत आधार, पुरुषोत्तम नामसे विदित, परमात्मा तत्वको मैं सुबह उठकर नमस्कार करता हूँ। उस अनन्त स्वरूपमें यह सारा जगत उसी तरह भासमान है जैसे रस्सीमें साँप।[2]

कल्पना यह है कि विश्व नित्य होनेके अर्थमें सत्य नही है, वह ऐसी चीज भी नही है जिससे मोह रखा जाये और न वह डरनेकी ही चीज है। लोग डरते है क्यों कि वह ईश्वरकी सृष्टि माना जाता है। सच तो यह है कि वह, जैसे रस्सीमें साँप दिखाई देता है, उसी तरह हमारी कल्पनाकी सृष्टि है। असली विश्व तो असली रस्सीकी तरह है। दोनों ही हमको तब दिखाई देते है जब पर्दा उठ जाता है और अन्धकार मिट जाता है — तुलना करो 'और प्रातःकाल होते ही फरिश्तोकी वे सूरतें मुस्कराती है, जिन्हे मैं कबसे प्रेम करता रहा हूँ और जो क्षणोके लिए विलीन हो गई थी।[3] ये तीनो श्लोक एक दूसरेसे जुड़े हुए हैं और मेरे खयालसे शंकरके बनाये हुए है। तुम शकरको जरूर जानती होगी; है न? पाँच दिन बाद मैं भूमिकाका[4] अनुवाद खतम कर लूँगा। मेरा सुझाव यह है कि मैं श्लोक और भजन तुम्हारे पास भेजता रहूँ और साथ-साथ जो टिप्पणियाँ मुझे सूझें वे भी भेजता रहूँ। तुम अपने ही सन्तोषके लिए 'गीता' की साप्ताहिक टिप्पणियोका अनुवाद जो कोई तुम्हें मिल जाये उसीकी मददसे करती रहो। मैं जिस योजनापर चल रहा हूँ, वह अच्छी तरह विचारी हुई है। यानी सारी 'गीता' के अनुवादको टिप्पणियोके मेरे अनुवादकी दृष्टिसे देख लिया जाये। इस प्रयत्नका कोई ऐसा अच्छा परिणाम निकल सकता है जिसका आज हमें ज्ञान नही है। अगर मैं साप्ताहिक टिप्पणियोका अनुवाद शुरू कर दूँ, तो ऊपरवाली योजना बिलकुल ठप हो सकती है। यह ठीक नही। मेरे भोजनके प्रयोगका सारा हाल तुम नारणदाससे जान लेना। इस आश्वासनसे कि जरूरत मालूम होते ही मैं फिर दूध लेने लगूँगा, चिन्ताका तमाम कारण मिट जाना चाहिए।

१. देखिए "पत्र: मीराबहनको", २९/३०-१२-१९३०।

२. मूल अंग्रेजी अनुवादके लिए देखिए अंग्रेजी खण्ड ४४, पृ० ३८७।

३. एन्ड विद दि मॉर्न, दोज एंजिल फेसेज स्माइल व्हिच आई हैव लव्ड लॉंग सिन्स एन्ड लॉस्ट एव्हाइल।

४. अनासक्तियोग की गुजराती भूमिकाका अंग्रेजी अनुवाद।

सफरी चरखेसे, मेरा खयाल है, तुम्हारा मतलब खादी प्रतिष्ठानके बने हुए पेटी चरखेसे है। कुछ भी हो, तुम्हारी गति बेशक बहुत अच्छी है। यदि काका कोई और बात न कहें तो गांडीव की बात दिमागसे निकाल देनी चाहिए। . . .[१]

रोमाँ रोलाँके स्वास्थ्यका हाल जानकर दुःख हुआ। उन्हे मेरा नमस्कार जरूर लिखना और कहना कि मुझे उनका अकसर खयाल आता रहता है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मानवजातिकी सेवाके लिए वे चिरायु हों। . . .[२]

सस्नेह,

बापू

[अंग्रेजीसे]

बापूज लैटर्स टु मीरा

६६. पत्र : चन्द त्यागीको

३ जनवरी, १९३१

भाई त्यागीजी,

तुमारा खत मिला। बलबीर मुझे क्यों नहिं लिखता है। वह क्या चाहता है मुझे लिखे। आश्रम जाना हि चाहेगा तो अवश्य जा सकेगा। प्रेम महाविद्यालयमें आजकल आचार्य कौन है? देवशर्माजीको[३] क्यों कानपुर [जेल] ले गये? उपवास ई० पर जो लिखना है वह लिख रखो। छापनेका आगे देखा जायगा।

एक दिनकी पूरी दिनचर्या लिखो।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० ३२६७ की फोटो-नकलसे।

१, २. साधन-सूत्रके अनुसार।

३. आचार्य अभयदेवके नामसे प्रसिद्ध।

६७. पत्र : मोतीबहन मथुरादासको

यरवदा मन्दिर
३ जनवरी, १९३१

चि० मोती,

तुम्हे विजयनगरका मोती ही रहना हो और मोतीवहन न बनना हो तो अक्षर मोती जैसे करनेमें ही छुटकारा है। अभी जैसा लिखा है, वह ठीक है; पर रोज सुधार करते जाना। छोटी-बड़ी सभी घटनाओंके बारेमें सावधान रहना धर्मका लक्षण है। शान्तूको फलोंपर ही रहनेकी बात मनानेवाला कोई व्यक्ति कोचीनमें नही है क्या? लिखकर तो देखो। ऐसे कामोंमें देरी नही करनी चाहिए। बच्चेके मसूड़ोसे मवादका आते रहना बर्दाश्त नही करना चाहिए। ऐसा बच्चा दीर्घजीवी नही हो पायेगा। और अभी बचपनमें ऐसे रोगको दूर करना आसान है। न हो तो शान्तूको अपने पास बुला लो और उसका लालन-पालन करो। छोटे बालकोंको साफ रखनेका काम हाथमें लेकर तुमने ठीक किया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३७५०)की फोटो-नकलसे।

६८. पत्र : छगनलाल जोशीको

यरवदा मन्दिर
३ जनवरी १९३१

चि० छगनलाल,

तुम्हारे रिहा होनेका समाचार अभी-अभी पढ़ा। दस रतल गँवा कर आये हो, ऐसा क्यों? अपने अनुभव लिखना।

अब तुम्हारे साप्ताहिक पत्रकी आशा तो करूँगा ही। धीरू अकेला ही आश्रममें डटा रहा, यह कितने आश्चर्य, कितने आनन्दकी बात है। किन्तु इस तरहके आनन्द और आश्चर्यका क्या कोई हिसाब है? मेरे बारेमें और प्यारेलालके बारेमें तो सब-कुछ सुनोगे ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४९७)की फोटो-नकलसे।

६९. पत्र : मणिबहन पटेलको

यरवदा मन्दिर
३ जनवरी, १९३१

चि० मणि,

तेरा पत्र मिला। बापूसे मिलो तो कहना कि मुझे उनसे ईर्ष्या होती है, क्योंकि वे तो बाहर भी हैं और आरामघरमें भी। रोज डाक्टरके यहाँ जानेका आनन्द।[1] ऐसा आनन्द तो केवल बाहर रहकर भी कभी नहीं पाया। परन्तु इन सब बातोंका फल इतना तो मिलना ही चाहिए कि हमेशाके लिए दाँत और नाककी तकलीफ मिट जाये।

इस बार भी वे मेरे ही पड़ोसी होंगे न?

राजेन्द्रबाबू हों तो कहना कि पत्र लिखें। उनसे पूछना कि मेरा उत्तर मिल गया था या नहीं।

वैसे तू सब खबरें देनेवाली है, इसलिए बाहर है, तबतक देती रहना।

डाह्याभाईने न लिखनेकी सौगन्ध खा ली दीखती है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४: मणिबहेन पटेलने

७०. पत्र : तारामती मथुरादास त्रिकमजीको

४ जनवरी, १९३१

तुम सब आश्रम देखने जा सके, यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ थोड़े दिन रह सकते तो और भी अच्छा लगता। मथुरादासकी खबर मिलती रहती है। उसके दिन तो शान्तिसे बीतेंगे। यह बहुत अच्छा अनुभव मिला है। प्यारेलाल मजेमें है। बच्चोंको प्यार।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी

१. साधन-सूत्रके अनुसार उस समय सरदार पटेल आर्थर रोड जेलमें थे और दाँतके इलाजके लिए उन्हें डा० डी० एम० देसाईके फोर्टमें स्थित दवाखानेमें पुलिसके पहरेमें ले जाया जाता था। वहाँ बम्बईके कुछ कार्यकर्ता उनसे मिल लेते और लड़ाईके बारेमें हिदायतें ले जाते थे।

७१. पत्र : महावीर गिरिको

४ जनवरी, १९३१

चि० महावीर,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा अनुभव बढ़ता ही जा रहा है। सब जगह मर्यादाका भरपूर पालन करना। सूतमें कलफ लगानेका प्रयोग सफल हो जाये तो उससे बहुत लाभ होगा, इसमें कोई शक नही।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२२४) की फोटो-नकलसे।

७२. पत्र : वसुमती पण्डितको

यरवदा मन्दिर
रवि प्रभात, ४ जनवरी, १९३१

चि० वसुमती,

अभी सुबहकी प्रार्थना समाप्त करके पत्र लिखने बैठा हूँ। अन्ततः स्वाद जीभकी अर्थात् मनकी बात है। व्रत तो स्वाद न लेनेका है। जो वस्तु जैसी है वैसी जीभको न लगे, ऐसा जरूरी नही है। किन्तु जो चीज अच्छी लगे, उसे खाना और जो न लगे, उसे छोड देना, यह स्वादके वशमें होना कहा जायेगा। जो वस्तु जिस प्रमाणमें शरीरके लिए जिस समय आवश्यक हो, वह वस्तु उसी मात्रामें उसी समय ले और उसमें कोई स्वादु वस्तु आ जाती हो तो ऐसा हो सकता है। महावीर स्वादकी चिन्ता छोड़ सकेगा। फिर जो श्रेयस्कर है वही प्रिय लगने लगेगा। सामान्य तौर पर मनुष्य अपनी भलाई न देखकर वही करता है जो उसे अच्छा लगता है; फिर बादमें उससे चाहे अनिष्ट ही क्यों न हो। इस तरह जहाँ जो मिले, वहाँ वही ले लेनेका मार्ग साधकके लिए नही है। जो सम्पूर्णता को पहुँच गया है, वह क्या करेगा, इसका अनुभव हमें नहीं है। उसका विचार भी हमें नही करना है। जब सम्पूर्णता को पहुँचेंगे, तबकी बात तब देखेंगे। उस समय तो प्रश्न पूछना आवश्यक ही नही बच रहता। इसमें सभी शकाओंका समाधान न होता हो तो फिर पूछना।

छोटे-छोटे दोष दिखाई देना तो शुभ चिह्न है। उन्हें दूर करनेका प्रयत्न किया जा रहा है कि नही, इसकी खबर होनी ही चाहिए। यदि मुझमें अहंकार हो, वह मुझे दिखाई दे और मैं साधक होऊँ तो मैं उसे दूर करनेका प्रयत्न तो करूँगा ही। उसके बिना सन्तोष नही हो सकता। घरमें बैठे सांपको निकाले बिना चैन नही मिल सकता। उसे निकालने का प्रयत्न जारी है या नही, यह हम कह सकते हैं।

उसी तरह हृदयमें भरे साँप आदिके बारेमें समझें। कान ठीक हो गया है, यह अच्छी खबर है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३१६) की फोटो-नकलसे।

७३. पत्र : रैहाना तैयबजीको

४ जनवरी, १९३१

पागल रैहाना,

जिसका भाई पागल, वह थोड़ी डाही[1] रह सकती है? डाह्याभाईको खत लिखा है।[2]

तू स्वस्थ होती जा रही है, यह जानकर खुशी हुई। लेकिन क्या कड़ी प्रान्तकी सूबेदारीका बोझ उठाने लायक हो गई है? स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाये तो हमें डाक्टर बहनको मानपत्र देना पड़ेगा। सफेद दाढ़ीको तो सहन करना ही पड़ेगा। सफेद दाढ़ी अपना कुछ-न-कुछ असर तो दिखायेगी ही। किन्तु जिसका अन्त भला उसका मूल भी सुन्दर मान लिया जायेगा। अप्पाजानके पराक्रमसे मुझे कुछ आश्चर्य नहीं होता। वे भी उसी पेड़की शाखा है न?

खुदा हाफिज,

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९६२६) की फोटो-नकलसे।

७४. पत्र : काशिनाथ त्रिवेदीको

४ जनवरी, १९३१

चि० काशिनाथ,

तुम्हारे लम्बे पत्रोंसे मुझे कोई दिक्कत नही होती। तुम्हारे बारेमें नारणदासने भी लिखा है। उसने लिखा है कि तुमने दैनन्दिनी दिखानेसे इनकार कर दिया। यदि यह सही हो तो तुमने ठीक नही किया। नारणदास अत्यन्त सरल व्यक्ति है। वह सीधे मार्गसे चलनेवाला है। उसके साथ बातें की जा सकती हैं। धीरजसे बात करना। कही गलतफहमी हो गई हो तो उसे दूर कर लेना। आश्रममें रहनेकी

१. सयानी।

२. पत्रका इतना भाग उर्दूमें है।

इच्छा हो और नियम पालन करनेमें आपत्ति न हो, तो नारणदास तो तुम्हें वापस ले ही लेगा। ऐसा उसने लिखा भी है।

आश्रममें रहो या न रहो किन्तु तुम अन्य सम्बन्ध तो बनाये ही रख सकते हो; और काम-काजके कागज माँगते रह सकते हो। आपसमें मतभेद होनेका अर्थ दुश्मनी नहीं है।

बहनोईके मुकदमेमें बचावके लिए वकील रखनेकी जरूरत हो तो रख लेना, हिम्मत हो तो वकीलके बिना चलाना। तुमने जो कदम उठाये हैं, वे ठीक लगते हैं। सम्मनपर हस्ताक्षर न करनेका कारण समझमें नहीं आया। किन्तु यह तो मामूली बात है। शान्ता, कलावती, राघवदास और बनारसीदासको पत्र लिखे हैं। उन्हें पढ़ लेना। कलाके बारेमें तो तुमने यही या ऐसा ही प्रश्न पिछले पत्रमें पूछा था। उसका जवाब मैंने दे दिया है।[1] तुम्हें मिला या नहीं? व्रत-विचारकी पुस्तिका मिल गई है। मुझे लिखा हुआ रामनारायणका[2] पत्र मैंने नहीं देखा। हरिभाऊका[3] था, उसका जवाब दे दिया था। सबको मेरा आशीर्वाद लिखना।

माँको दूध लेनेके बावजूद भूख तो लगनी चाहिए। बहुत जी करे, तो खाखरा[4] देना। अभी दूध आदि हलकी खूराक लेती रहें तो अच्छी हो जायेंगी। तुम शांत रहकर सब काम करना। मनमें किसी भी बातका दुख नहीं मानना। "जगतगुरु जगदीशको जो करना ठीक लगे उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। हमारे सोचने-विचारनेका कुछ अर्थ नहीं है। उसके लिए मात्र एक उद्वेग मनमें रह जाता है।[5]"

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५२७०) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: काशिनाथ त्रिवेदीको", १८-१२-१९३०।

२. रामनारायण चौधरी।

३. हरिभाऊ उपाध्याय।

४. पतली करारी रोटी।

५. नरसी मेहताके पद: जे गमे जगत-गुरु देव जगदीशने ते तणो खरखरो फोक करवो; आपणो चिंतव्यो अर्थ कांई नव सरे, ऊगरे एक उद्वेग धरवो।

७५. पत्र : दुर्गा देसाईको

यरवदा मन्दिर,
४ जनवरी, १९३१

चि० दुर्गा,

आज रविवार है और इस समय सुबहके सात बजे हैं। सख्त सर्दी है। हाथ काँप रहे हैं। किन्तु लिखनेसे अवकाश ले लूं, ऐसा नही है। लिखनेके बाद चरखायज्ञ शुरू होगा। नारंगीका प्रयोग शुरू करके अच्छा किया। जबतक वह चलता है, मुझे नियमपूर्वक लिखती रहना। उसका क्या असर होता है, यह विस्तारसे लिखना। वजन लेती रहना। एनिमा तो चलेगा ही, सूर्य-स्नान भी होगा। शक्ति हो तो धीरे-धीरे चलना-फिरना भी।

अब महादेव को —

चरखेके बारेमें मै यहाँसे खोज करके निकलूँगा, ऐसी आशा बिलकुल न करना। उत्साह के साथ-साथ कारीगरीका भी ज्ञान होना चाहिए; वह मुझे नही है। अपनी गति बढ़ानेके लिए काफी परिवर्तन कर सकूँ, तो भी मुझे सन्तोष होगा। मुझे लगता रहता है कि आयु होनेपर भी गति अच्छी हो सकती है। किन्तु मेरे हाथके तन्तु मन्द पड़ गये होगे तो गति भी ज्यादा नही होगी। उससे सम्बन्धित फेरफार करता जरूर रहता हूँ। देखता हूँ कि शास्त्रीकी रायके बावजूद विलायत न जाकर मैंने बहुत समझदारीकी बात की है। ठीक तरह से देखें तो उसमें समझदारी की जरूरत ही नही थी। अन्तरात्मा किसी प्रकार भी मानती न थी। सभी तार सूत्रधार के हाथमें हैं। हम तनिक भी चिन्ता क्यों करें? हम तो अधिकाधिक तार उसीके हाथमें देते जायें और उसके हाथोको मजबूत करते जायें।

अगर भगंदरका जरा भी शक हो, तो तुरन्त इलाज करें। दूध-घी न छोड़ें। जो सुविधा मिल सकती है और जिसकी शरीरके लिए आवश्यकता हो, उसे प्राप्त कर लेना धर्म है। शरीर तो अमानत है, अपना नही, यह हृदयमें अच्छी तरह उतर जाये तो कई बातोंको सोचनेकी जरूरत ही न रहे। देवदास संस्कृत पक्की कर रहा है, यह तो अच्छा है। महादेव उसमें उसकी सहायता कर सकता है। सभी कैदियोंको आशीर्वाद। प्यारेलाल रोज ३७५ तार चरखेपर और १०० तकलीपर कातता है। उसमें सुबहका समय और दोपहरका डेढ़ घंटा लग जाता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० १६९००) की फोटो-नकलसे।

७६. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तको

यरवदा मन्दिर,
४ जनवरी, १९३१

चि० हेमप्रभा,

तुमारा कुछ भी खत एक दो हफ्ते से नहिं है आश्चर्य होता है। ऐसे न किया जाय। लिखनेका कुछ न होतो दो शब्द खुश खबरके दे दो। काफी होगा। चारू अरूणके हाल कैसे है? सतीशबाबु और क्षितिसबाबु कब छुटते हैं?

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६८० की फोटो-नकलसे।

७७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदीको

यरवदा मन्दिर,
४ जनवरी [१९३१][1]

भाई बनारसीदास,

इतना निराश होनेका कोई कारण नही है। जो अपनी दुर्बलताका दर्शन करता है और उसे दूर करनेकी इच्छा रखता है, उसका आधा काम तो बन गया। शेष जीवन सेवामें देनेका संकल्प कल्याणकारी होगा। जो दुःख आ पडा है।[2] उसमें से बडी शक्ति पैदा कर लो। तुमारे सामने बहोत सेवा कार्य पडे है। बालक अच्छा है जानकर संतोष होता है।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २५२३ की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजी भूलसे '३०' लिख गये थे। जिस पत्र (जी० एन० २५२४) के उत्तरमें यह लिखा गया है, वह २४ दिसम्बर १९३० का है।

२. बनारसीदास चतुर्वेदीकी पत्नी सितम्बर, १९३० में नवजात शिशुको छोडकर स्वर्ग सिधार गई थी।

७८. पत्र : राधाकृष्ण बजाजको

यरवदा मन्दिर,
४ जनवरी, १९३१

चि० राधाकृष्ण,

तुमारे खत लिखते रहना। उसमें जो खबरे मै चाहता हुँ मिल जाती है। जानकीवहन आ जाने से लिखने का कहो। विनोवा को पकडना चाहें तो भले पकड़ें। छोटेलाल के कुछ खबर है? उसकी तवीयत कैसे है?

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ३०३६ की फोटो-नकलसे।

७९. पत्र : श्रीपाद दामोदर सातवलेकरको

यरवदा मन्दिर,
५ जनवरी, १९३१

भाई सातवलेकरजी,

'गी[ता] श्लोकार्धं सूचि' और अन्य पुस्तक शीघ्र भेजनेके लिये कृतार्थ हुआ हुं। जिस चर्खे पर आठ घटे में १९००० गज सूत नीकलता है वह हाथ की पुनीया से? उसका अंक क्या रहता है। इनामी चर्खेकी परीक्षामां यह भी होगा। खीसा चर्खा यदि संभव है तो मुजको एक भेज दीजीये।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ४७६१ की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : श्री० दा० सातवलेकर

८०. पत्र : प्रभावतीको

५ जनवरी, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरे पत्र मिलते रहते हैं। पत्र अब ज्यादातर तो नियमपूर्वक ही मिलते हैं। तू किसी भी दिन आश्रम चली जानेवाली है, यह सोच कर मैं तुम्हें बहुत नियमपूर्वक नही लिखता। याद तो रोज ही करता हूँ। तू वहाँ पड़ी है, यह जरा भी अच्छा नही लगता। जयप्रकाशको अभी देरी हो और यदि वह चाहे तो आश्रमसे कोई आकर तुझे ले जाये। कमला[1] आरामगाह [जेल] में चली गई है इसलिए तुझे अब प्रयाग जाना पड़ेगा। जयप्रकाशसे जो पत्र पानेकी आशा थी, वह अभी नही मिला है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४०२) की फोटो-नकलसे।

८१. पत्र : वनमाला परीखको

५ जनवरी, १९३१

चि० वनमाला,

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। चरखेकी यह गति ठीक मानी जा सकती है, पर अभी और भी सुधरनी चाहिए। जो भूल लापरवाहीसे रह जाये, क्या वह माफ की जाती है? पत्र लिखकर उसे दुबारा पढना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

तुम्हारा पुरजा बाद में दिखाई पड़ा।

गुजराती (जी० एन० ५७५८) की फोटो-नकलसे।

१. कमला नेहरू।

८२. पत्र : मथुरादास पुरुषोत्तमको

५ जनवरी, १९३१

चि० मथुरादास,

तुम्हारा पत्र मिला। धनुष [धुनकी] के बारेमें पढ़नेका समय अब निकालूंगा। इस बार डाक दो दिन देरसे मिली। तुम्हें साथी तो ठीक मिल गये हैं। मनको परेशान किये बिना ही कामका विचार करना। वह ईश्वरका है, इसमें शक न रहे। काम यज्ञार्थ किया जाना चाहिए, यह अनिवार्य शर्त है। पिंजाईके बारेमें पढ़ लिया है। अच्छा है। अनुभव मिलेगा तो और भी निश्चित रूपसे कह सकोगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३७५१) की फोटो-नकलसे।

८३. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

५ जनवरी, १९३१

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। मेरे विचारसे विवेकानन्दका और धुरन्धरका कहना एकपक्षी है। हम जो-कुछ कहें, हृदयमें उसकी प्रतीति होनी चाहिए। सूरदास, तुलसीदास आदि भक्तोंने अपनेको शठ, कामी आदि कहा है, वह औपचारिक विनयकी भाषा नही है, उनके अन्तरके उद्‌गार हैं। सच बात यह है कि हमारे भीतर दोनो ही भावनाएँ भरी है। जाग्रत अवस्थामें हम ब्रह्म-रूप लगते हैं। मूर्च्छित स्थितिमें उस दयालुके सामने हम दीन जैसे है। जो अपनेको दीन न समझता हो, पूर्ण ब्रह्म समझता हो, वह चाहे तो ईश्वरकी करुणा-याचना करनेवाले भजन न गाये। ऐसे मनुष्योंका करोड़ोंमें एकका अनुपात भी नही होता। अपनी अल्पताका दर्शन करना महान बननेका आरम्भ है। सागरसे विच्छिन्न बिन्दु अपनेको समुद्र कहेगा तो सूख जायेगा। और यदि वह अपने बिन्दु होनेको स्वीकार करे तो वह समुद्रकी ओर बढ़ेगा और उसमें लीन होकर समुद्र बन जायेगा।

'कल्चर' का अर्थ है संस्कारिता। 'एज्युकेशन' का अर्थ है साहित्य-ज्ञान। साहित्य-ज्ञान साधन है। संस्कारिता साध्य वस्तु है। साहित्य-ज्ञानके बिना भी संस्कारिता आती है। जैसे कोई बालक शुद्ध संस्कारी घरमें पलकर बड़ा हो तो उसमें संस्कार अपने-आप उत्पन्न होगे। आजकी शिक्षा और संस्कारिताके बीच इस देशमें तो कोई मेल नही है। हमारे शिक्षितोमें अभीतक जो संस्कारिता बची हुई

है सो इस शिक्षाके बावजूद है। इससे मालूम होता है कि हमारी संस्कारिताकी जड़ें बहुत गहरी पहुँची हुई हैं।

प्रसन्नाबहनको आशीर्वाद और बधाई। वह पतिको भी इस ओर आकर्षित करे।

वजनमें तू नारणदासके साथ उल्टी होड़ करती मालूम होती है। ठीक है। तू अभी बढ़ सकती है। नारणदास घट सकता है।

धुरन्धर 'गीताबोध' का भाषान्तर कर रहा है, यह जानकर मुझे अच्छा लगा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन १०२५०) की फोटो-नकलसे।

८४. पत्र : नारणदास गांधीको

८ बजे रातको, १/६ जनवरी, १९३१

चि० नारणदास,

इस सप्ताह भी मुझे तुम्हारा पत्रोंका पुलिन्दा अभीतक नहीं मिला है। सम्भवतः पार्सल रजिस्ट्री करके नहीं भेजा होगा। इसलिए उम्मीद है, वह कल मिलेगा। लेकिन आश्रमके लिए पत्र लिखना तो मैंने आज ही शुरू कर दिया है — यों देखा जाये तो कलसे ही शुरू कर दिया था।

कल बम्बईसे दानीबहनका पत्र आया था। उसका उत्तर मैं साथ भेज रहा हूँ। यह बहन मारवाडकी जान पड़ती है। यदि तुम्हें इस बारेमें कुछ मालूम हो तो लिखना। यह सोचकर कि कदाचित तुम्हें मालूम न हो, मैंने पत्रमें ही उसका पता लिख दिया है। गत सप्ताह 'अनासक्तियोग' के बारेमें एक मराठी भाई द्वारा पेंसिलमें लिखी एक आलोचना प्राप्त हुई है; उसमें लेखकके हस्ताक्षर नहीं हैं। तुम्हें उसका नाम मालूम हो तो मुझे लिखना।

आज दोनोंका वजन लिया गया। मेरा १०० रतल और प्यारेलालका १२२ रतल निकला। मेरे वजनमें एक रतलकी कमी हुई है, लेकिन यह कोई चिन्ताकी बात नहीं है। समय बदलनेके कारण अथवा वजन लेते समय यदि पेटमें मल हो अथवा न हो तो भी एक-दो रतलका इधर-उधर हो जाना एक मामूली बात है। यदि कोई व्यक्ति पानी पीकर तुरन्त अपना वजन ले तो उसका वजन बढ़ा हुआ मिलता है। लघुशंकाके बाद वजन ले तो उस मात्रामें वजन कम निकलेगा। जबतक मुझे अपनी तबीयत ठीक लगती है, पाखाना ठीक आता है, भूख बनी रहती है और रुचिसे खा पाता हूँ, तबतक तनिक भी चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं। जैसी मेरी तबीयत इस समय है, यदि छः मास तक ऐसी ही बनी रहे तो प्रयोग सफल हुआ समझा जायेगा। मैंने एक महत्त्वपूर्ण सुधार किया है। जिज्ञासुओंकी जानकारीके लिए मैं उसे नीचे दे रहा हूँ।

वादामको गरम पानीमें भिगोकर छिलके निकाल लें, वादमें उनको रगड़ ले। फिर उनमें चार औस पानी डालकर तबतक उबालें जबतक सब पानी न उड़ जाये और बादाम मक्खन जैसे नरम न हो जायें। मैं इसे रोटी और सब्जीके साथ खाता हूँ। यों बादाम खानेमें स्वादिष्ट तो होते ही है, किन्तु कच्चे पीसकर खानेकी अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह हजम भी हो जाते है। यह भी सम्भव है कि महीन पिसे होने पर भी बिना उबले बादाम बिना पचे मलके रास्ते वाहर निकल जाते हो। किन्तु इस तरह नरम कर लेनेके बाद वे हजम हो जाते है, इसमें सन्देह नही है। जिस व्यक्तिका हाजमा बहुत नाजुक हो, वह भी कदाचित इस तरह पकाये गये नरम बादाम हजम कर सकता है। यों पका कर उन्हें मक्खन बना लेनेके बाद उसमें फिरसे पानी डालकर उसका दूध बनाया जा सकता है। यह फीका तो जरूर लगता है; लेकिन चाहें तो उसमें गुड़ अथवा चीनी डाली जा सकती है। थोड़ा नीबू और नमक भी डाला जा सकता है। यह सब करनेकी फिलहाल मैं किसी व्यक्तिको सलाह नही देता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शौकीन तबीयतका हो अथवा जिसे दूध हजम न होता हो तो ऐसे व्यक्तिके लिए कदाचित यह जानकारी उपयोगी सिद्ध हो। बाकी खुराक तो जो थी, वही है; प्रमाण भी वही है।

मुझे गांडीव चरखेपर बहुत अधिक गति प्राप्त करनेकी उम्मीद है। प्रति घंटा २५५ की तो क्या बात है, मैं अभीतक प्रति घंटा २०० की गति तक नही पहुँच सका हूँ। तकलीपर प्रति घंटा ७५-८० तारसे आगे नही जा सका हूँ। ७५ भी आसानीसे नहीं होते। आसानीसे तो ६० की गतिसे कात पाता हूँ। किन्तु बाँसकी तकलीपर हाथ ठीक बैठ गया है, ऐसा कह सकते हैं। सौ तार निकालनेका काम अभी तो मुश्किल ही माना जायेगा।

शनिवार, २ बजे

तुम्हारा पुलिन्दा कल मिला। चूंकि यह पार्सल था और छुट्टीके दिन पार्सल नही बाँटी जाती, इसलिए दो दिन ऐसे ही चले गये। लेकिन देखता हूँ कि पार्सलसे भेजनेपर केवल तीन आने खर्च हुए, जब कि पत्रके रूपमें भेजने पर कदाचित रुपया तक लगता हो। इसलिए जैसा ठीक लगे वैसा करना। मैंने तो शुक्रवारको पत्र प्राप्त होनेकी बातके लिए अपने मनको तैयार कर लिया है और अपने कार्यक्रमको भी तदनुसार व्यवस्थित कर लिया है। यहांके लोग इस पुलिन्देको अत्यन्त सावधानीके साथ जाँच लेनेके बाद मुझे दे देते हैं और उसी सावधानीके साथ यहाँ से रवाना करते है।

पालीबहन कौन है? उसके प्रश्न प्रेमाबहन जैसे हैं; इसलिए अलगसे उत्तर देनेकी जरूर नही है। उसे प्रेमाबहनके एक पत्रकी प्रति भेज देना। यदि वह वहाँ हो तो पत्र दिखा देना।

जहाँतक मेरे पत्रोंमें से उद्धरण छापनेका सवाल है, यज्ञके सम्बन्धमें मैंने जो लिखा है, उसे दूसरे अध्यायके अन्तर्गत अवश्य दिया जा सकता है। अन्य उद्धरण भी यदि उपयोगी जान पड़ें तो उन्हें भी प्रकाशित किया जा सकता है। लेकिन

वे सब कहाँ और कैसे छपवाये जायें इसका विचार तो तुम्ही कर सकते हो। 'गीताबोध' में जहाँ उचित लगे वहाँ अलगसे टिप्पणीके रूपमें अथवा स्वतन्त्र रूपसे भी उद्धरण दिये जा सकते हैं।

रतिलालके बारेमें डाक्टरको बताते रहना और उसकी जितनी देखभाल की जा सके, उतनी करना। रतिलालको कामी और अनगढ़ प्राणी समझना। जब उसे काम व्यापता है, तब वह पागल हो जाता है। कामके अनेक प्रकार होते हैं। परेशानी पैदा करनेवाली तीन मुख्य बातें हैं: स्त्री-संग, खाना और पैसा उड़ाना। यदि इस अवस्थामें उसे तृप्ति नही मिलती तो वह विक्षिप्त हो उठता है। उसका आश्रमसे भाग जाना कुछ हदतक उसके लिए अच्छा है। फिर वह कुछ दिनो बाद शान्त हो जाता है। उसका अन्त क्या होगा, यह तो ईश्वर ही जाने। ऐसे लोग कभी-कभी समझ भी जाते हैं। वह नितान्त दुष्ट प्रकृतिका तो नही ही है।

तुम जितना कात पाते हो वह मेरे लिहाजसे तो बहुत है। दायें हाथका काम बायें हाथसे भी किया जा सकता है। भाऊ दोनो हाथोंसे तकली एक-सी चला लेता है।

कनु वर्धा जाकर भाऊकी कला देख आये और वर्धाका अनुभव भी ले आये तो कोई हर्ज नही। कोई और लड़का भी यदि जाने योग्य हो और जाना चाहे तो भेजनेमें मुझे कोई दोष दिखाई नही देता।

तुम्हारा शरीर ही बदल गया जान पड़ता है। मुझे तो उम्मीद है कि अन्तमें तुम्हारा शरीर और भी निर्मल बन जायेगा।

पारनेरकर स्वास्थ्य-लाभके लिए आश्रमसे बाहर क्यो नही चला जाता?

सांड वापस आ गया और जिस तरहसे वह हाथमें आया — सो तो एक चमत्कार ही माना जायेगा।

दूधका मावा अपने तरीकेसे बनाते हो अथवा किसी और तरीकेसे? उसे बेचनेमें तुम्हें कोई दिक्कत तो नही होती? यदि होती हो तो घनश्यामदास, महावीरप्रसाद, जीवनलाल आदिको लिखें; कदाचित् वे उसे मँगा लें। यदि तुम नियमित रूपसे मावा बना सको तो विज्ञापन देनेसे भी उसकी बिक्री होती रह सकती है।

घूमनेके लिए जाना बन्द न करना। यह आग्रहपूर्वक करते रहना चाहिए। नियममें बँधे रहनेसे अनेक काम किये जा सकते हैं।

देवदासने मुझे जो पत्र लिखा था, वह क्या हुआ? मैंने तो उसे लिखा था कि वह पत्रकी बातें याद करके फिरसे मुझे लिखे। इसका जवाब मुझे नही मिला है।

सोमवार शाम, ६-४५ बजे, ५ जनवरी, १९३१

चप्पलोंके लिए चमड़ा पहुँचनेकी बात तो मैं तुम्हें लिख चुका हूँ। पत्र नं० ८२ वाली बहनका पता रामनारायण[1] (अजमेरवाले) जानते हैं। यदि तुम पत्र मार्तण्ड अथवा किसी और को भेजोगे तो वह पता लिखकर डाकमें डाल देगा।

१. रामनारायण चौधरी।

काशिनाथको लिखा पत्र पढ़ लेना। फिर मेरे लिए और कुछ लिखनेकी जरूरत नही रह जाती।

जीवनदास सावरमतीमें है। कोई उससे मिलने गया है कि नही? न मिला हो तो मिलने जाये। उससे कहना कि मैं उसे वहुत याद करता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

६ जनवरी, १९३१

[पुनश्च:]

मैंने यह पत्र आरम्भ तो पहली तारीखको किया था। उस दिन मैंने प्रयोगकी स्थिति वताई थी। शनिवारकी रातको अपच हुआ और दस्त लग गये। लेकिन इस वार कष्ट तनिक भी नही हुआ। पेटमें दर्द तक नही हुआ। दस्त तो आते रहे, कल भी आये थे; लेकिन कम थे। यह पत्र मै प्रार्थनाके वाद पाँच वजे लिख रहा हूँ। मेरा खयाल है आज दस्त वहुत कम आयेंगे। काम करनेमें कोई कठिनाई नही हुई। कल मैं ठीक साढ़े दस घंटे तक वैठा और सव काम किया। इस वार और भी वहुत सारे पत्र थे। भोजन नही किया, ऐसा प्रतीत होता है कि दस्त लगनेका कारण ज्वार और वाजरा है। कारणके वारेमें निश्चित रूपसे तो वादमें ही समझ पाऊँगा। खूराक फिरसे कव शुरू की जाये, इस पर मैंने तो अभी विचार नही किया है। चिन्ता करनेकी कतई जरूरत नही है। मैंने तो केवल यह सोचकर लिखा है कि खवर देनी ही चाहिए। आजकल मै गुड़ मिला नीवू, पानी और सोडा लेता हूँ। कल फिर पत्र लिखूँगा।

वापू[1]

[पुनश्च:]

८३ पत्र हैं।

गुजराती एम० एम० यू०—१ से।

१. इसके बाद दिये गीता-प्रवचनके नवें अध्यायके पाठके लिए देखिए खण्ड ४९, "गीता पत्रावली", २१-२-१९३२।

८५. पत्र : नारणदास गांधीको

बुधवार, दोपहरके १२ बजे [७][1] जनवरी, १९३१

चि० नारणदास,

मैंने कल जो पुलिन्दा तुम्हें भेजा था वह मिल गया होगा। आज तबीयत अच्छी है। मैंने कल दोपहरसे छाछ-जैसा पतला दही लेना आरम्भ किया है। आज मुनक्का और दो बार थोड़ी-थोड़ी मात्रामें पके हुए बादाम पीसकर लिये हैं। दस्तकी शिकायत नही है। मतलब यह कि चार बजेके बादसे पाखाना जानेकी जरूरत नही पड़ी। तनिक भी चिन्ता न करना। बा और मीराबहनसे कहना कि वे भी फिक्र न करें। कल भी पोस्टकार्ड लिखूंगा। सारा काम ठीक चल रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०-१ से।

८६. पत्र : काशिनाथ त्रिवेदीको

यरवदा मन्दिर,
७ जनवरी, १९३१

चि० काशिनाथ,

तुम्हारा पत्र मिला। शान्ताके बारेमें तुमने ठीक ही लिखा है। कूनेके स्नानसे जरूर फायदा होना चाहिए।

माताजीके बारेमें पहले पत्रोंमें लिख चुका हूँ। उन्होंने क्या सचमुच में छुआछूतको त्याग दिया है? मामाका पत्र मुझे नही मिला।

बाबू भगवानदासका लेख मैंने पढ़ा है। पहले दो उपाय असम्भव हैं, यह दिखानेके लिए उनके विषयमें उन्होंने व्यंग्यमें लिखा है। तीसरेको वे स्वीकार करते हैं। मैंने तो बहुत विचार करनेपर जितना सूझा, उतना लिखा है। कृत्रिम व्यवहार अपनानेसे मेल नही हो सकता। हममें से एक भी शुद्ध प्रेमसे काम ले, तो आज ही समस्या हल हो सकती है। यह प्रेम कौन-सा स्वरूप लेगा, यह कहना कठिन है। मौलाना साहबके बारेमें तुमने ठीक लिखा है। उनमें देशके प्रति व्याकुलता तो थी ही। वे जो मानते थे, वह कहते थे। हमें किसीकी मान्यता दोषपूर्ण लगे तो उसे

[1] साधन-सूत्रमें ६ तारीख दी गई है, लेकिन बुधवार ७ को पड़ा था।

दोष किस तरह दे सकते हैं? ऐसी बातमें सहिष्णुतासे काम लेना चाहिए। गुजरातके लेवा पाटीदारोंमें पर्दा है ही। काठियावाड़में दूसरी जातियोंमें भी है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५२७१) की फोटो-नकलसे।

८७. पत्र: कलावती त्रिवेदीको

७ जनवरी, १९३१

चि० कलावती,

हां, गू[जरात]में भी कही कही पर्दा है। गू[जरात] कहां हिंदुस्तान के बाहर है! हीराबहनकी स्थिति दयाजनक है। रासवालोंको तकली कातनेका बताओ और तकली वही बांसमें से बनाओ। शामलभाईकी बातमें नही समजा हुँ फिर लिखो। झगड़ाके बारेमें मै तलाश करता हुँ। तमारा शरीर अच्छा रखो। पेरोके लिये शीर्षासन या सर्वांगासन सीख लो। उसका विधि जान लो। आश्रममें पुस्तक है पढ़ कर काशिनाथ लिखे।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ५२७२ की फोटो-नकलसे।

८८. पत्र: शान्ताको

यरवदा मन्दिर,
७ जनवरी, १९३१

चि० शांता,

तुमको मैंने पत्र तो लिखा है।[1] और कया लिखुं? तुमारी परीक्षा हो रही है। बहादुरी से रहो।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ५२७३ की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: शान्ताको", १-१-१९३१।

८९. पत्र : नारणदास गांधीको

बृहस्पतिवार, ८ जनवरी, १९३१

चि० नारणदास,

मुझे दस्त लग जानेकी खबर प्रकाशित नही करनी है। कल सवेरे चार बजे हल्का-सा दस्त आया था। उसके बाद आज ठीक दस बजे आया, वह भी जरा-सा ही। इसलिए मैंने आधा चम्मच एरंडीका तेल लिया है और खुलकर पाखाना आनेके बाद दूध अथवा दही, जो उचित जान पड़ेगा, सो लूंगा। अथवा ऐसी ही कोई और चीज जो नुकसान न करे, लूंगा। तबीयत बिलकुल ठीक है। जीभ भी बिलकुल साफ है। किसीके लिए फिक्र करनेकी कोई बात नही है। तुम्हे खबर देनी ही चाहिए, इस खयालसे मैंने तुम्हें सोमवारको लिखा और जबतक ठीक नही हो जाता तबतक लिखता रहूँगा; इसलिए सब लोग निश्चित रहें।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू० – १ से।

९०. पत्र : प्रभावतीको

यरवदा मन्दिर
८ जनवरी १९३१

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र मिला। बीचमें कुछ दिन बिना दर्दके गुजर जाते हैं, यह तो अच्छा है। मेरा पहला पत्र मिल गया होगा। मैं तो इसी बातके लिए व्याकुल हूँ कि तू आश्रम जल्दी ही पहुँच जाये। जयप्रकाश मुझे लिखता क्यों नही है? क्या फैसला हुआ है? क्या उस कालेजमें जानेकी बात पक्की हो गई है? या वह घनश्यामदासजीके पत्रकी बाट देख रहा है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३९३)की फोटो-नकलसे।

९१. पत्र : नारणदास गांधीको

९ जनवरी, १९३१

चि० नारणदास,

आज तबीयत बहुत अच्छी जान पड़ती है। मैं दोपहरका खाना खाकर तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। पाखाना खुलकर आ गया है। सवेरे बादामकी चटनीका पानी और खजूर लिया था। इस समय मेथीकी भाजी, पतला दही और खजूर लिया है। कलकी बात रामजी जानें। चिन्ताका कोई कारण नहीं। वजन तो चार उपवास करनेके बाद कम होगा ही। वह घटकर ९६ पौंड हो गया है। कलसे यदि सब-कुछ ठीक चलने लगा तो आगामी सप्ताह इसमेंसे कुछेक पौंड वापिस मिल जायेगा। मीराबहनसे कहना कि उसने मंगलवारको जो कार्ड भेजा था, वह मुझे कल मिला है। तुम्हारा पुलिन्दा आज मिला है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

९२. पत्र : शारदा सी० शाहको

१० जनवरी, १९३१

चि० शारदा,

तुझे मेरे पत्र यदि देरसे मिले तो क्या इसमें भी मेरा ही दोष है? तू इतनी कहाँकी कामवाली हो गई है कि रातमें पत्र लिखती है और अक्षर बिगाड़ती है? तुझे यदि वहाँ ठीक लगता हो तो कुछ अधिक दिनों तक वहीं क्यों नहीं रहती?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८९७)से।
सौजन्य : शारदाबहन चोखावाला

९३. पत्र : रोहिणी कन्हैयालाल देसाईको

१० जनवरी, १९३१

चि० रोहिणी,

तुम्हारा पत्र मिला। अक्षर सुन्दर हैं किन्तु पेंसिलसे है। जहाँतक हो सके, पेंसिलसे कभी मत लिखो। मुझे भी बताया गया है कि कानजीभाई छूट जायेंगे। जब छूट जायें तो उनसे कहना कि आरामगाहमें[1] पान आदि छोड़ा तो बाहर ऐसी क्या मुश्किल है जो उन्हे फिरसे शुरू किया जाये। यह खर्च दरिद्रनारायणका पेट काट कर किया जाता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० २६५६) की फोटो-नकलसे।

९४. पत्र : कुसुम देसाईको

१० जनवरी, १९३१

चि० कुसुम (बड़ी),

अपने निश्चयका तू पालन नहीं कर पाती, तब दुःख होता है।

तूने जो पुस्तकें भेजी हैं, उसमें कुछ गलतफहमी हुई है। प्यारेलालकी मान्यता थी कि उसकी पुस्तकोंके बारेमें तू जानती है और वे शायद तेरे ही पास होंगी। अब जो हुआ सो हुआ। व्याकरण आ गया है तो वह उसके काम आ जायेगा। 'गीता' का उपयोग नहीं है। यहाँ कई प्रकारके संस्करण हैं। मेरे स्वास्थ्यके विषयमें सबको लिखे पत्रसे जान लेना। प्यारेलालका स्वास्थ्य अच्छा है। अभी तो ज्वार-बाजरा छोड़ना पड़ा है, यह तूने देखा होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १८१६)की फोटो-नकलसे।

१. अभिप्राय जेलखानेसे है।

९५. पत्र : गोविन्द पटेलको

१० जनवरी, १९३१

चि० गोविन्द,

तुम्हारा सुन्दर पत्र मिला। सही 'दण्डव्रत्' नही 'दण्डवत्' है। अर्थात् लकड़ीकी तरह सीधे लेटकर प्रणाम। वास्तवमें दण्डवत् विशेषण है और [विशेष्य] प्रणाम अध्याहारमें है। किन्तु हम तो दण्डवत् शब्दका व्यवहार संज्ञाके तौरपर भी करने लगे हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३९४६) की फोटो-नकलसे।

९६. पत्र : वनमाला पारेखको

यरवदा मन्दिर
१० जनवरी, १९३१

चि० वनमाला,

गणितके पहाड़े न आते हों तो सीख लेना। एक मन घी ३० रु० का मिले तो २½ सेरके कितने दाम लगेंगे? क्या यह जबानी बता सकती हो?

तेरे अक्षर सुन्दर हैं। पर इन्हें अभी और भी सुन्दर बना सकती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५७५९) की फोटो-नकलसे।

९७. पत्र : नारणदास गांधीको

यरवदा मन्दिर,
१० जनवरी, १९३१

चि० नारणदास,

तबीयतके बारेमें मेरा तुम्हें यह अन्तिम पोस्टकार्ड है। आज तबीयत बहुत अच्छी है। यह खत दोपहरके खानेके बाद लिख रहा हूँ। खानेमें आज भी वही चीजें ली थीं, जो कल ली थी। सन्ध्या समय बादाम और खजूर पानीमें भिगोकर लिये। आज भी दोपहरको दही लिया है। पाखाना साफ आया था।

दुर्गाको एनीमाके पानीमें इतना पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए कि उसका रंग गुलाबी हो जाये। दो-तीन कण डालनेसे पानी गुलाबी हो जाता है। रोज तीस ग्रेन सोडा पानीके साथ पी जाये और फिर भी पेटमें हवाकी शिकायत रहे तो एक-दो दिनके लिए नारंगी लेना बन्द कर दे। दुर्गाकी तबीयतके बारेमें यदि मुझे लिखना जरूरी लगे तो तुम जब चाहो तब लिख सकते हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

९८. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

१० जनवरी, १९३१

चि० गंगाबहन,

दवाके तौरपर चाय पीनेमें तुम्हें कोई अड़चन नहीं माननी चाहिए। उसका बुरा असर हो तो उसे बर्दाश्त कर लेना। शरीर नाजुक हो तो उसे जो चाहिए, वह बिना किये काम नहीं चलता। चायकी जरूरत होनेपर भी उसे न पीनेमें अहंकार है, हठ है; नम्र भावसे चाय पी लें या मेरी तरह खजूर खा ले।

शीर्षासन सबके देखते हुए भी किया जा सकता है। साड़ी अच्छी तरह लपेट लेनेके बाद कोई दिक्कत नहीं होती।

मेरी कुछ भी चिन्ता न करना। पपीता छोड़ना जरूरी हो गया था। उससे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। साथी त्याग द्वारा एक-दूसरेकी सहायता कर सकते हैं।

वहाँ रहनेवाली आश्रमकी बहनोंमें क्या कुछ झगड़े हो रहे हैं? कलावतीके पत्रमें इसका आभास था। अगर ऐसा हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हम अभी पूर्ण नहीं बने हैं। प्रयत्न करते हुए गिरेंगे, भटकेंगे और फिर खड़े होंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७६९) से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

९९. पत्र : ईश्वरलाल जोशीको

१० जनवरी, १९३१

चि० ईश्वरलाल,

तुम्हारे पत्रकी राह देख ही रहा था। मैं जगन्नाथसे मिल चुका हूँ। प्रेमशंकर स्वस्थ हो गया है, यह जानकर खुशी हुई। तुम सब काम ध्यानपूर्वक करते होओगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२८८) से।
सौजन्य : ईश्वरलाल जोशी

१००. पत्र : मणिबहन पटेलको

यरवदा मन्दिर
१० जनवरी, १९३१

चि० मणि (सरदारीजी)

तूने लिखा है, वैसा ही मैंने हरिलालके बारेमें सोचा था।[1] मेरा तो खयाल है कि जो-कुछ हुआ, उसका विवरण प्रकाशित होता तो उसमें कोई नुकसान नहीं था। हरिलाल जागृत होता। परन्तु वह जागृत हो या न हो, हमारा मार्ग सीधा है। सब स्वजन हैं अथवा सब परजन हैं।

तेरे अक्षर काफी सुधर रहे हैं। अब कहाँ रहनेका इरादा है?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने

१. साधन-सूत्रके अनुसार हरिलाल गांधीने, सरदार जब आर्थर रोड जेलमें थे, उनसे मुलाकात माँगी थी; परन्तु हरिलाल पिये हुए थे और मुलाकातका सिलसिला सरकार का रचा प्रतीत हुआ इसलिए सरदारने मुलाकात करनेसे इनकार कर दिया था। फिर भी उसी दिनके 'ईवनिंग न्यूज ऑफ इण्डिया' में हरिलालके साथ उनकी मुलाकातका — जो हुई ही न थी — विवरण छपा और उसमें सरदार द्वारा कुछ शब्द कहलवाये गये जो वास्तवमें उन्होंने कहे नहीं थे। इसका पता चलनेपर सरदारने आपत्ति की थी और दूसरे दिन अखबारमें सुधार भी छपा था।

१०१. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तको

१० जनवरी, १९३१

चि० हेमप्रभा,

तुमारे दो खत साथमें मिले। खादीके बारेमें अबतक कुछ खत बिरलाजीसे नहिं आया है। प्रतिष्ठानकी सब खादी यदि वे ले लेवे तो क्या हरज है? भले किसी दामसे वेचे। मैं यह समजना चाहता हुँ। धैर्यसे सब कार्य करो। हम काम करते रहें। परिणाम भगवानके हाथमें हि है। तुमारेमें धैर्य तो है हि इसलिए मैं निश्चिंत हुं।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६८१ की फोटो-नकलसे।

१०२. पत्र : गंगाबहन झवेरीको

यरवदा मन्दिर,
११ जनवरी, १९३१

चि० गंगाबहन (झवेरी),

तुम्हारे अक्षर बहुत सुधर गये हैं। इसे कायम रखना। कामके बारेमें अन्तरात्मा जो कहे वही करना। अन्तरात्मा बोलती है या अहंकार, यह अच्छी तरह सोच लेना। अपना स्वास्थ्य फिरसे खराब न होने देना। शरीरके लिए जिस चीजकी जरूरत लगे उसे लेनेमें संकोच न करना। शरीरके लिए जो-कुछ लेना पड़ेगा उसे कोई बुरा नहीं कहेगा; और अगर कहे भी तो हम उसे सहन कर लें। अपना कर्त्तव्य करते हुए यदि फल न दिखाई दे तो उसकी चिन्ता क्यों करें?

चारों ओर बहनें जो काम कर रही हैं, उसकी कीमत इस समय कोई नहीं आँक सकता, किन्तु पूरी दुनिया इस कामको देख रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३११०) की फोटो-नकलसे।

१०३. पत्र : वसुमती पण्डितको

११ जनवरी, १९३१

चि० वसुमती,

जिसने कातनेका व्रत नहीं लिया है, उसका रोज नियमपूर्वक कातना न कातना उसकी वृत्तिपर निर्भर करता है। सभीके लिए कोई एक ही नियम निश्चित नहीं किया जा सकता।

ज्वार-बाजरेका मैंने जो वितान ताना था, उसके टूट गिरनेकी बात तो सुन ही ली होगी। इसलिए यहाँ ज्यादा नहीं लिखता। कभी अवसर मिला तो उस ओर फिर प्रयत्न करूँगा। किन्तु शायद पाचन-शक्ति ऐसे प्रयोग सहन करने लायक न रही हो। चिन्ताका तनिक भी कारण नहीं है। अभी तो फिलहाल वजन कम ही हुआ है। ९६ है। किन्तु दूध-दही फिर शुरू किया है इसलिए शायद वजन फिर बढ़ जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३१७) की फोटो-नकलसे।

१०४. पत्र : सुशीला गांधीको

११ जनवरी, १९३१

चि० सुशीला,

तुम्हारा पत्र मिला। सबसे मिल लिया, यह अच्छा किया। सुरेन्द्र अस्वस्थ रहता था; क्या वह अब ठीक हो गया है? सीताके बारेमें कुछ लिखा नहीं है, इससे मान लेता हूँ कि उसका शरीर स्वस्थ हो रहा होगा। उसे फल देनेमें कंजूसी न करना। स्वास्थ्य बिगड़ना नहीं चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७८२) की फोटो-नकलसे।

१०५. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

यरवदा मन्दिर
११ जनवरी, १९३१

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। एक समय था, जब मैं बता सकता था कि 'गीता'का मेरा सबसे प्रिय श्लोक कौन-सा है। 'मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय'[1] इत्यादि। आज निश्चित रूपसे नही कह सकता। जिस समय जैसी मनोवृत्ति होती है, उसीके अनुसार अलग-अलग श्लोक प्रिय लगता है। यह निश्चित करनेमें अब रस नही आता। मुझे तो सारी 'गीता' प्रिय लगती है। वह माता है। किसी बच्चेसे कोई यह प्रश्न पूछे कि माताकी कौन-सी बात उसे सबसे अधिक प्रिय है, तो ऐसे प्रश्नमें कोई तथ्य नही। 'गीता'के सम्बन्धमें मेरी स्थिति ऐसी ही समझना।

यहाँ सर्दी दो-तीन दिन पड़ी। अब वैसी नही रही। शायद चारों तरफ दीवार है, इसलिए। हम दोनों[2] सोते तो आकाशके नीचे हैं।

काशिनाथने आश्रम छोड़ दिया, इसलिए क्या वे हिन्दी नही सिखा सकते?

धर्मकुमारकी खाँसीका इलाज तुरन्त होना चाहिए। इसी तरह नयनका। कमलाबहनकी मुझे याद है। उसे मेरा आशीर्वाद भेजना। धीरूके बारेमें समझ गया।

रोलाँके लिए प्रार्थना करना ठीक था।[3] मेरे साथके सम्बन्धका विचार न किया जाये तो भी उनके हृदयकी स्वच्छता बहुत आकर्षक लगती है।

तेरे गलेमें अभी भी कुछ खराबी है, उसे दूर करनेकी कोशिश करना। सरोजिनीदेवीकी गाड़ी कैसी चलती है? शीला अब बीमार तो नहीं रहती है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२५१) की फोटो-नकलसे।

१. गीता, अध्याय २, श्लोक १४।
२. काका कालेलकर जेलमें गांधीजीके साथ थे।
३. रोमां रोलाँकी बीमारीका समाचार मिलनेपर आश्रममें प्रार्थना की गई थी।

१०६. पत्र : महालक्ष्मी माधवदास ठक्करको

११ जनवरी, १९३१

चि० महालक्ष्मी,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। धीरज और उत्साहके साथ सेवा करनेका परिणाम अच्छा हुए बिना नही रह सकता। शराब पीनेवालोंके पर्याप्त सम्पर्कमें आने, उनके सुख-दु:खमें भाग लेनेसे उनका जीवन बदल जायेगा और वे स्वयं अपने-अपने समाजमें काम करने लगेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६८१०) की फोटो-नकलसे।

१०७. पत्र : रावजीभाई नाथाभाई पटेलको

यरवदा मन्दिर
११ जनवरी, १९३१

चि० रावजीभाई,

तुम्हारा दमा अब तो चला ही गया होगा। जब-जब बने, सूर्य-स्नान करना। डाहीबहन और शिरीनबहनका बन्दी बनाया जाना तो अच्छा ही हुआ। डाहीबहनके स्वास्थ्यके बारेमें जरा चिन्ता रहती है; जहाँ ईश्वर चिन्ता करनेवाला बैठा है, वहाँ हमें किस बातकी चिन्ता करनी है, यह विचार करके तुरन्त स्थिर हो जाता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ८९९०) की फोटो-नकलसे।

१०८. पत्र : महावीर गिरिको

यरवदा मन्दिर,
११ जनवरी, १९३१

चि० महावीर,

बिना काकरके पीजनपर धुनाई करनेके आधारपर ताँतकी मुठियाके प्रहारोको सहन करनेके विषयमें तुम्हारा निष्कर्ष ठीक है। यदि हम मृत्युका भय छोड़ दें तो हम बहुत बड़ी प्रगति कर ले। पालनपुरमे तुम्हारे रहने और खानेका क्या प्रबन्ध है? साथी कौन-कौन लोग है? सभी समाचार देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२२५)की फोटो-नकलसे।

१०९. पत्र : तेहमीना पालनजी जोशीको

११ जनवरी, १९३१

प्रियबहन,

तुम बहुत लोभी लगती हो। मैं यहाँसे लम्बी चिट्ठी कैसे लिख सकता हूँ? तुम लम्बे पत्र लिख सकती हो। मैं अगर पक्षियोंके साथ अपने सम्भाषण और तारोंसे अपनी बातचीत लिखूँ तो पत्र जरूर लम्बे हो सकते है। किन्तु पक्षियोंके साथका सम्भाषण आदमियोमें किस तरह जाहिर किया जा सकता है, और तारोसे की गई बातचीत तो गोपनीय ही कही जायेगी। इसलिए मुझसे छोटे पत्र पाकर मुझे लम्बे पत्र लिखे बिना गति नही है। सम्भव है, तुम्हारे भाषणोकी कतरनें अधिकारीगण मुझे न दें। किन्तु, तुम जो बोलती हो, सो क्या मैं जानता नही हूँ? तुम आश्रम हो आई, यह अच्छा हुआ।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ११६)की फोटो-नकलसे।

११०. पत्र : मीराबहनको

७/१२ जनवरी, १९३१

चि० मीरा,

यद्यपि हमेशाकी तरह अभी तक आश्रमकी डाक नहीं मिली है, फिर भी समयकी तंगी न हो, इस विचारसे मैं चिट्ठियाँ लिखना अभी शुरू कर देता हूँ। यह लो चौथा श्लोक :[1]

"समुद्र जिसके वस्त्र हैं, पर्वत जिसके स्तनमण्डल हैं और विष्णु (पालनकर्ता) जिसका स्वामी है, ऐसी हे पृथ्वी माता, तुझे मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे पैर तुझे छूते हैं, मेरे इस अपराधको क्षमा कर।"

पृथ्वीको नमस्कार करके हम पृथ्वीकी तरह ही नम्र बनना सीखते हैं या हमें सीखना चाहिए। जो प्राणी उसे रौंदते हैं, उनका भी वह पालन करती है। इसलिए वह विष्णुकी पत्नी होने योग्य ही है। मेरी रायमें यह कल्पना सत्यके विरुद्ध नहीं है, बल्कि वह सुन्दर है और ईश्वरकी सर्वव्यापकताके विचारसे पूरी तरह संगत है। उसके लिए कोई वस्तु जड़ नहीं है। हम तो मिट्टीके ही बने हुए हैं। मिट्टी न हो तो हम भी न हों। मैं ईश्वरको पृथ्वीके द्वारा अनुभव करके ईश्वरके साथ अधिक निकटता अनुभव करता हूँ। पृथ्वीको नमस्कार करते हुए मैं तत्काल ईश्वरके प्रति अपने ऋणी होनेका अनुभव करता हूँ। और अगर मैं उस माताका सपूत हूँ, तो मैं तुरन्त अपनेको मिट्टी बना लूँ और न केवल छोटेसे-छोटे मानव प्राणियोंके साथ ही, बल्कि सृष्टिके निम्नतम जीवोंके साथ भी आत्मीयता स्थापित करनेमें खुशी मानूँ क्योंकि मिट्टीमें मिल जानेकी जो उनकी गति है, वही गति मेरी भी होगी। और अगर इस भौतिक शरीरके बिना केवल जीवका विचार किया जाये, तो मैं अपनेको अविनाशी समझता हूँ; सृष्टिका निम्नतम प्राणी ठीक उतना ही अविनाशी है, जितनी कि मेरी आत्मा है!

अतिसारका यह दौरा मेरे लिये निश्चित रूपसे ईश्वरीय कृपा है। इससे मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ और न मेरा काम रुका। तथापि इसने मुझे कुछ पाठ पढ़ा दिये हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं खानेमें लालच किया करता हूँ। बाजरा और ज्वार मेरे लिये नये खाद्य हैं। मुझे बहुत थोड़ी मात्रामें उन्हें लेना चाहिए था और बीच-बीचमें छोड़ भी देना चाहिए था। जाहिर है कि मेरे लिए रोज एक भाकरी भी बहुत अधिक थी। लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि वजनकी कमी जल्दीसे पूरी कर लूँगा। मैं जी-भरकर खाना तो जानता ही नहीं हूँ, अपनी मर्यादाके भीतर मैं चाहे कितना भी खा लूँ। मैं हमेशा खाली पेट उठता

१. सुबहकी प्रार्थनाका; देखिए "पत्र : मीराबहनको", २०-१२-१९३० भी।

हूँ। इसलिए भूल हो जानेके बाद मैं उसे समझ पाता हूँ। दूसरी बात यह है कि करीब-करीब हर चीज मेरे लिये स्वादिष्ट होती है। मैंने बाजरा और ज्वार लेना कैदी भाइयोके साथ पर्याप्त एकताका अनुभव करनेके लिए शुरू किया था। लेकिन मुझे ये भाकरियाँ निश्चित रूपसे स्वादिष्ट लगी। ऐसे मिश्र संयोगोमें सयम रख सकना तो दूर, कम खाना भी कठिन कार्य है। ऐसा जान पड़ता है कि हलके बदनवाले लोगोके लिए भी कभी-कभी और कमसे-कम महीनेमें एक बार उपवास कर लेना अच्छी चीज है। परन्तु जिसे कठिन समय कहा जा सके, मालूम होता है उसपर मैंने काबू पा लिया है। मैं इस प्रयोगको बिलकुल तो बन्द नही कर रहा हूँ, परन्तु जैसी जरूरत लगेगी, उसके अनुसार समय-समयपर उसमें वैसा सशोधन कर लूंगा। तुम जानती हो कि मैंने कल दही लिया था। ग्यारह बजे तबीयत बिलकुल अच्छी जान पड़ी, इसलिए मैंने दो-चार भुने हुए बादाम बारीक पीस कर और द्राक्ष भिगोकर लिये। आज (बुधवार)की स्थिति यह है। यह पत्र ६ दिन बाद डाकमें निकलेगा। आगेकी घटनाएँ तुम्हें इस पत्रसे या सत्रके नाम लिखे पत्रसे मालूम हो जायेंगी। इतनी तफसील इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हे और दूसरे लोगोको निश्चिन्तता हो जाये। यह जानकर कि मेरे स्वास्थ्यमें जरा सी गड़बड़ होनेपर तुम सब लोग चिन्तामे पड़ जाते हो, मुझे उस गड़बडमे भी ज्यादा इसकी चिन्ता हो जाती है। मेरे लिए भोजनके प्रयोग कतई छोड़ देना बहुत बुरा होगा। यह मेरी खोजका एक अग है। परन्तु बुराई प्रयोगमें नही है, बुराई मेरे अन्दर है। मैंने भोजनको शुद्ध और सादे रूपमें दवाके तौरपर लेनेकी कला नही सीखी। इसका अर्थ होता है, जिह्वापर सम्पूर्ण विजय। अभी मैं इमसे बहुत दूर हूँ। मेरा विश्वास है कि मुझे यदि यह विजय प्राप्त हो जाये, तो दूध छोड़ देनेका काम आसान हो जायेगा। मुझे इसमें जरा भी शका नही है कि दूध स्वस्थ मनुष्यका खाद्य नही है। जब मैं तन्दुरस्त था तब [एकबार] दूधके बिना छ: साल तक रहा हूँ। अपना वह स्वास्थ्य मैंने अपनी बेवकूफीसे खो दिया। उस मूर्खताका परिमार्जन करनेके लिए मैंने अपने प्राण देनेके बजाय दूध लेना शुरू कर दिया और सदा आशा रखी कि लड़-झगड़कर फिर इससे पिण्ड छुड़ा लूंगा। यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए। हर बार पराजय मुझे नम्र बनाती है, शुद्ध करती है और नये-नये दृष्टिकोण उपस्थित करती है। पराजयसे लड़ाई करनेकी प्रेरणा और भी तीव्र होती है। उसके जारी रहनेसे शान्ति मिलती है। सिविल-सर्जन कर्नल स्टील, जो हर पखवाड़े मुझे देखने आते है, और मेजर मार्टिन आज ही आये थे। उन्होने पहली बात यह कही कि मैं विशेष रूपसे अच्छा दिखाई दे रहा हूँ। और यह भी लगभग तीन दिनके उपवासके बाद। उनका कहना सही था। इस संकटके कारण मेरी तबीयत पहलेसे खराब नही हुई। इसलिए और वैसे भी किसी बातकी चिन्ता न करना।

१२ जनवरी, १९३१

पत्रको जहाँ मैंने ७ तारीखको छोड़ा था, वहीसे लेता हूँ। मेरी तबीयत बिलकुल अच्छी मालूम होती है। दस्त फिर बिलकुल नियमित होने लगा है। मेरा भोजन

सुबह पानीमें घोली हुई बादामकी लुगदी और खजूर, दोपहरको दही और खजूर और शामको घोली हुई बादामकी लुगदी और खजूर है। साढ़े सात बजे सुबह गरम पानी, नीबू और नमक और डेढ़ बजे दोपहरको ठण्डा पानी, नीबू और सोडा लेता हूँ। यदि सब-कुछ ठीक रहा और अतिसारका विकार दूर हुआ तो मैं शायद सब्जी लेने लगूँ। इस बारेमें भी कोई नई खबर देनेको नहीं है। सावधान, स्वास्थ्यकी इन गड़बड़ोंके बारेमें कोई बात प्रकाशित न करना क्योंकि जनता उन्हें बढा-चढ़ाकर समझ लेगी, अनावश्यक घबराहट पैदा होगी और सरकारपर अनुचित दोषारोपण होगा। कमसे-कम इस मामलेमें उसे कुछ भी दोष नहीं दिया जा सकता।

तुम्हारा पत्र और पोस्टकार्ड मिल गये। ईश्वरको धन्यवाद देना चाहिए कि रोलाँ[1] खतरेसे बाहर हो गये। अभी संसारको उनकी बहुत वर्षो तक जरूरत है। जहाँतक हमें दिखाई देता है, उनका काम पूरा नहीं हुआ है। उन्हें मेरा सस्नेह अभिवादन लिखना और कहना कि उन्हें थोड़े समय तक जरूर बने रहना चाहिए। उनके स्वास्थ्य लाभके लिए तुमने जो प्रार्थना की — उसे प्रेमाबहनने[2] मुझे बताया है। मै नहीं जानता कि जिनके लिए प्रार्थना की जाती है, उनके जीवनकालमें ऐसी प्रार्थनाओंसे एक पल की भी वृद्धि होती है या नहीं। लेकिन उनसे वे व्यक्ति ऊँचा उठते हैं जो प्रार्थना करते हैं और जिनके लिए प्रार्थनाएँ की जाती है, उन लोगोके मनको शान्ति मिलती है। आराम होनेसे जीवनकी वृद्धि दिखाई देती है।

भूमिकाका[3] अनुवाद मैंने दो दिन पहले ही समाप्त कर दिया और अभी कोई और काम हाथमें नही लिया है। लेकिन मूल योजनाको हाथमें लेनेकी बात जी में आती है। आश्रमकी डाक पूरी करनेके बाद, सम्भव है, कल कोई निश्चय कर लूँ।

समाचार-पत्रिका हाथमें लेनेके बाद, यदि बिना झंझटके बन पड़े तो तुम सम्पादकका वैध पद छोड़ दो। कोई सेवा हाथमें न लेना बुद्धिमानीका काम है; लेकिन लेनेके बाद जबतक कि वह साफ अनैतिक न दिखाई दे, उसे छोड़ देना मूर्खता है। धर्माचरणका सामान्य सिद्धान्त ऐसा है। उसके किसी विशेष प्रयोगके बारेमें केवल तुम और अन्य लोग जो बाहर हैं, निर्णायक हैं। गोपनीयताके बारेमें तुम्हारे प्रकट किये हुए विचारोंमें कुछ गड़बड़ मालूम होती है। अगर कोई कसाई मुझसे पूछे कि गाय किधर गई है, तो उसे बता देना हरगिज मेरा धर्म नही है। मै उसे गलत रास्ता भी न बताऊँ और न यह बताऊँ कि गाय कहाँ गई। इतना ही नही, मैं गायको छिपा भी सकता हूँ। ऐसा करना सचमुच मेरा धर्म होगा। इस दृष्टान्तसे हम परिस्थितिके अनुसार अपना आचरण निश्चित कर सकते हैं।

सस्नेह,

बापू

१. रोमाँ रोलाँ।
२. प्रेमाबहन कंटक।
३. अनासक्तियोग; देखिए खण्ड ४१।

[पुनश्च :]

तोतारामजीके बागवानीके प्रेमका तुम्हारा वर्णन मनोहर है। मैं चाहता हूँ कि कुछ नौजवान उनसे यह कला सीख लें। तुम्हें नारणदाससे इसकी चर्चा करनी चाहिए।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४२८); सौजन्य: मीराबहन; तथा जी० एन० ९६६२से भी।

१११. पत्र : जमना नारणदास गांधीको

१२ जनवरी, १९३१

चि० जमना,

अच्छा हुआ तुम आ गई। पर बम्बईमें हुए लाभको आश्रममें खो नहीं देना। यदि लगे कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो बम्बईमें पढ़ते रहनेमें कोई अड़चन नहीं मानना। ठीक तरहसे सोचें तो सभी प्रकारकी जलवायु हमें माफिक आये, इस तरह रहनेकी कला आनी चाहिए। किन्तु वह माफिक न आये तो जहाँ शरीर ठीक रहे और जहाँ सहज जा सकते हो तो वहाँ जाना ही ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८४६)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

११२. पत्र : प्रभावतीको

यरवदा मन्दिर
१२ जनवरी, १९३१

चि० प्रभावती,

तुम्हारा अभी-अभीका पत्र तो मिला, पर उससे पहलेवाला नहीं मिला। पता लगा रहा हूँ। सयुक्त प्रान्तमे रहना जरूरी लगे तो खुशीसे रहो। ब्रजकिशोर बाबूका स्वास्थ्य कैसा था? उनके खाने-पीनेका क्या प्रबन्ध किया है? मुझे ब्योरेवार समाचार लिखना। स्वरूपरानीसे[1] कहना कि हिम्मत न छोड़ें। स्वरूप[2] और कृष्णाको[3] मेरा आशीर्वाद। जयप्रकाश कहाँ है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३९४) की फोटो-नकलसे।

१. मोतीलाल नेहरूकी पत्नी।
२. विजयलक्ष्मी पण्डित।
३. कृष्णा हठीसिंह।

११३. पत्र : प्रभावतीको

यरवदा मन्दिर
१२ जनवरी, १९३१

चि० प्रभावती,

यह पत्र तुम्हें लिखनेकी खातिर ही लिख रहा हूँ। बहुत करके तो यह पत्र तुम्हें आश्रममें ही मिलेगा। मेरे पहले पोस्टकार्ड मिल गये होंगे। मेरी तबीयत ठीक ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४१०)की फोटो-नकलसे।

११४. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

यरवदा मन्दिर
१२ [जनवरी][1], १९३१

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा पो० कार्ड मिला। अगलापत्र तो नहिं मिला है। तुम कब छुटे? कौन कौन छुटे? शरीर कैसा है? दा० अनसारीका कैसे है? अब क्या करते हो?

हम दोनों अच्छे है।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २३८७ की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजीने पत्रमें १२-१२-१९३१ की तारीख दी है जो सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उस दिन गांधीजी रोममें थे। पत्रमें ब्रजकृष्ण चाँदीवालाके जेलसे छूटनेके जिक्रसे यह लगता है कि यह जनवरीमें लिखा गया होगा।

११५. पत्र : नारणदास गांधीको

सोमप्रभात, १२, जनवरी १९३१

चि० नारणदास,

इस बार मैं तुम्हारे पत्रका उत्तर सबसे आखिरमें लिख रहा हूँ। सांझकी प्रार्थनाके बादसे लिखना शुरू किया। मेरे पोस्टकार्ड तुम्हें शनिवारतक मिले होंगे। उसके बादसे तबीयत अच्छी ही रही है। मैंने मीराबहनके पत्रमें ज्यादा विस्तारसे लिखा है, उसे पढ़ जाना।[1] उस पत्रमें और भी बहुत-कुछ जानने योग्य है। मेरी तबीयतकी बाहर कोई चर्चा न हो, यह अभीष्ट है।

तुम्हारे नोटमें महादेवका नाम होनेके बावजूद मैं समझता हूँ कि चन्द्रशंकरकी लिखावट महादेव जैसी ही होनेके कारण महादेवके पत्रका भ्रम हो गया। क्या सचमुच महादेवकी ओरसे उसकी ही लिखावटमें कोई पत्र था और यदि था तो उसमें क्या लिखा हुआ था? दुर्गाको तो मालूम होगा ही। दुर्गाकी तबीयतके बारेमें मुझे कोई खास पत्र नहीं मिला, इससे मैं मान लेता हूँ कि वह ठीक चल रही है। मेरे सुझाव तो तुम्हें मिल ही गये होंगे। चम्पाको खोई हुई अँगूठी मिल गई है; यह सब तो चमत्कार-जैसा जान पड़ता है। मूर्ख लोगोंकी ईश्वर इसी तरहसे रक्षा करता होगा। चम्पाके पत्रमें लिखा था कि सम्भवत: वे सब कुछ समय राजकोट रह कर आयें और यह भी लिखा था कि राजकोट जानेकी सलाह नानालालकी पत्नीने दी है। यदि इस तरह रहकर लौट आना चाहे तो मुझे यह सुझाव ठीक लगता है। तुमने तो स्वतन्त्र रूपमें विचार करके तुम्हें जो उचित लगा, सो किया होगा अथवा करोगे। परसरामको मदद देनेके सम्बन्धमें मैंने कभी कुछ सलाह दी हो, ऐसा याद नहीं पडता। लेकिन यदि उसका काम खरा और स्वच्छ हो तो मैं निश्चय ही उसकी मदद करना चाहूँगा। कुछ करनेसे पहले भाई शंकरलालकी सलाह लेना और उसके अनुरूप आचरण करना। पोलककी ओरसे आई हुई डिबिया यहाँ भेजी जा सकती है। यदि वह बहुत सँजोकर रखने लायक हो, तब तो तुम उसे अपने पास ही रख लेना अथवा गुजरात विद्यापीठ संग्रहालयमें भेज देना। यदि वहाँ भेजने लायक न हो तो त्रिवेदीके हाथ उसे भेज सकते हो। ठेठ कैनेडासे एक बहनने मुझे दो-एक सेरकी नमककी थैली भेजी थी। अधिकारियोंने वह थैली मुझे दे दी थी।

कुसुमके उपचारमें बहुत सावधानीसे काम लेना और उसका बुखार दूर करना। डाक्टरको दिखाना उचित हो तो दिखाना। चन्द्रशेखरने एक पंजाबी वैद्यका पता लगाया है। उसके पाससे तुम्हें कोई सामान्य दवा मिल सकती है। यदि तुम ठीक समझो तो उसकी खोज-खबर लेना।

१. देखिए "पत्र : मीराबहनको", ७/१२-१-१९३१।

भगवानजीको एकान्तमें बिठाकर उनकी त्रुटियोंके बारेमें बताना।

आज तुम्हें इतना ही लिखकर छोड़ता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेरे प्रयोगोंमें से दो बातें उभर कर सामने आती हैं; कदाचित् तीन भी हो सकती हैं। एक तो आजमायी हुई है और दो को अभी और आजमाया जाना चाहिए। जिन लोगोंको कब्ज रहता हो, उन्हें थोड़े दिन केवल मेथी, चौलाई, टाँका और पालक ही खानी चाहिए। मेरा कब्ज इसीसे दूर हुआ है। प्यारेलालको भी कब्जकी शिकायत नही रही, ऐसा जान पड़ता है। आज चार दिनोसे वह मेथीकी भाजी ले रहा है। बादामको पकानेकी मैंने जो विधि बताई है, वह पौष्टिक होने पर भी दूधके दोषसे रहित है अर्थात् उससे कब्ज नही होता। जिन लोगोको ज्वार और बाजरेकी रोटीकी आदत नहीं है, जान पड़ता है उनके लिए वह रेचक हो जाते है। साथ घी नहीं लेना चाहिए। साग भी उबला हुआ हो। लेकिन ज्वार-बाजरेका प्रयोग सफल हुआ, ऐसा नहीं कह सकता। फिर भी मै अपने प्रयोगोको एकदम निष्फल भी नहीं मानता। इस समय मैंने इसे स्थगित कर दिया है, वह भी इस भयसे कि कहीं बाहरके लोग चिन्तित न हो उठें।[1]

[पुनश्च :]

पत्र ८३ हैं।

गुजराती एम० एम० यू० – १ से।

११६. पत्र : वियोगी हरिको

१३ जनवरी, १९३१

भाई वियोगी हरि,

आपका पत्र और पुस्तकें मिले है। मैंने पाँच दस मिनिट दिये भी सही। और समय कहांसे काढुं? हमारे मिलनेका स्मरण मुझे है।

आपका

मोहनदास

जी० एन० १०७९की फोटो-नकलसे।

१. इसके बाद दिये गीता-प्रवचनके दसवें अध्यायके पाठके लिए देखिए खण्ड ४९ "गीता पत्रावली", २१-२-१९३२।

११७. पत्र : प्रभावतीको

१४ जनवरी, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरा लम्बा पत्र मिल गया है। तुम अपनी इच्छासे रुक गई हो तो फिर क्या लिखूँ। मुझे तो यह जरा भी अच्छा नहीं लगा। घरमें तो एकके बाद एक काम निकलता ही रहता है। मुझे डर इसीका है कि वहाँ जितना रुकना पड़ेगा, उतना ज्यादा समय तुझे ठीक होनेमें लगेगा। किरायेके लिए पैसा कहाँसे लिया था? जब ऐसी कोई कठिनाई हो तो तू आश्रमसे पैसा मँगा सकती है। मेरी बेटी आश्रमकी बेटी हुई, इसलिए तुझे आश्रमसे पैसे लेनेका अधिकार है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३९५)की फोटो-नकलसे।

११८. पत्र : प्रेमलीला ठाकरसीको

यरवदा मन्दिर
१४ जनवरी, १९३१

प्रिय बहन,

आपका भेजा हुआ खजूरका प्रसाद मिल गया है। मेरे पास तो जरूरतसे ज्यादा भण्डार इकट्ठा हो गया है। भाई जेराजाणीके भेजे हुए खजूर ही अभीतक चल रहे हैं। क्या कपासकी तरह इसका भी हिसाब न रखें? जब माँगूँ तभी भेजें। मुझे चार-एक दिनोंके बाद रुईकी जरूरत पड़ेगी; इसलिए सुविधानुसार चार रतल भेजें।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४८१९)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : प्रेमलीला ठाकरसी

११९. पत्र : छगनलाल जोशीको

सुबहकी प्रार्थनाके पश्चात्, १५ जनवरी, १९३१

चि० छगनलाल,

भाई . . .का[1] पत्र भेजकर ठीक किया है। वह भी लिख सकता है। वह काकासाहबके साथ सारी बात कर ले, यह ठीक ही है।

मैं जहाँतक समझ पाया हूँ, वहाँतक मेरी राय है कि . . .को[2] स्वतन्त्रता दे देनी चाहिए। सम्भव है कि वह दूसरा विवाह न करे। पर उसे मनही-मन अपना स्वतन्त्र हो जाना अच्छा लगेगा। यदि अब भी वह व्यभिचारमें पड़ी हो तो दूसरी ऐसी स्त्रियोंकी तरह . . .[3] इसे भी शुद्ध नही बना सकता। वह तो अपने शुद्ध व्यवहारका जो असर समाजपर पड़ता हो सो पड़ने दे। 'वह मेरी है,' मनसे ऐसा विचार निकाल देना चाहिए। और यदि दो विवाहोंका सच्चा पश्चात्ताप हुआ हो तो . . .के[4] प्रति केवल मित्रभाव रखना ही ठीक होगा। किन्तु इस बातमें जबरदस्ती नही हो सकती। ऐसा न हो सके तो नम्रभावसे . . .के[5] साथ पतिकी तरह रहकर जितना संयम पालन सीख सके, उतना सीखे। इसमें बहुतसे दूसरे प्रश्न भी उठते हैं; उनकी चर्चा मैं नही करना चाहता।

तुम्हारे पत्रमें छावनियोंके बारेमें जो टीका है, वह एक दुःखद कथा है। सत्य और अहिंसाने समाजमें घर नहीं किया। अभी इन्हें युक्तिके तौर पर ही स्वीकार किया गया है। इसलिए सेवकोंको भी यह स्पष्ट समझमें नही आया कि सामाजिक सत्य और अहिंसाके मूलमें तो व्यक्तिगत सत्य और अहिंसा अर्थात् आत्मशुद्धि है ही। इस बातको अमलमें लाकर स्पष्ट समझानेके लिए आश्रमकी स्थापना की गई है। चाहे जैसा कलुषित वातावरण क्यों न हो, हमारा धर्म तो उसमें अलिप्त रहकर सेवा करना है। इसमें बहनें भी शामिल हैं। जिस तरह कोई भी वातावरण खुर्शेदबहनको पराजित नहीं कर सकता, उसी तरह हमारी स्त्रियोंकी स्थिति होनी चाहिए। यह सच है कि अभीतक हम इस स्थितितक नही पहुँच पाये हैं। हम कितने पानीमें हैं, यह मालूम करनेका स्वर्ण अवसर अपने-आप आ गया है। हो सकता है कि इसमें कुछ भाई-बहनोंको झुलसना पड़े। ऐसा होना हो, तो हो। यदि आश्रममें हमारा प्रयत्न एकदम शुद्ध होगा तो हमारा ईश्वर हमें उबार लेगा। इस मौकेपर कछुए और कछुईका भजन विचारणीय है।

तुम्हारे पत्रका दूसरा अंश भी मजेदार है। उसके बारेमें क्या लिखूं? शरीरका ध्यान रखते हुए जितना पुरुषार्थ कर सको, उतना करना। शरीरका ध्यान तो

१ से ५. नाम यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं।

रखना ही है। बलिदान करना है इसलिए बलि चढ़नेवाली वस्तुकी उपेक्षा नही करनी है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४९८)की फोटो-नकलसे।

१२०. पत्र : रावजीभाई नाथाभाई पटेलको

यरवदा मन्दिर,
१५ जनवरी, १९३१

चि० रावजीभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। दर्दका उठते ही उपाय करना। नाक डाक्टरको दिखाकर ठीक इलाज तो कराया ही होगा। फादर एल्विनका लेख पढ़ा था। डाहीबहन और शिरीनबहन गई यह सुनकर खुशी हुई। सेडाकी . . .[1] शादीके बारेमें मेरी तो शिकायत थी ही। अब यह शिकायत खतम हो जाये तो बहुत अच्छा हो। खेड़ा जो त्याग कर रहा है, सो तो चलता ही रहेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ८९९१)की फोटो-नकलसे

१२१. पत्र : मणिबहन पटेलको

यरवदा मन्दिर
१५ जनवरी, १९३१

चि० मणि,

सरदारके बारेमें तेरा पत्र मिला। हरिलालको तो हम जानते ही हैं। बापूको अब दांतोंके इलाजके लिए कबतक ठहरना पड़ेगा? वहाँ[2] मच्छरोंका कष्ट होनेपर भी दांतोंका निबटारा हो जाये तो यह वांछनीय ही है। मैं मानता हूँ कि जबतक उनके डाक्टरके पास जानेकी जरूरत है तबतक तो तू वहीं[3] रहेगी। हम दोनों[4] मजेमें हैं।

बापूके आशीर्वाद

१. यहाँ एक शब्द स्पष्ट नहीं है।

२. आर्थर रोड जेलमें।

३. बम्बई।

४. गांधीजी और द० बा० कालेलकर हालाँकि गांधीजीके साथ प्यारेलालजी थे। देखिए "पत्र : कुसुम देसाईको", १९-१-१९३१।

[पुनश्च :]

सुमित्रा[1] कैसी है? क्या यशोदा अब चलने-फिरने लगी है? विट्ठलभाई क्या वहीं रहेंगे?

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने

१२२. पत्र : राधाकृष्ण बजाजको

यरवदा मन्दिर
१५ जनवरी, १९३१

चि० राधाकृष्ण,

छोटेलालजीको कागज लिखनेकी इजाजत मिले तो लिखनेको कहो। शायद [धारा] १६० में वह भी छूट गये? आवश्यक रेशमका अर्थ खद्दरमें किनार इ० मे चाहीये वह या ऐसा कोई हिस्सा जिसके सिवाय खद्दर भी न बिकी जाय। सिध्धांतका प्रश्न हल होनेसे बाकीके बारेमें संजोगके अनुकुल किया जा सकता है।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ३०३७ की फोटो-नकलसे।

१२३. पत्र : आर० वी० मार्टिनको

यरवदा सेन्ट्रल जेल
१६ जनवरी, १९३१

प्रिय मेजर मार्टिन,[2]

मुलाकातोंके सम्बन्धमें आपकी बातचीतके सिलसिलेमें मुझे खेद है कि जो रुख मैंने शुरूमें अपनाया था, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। मैं तो केवल वही रुख अपना सकता हूँ। बरसोंसे मैंने सगे-सम्बन्धियों और अन्य लोगोंके बीचका भेद मिटा दिया है। ऐसे मित्र और आश्रमवासी हैं जो शायद मेरे लिये सगे रिश्तेदारोंसे बढ़कर हैं। लेकिन मैंने सरकारकी स्थितिको समझनेकी कोशिश की है और इसलिए ऐसे सम्भाव्य मित्रोंकी एक सूची[3] भेज दी थी जिन्हें मुझसे उन्हीं शर्तोंपर मिलनेकी इजाजत दी जानी चाहिए जिनपर सगे और कुटुम्बीजनोंको दी जाती है। मैंने इस सूचीमें किसी

१. डॉ० कानूगाकी पुत्री।
२. यरवदा सेन्ट्रल जेल पूनाके, जेल सुपरिंटेंडेंट।
३. देखिए खण्ड ४४, पृ० ११-१३।

भी प्रख्यात राजनैतिक नेताका नाम नहीं लिखा है। मैंने यह भी सुझाव रखा था कि यदि उसमें किसी विशेष नामपर सरकारको आपत्ति हो तो मुझे उसकी सूचना दे दी जानी चाहिए। इससे अधिक न तब कुछ कर सकता था और न अब कर सकता हूँ।

आपका इत्यादि,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १९९८५) की फोटो-नकलसे।

१२४. पत्र : आर० वी० मार्टिनको

यरवदा सेन्ट्रल जेल
१६ जनवरी, १९३१

प्रिय मेजर मार्टिन,

जैसा कि आपको मालूम है, 'मॉडर्न रिव्यू' के बाबू रामानन्द चटर्जीने मुझे पत्र लिखा है, जिसमें मुझसे कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरको उनके आगामी ७१ वे जन्म-दिवस पर भेंट की जानेवाली एक अभिनन्दन पुस्तिका, 'गोल्डन बुक' के[1] लिए एक अपीलपर हस्ताक्षर करनेको कहा है। अपीलपर अन्य लोगोंके साथ सर जगदीशचन्द्र बसु, रोमाँ रोलाँ और आइन्स्टाइनने हस्ताक्षर किये हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं उनके इस अनुरोधको स्वीकार करना चाहूँगा। यदि आपको ऐसा लगे कि मुझे अनुमति देनेका आपको अधिकार नहीं है तो क्या आप कृपया इस मामलेमें सरकारकी इच्छा मालूम करेंगे। मैं इसका जवाब जल्दी चाहूँगा।[2]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १९९८६) की फोटो-नकलसे।

१. गोल्डन बुक ऑफ टैगोर, १९३१।

२. गांधीजीको यह अनुमति २६ जनवरीको अपनी रिहाईके दिन मिली थी। इस पत्रपर अधिकारियों द्वारा दी गई टिप्पणियाँ बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स से उद्धृत की जा रही हैं :

उन्हें इस अपीलपर हस्ताक्षर करनेकी इजाजत न देनेका मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता। इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। वे और ठाकुर बहुत पुराने मित्र हैं। हॉटसन, २२-१

"आवश्यक हुक्मके लिए जेलोंके अधीक्षकके पास भेजी जाये। जी० सी०, २२-१"

"कैदीको अपीलपर हस्ताक्षर करनेकी अनुमति दे दी जाये। ई० ई० डॉयल २५-१-३१"

"अपील कैदीको दे दी गई है। आर० वी० मार्टिन २६-१-३१"

गांधीजीकी श्रद्धांजलिके लिए देखिए, "गुरुदेवको श्रद्धांजलि", २६-१-१९३१।

१२५. पत्र : कुसुम देसाईको

यरवदा मन्दिर
१६ जनवरी, १९३१

चि० कुसुम (बड़ी),

पुस्तकोंके बारेमें लिख चुका हूँ। मेरे स्वास्थ्यके बारेमें चिन्ता करना ही नही। स्वास्थ्य अच्छा ही कहा जायेगा। ताराकी[1] उम्र क्या है? डायरी तो रखती ही होगी? डायरी सचाईके लिए जबर्दस्त चौकीदार है, यह मेरा और बहुतोंका अनुभव है।

चन्दूभाईके[2] अस्पतालका अब क्या हाल है? मकानके दूसरे भागका अब क्या उपयोग होता है? प्यारेलाल मजेमें है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १८१७)की फोटो-नकलसे।

१२६. पत्र : मथुरी खरेको

१६ जनवरी, १९३१

चि० मथुरी,

तुम्हारा पत्र मिला। बोचासनकी झोंपडीमें रहनेका तुम्हारा मन नही हुआ? आश्रम बननेसे पहले हम भी ऐसी ही झोंपड़ियोंमें रहते थे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २५९)से।
सौजन्य : लक्ष्मीबहन खरे

१. शंकरभाईकी विधवा पत्नी।
२. सेवाश्रम भड़ौंचके डा० चन्दूभाई देसाई।

१२७. पत्र : मूलचन्द अग्रवालको

यरवदा मन्दिर
१७ जनवरी, १९३१

भाई मुलचदजी, (मार्फत काशीरामजी)

मेरा कुछ युं हि ख्याल रहा है कि मैंने आपके पत्रका उत्तर दिया है। प्रश्न ऐसा नहिं है जिसके लिये मैं आपके लिये उत्तर लिखुं। सवेरे उठना अभ्याससे स्वाभाविक बन सकता है। सवेरे उठनेवालोको सवेरे सोना आवश्यक है। उठनेके समय शौचकी हाजत भी आस्ते आस्ते हो सकती है। जाडेके दिनोंमें थोडा व्यायाम करके स्वाध्याय कर सकते हैं। पहेली बात सवेरे उठनेकी आदत हासिल करनेकी है। यदि ऐसी छोटी बातमें हम दृढता नहिं बना सकें तो बडे कामको अंत तक पहोंचानेकी शक्ति पाना असंभव नहि तो कठिन तो है हि।

आपका,
मोहनदास

जी० एन० ८३५ की फोटो-नकलसे।

१२८. पत्र : कलावती त्रिवेदीको

१७ जनवरी, १९३१

चि० कलावती,

तुमारा खत मिला। कोई टीका करे इसकी परवा मत करो। मुखी कहे वह सुनो। सामलभाई और गंगाबहन तुम लोगोंको बचा लेना नहिं चाहते हैं। ऐसे प्रश्नना निपटारा उनके साथ बातें करके कर लो। किसी पिताको अ[पनी] पुत्रीको जबरदस्तीसे ससुरालमें भेजनेका अधिकार नहिं है।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ५२७५की फोटो-नकलसे।

१२९. पत्र : रामचन्द्र त्रिवेदीको

यरवदा मन्दिर
१७ जनवरी, १९३१

चि० रामचंद्र,

अच्छे हरफ निकालनेका खूब प्रयत्न कर रहा है मुझे अच्छा लगता है। ऐसे हि अच्छे बननेका भी प्रयत्न करते रहो।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ५२७६ की फोटो-नकलसे।

१३०. पत्र : वसुमती पण्डितको

१७ जनवरी, १९३१

चि० वसुमती,

भागकर हिमालय चले जाना तो कायरता है। मान-अपमानको एक-सा माननेका उपदेश तो 'गीता' के पन्ने-पन्नेपर है। कोई चाहे कुछ कहे, उसका दुख नही मानें। अन्तरात्मा जो-कुछ कहे, उसीपर विचार करना चाहिए। किन्तु मैं तो यह जानता हूँ कि तुमने सिर्फ उद्गार ही व्यक्त किये हैं। तुम्हारा प्रयत्न जारी है इसलिए सब ठीक ही होगा। सुरेन्द्रकी मदद तो ठीक थी ही।

बच्चोंकी शिक्षाका काम तो बहुत महत्त्वका है। उन्हे अक्षरज्ञान देते हुए भी उनके आचार-विचारमें सुधार करना है। बाह्याचारकी तरफ भी पूरा-पूरा ध्यान दें। उनके नाखून, कान, आँख, दाँत आदिका निरीक्षण करें। मैंले हों तो शालामें ही धुलवायें। उन्हें पहाड़े खूब अच्छी तरह आने चाहिए। एक-दूसरेके साथ वे गन्दी भाषाका उपयोग करते हों, तो इस ओर भी ध्यान दें।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। प्यारेलाल भी मजेमें है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३१८)की फोटो-नकलसे।

१३१. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

' यरवदा मन्दिर
१७ जनवरी, १९३१

चि० प्रेमा,

मेरी हिम्मत कैसी जबर्दस्त है; या कहो भारतकी भाषाओंपर मेरा कितना प्रेम है! चाहे जितनी अशुद्ध हो, फिर भी मराठी तो वह थी ही न? लेकिन अभी तुझे मराठीमें पत्र लिखनेमें मुझे देर है।

तूने काफी जिम्मेदारी उठा ली है। दुर्गाके बारेमें निराश मत होना। अगर तू [उसपर प्रेम] सींचती ही रहेगी, तो यही दुर्गा पढ़नेमें रस लेने लगेगी।

वनस्पतिके बारेमें घरेलू ज्ञान तो तू तोतारामजीसे भी प्राप्त कर सकती है। आश्रमके पेड़-पौधोंकी पहचान और वे कैसे उगते हैं, उनकी उमर कितनी है, वे कब फल देते हैं—यह ज्ञान तो बच्चोंको होना ही चाहिए न? मुझे खुद तो नहीं है।

यहाँ आधी छुट्टी न होती तो मुझे सक्रान्तिके दिनका कुछ भी पता न चलता। तेरा तिलगुड़ मिला। उसने फिर स्मरण ताजा किया। हमारी संक्रान्ति तो इन दिनों रोज ही होती है, ऐसा कहा जायेगा।

नारणदासकी सम्मतिसे मेरे पत्रोंमें से जो हिस्से लोगोंको भेजने हों, भेज सकती है।

'हीरो,' यानी पूज्य, आराध्य देवता। राजनीतिमें वह स्थान गोखलेका है। सामान्य रूपमें मेरे समग्र जीवनपर जो लोग असर डाल सके हैं, वे हैं : टॉल्स्टॉय, रस्किन, थोरो और रायचन्दभाई। थोरोका नाम शायद छोड़ देना ही अधिक उपयुक्त होगा।

दुनियामें होनेवाली क्रान्तियोंका कारण महापुरुषोंका होना दिखाई देता है। किन्तु सचमुच तो उनका कारण लोग खुद ही होते हैं। क्रान्ति अकस्मात् नहीं होती। जैसे ग्रह नियमित रूपसे घूमते हैं वैसे ही क्रान्तिके बारेमें भी है। बात इतनी ही है कि हम उन नियमों और कारणोंको नहीं जानते, इसलिए वह अकस्मात् हुई, ऐसा मानते हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२५२) की फोटो-नकलसे; तथा बापुना पत्रो-५ : कु० प्रेमाबहेन कंटकने से भी।

१३२. पत्र : काशिनाथ त्रिवेदीको

१७ जनवरी, १९३१

चि० काशिनाथ,

तुम्हारे अलग रहनेमें तुम्हारी इच्छा और अधिक सुविधाओंका खयाल ही मुख्य कारण है, ऐसा मुझे लगता है। मैं नारणदासको भी पूर्ण मनुष्य नही मानता। किन्तु इसकी भूलके पीछे कुछ उद्देश्य नही होता और वह कमसे-कम भूल करता है। मैं ऐसा मानता हूँ इसीलिए उसके शासनको सहन करने योग्य मानता हूँ। तुम आश्रममें रहनेके लिए जब चाहो तब जाओ। किन्तु यदि दैनन्दिनी दिखानेमें तुम्हें कोई आपत्ति नही थी तो अब भी दिखा दो और जब आश्रममें जानेकी इच्छा हो और तुम ऐसा करनेके लिए तैयार हो तो कह देना। आश्रममें हिन्दीकी शिक्षा क्यों बन्द हुई, यह मेरी समझमें नही आया। नारणदासने मना किया है कि तुम्हीने बन्द किया है। पिताजी आ गये हैं, यह मुझे अच्छा लगा है। तुम्हारा व्यवहार तो दृढ़ होना ही चाहिए। वे चाहे जितना आग्रह करे तो भी शान्ताको तो नही भेजना चाहिए। इसके बारेमें मुझे तनिक भी शंका नही। शान्ता स्वयं जाना चाहे, तो फिर उसे रोका नही जा सकता। पर मुझे आशा है कि शान्ता वर्तमान स्थितिमें तो कभी जानेका विचार नही करेगी। वह भाई किसी दूसरी स्त्रीसे शादी कर ले, तो उसमें हमें कुछ नही कहना होगा।

माताजीका स्वास्थ्य सुधरता प्रतीत हो रहा है। वह खूराककी मर्यादाका पालन करेंगी और खुली हवाका सेवन करेंगी तो स्वास्थ्य अभी और भी अच्छा हो जायेगा।

कलावतीका जवाब ठीक लगा है। अभी तो लगता है कि वह आगे बढ़ती जा रही है।

गर्देजीको मैं जानता हूँ। तुम्हारा उद्धरण मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मुझे उसमें शान्तिपूर्ण मननसे आवेश ज्यादा लगा है। मैंने जो मेरा मन्तव्य नही है और जो मैंने कहा नही, उसका आरोपण किया है। पाण्डव, कृष्णादि ऐतिहासिक व्यक्ति नही, ऐसा मैं कुछ नही कहता। मेरा कहना तो यह है कि ये ऐतिहासिक भले ही हों किन्तु आधुनिक अर्थमें 'महाभारत' ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है। सीजर, जॉन, हेनरी आदि ऐतिहासिक राजा हुए हैं, यह हमारे जानते हुए भी शेक्सपीयरके इन नामोंमें लिखे नाटक ऐतिहासिक ग्रन्थ नही हैं। उसने ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रोंका नाटकके लिए उपयोग किया। फिर मैंने यह भी नहीं सोचा या कहा कि 'गीता' अहिंसाके प्रतिपादनके लिए लिखा हुआ ग्रन्थ है। इससे उलटा मैंने तो यह माना या कहा है कि गीता-युगमें अहिंसाके सिद्धान्तको मान्यता देते हुए भी भौतिक युद्धको धर्म समझा जाता था। किन्तु मैं यह मानता हूँ कि 'गीता' का शिक्षण

भौतिक युद्धका समर्थन नही कर सकता, भले ही 'गीता' के प्रवर्तकने इससे उलटा माना हो। भौतिक सशस्त्र युद्ध अहिंसक नही हो सकता, ऐसा मेरा अभिप्राय है। अहिंसा मानते हुए भी पशुवलि करनेकी छूट है, ऐसा पशुवलि करनेवाले भले ही कहे और वे कहते भी हैं; किन्तु पशुवलि हिंसा तो है ही। ऐसा ही शस्त्र-युद्धके बारेमें है। इसे अनिवार्य समझकर अपवाद-रूप माने, यहाँतक कि धर्म भी मानले, यह एक बात है, और उसे अहिंसा कहना दूसरी बात। गर्देजीके लेखमें विचार मुझे शिथिल और उलझे हुए लगे हैं। कैदी होनेके नाते मैं उन्हें जवाब नही दे सकता। किन्तु गर्देजीकी जानकारीके लिए तुम मेरी ओरसे यह लिखकर भेज सकते हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५२८३)की फोटो-नकलसे।

१३३. पत्र : वनमाला पारेखको

यरवदा मन्दिर
शनिवार, [१७ जनवरी, १९३१][1]

चि० वनमाला,

तू कितनी होशियार है। जो प्रश्न दूसरे बालकोंको कठिन लगता, वह तुझे सरल लगा। यह दूसरा भी जरा कठिन सवाल है: एक लड़की एक घंटेमें २५२ तार कातती है तो वह बीस मिनिटमें कितने तार कातेगी?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५७६०)की फोटो-नकलसे।

१३४. पत्र : मीराबहनको

१४/१८ जनवरी, १९३१

चि० मीरा,

फिर तुम्हारे ही पत्रके साथ आश्रमकी चिट्ठियाँ शुरू करता हूँ। और वह भी प्रात:कालीन प्रार्थनाके ठीक बाद। पाँचवाँ श्लोक यह है:

"जो बेलेके फूल, चन्द्रमा या हिमके हार जैसी गौरवर्णा है, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए है, जिसके हाथ वीणाके सुन्दर दण्डसे सुशोभित हैं, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेशसे लेकर सभी देवता जिसकी नित्य स्तुति करते हैं, वह समस्त अज्ञान और जड़ताका निःशेष नाश करनेवाली देवी सरस्वती मेरी रक्षा करे।"

१. देखिए "पत्र: वनमाला पारेखको", १०-१-१९३१। यह पत्र शायद उसके बाद आनेवाले शनिवारको लिखा गया होगा।

१८ जनवरी, १९३१

मेरे लिए यह विचार बहुत सुन्दर है। विद्याका अर्थ अवश्य ही ज्ञान है। तीनों प्रकारकी, अर्थात् तुषार, चन्द्रमा और फूलकी धवलताका और सफेद पोशाक और श्वेतासनका आशय यह है कि सम्पूर्ण शुद्धि ज्ञान या विद्याका अनिवार्य अंग है। इन श्लोकों और ऐसे ही दूसरे श्लोकोंके गहरे अर्थकी खोज करनेपर तुम्हें पता चलेगा कि हरएक गुणको, जो अन्यथा एक निर्जीव शब्द मात्र होता, मूर्तरूप देकर सजीव सत्य बना दिया गया है। ये काल्पनिक देवता हमारी पाँचो इन्द्रियोंसे ज्ञातव्य कथित सत्य पदार्थोंसे अधिक सत्य हैं। उदाहरणके लिए, जब मैं इस श्लोकका पाठ करता हूँ, तो मुझे कभी खयाल नही होता कि मैं किसी काल्पनिक चित्रको सम्बोधित कर रहा हूँ। प्रार्थनाके रूपमें इन श्लोकोंका पाठ एक आध्यात्मिक क्रिया है। जब मैं इस क्रियाका बुद्धिसे विश्लेपण करता हूँ, तब मुझे मालूम होता है कि देवी कोई काल्पनिक प्राणी है। परन्तु इससे प्रार्थनाके समय इसके पाठके महत्त्वमें कुछ भी अन्तर नही पड़ता। अगर ये सब बातें तुम्हारी समझमें साफ-साफ न आयें तो निःसंकोच होकर मुझसे पूछती रहना।

तो तुम फिर यात्रा करने लगोगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 'अति न करना और सहनशक्तिसे अधिक परिश्रम न करना।'

मैंने सुरेन्द्रके[1] बारेमें तार[2] दिया था। उन्होंने उपवास अवश्य छोड़ दिया होगा। मैं बिलकुल अच्छा हूँ। अभी तक मैंने शाक या रोटी लेना फिर शुरू नहीं किया है। मालूम होता है कि बादाम, खजूर और थोड़ा-सा दूध या दही और नीबू लेनेसे मेरी तन्दुरुस्ती बिलकुल ठीक रहती है। लगभग दो घंटे खडे रहकर तकली कात सकना मेरे लिए कम बात नही है। और लगभग दो घंटे पीठसे कोई सहारा लिये बगैर चरखेपर बैठता हूँ। इसमे धुनने और पूनियाँ बनानेका लगभग पौन घंटा और जोड़ दो।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४२९) से; सौजन्य: मीराबहन; और जी० एन० ९६६३ से भी।

१. मीराबहनके हिन्दी शिक्षक।

२. उपलब्ध नहीं है।

१३५. पत्र : दुर्गा देसाईको

सुबहके ५ बजे,
१८ जनवरी, १९३१

चि० दुर्गा,

अभी नारंगीका प्रयोग चल रहा होगा। एनिमा भी बराबर ले रही होगी। डकार आना बन्द हो जाना चाहिए। सिर दुखता हो, तो मिट्टीकी पट्टी रखनी चाहिए।

महादेवसे कहना कि हिल्का 'गीता'का अनुवाद मैंने नही देखा है। काकाको मैंने लिखा है कि 'अनासक्तियोग' में सुधार आदिसे सम्बन्धित सुझाव लिखें और कोई शंका या प्रश्न हो तो उसके सम्बन्धमें भी पूछे। वह मुझे अच्छा लगेगा। मीराबहनको हर सप्ताह एक भजनका भाषान्तर भेजा जाता है।[1] यदि उन्हें किसी समय छपवाना होगा तो महादेव उन्हें देखेगा ही। वैसे भी भाषान्तर मीराबहनसे लेते रहना। मेरे पास तो बंगाली भजनोंके सिवा दूसरे सभी भजनोंके अनुवाद पड़े हुए हैं। देवदास संस्कृतका पण्डित बन जाये तो अच्छी बात हो। वह उर्दूमें भी पक्का हो जाये तो अच्छा है। धनुर्विद्याके[2] बारेमें मथुरादासने जो लिखा है, वह न देखा हो तो महादेव देख ले। उस शास्त्रको जितना पक्का किया जा सके और जितना विकसित हो सके, उतना करनेकी जरूरत है। मैं ज्यों-ज्यों गहराईसे सोचता हूँ, त्यों-त्यों चरखेके प्रति मेरा मोह बढ़ता जाता है। चरखेमें रुईसे सम्बन्धित सभी क्रियाएँ आ जाती हैं। गरीबका रक्षक ईश्वर तो है किन्तु चरखेको ईश्वरके हाथ-पैर कहना चाहिए। यदि गरीब उसे पकड़े तो उसने ईश्वरको ही पकड़ लिया। हम, जैसा गरीब खाता-पीता है, वैसा नही खा-पी सकते। लेकिन गरीबके लिए चरखा तो चला सकते हैं और यदि चरखा चलाये तो उसके लिए उसकी अखण्ड शक्तिका निरीक्षण करें और उसे प्रकट करें। यह अभ्यास कुछ मामूली नही है; और यह तो जीवन्त 'गीता' है। यह सब महादेवके लिए लिखनेकी जरूरत नही, पर उसके बहाने प्रार्थनाके इस समय मेरे उद्गार व्यक्त हो गये हैं। सबके सामने ये इस प्रकार व्यक्त भी नही हो सकते।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० १६९०१)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र : मीराबहनको", २०-१२-१९३०, २९/३०-१२-१९३० और ७-१-१९३१।
२. अभिप्राय पींजनेकी क्रियासे है।

१३६. पत्र : शिवाभाई पटेलको

१८ जनवरी, १९३१

चि० शिवाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी स्थिति समझ गया हूँ। संघर्ष सम्बन्धी अपने व्रतको निभा सकोगे तो उससे कई बातें सरल हो जायेंगी। जेल-जीवनके बारेमे लिखे तुम्हारे पत्रके जवाबमें मैंने कुछ लिखा हो, उसकी मुझे याद नही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९५०४)की फोटो-नकलसे।

१३७. पत्र : जमना नारणदास गांधीको

१८ जनवरी, १९३१

चि० जमना,

धर्मदास और कल्याणदासके बारेमें तुम्हारा पत्र मिलनेका मुझे बिलकुल ध्यान नही है। आया होता तो मैं जवाब देता।

यदि आश्रममें स्वास्थ्य अच्छा न रहे तो जैसा मैंने बताया, उसीके अनुसार भोजन लेते हुए तुम बम्बईमें रहो तो मुझे तो अच्छा लगेगा।

कुसुमसे कहना, अन्न लेनेके लिए उतावली न बने। दूध और फलपर तो जिन्दगी भर रहा जा सकता है। शरीर बिलकुल स्वस्थ हो जाना चाहिए। मुझे तो कुछ नही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८४७)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१३८. पत्र : फूलचन्द के० शाहको

यरवदा मन्दिर
१८ जनवरी, १९३१

भाई फूलचन्द,

मैं तुम्हारे पत्रकी राह देख ही रहा था। तुम्हारा उत्साह मैं जानता हूँ। धरना देनेकी योग्यता या अयोग्यताके बारेमें यहाँसे कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है। शान्ति और सत्यका मार्ग तीनों लोक मिलते हों तो भी न छूटे, इतना ही मेरे लिए काफी है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८६५)से।
सौजन्य : शारदाबहन शाह

१३९. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

१८ जनवरी, १९३१

चि० गंगाबहन,

बच्चे बड़े होकर मित्र बन जाते हैं। मित्रको तो हम सलाह ही दे सकते हैं। फिर उन्हें जो ठीक लगे, वे करें। उसका दुख-सुख बिलकुल न मानें। और हमारे लिए तो सब एक-से हैं, इसलिए किसका दुख और किसका सुख मानें। इसीलिए काकूके बारेमें कुछ भी दुख न करना।

अपने पैरोंका ध्यान रखना। पैर गर्म पानीमें अच्छी तरह धो लेने चाहिए और बादमें उनपर कोकम[1]का तेल लगा ले तो वह काफी हो जाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७७०)से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

१. एक खट्टा फल; इससे तेल भी तैयार किया जाता है।

१४०. पत्र : जानकीबहन बजाजको

१८ जनवरी, १९३१

चि० जानकीबहन,

तुमने बहुत दिनोंके बाद पत्र लिखकर कृपा की है, ऐसा ही कहना चाहिए न? कलकत्ताका काम मुश्किल है। पर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। घनश्यामदासजी काममें पूरा हिस्सा ले रहे हैं।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद

१४१. पत्र : शारदा सी० शाहको

१८ जनवरी, १९३१

चि० शारदा,

यदि रासमें तेरा स्वास्थ्य ठीक रहता हो, तो तुझे अभी वहीं रहना चाहिए। मुझे तो यही ठीक लगता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८९८)से।
सौजन्य : शारदाबहन चोखावाला

१४२. पत्र : नारणदास गांधीको

रातके ८ बजे, १८/१९ जनवरी, १९३१

चि० नारणदास,

आज डाक मुझे सवेरे आठ बजे मिली। मैंने देखा कि लिफाफेके ऊपर तुमने ११ आनेकी टिकट लगाई है। पहले पार्सल भेजा था तब उस पर तीन आनेकी टिकट लगी थी। लेकिन, मैं समझता हूँ, हर बार यह अतिरिक्त आठ आने देना महँगा नहीं पड़ेगा। कमसे-कम आजका तो महँगा नहीं पड़ा। क्योंकि उसमें सुरेन्द्रके उपवासकी खबर दी गई थी और उसपर से मैं तुम्हें उसे उपवाससे रोकनेके लिए तार दे सका। अब यहाँका अधिकारीवर्ग आश्रमसे आने-जानेवाली सारी डाकके प्रति बहुत सजग रहता है। इसलिए दोनों जगह नियमपूर्वक डाकका मिलना सम्भव है।

सुरेन्द्रको खबर देना। नाथजीको यह पत्र पढ़वाना अथवा लिखना। सुरेन्द्रने जो कदम उठाया है, उसमें मैं अज्ञान और अधैर्य देखता हूँ। यह अज्ञान दो प्रकारका है। जेल जानेसे सेवा नहीं हो सकती, ऐसा मानना ठीक नहीं है, और उपवास करके शरीरका त्याग करना सेवा है, यह मानना भी अज्ञानपूर्ण है। सुरेन्द्रकी स्थितिमें रहनेवाले हर व्यक्तिका यह धर्म है कि वह यत्नपूर्वक शरीरकी देखभाल करे और उसे सेवाके लिए काममें लाये। जेलमें रहकर कातना, बुनना और अन्य अनेक क्रियात्मक कार्य हो सकते हैं। वहांके लोगोंपर शुद्ध आचरणकी छाप भी पड़ेगी। यह भी सेवाका एक अंग है। मुझे उपवासके द्वारा शरीर-त्याग करनेमें कायरता और आलस्यकी गंध आती है। सुरेन्द्रका हेतु उच्च है, लेकिन केवल शुद्ध हेतुसे ही कार्यके मूलमें निहित दोष दूर नहीं हो जाता। इसलिए प्रत्येक दृष्टिसे विचार करनेपर मुझे स्पष्ट दीखता है कि सुरेन्द्रका उपवास दोषपूर्ण है। इस बारेमें नाथजीका क्या विचार है, सो मुझे लिखना। सुरेन्द्र इस बारेमें कुछ कहना चाहे तो कहे। मैं यह नहीं कहता कि इस तरह किसी भी परिस्थितिमें शरीरका त्याग नहीं किया जा सकता। मेरे कहनेका तात्पर्य तो केवल इतना ही है कि सुरेन्द्रकी स्थिति ऐसी नहीं है।

माधवजी मेरे ज्वार-बाजरा सम्बन्धी प्रयोगका अनुकरण करनेका विचार कर रहे हैं। उन्हें रोकना। एक तो मेरा प्रयोग सफल हुआ नहीं माना जा सकता और यदि वह सफल हुआ भी हो तब भी ऐसे प्रयोगका तुरन्त अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें दूध और खजूर माफिक आये हैं, इसलिए वे वही खूराक लेते रहें। प्रयोग करके शरीरके साथ खिलवाड़ करनेका अधिकार मैंने अनेक वर्षोंके अभ्यासके बाद प्राप्त किया है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी बात बहुत ही कम लोगोंके बारेमें कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त आजकलके हालातमें ऐसे प्रयोग नहीं किये जा सकते।

मेरे पोस्टकार्ड तुम्हें नियमित रूपसे नहीं मिल पाये, इसके लिए खेद नहीं करना चाहिए। अन्ततः मैं कैदी ही हूँ न? मुझे जो भी सुविधा मिलती है, वह अधिकारियोंका अनुग्रह है। नवीयतके सम्बन्धमें कुछ कहनेको नहीं है। खूराक है खजूर, बादाम और दही तथा नीबू। इतनी चीजोंका क्या प्रभाव होता है, इसकी जाँच कर रहा हूँ। दही पतला और गाढ़ा मिलाकर १० तोलेसे अधिक नहीं हुआ है। एक ही बार लेता हूँ। अभी ज्यादा नहीं लिया जा सकता, ऐसा मानता हूँ। दोनों समय मिलाकर ४० बादाम लेता हूँ और तीनों जून मिलाकर ७० खजूर। इसमें अभी-अभी इजाफा नहीं हो सकता। कदाचित् इसे अभी कम ही करना पड़े। अच्छी तरह सोच-विचार कर कुछ करता हूँ। इतनी ही खूराक बहुत शक्तिदायक है। इस पत्रके जानेके लिए अभी छः दिन बाकी हैं। इस बीच कोई फेरफार हुआ तो लिखूंगा। चिन्ता करनेका कोई भी कारण नहीं है। बादामको पानीमें भिगो कर छिलका उतारनेके बाद उन्हें सेक कर पीस लेता हूँ। यह प्रयोग समय बचानेकी खातिर कर रहा हूँ। बादामकी कच्ची गिरियोंको पीसकर पानीमें उबालनेका तरीका तो अच्छा है ही।

कर्म-यज्ञके कार्यको जितना व्यवस्थित किया जा सके, उतना कम समझना चाहिए। ऐसे कार्यको लेकर हममें जो जागृति आई है, वह हमें अन्य सब कार्योंके प्रति सजग रखेगी बशर्ते कि हम सबकी भावना शुद्ध हो।

केशु यदि अभी भी शान्त और कर्त्तव्यपरायण बन जाये तो मैं समझूँगा कि बीता हुआ समय व्यर्थ नही गया। तुमने तो निस्सन्देह बहुत अच्छा कदम उठाया।

देवदाससे कहना, उसने जो लिखा है, वह मुझे मान्य है। बीमारीकी वजहसे मुझे जेलसे रिहा किया जाये, यह शर्मनाक बात होगी। उसकी अपेक्षा दूध-दही लेकर मैं शरीरको बनाये रखना ज्यादा पसन्द करूँगा और यही कर भी रहा हूँ। मेरा पहला प्रयत्न तो यह है कि जहाँतक हो सके यहाँ स्वास्थ्यकी रक्षा करूँ। इस समय मैंने जो प्रयोग किया, वह मुख्यतः शरीरके लिए ही था; लेकिन चूँकि इससे मेरी आत्माको सन्तोष मिला है, इससे इसमें आध्यात्मिक भावना भी दाखिल हो गई है।

नानीबहन और बुधाभाईके मामलोको जैसे सुलझाया जा सके, सुलझाना। यदि तुम्हे लगे कि मुझे इस सम्बन्धमें किसीको लिखना चाहिए तो मुझे लिखना।

सारजासे कहना कि मैं उसे बहुत भाग्यवान समझता हूँ। अब उसे चाहिए कि खूब बहादुरी अपनाये, बाहर निकले और प्रत्येक क्षणका सदुपयोग करे।

आश्रमके नामपर मैथ्यूको बाहरका काम करनेकी इजाजत नही दी जा सकती। पैसा तो कदापि नही दिया जा सकता। आश्रममें अथवा विद्यापीठमें यदि वह कुछ पढ़ाने-लिखानेका काम करना चाहे तो कर सकता है। किन्तु उसे कताई, पिंजाई आदि कार्योंमें ठीक प्रमाणपत्र पाने लायक तो बनना ही चाहिए न? यही बात हिन्दीके बारेमे भी है। जबतक वह ये दोनों काम न करे तबतक उसे बाहरकी जिम्मेदारी तो नही सौंपी जा सकती। उसे भी मैं यही लिखूँगा

मीराबहनका अखबार तो अब बिलकुल बन्द ही हो गया है न? क्या उसने अखबार बन्द करनेके सम्बन्धमें कोई वक्तव्य दिया है अथवा यह सोचकर चुप्पी साध ली है कि जिसे जो समझना हो सो समझ ले? जिन्होने पैसे भेजे है उनका क्या होगा? पैसे सम्बन्धी व्यवस्था किसके हाथमें है या थी?

सरोजिनी देवीके साथ दृढ़तासे काम लेना। पद्मा यदि स्वयं ही जाना चाहे तो मुझे लगता है कि उसे जाने देनेमें ही भलाई है। उसे स्पष्ट रूपसे बता देना चाहिए कि एक बार जानेके बाद यदि वह फिर वापस आना चाहेगी तो उसे लेने न लेनेके बारेमें हमे उस समय सोचना पड़ेगा। फिलहाल तो माँ अथवा बेटी दोनों ही यदि यहाँसे जाती है तो उन्हे यह सोचकर जाना चाहिए कि वे हमेशाके लिए जा रही हैं।

देवदास मेरी ओरसे लाला हंसराजको बधाई दे और लिखे कि चरखेपर कता उनका प्रत्येक तार स्वराज्यको दिन-प्रतिदिन निकट ला रहा है। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे गतिमे हरा देंगे।

रातको, १८-१-१९३१

सरोजिनी देवीको लिखा पत्र पढ़ जाना। यदि वह शान्त हो गई हो और मेरा पत्र पढ़ने पर उसके अशान्त हो उठनेका भय हो तो यह पत्र उसे न देना। किसी पत्रमें शिकायत की गई है (पत्र भेजनेवालेका नाम मैं भूल गया हूँ) कि प्रार्थनाके

समय बच्चोंने फिरसे दंगा और शोर करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई सचाई हो तो इसकी जाँच करना।

रातको, १९-१-१९३१

प्रभावतीके पति दिल्ली गये हैं इसलिए कदाचित् वह आश्रमके किसी व्यक्तिके साथ आनेकी बात कहे। यदि वह किसीको बुलाये तो तुरन्त ही कोई व्यक्ति उन्हें बुलवा लानेके लिए भेज देना। यदि वह अच्छी हो जाती है तो यह एक गायको बचानेके समान होगा। मेरी तबीयत बहुत अच्छी रहती है। खूराक वही लेता हूँ और उसका अनुपात भी वही है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

७८ पत्र हैं।

गुजराती एम० एम० यू० – १ से।

१४३. पत्र : ई० ई० डॉयलको

१९ जनवरी, १९३१

प्रिय मेजर डायल,

श्री अप्पा पटवर्धन राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक कार्योंके मेरे पुराने साथी हैं। वे इस वक्त रत्नागिरि जेलमें हैं। मैंने समाचारपत्रोंमें पढ़ा है कि वे अनशन कर रहे हैं; और उसका कारण यह है कि उन्हें अवकाशके घंटोंमें कातनेकी इजाजत नहीं दी गई है। मैं आशा करता हूँ कि यह खबर सच नहीं होगी। जब 'ए' और 'बी' श्रेणीके कैदियोंको उसकी इजाजत दी जाती है, तब फिर यह मनाही समझमें नहीं आती। मैं यह कह दूं कि हममें से बहुतेरे लोगोंके लिए कातनेका कर्त्तव्य खानेके सुखसे पहले आता है। क्या आप मुझे यह सूचित करनेकी कृपा करेंगे कि इस खबरमें कितनी सचाई है? मुझे ऐसा विश्वास है कि आप मेरी चिन्ता समझ सकेंगे।[1]

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १९९८७)की फोटो-नकलसे।

१. जेलके इन्स्पेक्टर जनरलने उसी दिन जवाब दे दिया था कि खबर बिलकुल सच्ची है। यह भी कहा था कि अगर 'सी' श्रेणीका कोई कैदी विशेष कारण बता सके तो उसकी प्रार्थनापर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है और यह मामला आदेशोंके लिए सरकारके सामने है। अप्पा साहबको बादमें कातनेकी इजाजत दे दी गई थी; देखिए "पत्र : ई० ई० डॉयलको", २०-१-१९३१।

१४४. पत्र : प्रभावतीको

१९ जनवरी, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरे सभी पत्र मिल गये हैं और वे काफी नियमसे मिल रहे हैं। तेरे तारकी राह देखनेकी बात समझ गया हूँ। तूने घरके काम-काजके बारेमें जो कारण बताये हैं वे समझमें नहीं आते। जो लगभग चारपाईपर पड़े रोगी जैसी हो, वह किसीकी क्या मदद कर सकती है? और कर भी सके तो उससे मदद लेनी नहीं चाहिए। फिर भी तेरी दलील समझता हूँ। मैं तो वर्षोंसे कुटुम्बसे दूर रह रहा हूँ; इसलिए गृहस्थीकी झझटोंके बारेमें अब मैं बेखबर ही हूँ। २४ तारीखको कोई विघ्न न आये, तो अच्छा है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४०४) की फोटो-नकलसे।

१४५. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

यरवदा मन्दिर
मंगलवार [२० जनवरी, १९३१ अथवा उससे पूर्व][1]

चि० गंगाबहन (बडी),

तुम कहाँ हो इसकी खबर नहीं है। अब तो तुम्हारा मन शान्त हो चुका होगा। 'गीता' का मुख्य उपदेश यही है कि हम सब स्थितियोंमें शान्त रहें। सुबहके पहले श्लोकमें[2] भी सत्-चित्सुखम्की ही बात है। यह हममें न हो तबतक सब-कुछ कच्चा है। हमारे लिये मान-अपमान एक जैसा होना चाहिए। इसलिए हम अपने हिस्सेमें आई सेवा कर चुकनेपर निश्चिन्त हो जा सकते हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७७२) से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

१. गांधीजी २६ जनवरीको यरवदा जेलसे रिहा हुए थे। उससे पूर्व मंगलवार २० जनवरी १९३१ को था।
२. देखिए "पत्र : मीराबहनको", २०-१२-१९३०।

१४६. पत्र : ई० ई० डॉयलको

२० जनवरी, १९३१

प्रिय मेजर डॉयल,

आपने तुरन्त जवाव दिया, इसके लिए धन्यवाद। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की हालकी रिपोर्टमें कहा गया है कि श्रीयुत अप्पासाहव पटवर्धनने १० तारीखको अपना अनशन शुरू किया। मै जानता हूँ कि उनके शरीरपर अतिरिक्त माँस नहीं है और यह सोचकर कि शायद वे अब भी अनशन कर रहे होंगे, मुझे बहुत चिन्ता होती है। क्या आप कृपया ठीकसे उनकी हालतका पता लगा कर मुझे यह जानकारी दे सकते है कि उन्हें कातनेकी इजाजत दे दी गई है या नही।

आपके जवावसे जो सवाल उठता है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। आप कातनेके श्रमको एक विशेष सुविवा मानते है। लेकिन उन सभी लोगोके लिए जो यज्ञकी दृष्टिसे कातते है, कातना एक पवित्र कर्त्तव्य है। यदि अन्य श्रमोसे सम्बन्धित यन्त्र रख सकना असम्भव नही है तो प्रशासनिक कारणोसे जेलमें सब जगह इस श्रमके साधन (चरखे, तकली वगैरा) रखना असम्भव क्यो है? १९२२ में उन सभी कैदियोको इस जेलमें कातनेकी इजाजत दे दी गई थी जो कातना चाहते थे और उनके कामका उपयोग जेलके लिए किया गया था; वैसा ही अव भी किया जा सकता है। चरखे भी जेलमें वनाये गये थे। मैं कताईका सवाल यो ही बैठे-ठाले नही उठा रहा हूँ। जैसा कि आपको और सरकारको मालूम है, मेरे लिये और मेरे कुछ साथियोके लिए यह एक वहुत ही महत्त्वपूर्ण वात है। यह राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रसे भी आगे तक जानेवाली चीज है। हममें से कुछके लिए तो यदि इस थोडे-वहुत श्रमके द्वारा ईश्वरकी सेवा न कर सकें, जीवन जीने योग्य नही रह जायेगा। जाहिर है कि 'सी' श्रेणीके कैदी जो सावरमती, नासिक तथा सम्भवत. अन्य जेलोमें कातते रहे है, विना किसी अधिकारके और स्थानीय अधिकारियोकी अयोग्य चुप्पीके वलपर कातते रहे हैं। लेकिन ऐसा पवित्र कर्त्तव्य किसी देखी-अनदेखीपर निर्भर रह कर नही निभाया जा सकता। या तो सरकारको कैदियोके कातनेके हकको उसी तरह मान्यता देनी चाहिए जैसे कि वह उनके प्रार्थना करने, खाने तथा अन्य जरूरी काम करनेके हकको मान्यता देती है हालाँकि उन कामोसे असुविधा हो सकती है, और होती भी है; या फिर सरकारको यह कहना चाहिए कि वह इस हकको मान्यता देनेके लिए तैयार नही है। और फिर उस दशामें न्यायकी दृष्टिसे यह हक सभी श्रेणियोके कैदियोसे वापस ले लिया जाना चाहिए। वास्तवमें इस तरहके मामलेमें 'ए' और 'वी' श्रेणीके कैदियो तथा 'सी' श्रेणीके कैदियोके बीचके भेदभावसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कैदियोका विभिन्न श्रेणियोमें वर्गीकरण निरर्थक और अन्यायपूर्ण है।

कातनेके सम्बन्धमें मुझे जो बहुत-सारी सुविधायें दी गई हैं उनसे मुझे खुद ही ऐसा लगता है। मैं ऐसी किसी भी विशेष सुविधाका लाभ उठानेकी कोई इच्छा नहीं रखता जो किसी अन्य कैदीको वैसे ही कारणोंसे न मिलती हो। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कृपया यज्ञ-रूप कताईके इस मामलेको अत्यावश्यक मामला समझें। मुझे खेद है कि मैं आपको और सरकारको फिर तकलीफ दे रहा हूँ; लेकिन आप और सरकार मेरी स्थितिको समझेंगे।[1]

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १९९८८)की फोटो-नकलसे।

१४७. पत्र : मनमोहनदास गांधीको

यरवदा मन्दिर
२० जनवरी, १९३१

भाईश्री मनमोहनदास,

आपका पत्र वापस भेजनेमें कठिनाई देखता हूँ।

१. हाथ-कताईके बारेमें आप मुझसे सहमत हैं इसलिए और क्या चाहते हैं, यह जितना हो सके उतना स्पष्ट करके लिखें।

२. मिल और हाथकरघा-उद्योगके हित परस्पर विरोधी हैं।[2] मिलका स्थान तो है ही, अभी और अनेक वर्षों तक रहेगा ही; शायद हमेशा रहे। मेरा कहना यह है कि जो इस प्रश्नको समझते हैं, वे ऐसा तर्क न करें कि दोनों एक दूसरेके सहायक हैं। मिलें तो स्वावलम्बी हैं। स्वदेशीके आन्दोलनसे उन्हें मदद मिल रही है और मिलनी अनिवार्य है। किन्तु दोनोंको मददकी अपेक्षा है, ऐसा कहनेपर हस्त-उद्योगको कम मदद मिलती है। शायद मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूँ। मिलोंका नाम न लेते हुए भी उन्हें मदद मिल ही रही है। नाम लेनेपर उनको हानि होनेकी सम्भावना है और दूसरेको हानि तो होनी ही है।

३. बनावटी रेशमका तो सदा विरोध ही किया जाना चाहिए।

४. मैं स्वयं मानता हूँ कि विदेशसे जितनी चाहिए, उतनी रुई हम ले सकते हैं। किन्तु इस समय मैं यह बात समझानेके झमेलेमें नहीं पड़ता।

५. हाथ-बुनाईके रक्षणके लिए जो सुझाव आप देते हैं, वे तो सही लगते ही हैं।

१. इस पत्रका दूसरे दिन डॉयलने जवाब दिया: "सरकारका आदेश न मिले तबतकके लिए एस० पी० पटवर्धनको कातनेकी अस्थायी अनुज्ञा दे दी गई है। कताईके मामलेमें मैं आपका दृष्टिकोण समझ सकूँ, इसके लिए यदि आप यह बतायेंगे कि आपका 'यज्ञ-रूप कताई' शब्दसे वास्तवमें क्या मतलब है, तो मुझे खुशी होगी", देखिए "पत्र : ई० ई० डॉयलको", २२-१-१९३१ भी।

२. देखिए "पत्र : मनमोहनदास गांधीको", १-१-१९३१।

आपने जिस नामका सुझाव दिया है वह मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तो वही पसन्द है जो मैंने बताया है। किन्तु आपको जो ठीक लगे वही नाम रखें।

मेरा स्वास्थ्य ठीक है। ताजा फल नहीं लेता।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ९)की फोटो-नकलसे।

१४८. पत्र : प्रेमलीला ठाकरसीको

२० जनवरी, १९३१

प्रिय बहन,

मेरा पहला पोस्टकार्ड जिसमें मैंने खजूरकी पहुँच लिखी थी और कपास भेजनेके लिये लिखा था, मिल गया होगा। रविवारको रुईका डिब्बा मिला। उसमें पौने दो रतल रुई थी। इतनी दस दिन चलेगी। अभी तो हर महीने ठीक चार रतल रुईकी जरूरत है। इसलिए बाकी इस सप्ताहके अन्ततक भेज दें। डिब्बेमें भेजनेकी जरूरत नहीं है। कोरे कागजमें बाँध दें तो भी काफी है। यहाँ तो उसे एक थैलीमें रखता हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४८२०)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : प्रेमलीला ठाकरसी

१४९. पत्र : ई० ई० डॉयलको

यरवदा सेंट्रल जेल
२२ जनवरी, १९३१

प्रिय मेजर डॉयल,

आपने तुरन्त जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद।[1] क्या आप कृपया मुझे बतायेंगे कि मेरे मित्रका अब क्या हाल है?

आपके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है: 'यज्ञ-रूप कताई'का अर्थ है ईश्वरके नामपर गरीबोंके लिए बिना किसी निजी लाभकी आशाके की जानेवाली कताई। मैं सुझाव देता हूँ कि उन सब लोगोंको जो यज्ञ-रूप कताई करना चाहते हैं, कताई करनेकी इजाजत होनी चाहिए। कताईकी मनाहीके कारण अनशनके दो और मामले सामने आये हैं। ये दोनों ही आदमी आश्रमसे सम्बन्धित हैं। उन्होंने वर्षोंतक कताईके

१. देखिए "पत्र : ई० ई० डॉयलको", २०-१-१९३१ की पाद-टिप्पणी।

नियमका पालन किया है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप कर सकते हों तो ऐसे मामलोंमें अस्थायी निर्देश जारी कर दिया करें।

आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १९९८९)की फोटो-नकलसे।

१५०. पत्र : शारदा सी० शाहको

२२ जनवरी, १९३१

चि० शारदा,

यदि तुझे घरकी अपेक्षा वहीं रहना अच्छा लगता हो तो वहीं रह जा और दर्दसे मुक्त हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८९९)से।
सौजन्य : शारदाबहन चोखावाला

१५१. पत्र : निर्मला देसाईको

२२ जनवरी, १९३१

चि० निर्मला,

शब्द 'अनाशक्ति' नहीं, 'अनासक्ति' है। शक्ति अर्थात् बल। आसक्ति अर्थात् राग-मोह। अनासक्ति अर्थात् . . .[1] मोह न हो . . .।[2] क्या तू 'अनासक्ति योग' का अर्थ समझती है?

दैनन्दिनीमें विचार लिखने चाहिए। उन्हें लिखकर हम अपने मनके आप चौकीदार बन जाते हैं और उससे हममें सुधार होता है। आज . . .[3] वर्षोंके बाद . . .[4] हो सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९४५८)की फोटो-नकलसे।

१, २, ३ और ४. मूल पत्र इन स्थानोंमें फटा हुआ उपलब्ध होनेके कारण यहांके शब्द नहीं मिले।

१५२. पत्र : कुँवरजी मेहताको

२२ जनवरी, १९३१

भाई कुँवरजी,

लगता है डाक्टरोंने फौरन ही तुम्हारे बारेमें फैसला कर लिया है। इस पत्रके मिलने तक तो तुम चलने-फिरने लग गये होगे। ध्यान रखना कि उतावली कर फिर कहीं खाटपर न पड जाओ। शिवलालको आशीर्वाद देना।

अब्बास साहबसे कहना कि उन्हें अस्पताल रास आया लगता है। नई जवानी लेकर निकले हैं इसलिए कुछ तो करना ही है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० २६९२)की फोटो-नकलसे।

१५३. पत्र : जमना नारणदास गांधीको

२२ जनवरी, १९३१

चि० जमना,

मेरी सलाह तो पंजाबके उस वैद्यकी दवा करनेकी है जिसने चन्द्रशंकरका इलाज किया था। वह परोपकारी मनुष्य है, ऐसा चन्द्रशंकरका कहना है। तुम्हें और कुसुमको अच्छा हो जाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८४८)से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१५४. पत्र : मणिबहन पटेलको

यरवडा मन्दिर
२२ जनवरी, १९३१

चि० मणि,

तेरा सुन्दर, लम्बा पत्र मिल गया है। क्या उसके जवाबमें मुझे भी लम्बा पत्र लिखना पड़ेगा? मेरी यात्रा तो अहातेके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक सीमित होती है। यहाँ न कोई पहरेदार है और न कोई ऐसा दूसरा, जिसके साथ वादविवाद हो। मेरी इस ट्रेनकी छत आकाश है। उसके अगणित तारोंका वर्णन करना चाहूँ तो करना नहीं आता। और जो तारे मैं देखता हूँ वही तू देखती है। इसलिए मेरे पास लिखनेको कुछ नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि तू [जेलके बाहर] और थोड़े दिन ही है। हम आरामगाह (जेल)में ही शोभा देते हैं।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने

१५५. पत्र : कृष्णमैया गिरिको

२२ जनवरी, १९३१

चि० कृष्णमैयादेवी,[1]

तुमको क्या हुआ है? कैसे ओटे परसे गिर पड़ी? मुझे पूरा हाल दे दो। अच्छी हो जाओ।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० ६२३२ की फोटो-नकलसे।

१. दलबहादुर गिरिकी विधवा पत्नी।

१५६. पत्र : कलावती त्रिवेदीको

२३ जनवरी, १९३१

चि० कलावती,

लोगोंके साथ धीरज रखना। हमारा सच्चा उद्यम देखनेसे आलसी उद्यमी बनेंगे। मनमें बहोतसे ख्याल करनेसे हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारे सामने जो काम हो उसीका ख्याल करना और कुछ नहि। ऐसा करनेसे स्मरणशक्ति तेज बनती है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तुमारा अब १७ वर्षमें प्रवेश होता है। जैसे वयमें ऐसे हि आत्मबलमें बढती रहो।

बापु

जी० एन० ५२७८की फोटो-नकलसे।

१५७. पत्र : काशिनाथ त्रिवेदीको

यरवडा मन्दिर
२३ जनवरी, १९३१

चि० काशिनाथ,

तुम्हारा पत्र मिला। पिताजीका क्रोध प्रेमपूर्वक सहन करो। यदि शान्ता स्वयं दृढता न दिखाये तो मैं उसका बचाव करना असम्भव मानता हूँ। आत्मा आत्माकी मित्र है और शत्रु भी है। उस बाल-विवाहके बारेमें जो योग्य प्रयत्न हो सके उसे करके शान्त रहना ठीक है। सभी अन्यायोंका निवारण नहीं किया जा सकता। पारिवारिक और सामाजिक समस्याओंको सुलझाना स्वराज्यसे भिन्न वस्तु नहीं है। प्रत्येक क्षेत्रमें हुआ सुधार हमें स्वराज्यकी तरफ ले जाता है।

बढवा रियासतमें जो उपद्रव हो रहा है उसके बारेमें काठियावाड़के अधिकारीको जो कहना हो सो नियमोंके अनुसार कहो, उसकी चर्चा करो और शान्त हो जाओ। यदि जनतामें आन्दोलन किया जा सके, तो वह ठीक होगा। सभी बातोंकी औषधि आत्मशुद्धि है। यदि आत्मामात्र एक है तो विश्वास रखो कि आत्मशुद्धिसे पूरे संसारका कल्याण होता है। हमें भी ऐसे अवसरपर तुरन्त अपने कर्त्तव्यका भान हो जाता है। आत्मशुद्धिका अर्थ है तप। 'बालकाण्ड'में तुलसीदासजीने तपोबलकी जो स्तुति की है, उसपर विचार करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५२७७)की फोटो-नकलसे।

१५८. पत्र : मथुरादास पुरुषोत्तमको

प्रातः ५ बजे, २४ जनवरी, १९३१

चि० मथुरादास,

आश्रमसे तुम्हारी मुक्ति माँगनेकी बात सुनी है। यदि विशेष शुद्धिके लिए माँगी हो तो ठीक है। दोष हुआ, और दोष होते ही रहेंगे, ऐसा सोचकर और हार कर मुक्ति माँगी हो तो अयोग्य है। इस जगत्‌में कोई भी दोषरहित नहीं है। आश्रममें हम सब इकट्ठे इसलिए नहीं हुए कि हम दोषरहित हैं बल्कि हम अपने दोष देखने और उन्हें दूर करनेके लिए इकट्ठे हुए हैं। दोष हो जायें तो उनका दुख नहीं। उन दोषको करनेमें हम अपनी दुर्बलताके स्वेच्छासे शिकार बन गये हों अथवा हमने पर्याप्त सावधानी न बरती हो, अथवा यदि हमने दोषके निवारणमें पूरा जोर न लगाया हो या लगनसे इसकी कोशिश न की हो, तो हमें दुखी होना चाहिए। तुम कभी हारना नहीं।

इस पत्रपर विचार करनेके बाद जो ठीक लगे, वही करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३७५२)की फोटो-नकलसे।

१५९. पत्र : मीराबहनको

२१/२५ जनवरी, १९३१

चि० मीरा,

आज भी बुधवार है और समय भी वही — प्रातः; प्रार्थनाके बाद। अगर मेरा सौभाग्य आज भी पिछले सप्ताहकी तरह रहा, तो सुबह ८ बजेके करीब मुझे डाक मिल सकती है। परन्तु साप्ताहिक पत्रोंको शुरू कर देनेसे पहले तुम्हारे लिये श्लोकों (इस बार दो होंगे)को लिख डालनेमें मुझे आनन्द आता है। तो यह लो, छठा और सातवाँ श्लोक और साथ ही वे टिप्पणियाँ जो मैंने उसी समय लिख डाली थी:[1]

६. 'जिनका मुख बाँकदार है, जिनका शरीर विशाल है, करोड़ों सूर्यके बराबर जिनकी कान्ति है, ऐसे हे गणेशजी मेरे सारे शुभ कर्मोंमें मुझे निर्विघ्न करो।'

टिप्पणी: यह ईश्वरके लिए प्रयुक्त रहस्यमय ॐ अक्षरके विषयमें है, यह 'ओम्' कहकर उच्चरित होता है। इस अक्षरके बाँकदार मुख और बड़े आकारपर ध्यान दो। इसकी गूढ़ विभूतिका उपनिषदोंमें वर्णन किया गया है।

१. देखिए खण्ड ४४, परिशिष्ट ६।

७. 'गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही महादेव है, गुरु साक्षात् परब्रह्म है, ऐसे श्री गुरुको मैं नमस्कार करता हूँ।'

टिप्पणी : यहाँ निःसन्देह अभिप्राय आध्यात्मिक गुरुसे है। यह कोई यान्त्रिक या कृत्रिम सम्बन्ध नही है। गुरु असलमें यह सब कुछ नही है। परन्तु उस शिष्यके लिए वह सब-कुछ है जो उसमें पूरा सन्तोष अनुभव करता है, और जो अपने इस गुरुमें, जिसने उसे सजीव ईश्वरमें सजीव श्रद्धा प्रदान की है, सम्पूर्णता आरोपित करता है। ऐसा गुरु कमसे-कम आजकल तो क्वचित ही मिलता है। इसलिए उत्तम तो यही है कि स्वय ईश्वरको ही अपना गुरु समझा जाये या श्रद्धापूर्वक ऐसे गुरुकी प्रतीक्षा की जाये।

इन टिप्पणियोसे अधिक और किसी टीकाकी आवश्यकता नही जान पड़ती।

आगेके अनुवादके बारेमें निश्चय हो गया है। मुझे अपने ही सन्तोषके लिए अनुवाद शुरू कर देना चाहिए। कोई जल्दीका रास्ता अपनाना अन्तमें लम्बा साबित होगा। प्रारम्भ करनेके बाद रुकना नही है। इसलिए जबतक कामका मौजूदा दबाव बना हुआ है, तबतक शुरुआत करनेमें मुझे डर-सा लग रहा है। डर वास्तविक उतना नही जितना मानसिक है, परन्तु मन वास्तविकतापर हावी हो जाता है।

मैं देखता हूँ कि तुम सिन्ध तो पहुँच ही चुकी हो। आशा है कि सिन्धकी सर्दीमें तुम्हे परेशानी नही हुई होगी। सिन्धमें पजाब जितनी ही सर्दी पड़ सकती है। तुम जमशेद मेहतासे जरूर मिली होगी; वे बहुत अच्छी किस्मके आदमी हैं। वे अपने-आपमें एक सस्था है और मैं आशा करता हूँ कि तुम कीकीबहन, गगाबहन, श्रीमती मलकानी, श्रीमती जयरामदास और आनन्द तथा विद्याके बारेमें लिखोगी।

२५ जनवरी, १९३१

सिन्धसे तुम्हारा पत्र मिला। दूसरे अध्यायका अनुवाद बहुत बढिया है। मैं दो शुद्धियाँ सुझाऊँगा। पहले पृष्ठपर मैं 'धारणा' (नोशन)के बजाय 'दुर्बलता' (वीकनैस) रखूँगा और सातवें पृष्ठपर 'वेदानुयायी' (फॉलोअर्स ऑफ वेदाज़)के स्थानपर वेदके अक्षरोका अनुसरण करनेवाले (दि वेदिक लिटरलिस्ट्स) पसन्द करूँगा। दूसरी शुद्धि बहुत महत्त्वपूर्ण है, पहली उतनी नही है। 'गीता'के अनुयायी वेदोके भी अनुयायी हैं। किन्तु ये लोग वेदोकी आत्माका अनुसरण करते हैं। लेकिन वेदके अक्षरोका अनुसरण करनेवाले, जैसा कि इस नामसे ही अर्थ निकलता है, अक्षरोपर जाते हैं। लिखना, मुझे तुम्हारी भेजी हुई टिप्पणियाँ लौटानी है या नही। मैं तुम्हारा पत्र दुबारा नही पढूंगा, परन्तु तुम्हारा पत्र आनेतक तुम्हारी टिप्पणियोको सुरक्षित रखूँगा। अभी तुरन्त प्रकाशित करनेके लिए उनकी जरूरत नही है यद्यपि यह तो चाहे जब प्रकाशित करने योग्य है, बशर्ते कि उसमें वह महत्त्वपूर्ण शुद्धि हो जाये।

पुनर्जन्मके बारेमें तुमने जो लिखा है, सही है। यह प्रकृतिकी कृपा है कि हमें पूर्वजन्मोका स्मरण नही है। हमने जो असख्य जन्म लिये है, उनकी तफसील जाननेसे फायदा भी क्या है? अगर हम स्मृतियोका ऐसा प्रचण्ड भार ढोते रहे, तो जीना दूभर हो जाये। ज्ञानवान मनुष्य बहुत-सी बातें जानबूझकर भूल जाता है, ठीक उसी

तरह जैसे एक वकील मुकदमो और उनकी तफसीलको मुकदमोके खत्म होते ही भूल जाता है। हाँ, 'मृत्यु केवल निद्रा और विस्मृति है।'[1]

मेरा स्वास्थ्य बिलकुल अच्छा है। अपनी शक्ति देखकर तो मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है। मेरा खयाल है कि जब मैं आश्रममें था, तब खड़े-खड़े दो घंटे तक तकली नही चला सकता था। गुरुवारको मेरा वजन लिया गया था। वजन ९८ पौंड निकला। एक सप्ताहमें २½ पौंड बढ़ा। यह बड़ी सफलता है। मैं पिछले पाँच दिनसे तरकारी, डबलरोटी, बादाम (पिसी हुई), खजूर और कुछ नीबूपर हूँ। खजूर मुख्यतः सुबह लेता हूँ। भूरी डबलरोटीके टुकड़े करके अच्छी तरह सेंक लिये जाते है। मुझे दूध या दहीकी जरूरत महसूस नही हुई। होगी तो दोमें से एक कुछ ले लूंगा। इस प्रकार तुम समझ गई होगी कि चिन्ताका कोई कारण नही है। सम्भव है मुझे बीच-बीचमें दूध या दही लेनेकी जरूरत पड़ जाये। अगर जरूरत पडी तो जैसे दवा लेता हूँ, वैसे यह भी ले लूंगा।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४३०); तथा जी० एन० ९६६४ से भी।
सौजन्य: मीराबहन

१६०. पत्र: वसुमती पण्डितको

२५ जनवरी, १९३१

चि० वसुमती,

जो कुछ हुआ, अच्छा ही हुआ। हमारी कसौटी तो इसी तरह होगी। हमें कोई मारे तो उसका भी भला ही चाहें और भला ही करें। मैं बिलकुल ठीक हूँ। शुरू करनेके बाद दूध-दही शायद अब तक दो पौंडके लगभग ही लिया होगा। पिछले चार दिनोंसे बिलकुल नही लिया। थोड़ी सेकी हुई ब्राउन ब्रेड, सब्जी और पिसे हुए बादाम लेता हूँ। खजूर और पानीमें भिगोये हुए बादाम सवेरे लेता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३१९)की फोटो-नकलसे

१. "डैथ इज़ बट ए स्लीप एन्ड फॉर गैटिंग"—शेक्सपियरके हैम्लेटसे।

१६१. पत्र : लीलावती आसरको

२५ जनवरी, १९३१

चि० लीलावती,

तुझे यहाँसे क्या लिखूँ? ईश्वर तेरा कल्याण करे और तुम्हें सिंहनी बनाये। अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना। सारा सोच-विचार छोड़कर आनन्दसे रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९५६८)की फोटो-नकलसे।

१६२. पत्र : बलभद्रको

२५ जनवरी, १९३१

चि० बलभद्र,

तुम्हारा पत्र सुन्दर है। स्याही और कलम मिले तो लिखनेमें उन्हीका उपयोग करना। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो वजन लेनेकी कोई जरूरत नही है। कितने बच्चे आते है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९२१६)की फोटो-नकलसे।

१६३. पत्र : प्रभावतीको

रविवारकी रात, २५ जनवरी, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरा मुगलसरायसे भेजा तार मिला। मै उसके बाद निश्चिन्त हो गया हूँ। अब तू फौरन तैयार हो जा। मनपर कोई बोझ मत रहने देना। तेरे कलके पत्रमें हरसूबाबूकी बीमारीकी बात पढ़कर मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी और सोच लिया था कि तू अब जल्दी नही आ सकेगी। पर ईश्वरको अच्छा ही करना है। तुम किस तरह निकल पाई, यह तो अब बादमें मालूम होगा। कल तेरा पत्र मिलनेपर मैंने हरसूबाबूकी तबीयतके बारेमें जयप्रकाशको तार किया था। कल (सोमवारको) जवाब मिलनेकी आशा है। तू निकल गई होगी, तो जयप्रकाश भी दिल्ली चला गया होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४०५)की फोटो-नकलसे।

१६४. पत्र : रैहाना तैयबजीको

२५ जनवरी, १९३१

पागल रैहाना,

कैसी लड़की ! बीमार पड़ना — घर जाना। फिर घूमना, फिर बीमार पड़ना। वाह, कैसी धुन ![1]

उर्दू पाठ पूरा हुआ। बाबाजानकी शल्यक्रिया फिर क्यों करवानी पड़ेगी? अभी कबतक अस्पतालमें रहेंगे? अस्पताल उन्हे पसन्द आ गया लगता है। तुझे तीन उपवास करने पड़े, यह खबर नही थी। उपवाससे तो बीमार नही पड गई? क्या पाटणमें स्त्रियोका सहयोग था? उपवास कितने लोगोंने किया? शल्य-क्रिया करवानेके बाद क्या तुझमें ज्यादा शक्ति आ गई है?

खुदा हाफिज़,

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९६२७)की फोटो-नकलसे।

१६५. पत्र : छगनलाल जोशीको

२५ जनवरी, १९३१

चि० छगनलाल (जोशी),

बसोंमें समाप्त किया गया तुम्हारा पत्र मिल गया है। वह तथ्योंसे भरा हुआ है। मैं तो क्या लिखूं? "अजब खेल अद्‌भुत मनोहर जाकी सूरत बखानी"?

तुम इस भाग-दौड़में अपना स्वास्थ्य न खराब कर लेना। न बिगाड़नेकी कुंजी तो हमारे हाथमें है :

१. चिन्ता न करें।

२. दौड़धूपके बावजूद मनमें आरामकी भावना रखें।

३. शरीरके अनुकूल खूराक न मिले, तो एकाध बार भोजन न करें। जो अनुकूल न पड़ता हो, ऐसी चीजसे पेट न भरें।

४. कही भी और किसी भी समय लेटकर थोड़ी झपकी ले लें।

१. मूलमें इतना भाग उर्दूमें है।

यह सारे मनके रामनामरूपी धागेमें ही पिरोये जानेपर शोभा देंगे। नही तो अलग-अलग रह जायेंगे, कुछ लाभ नही होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५४९९) की फोटो-नकलसे।

१६६. पत्र : महालक्ष्मी माधवजी ठक्करको

२५ जनवरी, १९३१

चि० महालक्ष्मी,

घर-घरमें मिट्टीका चूल्हा है। सब कोई जो-कुछ हैं, उससे अच्छा दिखनेका प्रयत्न जाने-अनजाने करते हैं। इसलिए सबको सावधान तो रहना ही चाहिए। तुम तो सावधान हो। मैंने अन्न शुरू किया क्योंकि दूध छोडनेकी इच्छा तो हमेशा रहती ही थी और यहाँ दूसरे कैदियोंकी तरह ज्वार-बाजरा चलता तो बहुत सन्तोष होता और दूसरी तरहसे भी अच्छा ही था। किन्तु ज्वार-बाजरा माफिक नही आया। अब फिर गेहूँमें चला रहा हूँ। कोई मेरी नकल न करे। तुम तो जो करती हो, वही ठीक है। मैं सफल हुआ तो दूसरोंको भी सलाह दूंगा। इस बीच दूध और फल जैसी कोई वस्तु नही ले रहा हूँ। मुझे फिलहाल एक बार खजूर, दो बार रोटी और उबली हुई सब्जी, तीन या दो बार पिसे हुए बादाम खाना माफिक आ रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६८१३)की फोटो-नकलसे।

१६७. पत्र : व्रजकृष्ण चाँदीवालाको

यरवदा मन्दिर
२५ जनवरी, १९३१

चि० व्रजकृष्ण,

तुमारा खत अब मिला। अच्छा बना हुआ शरीर बिगडने मत दो। अविंद बाबुके वार्तालाप[1] अब तक तो नहि मिले हैं। तुमने भेजा हुआ भी अब तक तो नहि मिला है। कृष्ण नेर कहाँ है। हम दोनो अच्छे हैं।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २३८६ की फोटो-नकलसे।

१. संकेत 'माताजी' द्वारा प्रकाशित "कॉन्वर्सेशन्स" (५०० की विशेष आवृत्ति) के प्रति है। माताजीके हस्ताक्षरसे अंकित प्रतियाँ आश्रममें बांटी गई थीं।

१६८. पत्र : महावीर गिरिको

यरवदा मन्दिर
२५ जनवरी, १९३१

चि० महावीर,

पालनपुरमें जो सुना, वह सही है। पालनपुरके पास काणोदर नामक गाँव है। वहाँसे एक मुसलमान जुलाहा आश्रममें सिखानेके लिए आया था। मरहूम नवाब साहबने उसे भेजा था। अच्छा धुनिया ताल बाँधकर धुनता है। मीराबहन तालका ध्यान रखती है। मैं भी थोड़ा-बहुत वैसा कर पाता हूँ। इससे थकावट कम होती है और काम ज्यादा होता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२२६)की फोटो-नकलसे।

१६९. पत्र : कुसुमबहन देसाईको

२५ जनवरी, १९३१

चि० कुसुम (बड़ी),

तेरा पत्र मिला। 'इस बार भी कोई लिखनेकी बात नहीं मिलती'—यह लगभग तेरे सब पत्रोंका आरम्भ बन गया है। इसे पढ़कर हँसूँ या रोऊँ? इसका जवाब तू ही सोच लेना।

मेरे स्वास्थ्यके बारेमें चिन्ता होने जैसी अब क्या बात रह गई है? जरासी गड़बड़ हुई थी और मैंने खबर दे दी थी। तुरन्त उचित इलाज किया था और फिर जैसा था वैसा हो गया हूँ। शक्तिमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। फिर क्या चिन्ता?

शान्ता अब आ गई होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १८१८)की फोटो-नकलसे।

१७०. पत्र : रुक्मिणी बजाजको

२५ जनवरी, १९३१

चि० रुक्मिणी,

जिसे लिखनेकी इच्छा हो वह अवश्य लिख पाता है। हर सप्ताह नही तो कभी-कभी याद कर लिया कर। तेरी ठीक परीक्षा हो रही लगती है। यही ससारका अनुभव है। तू स्वयं कैसी रहती है, यह नही लिखा। बनारसी वहाँ क्या करता है? वहाँ और कई सम्बन्धी भी हैं; किन्तु तू घरके कामसे फुरसत पाती है, ऐसा लगता नही। कभी घूमने भी जाती है? पढनेका समय मिलता है?

[पुनश्च :]

यह लिखनेके बाद बनारसीका पत्र पढ़ा। उससे तेरे बीमार होनेका पता चला। और बीमारी भी हिस्टीरिया है! यह कैसे?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९०५६)की फोटो-नकलसे।

१७१. पत्र : बनारसीलाल बजाजको

२५ जनवरी, १९३१

चि० बनारसी,

मैं तुम्हारे पत्रकी राह देख रहा था। रुक्मिणीको हिस्टीरिया है, यह जानकर दुख हुआ है। उसकी इच्छा हो और उसके लिए ठीक हो तो उसे आश्रम भेज दो। शायद ठीक हो जाये। आश्रममें तो वह एक या दो बार बेहोश हुई थी। तुमने जो लिखा है, वह तो ठीक ही है। वह विचारोंमें बहुत खोई रहती है। दवा तो शायद ही असर करे। तुम आजकल क्या करते हो? लगता है तुम्हारे यहाँ दूसरे [सभी] लोग बीमार रहते हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९०५५)की फोटो-नकलसे।

१७२. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तको

२५ जनवरी, १९३१

चि० हेमप्रभा,

देखता हुँ सतीश वावू अपने समयका वहोत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। ऐसे उनका शरीर भी अच्छा हो जावे तो कैसा अच्छा? प्रवेशिकाका हिंदी अनुवाद अवश्य भेजो। दिल तो चाहता है कि मै वंगलामें हि पढ सकु परंतु वहां तक वंगलाका ज्ञान पाना मुश्केल मालुम होता है।

तुम्हारी तृष्णा सव सात्विक है इसलिए आस्ते आस्ते तृष्णा शांतिका स्वरूप धारण करेगी। तृष्णाके साथ हि अनासक्ति रहे तो हानि नहिं होती। जैसे खादीकी विक्री वढनेकी तृष्णा हम रखें परंतु न वढ़े तो दुःख न माने तो तृष्णा से हानि नहिं होती है।

वापुके आशीर्वाद

जी० एन १६८२ की फोटो-नकलसे।

१७३. पत्र : नारणदास गांधीको

रात २०/२६ जनवरी, १९३१

चि० नारणदास,

आज सवेरे डाक भेजी थी और मैं अव फिर रातको लिखने वैठा हूँ। प्रति सप्ताह में जो वात भूल जाता हूँ, उसे लिख डालनेकी खातिर।

वा के पास मेरे चश्मे हुआ करते थे। तीन थे, अव वे कहाँ हैं, सो देखना। कदाचित् प्रेमावहनके पास हों। यदि मिलें तो तीनों भेज देना। उनमें से कौन-सा भेजना चाहिए, यह मैं यहाँसे नहीं वता सकता। जो मेरे पास है, उससे तकली चलानेमें जरा दिक्कत होती है; क्योंकि वह दो कामोंके लिए वना है। इसलिए तकली चलानेके लिए आँखोंको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। कोई आता-जाता हो तो उसके साथ अथवा पार्सल द्वारा भेज देना।

गुरु प्रभात, २२[1] जनवरी, १९३१

तुम्हारा पुलिन्दा मेरे हाथ कल शाम सात वजे आया। मैंने तो इस वातकी वहुत कोशिश की थी कि मेरे पोस्टकार्ड तुम्हें नियमपूर्वक मिले, लेकिन क्या किया

१. साधन-सूत्रमें "२१" है।

जाये; आखिरकार मै कैदी ही तो ठहरा। मिल गये, यही गनीमत है। 'गनीमत' शब्दका अर्थ मालूम है न? सुन्दर शब्द है। उर्दूमें इसका बहुत प्रयोग होता है। गनीमत — बहुत, प्रभुकी कृपा।

सुरेन्द्रकी समस्या फिलहाल तो हल हो गई। उसकी विचार-शक्ति मन्द पड गई है। काम करनेके बदले जो व्यक्ति व्यर्थके विचार-चक्रमें पड़ जाता है, उसका यही हाल होता है, ऐसा अनेक लोगोके साथ हुआ है। लेकिन, चूँकि सुरेन्द्रका हृदय खरा है, इसलिए मुझे लगता है कि बादमें वह इस हालतसे उबर जायेगा। और फिर उसकी नाथजीपर श्रद्धा है, यह चीज भी उसकी मदद करेगी। खुर्शीदबहनको मिलना। उसे किसी चीजकी जरूरत हो तो पहुँचा देना।

माधवजीकी खूराकके बारेमें मालूम करके मुझे लिख भेजना। उन्हें दूध और खजूर लेते रहना चाहिए।

मेरे पत्रोमें यदि कोई पत्र-सख्या छूट जाये तो तुम मुझे जरूर लिखना। मै इसी विश्वासपर काम चला रहा हूँ कि प्यारेलाल इसकी जाँच कर लेता है। पिछली डाककी तो मैने ही जाँच की थी और उसे लिफाफेमें डाला था। उसमें दो भूलें भी सुधारी थी। काका और मगनभाईके पत्रोकी सख्या दो बार लिख दी गई थी। मैने जल्दीमें देखा था, इसलिए कदाचित कुछ और भी रह गया हो। अब सावधानी बरतूँगा। केशुके बारेमें तुम्हें जो उचित जान पडे, सो करना। मै क्या चाहता हूँ, इसका विचार करनेकी अपेक्षा बेहतर यही होगा कि तुम अपने-आपसे पूछो कि तुम्हारा क्या धर्म है, उसका तुम्हें जो उत्तर मिले उसके अनुरूप कार्य करना और इसीको मेरी इच्छा समझना। यहाँ दूर बैठे हुए मेरा अपनी स्वतन्त्र कोई इच्छा रखना दो तरहसे दोषपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि तुम्हारे हाथमें लगाम देनेके बाद मेरे मनमें अपनी कोई इच्छा नही रह जानी चाहिए। दूसरी यह, कि यहाँ बैठे हुए मेरी इच्छाके अनुरूप साधन मेरे पास नही जुट सकते। अतएव दोनो ही दृष्टियोसे ऐसी इच्छाका अर्थ आसक्ति, मोह और विषय होना है। यहाँ बैठे-बैठे कुछ अधूरे निष्कर्ष बनाये जा सकते है। उन्हें तुम्हारे पास थोड़ी-बहुत मदद देनेके लिए ही लिखता हूँ। उनपर अमल तो तभी किया जा सकता है जब तुम्हारा हृदय उनसे सहमत हो।

यही बात बीजापुरवाली जमीनपर भी लागू होती है। छगनलालको भी मैंने यही लिखा है। सरोजिनीदेवीके साथ यदि तुम दृढतासे काम लोगे तो वह सीधी हो जायेगी। मुझे भी एक बार ऐसा ही करना पडा था। पद्माके बारेमें मुझे जो ठीक लगा सो तो मै लिख ही चुका हूँ।

मेरे और मुझे भेजे जानेवाले सारे पत्रोंको तुम पढ़ ही जाते हो। सामान्यतया यह बात मुझे पसन्द है। अब यदि तुम सबको ऐसा कह दोगे तो ठीक रहेगा: 'व्यक्ति-विशेषकी इच्छाके कारण बापू जिन पत्रोको पढनेसे मना करते है अथवा व्यक्तिविशेष स्वय जिनके बारेमें मना करता है, उन पत्रोको छोड़कर मै बापूकी सम्मतिसे अन्य सब पत्रोको समय मिलनेपर पढ़ जाता हूँ। यह जानकर यदि कोई व्यक्ति अपने पत्रोको न पढने देना चाहता हो, तो उसे विश्वास रखना चाहिए कि मै उसके

और उसको भेजेजानेवाले पत्रोंको नहीं पढ़ूँगा। यहाँ व्यक्तिगत रूपसे ऐसा कहनेमें जिस व्यक्तिको और लज्जा लगे, यदि वह मुझे लिख भेजेगा तो ठीक होगा।' इस तरह गोपनीयता बरतनेमें बहुत दोष हैं, ऐसा मुझे बार-बार महसूस होता है। लेकिन इस दोषको जबर्दस्ती दूर नहीं किया जा सकता। अतएव उसे सहन कर लेना चाहिए।

मथुरादासका किस्सा दुःखद है। पिछले हफ्ते मैंने उसे जो पत्र लिखा था, वह तुमने पढ़ा होगा। रिहा होनेके बाद यदि उसे आत्मबोध हुआ हो, अपने दोषोंको वह और अच्छी तरह देख सका हो तो यह अच्छा ही है। अप्पाके विषयमें यहींसे कुछ प्रयत्न कर रहा हूँ।[१]

लीलावतीको कष्ट उठाना पड़ा, यह सुनकर मुझे खुशी हुई। खुशी इसलिए कि किसी अन्य बहनको कष्ट सहन करना पड़े, इससे बेहतर तो यह है कि आश्रमकी ही किसी महिलाको दुःख झेलना पड़े; हम सदा यही माँगें। उनमें अपेक्षाकृत अधिक सहनशक्ति और अहिंसा होनी चाहिए।

शंकरभाईको अन्ततः तकली मिली या नहीं?

हरियोमलको मैं पत्र लिख चुका हूँ। वह पिछली डाकमें मिल गया होगा।

शाम, २२ जनवरी, १९३१

मैंने अप्पा आदिके बारेमें यहाँ बात उठाई थी। आज मुझे खबर मिली है कि उन्हें कातनेकी छूट मिल जायेगी। सारी समस्याका भी अन्ततः कोईन–कोई हल निकल ही जायेगा। यह खबर अर्थात् मेरे हस्तक्षेप करनेकी बात प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए।

काशिनाथके बारेमें मेरी जो राय है और जिसकी तुमने अपने पत्रमें चर्चा की है, वह मैं काशिनाथको पिछले पत्रमें ही लिख चुका हूँ। अब तुम्हें जो उचित लगे सो करना।

स्वामीको लिखना, 'प्रोफेट्स ऑफ न्यू इंडिया'[२] नहीं मिली।

यह पत्र पहुँचने तक प्रभावतीको वहाँ आये कुछ दिन हो भी गये होंगे।

जमनाके लिए पंजाबी वैद्यकी दवा आजमानेकी बातमें पहले ही लिख चुका हूँ न?

मैथ्यूके बारेमें तुम्हारी टीका बिलकुल ठीक है।

रात, २५ जनवरी, १९३१

अपनी तबीयतके बारेमें मैंने मीराबहनके पत्रमें लिखा है, इसलिए फिरसे नहीं लिख रहा हूँ। चिन्ताकी कोई बात नहीं। इतना ही नहीं, वरन् मेरी तबीयत सचमुच अच्छी है। पिचकारी लेनेकी तो कदापि जरूरत महसूस नहीं होती। आज प्रभावतीका तार मिला है कि वह रवाना हो चुकी है। तार मुगलसरायसे दिया था और उसपर कलकी तारीख है। अतएव इस पत्रके पहुँचते-पहुँचते तो उसे आये

१. देखिए "पत्र: ई० ई० डॉयल्को", १९-१-१९३१, २०-१-१९३१ तथा २२-१-१९३१।
२. रोमाँरोलाँ द्वारा लिखित।

काफी समय हो गया होगा। डाक्टर हरिभाईको दिखानेकी जरूरत महसूस हो तो दिखाना। तलवलकरको दिखाना ठीक लगे तो वैसा ही करना। मुझे तो उम्मीद है कि अब किसीको दिखाना नही पड़ेगा और वह अच्छी हो जायेगी।

सोमवार, तीसरे, पहर [२६ जनवरी, १९३१]

आज सवेरे खबर मिली है कि प्यारेलाल और मैं रिहा किये जानेवाले है। इसलिए जबतक यह पत्र तुम्हें मिलेगा, तबतक तो हम जेलसे रिहा हो चुके होगे। लेकिन मैं कहाँ होऊँगा सो तो मैं नही जानता। इस समय तो कमसे-कम मुझे लगता है कि मैं शान्तिमे निकलकर कहीं अशान्तिमें प्रवेश तो नही कर रहा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

८० पत्र हैं।

गुजराती एम० एम० यू० – १; तथा सी० डब्ल्यू० ८१८९ से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१७४. कृतज्ञताज्ञापन : गुरुदेवको

[२६ जनवरी, १९३१][1]

उनके हजारों स्वदेशवासियोंके साथ मैं भी गुरुदेवका बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने अपनी कवित्वशक्ति तथा जीवनकी अनोखी शुद्धिसे भारतको विश्वकी निगाहोंमें ऊँचा उठा दिया है। लेकिन मैं उनका और भी अधिक ऋणी इसलिए हूँ कि मुझसे पहले दक्षिण आफ्रिकामें मेरे जो आश्रमवासी देशमें लौटे थे, उन्होंने उनको शान्तिनिकेतनमें आश्रय दिया था। इसके अलावा अन्य सम्बन्ध और संस्मरण इतने पवित्र हैं कि सार्वजनिक कृतज्ञताज्ञापनमें उनका जिक्र नहीं किया जा सकता।

[अंग्रेजीसे]
गोल्डन बुक ऑफ टैगोर, १९३१

१. देखिए "पत्र : आर० बी० मार्टिनको", १६-२-१९३१ की पाद-टिप्पणी।

१७५. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको[1]

पूना
२६ जनवरी, १९३१

बम्बई जानेको ट्रेन पकड़नेके लिए चिंचवड स्टेशनके[2] प्लेटफार्मपर इन्तजार करते हुए श्री गांधीने देशके लोगोंके नाम निम्नलिखित सन्देश दिया :

मै जेलसे बाहर आ गया हूँ और मेरे मनमे कोई पूर्वाग्रह नही है, मेरे मनमें कोई वैरभाव नही है, किसी प्रकारके तर्कके प्रति मेरे मनमें पक्षपात नही है और मै हर दृष्टिकोणसे पूरी स्थितिका अध्ययन करने तथा सर तेजबहादुर सप्रू तथा अन्य प्रतिनिधियोकी वापसीपर उनके साथ प्रधानमन्त्रीके वक्तव्यके[3] विषयमें विचार-विमर्शके लिए तैयार हूँ। कुछ प्रतिनिधियोने लन्दनसे तार भेजकर जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण इच्छा व्यक्त की थी, मै यह वक्तव्य समादरपूर्वक उसीको ध्यानमें रखकर दे रहा हूँ।

जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको श्री रैम्जे मैकडॉनल्डके भाषणके सम्बन्धमें कुछ कहना है तो उन्होंने कहा : मैंने ध्यानपूर्वक उसपर विचार किया है, लेकिन इस स्थितिमें अभी किसी तरहकी कोई टीका-टिप्पणी करनेको तैयार नहीं हूँ; खास करके सर तेजबहादुरकी अपीलके कारण।

निकट भविष्यमें उनकी गतिविधियोंके बारेमें पूछे जानेपर उन्होंने कहा :

मेरे पास कोई बनी बनाई योजना या नीति नही है। मै कुछ दोस्तोंके साथ प्रस्तुत प्रश्नोंपर सलाह करने बम्बई जा रहा हूँ; लेकिन मै नही जानता कि वहाँसे मैं कहाँ जाऊँगा या मैं बम्बई कितने दिन ठहरूँगा।

प्र० — सभी राजनैतिक बन्दियोंकी तत्काल रिहाईके बारेमें आपकी क्या राय है?

उ० — मैं ईमानदारीसे यह मानता हूँ कि अभी जितने राजनैतिक बन्दी मेरे सविनय अवज्ञा आन्दोलन से सम्बन्धित होनेके कारण जेलमें है, उन सबको तत्काल रिहा कर दिया जाना चाहिए और जबतक हमारा कोई भी भाई या बहन जेलमे है, तबतक नेताओकी हैसियतसे हममे से कोई भी सन्तुष्ट नही हो सकता।

प्र० — अगर इस मामलेमें सरकार आप जैसा न सोचे तो आप क्या करेंगे?

उ० — चूँकि मैंने कोई योजना नही बनाई है, मै कह नही सकता।

१. यरवदा सेन्ट्रल जेल पूनासे रिहा होनेपर। गांधीजी ५ मई, १९३० से जेलमें थे।
२. बम्बई-पूना रेल मार्गपर।
३. १९ जनवरी, १९३१ का। देखिए परिशिष्ट १।

जब उनसे पूछा गया कि क्या रिहा होनेपर उन्हें खुशी हुई है तो उन्होंने उत्तर दिया :

मैं सचमुच ही कुछ कह नही सकता।

श्री गांधीने जेलमें उनके साथ हुए बरतावकी बहुत सराहना की और जब यह पूछा गया कि क्या वे निकट भविष्यमें फिर वहाँ जानेकी उम्मीद करते हैं, उन्होंने जवाब दिया :

कुछ कहा नही जा सकता।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २८-१-१९३१

१७६. पत्र : जयशंकर त्रिवेदीको

२७ जनवरी, १९३१

भाई त्रिवेदी,

तुमसे मिले बिना और मनुको देखे बिना आना पड़ा, यह अच्छा तो नही लगा पर मैं पराधीन था। तुम्हारा प्रसाद तो मिल गया था। सब्जी साथियोको दे दी। टमाटर, खजूर और बादाम साथ हैं। यह गाड़ीमें लिख रहा हूँ। और उसका कारण एक अंग्रेज कैदी है। उसका नाम व्हीलर है। उसने मेरी बहुत सेवा की थी। होशियार आदमी है, पशुओसे बहुत स्नेह करता है। मुझे यह अच्छा लगा है। उसके दाँत एक भी नही है; पर वह अधेड़ अवस्थाका है। उसे दाँत बनवाकर देनेकी इच्छा है। मेजर मार्टिनकी आज्ञा ले ली है। पूनामें किसी अच्छे दाँत बनानेवालेको जानते हो तो उसे इतना पुण्य करनेका लालच दो, अथवा तुम्ही खर्च करके दाँत बनवा देना। मेजर मार्टिन कैदीको शायद वहाँ नही भेजेगा; उस हालतमें तुम अपनी मोटरमें डाक्टरको यरवदा ले जाना। क्विन या मेजरसे मिलकर प्रबन्ध करना और मुझे लिखना। मनु भी लिखे।

तुमने प्यारेलालको जो पुस्तकें दी थी, वे मिल गई हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १००२)की फोटो-नकलसे।

१७७. भेंट : पत्र-प्रतिनिधिको

बम्बई
२७ जनवरी, १९३१

निजी तौरपर मुझे लगता है कि स्थिति कठिन तो थी ही; अब वह कार्य-समितिके सदस्योंकी रिहाईसे बेहद कठिन हो गई है, और इस कारण सदस्योंका कुछ भी कदम उठा सकना यदि सर्वथा असम्भव नही तो असम्भव-सा हो गया है।

जाहिर है कि अधिकारियोंने अभी तक यह नही पहचाना कि आन्दोलनने आम जनताके मनपर इतना ज्यादा असर डाला है कि नेता चाहे कितने ही विख्यात क्यों न हो, वे जनताको कोई विशेष रास्ता अपनानेका आदेश दे पानेमें बिलकुल ही असमर्थ होंगे।

मेरी रायमें यह स्थिति एक बहुत ही स्वस्थ स्थिति है; क्योकि स्वतंत्र चिन्तन प्रजातन्त्रका मूलतत्त्व ही है। इसलिए भारतकी विभिन्न जेलोंमें जो हजारों लोग है; वे यह कार्य सभी रिहा किये गये सारे नेताओंसे भी ज्यादा अच्छे ढँगसे कर सकते हैं।

इसलिए मेरी रायमें नेताओंकी रिहाईके प्रभावकारी हो सकनेके लिए सभी सत्याग्रही कैदियोंकी रिहाई आवश्यक हो जाती है और फिर यदि दमन बिल्कुल ही बन्द नही कर दिया जाता तो उनकी रिहाई भी प्रभावहीन हो जायगी।

मै सविनय अवज्ञा और उन हजारो लोगोके कामके बीच अन्तर दिखाना चाहता हूँ जो इस समय जेलमें है, यह अन्तर अत्यन्त महत्त्वका है। सविनय अवज्ञा अनैतिक कानूनोके प्रति विरोध प्रदर्शित करनेके लिए उनका जानबूझ कर किया गया उल्लंघन है। जरूरी नही कि उल्लघन उन कानूनोंका ही किया जाये जिन्हे सविनय अवज्ञाके क्षेत्रमें लिया हो; वे ऐसे कानून भी हो सकते है जिनके प्रति आम शिकायत हो। लेकिन, मौजूदा मामलेमे तो स्त्री-पुरुषोने सविनय अवज्ञा, किसी बहुत बड़ी सख्यामें नही अपनाई है, हुआ यह है कि वाइसरायके अध्यादेशोसे एक सर्वथा बनावटी स्थिति पैदा हो गई है। सत्याग्रहियोंने किसी प्राकृतिक या नैतिक कानूनका विरोध नही किया है। उन्होने देशके परम्परा-सिद्ध कानून (कॉमन लॉ)का भी विरोध नही किया है और न अब तक देशके किसी विहित विधानका। उन्हे तो उन निरंकुश अध्यादेशोका विरोध करनेको बाध्य होना पड़ा है, जो सामान्य कानूनी अधिकारोंमें दखल देनेके लिए बनाये गये थे; जैसे कि शराब अथवा अन्य मादक द्रव्योंके आदी लोगोंमें आदत छोड़ देनेके लिए अनुरोध करनेके लिए अनुरोध करनेका अधिकार शराब और अन्य मादक द्रव्योंके व्यापारियोसे वह पैसा छोड़ देनेका आग्रह करनेका अधिकार या विदेशी वस्त्र खरीनेवालोंसे उसको बेचना या खरीदना बन्द कर देनेका आग्रह करनेका अधिकार।

कहा जा सकता है कि नमक-कानूनको तोड़ना तो निश्चय ही सविनय अवज्ञा है। किन्तु मैं मानता हूँ कि नमक-कानूनके सम्बन्धमें भी लोगोंने केवल एक प्राकृतिक अधिकारका प्रयोग किया है; लाखों लोगोंको अपने समीपके पानीसे नमकका उत्पादन कर सकनेका अधिकार है। इसलिए सत्याग्रहका एकमात्र उदाहरण जो इस समय मुझे याद आ पाता है, नमकपर छापा मारने और कुछ हदतक वन-कानूनोंको तोड़नेसे सम्बन्धित है। इस कार्यवाहीका एक इतिहास है, मैं इस समय उसमें नहीं पड़ना चाहता।

मैं जो बात साफ करना चाहता हूँ, वह यह है कि यदि गोलमेज-परिषदसे लौटनेवाले मित्रोंने बातचीतके बाद भी यह पाया जाये कि प्रधानमन्त्रीके वक्तव्योंमें कांग्रेसके सहयोग दे सकनेका काफी कुछ आधार है, तो भी धरना देनेका अधिकार नहीं छोड़ा जा सकता और न भूखों मरनेवाले लाखों लोगोंके नमक तैयार करनेके अधिकारको ही छोड़ा जा सकता है, और यदि इन प्राथमिक अधिकारोंको मान्यता मिल जाती है तो अधिकांश अध्यादेशोंको अपने आप ही वापस ले लेना पड़ेगा।

इसलिए जनता तथा सरकार दोनोंके लिए यह बहुत जरूरी है कि कांग्रेसकी सैद्धान्तिक स्थिति समझ ली जाये।

नमक बनाना और विदेशी-वस्त्र तथा मद्यके बहिष्कारका उद्देश्य वर्तमान कुशासनके प्रति अपना प्रतिरोध व्यक्त करना नहीं है; उनका उद्देश्य तो हमेशाके लिए ये तीनों चीजें सम्पन्न कर लेना है। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, ग्रेट-ब्रिटेन तथा भारतमें चाहे सौहार्दकी कितनी ही भावना क्यों न हो जाये, जनता मद्यपानकी बुराई और विदेशीवस्त्रके उपयोगकी बुराई या नमक-उत्पादन करनेके निषेधको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है यदि शान्ति सम्मान सहित मिले, तो मैं उसके लिए कोशिश कर ही रहा हूँ। लेकिन मैं यदि अकेला ही पड़ जाऊँ तो भी किसी ऐसे समझौतेमें सहयोग नहीं दे सकता जो उपर्युक्त तीन सवालोंको हल नहीं करता।

इसलिए मुझे गोलमेज-परिषद रूपी वृक्षका मूल्यांकन उसके फलोंसे करना चाहिए। मैंने तीन कसौटियाँ सामने रखी हैं और उनपर अमल हो रहा है; लेकिन जैसा कि जनता जानती है, आठ शर्तें और हैं।[1] मैं स्वतन्त्रताका सारतत्त्व चाहता हूँ, उसकी छाया नहीं, और जैसे कि एक डाक्टर ठीक तरहसे परीक्षण करनेके बाद रोगका नाम बताता है, उसी तरह मैं इस गोलमेज-परिषद रूपी वृक्षको उसके फलकी उन ११ शर्तोंकी दृष्टिसे परीक्षा करके नाम दूँगा, जो शर्तें साधारण आदमीकी निगाहसे सोची गई हैं।

आगे यरवदा जेलमें हुए बर्तावके सिलसिलेमें एक प्रश्नका जवाब देते हुए श्री गांधीने कहा :

"एक तरहसे मैं वहाँका लाडला कैदी था। जहाँ तक शारीरिक सुख-सुविधाओंका सवाल है, जेल अधिकारियोंने उन्हें मुहैया कर देनेमें कुछ उठा नहीं रखा। इसलिए

१. ११ शर्तोंके लिए देखिये, खण्ड ४२, पृष्ठ ४४९।

जहाँतक मेरा सवाल है, अपने भोजनके बारेमें मैं अधिकारियोकी प्रशंसा ही करूँगा। निश्चय ही मैं साथी सत्याग्रहियोसे बिलकुल अलग अकेला रखा गया था और ऐसी शर्तें लगाई गई थी जिनके कारण, जो मुझे बहुत प्यारे थे, उन लोगोसे भी मिल पाना असम्भव हो गया था।

लेकिन 'सी' श्रेणीके कैदियोसे होनेवाले सर्व-सामान्य वर्तावमे अभी बहुत त्रुटि है। मेरा खयाल है कि यरवदा जेलके सुपरिटेंडेंट मेजर मार्टिन भले आदमी है। अपनी देख-रेखमे रहनेवाले कैदियोंको वे सुखी रखना चाहते है, लेकिन वे ऐसे विधि नियमोसे जकड़े हुए है जिनके कारण जहाँ तक कैदियोके नित्यके भोजनका सवाल है, वे उन्हे राहत दे ही नही पाते।

एक दृष्टान्त देता हूँ; वहाँ एक सख्त नियम यह है कि साधारण कैदीको केवल ज्वार बाजरेकी रोटी ही मिल सकती है; और इनमें से भी उसे वही अनाज दिया जायेगा, जो उस समय अधिक सस्ता हो।

इसमे कैदीके शरीरकी जरूरतका कोई खयाल नही रखा गया है।

एक और दृष्टान्त देता हूँ। इन कैदियोको चीजोमें उनकी इच्छानुसार नमक भी नही मिल सकता। जितना भी नमक दाल या सब्जीमे डाल दिया जाये, उन्हे उसीसे सन्तुष्ट रहना पडेगा। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। मैं अपना निष्कर्ष सार-रूपसे एक वाक्यमें इस प्रकार रख सकता हूँ कि आम तौरपर अधिकारियो और कैदियोके बीच ऐसे सम्बन्ध नही है जो आदमियोके बीच सहज रूपसे होने ही चाहिए।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने अनेको 'सी' श्रेणीके कैदियोकी दशा सुधारनेके प्रयत्न किये है। मैंने उनकी सराहना की है। अगर कैदियोके प्रति किसी भी प्रकार मानवीय दृष्टिसे देखा जा रहा होता, तो श्री डेविडके दिये हुए अत्यन्त सादे सुझावपर कभी पहले ही अमल किया गया होता। जेल छोड़नेके समय तक तो मैंने इस बातका कोई लक्षण नही देखा। मुझे विश्वास हो गया है कि 'सी' श्रेणीके कैदियोंको ऐसे अनेक कष्ट सहने होते हैं, जो अनिवार्य नही है। कैदियोंका 'ए', 'बी', 'सी' श्रेणियोमें विभाजन बहुत ही परेशान करनेवाला है और वह सर्वथा अनुचित है। जरूरत तो इस बातकी है कि बहुसंख्यक कैदियोको वास्तविक राहत मिले, और ऐसी राहत श्रेणी-विभाजनसे नही मिल सकती; बल्कि यह उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण भावना रखनेपर ही सम्भव है।

यह पूछे जानेपर कि 'लाड़ला कैदी' कहनेसे आपका क्या मतलब है, श्री गांधीने समझाकर बताया कि एक ओर तो मेरी सभी शारीरिक जरूरतें — भोजन आदि पूरी की जाती थीं, और दूसरी ओर मुझे दूसरोंसे एकदम अलग रखा जाता था; उसके कारण मुझे मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट पहुँचता था। जान पड़ता है मानो ऐसे एकान्तवासकी कमी पूरी करनेके लिए मैं जो भी खाना चाहता था, मुझे वह सभी कुछ मुहैया कर दिया जाता था।

श्री गांधीको वाइसरायके हालके वक्तव्यका वह अंश याद आ गया, जिसका यह आशय था कि सरकारके सामने जो लक्ष्य है, उसमें और कांग्रेसके लक्ष्यमें कोई

अन्तर नहीं है; अन्तर केवल उस लक्ष्यको प्राप्त करनेके तरीकेमें है। इस मुद्देपर बोलते हुए श्री गांधीने कहा :

पहले तो मैं इसी बातसे सन्तुष्ट नही हूँ कि लक्ष्यको समान कहा गया है। दूसरे, कांग्रेसने कभी कोई ऐसा रास्ता नही अपनाया जो परिस्थिति-विशेषके कारण सर्वथा अनिवार्य ही न बन गया हो। मेरी रायमें जब अन्तिम दशाब्दीका इतिहास लिखा जायेगा, तो भारतकी महिलाओको श्रेय दिया जायेगा। उन्होने स्वराज्यको अपेक्षाकृत निकट लानेमें सहयोग दिया है। इस प्रकार वे स्वय तो काफी ऊँची उठी ही हैं, उन्होने राष्ट्रको भी ऊँचा उठाया है।

इसके बाद श्री गांधीका ध्यान यरवदासे सम्बन्धित एक समाचारकी ओर आकर्षित किया गया, जिसमें ऐसा कुछ कहा गया था कि उन्होने रवाना होनेसे पहले जेलके सुपरिटेंडेंटको एक सीलबन्द लिफाफेमें कुछ रहस्यपूर्ण कागज-पत्र दिये थे। उन्होंने कागज-पत्र सुपरिटेंडेंटको देनेकी बातसे इनकार किया।[1] . . .

संभाषणके दौरान, श्री गांधीने भावी योजनाओंके बारेमें कुछ भी कहनेमें अपनी असमर्थता बताई। वे पंडित मोतीलालजीको मिलने इलाहाबाद रवाना हो रहे थे और उनका कार्यक्रम पंडितजीकी तबीयतपर निर्भर था। सम्माननीय श्री शास्त्रीजीके समुद्री तारके अनुसार श्री शास्त्री और अन्य प्रतिनिधियोंसे बातचीत होनेतक प्रधानमंत्रीके वक्तव्यपर अपनी राय बनाना उन्होंने मुल्तवी रखा है।

और आगे बातचीत करते हुए गांधीजीने कहा कि भावी कार्यक्रमके सम्बन्धमें इस समय कुछ भी कहना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अभी वे पण्डित मोतीलालको मिलनेके लिए इलाहाबाद जा रहे हैं और पण्डितजीकी तबीयत कैसी है, इसीपर उनका आगेका कार्यक्रम निर्भर करता है। परमश्रेष्ठ श्री शास्त्रीजीकी समुद्री तार मिलनेपर उन्होंने प्रधानमंत्रीके भाषणपर अपना फैसला श्री शास्त्री और शिष्टमण्डलके उनके साथियोंके साथ सलाह-मशविरा करनेतक मुल्तवी कर दिया है।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, २८-१-१९३१

१. यहाँ मुलाकातमें विघ्न पड़ा क्योंकि गांधीजीको एक संदेश मिला जिसके उत्तरमें उन्होंने तत्काल तार लिखवाया; देखिए अगला शीर्षक।

१७८. एक तार[1]

२७ जनवरी, १९३१

पण्डित जी की गम्भीर बीमारीके कारण इलाहाबाद जा रहा हूँ। आगे और तारका इन्तजार कीजिए।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, २८-१-१९३१

१७९. तार: 'डेली हेरॉल्ड' लन्दनको[2]

३० जनवरी, १९३१

कांग्रेसकी घोषणा और आकांक्षाको ध्यानमें रखते हुए प्रधानमन्त्रीके वक्तव्यकी जाँच कर रहा हूँ। वक्तव्य यो देखनेपर, सर्वथा अपर्याप्त लगता है, लेकिन कांग्रेसके अधिकांश लोगोंके साथ-साथ मैं पूरी तरह खुला दिमाग रखता हूँ इसलिए परम माननीय शास्त्री, डाक्टर सप्रू और श्री जयकरके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनुरोधको देखते हुए निर्णय मुल्तवी कर दिया गया है। निजी तौर पर मैं व्यग्रतासे ऐसी सम्मानजनक शान्ति स्थापित करनेके उपाय खोज रहा हूँ जिससे भारतको उसकी इच्छित स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाये, जिसे पानेका उसे हक है। लेकिन कांग्रेस कार्य समितिके सदस्योंकी और उनकी पत्नियोंकी रिहाई मात्र से लाभ नही होगा। शान्तिपूर्ण वार्ता के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करनेके लिए भी सभी सत्याग्रही कैदियोंकी रिहाई, दमनकारी अध्यादेशोंको वापस लेना और जब्त सम्पत्तिको वापस दे देना सर्वथा आवश्यक है। इसी महीनेकी २१ तारीखको सुविख्यात महिलाओंको, जो कोई गैरकानूनी कार्रवाई नही कर रही थी बल्कि एक साथी कार्यकर्त्रीके प्रति हालमें हुए बुरे बर्तावके विरोधमें होनेवाली सभाके जलूसकी तैयारी कर रही थी, अशिष्टतापूर्ण गालियाँ दी गई और निर्दयतापूर्वक पीटा गया। और उनमें से डेढ़ सौ से ऊपरको चोटें आई। इसी छब्बीसको

१. गांधीजीने यह एक सन्देशके जवाबमें बोलकर लिखवाया जो उन्हें एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाको भेंट देते समय मिला था; देखिए पिछला शीर्षक।

२. २५ जनवरीके एक समुद्री तारके जवाबमें जो इस प्रकार था: आपकी रिहाईके बाद प्रधानमन्त्री मैकडॉनल्डकी भारत सम्बन्धी घोषणापर आपके विचारोंके २०० शब्दोंके वक्तव्यका स्वागत होगा। समुद्री तारसे भेजिएगा। कम्पनी ऐसा सन्देश निःशुल्क स्वीकार करेगी।

आशाके विपरीत कलकत्तामें स्वतन्त्रता-दिवसकी सभाओंका निषेध कर दिया गया और उन्हें बलपूर्वक तितर-बितर कर दिया गया। कलकत्ताके मेयर सुभाषचन्द्र बोसको बहुत मारा-पीटा गया और फिर गिरफ्तार करके छः महीनेकी सख्त कैदकी सजा दे दी गई। उसी दिन बिहारमें ऐसी ही सभाको तितर-बितर करनेमें पाँच आदमी मारे गये; एक दर्जन घायल हो गये। कांग्रेस तथा अन्य संस्थाएँ, जिनमें महिला सस्थाएँ भी शामिल हैं, अभी भी गैर कानूनी घोषित की जा रही हैं। यह वर्तमान दमन जो लगातार जारी है रिहाईकी सारी शोभा नष्ट कर देता है और उसे उद्दिष्ट कार्यके लिए निरर्थक बना देता है।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९०४)की फोटो-नकलसे।

१८०. तार: मा० श्री० अणेको[1]

इलाहाबाद
३१ जनवरी, १९३१

मैं आपके तारको बहुमूल्य मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बरारके प्रतीक तो हैं ही; उससे भी ज्यादा है। आपके प्रति मेरा कितना आदरभाव है सो आप जानते हैं। किसी भी काममें आपके मेरे साथ हार्दिक सहयोगकी बात जानकर मेरी शक्ति बढ जाती है। जब आपको समय मिले मुझे स्थानीय और सर्व-सामान्य स्थितिके बारेमें अपने विचार लिखनेकी कृपा करे।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य: नारायण देसाई

१. एम० एस० अणेके तारके जवाबमें, जो इस प्रकार था: "आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बरार आपके ऐसे सभी निर्णयोंको जो आप भावी नीति और कार्यक्रमके सम्बन्धमें प्रमुख कांग्रेसजनों और अन्य मित्रोंसे विचार-विमर्श करके लेंगे, एक होकर स्वीकार करेगा"।

१८१. पत्र : रुक्मिणी बजाजको

३१ जनवरी, १९३१

चि० रुक्मिणी,

तेरी बीमारीके बारेमें अभी सुना। जमनालालजीको भेजा तेरा पत्र पढ़ा है। तुम्हें क्या लिखूँ? जल्दी ठीक हो जा। मुझे आशा थी कि तुम दोनोंसे मिल सकूँगा। किन्तु अभी तो मेरी आशा निष्फल गई।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९०५७)की फोटो-नकलसे।

१८२. भाषण : इलाहाबादमें कांग्रेस नेताओंके समक्ष

३१ जनवरी, १९३१

मैं अकेला होऊँ और सारा हिन्दुस्तान दूसरी तरफ हो, तो भी मैंने जिस वस्तुकी माँग की है उसे कभी न छोड़ूँ। किन्तु इस बारेमें मैं आपकी सलाह भी माँगता हूँ। सप्रू और शास्त्रीका तार आनेके बाद मैंने मैकडॉनल्डके वक्तव्यपर विचार करनेका इरादा छोड़ दिया, किन्तु मैंने बता दिया है कि इस वक्तव्यपर विचार या पत्र-व्यवहार हम किन शर्तोंपर कर सकते हैं। वे सन्धिकी शर्तें हैं। यरवदामें मैंने जो शर्तें लगाई थीं उनपर मैं अब भी दृढ़ हूँ। यह बतानेके लिए मैंने बम्बईमें वक्तव्य देकर अपनी मर्यादा निश्चित कर ली थी। इसमें एक बात बढ़ गई है। जिन घटनाओंको याद करके ही सरदार शार्दूलसिंह जैसे लोगोंकी आँखोंमें पानी भर आया, उनकी जाँचके लिए हम कैसे माँग न करें? हमने तो जो अबतक सहन किया है, वह तो अभी जो सहन करना पड़ेगा, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसी बातोंकी स्वतन्त्र जाँचके लिए हम आयोगकी माँग करते हैं। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करने और अपराधी अधिकारियोंको निकाल देनेकी माँग की जा सकती है। हम दूसरेके दोषोंको नजरअन्दाज करके इसे भूलनेकी बात करते हैं। पर कई बातें भुला देनेसे पाप होता है। जलियाँवाला बागके लिए डायर या ओ-डायरको माफी दे दें, किन्तु हम उसे भूल नहीं सकते। यहाँ जिन लोगोंने जुल्म किया उनको भी हम माफी तो दे सकते हैं; हालाँकि यहाँ जलियाँवाला बागसे भी भयंकर घटनाएँ हुई हैं। खेड़ामें स्त्रियोंपर हुए जुलमकी मिसाल इतिहासमें और कहीं नहीं मिलती। कभी हिंसा न करनेकी इच्छुक स्त्रियों — केवल स्त्रियों पर क्या जुल्म हुए, यह तो समाचारपत्रोंमें नहीं छपा। आजकी दशामें छप भी किस प्रकार सकता है? किन्तु

इस पूरी घटनाकी जाँच स्वतन्त्र अदालत द्वारा की जानी चाहिए। भविष्यमें सुन्नाब जैसे वकीलका पकड़ा जाना, मारा जाना संभव नहीं होना चाहिए। इस सबकी जाँच होनी ही चाहिए।

कैदियोंकी बातका भी जिक्र हुआ है। जिन्हें फाँसीकी सजा मिली है, उन कैदियोंको फाँसी नहीं मिलनी चाहिए। मेरे अपने धर्मके अनुसार तो उन्हें फाँसी क्या कैद भी नहीं मिलनी चाहिए। पर यह तो मेरी निजी राय है। इसे शर्त बना सकते हैं या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। शोलापुरके लोगोंको न्यायाधीशकी शंका और लोगोंके इतने आग्रहके बावजूद फाँसी दे दी गई। हम कैसे कहें कि ऐसी फाँसी देनेवाली सरकारके साथ हम बात भी नहीं कर सकते? ऐसी बात शर्तके रूपमें रखनेमें जोखिम है, अन्याय है, क्योंकि न्याय तो यह है कि इस संघर्षमें भाग लेनेवालोंको ही हम मुक्त करवानेकी माँग करें। दूसरे लोगोंका छुटकारा हम सन्धिकी शर्तोंमें नहीं रख सकते। इसलिए मैंने जो अपने वक्तव्यमें कहा, उसपर मैं कायम हूँ। हाँ, जिनपर नियमपूर्वक मुकदमा नहीं चलाया गया, उन्हें तो छोड़ ही देना चाहिए। ब्रिटिश सरकारके साथ बात करनेके लिए तो आज भी निश्चय किया जा सकता है; किन्तु उसकी शर्तें तो वही हैं जो मैंने बताई हैं। सन्धिके लिए भी जो शर्तें मैंने कही हैं, वही होनी चाहिए। नमक-कानूनके भंगको सविनय-अवज्ञा कौन कहता है। सविनय-अवज्ञा तो उसको ही कह सकते हैं जिसका पालन हम शान्तिके बाद भी करनेवाले हैं।

यरवदामें हमने जिन बातोंपर विचार किया था, उनमें से एक भी नहीं छोड़ सकते। मैक्डॉनल्डके वक्तव्यसे हमें कुछ मिलता है, ऐसा मैं नहीं मानता। किन्तु इस पर विचार भी तभी करें जब सरकार इतनी बात कबूल करे। बाकी, मेरा दिल तो दाँडी जानेसे पहले ही कह रहा था कि मुझे जो कुछ करना था वह मैंने कर लिया। फिर मैंने कांग्रेसके सामने उसे रख दिया। उसे जो कुछ करना हो या यह आन्दोलन बन्द करना हो तो बन्द करे। आप मुझसे कहें कि मेरा काम हो चुका और मैं आश्रम जाकर बैठ जाऊँ तो मैं तुरन्त मान लूँगा। इस बार जेलसे निकलने पर मुझे जो धक्का लगा, उसका वर्णन किस प्रकार करूँ, समझमें नहीं आता! जहाँतक आप लोगोंका सवाल है, आपने तो जो किया है उसने तो मुझे चकित कर दिया है। मेरे लिए तो कुछ भी सुझाव देनेकी जरूरत भी नहीं रही। मेरे दिलमें ऐसी शंका भी नहीं रही कि अब लोगोंका ज्यादा अच्छा मार्ग-प्रदर्शन कर सकूँगा। अब तो संघर्षको जनताने अपना लिया है और उसे चलानेवाला ईश्वर है। किसकी बुद्धि इस कामको सफल करेगी, इसकी मुझे खबर नहीं। ईश्वर सफल करेगा इतना मैं जरूर जानता हूँ।

आप अपने प्रान्तके बारेमें जो कहना हो सो कहें। किन्तु जो कहना चाहते हैं, उसे करना हो तभी कहें। सरकारसे हमें छिपाकर रखनेकी क्या जरूरत है? उसे तो रेडियोसे या किसी दूसरी तरह सारी खबर मिल रही है। लोगोंको हटानेकी बात ही क्या है? क्या लोगोंको इतना बलिदान करनेके बाद भी पीछे हटना था? मुझे इसमें शंका नहीं कि हम जितनी देर चाहें उतनी देर इस संघर्षको चला सकते हैं।

सरकारमें इतनी हैवानियत है कि अभी हमें और ज्यादा वलिदानके लिए कटिबद्ध रहना है। अभी हमें दुनियाके करोड़ों लोगोंको, सारी दुनियाको, आजाद करवाना है। दुनिया हिन्दुस्तानमें चमत्कार होनेकी आशा कर रही है। मैं तो चाहता हूँ कि आप यहींसे ऐसा अडिग निश्चय करके जाइए कि स्वराज्यके लिए जो कुछ भी करना बाकी है, उसे करनेके लिए मर मिटेंगे। जितना जोर-जुल्म हुआ है, उससे भी ज्यादा होनेका डर है। मैं 'डर' शब्दका उपयोग इसलिए करता हूँ कि इन्सान और ज्यादा हैवानियतकी ओर बढ़े, यह हम कभी नहीं चाहते। किन्तु यदि ऐसा हो तो क्या करें?

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी।
सौजन्य: नारायण देसाई

१८३. पाठकसे

इलाहाबाद
१ फरवरी, १९३१

इतने महीनोंके बाद आपसे फिर मिलते हुए मुझे यह सोचकर अपने अन्दर खुशीकी एक चमक महसूस होती है कि जबर्दस्त कठिनाइयोंके रहते हुए भी पत्रका प्रकाशन[1] जारी रहा। मैंने अपने साथी कार्यकर्त्ताओंको बता दिया था कि अधिकारियों द्वारा दमन किये जानेपर भी पत्रका प्रकाशन जारी रखना है; फिर वह हस्तलिखित कागजोंके रूपमें हो और वे गिनतीमें केवल उतने ही क्यों न हों जितने स्वयंसेवक प्रति बनानेके लिए आते हों। जहाँ पूर्ण सहयोग और इच्छा हो, वहाँ इस ढंगसे अनगिनत प्रतियाँ बन सकती हैं और संसारका कोई भी छापाखाना ऐसे प्रयत्नका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह बात केवल सिद्धान्त रूपमें ही सच है। व्यवहारमें ऐसी इच्छा देखनेमें नहीं आती। लेकिन अहिंसा अथवा सक्रिय विशुद्ध प्रेमके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। वह सभी कठिनाइयोंको पार कर लेता है। मेरे साथियोंने एक प्रभावकारी तरीका चुना है, यद्यपि मेरी रायमें वह अहिंसा और सत्यकी भावनासे, जिसमें कोई दुराव-छिपाव नहीं होता, कम मेल खाता है। लेकिन मैं उनके विचारके गुणदोष नहीं देखूँगा बल्कि मैं उनकी संघठनात्मक क्षमताकी सराहना और आदर करता हूँ। मैं अभी तक यह नहीं जान पाया कि सात हजारसे ऊपर प्रतियाँ इतने निममित रूपसे कैसे जारी की जा रही हैं। मैं पीछे रहकर मदद करनेवाले सज्जनों और उन अनेक पाठकोंको, जो 'यंग इंडिया' से अपना सम्पर्क बनाये हुए हैं, धन्यवाद देकर ही सन्तोष करूँगा। मैं इन पृष्ठोंके जरिए पाठकोंमें अपना सम्बन्ध फिर ताजा करते हुए फिरसे अपनी श्रद्धा दुहरा देना चाहता हूँ।

१. यह संकेत गांधीजीके कारावासके दौरान साइक्लोस्टाइलमें किये हुए प्रकाशनकी ओर है।

आठ महीनेसे अधिक समय तकके एकान्त चिन्तनने सत्य और अहिंसामें मेरा विश्वास बढ़ाया ही है। सम्भव है, यह कहनेपर मेरा मजाक उड़ाया जाये, मैं यह जोखिम उठाकर भी इस बातको, जो मैंने बहुधा कही है, दुहराता हूँ कि खद्दरके अतिशय व्यापक फलितार्थों सहित स्वेच्छापूर्वक सर्वत्र अपनाये जानेका अभिप्राय पूर्ण-स्वराज्य है और क्योंकि खद्दर अभीतक वह स्थान नहीं बना पाया है जो उसे बना लेना चाहिए था, इसीलिए सविनय-अवज्ञा एक आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है। लेकिन इन बातोंके बारेमें मैं बादमें लिखूँगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, (परिशिष्ट), ५-२-१९३१

१८४. कार्य-समितिका प्रस्ताव[1]

इलाहाबाद
१ फरवरी, १९३१

श्रीयुत शास्त्री, सप्रू और जयकरकी इच्छाओंका समादर करते हुए कार्य समितिने २१ जनवरी, १९३१ को पारित अपने प्रस्तावका प्रकाशन मुल्तवी कर दिया। इससे लोगोंकी कुछ ऐसी धारणा बन गई कि सविनय-अवज्ञाका आन्दोलन मुल्तवी कर दिया गया है। इसलिए समितिके इस निर्णयको फिरसे जोर देकर दुहरा देना जरूरी है कि जबतक उससे विपरीत साफ निर्देश जारी नहीं किये जाते, तबतक आन्दोलनको अविराम जारी रखना है। यह बैठक जनताको याद दिलाती है कि विदेशी-वस्त्रकी और शराब तथा मादक द्रव्योंकी दुकानोंपर धरना देना अपने आपमें सविनय अवज्ञा आन्दोलनका एक अंग नहीं है; बल्कि जहाँतक धरना सर्वथा शान्तिपूर्ण रहता है और जनताके लिए कोई अड़चन नहीं पैदा करता, वह नागरिकके सामान्य अधिकारका प्रयोग करना है।

यह बैठक विदेशी-वस्त्रके, जिसमें विदेशी-सूत भी शामिल है, विक्रेताओं और कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओंको याद दिलाती है कि जनताके हितमें विदेशी-वस्त्रका बहिष्कार अत्यन्त आवश्यक है, वह राष्ट्रीय गतिविधिका एक स्थायी अंग है और तबतक बना भी रहेगा जबतक विदेशी-वस्त्र तथा विदेशी-सूतको पूर्ण निषेध या निषेधात्मक आयात-कर द्वारा भारतसे बाहर रोक रखने योग्य शक्ति राष्ट्रमें न आ जाये।

विदेशी-वस्त्रका बहिष्कार करनेकी कांग्रेसकी अपीलपर व्यापारियोंकी जो प्रतिक्रिया हुई, उसकी सराहना करते हुए यह बैठक उन्हें याद दिलाती है कि भारतमें मौजूदा मालको बेच सकनेकी उनकी आशाएँ पूरी कर सकना कांग्रेसकी किसी भी संस्थाका काम नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, खण्ड-१,

१. सम्भवतः इसका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था।

१८५. पत्र : वाइसरायको

आनन्द भवन, इलाहाबाद
१ फरवरी, १९३१

प्रिय मित्र,

आपने लन्दनमें हालमें हुई परिषदके आगेके काममें सहयोग देनेकी मुझसे सार्वजनिक अपील[1] की है और मेरे बारेमें यह कहा है कि मुझे ब्रिटिश वादों और घोषणाओंके प्रामाणिक होनेका विश्वास है। काश! मैं आपके इस कथनका अनुमोदन कर सकता। मैंने २३ दिसम्बर, १९२९ को आपको बताया था कि कुछ सम्माननीय अपवादोंके छोड़कर मुझे यह देखकर खेद हुआ है कि ब्रिटिश घोषणाएँ और वादे झूठे हैं। यदि मैंने उन्हें वैसा न पाया होता तो ब्रिटिश अधिकारियोंको भारतमें और भारतसे बाहर स्वेच्छापूर्वक जो सक्रिय सहयोग मैं देता था वह देना कभी बन्द नहीं किया होता।

लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अपीलके अनुसार सहयोग देनेके लिए मैं सिर्फ ऐसे किसी अनुकूल संकेतकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि कुछ बहुत ही अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। खेड़ा जिलेके बोरसद नगरमें २१ जनवरीको बिलकुल बेगुनाह औरतों और लड़कियोंपर असभ्यतापूर्वक नृशंस ढंगसे लाठी चलाई गई, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये स्त्रियाँ एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक १७ सालकी लड़कीके[2] प्रति किये गये पाशविक व्यवहारके प्रति विरोध व्यक्त करनेके लिए आयोजित एक महिला-सभामें जुलूस बना कर जा रही थी न तो जुलूसका और न ही सभाका निषेध किया गया था। कई महिलाओंको गम्भीर चोटें लगीं। जिनको पीटा गया, उनमें से कुछ महिलाएँ तो सत्याग्रह आश्रम, साबरमतीकी हैं। उनमें से एक वृद्ध विधवा[3], जो आश्रमके व्यवस्थापक मण्डलकी सदस्या है, खूनसे नहा गई। आपको पुलिसकी अमानुषताका कुछ अन्दाज देनेके लिए मैं यहाँ उनके उस पत्रका[4] स्वतन्त्र अनुवाद दे रहा हूँ जो उन्होंने मुझे लिखा था। उस पत्रमें लिखे तथ्योंको आसानीसे प्रमाणित किया जा सकता है। उस दिन जिलाधीश स्वयं बोरसदमें थे। यह लिखते समय मुझे आधुनिक इतिहासकी ऐसी कोई घटना नहीं याद आती जिसकी तुलना सर्वथा असहाय और बेगुनाह औरतोंके प्रति इस सरकारी बर्बरतासे की जा सके। मैं इस तस्वीरकी रूपरेखा यह बताकर पूरी कर दूँ कि इस सभामें या जुलूसमें सिवा कुछ एक मार्गदर्शकोंके स्वयंसेवक और कोई पुरुष नहीं थे।

१. गांधीजीकी रिहाईकी घोषणा करते हुए; देखिए परिशिष्ट २।

२. लीलावती।

३. गंगाबहन।

४. देखिए परिशिष्ट ३।

जैसा कि आपको मालूम होगा, कलकत्तेमें २६ तारीखको स्वातन्त्र्य दिवस प्रस्तावकी पुनः घोषणाके लिए होनेवाली विज्ञापित सभाओंपर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी और मुख्य सभाकी ओर बढ़ रहे जुलूसको, जिसका नेतृत्व कलकत्ताके मेयर श्री सुभाषचन्द्र बोस कर रहे थे, निर्दयतासे लाठी चला करके तितर-बितर कर दिया गया था।

वेगुसराय (बिहार)में उसी दिन ऐसी ही एक सभासे लौट रहे लोगोंके एक दलपर पुलिसने गोली चलाई जिसके फलस्वरूप छ. व्यक्ति मारे गये और कई व्यक्ति जख्मी हो गये। कहा जाता है कि पुलिसने एक स्कूलके अन्दर भी गोली चलाई। आपने शायद पुलिस कार्यवाहीके बचावमें दिये गये अधिकारियोंके बयानको पढ़ा होगा। मुझे समाचार देनेवाले लोग अधिकारियोंके इस बयानके मुख्य अंशको गलत मानते हैं और यदि उनका कहना सही है, तो गोली चलानेकी कोई जरूरत नहीं थी।

इन तीनों घटनाओंके बाद यह समाचार मिला है कि मद्रास वकील परिषदके एक सदस्य श्री भाष्यम् और एक सुविख्यात कार्यकर्त्ता श्री वी० ए० सुन्दरम्को, जब वे विदेशी-वस्त्रोंकी दूकानों पर उनके मालिकोंकी सहमतिसे धरना दे रहे थे, पीटा गया और उनके साथ ऐसा बरताव किया गया जो एक सभ्य सरकारके अनुरूप नहीं था। मारपीटके बाद उन्हें बहुत दूर एक ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ डाक्टरी या अन्य किस्मकी मदद नहीं मिल सकती थी। यदि इत्तिफाकसे एक मोटर उधरसे न गुजरी होती तो कह नहीं सकते कि इन सज्जनोंका क्या हाल हुआ होता।

मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप यहाँ दिये गये विवरणको स्वीकार कर लें, किन्तु मैं आपसे यह अवश्य कहता हूँ कि आप मेरे साथ यह समझनेकी कोशिश करें कि जो लोग मेरी तरह इनमें विश्वास करते हैं, उनके लिए निष्ठापूर्वक सहयोग दे सकना सम्भव नहीं है और सहयोगके लिए उत्साह प्रकट करनेकी तो बात ही नहीं उठती। ऐसा सहयोग, जिसके लिए कई अन्य बातें जरूरी हैं, अन्तमें प्राप्त हो या नहीं, लेकिन मुझे आशा है कि आप यह तो मानेंगे ही कि जिन घटनाओंका मैंने उल्लेख किया है वैसी घटनाओंका निष्पक्ष निर्णय होना बहुत जरूरी है। ऐसी जाँच जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि भारत सरकार ऐसे तरीकोंको प्रोत्साहन नहीं देना चाहती जैसे कि मैंने बयान किये हैं। मैंने जिन चार मामलोंका हवाला दिया है वे हाल हीमें हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निष्पक्ष जाँच समिति नियुक्त करें जो कांग्रेसको स्वीकार्य हो। यह समिति जबसे सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हुआ, तबसे भारतके विभिन्न भागोंमें अधिकारियों द्वारा की जानेवाली कथित ज्यादतियोंकी जाँच करे। यदि ऐसी समिति नियुक्त की जाती है तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस उसके सामने ऐसे प्रमाण दे सकेगी जिनसे स्पष्ट हो जायेगा कि बहुतसे मामलोंमें अधिकारियोंका व्यवहार आपके अध्यादेशोंकी प्रस्तावना और आपकी बारबार दुहराई गई घोषणाओंसे जैसी आशा बँधी थी, उसके विपरीत रहा है।

जब तक कि मुझे आपका उत्तर नही मिल जाता और यह नही मालूम हो जाता कि इस मामलेमें[1] आपकी क्या इच्छा है, तब तक मै यह पत्र समाचारपत्रोंको नही भेज रहा हूँ। मैं मंगलवार तक इलाहाबादमे हूँ। आशा है कि मैं मंगलवारकी शामको इलाहाबादसे बम्बईके लिए रवाना होऊँगा। वहाँ मेरे ६ तारीख तक रहनेकी बात है।

आपका,
विश्वस्त मित्र

संलग्न: एक पत्रका अनुवाद
महामहिम वाइसराय

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेक्ट्स: ७५० (१४) 'ओ' भाग-ए,

१८६. भेंट: 'रायटर' के प्रतिनिधिको

इलाहाबाद
१ फरवरी, १९३१

'रायटर' के विशेष प्रतिनिधि द्वारा भेंट किये जाने पर गांधीजीने कहा:

कार्य समितिके सदस्योमें फूटके सम्बन्धमें सभी अनुमान शुद्ध कहानी है। इसके विपरीत कलकी और आजकी कार्यवाही सर्वथा सर्वसम्मतिसे हुई और सदस्योका व्यवहार [परस्पर] सद्भावपूर्ण रहा। सभीका एक ही विचार था कि आन्दोलन सन्धिकी घोषणाके बिना वापस नही लिया जा सकता और न वह मुल्तवी किया जा सकता है। हर व्यक्तिको साफ समझ आयेगा कि जो जनसाधारणका आन्दोलन इस समय जारी है, वह एक अन्तिम समझौतेकी समुचित आशाके बिना एकाएक बन्द नही किया जा सकता और उसे तबतक वापस भी नही लिया जा सकता है जबतक कि काफी बड़ी संख्यामें लोगोंको समझौतेकी आशा नही हो जाती; और जबतक दमन अपने उग्र रूपमें जारी रहता है तबतक ऐसा कभी नही हो सकता। हाल ही में श्रीयुत भाष्यम और सुन्दरम्पर किये गये गैर-जिम्मेदार हमलेके दृष्टान्तसे यह प्रकट है कि दमन उग्ररूपमें चल रहा है। मुझे रोज ही निंदातीत चारित्र्यके

१. गांधीजीके नाम अपने ४ जनवरीके पत्रमें जी० कनिंघमने लिखा: "महामहिमको खेद है कि वे यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकते। यदि उन्हें सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लेनेवाले लोगों द्वारा की गई ज्यादतियोंके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी सामान्य जाँच करनेके लिए ऐसा ही सुझाव दिया जाये तो वे उसपर भी विचार करनेसे इनकार करेंगे।. .. इसलिए उन्हें आरोपों और प्रत्यारोपोंकी सामान्य जाँचमें कोई लाभ नहीं दिखाई देता। न ही उन्हें ऐसा ही लगता है कि इससे उस काममें मदद मिलेगी जिसे वे इस वक्त सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य मानते हैं; यानी जो लोग प्रधानमन्त्री द्वारा साफ बताये गये उद्देश्यको पूरा करनेके रचनात्मक कार्यमें योग देना चाहते हैं, इससे उन्हें योग देनेमें मदद नहीं मिलेगी"।

स्त्री-पुरुषोंसे दमनकी खबरें मिलती रही हैं; और ये खबरें भारतके किसी एक हिस्से हीसे नहीं मिल रही हैं। एक मित्रने मुझे एक पत्र दिया है जिसमें जिला मिदनापुर (बंगाल)में पुलिस द्वारा किये गये कथित अत्याचारोंकी दर्दनाक तफसील है।

मेरी रायमें इन आरोपोंकी सर्वथा निष्पक्षऔर पूरी-पूरी जाँचसे कम कोई चीज न तो जनताके मनको सन्तुष्ट कर सकती है, न न्यायकी अपेक्षाओंको। मैं नही समझ पाता कि जब वातावरण हर घंटे होनेवाले दमनसे दूषित होता जा रहा है तो शान्तिके लिए बातचीत कर सकना कैसे सम्भव है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २-२-१९३१

१८७. भाषण : इलाहाबादकी सार्वजनिक सभामें

१ फरवरी, १९३१

गांधीजीने मंचपर बैठे रहकर हिन्दीमें बोलते हुए कहा कि इस सभामें जैसी जबर्दस्त भीड़ इकट्ठा हुई है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उन्होंने ईश्वरको धन्यवाद दिया तथा जनताको आठ महीनोंमें किये गये वीरता और त्यागके महान कार्योंके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं जब कभी उन वीरता और त्यागके कार्योंकी बात सोचता हूँ, मुझे तुरन्त अपनी बहनोंकी याद आ जाती है। महात्मा गांधीने कहा कि राष्ट्रीय संघर्षमें लोगोंके काफी त्यागपर और उसमें भी भारतीय महिलाओंने जो हिस्सा लिया है, उसपर सारे विश्वको आश्चर्य है।

जो महिलाएँ सर्वथा अज्ञानी समझी जाती थीं और हमेशा पर्देमें रहती थीं, उन्होंने राष्ट्रकी पुकारपर तुरन्त पर्दा छोड़ दिया, उन्होंने अपने बच्चोंका बलिदान कर दिया, अपनी छोटी-छोटी बच्चियोंको भी संघर्षके लिए दिया और संघर्षमें भाग लेनेवाले अपने पतियोंके रास्तेमें कोई रुकावट नहीं डाली। उन्होंने कहा कि औरतोंका त्याग केवल यहीं तक ही सीमित नहीं रहा; परदा छोड़कर वे खुद भी संघर्षमें भाग लेनेके लिए बाहर निकलीं।

आगे बोलते हुए महात्मा गांधीने कहा कि देशमें अनगिनत ऐसे परिवार मिलेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्षके लिए कदाचित् अपना हर सदस्य दे दिया हो। बन्दूकोंसे होनेवाली लड़ाईमें वृद्ध पुरुष, स्त्रियाँ, लड़के और लड़कियाँ भाग नहीं ले पाते, लेकिन भारतकी आजादीकी लड़ाई ऐसी है जिसमें सभी हिस्सा ले सकते हैं।[1]

महात्मा गांधीने तकली चलाते हुए भाषणको जारी रखा और श्री शिवप्रसाद गुप्त उसे [जोरसे बोलकर] दुहराते रहे। उन्होंने कहा कि देशकी स्त्रियाँ अपने

१. इसके बाद ध्वनिप्रसारक यन्त्र खराब हो गया और अगले अंशका सारांश शिवप्रसाद गुप्त जनताको जोरसे बोलकर बताते रहे।

त्यागोंके कारण कुछ तो ऊँची उठी ही है और फलस्वरूप पूरा देश भी कुछ ऊँचा उठ गया है। भारतीयोंके लिए इसमें गर्वका अनुभव करना स्वाभाविक है।

महात्मा गांधीने कहा कि छोटे बच्चोंने भी अपनी बहादुरीके प्रमाण दिये हैं। जब जेलमें उन्होंने वानरसेनाका नाम सुना, तो वे सोच भी नहीं सके कि इस सेनामें छह और आठ सालके बच्चे भी शामिल होंगे। महात्मा गांधीने आगे कहा कि उन्होने उनकी बहादुरी और त्यागके कार्योंका हवाला जब सुना तो तत्काल उन्हें लगा कि इस राष्ट्रीय संघर्षमें ईश्वर भी हमारे साथ है। यह तो ईश्वरीय नियम है कि यदि लोग सत्य और अहिंसाके रास्तेपर रहें तो विजय अवश्यम्भावी है; और ऐसी विजयमें एक व्यक्तिका हिस्सा नहीं होगा बल्कि सभी लोगोंका, सभी जातियोंका होगा। ऐसे संघर्षमें भाग लेनेवाले लोगोंमें बड़े या छोटेकी भावनाका कोई विचार नहीं होगा। महात्मा गांधीने अपना यह दृढ़ विश्वास प्रगट किया कि यदि लोग सचमुच सत्य और शान्तिके पथ पर बने रहे तो बहुधा सामने आते रहनेवाले साम्प्रदायिक झगड़े भी पूरी तरह समाप्त हो जायेंगे।

इसलिए महात्मा गांधीने लोगोंसे अपील की कि चाहे सरकारके खिलाफ लड़ाई हो या आपसी झगड़े हों, शान्ति और सत्यका रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए; इसका परिणाम यह होगा कि लोगोंको कभी पराजय नहीं सहनी होगी।

उन्होंने कहा कि मैं यह तो महसूस करता हूँ कि अहिंसाके सिद्धान्तका पर्याप्त पालन किया गया है; लेकिन साथ ही जनताको आगाह भी करना चाहता हूँ कि इस मामलेमें उनकी छोटी-सी गलती भी उन्हें बर्बाद कर देगी क्योंकि उन्होंने ईश्वर और समस्त विश्वके सामने यह शपथ ली है कि वे शान्तिपूर्वक और मातृभूमिके प्रति दृढ़ भक्तिके साथ संघर्ष जारी रखेंगे। महात्मा गांधीने कहा कि जबतक वह शपथ कायम है, तब तक यदि वे जान-बूझकर उससे दूर हटते हैं तो वे ईश्वरके और विश्वके सामने बेईमान सिद्ध होंगे।[1]

भाषण जारी रखते हुए महात्मा गांधीने कहा कि मैं उस बातको, जो मैं बराबर कहता रहा हूँ, फिर दुहराऊँगा कि हर पुरुष, स्त्री, लड़के और लड़कीको चरखा कातना और अपने काते हुए सूतसे बुना खद्दर पहनना शुरू कर देना चाहिए और विदेशी-वस्त्रोंको त्याग देना चाहिए। उन्हें शराब पीना और जुआ खेलना और दूसरी हर बुरी चीजको त्याग देना चाहिए, क्योंकि भारतीय स्वयं देशपर शासन करना चाहते हैं और यदि सरकार कुकृत्योंसे गन्दे हो गये हाथोंमें चली गई, तो देश बरबाद हो जायेगा।

श्री गुप्त द्वारा खुद ऊँची आवाजमें भाषण दुहराते जानेके बावजूद भी जनताके न सुन सकनेके कारण चूँकि शोर जारी रहा, महात्मा गांधीने कहा कि मैं शोरके

१. यहाँपर दो खुफिया इन्स्पेक्टरोंने सभामें जबरन घुसते हुए भाषणमें खलल डाला। जवाहरलाल नेहरूने उनसे उस जगहसे चले जानेको कहा।

कारण लोगोंका अधिक समय नहीं लेना चाहता और जनताको आशीर्वाद देते हुए जल्दीसे अपना भाषण समाप्त कर दिया; इससे उन लोगोंको बड़ी निराशा हुई जो ब्रिटिश-नीतिकी घोषणासे उत्पन्न होनेवाली स्थितिके बारेमें महात्मा गांधीसे कुछ सुननेकी आशा कर रहे थे, क्योंकि यरवदा जेलसे रिहा होनेके बाद उनका यह पहला सार्वजनिक भाषण था।

[अंग्रेजीसे]
लीडर, ४-२:१९३१

१८८. सन्देश : मिदनापुरके लोगोंको

इलाहाबाद
२ फरवरी, १९३१

स्थानीय दौरा किये बिना जहाँतक मुमकिन हो सकता था, आपकी हालतकी जानकारी मैंने प्राप्त कर ली है। जिस उत्साह और धैर्यसे आपने कष्ट सहन किये है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ऐसी मुसीबतोसे गुजरनेपर ही जीवनसे अनुप्राणित नये राष्ट्रका जन्म होगा। भौतिक सम्पदाकी प्राप्ति स्वतन्त्रता हानिकी क्षतिपूर्ति नही कर सकती। यह खुशीकी बात है कि आपने स्वतन्त्रतासे वंचित होनेकी अपेक्षा भौतिक सम्पन्नतासे वंचित हो जाना ही अधिक अच्छा समझा है। आशा है कि आप नि:शुल्क नमक बनानेके कर्त्तव्यकी उपेक्षा नही करेंगे।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

१८९. टिप्पणी : उर्मिलादेवीको

इलाहाबाद
मौनवार २ फरवरी, १९३१

आत्म-सम्मानकी बातपर भूख-हड़ताल की जा सकती है। यह ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे
सौजन्य : नारायण देसाई

१९०. पत्र : प्रभावतीको

२ फरवरी, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र मिल गया है। क्या वहाँ विहारकी अपेक्षा दौरे कम आते हैं? भूख तो लगती है न? कुछ शक्ति आई या नहीं? नहाने-धोनेका क्या प्रबन्ध है? सब कुछ लिखना।

जयप्रकाश मुझे यहाँ मिल गया है। वह घनश्यामदासके साथ काम करने लगा है। राजेन्द्रबाबू यहीं है। मृत्युंजय भी आज आ गया है। मैं चार या पाँच तारीखको बम्बई पहुँचूँगा। तू पत्र बम्बई लिखना। तू यात्राके लायक हो जाये तो जल्दी मिलना हो सकेगा। किसी भी प्रकारका बोझ मनके ऊपर न रहने देना। रह कहाँ रही है? मैं ठीक हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४०३)की फोटो-नकलसे।

१९१. पत्र : वसुमती पण्डितको

२ फरवरी, १९३१

चि० वसुमती,

तू कितनी भाग्यवान है, मार भी पड़ी और जेल भी मिली। तुम सबने आश्रमकी लाज रखी है और स्त्री-जातिका नाम उज्ज्वल किया है। इस घटनाका[1] महत्त्व अभी सब नहीं समझ सकते। उसकी सही कीमत पीछे आँकी जायेगी। मनमें इन मारनेवालोंके प्रति गुस्सा तो नहीं आया होगा। ये सब हमारे सगे भाइयोंकी तरह हैं। हमें गुस्सा नहीं आयेगा, तो वे किसी दिन अवश्य अच्छे बन जायेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३२०)की फोटो-नकलसे।

१. बोरसदकी; देखिए "पत्र : वाइसरायको", १-२-१९३१।

१९२. पत्र : छगनलाल जोशीको

२ फरवरी, १९३१

चि० छगनलाल,

तुम्हारे सभी पत्र मिल गये हैं। किन्तु आरामगाह [जेल] से निकलनेके बाद आराम-जैसी कोई चीज जाननेको भी नहीं मिली। आज मौन है, इसलिए कुछ समय मिल गया है हालांकि लोग तो चले ही आ रहे हैं।

बोरसदका किस्सा तो भुला नहीं पाता हूँ। जनता उसके महत्त्वको अभी समझ नहीं पाई है। मैं इसके बारेमें कदम उठा रहा हूँ।

बहनोंने आश्रमको और अपने-आपको अमर कर दिया। प्रार्थना और व्रतोंका फल मिला है। ऐसी बहादुरी तो दूसरी बहनोंने भी दिखाई है। इस जुलूसमें दूसरी बहनें भी थीं। किन्तु आश्रमकी बहनोंके बलिदानकी विशेषता उनके धार्मिक वातावरणमें रहनेके कारण है। मैंने तो ऐसा ही समझा है।

मैं कहाँ जाऊँगा, यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यादा सम्भावना तो यह है कि मैं चार तारीखको बम्बई पहुँचूँगा। पण्डितजीकी जीवन-नौका मँझधारमें है इसलिए शायद उन्हींकी खातिर रुकना पड़े। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। समाचार तो तुम अखबारोंमें देखोगे ही। दूसरे कैदियोंके लिए शोभनीय ढंगसे प्रयत्न कर रहा हूँ। वे इस तरह छूट जानेके बाद वापस वहाँ जानेकी तजवीज करते रहें। मैं जहाँ भी होऊँ तुम वहाँ लिखते रहना। आगामी वर्षके लिए सरदार कांग्रेसके प्रमुख नियुक्त किये गये हैं। इससे गुजरातकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हो सकता है, खेड़ामें दूसरी बहनोंका जाना आवश्यक हो गया हो। इतनी बेअदबी दिखानेके लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है?[1]

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५५००) की फोटो-नकलसे।

१. बोरसदमें बहनोंको चोटी पकड़कर घसीटा गया था।

१९३. पत्र : शकरीबहनको

२ फरवरी, १९३१

चि० शकरीबहन,

तुम सब बहनोंने बहुत अच्छा किया है। मीरका ठीक वर्णन मुझे भेजना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० २४३८८) की फोटो-नकलसे।

१९४. पत्र : दूधीबहन वालजी देसाईको

२ फरवरी, १९३१

चि० दूधीबहन,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं देखता हूँ कि अभी ध्यान रखनेकी बहुत जरूरत है। घूमना और दौड़-धूप बहुत नहीं करनी चाहिए, इसलिए खूराक स्वाभाविक रूपसे हल्की ही लेना; यही उचित है। अब तो कहीं मिलेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७४१२)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : वालजी गोविन्दजी देसाई

१९५. पत्र : लीलावती आसरको

२ फरवरी, १९३१

चि० लीलावती,

तेरा पत्र मिला। वहाँका पूरा फायदा उठाना। इसके लिए अधीर न होना। खुर्शीदबहन जैसा कहे वैसा करना। खूराक माफिक न आये तो कहना। जब लिखनेकी आज्ञा मिले तब लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९३१९) की फोटो-नकलसे।

१९६. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

२ फरवरी, १९३१

चि० प्रेमा,

तुझे यह लिखनेके खातिर ही लिखा है। तेरे पत्रका एक ही पन्ना मेरे सामने है। दूसरे कहीं इधर-उधर हो गये मालूम होते हैं। मिल जायेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२५३)की फोटो-नकलसे।

१९७. पत्र : मैत्री गिरिको

२ फरवरी, १९३१

चि० मैत्री,

तुम बहादुर बापकी बहादुर बेटी निकली; तुमने आश्रमकी शोभा बढ़ाई है। मनमें मारनेवालेके प्रति जरा भी खिन्न न होना। तुम्हारा दर्द दूर हो गया होगा। मुझे पत्र लिखना। बहुत करके मैं वहाँ जल्दी ही पहुँच जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२२७)की फोटो-नकलसे।

१९८. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

२ फरवरी, १९३१

चि० गंगाबहन,

तुम्हें मैं क्या लिखूं? मैंने तुम्हारी जैसी कल्पना की थी तुम वैसी ही निकली हो। लहूसे भीग जानेके कारण सुन्दर दिख रही [तुम्हारी] लाल साडी मैं देखता तो कितना खुश होता? इस अत्याचारसे मनमें आवेश तो आया किन्तु दुख जरा भी नहीं हुआ, हर्ष ही हुआ है।

यह सच है कि तुममें से किसीको भी मार न पडती तो मुझे दुख होता। इसमें मोह है, यह मैं जानता हूँ। किन्तु आश्रमके प्रति मनका मोह छिपाऊँ भी तो छिप नही सकता। आश्रमवासियोके दोष असह्य लगते हैं। उनके गुण देखता हूँ तो वे

अपेक्षाकृत ज्यादा लगते है। तुम्हें मारनेवालों पर क्रोध नही आया, यह बड़ी बात है। क्या काकू मारे, तो कुछ खीज आयेगी? जिन्होंने मारा है, वे अज्ञानके कारण मूढ़ तुम्हारे बच्चे ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७७१)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: गंगाबहन वैद्य

१९९. पत्र: महालक्ष्मी माधवजी ठक्करको

२ फरवरी, १९३१

चि० महालक्ष्मी,

जो प्रसाद गंगाबहन आदिको मिला है, वह तुम सभी बहनोको मिलेगा। धैर्य रखो और तैयार रहो। मार खा लेना ही हमारे लिए काफी नही है। मार खा लें और मारनेवाले पर रोष न करें, उसका भला ही चाहें। अब कही मिल सकेंगे, ऐसा सोचता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६८१४)की फोटो-नकलसे।

२००. पत्र: रामेश्वरदास पोद्दारको

२ फरवरी, १९३१

भाई रामेश्वरदास,

धीरज रखनेसे और प्रयत्न करनेसे सब कुछ हो सकता है।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० १७८ की फोटो-नकलसे।

२०१. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तको

२ फरवरी, १९३१

चि० हेमप्रभा,

मुझे कोई पता नहिं है कब मैं कलकत्ते पहोचुंगा। यदि आनेका हुआ तो खादी प्रतिष्ठान थोड़े छोड़ सकता हुं। सब दिन वही रहना दुश्वार हो सकता है। अरुणकी तबीयतके हाल दो। कल या परसों मुंबई जाउंगा।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६८३ की फोटो-नकलसे।

२०२. पत्र : कलावती त्रिवेदीको

२ फरवरी, १९३१

चि० कलावती,

तुमने अच्छी बहादुरी बताई है। मुझको पूरा ब्यान भेज दो।[1]

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० ५२७९की फोटो-नकलसे।

२०३. पत्र : शान्ता शंकरभाई पटेलको

२ फरवरी, १९३१

चि० शान्ता (शंकरभाई),

प्रतिज्ञा ठीक है। प्रभु उसका पालन करनेकी शक्ति दें। तूने शंकरभाईकी खबर नहीं दी। तकलीके विषयमें उनके उपवासकी बात सुनकर मैंने जेलमें प्रबन्ध किया था और तकली दे देनेके हुक्म निकलनेकी बात मालूम हुई थी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४०५८)की फोटो-नकलसे।

१. कलावती त्रिवेदीने बोरसदमें महिला स्वयंसेविकाओंकी एक जलसेमें भाग लिया था और पुलिस द्वारा जलूसपर लाठी चार्ज करनेपर घायल हुई महिलाओंमें से वे भी एक थीं।

२०४. पत्र : नारणदास गांधीको

२ फरवरी, १९३१

चि० नारणदास,

मौनवारकी रातको लगभग दस बजे मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। कल रातके साढ़े ग्यारह बजे मैंने मौन धारण किया था, इसलिए उसे छोड़नेमें अभी थोड़ी देर है। कह सकते हैं कि रिहा होनेके बाद निश्चिन्त बैठनेका समय आज ही मिला है। हालाँकि मुझे आज भी अनेक लोगोंसे मिलना पड़ा और उनकी बातें सुननी पड़ी तथापि छूटनेके बाद आज पहली बार मैं इसके साथ जो पत्र भेज रहा हूँ, वह तथा कुछ और पत्र तो लिख ही सका हूँ। सुरेन्द्र[1], गंगाबहन[2] और वसुमती[3] के पत्र उन्हे दिये जा सकते है, अथवा यदि उन्हें उनके पत्रोंका सार ही बताया जा सकता हो, तो सार बता देना। दुर्गाबहनकी तबीयत कैसी है? महादेवके बारेमें तो मैंने पूछा ही नही है। इस समय वह कहाँ है, यह मैं नही जानता। माधवजी क्या खूराक ले रहे है? उनसे कहना कि दूध और खजूरके लिए उन्हें हठ नही करना चाहिए और यदि जेल-अधिकारी अपने खर्चसे दूध-खजूर खरीदनेकी अनुमति देते है तो उससे सन्तोष कर लेना ही उचित है। मैं जेलसे छूट आया हूँ, लेकिन लगता है कि अभी भी मैं कैदमें ही हूँ। यदि अन्य लोग रिहा नही होते तथा स्थितिमें सुधार नही होता तो मुझे फिरसे जेलकी राह पकड़नी होगी। मोटे तौरसे मेरा कार्यक्रम यह है:

कल साँझको यहाँसे रवाना होकर बुधवारकी शामको बम्बई पहुँचूंगा। वहाँ शुक्रवारतक तो रहूँगा ही। लेकिन यदि पण्डितजीकी तबीयत और भी बिगड़ गई तो कदाचित् कल नही निकल सकूंगा। और यह भी हो सकता है, शुक्रवारको शास्त्रीजी आदिसे मिलकर वापस आना पड़ जाये। उपर्युक्त कार्यक्रम बदलेगा नही, ऐसा सोचकर मुझे डाक भेजते रहना। तात्पर्य यह कि जबतक मैं तुम्हें कुछ और नही लिखता तबतक तुम डाक बम्बई भेजते रहना। मेरा हृदय तो खेड़ामें है। यदि मुझे शुक्रवारको फुरसत मिल जाये तो मेरा इरादा खेड़ा जानेका है।

हम कब और कहाँ मिलेंगे, यह तो भगवान जाने। आन्दोलनके सिलसिलेमें यदि आश्रम आना पड़ा तो आऊँगा अन्यथा नही; मैं न तो आश्रममें आऊँगा और न अहमदाबाद ही। मेरा स्थायी मुकाम तो कराडी ही होना चाहिए। लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी होगी, ऐसा नही जान पड़ता। अब 'गीताबोध' नही भेज सकता, यह बात मनको अच्छी नही लगती। खेड़ाके बारेमें कुछ और जानकारी प्राप्त हो तो लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू० – १ से।

१, २ व ३. अभी जेलमें ही थे।

२०५. तार: 'डेली न्यूज', लन्दनको

३ फरवरी, १९३१

समुद्री तार अभी-अभी मिला। परिषद्के बारेमें अन्तिम राय देनेमें असमर्थ हूँ। यहाँके हालात जैसे दिखाई दे रहे हैं, मुझे उनकी चिन्ता है। यदि परिषद्ने सचमुच भारतको स्वतन्त्रता देनेकी बात की होती तो यहाँ उसकी प्रतिक्रिया महसूस की जानी चाहिए थी। इसके विपरीत मुझे तो यहाँ लगातार भयंकर दमन चल रहा दिखाई दे रहा है। बेगुनाह नागरिक अभीतक भी बिना किसी उत्तेजनाके मारेपीटे जाते हैं। इज्जतदार लोगोंकी अचल और चल सम्पत्ति तत्काल और बिना किसी स्पष्ट कारणके केवल प्रशासनिक कार्रवाई करके छीन ली जाती है। महिलाओंका जलूस जबर्दस्ती तितर-बितर कर दिया गया। उन्हें बाल पकड़कर घसीटा गया और बूटोंसे ठोकरें मारी गईं। यदि दूसरी कठिनाइयाँ दूर हो गईं तो भी ऐसे दमनके जारी रहते कांग्रेसका सहयोग मिलना असम्भव हो जायेगा।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२०-१) की फोटो-नकलसे।

२०६. पत्र: रैहाना तैयबजीको

३ फरवरी, १९३१

चि० रैहाना,

तुम्हारा खत मिला है। अब तो थोड़े दिनोंमें कहीं मिलेंगे।[1]

पत्र मिला है। कडीकी जलवायु माफिक आये और कामका बोझ ज्यादा न पड़े, तभी इस योजनासे लाभ हो सकता है।

बाबाजान और अम्मीजान बम्बईमें मिले थे। आपरेशनके कारण उन्हें ठीक आराम मिला है। पण्डितजी की बीमारी अभी तो खतरनाक है। डाक्टर खूब मेहनत कर रहे हैं। किन्तु जीवन-डोर तो अल्ला मियाँके ही हाथमें है। जब मर्जी आये खींच ले।

खुदा हाफिज,

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९६२८)की फोटो-नकलसे।

१. ये दो वाक्य उर्दूमें हैं।

२०७. पत्र : उमा बजाजको

३ फरवरी, १९३१

चि० ओम,

इतना गूजराती जानती थी सब भूल गई क्या? तुमारे लिये तो हिंदी, गूजराती, मराठी, मारवाडी सब एक-सा होने चाहिये। अबकी वार गूजराती या मराठीमें लिखो और कहो कि कितनी कातती है कितना धुनती है तकली पर कितनी गति है। खानेका बहोत लेकर छोड़ देती है कि गरीबोंके जैसे जितना चाहिये इतना हि लेकर थाली साफ करती है। 'गीताजी' पढ़ती है?

बापूके आशीर्वाद

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद

२०८. भाषण : इलाहाबादमें नाविक संघके समक्ष

३ फरवरी, १९३१

आज गांधीजीको 'स्वराज भवन' में इलाहाबाद नाविक संघके प्रतिनिधियोंने मानपत्र दिया।

नाविकोंके प्रतिनिधि और कुछ कांग्रेसियोंसे बातचीत करते हुए गांधीजीने लगान न देनेके आन्दोलनका जिक्र किया और लोगोंको सलाह दी कि वे उन काश्तकारों पर जबर्दस्ती न करें, जो अपने लगानकी अदायगी बन्द करनेका विचार नहीं करते। उन्होंने रविवारको इलाहाबादकी आम सभामें शामिल होनेकी दृष्टिसे ग्रामीण लोगों द्वारा बिना टिकट यात्रा करनेकी बातका उल्लेख भी किया।[1] उन्होंने उस कृत्यकी निन्दा की, क्योंकि कांग्रेसने बिना टिकट यात्रा करनेका कोई आन्दोलन नहीं चला रखा था। उन्होंने यह भी कहा कि स्वराज्य मिल जानेपर भी रेल-सेवाके लिए कुछ किराया तो देना ही होगा।

नाविकोंकी ओरसे गांधीजीको १०१ रुपयेकी थैली भेंट की गई।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ४-२-१९३१

१. जो कैद कर लिये गये थे, उन सब लोगोंको रिहा करवानेके लिए जवाहरलाल नेहरूने किराया और जुर्माना अदा किया था।

२०९. पत्र : मनु गांधीको

लखनऊ
५ फरवरी, १९३१

चि० मनुडी,

मैंने तुम्हारे लिये जिन चित्रोका संग्रह किया था, उन्हे अब भेजनेकी हालतमें हूँ। उन सबको सावधानीसे सुरक्षित रखना और उनकी व्याख्या समझानेके लिए किसी ऐसे व्यक्तिसे कहना जो उनका अर्थ समझ सकता हो। अब हम किसी समय मिलेगें। मुझे पत्र लिखना। रामीबहन कहाँ हैं ? बलीबहन और कमुबहनको मुझे पत्र लिखनेके लिए कहना।

बापूके आशीर्वाद

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० १५०९) से।
सौजन्य : मनुबहन मशरूवाला

२१०. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तको

५ फरवरी, १९३१

चि० हेमप्रभा,

तुमारा खत मिला। पंडितजीकी तबीयतके कारण मैं लखनऊ आ गया हुं और आजकल तो यहीं रहना होगा। सतीश बाबु प्रतिमास एक उपवास करे उसमें कोई हानि नहिं हो सकती। भले करे। आश्रममें रहनेवाले जो नियम पालनकी शर्तसे आवे उनको तो करना हि चाहीये। नये नियमोका पालन पुराने आदमी न करें तो उनको हटाना नहिं चाहीये। सुव्यवस्थाके लिये जो नियम बनते है उनका पालन तो हर हालतमें करना आवश्यक है। बात यह है कि नियम ऐसे हो जिससे कोई ऐसा न कहे, उनके लिये नई चीज हो गई। अर्थात स्थानिक वायुमंडलसे अनुकुल नियम हो।

मुझको खत लखनऊ भेजें। कालाकांकर कोठी।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६८४की फोटो-नकलसे।

२११. भेंट : 'पायोनियर' के प्रतिनिधिको

इलाहाबाद
५ फरवरी, १९३१

मै शान्तिप्रिय व्यक्ति हूँ, परन्तु परिस्थितियोंने मेरा जीवन संघर्षमय वना दिया है। वहरहाल मै शान्ति प्राप्त करनेमें कोई कसर उठा नही रखूँगा। उन हजारो लोगोंको, जो मुझपर भोले वच्चों जैसा विश्वास करते है, कष्टमें डाल देनेसे मुझे खुशी नही मिलेगी।

इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कि क्या आप प्रधानमन्त्रीकी घोषणाको सन्तोष-जनक समझते है, उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर अपने मनको इस विषयपर निश्चित निर्णय लेनेसे रोक रखा है।

श्री शास्त्री, श्री जयकर और सर तेजवहादुर सप्रूने मुझे तार दिया है कि मै अपना निर्णय स्थगित रखूँ। मेरे मनमें इन देश-भक्तोंके प्रति वड़ा आदरभाव है; मैं अपने वारेमें देश प्रेमका जैसा दावा करता हूँ, उन्हें भी देशसे उतना ही गहरा प्रेम है। शायद वे मुझे सन्तोषजनक ढंगसे समझा सके कि श्री रैम्जे मेकडॉनल्डकी घोषणाका अभिप्राय — जितना कि मैं इसे सरसरी तौरपर पढ़नेपर समझ सका हूँ — उससे कुछ ज्यादा है। और यदि मुझे अपने ग्यारह पहलुओंको ध्यानमें रखते हुए ऐसा लगा कि समझौता हो सकता है तो मैं तत्काल सविनय अवज्ञा आन्दोलन वापस ले लेनेकी सलाह दूंगा।

श्री गांधी पुलिसके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंकी चर्चा करने लगे और उन्होंने कहा कि उनके पास इस विषयपर काफी बड़ी फाइल है और उसमें ऐसे लोगोंकी गवाहियाँ हैं, जिनकी वातपर उन्हें विश्वास है। जव उन्हें याद दिलाया गया कि उनका व्योरा एक-पक्षीय है, तव उन्होंने कहा :

मैं यह नही कहता कि आप पुलिसके विरुद्ध मेरे आरोपोंको स्वीकार कर ले। हम निष्पक्ष जाँच करा लें; मै गवाही पेश करने और न्यायाधिकरणका फैसला माननेके लिए तैयार हूँ।

जव उन्हें यह वताया गया कि अत्यन्त कठिन परिस्थितियोंमें पुलिसने आम तौरपर बड़ी ही सहनशीलताका परिचय दिया है, उन्होंने उत्तर दिया :

मै मामूली दमनकी शिकायत नही करता। यदि मैं कानूनकी अवज्ञा करता हूँ तो मुझे यह मानकर ही चलना चाहिए कि मेरी गिरफ्तारी की जायेगी। सरकार व्यवस्था वनाये रखना चाहेगी परन्तु अपराव और दण्डके अनुपातमें कुछ तालमेल तो होना ही चाहिए। जितना आप सोचते है इस नियमकी उससे कही ज्यादा अवहेलना की गई है।

जब यह पूछा गया कि असाधारण समयमें कोई कार्यवाही किस हदतक सही है, यह बात समझ पाना असम्भव होनेके कारण क्या कुछ सख्तीका बरता जाना जरूरी नहीं है; श्री गांधी बीचमें बोल उठे :

इसका अनिवार्य होना जरूरी किसलिए हो? दक्षिण आफ्रिकामें ऐसा नही था और इसका कारण यह था कि वहाँ सरकार राष्ट्रीय थी।

अपनी बात और आगे समझाते हुए श्री गांधीने गुजरात और बंगालमें हुई कथित कुर्कियोंके बारेमें खास शिकायत की। उन्होंने कहा :

बहुतोंके तो घर छीन लिये गये है। जिनको इस तरहका दुःख उठाना पडा है, वे टैक्स न देनेके कसूरवार रहे हो या न रहे हो; परन्तु यदि लगभग एक लाखकी रकमके बदलेमें पचास लाखकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई है तो यह तो वापस दी ही जानी चाहिए। सरकारका सम्पत्ति वापस करनेसे इनकार करना ठीक नही होगा। फिर मैंने जो सुझाव दिया है, पहलेकी वैसी कई नजीरे है।

उन्होंने अनुरोध किया कि यह मामला स्थानीय सरकारों पर छोड़ देनेके बजाय एक पूर्ण निष्पक्ष न्यायाधिकरणके सामने पेश किया जाना चाहिए।

तालिका पेश करनेमे ही दावा सिद्ध नही होता। मै यह अच्छी तरह समझता हूँ कि शिकायत करनेवालोंको कुर्कियोका तसल्लीबख्श सबूत देना ही चाहिए।

श्री गांधीने राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईका भी उल्लेख किया। सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी समाप्तिपर कैदियोंकी रिहाईके बारेमें किये गये सरकारके वायदेकी ओर ध्यान दिलाये जानेपर उन्होंने कहा :

मुझे मालूम है कि वे रिहा कर दिये जायेंगे। परन्तु मेरे सामने कुछ कठिनाइयाँ हैं, यद्यपि वे असाध्य नही है। हमारे कुछ लोग मेरे समझौतेके समर्थक वक्तव्योंमे पहले ही परेशान है। परन्तु यह विश्वास हो जानेपर कि मुझे आन्दोलन वापस ले लेना चाहिए — मै उन्हें भी यकीन दिला देनेकी आशा करता हूँ। मैंने जब बारडोलीमें[1] पिछला असहयोग आन्दोलन वापस लिया था, वह मैंने अपनी मर्जीसे किया था। सरकारकी ओरसे किसी सकेतकी प्रतीक्षा मुझे नही करनी थी। आज परिस्थितियाँ भिन्न है।

प्रस्तावित संविधानकी बात करते हुए श्री गांधीने कहा कि बजटका ८० प्रतिशत भाग विधानसभाके अधिकार-क्षेत्रसे बाहर रखा गया है; केवल २० प्रतिशत उनके अधिकार क्षेत्रमें छोड़ा गया है। उतनी रकम 'राष्ट्र-निर्माण' के कार्योके लिए अपर्याप्त होगी। इससे कोई बड़ा सन्तोष नहीं हो सकता।

यदि हमारा सहयोग अपेक्षित है तो हमसे सिर्फ अनिर्णीत प्रश्नोके बारेमें ही विचार-विमर्श करनेमें सीमित रहनेसे काम नही बनेगा। हमें तथाकथित संरक्षणोंपर फिरसे चर्चा चलानेकी स्वतन्त्रता अवश्य होनी चाहिए।

१. देखिए खण्ड २२।

श्री गांधीने यह भी कहा कि जहाँतक भारतीय रियासतोंका सवाल है, ऐसा लगता है कि वहांके लोगोंको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है।

यदि कांग्रेस इसकी माँग नही करती तो वह अपने प्रति वफादार नही होगी। मै अपनेको यह विश्वास नही दिला सकता कि श्री रैम्जे मेकडॉनाल्ड, इस मामलेको हल करनेमें, जीवनभरमें जो कुछ सीखा है, उसकी अवज्ञा करेंगे।

श्री गांधीने फिर भी आशा प्रकट की कि रियासतोंके सवालों और साम्प्रदायिक सवालोंमें व्यवस्था लाई जा सकती है। परन्तु उनकी यह पक्की राय है कि कांग्रेसका [गोलमेज-परिषदमें] सम्मिलित होना दो बातोंपर निर्भर करता है। पहली यह है, कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनको स्थगित करनेकी प्रारम्भिक बातोंकी सन्तोषजनक ढंगसे व्यवस्था की जाये और दूसरी यह कि परिषदके प्रति वह आश्वस्त हो। उन्होंने उपसंहार करते हुए कहा:

मै सविनय अवज्ञा बन्द कर देनेके लिए भरसक कोशिश कर रहा हूँ और यदि मुझे विश्वास हो जाए कि पूरी सम्पत्ति वापस दे दी जायेगी, कैदियोको रिहा कर दिया जायेगा और बहुतसे मामलोंमें नये विनियमोंकी घोषणासे हुए अपराधोंके सिलसिलेमें की गई कार्यवाहीके विषयमें पुलिसकी ज्यादतियोके जो इल्जाम लगाये गये हैं, उनकी निष्पक्ष जाँच की जायेगी तथा आमतौर पर कुछेक और आवश्यक हेरफेर कर दिये जायेंगे, तो सविनय अवज्ञा बन्द कर दी जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

पायोनियर, ६-२-१९३१

२१२. भेंट: समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे

लखनऊ
५ फरवरी, १९३१

लखनऊमें फ्री प्रेसके प्रतिनिधि द्वारा देशके लिए कोई सन्देश माँगे जानेपर महात्मा गांधीने कहा:

मेरे पास कहनेके लिए कोई [नई] बात नहीं है। मै जो-कुछ कहता रहा हूँ सिर्फ उसीपर जोर देते हुए कह सकता हूँ कि लगातार दमनसे, जिसके बारेमें प्रतिदिन प्रमाण इकट्ठे हो रहे हैं, शान्तिके बारेमें सोच-विचार करना लगभग असम्भव-सा हो गया है। मुझे सारे देशसे सूचनाएँ मिल रही है कि अधिकारी क्रूरता बरत रहे हैं और कभी-कभी तो वे शिष्टताको एकदम खो बैठते है। इस सबसे बढ़कर बात यह है कि वे पीड़ित जनता द्वारा लगाये गये आरोपोंकी सचाई अस्वीकार करनेमें संकोच ही नही करते।

सारे मामलेमे सर्वाधिक पीडा देनेवाली बात तो यह है कि राजनीतिक विभागके वरिष्ठ लोग पुलिसके आचरणका समर्थन करते हैं और जनताकी ओरसे कही गई हर बातकी ओरसे, चाहे वे बातें कितनी ही अच्छी तरह प्रमाणित क्यों न की गई हों, जानबूझकर — मैं इसके सिवा और कोई शब्द काममें नही ला सकता — अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं। मेरे मनमें रत्तीभर भी शक नही कि बोरसदमें महिलाओंके जलूसके साथ पुलिसके अभद्र और क्रूर आचरणके आरोप सच्चे हैं। तो भी सूचना-निदेशकने इस तरह वक्तव्य दिया है मानो वह कोई आप्त वचन है और उसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। मुझे निश्चय है कि यदि वास्तवमें निष्पक्ष जाँच कराई जाये तो यह पता चलेगा कि सूचना निदेशक उन बेईमान अधिकारियोंके हाथोंमें कठपुतली बन गये हैं जो अपनी बर्बरताके साथ असत्य जोड़ते हुए भी नही हिचकिचाए।

मुझे मालूम है कि मैं कड़ी भाषाका प्रयोग कर रहा हूँ, परन्तु इससे कम कड़ी भाषाके प्रयोगका अर्थ होगा असत्य बोलना। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सूचनाएँ मिली हैं, उनके सच होनेके बारेमें मेरा विश्वास गलत साबित हो। अपने विश्वासके गलत निकलनेपर मैं सम्बद्ध अधिकारियोंसे क्षमा माँग लूँगा।

जब दूसरे पत्र-प्रतिनिधिने उनके भावी कार्यक्रमके बारेमें पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह पण्डित मोतीलाल नेहरूके स्वास्थ्यपर निर्भर है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ७-२-१९३१

२१३. सन्देश : 'दरिद्रनारायण' को[1]

लखनऊ

६ फरवरी, १९३१

नाम 'दरिद्रनारायण' रखा है तो काम भी नामके योग्य होगा ऐसा मेरा विश्वास है। और कोई राजा जब रैयतके लिये वर्तमानपत्र नीकालता है तो उसे दोगुणी सावधानीकी आवश्यकता रहती है। वह यदि अपनेको स्वामी समझे तो रैयतका नाश होता है। रैयतका अपनेको दास समझे तो अपना और रैयत दोनोका उद्धार होता है।

मोहनदास गांधी

जी० एन० ८६९५की फोटो-नकलसे। सी० डब्ल्यू० २८९१ से भी।
सौजन्य : कुँवर सुरेशसिंह

१. यह सन्देश कालाकाँकरमें प्रकाशित होनेवाले साप्ताहिक दरिद्रनारायणके २६ अक्टूबर, १९३१के प्रथम अंकमें प्रकाशित हुआ था।

२१४. पत्र : मनमोहनदास गांधीको

लखनऊ
६ फरवरी, १९३१

भाईश्री मनमोहनदास,

आपका पत्र मिल गया है। पण्डित मोतीलालकी बीमारीके कारण मैं पत्रोंकी पहुँच नहीं दे सका। वे तो आज चल बसे और मैं डाकको निबटा रहा हूँ। मेरी आलोचनाका अंग्रेजी अनुवाद देनेकी कोई जरूरत नहीं। अनुवाद अच्छा भी नहीं लगता। फिर जेलमें से भेजी हुई चीजका उपयोग करना भी शायद अनुचित हो।[1] गुजराती अनुवाद हो और उसके साथ मैं कुछ लिख सकूँ तो फिर मेरा वह कहना ठीक हो सकता है। मेरी वह आलोचना तो सिर्फ आपकी जानकारीके लिए थी।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

विदेशी कपड़ा आदिके आयातसे सम्बन्धित आँकड़े मैंने देखे हैं — अच्छे हैं।

गुजराती (जी० एन० १०)की फोटो-नकलसे।

२१५. पत्र : कुसुम देसाईको

६ फरवरी, १९३१

चि० कुसुम,

जेलके बाहर कितना समय मिलता रह सकता है, यह तो तू समझती ही है। इसलिए अब जेलकी गतिसे पत्र नहीं लिखे जा सकते। पण्डितजी[2] आज चल बसे। इसलिए फिरसे मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, यह अनिश्चित हो गया। तुझे पत्र लिखना हो, तो इलाहाबाद लिख सकती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १८१९)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: मनमोहनदास गांधीको", १-१-१९३१ तथा २०-१-१९३१।
२. पं० मोतीलाल नेहरू।

२१६. पत्र : गंगाबहन झवेरीको

६ फरवरी, १९३१

चि० गंगाबहन झवेरी,

तुम्हारा पत्र मिला गया है। तुम्हें तो दृढ़ रहना है। इस समय चल रहा संघर्ष व्यक्तिगत संकट निवारणके लिए नहीं है, यह बात लोगोंको साफ-साफ समझा देनी है। यह मामला बिल्कुल साफ कर देना है। ऐसा करने पर निर्बल और बलवान अलग-अलग हो जायेंगे। और यही ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३१११)की फोटो-नकलसे।

२१७. भाषण : मोतीलाल नेहरूके अंतिम संस्कारके समय, इलाहाबादमें

६ फरवरी, १९३१

आज भारतका एक महान नेता चल बसा है; तो भी आपके चेहरेपर शोक नहीं है। मैं हर्ष ही देख रहा हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। हमारा कोई नेता यों चल बसे तो रोनेका कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि जो हो रहा है, उसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी निष्प्राण मिट्टीके पुजारीका अग्निदाह कर रहे हैं, बल्कि आज राष्ट्र एक महा बलिदान कर रहा है। उसके आप साक्षी हैं। ऐसा मेरी जिन्दगीमें पहली बार नहीं हुआ। लोकमान्यके समय भी इतनी भीड़ थी। उस समय जो दृश्य देखा था, वैसा ही दृश्य आज देख रहा हूँ। लोग प्रार्थना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, उनमें एक प्रकारका हर्ष था। पहले तो मैं यह नहीं समझ सका किन्तु मेरा भ्रम दूर हो गया, तब मैं समझ पाया कि लोग तो यह समझ गये हैं कि लोकमान्यने अपने जीवनके बलिदानोंको मृत्युके द्वारा मुकुट पहनाया है। यही दृश्य देशबन्धुके समय, लालाजीके समय, हकीमजी और मुहम्मदअलीके समय देखनेको मिला। मुहम्मदअलीकी मृत्युका संसार और लन्दनवासियोंपर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। इसका कारण यह है कि वे देशकी खातिर विलायत गये थे और उन्होंने देशकी सेवामें अपनेको होम दिया। आज भी लोग इसी प्रकारकी भावना व्यक्त कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। यदि आप इस बातका महत्त्व समझ गये हों तो भले ही हर्ष मनायें। नहीं तो संसार हमें मूर्ख कहेगा और कहेगा कि एक मेलेमें बिना किसी भावनाके मूर्ख व्यक्तियोंकी तरह लोग इकट्ठे हुए थे। यह तो राष्ट्र-यज्ञ है। इस

अवसरपर आप लोग कोई-न-कोई प्रतिज्ञा करके जायें, यही चाहता हूँ। देशके लिए जो-कुछ हो सकता है, उसकी स्पष्ट प्रतिज्ञा करके जायें। यदि इतना करेंगे तो धन्यवादके पात्र होंगे।

अब इस अवसर पर आपको एक छोटी-सी मीठी बात सुनाता हूँ। पण्डितजी तो पुरुषसिंह थे। उन्होंने जीवनमें बड़े-बड़े युद्ध किये थे, उसी तरह यमराजके साथ भी मल्ल-युद्ध किया। आप उन्हे इसमें पराजित हुआ कहेंगे, किन्तु मैं उन्हे हारा हुआ नहीं मानता। इस बीमारीमें मैं उनसे मिलता रहता था, पर कई बार वे मुझे भी बुला भेजते थे। कल मुझे इसी तरह बुलाया। मैंने विनोद किया। डाक्टरोंकी तो क्या स्तुति करूँ? उन्होने सच्ची सेवा की है। यदि हो सकता तो वे अपने प्राण देकर भी उन्हें जीवित रखना चाहते थे। उन्हें ऐसा विश्वास हो गया था, इसीलिए पण्डितजीको लखनऊ ले गये। यह विश्वास पण्डितजीकी शारीरिक दशासे नही, किन्तु उनकी हिम्मत देखकर हुआ था। मैंने पण्डितजीसे कहा "आप अच्छे हो जायें तो मैं ऐसा मान लूँगा कि स्वराज्य मिल गया।" उन्होने हँसकर कहा, "स्वराज्य तो मिल गया है।" वे बोले तो हकला कर, किन्तु उनमें इतना कहने लायक शान्ति थी। उन्होने स्वराज्य मिल गया है, ऐसा किस तरह माना। इसका कारण है ६० हजार लोग जेल गये, इतनी लाठी चलाई गई, इतने बलिदानके बाद स्वराज्य नही मिला, यह कैसे कहा जा सकता है? मैं कल रात उनके पास नही गया था। किन्तु उनकी पत्नीने जो कुछ मुझे बताया, वही सुना रहा हूँ। उन्हे रामनाम जपनेकी आदत नही थी — कई बार वे धर्मका मजाक उड़ाते थे; क्योकि उन्हे दम्भ और आडम्बर बुरे लगते थे। धर्मके नाम अधर्म करनेवालेपर वे क्रुद्ध होते थे। किन्तु मैंने उनके हृदयको पहचान लिया था। मैं उन्हें आस्तिक ही मानता था। कल रातको वे राम-राम ही पुकार रहे थे। वे हाय-हाय नही कर रहे थे। हाय-हाय तो मेरे जैसे दुर्बल व्यक्तिके मुँहसे निकलती है और रामनाम नही निकलता। किन्तु कल रात उन्हें यही रामनाम याद आया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं गायत्री तो भूल गया था, अधर्म देखकर गायत्री पाठ करना छोड़ दिया था, किन्तु अपनी पत्नीसे कहा कि मुझे आज गायत्री याद आ रही है। इसका यही रहस्य है कि पण्डितजी शुद्ध हो गये। इस शुद्ध यज्ञका परिणाम अपने ऊपर यह होता है कि हम और भी शुद्ध हो जाते हैं। जिस महापुरुषने जिन कारणोंसे अपना पुत्र, पुत्री, जमाई, बलिदान कर दिये, उन बातोंके लिए हमें क्या करना चाहिए, यही निश्चय करके यहाँसे जायें।

जिस प्रतिज्ञाने आपको प्रभावित किया है, वह प्रतिज्ञा यह है: 'पूर्ण स्वराज्य अहिंसा और सत्य-इन दो साधनोंसे प्राप्त करना। इन दो साधनोंका विचार कर जो प्रतिज्ञा लेनी हो उसे लेकर यहाँसे जायें। आपने उत्साहमें आज मर्यादाका त्याग किया। अविवेकपूर्ण भाषाका व्यवहार किया। आज हम शान्तिका काम करने आये हैं, इसलिए शान्त ही रहना चाहिए। लोहेके अस्त्रोंसे काम लेनेवाले सिपाही लोग भी अनुशासनबद्ध हो शान्तिका पालन करते हैं, भले ही वह बाह्य शान्ति हो। आप

अन्दर और बाहर ऐसी शान्ति रखकर जायें। इस अग्निको साक्षी बनाकर, जो शुद्ध प्रतिज्ञा आप ले सकें, वह लें। ईश्वर आपको यह प्रतिज्ञा लेनेकी प्रेरणा दे।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य: नारायण देसाई

२१८. वक्तव्य: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिकाको[1]

७ फरवरी, १९३१

कांग्रेसने जो रुख निश्चित किया है, उसपर पण्डितजीकी मृत्युसे बिलकुल असर नहीं पड़ सकता। इससे कांग्रेसका रुख और सख्त हो जायेगा या नहीं, सो मुझे नहीं मालूम; परन्तु मुझे इसका पूरा विश्वास है कि कांग्रेस इससे कमजोर नहीं होगी।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य: नारायण देसाई

२१९. तार: घनश्यामदास बिड़लाको

७ फरवरी, १९३१

घनश्यामदास
द्वारा 'लकी', बम्बई

निर्देश कोई नहीं। अब उपवास जारी रखिए। जो सबसे ज्यादा उचित लगे कीजिए। मैं १४ तक यहाँ हूँ।

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

१. इसके विशेष प्रतिनिधि श्री जेम्स मिल्सको।

२२०. सन्देश : मोतीलाल नेहरूके निधनपर

इलाहाबाद
७ फरवरी, १९३१

हर देशभक्तको मोतीलाल जैसी मृत्युकी कामना करनी चाहिए। अपना सर्वस्व देशको समर्पित कर चुकनेके बाद अन्ततक देश ही के बारेमें सोचते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिये। हम इस राष्ट्रपुरुषके त्यागके पात्र बनें — इसलिए हममें से हरएक अपना सर्वस्व नहीं तो कमसे-कम उस स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए पर्याप्त त्याग करे जिसे पानेकी उनकी तीव्र इच्छा थी और जो अब हमारे द्वारपर आकर खड़ी हो गई है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-२-१९३१

२२१. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

आनन्द भवन, इलाहाबाद
७ फरवरी, १९३१

प्रिय भाई,

आपके तारने[1] जवाहरलालके दिलको बहुत छुआ। तारके लिए धन्यवाद। मुझे आपसे मिलकर और आप जो कुछ कहना चाहते हैं, उसे सुनकर बहुत खुशी होगी।[2] क्योंकि मुझे आशा नहीं है कि परिणाम लाभदायक हो सकता है। भारतमें जो वातावरण है, उससे मुझे नहीं लगता कि आपका और दूसरे मित्रोंका हर्ष मनाना सही है। फिर भी मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि मेरी आशंकाएँ निराधार थीं। जब भी आपको अवकाश हो आप जरूर आयें। यहाँ कार्य-समितिकी बैठक इसी महीनेकी १३ तारीखको हो रही है। यदि किसी भी तरह सम्भव हो सके तो हम ११ को या उससे पहले मिल लें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

लैटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री; तथा महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

१. मोतीलालके निधनपर।
२. प्रथम गोलमेज परिषद्के बारेमें, जिसमें वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री शामिल हुए थे।

२२२. पत्र : शिवाभाई पटेलको

७ फरवरी, १९३१

चि० शिवाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरा मन खेड़ामें ही है। लाचार हो गया हूँ इसीलिए वहाँ पहुँच नही सका। मौका मिलते ही पहुँच जाऊँगा। मुझे खबर देते रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९५०५)की फोटो-नकलसे।

२२३. पत्र : प्रभावतीको

७ फरवरी, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरा तीन तारीखका पत्र आज ही मिला है। वहाँ भी तू चिन्ताका बोझ क्यो उठाये हुए है? मैं जब बम्बई पहुँचूं और उस समयतक तुझमें शक्ति आ गई हो तो वहाँ जरूर आ जाना। मैंने जिस पत्रमे कुछ सवाल पूछे हैं वह मिल गया होगा। क्या खाती है? कितना खाती है? नींद आती है? वहाँ कुछ शक्ति बढ़ी है? उठती-बैठती है? अपनी तबीयतके बारेमे जो-जो ध्यानमे आ जाये सो सब लिखना। १४ तारीख तक तो मैं प्रयागमें ही हूँ। मुझे रोज पत्र लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४०६)की फोटो-नकलसे।

२२४. तार : बोमेनको[1]

[७ फरवरी, १९३१ या उसके पश्चात्]

महापुरुष पण्डितजीकी मृत्युका प्रभाव उसके प्रति लोगोकी और सरकारकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि लोग उनके उदात्त त्यागसे प्रेरित हों और यदि सरकार देशप्रेममें रगे हुए इस व्यक्तिके संयमका आदर

१. इंग्लिशमैनके सम्पादक। यह उनके ७ फरवरीके तारके उत्तरमें था जो इस प्रकार था: मोतीलालकी मृत्युका राजनीतिक स्थितिपर क्या असर हुआ है, इस विषयपर कृपया एक छोटा-सा तार भेज दीजिए। जवाहरलालको मेरी ओरसे हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करें।

कर सके, तो सम्मानजनक ढंगसे शान्ति कायम की जा सकती है। परन्तु जहाँ मुझे लोगोंकी ओरसे ऐसी प्रतिक्रियाकी आशा है, सरकारसे कोई खास आशा नही।[1] ब्रिटेनका वातावरण कितना भी क्यो न वदल गया हो, भारतमें मुझे वैसा परिवर्तन नही दिखाई देता।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२३) की फोटो-नकल तथा एस० एन० १६९२४की माइक्रोफिल्मसे।

२२५. सन्देश: 'लिबर्टी' को[2]

८ फरवरी, १९३१

समाचारपत्रीय सन्देश

मेरी दशा किसी विधवाकी दशासे भी वदतर है। वह तो निष्ठापूर्ण जीवन द्वारा अपने पतिके गुणोंको अपना सकती है। मै कुछ भी नही अपना सकता। मोतीलालजीके चले जानेसे मैंने जो कुछ खोया है, उसे कभी पूरा नही किया जा सकता है।

"रॉक ऑफ एजेज क्लेफ्ट फार मी,
लैट मी हाइड माइसेल्फ इन दी"[3]

गांधी

वक्गी
'लिबर्टी'
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४) की माइक्रोफिल्मसे।

१. यहाँतक गांधीजीके स्वाक्षरोंमें लिखा गया है।
२. गांधीजीके लिबर्टीको दिये गये विशेष सन्देशके रूपमें यह बॉम्बे क्रॉनिकल, १०-२-१९३१, में प्रकाशित किया था।
३. मदर्थ दुर्भग युगोंकी प्रस्तरभू
मुझे शरण दे तुझमें छुपा रे।

२२६. टिप्पणी : मोतीलाल नेहरूके सम्बन्धमें

८ फरवरी, १९३१

पण्डित मोतीलालजी अपने बच्चोको बहुत लाड़ करते थे। परन्तु वह लाड़ दिव्य था। क्योंकि उससे खुद उनके और उनके बच्चोंके विकासमें बाधा नही पड़ी बल्कि दोनोंके विकासको उससे सहायता ही मिली। उनकी खातिर उन्होंने अपने आपको और देशके लिए बच्चोको न्योछावर कर दिया।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३३१) से।
सौजन्य : नगरपालिका संग्रहालय, इलाहाबाद

२२७. पत्र : टी० रंगाचारीको[1]

८ फरवरी, १९३१

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपकी तरह मै भी शान्ति चाहता हूँ। परन्तु मै स्वीकार करता हूँ कि मुझे भारतमें सम्मानके साथ शान्ति स्थापित होनेके कोई लक्षण नही दिखाई देते। जान-बूझकर पुलिसके छोटे-बड़े कर्मचारियोके कारनामोपर परदा डालनेसे पता चलता है कि वे संविधानकी रत्ती-भर परवाह किये बिना पहलेकी तरह हकूमत करते रहना चाहते है। यदि अधिकारियोंका बस चले तो आम लोगोको और अब स्त्रियोको भी हमेशाके लिए पुलिसके पैरों तले रौंदा जायेगा। यह ऐसी स्थिति है, जिसे यदि मेरा बस चले, तो कमसे-कम मै तो एक क्षण-भरके लिए भी सहन न करूँ।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

१. टी० रंगाचारीके इस पत्रके उत्तरमें, जिसमें लिखा गया था: "... अंग्रेजोंके साथ सुलहका और सम्मानक ढंगसे शान्ति स्थापित करनेका कितना बढ़िया मौका है..."।

२२८. पत्र : सुशीला गांधीको

८ फरवरी, १९३१

चि० सुशीला,

जेलसे निकलनेके बाद पत्र लिखनेका समय ही नहीं मिलता। अभी प्रयागमें एक सप्ताह रहना होगा। उसके बाद तो जहाँ अन्न-जल ले जाये, वहीं। किन्तु यह इच्छा जरूर है कि अहमदाबाद जाकर खेड़ा जाऊँ। मैं ठीक हूँ। मुझे पत्र लिखा करो। यहाँ पत्र लिखना हो तो आनन्द भवन, इलाहाबादके पतेपर लिखना, नहीं तो आश्रमके पतेपर। वहाँसे जहाँ भी रहूँगा भेज देंगे। सबको आशीर्वाद।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६६९५) की फोटो-नकलसे।

२२९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

इलाहाबाद
९ फरवरी, १९३१

महात्मा गांधीने आज सुबह ११ बजे समाचारपत्रोंको एक वक्तव्य जारी किया है कि मोतीलाल नेहरूका श्राद्ध-दिवस जो पन्द्रह फरवरीको पड़ता है, सारे भारतमें 'मोतीलाल दिवस' के रूपमें मनाया जाये।

वक्तव्यका पूरा पाठ निम्नलिखित है:

अगला रविवार (इस महीनेकी १५ तारीख) स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरूकी आत्माके लिए किये जानेवाले श्राद्धसंस्कारका पहला दिन होगा। मेरा सुझाव है कि उस दिन उनके प्रति आदर व्यक्त करने तथा उनके अद्वितीय त्यागका अभिनन्दन करनेकी दृष्टिसे हम अपने रोजके काम बन्द रखें और जो कार्य उन्हें प्रिय था, राष्ट्र उसे और भी अधिक निष्ठापूर्वक करनेका प्रण करे। जो उपवास द्वारा आत्मशुद्धिमें विश्वास रखते हों, वे उस दिन शामतक उपवास रखें।

मैं निम्नलिखित कार्यक्रमका सुझाव देता हूँ:

१. सारे देशमें जहाँतक सम्भव हो दोपहरको ३ बजे, सभाएँ की जायें, ताकि गाँवोंके लोग ठीक समयपर अपने-अपने घर पहुँच सकें।

२. लोग चुपचाप जुलूस बनाकर राष्ट्रीय ध्वज हाथमें लिए हुए सभाओंमें जायें।

३. सभाओंमें पूर्णतया मौन रहें।

४. सभामें उपस्थित लोग सभापतिके पीछे एक-एक शब्द बोलकर निम्नलिखित घोषणा करें: "श्रद्धेय दिवगत पण्डित मोतीलाल नेहरूके महान् और श्रेष्ठ त्यागकी स्मृतिमें आयोजित इस सभामें उपस्थित हम लोग पवित्र प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने-आपको पहलेसे भी ज्यादा देशके हितमें अर्पित करेंगे, जिससे पूर्ण स्वराज्य जल्दी मिल जाये।"

देशहितमें समर्पण निम्नलिखित किसी भी तरीकेसे हो सकता है। उदाहरणार्थ:

(क) नशीले पेय या पदार्थ त्याग देना और दूसरोको भी वैसा करनेको प्रोत्साहित करना।

(ख) जबतक देशमे पूर्ण मद्य-निषेध सम्बन्धी कानून नही बन जाता, तबतक या थोडे समयके लिए शराब और नशीले पदार्थोकी दुकानोके सामने बिना बाधा डाले शान्तिपूर्वक धरना देना।

(ग) विदेशी वस्त्रके सम्बन्धमे भी उपर्युक्त (क) और (ख) दोनो काम करना।

(घ) प्रतिदिन निश्चित न्यूनतम मात्रामे सूत कातना।

टिप्पणी: कताईमे रुई साफ करनेका और जहाँतक हो सके, अपनी पूनियाँ खुद बनानेका ज्ञान भी सम्मिलित है।

(ङ) हाथमे कती और हाथमे बुनी खादीके सिवा और कुछ न पहननेकी प्रतिज्ञा करना।

(च) स्मृति दिवसको इस तरहकी खादी खरीदना या बेचना।

(छ) यथाशक्ति या कमसे-कम एक दिनकी कमाई राष्ट्रके कल्याणके लिए देना।

(ज) कोई ऐसी सेवा या ऐसा आत्मत्यागका कार्य करना जो उपर्युक्तमें न आया हो।

उन्होंने यह भी कहा:

१. यह अत्यन्त आवश्यक है कि कारोबार बन्द रखना और दूसरी सभी बातें पूरी तरह स्वेच्छासे की जायें। इसमें किसी तरहकी कोई जबरदस्ती नही होनी चाहिए।

२. प्रदर्शनको प्रभावशाली बनानेके लिए पूर्ण अनुशासन जरूरी है।

३. यह आशा की जाती है कि सब वर्गो और जातियोके पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे हजारोंकी सख्यामें प्रदर्शनमें भाग लेंगे।

४. यदि आमतौरपर लोग चाहे तो इस स्मृति-दिवसपर विदेशी वस्त्रका पूर्ण बहिष्कार सम्पन्न हो सकता है। यह उस देश भक्त — जो किसी वक्त स्वय सब तरहकी विदेशी ऐशो-आरामकी चीजोका उपयोग करता था परन्तु जैसे ही उसे अपने कर्त्तव्यका आभास हुआ, उसने अपने बेशकीमती कपड़े उसी तरह उतार कर जला डाले जिस तरह आमतौर पर हम फटे पुराने कपड़े त्यागते हैं — की स्मृतिमें एक सर्वश्रेष्ठ स्मारक होगा और इस स्मारकका एक ही दिनमें खड़ा करना राष्ट्रके बसमें है।

५. जहाँतक हो सके, लोगोंको चाहिए कि वे अपने निजी आत्म-त्याग या प्रणकी घोषणाको सभामें और अपने ताल्लुके या फिरकेकी कांग्रेस उप-समितिके आगे तो हर हालतमें बता ही दें। परिणामोंका सार प्रधान कार्यालयको भेज दिया जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ९-२-१९३१

२३०. तार: पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासको[1]

९ फरवरी, १९३१

पुरुषोत्तदास ठाकुरदास
पद्मधाम
नई दिल्ली

आपका पत्र मिला। धन्यवाद। आप जितनी जल्दी आ जाएँ उतना ही अच्छा है।[2]

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

२३१. पत्र: कुसुम देसाईको

इलाहाबाद
९ फरवरी, १९३१

चि० कुसुम,

सीधे यहाँसे लिखा हुआ पत्र मिला होगा। तेरे क्षोभको समझता हूँ। उसके अन्दरका संकोच ही मुझे तो ठीक नही लगता। परन्तु अब तो किसी जगह तू मिलेगी, तब समय होगा तो यह समझाऊँगा अथवा समझानेकी भी क्या बात है।

तेरे बारेमें बाँधी हुई आशा मैं छोड़ूँगा नही।

शान्ताका पत्र आया है। वह लिखती है कि थोड़े ही दिनोंमें तेरे पास पहुँचेगी।

१. उनके ८ फरवरी, १९३१ के गुजरातीमें लिखे पत्रके उत्तरमें, जिसमें उन्होंने गांधीजीकी सर तेज बहादुर सप्रूसे हुई बातचीतके बाद सम्भवतः उनके गोलमेज परिषदके बारेमें कोई अन्तिम निर्णय लेनेसे पहले भेंट करनेकी इजाजत माँगी थी। (एस० एन० १७९२५)।

२. एस० एन० १६९२५ के अन्तर्गत प्राप्त इसका मसविदा इस तरह है, "आपका पत्र मिला। धन्यवाद। कृपया जब आप आ सकें आ जायें। जितनी जल्दी आ सकें उतना ही अच्छा है।"

मेरी तबीयत तो अच्छी ही है। अभी यहाँ १५ तारीखतक रहना होगा। बादमें जो हो सो सही। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १८२०)की फोटो-नकलसे।

२३२. पत्र : काशिनाथ त्रिवेदीको

प्रयाग
९ फरवरी, १९३१

चि० काशिनाथ,

तुम्हारा २५ तारीखका सरस पत्र इधर-उधर घूमनेके बाद आज ही मिला है।

[नारणदासको] दैनन्दिनी दिखानेके लिए आश्रम वापस जानेतक न रुकना।

जहाँ धर्म स्पष्ट हो, वहाँ उसका पालन करनेमें माता-पिताके आत्महत्या करने या साधु बन जानेकी धमकीसे डरनेकी जरूरत नहीं। ऐसी धमकीपर अमल कदाचित ही होता है। और यदि हो तो भी उससे कल्याण ही होता है। माताजीके स्वास्थ्यमें खूब सुधार हुआ माना जायेगा।

'अहिंसात्मक हिंसा' शब्दोंका प्रयोग अशुद्ध ही माना जायेगा।

अपनी प्रवृत्तिका क्षेत्र अपनी शक्तिसे ज्यादा न होने देना। कामकी खोज न करें और नया काम आ पड़े, तब अपनी शक्तिका विचार कर लें। जो काम है उसमें ही सुधार करें और उसे दृढ़ बनायें, इतना ही काफी है। और इससे ही बहुत फल मिल सकता है।

मैं यहाँ १४ या १५ तारीखतक तो हूँ ही। बादमें कहाँ जाना है, इसपर विचार करना पड़ेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५२८०)की फोटो-नकलसे।

२३३. पत्र : चिमनलालको

प्रयाग
९ फरवरी, १९३१

चि० चमनलाल,

यदि साल-छह महीनोंके लिए अन्नपूर्णाको लेनेके लिए तैयार हो, तो अवधि निश्चित किये विना उसे ले लेना चाहिए। मनकी पवित्र निकली तो बोझ नही लगेगा। और अपवित्र हुई तो एक दिन भी न रह सकेगी। इतना उसे स्पष्ट वता देने पर उसे ले लेनेमें मुझे कोई अड़चन नही दिखाई देती। किन्तु तुम्हे और नारणदासको इसपर स्वतन्त्र रीतिसे विचार कर लेना है।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० २४३७०)की फोटो-नकलसे।

२३४. पत्र : 'यंग इंडिया'के प्रबन्धकको

९ फरवरी, १९३१

भाईश्री,

तुम्हारे संकटके वारेमे जानकर मैंने तुम्हे प्रकाशनके लिए सामग्री भेजना वन्द कर दिया। साइक्लोस्टाइल [मशीन] आदिका चला जाना हमारी थोड़ी-बहुत हार तो है ही। इस हारका मुझपर कुछ असर नहीं हुआ। क्योंकि हमे कही भी सम्पत्ति रखनेका अधिकार कहाँ है? अत्याचारीके राज्यमें अत्याचारी ही प्रत्येक कणका मालिक वन वैठता है। और इसी तरह वह जुल्म कर सकता है। जव व्यक्ति या समुदाय ऐसे राज्यके अधीन सम्पत्तिके विषयमें अनासक्त वन जाते है, तव अत्याचारीकी जुल्म करनेकी शक्तिका अन्त तत्काल आ जाता है।

वापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २२-२-१९३१

२३५. पत्र : नारणदास गांधीको

[१० फरवरी, १९३१से पूर्व][1]

चि० नारणदास,

तुम्हारा तीसरा पत्र मुझे आज मिला है। १४ तारीखतक मैं निश्चित रूपसे यहाँ हूँ। बादमें कहाँ जाना होगा, सो मालूम नही। तय होनेपर तुम्हे लिखूँगा। तुम कही भी आकर मुझे मिल जाओ, तो अच्छा लगेगा ही। अन्य लोग भी मुझसे मिलनेके लिए अधीर होगे। आश्रममें तो आनेका मेरा कोई इरादा ही नही है। कुछ समझौता होनेपर ही वहाँ आ सकता हूँ। लेकिन यह सोचकर कि कम खर्च करके और अपेक्षाकृत कम असुविधा सहकर सब मुझसे मिल सके, मेरी इच्छा अहमदाबादके रास्ते खेडा जानेकी है। क्या करना पड़ेगा, यह तो निश्चित नही है।

प्रभावतीकी तबीयतके बारेमें पूरी जानकारी देना। यदि उसे दौरे पड़ते है, तो डाक्टरसे उसकी जाँच करनेके लिए कहना। यदि वह कुछ सुझाव दे, तो उसपर अमल करना।

मुझे पत्र-व्यवहारके लिए बिल्कुल समय नही मिल पाता। लेकिन उम्मीद है कि अबसे कुछ समय मिलेगा। अब तो तुम्हारी ओरसे मुझे नियमपूर्वक पत्र मिला करेंगे।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

क्या गंगाबहन और बसुमतीको सजा हो गई? हुई है तो कितन दिनोके लिए? सीतलासहायका कहना है कि तुम्हें बुखार आता है और कुसुम तो बहुत दुबली हो गई है। यह सब क्या है?

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८१५२) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

1. नारणदास गांधीके बीमार होनेके उल्लेखसे; देखिए "पत्र: नारणदास गांधीको", १०-२-१९३१।

२३६. वक्तव्य : भारतके राष्ट्रीय ऋणके विषयमें

[१० फरवरी, १९३१][1]

राष्ट्रीय ऋणको अस्वीकार करनेकी माँग पर 'डेली मेल' ने जो टिप्पणी की है उसके बारेमें 'रायटर' का तार श्री गांधीको दिखाया गया। श्री गांधीने स्पष्ट कहा कि इसमें बात अस्वीकृतिकी नहीं है। मैं तो यह चाहता हूँ कि मामला निष्पक्ष न्यायाधिकरणके सम्मुख रखा जाये, जो यह निर्णय करे कि ऋण भारतके हितमें लिया गया था या नहीं। यदि नहीं तो ऋणकी वसूली ब्रिटिश राजस्वसे की जानी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ११-२-१९३१

२३७. पत्र : गंगाधरराव देशपाण्डेको

इलाहाबाद
१० फरवरी, १९३१

प्रिय गंगाधरराव,

आपका पत्र मिला। उलझनें तो पहलेसे ही थी। अब वे और अधिक बढ़ गई हैं। मोतीलालजीकी मृत्युसे मेरी योजना अस्त-व्यस्त हो गई। क्रूर नियतिने मेरे लिये क्या सोच रखा है, मैं नहीं जानता। 'मेरे लिये एक कदम ही काफी है,'[2] मैं सम्भवत: १५ तक यहाँ हूँ। तबतक सभी कुछ अनिश्चित है। यदि कभी समझौता घोषित हुआ तो आप जैसोंकी सम्पत्तिको तो लौटाया जाना सुनिश्चित है। इस दौरान बेघरबार, खानाबदोश अभागोंकी तरह रहना ही अच्छा। संगठित निरंकुश शासनके अधीन दुर्भाग्य ही भाग्य है, गरीबी वरदान है और अमीरी अभिशाप है। पापका राज्य है। पुण्यका कही नाम नही है। संक्षेपमें, सारे गुण उलटे हो गये हैं। हमें जिस आगमें से गुजरना है, अभी तो उसकी आँच-भर दूरसे हमें लगी है। हम उस आगके बीच कूदनेके लिए तैयार हो जायें; फिलहाल मेरा यही अनुमान है। और इसे सोचकर मेरा मन खुशीसे भर जाता है। लूली-लंगड़ी शान्ति खतरनाक होगी और सच्ची शान्तिका मुझे कोई संकेत नही मिल रहा है।

आपका,
बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ५२१४)की फोटो-नकलसे।

१. इस तारीखको इलाहाबादसे एसोसिएटेड प्रेस[?] स्पेशल सर्विस द्वारा प्रकाशित।
२. 'वन स्टेप ऐनफ फॉर मी'।

२३८. पत्र : नारणदास गांधीको

मंगल प्रभात, १० फरवरी, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारी ओरसे अब डाक मिलनी शुरू हो गई लगती है। तुम्हे बुखार कैसे आया, यह तो अब बादमें पता चलेगा।

वहांके भूमि-करको देनेके विषयमें कान्ताने मुझसे पूछा है।

अभी स्थिति ऐसी नही है कि मैं सही राय दे सकूं। नोटिस आदिको पढना चाहिए। बक्शीशके रूपमें मिली हुई जमीनके बारेमे क्या कानून है, यह मालूम करना चाहिए। तथापि महादेवसे पूछने पर मैं देखता हूँ कि लगान न भरनेका निर्णय किया जा चुका है, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं कहना है। वे लोग जो करना चाहे सो करे। हमने लगान नही देना है, यही तो निश्चय हुआ है न? और यही उचित भी लगता है। यही हमारी कसौटी होगी अथवा हमारी कसौटी क्या होगी, यह हम क्या जाने।

प्रभावती चाहे कुछ कहे फिर भी बेहतर यही होगा कि हमारे सन्तोषके लिए हरिभाई उसे देख ले।

मेरे कार्यक्रमके बारेमें तो महादेव तुम्हे लिखता ही होगा। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति है कि उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। लडाईमें अनिश्चितताका होना ही निश्चितता है। १५ तारीखके बाद कहाँ जाना होगा, यह निश्चित रूपसे १५ तारीखको ही मालूम होगा। इसलिए हम कब और कहाँ मिलेंगे, यह मालूम नहीं। अतएव तुम्हे जो-कुछ पूछना हो सो पत्र लिखकर पूछ लेना। मिलेंगे तो अधिक खुलासा होगा। 'मिलेंगे तो' लिखनेके पीछे भी उद्देश्य निहित है। समझौता होनेके चिह्न मुझे दिखाई नही देते और समझौता न होनेपर मुझे तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसी परिस्थितिमे बाहर होते हुए भी मुझे जेलके भीतर मानना बेहतर होगा। कल सवेरे क्या होगा, यह बात यदि जानकीनाथ [राम] भी नहीं जानते थे, तो फिर अपनी क्या बिसात है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

४० पत्र हैं।

गुजराती एम० एम० यू० – १।

२३९. पत्र : रमाबहन जोशीको

प्रयाग
१० फरवरी, १९३१

चि० रमा,

तुम्हारा पत्र मिला। इस तरह हार नही माननी चाहिए। जेलकी सजा मिले तो जेल जायें। मार पड़े तो रामनाम लेते हुए मार खा लें। सेवा करनी है; उसमें पसन्दगीकी क्या वात है? कौन जानता है कि मार खाकर ही छुटकारा मिल जायेगा? गोली भी सहनी पड़ सकती है। हम तो धीरज रखें और ईश्वर जो भी परीक्षा ले, उसमें उत्तीर्ण होनेकी तैयारी रखें।

सेवा करनेके कारण देरसे सोयें और देरसे उठें तो दुख करनेका कोई कारण नही; किन्तु इसमें आत्मवंचना भी नही होनी चाहिए।

विमुको लिखना कि वोरसदमें बहनोंके चोटीसे पकड़े जानेके वाद भी वह क्यो चोटी रखना चाहती है? सच वात तो यह है कि इस घटनाके वाद सेवा-कार्यमें लगी हुई सभी बहनोंको अपनी चोटीको छुट्टी दे देनी चाहिए। किन्तु मै अपनी वात किसको समझाऊँ?

मै यहाँ १५ तारीखतक हूँ। उसके वाद कहाँ रहूँगा, यह तो ईश्वर जाने। किन्तु अव मिलेंगे अवश्य, ऐसा लगता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५३३०)की फोटो-नकलसे।

२४०. भाषण : विद्यार्थियोंके समक्ष, इलाहाबादमें

१० फरवरी, १९३१

सैकड़ों विद्यार्थी और कांग्रेसी स्वयंसेवक जो ज्यादातर गाँवोंसे आए हुए थे, महात्मा गांधीके दर्शन पानेके लिए मंगलवारको तीसरे पहर आनन्द भवनमें इकट्ठे हुए। महात्माजीने उन लोगोंके समक्ष लगभग दस मिनट तक भाषण दिया। भाषणमें उन्होंने यह अनुरोध किया कि विद्यार्थियोंको धुनना और कातना सीखना चाहिए और उन्हें शुद्ध हाथसे कते और बुने खद्दरके सिवाय और कुछ नहीं पहनना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा करना स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरूकी स्मृतिको स्थायी बनाना है और इसके साथ ही इससे भारतके लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेमें कांग्रेसके प्रयत्नोंको भी बल मिलेगा।

गांधीजी हिन्दीमें बहुत ही धीमी आवाजमें बोले। मैसूरके एक विद्यार्थीने प्रार्थना की कि जो हिन्दी अच्छी तरह नहीं समझ सकते उनके लाभके लिए वे (गांधीजी)

अंग्रेजीमें भाषण दें। उसने यह भी कहा कि ढाई सालसे इलाहाबादमें रह चुकनेपर भी वह गांधीजीके हिन्दी भाषणको नहीं समझ सका है। इसपर गांधीजीने कहा :

यदि मैं मैसूरमें ढाई साल रहूँ और मैं कन्नड भाषा अच्छी तरह न समझ सकूं तो मुझे सचमुच शर्मिन्दा होना चाहिए।

और उन्होंने मुस्कराते हुए विद्यार्थीसे पूछा :

क्या तुम्हे यह स्वीकार करते हुए लज्जा नही आती कि तुम हिन्दी नही जानते ?

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १२-२-१९३१

२४१. सन्देश : बंगालको[1]

[१० फरवरी, १९३१ या उसके पश्चात्]

मुझे बंगालसे सदा बडी आशाएँ रही है और मेरे लिए निराशाका कभी कोई कारण नही रहा। लेकिन मेरी समझमें यदि बंगालके सारे युवक सिर्फ इतना ही करें कि अहिंसाको केवल नीति नही, सिद्धान्त मानकर अपना ले तो बंगाल और भी बहुत कुछ कर सकता है। कुछ बं[गाली] मित्रोंकी विपरीत चेतावनीके बावजूद मैंने यह आशा नही छोड़ी।

अंग्रेजी (एम० एन० १६९२६) की फोटो-नकलसे।

२४२. तार : 'तेज' को

११ फरवरी, १९३१

सम्पादक
'तेज'
दिल्ली

मोतीलालजीके बहुतसे गुणोंकी चर्चा करने उनका गायन करने या उनके बारेमें लेख लिखनेकी अपेक्षा यदि हम उनके महान् त्यागोंका अनुकरण करें तो इससे उनकी आत्माको सन्तोष प्राप्त होगा और हमें भी लाभ होगा और इस तरह स्वराज्य भी जल्दी आयेगा।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४) की माइक्रोफिल्मसे।

१. हरदयाल नागके १० फरवरी, १९३१ के पत्रके उत्तरमें जिसमें उन्होंने मोतीलाल नेहरूकी मृत्युपर संवेदना प्रकट करनेके बाद गांधीजीसे बंगालके लिए सन्देश भेजनेकी प्रार्थना की थी।

२४३. पत्र : पाचा पटेलको

११ फरवरी, १९३१

आपका तार मिला। तार भेजना जरूरी नही था। मेरा मन बारडोली और बोरसदमें भटक रहा है। ऐसा लगता है कि मै वहाँ फिर गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा।

परन्तु सब कुछ ईश्वरपर निर्भर है। मनुष्य किसी वस्तुको प्राप्त करनेके लिए प्रयास-भर कर सकता है। जब ईश्वर चाहेगा, तभी मैं वहाँ पहुँच सकूँगा।

सब भाई-बहनोंको मेरा आशीर्वाद। विशेष बात यह है कि हर व्यक्ति अपना प्रण पूरी तरह निभाये।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-२-१९३१

२४४. पत्र : छगनलाल जोशीको

प्रार्थनाके पश्चात्, ११ फरवरी, १९३१

चि० छगनलाल (जोशी),

तुम्हें यह पत्र मिलेगा या नही, यह तो ईश्वर ही जानता है। फिलहाल पोस्टकार्डसे ही सन्तोष कर लेना। मुझे तो अवसर पाते ही खेड़ा आना है। समझौता चाहे जैसा हो, हाँलाकि आशा नही है, संघर्षमें सम्मिलित किसानोके हितोंकी पूरी रक्षा करनेका प्रयत्न तो करूँगा ही। तुम्हारी भेजी हुई टिप्पणी नही मिली।

मुझे पत्र लिखते रहना और लिखवाते भी रहना। मैं यहाँ १५ तारीख तक तो रहूँगा ही। फिर जहाँ अन्न-जल ले जाये। मेरी इच्छानुसार हो सका तो अहमदाबादके रास्तेसे ही वहाँ आऊँगा। फिलहाल यहाँकी बात लिखनेकी जरूरत नही।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५५०१)की फोटो-नकलसे।

२४५. पत्र : तारा मोदीको

१३ फरवरी, १९३१

चि० तारा,

तुम्हारा पत्र मिला है। मीठूबहनके बारेमें समझ नही आया। चाहे जो हो, हमें तो सेवा करनी ही है। न बदला माँगना है न उसकी इच्छा करनी है। सेवाका बदला तो और सेवा करनेका उत्साह ही है। चाहे जैसा आरोप हो, उससे घबरानेका कोई कारण नही। कपड़े आदि मिल गये होंगे। मुझे तो लिखते ही रहना। स्वास्थ्यका ध्यान रखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४१७१)की फोटो-नकलसे।

२४६. तार : 'डेली हेरॉल्ड' को[1]

१४ फरवरी, १९३१

'न्यूज क्रॉनिकल' की भेंट मेरी मनोवृत्तिको संक्षेपमें सन्तोषजनक रूपसे पेश करती है। मैं तो आपको केवल यही आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि सैद्धान्तिक स्थितिको त्यागे बिना वैसा हो सकता हो, तो मैं अपनी सामर्थ्यभर शान्ति स्थापित करनेका पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। यरवदाकी मुलाकातोंमें स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू, मैंने और मेरे अन्य सहयोगियोंने जो रुख अख्तियार किया उसका राष्ट्रके जीवन-मरणसे ही सम्बन्ध समझिए। यदि भारतको स्वतन्त्रताकी दीप्तिका अनुभव करना है तो रक्षा-व्यवस्था उसके अपने नियन्त्रणमें होनी चाहिए; अवश्य ही उसे ब्रिटिश अनुभवियोंसे आवश्यक सहायता लेते रहना चाहिए। यदि कुछ मामलोंमें हम अपनेको बहुत अच्छा सिद्ध न कर सके तो दोष हमारा नही है; बल्कि मैं हमारी उस अक्षमताका

१. डेली हेरॉल्डके सम्पादकके १३ फरवरी, १९३१ के तार (एस० एन० १६९२७) के जवाबमें, जो इस प्रकार था : न्यूज क्रॉनिकलके भेंटकर्त्ताने आज लिखा है कि आपने ऐसा कहा : "मैं स्वतन्त्रताका सारतत्त्व चाहता हूँ। गोलमेज परिषद्के प्रस्ताव मुझे वह सारतत्त्व नहीं देते। मैं उससे कममें सन्तुष्ट नहीं। सविनय अवज्ञा आन्दोलन जरूर जारी रहना चाहिए। मैं शान्तिके हर अवसरकी खोज कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मुझे कोई अवसर नहीं दिखाई देता"। क्या यह सही वक्तव्य है? अपने अन्तिम निष्कर्ष निश्चित रूपसे बताइए।

कारण इस बातको मानता हूँ कि सम्पूर्ण राष्ट्र आत्मरक्षाके मामलेमें जान बूझकर दबाकर रखा गया है। और मैं आर्थिक मामलोंमें भी किसी बाहरी नियन्त्रणकी बातसे सहमत नही हो सकता। अंग्रेजोको जनताकी बढ रही उस मुफलिसीका कोई अन्दाज नही हो सकता जो कि स्वर्गीय लॉर्ड सैलिस्बरीके शब्दोंमें बहुत सोच समझकर अभागे देशके निवासियोंपर उनकी क्षमताके अनुपातसे कही ज्यादा कर लगाकर उनका शोषण करनेसे हुई है। ऐसे और भी कई मामले हैं। मैंने केवल दो का ही उल्लेख किया है, फिर भी मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ और स्वभावसे शान्तिका प्रेमी हूँ। इसलिए हम अब यह पता लगानेका प्रयत्न कर रहे है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सहयोग दिया जा सकता हो। कांग्रेसका क्या लक्ष्य है और दिन-ब-दिन जैसी स्थिति बनती जा रही है उसको पूरी तरह ध्यानसे समझनेकी पैरवी करता हूँ।

जनताके सच्चे शुभचिन्तक भी, जो जनता की दशासे अनभिज्ञ हैं, शायद ही यह समझते हैं कि जनता और अधिक कर-भार सह सकनेमें ही असमर्थ नही है अपितु उससे कई तरीकोंसे जो मौजूदा मांगकी जाती है उसे पूरा करनेमें भी असमर्थ है। ऐसा देश एक विदेशी प्रशासनका खर्च नहीं उठा सकता जो औसत आमदनीके अनुपातमें संसारका सबसे ज्यादा खर्चीला प्रशासन है और ऊपरसे विदेशी आधिपत्य बनाए रखनेके लिए सेनाका खर्च है।

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२८)की फोटो-नकलसे।

२४७. पत्र : वाइसरायको

आनन्द भवन, इलाहाबाद
१४ फरवरी, १९३१

प्रिय मित्र,

जब कभी मुझे ऐसा जान पड़ता है कि अधिकारियोंसे सीधा व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करना किसी उद्देश्यकी दृष्टिसे आवश्यक है तब मैं आमतौरपर न तो किसी अन्य व्यक्तिके कहनेकी राह देखता हूँ और न तत्सम्बन्धी रूढ आचारका विचार ही करता हूँ; मै उस अवस्थामें उनसे सीधा सम्पर्क स्थापित करनेकी कोशिश करता हूँ। किन्तु इस बार मौजूदा मामलेमें किसी-न-किसी कारणसे मै अपने अन्तरकी आवाज सुननेमें चूक गया। फिर भी मुझे ऐसे मित्रोंने, जिनकी रायकी मैं कद्र करता हूँ, सलाह दी है कि किसी निर्णयपर पहुँचनेसे पहले मुझे आपसे भेंट करनी चाहिए। मै अब और अधिक इस सलाहका विरोध नही कर सकता। मुझपर जो जिम्मेदारी है, उसे मैं जानता हूँ। पण्डित मोतीलाल नेहरूकी मृत्युसे वह और

बढ़ गई है। मुझे लगता है कि यदि मैं आपसे निजी सम्पर्क तथा स्पष्ट बातचीत किये बिना अपने सहयोगियोको कोई सलाह दूँ तो सम्भव है वह सही न हो। मैंने जिन मित्रोंकी ओर इशारा किया है, उन्हे लन्दन-परिषदकी कार्यवाहियोमें एक ऐसा अभिप्राय और आशा दिखाई दी है, जिसे उनके साथ मैं भी अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा सविनय-अवज्ञा मुल्तवी करने और परिषदके बकाया काममें मदद देनेकी सलाह देनेके पहले कुछ और कठिनाइयाँ भी दूर करनी जरूरी हैं। यह आवश्यक लगा कि कार्य-समितिके अन्तिम रूपसे कोई निर्णय करनेसे पूर्व मेरा आपसे मिलना और अपनी कठिनाइयोंके बारेमें बातचीत कर लेना बेहतर होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप ठीक समझें तो मुझे मुलाकातका समय यथा-सम्भव जल्दी सूचित कर दें।[1] मैं भारतके वाइसरायसे मिलनेका उतना इच्छुक नही हूँ जितना कि आपके हृदयमें स्थित इन्सानसे।

क्या मैं आगामी सोमवार तक उत्तर पानेकी आशा कर सकता हूँ? उत्तरके अभावमें मैं मगलवारको बम्बईके लिए रवाना होनेकी बात सोच रहा हूँ। वहाँ चार दिन रहनेका विचार है। बम्बईमें मेरा पता है लेबर्नम रोड।

आपका विश्वस्त मित्र

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३३२) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

२४८. पत्र : प्रभावतीको

१५ फरवरी, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरे पत्र मिल गये हैं। अब तेरी तबीयतके बारेमें और ज्यादा जाननेकी जरूरत नहीं बची। चिन्ता करना बिल्कुल छोड़ देगी तो शरीर फौरन सुधर जायेगा। मनपर कोई भी बोझ न रखना। तेरी चिन्ता तो मैं कर रहा हूँ; फिर तू किसलिए चिन्ता करती है? जैसे-जैसे चिन्ता छोड़ेगी, वैसे-वैसे शरीर सुधरता जायेगा और दौरे कम होते जायेंगे। सिर-दर्दके लिए जिस तरह मैं सिरपर मिट्टीकी पट्टी बाँधता था, वैसे ही पट्टी बांध कर सोना। दिनमें दो-तीन बार चित लेट कर आराम ले लिया करो। नींद न आनेपर भी लेटे रहना चाहिए। कब्ज तो कभी न होने देना। खाना तो ठीक है। जितनी भूख लगती है, तू उससे ज्यादा खाये, इसकी इच्छा तो मैं नही करता।

पिताजी यहाँ चार दिन रह गये हैं। उनका शरीर पहलेसे तो ज्यादा स्वस्थ लगा। राजेन्द्र बाबू तो थे ही और साथमें अनुग्रह बाबू भी थे।

१. देखिए "तार: वाइसरायको", १५-२-१९३१ या उसके पश्चात्।

मैं कल वम्बई जा सकूंगा, यह मालूम नहीं है। जहाँ मुकाम कर पाऊँ, वहाँ आ जाना।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४०७)की फोटो-नकलसे।

२४९. पत्र : वालजी गोविन्दजी देसाईको

१५ फरवरी, १९३१

भाई वालजी,

तुम्हरा पत्र मिल गया है। आवश्यकतानुसार वहाँ जरूर रहो — खादीमाता और गोमाताको [न] भूलकर। सरकारके वारेमें तो 'विनाश काले विपरीत वुद्धि' वाली वात चरितार्थ हो रही है इसलिए मनमाने हुक्म निकाल रही है। मैं तो अभी अनिश्चयमें पड़े रहनेके लिए वाध्य हूँ। सम्भावना तो यही है कि दिल्ली जाना पड़ेगा। वहाँ कितना रहना पड़ेगा, यह वाइसरायपर निर्भर करता है। जान पड़ता है, दिल्लीसे वम्वई जाना पड़ेगा। तुम शरीरको स्वस्थ वनाये रखनेकी कला सीख लो तो कितना अच्छा हो। खुलकर वात तो मिलनेपर ही होगी।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७४१३)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : वालजी गोविन्दजी देसाई

२५०. भाषण : इलाहावादमें मोतीलाल दिवसपर[1]

१५ फरवरी, १९३१

शामको तीन वजे श्री गांधी सभामें आये। उनके साथ अन्य लोगोंके अलावा पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी थे। वे मंचपर वैठ गये। . . .

कुछ महिलाओं द्वारा ध्वजगान . . . के वाद महात्मा गांधीके सुझाव पर श्री पुरुषोत्तमदास टण्डनने मौलाना अवुल कलाम आजादसे सभाकी अध्यक्षता करनेका अनुरोध किया।[2]

१. मोतीलाल नेहरूके दसवें दिनके श्राद्ध संस्कार सम्बन्धी गांधीजीके निर्देशोंके लिए देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", ८-२-१९३१।

२. पुरुषोत्तमदास टण्डन, अध्यक्ष, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने इस समय गांधीजी द्वारा निर्दिष्ट प्रतिज्ञाके प्रस्तावको रखा। प्रतिज्ञाको श्रोताओंने शब्दशः दुहराया।

इसके बाद श्री गांधीने, जो मंचपर बैठे हुए तकली कात रहे थे, श्रोताओंके समक्ष भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म यह मानते हैं कि आत्मा अमर है और श्राद्ध आदि संस्कार मृत व्यक्तिकी आत्माको शान्ति प्रदान करनेके लिए किये जाते हैं। देहत्याग करते समय व्यक्तिके मनमें कोई भी इच्छा न हो, ऐसा कम होता है। उसकी कोई-न-कोई इच्छा हमेशा अपूर्ण रह जाती है। श्री गांधीने कहा कि पण्डित मोतीलाल नेहरू स्वराज्यकी इच्छा लेकर मरे हैं। उनकी बराबर यह इच्छा थी कि सारा देश स्वतन्त्र हो और शासनकी बागडोर उसके अपने प्रतिनिधियोंके हाथमें हो और देशके गरीबसे-गरीब व्यक्तिके साथ न्याय हो, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान; ईसाई हो या पारसी अथवा सिख। श्री गांधीने कहा कि इसलिए मेरे मनमें आया कि उस दिन कुछ ऐसा काम किया जाये जो पण्डित मोतीलालकी आत्माको शान्ति प्रदान करनेके लिए सच्चा श्राद्ध हो। इसलिए मैंने स्मारक-दिवस मनानेके सम्बन्धमें एक अपील जारी की थी।

श्री गांधीने आगे कहा कि गंगास्नान कर लेना ही श्राद्ध नहीं है। उससे शरीर तो अवश्य शुद्ध हो जाता है परन्तु अन्तरात्माकी शुद्धि केवल किसी आन्तरिक कार्यसे ही हो सकती है। जो शपथ अभी-अभी आप लोगोंने ली है उससे ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि आप उस शपथके अनुसार कार्य न करें तो वह व्यर्थ है। आप लोगोंको तो कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि स्वराज्य जल्दी प्राप्त हो जाये। आप जानते हैं कि उससे पण्डित मोतीलालकी आत्माको शान्ति मिलेगी। मैं जानता हूँ कि हजारों लोग सिर्फ शपथको भंग न होन देनेके लिए अपनी जान दे देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगोंने पूर्ण स्वराज्य हासिल करनेके लिए प्रयत्न करनेकी शपथ ली है, वे अपनी शपथका पालन करेंगे।

श्री गांधीने लोगोंसे अपील की कि वे सब हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए प्रयत्न करते रहें। उन्होंने कहा: हाल ही में हमारे तीर्थ स्थान काशीमें हुए दंगोंसे मुझे इसकी याद हो आई है। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दू-मुस्लिम एकता हासिल करना भी पण्डित मोतीलाल नेहरूके जीवनका लक्ष्य था और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि लोग ऐसी एकता हासिल करनेके लिए मिलजुल कर प्रयत्न करें और उसमें सफल हो जायें, तो स्वराज्य हासिल करनेका दूसरा काम बहुत आसान हो जायेगा। श्री गांधीने कहा — मुझे मालूम हुआ है कि काशीमें हिन्दू-मुसलमान एक दूसरेके गले काट रहे हैं। मैं किसी एक दलको नुकसान पहुँचाकर स्वराज्य नहीं पाना चाहता। मैं या पण्डित मोतीलाल नेहरू ऐसा स्वराज्य नहीं चाहते थे जो केवल हिन्दुओंके लिए ही हो या केवल मुसलमानोंके लिए। उनके जीवनका लक्ष्य ऐसा स्वराज्य था जिसमें हिन्दू-मुसलमान तथा अन्य लोग साथ-साथ रह सकें। इसलिए यदि कोई भी जाति किसी दूसरी जातिपर अत्याचार करे तो यह बड़ी लज्जाकी बात होगी। उचित यह होगा कि यहाँ उपस्थित सभी लोग साम्प्रदायिक एकताके लिए प्रयत्न करनेकी शपथ लें।

उन्होंने कहा कि संघर्षके दौरान हम लोकमान्य तिलक, हकीम साहब अजमल खाँ, लाला लाजपतराय और देशबन्धुदासको खो चुके हैं और अब पण्डित मोतीलाल नेहरू चले गये। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपना कर्त्तव्य पालन करें और जिस उद्देश्यके लिए हमारे इन नेताओंने प्राण दिए हैं, उसे प्राप्त करें।

[अंग्रेजीसे]

पायोनियर, १८-२-१९३१।

२५१. तार: वाइसरायको[1]

[१५ फरवरी, १९३१ या उसके पश्चात्]

तारके लिए धन्यवाद। मंगलवारको दो बजे आपसे मिलनेकी आशा करता हूँ। यह असुविधाजनक हो तो कृपया दूसरा समय दें। दिल्लीमें डा० अन्सारीके पास ठहरूँगा।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य: नारायण देसाई

२५२. तार: प्रभाशंकर पट्टणीको

इलाहाबाद
१६ फरवरी, १९३१

सर प्रभाशंकर
भावनगर

तारके[2] लिए धन्यवाद। पत्र मिला। भरोसा रखिए कि मैं यथासम्भव प्रयत्न करूँगा। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ५९१२) की फोटो-नकलसे।

१. उनके १५ फरवरीकी रातको मिले तारके जवाबमें। तार इस प्रकार था: "आपका पत्र मिला। मंगलवार, बुधवारको किसी समय आपसे मिलनेको तैयार हूँ। कृपया तार दीजिए।"

२. तार इस प्रकार था: "आशा है कि आपको मेरा पत्र मिल गया होगा। जब १९१९ में आपने बिना कठिनाईके अमृतसर कांग्रेसको मॉन्टेग्यु सुधार स्वीकार करने और आजमानेके लिए सहमत कर लिया था, सारे भारतकी दृष्टि निर्देशके लिए आपकी ओर लगी थी। आज शान्तिके लिए सारे विश्वकी आशाभरी दृष्टि आपकी ओर लगी है। अगर कांग्रेस मदद दे तो लगता है सभी बातोंका रुख सम्मानजनक समझौतेकी दिशामें है। (महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी)

२५३. सन्देश : उत्कलवासियोंको[1]

१६ फरवरी, १९३१

मेरी उमेद है कि आप सब स्वराज यज्ञमें यथाशक्ति बलिदान देंगे।

मोहनदास गांधी

सी० डब्ल्यू० ९७५६ से।
सौजन्य : उड़ीसा सरकार

२५४. पत्र : गुणवती कुँवर महाराजसिंहको

इलाहाबाद
१६ फरवरी, १९३१

प्रिय बहन,

केवल प्रेमकी तरगमें और अपनी इच्छाके विपरीत बिना यह पूछे कि वह कैसे बनाई गई है, मैंने आपकी पावरोटी खा ली थी। जब मैंने खुद वैसी ही रोटी बनवानेकी दृष्टिसे उसके बनानेका तरीका पूछा तो मालूम हुआ कि वह तो मेरे लिये अखाद्य वस्तु है; मैं अब आपको सूचित कर रहा हूँ। मैं अण्डे नही खाता और न मैं गाय या भैंसका दूध लेता हूँ तथा आजकल तो किसी भी प्रकारका दूध लेता ही नहीं। आमतौर पर मैं चीनी भी नही लेता हूँ। इसलिए जो पावरोटी आपने इतनी कृपापूर्वक फिर भेजी है उसे मैं नही खा पाऊँगा। किन्तु यह बात जानकर आप दुखी न हों। वह पावरोटी मेरे लिये अखाद्य थी, इस बातका मुझे कोई दुख नही है। मुझे तो आपके स्नेहकी याद है। उसे मैं सदा सँजोकर रखूंगा। मैंने जो यह सूचना आपको दी है सो इसलिए कि आपको यह मालूम हो जाये कि मैं दूसरी पावरोटी क्यों नही खाऊँगा और आप मेरी स्थिति और विवशताओंको भी जान लें।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

१. दिल्लीमें १९६९-७० में हुई गांधी दर्शन प्रदर्शनीमें उड़ीसाके मण्डपमें प्रदर्शित।

२५५. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

इलाहाबाद
१६ फरवरी, १९३१

सुज्ञ भाईश्री,

आपका पत्र और तार मिल गये हैं। तारका जवाब तारसे दिया है। दाँतको जीभकी रक्षाकी सलाह नहीं दी जाती। मेरी स्थिति तो कथामें वर्णित सगी माँ जैसी समझें। लड़केको जीवित रखनेके लिए वह उसे छोड़ देने तकका दुःख सहनेको तैयार थी न? औरतोंको चोटी पकड़कर खींचा जाये, बच्चोंको व्यर्थ ही कोड़े मारे जायें, इससे मुझे आनंद तो नहीं हो सकता न? इसलिए आगे बढ़कर भी सुलह करनेकी इच्छा तो रहती ही है। किन्तु यदि सुलह भेड़िया और भेड़ जैसी हो तो उसे स्वीकार करनेसे तो यही अच्छा है कि औरतें अपमानित हों, निर्दोष बालकोंकी पीठ लहू-लुहान हो जाये, लोगोंका घरबार उजड़ जाये, बेगुनाहोंको फांसीपर चढ़ा दिया जाये। मौतके किनारे बैठा हुआ मैं हिन्दुस्तानको संकटमें डालनेके लिए कोई अनुचित बात स्वीकार न करूँ, यही ईश्वरसे माँगता हूँ और इसी भावनाके साथ आज दिल्ली जा रहा हूँ। मेरी मनःस्थिति गाड़ीके नीचे चलनेवाले कुत्तेकी-सी नहीं है। मुझे अपनी मर्यादाका भान है। मैं तो रजकण हूँ। रजकणका भी ईश्वरके जगतमें स्थान है, यदि वह कुचला जाना कुबूल कर ले, तो। कर्त्ताधर्त्ता तो वह बड़ा कुम्हार ही है। वह जो काम चाहे मुझसे ले। हार भी उसीकी होगी और जीत भी उसीकी। इसलिए हमारे हारनेका सवाल ही नहीं है अथवा यों कहें कि हम तो सदाके हारे हुए ही हैं। अब मैं काफी लिख चुका। इतना भी मौन हूँ, इसलिए लिख पाया। वैसे यह सब तो प्रस्तावना है। आपको यह लिखनेका विचार इसलिए किया कि आप राजाओंको मनायें कि वे रैयतके अधिकारको पहचानें और उसे स्वीकार करें। वे भागीदार बनना चाहते हैं तो क्या दूसरे भागीदारोंके सामने अपने व्यवहारका कुछ भी लेखा-जोखा नहीं रखेंगे।

लेडी पट्टणीने कितना काता और कितना बेचा? आप गौरक्षाके लिए क्या कर पाये हैं?

मोहनदासके वन्देमातरम्

[पुनश्च :]

स्वास्थ्यके बारेमें लिखें। डा० अन्सारीके पतेपर।

गुजराती (जी० एन० ५९१७)की फोटो-नकलसे।

२५६. पत्र : नारणदास गांधीको

१६ फरवरी, १९३१

चि० नारणदास,

जेलमें काता हुआ सूत तुम्हे स्वामीसे प्राप्त न हुआ हो तो उसे लिखकर मँगा लेना। मै चाहता हूँ कि उसमें से अखिल भारतीय चरखा संघ और गो-सेवा संघ को जितना सूत भेजना हो उतना भेजकर बाकीके सूतकी साड़ी बा के लिए बनवा लो। बन सकती है या नही, बनाई जानी चाहिए या नही, इसपर तुम विचार कर लेना।

लगता है वहाँ बीमारीका काफी जोर है। तुम वहाँ हो इसलिए मैं फिक्र नही करता। आश्चर्य यह है कि रोटी या स्टार्चवाली चीजके आते ही बीमारीकी तैयारी हो जाती है। मैं वर्षों, फल और मेवे पर निर्वाह करके बीमारीसे बच पाया हूँ। जहाँ तक बने और जहाँ तक स्वास्थ्यके लिए जरूरी न जान पडे वहाँ तक रोटी छोड दो। रतालू आदि रोटी जैसे ही है। कुछ भी करो बस बीमार न पड़ो; मैं तो यही चाहता हूँ। कृष्णा, मनु वर्धासे आ गये है? आज यहीसे दिल्लीके लिए रवाना हो रहे है। कल वाइसरायसे मुलाकात होगी। मैं जो हो रहा है सो होने दे रहा हूँ। घड़ा बनेगा कि सुराही, यह तो वह बडा कुम्हार ही जाने। दिल्लीका पता है: डा० अन्सारी, दरियागज।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इसके साथ 'नवजीवन' के लिए लेख है, वह जीवनजीको पहुँचा देना।

चम्पारनके एक पुराने साथीकी विधवा बहन है। वह उसे आश्रममें रखना चाहता है। शायद मार्चके अन्तमें पहुँच जायेगी। इस बहनका नाम गिरिनन्दिनी है। आयु ३६ वर्ष है। जब आना चाहे, तब लिख देनेको कहा है। नियमोका पालन करनेके लिए सहमत है। उसका भाई जितना खर्च भेज सकेगा उतना भेजेगा। वह वकील था; पर फिर उसने वकालत छोड़ दी।

गुजराती एम० एम० यू०/१ से।

२५७. पत्र : छगनलाल जोशीको

[१६ फरवरी, १९३१][1]

चि० छगनलाल (जोशी),

तुम्हें यह पत्र जरूर मिल जाये, इसलिए इसे आश्रमकी डाकके साथ भेज रहा हूँ। यहाँसे तुम्हें लम्बा पत्र भेज सकने योग्य समय अभी नही है। अब दिल्ली जा रहा हूँ इसलिए सोचता हूँ कि कोई न कोई निश्चय जल्दी कर सकूंगा। किन्तु हमें तो अनिश्चयमें भी निश्चय देख सकना चाहिए।

मौतसे ज्यादा और दूसरी कौन-सी बात अनिश्चित हो सकती है। जिसके मरनेकी घड़ियाँ गिनी जा रही हों, वह दीर्घायु हो सकता है और कोई स्वस्थ तरुण व्यक्ति भी पलमें सदाके लिए सो जा सकता है। तो भी हम कभी मरेंगे नही ऐसा मानकर हम काममें जुटे रहते हैं। तो फिर किसी बातके बारेमें निश्चयकी आशा करनेका हमें क्या अधिकार है?

एक निश्चय कर लेना ही काफी है:

"सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।[2]

फिर क्या चाहिए?

"यत् करोषि . . . तत् कुरुष्व मदर्पणम्।[3]

यह सब साथियो को दिखाकर उनसे जागृत रहनेके लिए कहना। हमारा काम हमारी मृत्युके साथ ही बन्द होगा; या यह भी कहा जा सकता है कि उसके बाद हमारा काम तो रहेगा ही।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

दिल्लीका पता है: डाक्टर अन्सारी, दरियागंज।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो - ७: श्री छगनलाल जोशीने

१. दिल्ली जानेके उल्लेखसे।

२ और ३. गीता, १८। ६६ और ९। २७।

२५८. पत्र : रुक्मिणी बजाजको

[१६ फरवरी, १९३१][1]

चि० रुक्मिणी,

तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया है। आज शामको ही दिल्ली जा रहा हूँ। अब फिर कब इस तरफ आना होगा, यह नहीं कहा जा सकता। दिल्लीमें भी कितने दिन रहना पड़ेगा, यह भी अनिश्चित है। वहाँसे बम्बई जाना पड़े, इसकी सम्भावना है। तुम मुझे नियमपूर्वक पत्र लिखा करो, तो अच्छा रहे। अब तो शरीर और स्वस्थ हो गया होगा। दिल्लीका पता — द्वारा डा० अन्सारी, दरियागंज है। आजकल आश्रममें काफी लोग बीमार हैं, यह तो तुम्हें मालूम होगा ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२९२)से।
सौजन्य : बनारसीलाल बजाज

२५९. पत्र : मणिबहन पटेलको

मौनवार [१६ फरवरी, १९३१][2]

चि० मणि,

तेरे पत्र तो मिल गये। परन्तु मुझे लिखनेका समय कहाँ मिलता है? इसलिए मेरे पत्र आयें या न आयें, तू लिखती ही रहना। आज हम दिल्ली जा रहे हैं। पता है: डा० अन्सारी, दरियागंज। सरदार आज बम्बई जा रहे हैं।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो — ४ : मणिबहेन पटेलने

१. डाककी मुहर तथा "दिल्लीके लिए रवाना" होनेके उल्लेखसे।
२. दिल्ली जानेके उल्लेखसे।

२६०. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको

प्रयाग
१६ फरवरी, १९३१

चि० हेमप्रभा,

आज मैं दिल्ली जा रहा हुँ। वहां ठिकाना दा० अनसारी दरियागंज है। कहां तक रहना होगा पता नहि है। दो तीन दिन तो होगा हि। अरुण कैसे है, तारके हाल कैसे है?

वापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६८५ की फोटो-नकलसे।

२६१. भाषण : दिल्लीमें

१७ फरवरी, १९३१

सुवहके लगभग नौ बजे महात्माजी जैसे ही वाहर पार्कमें आये, जनताने उनका तुमुल हर्षध्वनिसे स्वागत किया।

वहाँ इकट्ठे हुए लोगोंके समक्ष भाषण देते हुए गांधीजीने कहा कि मुझे खेद है कि मैंने दिल्लीमें किसीको तकली चलाते नहीं देखा; वाकी हर जगह मैंने पुरुषों और स्त्रियोंको तकली कातते हुए देखा है।

उन्होंने कहा : मैं आज वाइसरायसे मिलने जा रहा हूँ, इसका यह मतलव नहीं कि आप सब लापरवाह हो जायें। आपको स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए कुछ काम करते रहना चाहिए।

गांधीजीने शुद्ध खादी इस्तेमाल करनेकी जरूरतपर वहुत जोर दिया।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, १९-२-१९३१

२६२. भेंट: वाइसरायसे (वाइसराय द्वारा वृत्तात)

१७ फ़रवरी, १९३१

गांधी और मेरे अलावा वहाँ और कोई व्यक्ति नहीं था। हमने प्रारम्भ सामान्य विषयों परसे किया। बातचीत करते समय मैंने ब्रिटिश मतमें हुए परिवर्तनकी भी चर्चा की, और यह आशा व्यक्त की कि भारत उससे लाभ उठानेसे नहीं चूकेगा।

१. भावी कार्यप्रणाली: इस समय हमारे जो-कुछ विचार हैं, मैंने उन्हें संक्षिप्त रूपमें सामने रख दिया।

२. भावी बातचीतोंकी सम्भावना: मैंने कहा कि परिषदके गठनमें तीन मुख्य सिद्धान्त हैं: संघ, भारतकी जिम्मेदारी, संरक्षण और सावधानीकी दृष्टिसे कुछ बातोंका निर्णय — ये मूलभूत सिद्धान्त हैं, लेकिन इन सिद्धान्तोंके विस्तारपूर्वक अमलके बारेमें अभी और छानबीन और बातचीतकी जा सकती है। आपके मित्रोंके लिए संघकी कानूनी बन्दिशों और रक्षार्थ पूर्वोपायोंके आधार हटा देनेकी कोशिश करना उतना ही हानिकर होगा जितना कि हमारे बीचके अनुदारदलीय मित्रोंका जिम्मेदारीके सिद्धान्तसे इनकार करना।

३. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा वादा नहीं कर सकती कि किसी भी हालतमें वह सविनय अवज्ञा शुरू नहीं करेगी। मैंने कहा कि मैं अपने साथियोंको ऐसे किसी वचनमें नहीं बांध सकता; सवाल तो यह है कि आप और आपके मित्र अस्थायी और अनिच्छासे किये गये किसी समझौतेका विचार कर रहे हैं अथवा स्थायी शान्ति स्थापित करनेका सच्चा प्रयत्न करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निस्सन्देह प्रयत्न तो स्थायी शान्तिका ही है किन्तु फिर भी यदि आप लोगोंको विचार-विमर्शके दौरान आगे चल कर लगे कि आप लोगोंने बिलकुल ही अलग कोई बात सोची थी तो भी हमारे इरादे पर शक न किया जाये। वैसे मुझे विश्वास है कि ऐसा अवसर आयेगा नहीं।

४. उन्होंने साझेदारी भंग करनेका सवाल उठानेके हकके बारेमें पूछा। मैंने कहा कि मैं इसे एक सैद्धान्तिक सवाल मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप चाहें तो इसपर बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने साथमें यह भी कहा कि यदि आप इस तरहका कोई सार्वजनिक वक्तव्य देंगे तो ब्रिटिश मतपर उसका बड़ा नुकसानदेह असर पड़ेगा। वे मान गये और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आवश्यकता जान पड़े तो इतना कह सकूँ कि मुझे यह सवाल उठानेसे रोका नहीं गया है और अगर मैं यह सवाल उठाऊँ ही, तो मुझपर यह आरोप न लगाया जा सके कि मैंने सवाल एकाएक उठा दिया है और सरकारको पहलेसे इस विषयमें कुछ मालूम नहीं था।

५. इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक ऋणके प्रश्नका उल्लेख किया। मैंने कहा कि ऋणोंको अस्वीकार करनेकी कोई बात नहीं है (उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है) लेकिन यदि ग्रेट-ब्रिटेन और भारत या भारत और बर्मा (अलग हो जानेपर) के बीच कर्जकी जिम्मेदारी बाँटी जानेके सवालपर विचार करना हो तो मैं नहीं समझता कि इसपर सिद्धान्ततः कोई आपत्ति उठाई जायेगी, भले ही मुझे ऐसी बातचीत कितनी ही हानि पहुँचानेवाली क्यों न लगे।

६. उन्होंने रियासतोंकी प्रजाका सवाल उठाया। मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि आप बातचीतमें यह सवाल उठा सकते हैं लेकिन आप राजाओंके विरोधमें ही रहेंगे। उन्होंने इसे स्वीकार किया और मुझपर कुछ ऐसा असर छोड़ा कि उनकी समझमें कांग्रेसको यह सवाल उठाना आवश्यक जान पड़ता है लेकिन वह इसे जरूरतसे ज्यादा महत्त्व नहीं देती।

७. परिषदकी बादकी बातचीतोंमें प्रतिनिधित्वका अनुपात : इस विषयमें उन्हें कोई बड़ी कठिनाई नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मैं [प्रतिनिधित्वके] अनुपातको कोई महत्त्व नहीं देता बशर्ते कि विभिन्न तत्वोंको इतना प्रतिनिधित्व मिल जाये कि वे समितियों आदिपर उचित असर डाल सकें। अगर जरूरी हो तो कुछ अन्य मत रखनेवालोंको भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि कार्य-समितिसे कुछ और प्रमुख व्यक्तियोंकी माँग करना शायद जरूरी हो जाये। मैंने उन्हें बताया कि मैंने कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी संख्या लगभग १२ सोची है। १५ या २० की संख्या रखना मेरी समझमें जरूरतसे ज्यादा है। वे संख्या यथासम्भव कम रखनेपर सहमत हो गये और उस 'स्थानापन्न' प्रतिनिधित्वकी योजनाके सुझावपर विचार करनेका वादा किया जिसपर मैंने अमल करनेकी बात कही थी। सुझावका उद्देश्य यह था कि अधिकृत संख्या बढ़ाये बगैर अन्य लोगोंको लिया जा सके।

८. जैसे ही उन्होंने सविनय अवज्ञा मुल्तवी करनेकी बात उठायी, हम लोग व्यावहारिक मुद्दों पर आ गये। मैंने तत्काल उन्हें 'मुल्तवी' शब्दके प्रयोगपर टोका और कहा कि मेरे दिमागमें तो उसके पूरी तरह समाप्त कर दिये जानेकी बात है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए महत्त्व शब्दका नहीं है लेकिन मैं ऊपर अनुच्छेद ३ में बताई गई स्थितिको सुरक्षित रखना चाहता हूँ।

व्यावहारिक मुद्दे ये थे :

(१) सत्याग्रहियोंकी रिहाई, जिनमें शोलापुरमें फौजी कानूनके अधीन सजा पाये हुए कुछ सत्याग्रही भी हैं। मैंने कहा कि मेरे सामने सिद्धान्तकी दृष्टिसे एक तरफ हिंसात्मक कार्रवाई करनेवाले और हिंसात्मक कार्यवाहीको भड़कानेवाले कैदी हैं; उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। और दूसरी तरफ अहिंसात्मक सत्याग्रही हैं।

(२) मेरठके कैदी: उन्होंने उनकी रिहाईके पक्षमें तर्क तो सामने रखे, लेकिन मेरी समझमें वे उसे किसी शर्तके रूपमें नहीं रखना चाहते थे। मैंने कहा कि उन लोगोंका सविनय अवज्ञासे कुछ सम्बन्ध नहीं है। लेकिन पैरवी बहुत लम्बी खिंचती जा रही है और उसके कारण मैं भी वैसा ही परेशान हूँ, जैसे आप। मैं कार्यवाहीको जल्दी समाप्त करनेकी दृष्टिसे इस मामलेपर विचार करूँगा और देखूँगा कि मुकदमोंके फैसले जल्दी करा सकनेके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे कम्युनिस्टों और अहिंसक सत्याग्रहियोंके बीच कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता।

(३) उन्होंने बंगालके कैदियोंका सवाल उठाया। मैं समझता हूँ कि [वह भी] शर्तके रूपमें नहीं, बल्कि मुझे यह सूचित करनेके लिए कि बहुत संख्यामें ऐसे लोग कैद कर रखे गये हैं जिन्हें सजा देनेका कोई कारण नहीं है। हरएक मामला दो न्यायाधीशोंके सामने रखा गया था, इस सुविदित बातका उल्लेख करना मैं भूल गया। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि यदि आप किसी ऐसे मामलेमें, जिसमें पुलिसने गलत आदमीको पकड़ा हो, कोई प्रमाण पेश करना चाहते हैं तो मैं उसे बंगालके गवर्नरके पास भेज दूँगा जो खुद मामलेकी जाँच करेंगे। लगता है कि वे इस सवालको बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं मानते।

(४) जमीन और सम्पत्ति: मैंने कहा कि तीसरे पक्षको जो-कुछ उसने खरीद लिया है, उसके लिए तंग नहीं किया जा सकता। समझौतेके लिए जो भी व्यवस्था करना जरूरी हो वह गैर-सरकारी संस्थाके जरिये ही हो सकती है। उन्होंने कई एक तकनीकी मुद्दे सामने रखे जिन पर मैंने खास कुछ नहीं कहा और मुख्य सिद्धान्तकी ही बात की कि सरकार उस [जमीन और सम्पत्ति] के मामलेमें उदारता दिखा सकती है, जो अब भी उसके कब्जेमें है, लेकिन उस सम्पत्तिके मामलेमें नहीं जो तीसरे पक्षके हाथमें चली गई है। उन्होंने इस सम्बन्धमें उच्च अधिकारियोंको कार्रवाहीके लिए लिखनेका वादा किया।

(५) जुर्मानोंको क्षमा कर देना: मैंने कहा कि जो जुर्माना अभी वसूल नहीं किया गया, उसे शायद माफ किया जा सके। लेकिन जो जुर्माने पहले ही वसूल किये जा चुके हैं उन्हें वापस दे दिया जाये, यह सुझाव माननेके लिए मैं स्थानीय सरकारपर जोर नहीं डाल सकता। ऐसे मामलोंमें स्थानीय सरकारें अपने विवेकसे निर्णय करेंगी। उन्होंने इसपर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया।

(६) प्रेसों और जमानतोंको वापस देना: मैंने कहा कि यहाँ भी वही सिद्धान्त लागू होगा अर्थात् जो-कुछ सरकारके कब्जेमें है, वह वापस किया जा

सकता हूँ; लेकिन जो जमानतें जब्त की जा चुकी हैं वे उसी श्रेणीमें आती हैं जिसमें कि अदा किये जा चुके जुर्माने।

(७) इस्तीफा देनेवाले या बर्खास्त किये गये अधिकारियोंको पुनः पदस्थ करना: मैंने कहा कि मैं किसी स्थानीय सरकारपर इस बातके लिए जोर नहीं डाल सकता कि जिस अधिकारीका स्थान भरा जा चुका हो उसे फिर से बहाल करे और मैं ज्यादासे ज्यादा इतना ही कर सकता हूँ कि स्थानीय सरकारोंसे सभी मामलोंकी उनके गुण-दोषानुसार जाँच करनेको कहूँ और ऐसा करते समय उनका उद्देश्य यह रहे कि इन परिस्थितियोंमें इस्तीफा देनेवाले लोगोंके साथ यथासम्भव उदारतापूर्ण व्यवहार किया जा सके, फिर चाहे उन्होंने इस्तीफा दबावमें आकर दिया हो या वे सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी लहरमें बह गये हों। बर्खास्तगीके मामले भिन्न श्रेणीमें आते हैं और मेरा ख्याल है कि सरकारें इस तरहके मामलोंमें ज्यादा कठिनाई महसूस करेंगी क्योंकि अधिकारियोंको शायद अकारण ही बर्खास्त नहीं किया गया होगा; लेकिन मैं इस बातके लिए तैयार हूँ कि स्थानीय सरकारोंसे इन मामलोंपर भी उनके गुण-दोषानुसार विचार करनेको कहूँ।

(८) दमनकारी अध्यादेश: मैंने कहा कि बर्मा आतंकवादी अध्यादेशके सिवा दूसरे अध्यादेश रद्द किये जा सकते हैं और मैंने यह भी कह दिया कि यदि समाचारपत्र हिंसाको फिरसे प्रोत्साहन देने लगें, तो सरकारके लिए उनके विरुद्ध कदम उठाना जरूरी होगा।

(९) दण्डारक्षि पुलिस: उन्होंने कहा कि इसे हटा लिया जाना चाहिए। मैंने कहा कि मेरे लिए यह एक नया मुद्दा है, लेकिन अगर जरूरी हो तो मैं स्थानीय सरकारोंसे इसपर विचार करनेको कहूँगा।

९. पुलिसकी ज्यादतियोंकी जाँच: उन्होंने सामान्य जाँचका विचार छोड़ दिया लेकिन विशेष जाँचपर बहुत ज्यादा जोर दिया जो जरूरी होनेपर चाहे बन्द अदालतमें ही की जाये। मैंने जवाबमें दलीलें पेश कीं और कहा कि मैं सिर्फ इतना ही वादा कर सकता हूँ कि स्थानीय सरकारें कुछ खास शिकायतोंकी जाँच करेंगी और अनुरोध करनेपर मैं खुद भी जाँच करूँगा। उन्होंने कहा कि यह तो काफी नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षोंके गवाहोंसे जिरह किये बिना सचाईका पता नहीं लगाया जा सकता। मैंने उन्हें बताया कि दूसरे पक्षके पास भी इतना कुछ है कि मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी जाँचोंके लिए जोर देनेका हक है क्योंकि इन जाँचोंका उद्देश्य पुलिसको प्रतिवादीकी स्थितिमें रखनेके सिवा और कुछ नहीं हो सकता है और मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। आप जो भी मामला पेश करना चाहेंगे, मैं उसपर गौर करूँगा और आपको मेरे इस आश्वासनपर विश्वास करना चाहिए कि स्थानीय सरकारें सच्चाईसे उनकी जाँच करेंगी। मुझे इस बातपर भी कोई

आपत्ति नहीं है कि जिन लोगोंने [सरकार पर] आरोप लगाए हैं उन्हें सार्वजनिक रूपसे इस आरोपसे मुक्त कर दिया जाए कि उन्होंने ये आरोप बदनीयतसे लगाये थे। वे इससे सन्तुष्ट नहीं हुए।

१०. उन्होंने मुझे कुछ अन्य मुद्दे पढ़कर सुनाये, जिनपर उनका कल बातचीत करनेका विचार है। नमक, शान्तिपूर्ण धरना और शायद उनमें कुछ और भी मुद्दे रहे हों।

११. मैंने उन्हें बताया कि यदि हमें अपने शान्ति स्थापित करनेके प्रयत्नोंमें सफल होना है तो मेरी समझमें यह बहुत जरूरी है कि उत्तेजना कम की जाये और कहा कि बम्बईमें धरना देने आदिके कामोंमें इतनी जल्दी न की जाये। उन्होंने ऐसा करनेका वचन दिया।

१२. हम दोनोंने कल फिर अकेले मिलनेका फैसला किया और शायद दूसरी भेंटके बाद और भी बड़ी बैठक हो और उसमें दूसरे लोग भी शामिल हों।

१३. यद्यपि अनुच्छेद ३ और ८ में मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि मैं फिर आन्दोलन शुरू करनेके इरादेसे की गई एक अस्थायी शान्तिके आधारपर कांग्रेसकी कार्यवाही और रचनात्मक कार्यमें सहयोग देनेकी सच्ची इच्छामें स्पष्ट अन्तर मानता हूँ, फिर भी जब हम फिर मिलेंगे तब उनके मनमें किसी ऐसे सन्देहका न रहने देना जरूरी है (यद्यपि मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई सन्देह है) कि सरकारकी विभिन्न कार्यवाहियाँ आन्दोलनके प्रभावकारी ढंगसे समाप्त किये जाने पर निर्भर हैं।[1]

(ह०) इर्विन,

अंग्रेजी (जी० एन० ८९४६)की फोटो-नकलसे।

२६३. भेंट : वाइसरायसे (गांधीजी द्वारा वृत्तान्त)

[१७ फरवरी, १९३१][2]

वाइसरायकी मिलनसारीकी छाप मेरे दिलपर बहुत ही अच्छी पड़ी है। जैसी लार्ड रीडिंगकी पड़ी थी, वैसी ही पड़ी है। अन्तर इतना ही कि रीडिंग चतुर थे, इसलिए उन्होंने, उनके साथ मेरी जो बात हुई थी, उसका दुरुपयोग किया था। उन्होंने बहुत मिठाससे बात की और सरलतासे कबूल कर लिया कि आजतक हम नहीं मिल सके, इसमें उन्हींकी भूल थी। दूसरी यह बात भी कबूल की कि ब्रिटिश प्रजामें मेरे आन्दोलनसे बहुत अधिक जागृति फैली है। उनके रुखसे ऐसा लगता है कि वे सुलह करना चाहते हैं। वे स्वयं यह चाहते हैं, इसका कारण तो यह है

१. इस मुलाकातके गांधीजी द्वारा दिये अहवालके लिए देखिए अगला शीर्षक।

२. साधन-सूत्रमें इस मुलाकातका गांधीजी द्वारा वृत्तान्त १८ फरवरी, १९३१ के अंतर्गत दिया है।

कि इस आन्दोलनका असर उनपर भी हुआ है। अब आन्दोलनको कहाँतक चलने दे? उन्हें यह भी लगने लगा है कि [यदि कोई हल नही निकाला जाता तो] अब सरकारको बन्दूकपर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

मैंने प्रस्ताव तो शुरूमें ही निकाल लिया था।

महादेव देसाई: आपके पत्रकी बात नहीं हुई?

गाधीजी: नही, खास बात नही हुई; किन्तु यह पत्र उन्हे अच्छा लगा, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। इतना मैंने उन्हें जरूर बता दिया कि मै तो सुलहके लिए आतुर था ही और शुएबने भी आकर कहा कि मै ऐसा पत्र क्यो नही लिख दूँ? मैंने यह बात कार्य-समितिके सामने रखी और उसने यह कबूल कर लिया था; इसीलिए मैंने यह पत्र लिखा था। प्रस्ताव मैं पढ़ता गया। आरम्भके सविधान सम्बन्धी भागके बारेमें उन्होने कहा, "आप जो चाहें, उसकी चर्चा करनेमें कोई अड़चन नही है; पर इस चर्चामें से कितना निकल सकेगा, यह नही कहा जा सकता। पर सभी चीजो पर बात जरूर शुरू कर सकते है।" उनके क्या विचार हैं, यह जाननेका मैंने प्रयत्न नही किया। किन्तु उन्होंने इतना कहा कि पूर्ण स्वतन्त्रतावाली धाराको छेड़ना हो तो परिषदमें ही जाकर छेड़ें। पर उसे कोई सुनेगा नही और यदि आप जोर देंगे तो आपकी सहायताके इच्छुक मेरे जैसे लोगोकी स्थिति कठिन हो जायेगी।

सन्धिकी शर्तोकी बात तत्काल छिड़ गई। उसमें से कौन-कौन सी शर्तें मानी जा सकती हैं, इसपर बात हुई और जाँचकी बातने ही आधा समय ले लिया। सबसे कठिन बात जाँचकी है। वे उसके विरुद्ध नही है। पर उनकी स्थिति विषम हो जाती है ऐसा उन्होने कहा। "मै स्वयं व्यक्तिगत रूपसे जाँच करूँ तो सन्तोष होगा कि नही?" — ऐसा कहकर उन्होने अपने-आप अपनी बात छेड दी। मैंने कहा, "आप जाँच किस तरह करेंगे? कोई मनुष्य दोनो पक्षोकी बात सुने बिना न्याय कर सकता है, ऐसा कभी सुना है? आपके पास हमारी ओरसे और पुलिसकी ओरसे ऐसे वक्तव्य आदि हैं जिनकी जाँच नही हुई। इनमें से आपको क्या मिलेगा?" उन्होने यह बात मान ली। मैंने कहा, "आज तो परिस्थिति यह है कि आप जगतके आगे हमें झूठा ठहरा कर बैठ गये हैं और हमारे जैसे झूठे मनुष्योंके साथ बातचीत करना आपको कैसे शोभा देगा? पूरी विज्ञप्ति देख लीजिए। हमारी सब बात बनावटी है, ऐसा ही कहा गया है। क्या हम आरोपोंको मान जायें?" इस सबका उनके पास जवाब नही था। (इस मौकेपर अन्सारी आ गये इसलिए कुछ बातें फिर करनी पड़ी) जिस तरह हममें से कई लोग थक गये हैं, उसी तरह वे लोग भी थक गये हैं। इतना उनकी बातसे मुझे स्पष्ट आभास हुआ। "स्वतन्त्रतावाली धारा आप रखना चाहते है, ऐसा तार मैं जरूर भेज दूंगा किन्तु आपके मुझ-जैसे सहायकोंकी स्थिति विषम जरूर हो जायेगी।" मैं यह समझ सकता हूँ। सार्वजनिक ऋणके बारेमें तो उन्होने माफी ही माँगी और कहा कि अबतक वे ऐसा समझ रहे थे कि आप स्वीकार ही नही करना चाहते। पूरे संघर्षके खर्चके बँटवारेके बारेमें कहनेका अधिकार तो आपको है ही। उस बँटवारेकी जाँच कैसे की जाये, यह हम देखेंगे। रियासतोंके बारेमें मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहते हैं; किन्तु इन रियासतोंको

आपको मनाना चाहिए। मैं आपकी राहमें बाधा नहीं डालता। मैं तो जितनी हो सके उतनी मदद करना चाहता हूँ।

हमारी सभी शर्तें उचित हैं, यह वे कबूल करते हैं। एक बात भी अनुचित है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा किन्तु अपनी कठिनाइयोंको ही पेश किया। मैंने सभी शर्तोंके बारेमें जो कहना था, सो पहले ही समझा दिया। उन्होंने कहा, "मेरठके कैदियोंको छोड़नेमें कठिनाई होगी और बंगालके कैदियोंको छोड़नेके बारेमें गवर्नरके ऊपर कितना दबाव डालूँ यह मैं नहीं जानता। यह सब चीजें हो तो सकती हैं; किन्तु आप उन्हें शर्तोंके रूपमें रखना चाहें तो वह किस प्रकार हो सकता है? जुर्माने तो बहुत-से लोगोंसे लिए हैं; उन सबको वे किस प्रकार वापस किये जा सकते हैं? जल गई या नष्ट हुई सम्पत्तिकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जा सकती है? बहरहाल बेची गई सम्पत्तिकी कीमत लौटाई जा सकती है।" मैंने कहा: "जहाँ हजार रुपयेकी सम्पत्ति १० रुपयेमें बिकी हो, बाजार-भावका विचार भी न किया हो, वहाँ भी आप यह कह सकते हैं? क्या यह सचमुच न्यायसंगत है?" इसपर वे बात समझ गये और जो नुकसान हुआ है उसकी सूची देनेके लिए उन्होंने कहा। कर के बारेमें भी वे समझ गये कि जो लोग बरबाद ही हो गये हैं उनसे कर नहीं माँगा जा सकता।

माँगके न्यायके सम्बन्धमें मैंने महमूदका दृष्टान्त दिया कि एक स्त्री उसके पास न्यायके लिए गई थी। महमूदने कहा: "तुम्हारी जगह इतनी दूर है कि मैं वहाँ तक इन्साफ नहीं पहुँचा सकता।" उस स्त्रीने कहा: "तो, हकूमत चलाना बन्द करो।" महमूदने कहा "हाँ, बादशाहतमें से इस मुल्कको निकाल देना चाहिए।" इर्विन इस पर हँसे और उन्होंने कहा: "न्याय तो होना ही चाहिए।"

(बात ही बातमें मैं शान्तिके लिए कितना बेकरार हूँ, यह बताते हुए मैंने कहा कि यरवदा जाकर भी मैंने पत्र लिखा था उसका आपने जवाब नहीं दिया। इसकी मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कितना अधीर हूँ यह बात बताना चाहता हूँ।)

उन्होंने पूछा, "हम पुलिसको शेरोंके पंजेमें कैसे छोड़ दें?" मैंने कहा, "हम यह नहीं चाहते। हम तो सिर्फ यही जाँच कराना चाहते हैं कि लोगोंने ज्यादती की या नहीं।"

जाँचकी बातने ही भेंटका ठीक आधा समय ले लिया। उसका यही अर्थ है कि वे इस बातको इतना कठिन मानते हैं। इसी कारण वह हमारे लिए कसौटीके समान है।

बम्बईका गवर्नर बाहर बैठा था। उससे मिलाया गया। उसके साथ बात नहीं हुई क्योंकि मैं भोजनकी जल्दीमें था और ए० डी० सी०ने कहा — आपकी कार आ गई है। गवर्नर स्वतन्त्र रूपसे जाँच करना चाहे तो काम चलेगा या नहीं, यह भी मुझसे पूछा था। मैंने कहा: "आपके मुकाबलेमें गवर्नर किस प्रकार अच्छी स्थितिमें माना जा सकता है? पुलिस हमारे साथ हैवानियतका व्यवहार करती है। यह व्यवहार हम क्यों स्वीकार करें? जिनके ऊपर एक-न-एक दिन हकूमत चलानी ही है, उनके बारेमें आजसे ही यह क्यों न मानें कि वे हमारे नौकर हैं?"

पूरी बातचीतका परिणाम यही माना जा सकता है कि वे सुलहके बहुत इच्छुक हैं और दूसरी बात यह है कि हम अपनी एक भी बात छोड़ेंगे तो हमारा पूरा मामला ही निरर्थक हो जायेगा। मैंने तो वाइसरायसे यही कहा कि यदि आप मानते हैं कि कांग्रेस भी कोई चीज है तो आपको कांग्रेसकी उचित माँग मान लेनी चाहिए।

मीराबहनकी बात तो शुरूमें और अन्तमें हुई। अन्तमें तो मैंने यह कहा कि वह मेरा खाना बनाकर राह देख रही होगी। पहले तो मैंने यह कहा कि आपके साथ अपने सम्बन्धको किस प्रकार तोड़ सकता हूँ? मेरे कितने ही अंग्रेज मित्र हैं। कु० स्लेड जाने किस कुटुम्बकी, कहाँकी लड़की है और वह मेरे परिवारकी बन गई है। एन्ड्रयूज केपटाउनमें बैठा तार कर रहा है कि सुलह करो। मैं एन्ड्रयूजको किस तरह छोड़ सकता हूँ? होरेस एलेक्जेंडर भी पत्र लिखकर सुलह न करनेको कहता है और यों लिखकर बादमें माफी माँगता है। क्या ये सब ऐसे सम्बन्ध हैं जिन्हें मैं तोड़ सकूं? अन्तमें यदि हम सहयोग न कर सके तो इन्हें समाप्त करना ही होगा।

यदि हम दोनों न लड़ना चाहें तो लड़ाई नहीं होगी। मैं तो यह निश्चय करके आया हूँ कि जहाँतक हो सके, नही लड़ना है। मैंने उन्हें आरम्भमें ही यों कह कर निर्भय कर दिया था कि मैं आपके सामने सचके सिवा कुछ नही कहना चाहता, कुछ छुपाना नहीं चाहता, मनमें कोई दुराव नही रखना चाहता, इसलिए आपको मुझसे जो भी कहना हो आप कह सकते हैं और मेरे साथियोंके बारेमें जो-कुछ सुना हो, जो-कुछ कहना हो, वह कह सकते हैं, पूछ सकते हैं।

कैदियोंकी रिहाईके बारेमें बातें करते हुए उन्होने मेरठके कैदियोंके बारेमें कठिनाइयाँ बताई किन्तु शोलापुरके मार्शल लॉके कैदियोंकी सभाको तो अत्यन्त मूर्खतापूर्ण माना।[1]

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी।
सौजन्य: नारायण देसाई

२६४. तार: पेरीन कैप्टनको

[१७ फरवरी, १९३१][2]

पेरीनबहन कैप्टन
इस्लाम क्लबके पास
चौपाटी, बम्बई

सुना है विदेशी वस्त्रोंके विरोधमें धरना देते हुए हिंसाका प्रयोग हो रहा है। कृपया मामला कांग्रेस-अधिकारियोंके सामने रखें। उनसे कह

१. इस मुलाकातके वाइसराय द्वारा दिये अहवालके लिए देखिए पिछला शीर्षक।
२. देखिए "भेंट: वाइसरायसे (वाइसराय द्वारा वृत्तान्त)", १८-२-१९३१।

दें कि खुली या छिपी, निष्क्रिय या सक्रिय किसी भी प्रकारकी हिंसाका प्रयोग कतई न होने दें।[1]

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

२६५. सन्देश : दर्शनार्थियोंको

दिल्ली
१८ फरवरी, १९३१

महात्माजी दोपहरको १.४० पर बाहर आये।[2] उनके दर्शन पानेको उतावले सैकड़ों दर्शनार्थियोंने, जिनमें बहुत-सी महिलाएँ भी थीं, हर्षध्वनिसे उनका स्वागत किया।

महात्माजीने एकत्रित जनसमुदायसे दो प्रश्न किये। पहले उन्होंने पूछा :

आपमें से कितने लोग खादी पहने हुए हैं?

सभी व्यक्तियोंने अपना हाथ उठा दिया। तब महात्माजीने कहा :

मैं चाहता हूँ कि केवल वही लोग हाथ उठायें जो हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी पहने हैं।

एकत्रित भीड़के लगभग तीस प्रतिशत लोगोंने अपने हाथ उठाये। इसके बाद उन्होंने पूछा कि कितने लोग विदेशी वस्त्र पहने हैं। केवल तीन हाथ उठे। महात्माजी ने उनसे कहा :

आप खादी पहनें। यही मेरा सन्देश है। अब आप सब लोग घर जाइये।

इसके बाद मुस्कराते हुए वे जल्दीसे मोटरमें बैठ गये। मोटर वाइसरायके निवास स्थानकी तरफ रवाना हो गई। भीड़ ऊँचे स्वरमें 'महात्मा गांधीकी जय' के नारे लगाते हुए छँट गई।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २०-२-१९३१

१. पेरीनबहनका २० फरवरी, १९३१ का तार (एस० एन० १६९३६) इस प्रकार था : "तार मिला। निर्देशोंका पालन किया जायेगा।"

२. डा० अन्सारीके घरसे।

२६६. भेंट: वाइसरायसे (वाइसराय द्वारा वृत्तान्त)

१८ फरवरी, १९३१

आज दोपहरको मेरी श्री गांधीसे फिर बातचीत हुई। उन्होंने बातचीतके शुरूमें ही बताया कि आपने कल जो अनुरोध किया था, तदनुसार मैंने इस आशयका एक तार[1] बम्बई भेज दिया है कि सुना है, धरना खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है और अन्देशा यह है कि उससे हिंसा भड़क उठेगी; और इसलिए उस तरहका धरना बन्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने वादा किया कि मैं इसका क्या परिणाम होता है, सो आपको बताऊँगा।

इसके बाद उन्होंने उन मुद्दोंपर बात की, जिनपर कल बात पूरी नहीं हो पाई थी:

(१) दण्डारक्षि पुलिस: मैंने उन्हें बताया कि मैंने कल भी कहा था कि यह मेरे लिए एक नया मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि स्थानीय सरकारें हर मामलेमें परिस्थितियोंके अनुसार कार्यवाही करेंगी। हो सकता है कि कुछ मामलोंमें स्थानीय सरकारें शायद दण्डारक्षि पुलिसको हटा लेनेपर राजी हो जायें और यह भी हो सकता है कि दण्डारक्षि पुलिसको हटानेकी कार्यवाही अभी न हो सके। जब मैंने कहा कि किसी समझौतेपर पहुँच जानेपर मैं स्थानीय सरकारोंको इस मामलेकी ओर ध्यान देनेके लिए कहूँगा, तब यह बात यहाँ छोड़ दी गई।

(२) उन्होंने यह कहा कि जिन जिलोंमें बकाया कर वसूल करनेके लिए दमनकारी तरीके अपनाये गये हैं, वहाँ इस तरहकी वसूली तबतक मुल्तवी रखी जाये जबतक कि कोई अधिकारी इन मामलोंकी जाँच-पड़ताल नहीं कर लेता; और इस जाँचमें लोगोंको अपना पक्ष सामने रखनेका मौका दिया जायेगा। उनका कहना यह था कि अनेक दमनकारी तरीके गैर कानूनी थे और जो बकाया कर लोगोंपर निकलता था उन्हें उससे भी ज्यादा आर्थिक हानि पहुँची है। वे केवल ऐसे मामले सिद्ध करनेका हक माँग रहे थे, जिससे अन्याय सिद्ध होनेपर सरकार उसका परिमार्जन करनेको राजी हो जाये।

मैंने कहा कि तथ्यों तथा सम्बद्ध मामलोंकी और अधिक जानकारी प्राप्त किये बिना मैं कोई राय नहीं दे सकता; मैं केवल उन्हें इतना ही कह सकता हूँ कि इस बातसे गम्भीर कठिनाई हो सकती है। मैंने उन्हें बताया कि उदाहरणके लिए पुलिसकी ज्यादतियोंकी जाँच करनेके बारेमें हमारी कलकी बात ले लीजिए; मैं समझता हूँ कि हम जिस स्थितिमें इस समय हैं, वह बहुत-कुछ युद्धकी स्थितिसे

१. देखिए "तार: पेरीन कैप्टनको", १७-२-१९३१।

मिलती-जुलती है। निःसन्देह ऐसे हालातोंमें बहुत कठिनाई पैदा होना लाजिमी है; लेकिन यह कठिनाई दोनों ही पक्षोंको होती है। मामलेको उन्होंने जिस ढंगसे प्रस्तुत किया उससे मुझे कुछ ऐसा लगा मानो हम सामान्य स्थितिमें सरकारकी ज्यादतीपर विचार कर रहे हों और वे इसे कुछ इस तरह सामने रख रहे थे मानो सरकार दोषी है और उसे अपने कामकी सफाई लोगोंके आगे देनेकी जरूरत है; लोग खुद तो पूर्णतया निर्दोष हैं। वे मुझसे वर्तमान स्थितिकी ऐसी व्याख्या स्वीकार करनेकी आशा नहीं कर सकते।

उन्होंने अपना पहलेवाला तर्क दोहराया कि जिसे मैं प्रशासनिक कार्यवाहीकी जाहिरा ज्यादतीके फलस्वरूप हुआ स्पष्ट अन्याय सिद्ध कर सकता हूँ, उसके निराकरणके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं माँग रहा हूँ।

(३) नमक: यहाँपर उन्होंने नमक-आन्दोलनके भावनात्मक पहलूका सहारा लिया और जोर देकर कहा कि जिन परिवारोंको नमक तैयार करनेकी सहज सुविधाएँ हैं, उन्हें नमक न बनाने देना अमानुषिक है। (मुझे निश्चय नहीं कि वे केवल अपने ही उपयोगके लिए नमक बनाएँगे।) वे चाहते थे कि सरकार या तो कानून बदले या उसके भंग किये जानेपर चुप रहे; यानी किसी व्यक्तिको ऐसा करनेसे न रोके। उन्होंने शारदा-कानून और सहवासवयका दृष्टान्त देकर कहा कि सरकार इनके उल्लंघनके मामलोंपर ध्यान नहीं देती।

मैंने उन्हें बताया कि मेरी रायमें अपने विवेकके आधारपर सरकारका किसी विशेष कानूनको अपने अधिकारियोंको दिये गये निर्देशोंके जरिये लागू करने, न करने और संसारमें यह ढिंढोरा पीटनेमें बहुत बड़ा अन्तर है कि वह ऐसे कानूनकी अवहेलनाको क्षमा करनेके लिए तैयार है। इसका अर्थ तो हर व्यक्तिको कानून तोड़नेके लिए आमन्त्रित करना है। कहा गया है, पहले भी नमक कानूनकी इस तरह अवहेलना की जाती रही है, यदि यह ठीक हो तो मुझे ऐसा माननेका कारण नहीं दिखाई देता कि सरकार नमक-कानूनको — वह अबतक जिस प्रकार लागू होता रहा है — उससे कम या ज्यादा सख्तीसे लागू करना ठीक समझेगी।

उन्होंने कहा कि मैं किसी सार्वजनिक घोषणाकी माँग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि निजी ढंगका एक आश्वासन चाहता हूँ कि सरकार इस कानूनके व्यक्तिगत उल्लंघनोंमें दखल नहीं देगी; मेरे मनमें नमकके भण्डारोंपर छापा मारनेकी या इसी पैमानेपर कुछ करनेकी बात नहीं है।

मैंने उन्हें बताया कि इस तथ्यको ध्यानमें रखते हुए कि आपके नमक आन्दोलनके बादसे इस कानूनके व्यक्तिगत उल्लंघनोंकी स्थिति काफी बदल गई है, मुझे आपके सुझावके सम्बन्धमें काफी कठिनाई दिखाई देती है।

(४) शान्तिपूर्ण धरना देना: उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या शान्तिपूर्ण धरना जारी रखनेमें मुझे कोई आपत्ति है। मैंने उन्हें बताया कि शान्तिपूर्ण धरना नाम ही

मुझे गलत लगता है। मेरे सामने ऐसे मामलोंकी लम्बी सूची है, जिनमें तथाकथित शान्तिपूर्ण घरनोंसे हिंसात्मक परिणाम हुए हैं और मुझे विश्वास नहीं होता कि शान्तिपूर्ण घरनेसे भविष्यमें भी वैसे परिणाम नहीं होंगे। मैंने बनारस, अमृतसर आदिका दृष्टान्त दिया और यह भी कहा कि मैं वैध व्यापारमें दखल नहीं बर्दाश्त कर सकता। कांग्रेस द्वारा विदेशी वस्त्रपर मुहर लगाना, पुतले जलाना आदि भय फैलानेवाले कार्य करना अनुचित है। अन्तमें मैंने कहा कि राजनैतिक हथियारके रूपमें घरना आपत्तिजनक है; और कांग्रेसके गोलमेज परिषदमें शरीक होनेके साथ इसका कोई मेल नहीं है। मैंने कहा कि वास्तवमें आप अपने मुख्य उद्देश्य, स्वदेशी और मद्यनिषेधको गलत ढंगसे सिद्ध करनेकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नीति सर्वथा निषेधात्मक और आक्रामक है; आप स्वदेशी व मद्यनिषेधका प्रचार और अन्य शान्तिपूर्ण कार्य व्यक्तिगत स्वातन्त्र्यमें दखल दिये बिना क्यों नहीं कर सकते?

इसपर उन्होंने कहा कि शान्तिपूर्वक लोगोंसे आग्रह करनेके सिवा उनकी और कुछ चाहना नहीं है; मैं इसे एक सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम मानता हूँ, राजनैतिक नहीं। मैं और कांग्रेस हिंसा, पुतले जलाना और जोर दबाव डालनेके ऐसे सभी कार्योंका निषेध करेंगे; लेकिन मुझे यह बात समझमें नहीं आती कि शराबीको सुधारनेके प्रयत्नमें लोग शराबकी दूकानके पास क्यों न खड़े हों; यदि हिंसा या मारपीट हो तो सामान्य कानूनके अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

मैंने कहा कि इस मामलेमें अनुभव आपके पक्षमें नहीं जाता और आपके दिमागमें हिंसा अहिंसाका जो सूक्ष्म अन्तर है, उसे देशके विभिन्न हिस्सोंमें कार्य करनेवाले भिन्न-भिन्न प्रकारके लोग नहीं समझ सकते और उसपर अमल नहीं कर सकते।

२. इसके बाद मैंने कुछ सामान्य मामले उठाये। सबसे पहले मैंने स्पष्ट किया कि मैंने जो-कुछ भी कहा है, यह सब मेरी निजी राय है और कई मामलों पर स्थानीय (प्रान्तीय) सरकारोंसे या भारत मन्त्रीसे परामर्श करना जरूरी होगा। इसके अलावा सभी मामलोंपर अपनी परिषदसे मेरा सलाह करना जरूरी होगा। उन्होंने इसे मान लिया। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपके और वल्लभभाई पटेलके गुजरात जानेकी सम्भावनाके बारेमें सुना है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि आप वहाँ गये तो सविनय अवज्ञा आन्दोलनको बढ़ावा मिलेगा। स्पष्टतया बम्बईकी सरकार इसे पसन्द नहीं करेगी। इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया कि फिलहाल आप और वल्लभभाई किसी भी सूरतमें वहाँ न जायें। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वल्लभभाईको यहाँ बुलाया है और यह भी कहा कि यदि हमारी बातचीत सफल हुई तो कोई कठिनाई नहीं पैदा होगी, और यदि बातचीत असफल हुई — मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा — तो वे और उनके मित्रोंने फैसला कर लिया है, अथवा करेंगे, कि फिर वे गिरफ्तारीके लिए प्रस्तुत हों। तब यह सरकारके हाथमें

होगा कि वह जो चाहे, सो करे। लेकिन वे तो निश्चय यहाँका काम खत्म हो जाने पर गुजरात लौट जाना चाहेंगे; इसके अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते।

३. अन्तमें मैंने उन्हें बताया कि मैंने सरकारकी ओरसे संभावित (समझौते) की कार्यवाहीके बारेमें जो-कुछ कहा है, वह सविनय अवज्ञा आन्दोलनके वास्तवमें बन्द किये जानेपर निर्भर है। उन्होंने मुझसे पूछा कि इस बातका क्या अभिप्राय है। आन्दोलन रोकनेके बाद सरकार द्वारा अपने कहे अनुसार कदम उठानेके लिए दस या पन्द्रह दिन इन्तजार मेरे लिए सम्भव नहीं है। मैंने कहा कि मेरे दिमागमें यह बात नहीं है; बल्कि मेरा यह प्रयोजन है कि समझौतेका कदम उठानेके पहले सरकारको सन्तोष हो जाना चाहिए कि कार्य-समितिके निर्देश, वास्तवमें स्थानीय संगठनोंतक पहुँच गये हैं और उनका ईमानदारीसे पालन किया जा रहा है। जो कार्य-समिति यहाँ सरकारके साथ कोई समझौता करनेमें समर्थ है, उसे विश्वसनीय न माननेकी कोई बात नहीं है; किन्तु इसमें भी कुछ अनुचित नहीं है कि सरकारको इस बातका इत्मीनान हो जाना चाहिए कि कार्य-समितिके साथ जो सम्माननीय समझौता हुआ है, उसपर स्थानीय संगठन वास्तवमें अमल कर रहे हैं।

ऐसा लगा कि वे इससे सहमत हैं।

४. इसके बाद मैंने फिर उस प्रश्नका उल्लेख किया, जिसपर हमने कल बातचीत की थी अर्थात् कांग्रेस द्वारा सविनय-अवज्ञा फिरसे शुरू करनेकी बात। मैंने कहा कि यदि बादकी बातचीतके दौरान किसी वक्त कांग्रेस यह कहने जा रही हो कि अभी जो अस्थायी निर्णय किये गये हैं, वे अग्राह्य हैं और इसलिए वह बातचीत समाप्त करके पुनः आन्दोलन करेगी तो मेरे लिए सम्राट्की सरकारसे वे सब कदम उठानेको कहना, जिनपर हमने बातचीत की है, बहुत कठिन होगा। मैंने पूछा कि क्या आप इस बातपर मुझे कोई आश्वासन दे सकते हैं?

उन्होंने कहा कि जैसा मैंने कल बताया था और जिसे आपने भी स्वीकार किया था, कांग्रेस अपने आपको हमेशाके लिए या इस समय वचनबद्ध नहीं कर सकती कि वह आगे फिर सविनय अवज्ञा शुरू नहीं करेगी; लेकिन यदि हम परिषदमें भाग लेते हैं तो मैं यह कहनेको तैयार हूँ कि हम हर तरहसे परिषदको सफल बनानेका इरादा करके वहाँ जायेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी हो, मैं आपसे यह नहीं छिपाना चाहता कि यदि बातचीत पूरी होनेके बाद भी हमें योजना असन्तोषजनक लगी तो फिरसे सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करनेके अधिकारको हम नहीं छोड़ सकते। मैं पहलेसे नहीं कह सकता कि हमारा निर्णय क्या होगा; शायद परिस्थितियाँ बदल जायें। हम शायद इन्तजार करना और यह देखना चाहें कि ब्रिटिश संसदमें क्या होता है; लेकिन जबतक बातचीत चल रही है हम किसी हालतमें सविनय अवज्ञाको फिरसे शुरू करनेकी बात नहीं सोच सकते; और मुझे आशा है कि उसकी आगे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।

५. मैंने उनसे पूछा कि नमक बनाने, शान्तिपूर्ण घरने, ज्यादतियोंकी जाँच आदिके तथा अन्य जिन मामलोंपर मैं आपसे सहमत नहीं हो पाया हूँ क्या उसके बावजूद भी आपको इससे ज्यादा और औपचारिक बातचीतकी आवश्यकता दिखाई देती है? ऐसी दशामें मुझे लगता है कि हम शास्त्री, सप्रू, जयकर, शफी, छतारी, विधान-सभासे किसी एक गैरसरकारी यूरोपियन, गैरसरकारी मुसलमान, मालवीय, अन्सारी, महाराजा बीकानेर और नवाब भोपालको बुला सकते हैं। ऐसा लगा कि उन्हें यह विचार बहुत पसन्द आया। उन्होंने कहा कि मेरी समझमें मालवीयजी तो अनिवार्य हैं; लेकिन यह भी कहा कि मैं एक या दो अपने लोगोंको लाना चाहूँगा जैसे कि जवाहरलाल, वल्लभभाई और सेनगुप्त। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सुभाष बोसको भी लाना चाहूँगा, लेकिन वे इस समय जेलमें हैं। मैंने कहा कि ऐसी हालतमें मैं अपनी सहायताके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि लाना चाहूँगा।

मैंने उन्हें बताया कि मैं इसपर विचार करूँगा और यदि हो सका तो कल ही आपको सूचित करूँगा। मैंने साथ ही यह भी कहा कि मैं समझता हूँ कि यदि आगे ऐसी बातचीत हुई, तो हर बैठकके बाद एक औपचारिक विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए ताकि जनतामें गलतफहमी न हो। वे इसपर सहमत हो गये और कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा।

६. मैंने जो सामान्य निष्कर्ष निकाला वह यह था कि यद्यपि अभी रास्तेमें कई रुकावटें हैं, फिर भी वे सहयोगके लिए तैयार हैं। जाहिरा तौर पर मुख्य रुकावटें हैं, आगे बातचीतका क्षेत्र और फिरसे आन्दोलन शुरू होनेका सवाल। बादवाले सविनय अवज्ञाके प्रश्नपर मुझे उनसे इससे अधिक कोई आश्वासन पाना निरर्थक लगता है जितना कि वे आज शामको हमारी अन्तिम बातचीतमें देनेको राजी हुए थे।

अन्तमें उन्होंने भगतसिंहके मामलेका उल्लेख किया। उन्होंने मृत्यु दण्ड न देनेका आग्रह नहीं किया। यद्यपि किसी भी परिस्थितिमें प्राण हत्याके खिलाफ होनेके कारण वे स्वयं फाँसीकी सजाके विरुद्ध थे। उनका ऐसा विचार था कि इससे शान्ति स्थापनामें मदद मिलेगी। लेकिन उन्होंने मौजूदा परिस्थितियोंमें उस सजाको मुलतवी करनेकी माँग जरूर की। मैंने इतना कह देना काफी समझा कि मृत्यु दण्डकी तारीखके बारेमें चाहे जो निर्णय हो, मुझे नहीं लगता कि सजा बदलनेके पक्षमें उनके पास कोई ऐसा तर्क था जिसे इतने ही जोरदार ढंगसे किसी अन्य हिंसक अपराधके मामलेमें न पेश किया जा सकता हो। वाइसराय केवल दयाके आधारपर सजा घटाते या माफ करते हैं, राजनीतिक उद्देश्यसे नहीं।[1]

(ह०) इर्विन

अंग्रेजी (जी० एन० ८९४७)की फोटो-नकलसे।

१. इस मुलाकातके गांधीजी द्वारा दिये अहवालके लिए देखिए शीर्षक २९८।

२६७. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके संवाददाताको

दिल्ली
१८ फरवरी, १९३१

महात्मा गांधीने कमरेके अन्दर ही वाइसरायसे विदा मांग ली और सीधे अपनी मोटरके पास चले गये। कल उन्होंने ऐसा ही किया था। वहां उन्हे एसोसिएटेड प्रेसका संवाददाता मिला और उसने पूछा कि क्या बातचीत समाप्त हो गई है। वे विचारमग्न दिखलाई दिये और उन्होने अपनी स्वाभाविक मुस्कानके साथ कहा :

मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं कल नही आ रहा हूँ।

क्या आप फिर आनेसे पहले कार्य-समितिसे सलाह-मशविरा करेंगे?

मैं अभी नही बता सकता लेकिन मैं कल नही आ रहा हूँ।

एक और सवालका जवाब देते हुए गांधीजीने मजाक करते हुए कहा :

आप कह सकते हैं कि अभी सब-कुछ अधरमें है।

क्या आप एक अधिकृत वक्तव्य देनेवाले हैं?

नही।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २०-२-१९३१

२६८. भेंट : वाइसरायसे[1] (गांधीजी द्वारा वृत्तान्त)

१८ फरवरी, १९३१

आज वाइसरायके साथ कलकी अपेक्षा थोडा कम बैठे, इसलिए साढे पाँच बजे घर पहुँच गये। आज कुछ ही विषयोंपर जमकर बातें हुई, और वे कलसे ज्यादा सावधान थे। आज भी खासी मुठभेड हुई किन्तु ऐसा नही लगा कि उसके कारण कोई बदमजगी हो सकी है। एक दो बार ऐसा लगा कि समझौतेकी आशा करना बेकार है। किन्तु बादमें ऐसा नही लगा। आज नमक-कर, लगान वसूली मुल्तवी करने और धरनेके बारेमें ही बात हुई। नमकके बारेमे पूरी स्थिति समझानेपर उन्होंने कहा :

क्या आपका विचार है कि संसार-भरमें कोई भी सरकार अपने कानूनोंकी अवज्ञा सहन कर सकती है?

१. यह वाइसरायसे हुई दूसरी भेंटका विवरण है।

गांधीजी : इसके विकल्पमें मैं एक प्रतिपक्ष रखता हूँ। संसारकी कोई भी सरकार अपने सभी कानूनोंपर अमल नही करवा सकती।

मैंने फौरन शारदा कानूनका उदाहरण दिया। दक्षिण आफ्रिकामें १८८५ के कानून ३ की बात की, स्वर्ण कानूनका जिक्र किया। उन्हें भंग करनेवालोंको संरक्षण देनेके प्रस्तावका सरकार समर्थन करती है। सहमति-वय (एज ऑफ कन्सेन्ट) कानूनकी बात की। इन सभी कानूनोंका उल्लंघन आप सहन कर लेते है न? "शारदा कानूनके बारेमें कोई कार्यवाही न की जाये, ऐसा परिपत्र आपने जारी किया है; इसकी मुझे जानकारी है।"

वाइसराय : वह तो गोपनीय परिपत्र है।

गांधीजी : मैं नही चाहता कि आप सार्वजनिक रूपसे परिपत्र जारी करें। मैं अपने लोगोंसे कह दूंगा कि आप मजेसे अपनी जरूरत-भर नमक बनाएँ और इकट्ठा करें।

वाइसराय : मैं आपकी स्थिति जानता हूँ।

नमक-कानूनके बारेमें उन्होंने बार-बार यह शब्द कहे। नमक-कानूनके बारेमें वाइसरायने यह भी कहा कि जब आपका राज्य हो जायेगा, तब आप इसे कर लीजिएगा।

गांधीजी : मैंने हजारों आदमियोंसे यह कानून भंग करवाया है। मैं उनसे विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ?

लगानके बारेमें भी उन्हें प्रशासनिक कठिनाई दिखाई देती थी।

गांधीजी : हम तो यह कहते हैं कि सरकारने जरूरतसे ज्यादा कड़े कदम उठाये है। और अधिकारियोंको जो आदेश दिये गये है, अधिकारी उनसे भी आगे बढ़ गये है। इन मामलोंमें लगान तो कदापि नही लिया जा सकता।

वाइसराय : इसे कौन तय करेगा?

गांधीजी : आप चाहें तो कोई अधिकारी नियुक्त कर दें; पर वह हमारे द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। वह व्यक्ति सिर्फ इतनी जाँच करे कि जिन ज्यादतियोंका हमने उल्लेख किया है, वे की गई हैं या नही।"

धरनेका तो उन्होंने बहुत विरोध किया। मैंने उन्हें समझाया कि यह तो हमेशा होता आया है। "कितने ही वर्ष हो गये हैं और सामान्य कानूनमें उसके विरुद्ध कुछ नहीं है। झगड़ा या हिंसा हो तो सामान्य कानूनके अनुसार उस सिलसिलेमें कार्यवाही की जा सकती है।"

वाइसराय : पर आपने तो धरनेको राजनैतिक शस्त्र बना लिया है।

गांधीजी : उसका परिणाम राजनैतिक हो सकता है; किन्तु वह वास्तवमें तो आर्थिक, सामाजिक व नैतिक शस्त्र ही है। लंकाशायर अपना कपड़ेका उद्योग बन्द कर दे तो भी हमें सार्वजनिक रूपसे विदेशी-वस्त्रके विरुद्ध बहिष्कार करना ही है

और धरना भी चालू रखना पड़ेगा। शराबसे जो कर मिलता है आप वह लेना बन्द कर दें तो भी हमें शराब पीनेवालोंके विरुद्ध तो कदम उठाना ही होगा।

संक्षेपमें हमारी सभी माँगोंके औचित्यके बारेमें उन्हें विश्वास तो हो गया किन्तु उन्होंने प्रशासनिक कठिनाइयोंकी बात की। मैंने उन्हें याद दिलाया कि ऐसी तो कानूनके पास कोई न्यायपूर्ण शिकायत है ही नहीं जिसे हटानेका उपाय न हो। इसके बाद उन्होंने कई प्रश्न पूछे:

वाइसराय: गोलमेज-परिषदमें आप भाग लेते हैं और वांछित परिणाम नहीं निकलता तो क्या सविनय-अवज्ञा पुनः जारी किये बिना आपका काम नहीं चलेगा?

गांधीजी: नहीं चलेगा सिवा इसके कि जो फेरफार होंगे उनमें ऐसा लगे कि कुछ तो प्राप्त हो रहा है। नहीं तो फिरसे आन्दोलन जारी करनेके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है।

वाइसराय: अधिक विचार करनेपर मुझे तो यह स्थिति सरकारके लिए अधिक खतरनाक लगती है। हम इस तरह प्रभावहीन बनना कैसे स्वीकार कर सकते हैं। क्या इससे ज्यादा अच्छा यह नहीं होगा कि आप गोलमेज-परिषदमें भाग ही न लें?

उसके बाद संरक्षणोंके बारेमें थोड़ी चर्चा हुई। प्रतिरक्षाके बारेमें वाइसरायने कहा: कल्पना कीजिए कि सैनिक विशेषज्ञोंकी एक समिति आपके सामने सिद्ध कर दे कि अंग्रेजी सेनाके बिना हिन्दुस्तान अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो भी आप यही चाहेंगे कि यह संरक्षण न रखा जाये।

गांधीजी: मुझे विश्वास दिला भी दे उससे क्या होगा? मैं भी जर्मन, अमेरिकी और दूसरे विशेषज्ञोंको बुलाकर इन लोगोंके सामने खड़ा करूँगा। बादमें उनकी चर्चाके फलस्वरूप मुझे ऐसा लगा कि कुछ समयतक हमारा इन लोगोंको रखना जरूरी है तो मैं उन्हें जरूर रख लूँगा।

वाइसरायको यह सारी बात उलझनमें डालनेवाली लगी। इसलिए उन्होंने कहा:

वाइसराय: अब मैं तो आपकी स्थिति अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं यह सारी बात अपने सलाहकारोंसे करूँगा और फिर बातचीत करनेकी जरूरत होगी तो करूँगा। इस बीच तीनों मित्रोंकी[1] इच्छा है कि एक अनौपचारिक बैठक हो जिसमें मेरे सलाहकार भाग लें। महाराजा बीकानेर हों, मालवीयजी हों, नवाब छतारी हों। उसमें आप भी अपनी कार्य-समितिके सदस्योंको बुलायें।

गांधीजी: अवश्य, हम तो अपनी सारी बात स्पष्ट सामने कह देनेके लिए तैयार हैं।

बापूने रातको घूमनेके लिए जाते समय इसी बारेमें ज्यादा विस्तारपूर्वक बात की।

१. सप्रू, जयकर और श्रीनिवास शास्त्री।

गांधीजी : इस अनौपचारिक बातचीतकी सलाह उन तीन व्यक्तियोंने दी है। वह इलाहाबादमें ही उनके मनमें थी। मैं मानता हूँ कि ऐसा करनेमें उनका इरादा तो नेक है। इसमें वाइसरायकी कूटनीति भी हो सकती है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। वे चाहे जितने व्यक्तियोंको बुलाना चाहें बुला लें। मैंने तो एक भी नाम नहीं सुझाया। यह हमारे लिये एक प्रचार करने योग्य बात बन सकती है।

बिड़ला : क्या आजकी बातचीतसे निराशा हुई है?

गांधीजी : नहीं, मिठास तो उतनी ही बनी रही। थोड़ी तीखी बातें भी हुईं किन्तु उनसे कुछ हानि नहीं। एक दो छोटे-छोटे दिलचस्प चुटकुले भी हैं, पर उन्हें सबसे नहीं कह सकते। किन्तु तुम उनसे यह अनुमान कर सकोगे कि कितनी मजेदार बातें हुईं। एक बार तो उन्होंने कहा कि उनका तो यह स्वप्न था कि वे मुझे इंग्लैंड ले जाते; वहाँ सभी दलोंके लोगोंसे परिचय कराते; उन्होंने मुझसे यही अनुरोध किया कि मैं सविनय-अवज्ञाकी बात भूल जाऊँ और उनके सद्भावपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ूँ। दूसरी बात जब मैं उनके स्नानगृहमें जा रहा था तब साथमें चलते हुए कहा, "अब बताइये आपको आश्रममें न पकड़ कर क्या मैंने अच्छा नहीं किया?" मैंने कहा, "क्या कह सकते हैं? आश्रममें हजारों मनुष्योंकी भीड़ एकत्र हो गई थी; और मुझे खबर मिली थी कि स्पेशल खड़ी है और मुझे १२ बजे पकड़ा जायेगा इसलिए मैं चैनसे सो गया।" इसपर वाइसराय खिलखिला कर हँसे। मैंने जब यह कहा, 'बहुतसे मित्रोंका ख्याल था कि नमककी बात टिकेगी नहीं। २०-२१ दिनोंमें महात्मा गांधी थक जायेंगे और सरकार कुछ परवाह नहीं करेगी; किन्तु क्या होनेवाला है इसकी खबर किसे थी?' वाइसराय बोले, "आपने नमकके प्रश्नके आसपास अच्छी बाजी जमाई।"

ये दो चुटकुले तो सार्वजनिक रूपसे कहीं नहीं कहे जा सकते। अब तीसरा: मैंने भगतसिंहकी बात की। मैंने कहा: 'हमने जो बात की है उसके साथ इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है और शायद मेरा इस बातका जिक्र करना भी अनुचित माना जायेगा किन्तु आजकलके वातावरण को ज्यादा अनुकूल बनाना हो तो आपको चाहिए कि फिलहाल भगतसिंहकी फाँसीको मुलतवी कर दें।' वाइसरायको यह बहुत अच्छा लगा।

वाइसराय : आपने यह बात इस तरह मेरे सामने रखी इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सजा कम करना कठिन काम है। किन्तु उसे [फांसीको] मुल्तवी करनेकी बातपर तो जरूर विचार किया जाना चाहिए।

मैंने भगतसिंहके बारेमें कहा, वह बहादुर तो है ही पर उसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इतना जरूर कहूँगा। फिर भी मृत्युदण्ड बुरी चीज है क्योंकि वह ऐसे व्यक्तिको सुधरनेका अवसर नहीं देती। मैं तो मानवीय दृष्टिकोणसे यह बात आपके सामने रख रहा हूँ और देशमें नाहक तूफान न उठ खड़ा हो, इसलिए सजा मुल्तवी कर देनेका इच्छुक हूँ। मैं तो उसे छोड़ दूँ किन्तु कोई सरकार उसे

छोड़ देगी ऐसी आशा मुझे नही है। आप मुझे इस विषयमें कुछ जवाब न दें तो भी मुझे बुरा नही लगेगा।

कार्यसमितिके सदस्योंकी बात हो रही थी तब बापूने सुभाष बोसकी भी बात की।

वाइसराय: सुभाष तो कार्य समितिका सदस्य नहीं है।

गांधीजी: नही, और वे मेरे विरोधी हैं। वे मेरा विरोध करेंगे तो भी उन्हे आना हो तो हमें उन्हे आनेका मौका देना चाहिए।

उन्होंने इस विषयमें भी विचार करनेका वादा किया।

कल रात[1] कोई डेढ़ घंटा सैर की। उस समय अनौपचारिक बातचीतके सुझावके बारेमें चर्चा की। पहले मजेदार चुटकुलोंकी बात की। प्रश्न यह था कि अनौपचारिक बातचीतमें हमारे लोगोंको किसलिए जाना चाहिए।

गांधीजी: यह सत्याग्रहीको शोभा देता है। वाइसरायने उसके लिए इच्छा व्यक्त नही की किन्तु उन तीन जनोंने की है। हम पीछे हटें और उसे तोड दें तो यह छल करने जैसा होगा। उसकी बजाय हम अभी आपसमें बात कर लें। हमे जितना चाहिए उतना सामने रख दें तो बादमें हमे जाना है या नही, यह भी तय हो जायेगा। मैंने ऐसी मांग नहीं की कि हम सभी उसमें भाग लें, किन्तु सिर्फ इतनी बात कही है कि जो कोई वहां जाना चाहे वह जा सकता है। किन्तु मैंने तो इतना भी कह दिया कि सम्भव है कोई भी न आना चाहे। बाकी मेरे लिये तो यह बहुत बडा प्रचार हो जायेगा।

जवाहरलाल: वाइसरायमें सामान्य अंग्रेजोंके गुण हैं और दोष भी हैं।

गांधीजी: हां।

पट्टाभि: उनमें अंग्रेजोंकी दुर्बलताएँ हैं।

गांधीजी: नहीं, इन दो दिनोंकी बातचीतकी मुझपर यह छाप नही पड़ी कि वे कोई कमजोर व्यक्ति हैं। वे बड़े दृढ हैं और हर तरह काबिल हैं। वे प्रजा-तन्त्रवादी भी हैं। उनका कहना है कि मैं जानता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ परन्तु मैं उसे स्वयं नही करूँगा। मैंने उनके कुछ भाषणोंको पढा है और उनमें मैंने जो दृढता देखी है उससे मेरे मनमें प्रशंसा और निराशा दोनो भाव उदित हुए हैं। अहमदिया जातिके शिष्टमण्डलको उन्होंने जो जवाब दिया था वह मुझे याद है। वे चाहते थे कि फिलस्तीनके विषयमें वे मुसलमानोंकी इच्छानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार सदा न्यायके कतिपय मूल अधिकारोंके मामलोंमें दृढ रही है और वे उन्हे कभी नही छोड़ेंगे। इस मामलेमें जैसा पहले कभी नही किया वैसा करनेकी इच्छा [. . .][2] उन्होंने कोरे वादे नही किये, गोलमोल भाषामें बात

१. फरवरी १८ की रातको।

२. मूलमें वाक्य अधूरा लगता है।

नही की बल्कि वे जितनी दृढ़तासे बात कर सकते थे उतनी दृढ़तासे बात की। इसीमें उनका बल निहित है।

कलके चुटकुलोंमें एक रह गया है। उन्हें घरनेके बारेमें एक तार मिला था। उन्होंने मुझसे कहा: "आप इस घरनेका समर्थन करते है?" मैंने उनसे कहा कि मैंने तार दिया है कि मै उसका समर्थन नही करता। उन्होंने दूसरे तारकी भी बात की। गुजरातसे तार आया है अब गांधी और वल्लभभाई दोनों यहाँ आयेंगे और उन दोनोंकी उपस्थिति बहुत खतरनाक होनेकी सम्भावना है। वल्लभभाईको बुला लो तो अच्छा है। मै हँसा और कहा, "वल्लभभाईको तो मैंने बुला लिया है।" इसपर वाइसरायने कहा, "यह तो खूब रही।"

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी।
सौजन्य: नारायण देसाई

२६९. पत्र: सोनाबाई सेरवाईको[1]

[१९ फरवरी, १९३१से पूर्व][2]

मै नही समझ पाता कि जबर्दस्तीसे कराई गई कामबन्दी और हड़तालोंसे देशको लाभ कैसे हो सकता है?

श्री गांधीने अपने उत्तरमें यह इच्छा भी व्यक्त की कि भविष्यमें भी आप ऐसे मामलोंकी ओर मेरा ध्यान दिलायें जिनमें कांग्रेस कार्यकर्त्ता हिंसा या बलका प्रयोग करें। उन्होंने श्रीमती सेरवाईसे स्वदेशी अपनानेका अनुरोध भी किया था।

[अंग्रेजीसे]
पायोनियर, २१-२-१९३१

१. उनके एक पत्रके जवाब जिसमें उन्होंने एक-दो ऐसी घटनाओंका वर्णन किया था, जिनमें तथाकथित अहिंसक कांग्रेसी स्वयंसेवकोंने पूर्ण हड़ताल करानेके लिए हिंसाका प्रयोग किया था।

२. "इलाहाबाद, १९ फरवरी" की तारीख सहित प्रकाशित।

२७०. मेरी नोटबुक

मोतीलालजीकी मृत्यु

यह मेरा सौभाग्य है कि मोतीलालजीकी मृत्युके बाद मैं इन दिनों उनकी बहादुर पत्नीके निकट हूँ। उनकी मृत्युसे मुझे कदाचित् श्रीमती मोतीलालसे कम आघात नहीं लगा है। मैं ईश्वरको महान और कल्याणकारी शक्तिके रूपमें देखता हूँ। इस आघातको मैं अपनी इस आस्थाकी कसौटी मान रहा हूँ। पण्डितजी एक सच्चे योद्धाकी मौत मरे हैं, इसलिए वे तो अशोच्य हैं; मृत्युने उन्हें और भी श्रेष्ठ और सुन्दर जीवन प्रदान किया है। [शोक संतप्त मेरे मनको] जीवन जीने योग्य तभी लग सकता है जब मैं इस अवधिमें त्याग और तप द्वारा आत्मशुद्धि करता हुआ ईश्वरसे उक्त उद्देश्यके हितमें अधिक लगन पानेकी प्रार्थनामें लगा रहूँ।

स्मारक

मित्रोंने मुझसे कहा है कि जिस तरहसे स्वर्गीय हकीम साहब अजमल खाँ, देशबन्धु चित्तरंजनदास और लाला लाजपतरायकी स्मृतिमें स्मारक-कोष जुटाया गया था, मैं वैसा कोष इस अवसरपर जुटानेकी भी सलाह दूँ। मैंने इस लोभको दबाया है, क्योंकि (१) मैं खुद इस बोझको नहीं उठा सकता; (२) हो सकता है कि मुझे किसी भी दिन यरवदा या किसी अन्य आरामघरसे आमन्त्रण आ जाये; (३) इस दिवंगत देशभक्तकी स्मृतिमें जो सच्चा स्मारक तत्काल बनाया जा सकता है वह तो यह है कि हम स्वराज्यको जल्दी ही निकट लानेके काममें और जोरशोरसे जुट जायें।

मौलाना मुहम्मद अली

मुझे यरवदासे मौलाना मुहम्मद अलीकी स्मृतिमें अपनी श्रद्धाजलि मौलाना शौकत अलीके नाम समुद्री तार द्वारा भेजनेकी सुविधा दे दी गई थी। 'यंग इंडिया' का सम्पादन फिरसे शुरू करनेसे पहले सार्वजनिक रूपसे मेरा यह कह देना अनिवार्य है कि उन्हें खोकर मैंने एक ऐसे व्यक्तिको खो दिया है जिसे भाई और मित्र माननेमें मुझे खुशी हुआ करती थी; उनको खोकर राष्ट्रने एक निर्भीक देशभक्त खो दिया है। हममें मतभेद थे; लेकिन प्रेम वही है जो मतभेदोंका बोझ बर्दाश्त कर सके, अन्यथा वह किसी साजकी सुरीली झंकार न होकर बेसुरी और कर्कश ध्वनि जैसी कोई चीज ही हुई।

सिपाहीका काम

शान्तिकी चिन्ता करना सिपाहीका काम नहीं है; क्योंकि उसके लिए संघर्ष और शान्ति दोनों ही एक समान हैं। उसे तो जो भी काम सामने आता है, उसके

मूल्य अथवा परिणामकी परवाह किये विना नितान्त प्रसन्नतापूर्वक करना है। परिणाम वह जानता है; और कोई मूल्य उसके लिए कभी बहुत ज्यादा होता ही नही है।

धरना

धरना धर्म है, लेकिन तभी जब वह पूर्णतया अहिंसात्मक हो। जिन्हे अहिंसामें कोई विश्वास नही है, बेहतर होगा कि वे धरना देना बिल्कुल छोड़ दे। धरना दिये विना भी विदेशी कपड़ोंका प्रयोग रोकनेके उपाय मै खोज सकता हूँ, परन्तु इतना निश्चित रूपसे जानता हूँ कि हिंसापूर्ण धरनों द्वारा किया गया बहिष्कार अन्तमें अवश्य ही विफल हो जायेगा। यह समझ कर ही मैंने पिछले मार्चमें विदेशी वस्त्रोंकी दुकानों और शराब तथा मादक द्रव्योंकी दुकानोपर धरनेका काम महिलाओं-को सौंपा था, जो स्वभावसे अहिंसक होती हैं।

धरना देते हुए सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनो तरहकी हिंसाकी गुंजाइश है। निष्क्रिय ढंगकी हिंसा सक्रिय हिंसासे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दोनोंसे बचना जरूरी है।

खादी

खादीके विना बहिष्कार हो ही नही सकता है। इसलिए हमें खादी पर पूरा ध्यान देना है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-२-१९३१

२७१. तार : बलवन्तराय मेहताको

१९ फरवरी, १९३१

महा सचिव,
इंडियन स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस
द्वारा निम्बपुरी
बम्बई

शनिवार सुबह ८ बजे मिल सकता हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४) की माइक्रोफिल्मसे।

२७२. तार: जाधवको[1]

१९ फरवरी, १९३१

जाधव
देवलाली छावनी

शनिवार सुबह नौ बजे आपसे मिल सकता हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्म तथा एस० एन० १६९३२की फोटो-नकलसे भी।

२७३. तार: जमशेद मेहताको[2]

१९ फरवरी, १९३१

जमशेद मेहता
कराची

धन्यवाद। कीकीबहनसे कहिए नित्य प्रार्थना कर रहा हूँ। उन्हे बुखारसे छुटकारा पा लेना जरूरी है।

गांधी

अंग्रेजी (एम० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्म तथा एस० एन० १६९३१ की फोटो-नकलसे भी।

१. उनके १७ तारीखके तारके जवाबमें जो इस प्रकार था: "नासिक जिलेके दलितवर्गोंके नेतागण इस सप्ताह आपसे भेंट करना चाहते हैं। भेंटके लिए सुविधाजनक तारीख, समय, स्थान बतानेकी प्रार्थना। मामला अत्यावश्यक। जवाब तारसे दें।"

२. जमशेद मेहताके १६ फरवरीके तारके जवाबमें जो इस प्रकार था "कीकीबहनको ज्वर आ रहा है, फिर भी पहलेसे ठीक है। नियमित खूराक लेती है।"

२७४. भेंट : वाइसरायसे (वाइसराय द्वारा वृत्तान्त)

१९ फरवरी, १९३१

श्री गांधी आज तीसरे पहर २-४५ पर मुझसे मिलने आये। मैंने उन्हें बताया कि आगे अधिक विस्तारपूर्वक चर्चाके पहले चर्चाके क्षेत्रके[1] विषयमें भारत मन्त्रीसे; और जो खास मामले उठाए गये है, उनके बारेमें प्रान्तीय सरकारोंसे सम्पर्क जरूरी होगा। मैंने कहा कि मेरी समझमें सम्राट्‌की सरकारको विचार करनेके लिए कुछ दिन चाहिए; इस दौरान मैं अपनी परिषदसे विस्तृत सम्मेलन बुलानेके विचारपर चर्चा कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे विचारमें अगले बृहस्पति या शुक्रवारसे पहले इस सम्मेलनके होनेकी कोई सम्भावना नहीं है।

श्री गांधीने उत्तर दिया कि यद्यपि देर लगनेकी सम्भावनाकी बातपर उन्हें खेद है, पर जो-कुछ मैंने कहा है, उससे वे आम तौरपर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात जानेकी उनकी स्वाभाविक इच्छा होते हुए भी वे मेरी इस बातको ठीक ही समझते हैं कि उनके और वल्लभभाईके वहाँ जानेसे नई कठिनाइयाँ पैदा होंगी, इसलिए वे वहाँ नहीं जाएँगे। मैंने यह मान लिया कि यह बात वल्लभभाईपर भी लागू होती है।

मैंने कहा कि मैं भरसक मामला निबटानेमें शीघ्रता करनेकी कोशिश करूँगा और शफी तथा सप्रूको सूचित कर रखूँगा कि हो सकता है, उन्हें अगले सप्ताह बृहस्पतिसे पहले बुलानेकी जरूरत पड़ जाए।

उनके आनेकी सम्भावनाकी दृष्टिसे मैंने सविनय अवज्ञाको दुबारा शुरू करनेके प्रश्नको सम्मेलनमें फिरसे उठाया। उन्होंने दृढ़तासे कहा कि जबतक सम्मेलनकी चर्चा समाप्त न हो जाए, वे निश्चित रूपमें इसे दुबारा किसी भी हालतमें शुरू नहीं करेंगे। उन्हें आशा तो यह थी कि अब उसे फिरसे शुरू करनेकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी; किन्तु फिलहाल वे इससे अधिक कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि परिषदमें होनेवाले विचार-विमर्शके समाप्त होने तक वह शुरू नहीं किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि उन्होंने जो-कुछ कहा है, सो केवल निजी विचार ही व्यक्त किया है; परन्तु मैं उनपर इतना भरोसा रख सकता हूँ कि वे जो भी निश्चित करेंगे उसके लिए कार्य-समितिकी सहमति प्राप्त करनेकी भरसक कोशिश करेंगे।

मैंने उनसे कहा कि फिरसे मिलना लाभदायक होगा या नहीं, मैं इसके बारेमें जितना जल्दी सम्भव होगा उनसे पत्र-व्यवहार करूँगा; और चर्चाओंके विस्तार-क्षेत्र तथा जिन विशेष मामलोंपर मैं उनसे सहमत नहीं हो सका हूँ, उनके बारेमें मेरी

१. देखिए परिशिष्ट ४।

बात सुननेके बाद वे सोचकर बतायें कि क्या उनकी रायमें, कल फिरसे मिलनेकी जो बात सुझाई गई थी, उससे कोई लाभ हो सकता है। वे सहमत हुए।

निम्नलिखित शब्दोंमें छोटा-सा वक्तव्य देनेके बारेमें वे मुझसे सहमत हो गए।

"परमश्रेष्ठ वाइसरायने श्री गांधीसे आज आगे भेंट की। अनुमान है कि चर्चाओंसे निष्पन्न कई बातों पर इस समय विचार हो रहा है और यह सम्भव है कि बातचीतका नया दौर शुरू होनेमें कुछ दिन लग जायें।"[1]

(ह०) इर्विन

अंग्रेजी (जी० एन० ८९४८)की फोटो-नकलसे।

२७५. भेंट: वाइसरायसे (गांधीजी द्वारा वृत्तान्त)

[१९ फरवरी, १९३१]

दोपहरको वाइसरायसे मिलनेके लिए कनिंघमकी ओरसे निमंत्रण आया। बापूने लिखा कि वे २-४५ पर मिल सकेंगे। मुलाकात आधा घंटा चली। और उसके बाद, बापूके शब्दोंमें, सब-वाइसरायों अर्थात् सप्रू और जयकरसे मुलाकात हुई।

वाइसरायके साथ हुई भेंट बहुत अच्छी रही। वाइसरायने बापूको पहले हुई भेंटोंका सार सुनाया।

वाइसराय: आपके आगे दोहराता हूँ ताकि आप, जहाँ कहीं मैंने भूल की हो वहाँ सुधार कर सकें; आपने वादा किया है कि परिषदकी प्रगतिसे असन्तुष्ट होनेके कारण यदि परिखद भंग हो जाये तब भी आप परिखदकी कार्यवाही समाप्त होनेतक सविनय अवज्ञा फिरसे चालू नहीं करेंगे।

गांधीजी: हाँ, मैंने वादा किया है।

वाइसराय: मुझे इसकी प्रसन्नता है। अब आप क्या मुझे यह वचन भी दे सकते हैं कि आप संसदकी कार्यवाही समाप्त होने तक सविनय अवज्ञा शुरू नहीं करेंगे।

गांधीजी: मुझे खेद है, मै यह वचन नही दे सकता।

वाइसराय: आपने जो वादा किया है मेरे लिए वह भी काफी है। बादमें यह सारी बात मैं गृहमन्त्रीको तार द्वारा भेज रहा हूँ। इसका जवाब नहीं आता तबतक मुझे आपसे यहाँ रुकनेकी विनती करनी होगी। सर तेज और जयकरको काम है इसलिए वे दोनों अगले शनिवारतक नहीं आ सकते।

गाधीजी: मैं ऐसा नही कर सकता। सरदार और मैं दोनों यहाँ आये हैं और लोगोको हमारे लौटनेकी आशा है। मुझे बारडोली जाना है। बोरसद जाना है। आज

१. सम्बन्धित भेंटके विवरणके लिए देखिए अगला शीर्षक।

भी हमने अपने साथियोंसे कामकी गति धीमी करनेको कहा है इसलिए संघर्षमें कुछ ढिलाई आ गई है। और उसे ऐसे ही लम्बा खीचते जायें तो उससे संघर्षकी हानि होगी।

राजगोपालाचारीने पूछा और तब मैंने भी पूछा कि आप उन मित्रोंको रह जानेके लिए नहीं कह सकते? उन्होंने वादा किया कि मैं उन लोगोंको रह जानेके लिए समझाऊँगा।

वाइसराय: जिस तरह आपने अपने साथियोंसे कहा है उसी तरह मैंने भी गवर्नरोंसे कहा है कि सभी काम धीमा करनेके लिए हुक्म भेज दें। दो गवर्नर यहीं पर हैं; उनसे तो कह ही दिया है। और दूसरोंको खबर भेजी है।

बापूने प्रतापगढ़की गोलीबारीकी भी बात की।

गांधीजी: इसपर भी हमारी स्थिति बोरसद की-सी है। ऐसे मामलेकी जाँच न हो यह कैसे हो सकता है? बम्बईमें धरना सम्बन्धी ज्यादतीके बारेमें तार कर चुका हूँ।

इसपर वाइसराय प्रसन्न हो गये। गृहमंत्रीको तार दिया है। उनका जवाब आनेपर मंगलवारतक अनौपचारिक सम्मेलन हो सकता है।

इसके बाद बापू उन सब-वाइसरायोंसे मिले। दोनोंको समझाते-समझाते दम निकल गया। आखिरकार मालवीयजीने सहायता की और उन्होंने कहा समझौतेकी ऐसी आसान शर्तें स्वीकार करनेमें आपको क्या कठिनाई है?

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी।

सौजन्य: नारायण देसाई

२७६. तार: आनन्दको

२० फरवरी, १९३१

आनन्द

हैदराबाद (सिन्ध)

हाथमें लिए कामकी पूरी सफलता चाहता हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

२७७. तार : जाधवको

२० फरवरी, १९३१

जाधव
देवलाली छावनी

मुलाकातके लिए दूसरा समय[1] केवल दिल्लीमें इतवारकी सुबह दिया जा सकता है।

गांधी

अंग्रेजी (एम० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

२७८. तार : कोंडा वेंकटप्पैयाको

२० फरवरी, १९३१

देशभक्त वेंकटप्पैया
गुंटूर

प्रसन्नता हुई। आशा है परिवार सानन्द होगा। जो विवरण आप जरूरी समझते हों, वे भेज दें।

गांधी

अंग्रेजी (एम० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

२७९. तार : गंगाधरराव देशपाण्डेको

२० फरवरी, १९३१

गंगाधरराव देशपाण्डे
बेलगाँव

तार मिला। हर चीज ध्यानमें है। आपको आनेका कष्ट नहीं दिया लेकिन यदि जरूरी लगे तो आ सकते हैं। हर हालतमें पूरी बात लिखो।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४) की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए "तार : जाधवको", १९-२-१९३१।

२८०. वाइसरायके सम्बन्धमें टिप्पणी[1]

२० फरवरी, १९३१

मै अभी यह नहीं कह सकता कि वे निष्कपट हैं, लेकिन उनका व्यवहार मित्रतापूर्ण और साफ था और ये दोनों ही बातें आदमीको निष्कपट बनानेमें काफी सहायक होती है। लेकिन मैं कह दूं कि उनके विरुद्ध अपने पूर्वाग्रहको उचित सिद्ध करने लायक मुझे बहुत कम चीजें मिली है। कुछ हदतक मैं यह कह सकता हूँ कि वे मुझसे निष्कपटभावसे ही मिले हैं। लेकिन मेरी निष्कपटताका प्रतिदान वे और किसी तरह कर भी तो नही सकते थे। आपको मालूम ही है कि कुछ लोग कुछ विशेष व्यक्तियोंके साथ निष्कपट व्यवहार कर पाते है, सबके साथ नही। मेरे पत्रका उन्हें जिस भावनासे स्वागत करना चाहिए था, उसी भावनासे स्वागत किया। उन्होंने शर्ते स्वीकार नही की लेकिन उनके औचित्यको स्वीकार किया और प्रशासनिक कठिनाइयाँ सामने रखीं।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी।

सौजन्य: नारायण देसाई

२८१. भाषण: दिल्लीमें

२० फरवरी, १९३१

महात्मा गांधीने अपने मुसलमान भाई-बहनोंको ईदकी मुबारकबादी देते हुए भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरपर और ऐसी अभूतपूर्व भीड़को सामने देखकर मुझे मौलाना मुहम्मद अलीका खयाल आ रहा है, जिनकी मृत्युसे मुझे बहुत ज्यादा दुःख पहुँचा है। जबसे मैं दक्षिण आफ्रिकासे भारत लौटा हूँ, मैंने दिल्लीको मौलाना मुहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानन्द और हकीम अजमलखाँ वाली दिल्ली समझा है; यहाँतक कि यद्यपि वे अब शारीरिक रूपसे यहाँ उपस्थित नहीं हैं, फिर भी उनकी अदृश्य उपस्थिति आजतक महसूस की जा सकती है। इस नाजुक समयमें मुझे पण्डित मोतीलाल नेहरूके न होनेका भी उतना ही दुःख है। पण्डितजीकी मृत्यु हुए इतने कम दिन गुजरे हैं कि हमारी आँखें अबतक आँसुओंसे गीली हैं। महात्माजीने आगे कहा:

मैं जानता हूँ कि आप सब लोग वाइसरायके साथ मेरी जो बातचीत हो रही है, उसके बारेमें कुछ जाननेको उत्सुक हैं। पर खेद है कि हम लोगोंमें क्या

१. कलकत्ताके मेयर जे० एम० सेनगुप्तके साथ बातचीतके दौरान।

बातचीत हुई, यह मैं आप लोगोंको नहीं बता सकता। एक तो मैंने ऐसा न करनेका वचन दे दिया है और दूसरे इससे हमारा कुछ लाभ नही होनेवाला है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह बातचीत बड़े प्रेमभावसे और बड़ी मिठासके साथ हुई है। उसका परिणाम क्या होगा, मैं यह नही कह सकता। फल तो भगवानके हाथमें है। जो उसकी मरजी होगी, वही होकर रहेगा। आपका कर्त्तव्य यह है कि आपसे भारत जिस कामकी आशा रखता है, उसे करते रहिए।

डा० अन्सारी चूँकि दिल्लीके हैं इसलिए स्वाभाविक है कि उन्होंने दिल्लीके कामोंकी प्रशंसा की है। लेकिन मैंने तो देश-भरमें किये महान त्यागोंको देखा है और मैं कह सकता हूँ कि अन्य किसी प्रान्तकी तुलनामें उसका क्या स्थान है। आप इसके लिए मेरी बधाईके पात्र हैं . . .।[1]

भाषण जारी रखते हुए महात्माजीने कहा :

यहाँ और अन्यत्र भी स्त्रियोंने जैसा काम किया है, उसका वर्णन नही किया जा सकता। जब इस आन्दोलनका इतिहास लिखा जायेगा तो उसमें सबसे पहले भारतकी नारियोंके त्यागका वर्णन किया जायेगा। यही बात बालक-बालिकाओंके विषयमें भी कहनी होगी। उनकी आश्चर्यजनक जागृति देखकर मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि इस लड़ाईमें भगवान हमारे साथ हैं। इन अल्पवयस्क बालक-बालिकाओंको न तो कभी ऐसे कार्यके लिए संगठित किया गया था और न कभी उन्हें ऐसे कार्यकी शिक्षा दी गई थी। उन्होंने यह सब कैसे कर लिया, यह बात न तो मैं ही समझ सका हूँ और न ही कोई और मेरे इस प्रश्नका उत्तर दे सका है कि उनका पथ-प्रदर्शन किसने किया। केवल भगवान ही यह कार्य कर सकते थे। लेकिन याद रखिए कि इस धर्मयुद्धमें आपने अबतक जितने त्याग किए है, नगण्य हैं। आपको उनपर गर्व नही करना चाहिए। हम भारतके लिए पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं; उसकी प्राप्तिके लिए भारतको और कितना त्याग करना होगा, इसका हिसाब कौन लगा सकता है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोगोंको और कष्ट-सहन तथा वृथा त्याग न करना पड़े, इसके लिए मैं शान्ति स्थापित करनेकी उतनी कोशिश कर रहा हूँ, जितनी कोशिश करना मनुष्यके लिए सम्भव है। लेकिन अन्य सब कुछ तो भगवानके हाथमें है। अगर उसकी ऐसी इच्छा न हुई कि कोई समझौता हो तो मुझे जनतासे यही कहना होगा कि वह और कष्ट सहनेको तैयार रहे।

हमने जो त्याग किए हैं वे अन्य राष्ट्रों द्वारा स्वाधीनता प्राप्तिके लिए किये गये त्यागोंकी तुलनामें कुछ भी नही हैं। लेकिन हमें दूसरे राष्ट्रोंके बराबर कष्ट नही उठाना पड रहा है, इसका भी कारण है और वह मेरे सामने दिनके प्रकाशकी तरह स्पष्ट है। कारण यह है कि हमने पूर्ण स्वराज्य प्राप्तिकी प्रतिज्ञाके साथ-साथ यह प्रतिज्ञा भी की है कि हम उस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए जो-कुछ भी करेंगे, सत्य और अहिंसाका पालन करते हुए करेंगे। और इस संग्रामके सम्बन्धमें सम्पूर्ण देशने, खासकर

१. यहाँ भाषणमें रुकावट पड़ गई क्योंकि भीड़में एक तरफ जो थोड़ेसे लोग गांधीजीको सुन नहीं पा रहे थे, उनमें गड़बड़ी मच गई।

ग्रामवासियोंने जो-कुछ किया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हम लोगोंने सत्य और अहिंसाकी प्रतिज्ञाका काफी हदतक पालन किया है। लेकिन मैं अपने आपको धोखा नहीं दे सकता और न आपको ही आत्मवंचना करने दूँगा। हमने सत्य और अहिंसाका पालन किया है, लेकिन उसे धर्म नहीं माना है। कुछ लोगोंने उसे सिर्फ नीतिके रूपमें स्वीकार किया है। यदि आपने भी उसे इस रूपमें स्वीकार किया हो तो भी आप जबतक उसके अनुशासनमें हैं, आपको न तो हिंसाकी बात सोचनी चाहिए और न हिंसा करनी ही चाहिए। झूठ और हिंसाका विचार तक मनमें लाना प्रतिज्ञा-भंग करना है। आपको याद होगा कि अहमदाबाद कांग्रेसमें[1] हकीम अजमलखाँ और डाक्टर अन्सारी जैसे नेताओंकी मौजूदगीमें इस विषयपर सम्यक विचार किया गया था और पूरी तरहसे विचार करनेके बाद यह तय किया गया था कि जबतक हम मन, वचन, कर्मसे सत्य और अहिंसाका पालन करनेकी नीतिका अनुसरण करनेको वचनबद्ध हैं, तबतक इस प्रतिज्ञासे जरा-सा भी हटना वचन-भंग करना है। मैं यह आरोप सहन कर सकता हूँ कि भारतीय स्वराज्यके योग्य नही है, लेकिन मैं एक क्षणके लिए भी यह आरोप, यदि वह सच्चा है, सहन नही कर सकता कि मेरे देशवासी झूठे या बेईमान हैं। इससे बढ़कर दुःखकी बात दूसरी नही हो सकती कि वे हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई जो ईश्वरमें विश्वास करते हैं, धर्मके विरुद्ध चलें और विश्वासघात करें। ऐसे लोग स्वतन्त्रताके पात्र नही हैं। वे गुलामी और उससे भी बदतर अवस्थामें ही रहनेके योग्य हैं। इसी लिए मैंने इस बातपर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि आप लोग चाहें तो यह नीति छोड़कर दूसरी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जबतक आपका सत्य और अहिंसामें विश्वास है, तबतक न अपने आपको धोखा दीजिए और न दुनियाको। इसीलिए जब मैंने सुना कि विदेशी वस्त्रोंकी दुकानोंपर धरना देते हुए हमारे लोगोंने कुछ ज्यादतियाँ की हैं तो मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं अभी इन आरोपोंकी जाँच नही करा सका हूँ। लेकिन आप जानते ही हैं कि १९२१-२२ में मैंने ऐसी ज्यादतियोंका प्रायश्चित्त करनेके लिए आन्दोलन ही बन्द कर दिया था। उस तरहका प्रायश्चित्त इस समय असम्भव है। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि जहाँ-कहीं ये ज्यादतियाँ हो रही हैं, जरूर बन्द कर दी जायें।

धरना देते हुए हम ज्यादतियाँ करें, इसकी अपेक्षा यही अच्छा होगा कि विलायती कपड़ेके व्यापारी यह कपड़ा बेचते रहें और जो शराबके आदी हैं वे शराब पीते रहें। लेकिन एक और भी खतरा है जिसके बारेमें मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर हम ऐसी ही ज्यादतियाँ करते रहेंगे तो अपने विनाशका रास्ता खोल लेंगे क्योंकि स्वराज्य पानेके बाद कोई तीसरी शक्ति ऐसी न होगी जो मशीनगनें लेकर बीचमें पड़े और शान्ति स्थापित करे। हम एक-दूसरेसे लड़ेंगे और आपसी युद्ध विनाश लायेगा। इसलिए यदि आपको जरा भी यह शक हो कि इन ज्यादतियोंके बिना धरना सफल नही हो सकता तो धरना देना बन्द कर देना ही

१. दिसम्बर, १९२१ में; देखिए खण्ड २२।

बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें कि इन मामलोंमें मैं विशेषज्ञ हूँ। मुझे विश्वास है कि भूतकालमें हमने हिंसाका तनिक भी सहारा लिये बिना काफी धरना दिया है। ऐसी आशंका न करें कि हम जैसे ही जबरदस्ती करना बन्द कर देंगे, हमारा काम ठप हो जायेगा। मैं आपसे उसकी चिन्ता न करनेको कहूँगा। विश्वास रखिए कि जो व्यक्ति आज आपको अपनी नीतिपर दृढ़ रहनेकी सलाह दे रहा है उसके मनमें कोई दूसरा उपाय भी होगा ही। लेकिन आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा।

मेरे पास शिकायतें आई हैं और मैं जाँच कर रहा हूँ। हो सकता है कि हमसे ही गलती हुई हो। मैं सभी कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंसे इन शिकायतोंपर ध्यानपूर्वक विचार करनेको, और जो भूल-चूक हुई हो, उसे सुधारनेको कहूँगा। मैं आपसे सब तरहकी जबरदस्तीसे बचनेका अनुरोध करता हूँ। आप शायद यह जानना चाहें कि जबरदस्तीसे मेरा मतलब क्या है। जिन्हें इसकी व्याख्याकी जिज्ञासा हो, मैं उनको आकर बात करनेके लिए निमन्त्रित करता हूँ।

और अब दो शब्द विदेशी वस्त्र-विक्रेताओंके लिए। आप अपने आपको तथा देशको ऐसा मानकर धोखा न दीजिए कि कुछ महीनों तक विदेशी कपड़ेका बेचना बन्द करनेसे ही आपने अपने कर्त्तव्यका पूर्ण पालन कर लिया है। विदेशी कपड़ोंका यह व्यापार तो हमेशाके लिए बन्द हो जाना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपने करोड़ों देशवासियोंकी भलाई कर सकते हैं। विदेशी वस्त्र विक्रेताओंसे मेरा नम्र निवेदन है कि विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण बहिष्कार कर देना आप लोगोंका धर्म है। आपको उसके लिए त्याग तो करना पड़ेगा। लेकिन देशके दूसरे लोग जो त्याग कर रहे हैं, उनकी तुलनामें उस त्यागकी क्या हकीकत है? मेरा विश्वास है कि चरखे और खद्दरके जरिए बहिष्कार सफल बनाया जा सकता है और मैं अपने विश्वासके अनुसार काम कर रहा हूँ।

परसों यहाँ वस्त्र-व्यापारी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि संवाददाता मेरा सन्देश उनतक पहुँचा दें। इस तरह वे अपना कर्त्तव्य समझ सकेंगे।

दिल्लीके नागरिको! मुझे यह सोचकर खुशी नहीं होती कि आप हजारोंकी संख्यामें यहाँ मुझे सम्मान देनेके लिए इकट्ठा हुए हैं। आप यहाँ संसारके समक्ष यह घोषित करने आये हैं कि आप सब पूर्ण स्वराज्य हासिल करनेके लिए कृतसंकल्प हैं। वाइसरायके साथ मेरी जो बातचीत हुई है, उसकी आप एक पल भी चिन्ता न कीजिए। उसके विषयमें न सोचिए। बस अपना काम करते जाइये। केवल इतना याद रखिए कि परिणाम मेरे हाथमें नहीं है, डा० अन्सारी या पण्डित मालवीयके हाथमें नहीं है बल्कि आपके हाथोंमें है। मैं तो एक साधनमात्र हूँ और आपके विनम्र दूतकी हैसियतसे काम कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं, इसीपर सब कुछ निर्भर है। भगवान आपको सत्य और अहिंसाकी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहनेकी शक्ति दे।

गांधीजीने अपना भाषण हिन्दीमें दिया और श्रोताओंकी भारी भीड़के बहुत बड़े भागको वह पूरा-पूरा सुनाई नहीं दिया। गांधीजीने समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे

विशेष अनुरोध किया कि वे भाषणका अधिकृत पाठ या सारांश ही प्रकाशित करें और घोषणा की कि भाषणकी प्रेस-रिपोर्ट वे स्वयं देखेंगे।[1]

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २२-२-१९३१

२८२. तार: राजनैतिक कैदियोंको[2]

दिल्ली

२१ फरवरी, १९३१

मुसलमान, हिन्दू, सिख और ईसाई सभी साथियोंको ईदकी हार्दिक शुभकामनाएँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २३-२-१९३१

२८३. भेंट: 'न्यूज क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिको

दिल्ली

[२१ फरवरी, १९३१][3]

महात्मा गांधीने लन्दनके 'न्यूज क्रॉनिकल' के एक प्रतिनिधिसे हुई भेंटमें कहा कि समझौतेकी पहलेकी अपेक्षा कम आशा है; लेकिन उन्होंने वर्तमान स्थितिमें कोई वक्तव्य देनेसे इनकार कर दिया।

यह पूछे जानेपर कि उनपर वाइसरायकी जो छाप पड़ी थी और जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पिछली भेंटमें किया था, क्या वह अब भी कायम है; उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अब अपनी रायमें संशोधन करना होगा। निजी तौर पर बातचीतके दौरान मुझे लॉर्ड इर्विनका व्यवहार साफ, सद्भावपूर्ण और मैत्रीपूर्ण लगा था।

१. २१-२-१९३१ के हिन्दूमें यह इस प्रकार है. . . भाषणकी ऐसोसिएटेड प्रेसकी रिपोर्ट वे स्वयं देखेंगे और फिर वह उस एजेन्सीसे अन्य समाचारपत्रोंको दे दी जायेगी।

२. यह "महात्मा और डा० अन्सारीका सन्देश" शीर्षकसे इन पंक्तियोंके साथ प्रकाशित हुआ: "महात्मा गांधी और डा० मु० अ० अन्सारीने भारतकी विभिन्न जेलोंमें सभी राजनैतिक कैदियोंको निम्नलिखित सन्देश भेजा है।"

३. हिन्दू, २२-२-१९३१ से।

अन्तमें पूछा गया कि यदि कांग्रेसियों द्वारा कोई हिंसाका काम हो गया, तो क्या वे आन्दोलन बन्द कर उसका प्रायश्चित्त करेंगे, जैसा कि १९२२ में किया था; गांधीजीने उत्तरमें कहा:

पिछली बार जब मैंने प्रायश्चित्त किया था, राजनीतिमें अहिंसा एक नई चीज थी और जिसे मैं नेताओंकी पूर्ण, सीधी-सादी स्पष्टवादिता कहूँगा। लोग उसके आदी नहीं थे। इसलिए मैंने अपने सम्बन्धमें कहा कि लोग बहुधा ऐसा समझते हैं कि मानो मेरे मनमें कुछ है और मुँहमें कुछ, और जो मैं कहता हूँ उसका उलटा सोचता हूँ। केवल इसी बातसे मेरे दिलको ठेस पहुँची थी, लेकिन मैंने तत्काल यह महसूस किया कि इससे हमारे उद्देश्यको भी हानि पहुँचेगी और इसलिए जनताको यह बात समझानेके लिए कि मैं जो-कुछ भी कहूँ उसे उन्हें अक्षरशः उसी तरह ग्रहण करना चाहिए और मैं कोई मानसिक दुराव नहीं रखता, मैंने ऐसा करना जरूरी समझा। यह काम मैं केवल किसी ऐसे निश्चित और कठोर कदमसे ही कर सकता था, जिसे जनता भी फौरन समझ सके, और इसीलिए मैंने जानबूझकर उपवास शुरू करके सार्वजनिक प्रायश्चित्तका तरीका अपनाया और देखा कि इस तरहके पहले ही प्रयोगका प्रभावशाली और आश्चर्यजनक असर हुआ और मैंने उस प्रयोगको १९२२ में चौरी-चौरा काण्ड होनेतक जारी रखा।

यह बात समझा देनेके बाद और यह घोषित करके कि मैं आन्दोलन शुरू करने भरका जिम्मेदार हूँ उसे आगे चलाने या उसके बन्द करनेका नहीं, अब मेरे लिए उपवास द्वारा उसमें दखल देना अनुचित होगा। अब आन्दोलनके लिए कार्य-समिति उत्तरदायी है और केवल वही दखल दे सकती है या इसे कोई दूसरा रूप दे सकती है। जो भी हो, उस बातका यह अर्थ नहीं कि मैं एक भी कांग्रेसी द्वारा हिंसाके प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारीको अस्वीकार करता हूँ; क्योंकि यदि कांग्रेसी तनिक भी हिंसा करते हैं तो उससे मुझे असह्य चोट लगती है। मैं कह नहीं सकता कि मैं उस हालतमें क्या करूँगा, क्योंकि ऐसे सभी मामलोंमें मेरा दिशा-निर्देशन विवेक बुद्धि नहीं करती, बल्कि अन्तरात्मा करती है और मैं नहीं जानता कि वह अन्तरात्माकी आवाज मुझे किधर ले जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २५-२-१९३१

२८४. पाठकोंसे

यदि मैं वाइसराय साहबके पास जाऊँ और कांग्रेसकी कार्यकारिणी समिति किसी सन्धिके बारेमें विचार-विमर्श करे, उससे आपको भटकना या भ्रममें नही पड़ना है। आपका तो धर्म यही है कि आप अपने सामने उपस्थित देश-सेवाका कर्त्तव्य करते जाये।

ऐसा करते रहे और सम्मानपूर्ण सुलह होनी होगी, तो वह हो जायेगी। किन्तु सुलहकी बात शुरू होते ही आप सो जायें या ऐशो-आराममें पड़ जायें या थोड़े भी ढीले हो जायें तो उससे सुलहमें रुकावट पड़ेगी। आपको विश्वास होना चाहिए कि कांग्रेस असम्मानपूर्ण सुलह तो कदापि नही करेगी। सत्याग्रहीके पास कुछ ज्यादा या कम लेने-देनेकी बात तो होती ही नही है। जिस तरह ईमानदार व्यापारीका एक ही भाव होता है, सत्याग्रहीकी माँग भी उसी तरह एक होती है। सिपाही कमजोर पड़ जाये तो उससे उसकी माँगमें कमी नही आती। सिपाही बढ़ता जाये, उसके शौर्यमें वृद्धि होती जाये तो उससे भी उसकी माँग बढ़ नही सकती। इसलिए मैं या कोई कांग्रेसी अपनी असली माँगसे तनिक भी कम नही ले सकता। इसलिए यदि प्रजा शिथिल हो जाये तो सुलह नही होगी और संघर्ष जारी रहेगा। प्रजाका उत्साह कायम रहा तो सुलह जल्दी हो जायेगी।

इतना जान ले कि इस समय सबसे बड़ा काम विदेशी कपड़ेका बहिष्कार है। यह बहिष्कार जबरदस्ती नही, किन्तु प्रजाको समझाकर ही सफल हो सकता है। इसीमें बुद्धि और व्यवस्थाकी जरूरत है और त्यागकी परीक्षा है।

मिल-मालिक

मिल मालिक चाहें तो बहिष्कारको पूर्णतया सफल बना सकते हैं। इसके लिए यह योजना है:

१. विदेशी व्यापार करनेवालोंकी सूची तैयार करें।

२. उनमें से जो तैयार हों, उनसे उनका माल लेकर उसके बदले अपना माल दें। विदेशी वस्त्रोंका मूल्यांकन करते समय कुछ पैसे विदेशी वस्त्रोके व्यापारीको छोड देने चाहिए। मिलोंको मिलके कपड़ेका भाव कमसे-कम रखना चाहिए।

३. मिल मालिक यह विदेशी वस्त्र हिन्दुस्तानसे बाहर बेच सकते हैं या जला सकते हैं अथवा उसे बन्द करके रख सकते हैं और जब स्वराज्य मिले तो उसका कोई फैसला कर सकते हैं। अर्थात् अगर बहुत घाटा उठाना पड़ता हो तो नई सरकारसे कुछ हर्जाना ले सकते हैं।

इसमें बुद्धि, त्याग, व्यवस्था, आत्मविश्वास, दीर्घदृष्टि, प्रजापर विश्वास और विदेशी वस्त्रके बहिष्कारके विषयमें पूर्ण निश्चय -- इन बातोंका थोड़ा-थोड़ा होना जरूरी

२८६. पत्र : छगनलाल जोशीको

२२ फरवरी, १९३१

चि० छगनलाल (जोशी),

तुम्हारा पत्र मिल गया है। मुझे लगता है कि अब समझौता होनेपर ही हम मिल सकेंगे। बात न बनी तो हमें स्वतन्त्र नहीं रहने दिया जायेगा और यह ठीक भी होगा। सन्धि होगी या नहीं, यह तो ईश्वर जाने। सत्याग्रहीके लिए दोनों बराबर होने चाहिए। वह सुलहके लिए सदा प्रयत्नशील रहे और लड़ाईके लिए भी हमेशा तैयार रहे।

मैं वहाँके काममें अभी नहीं पड़ना चाहता। यथाशक्ति और यथाबुद्धि काम करते हुए तुम अनुभवसे सीखोगे। मैं न लिख सकूँ तो भी तुम तो लिखते ही रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५५०२)की फोटो-नकलसे।

२८७. भाषण : अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कौंसिल, दिल्लीमें

२२ फरवरी, १९३१

महात्माजीने आरम्भमें अपने बैठे-बैठे ही बोलनेकी कैफियत देते हुए कहा :

अध्यक्ष महोदय तथा मेरे देशभाइयो,

आप जानते हैं कि मैं इतना कमजोर हूँ कि खड़े होकर भाषण नहीं कर सकता; इसकी कोशिशसे मेरी सारी देह काँपने लगती है।

मौलवी मुहम्मद याकूबने कहा है कि मेरा यहाँ आना २१ करोड़ भारतवासियोंका आना है।

भाइयो, मैं बनिया हूँ और मेरे लोभकी हद नहीं है।

सदा मेरे हृदयमें यह अभिलाषा रही है कि २१ नहीं ३० करोड़ भारतवासियोंकी ओरसे बोलूँ।

आप आज मेरी यह हैसियत भले ही स्वीकार न करें पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने लड़कपन तथा जवानीमें जो शिक्षा पाई है, वह हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए यत्न करनेकी ही है। कोई इसे मेरे बुढ़ापेकी खब्त नहीं कह सकता। मुझे विश्वास है कि भगवान एक दिन मुझे वह हैसियत अवश्य प्रदान करेंगे कि मैं

२८६. पत्र : छगनलाल जोशीको

२२ फरवरी, १९३१

चि० छगनलाल (जोशी),

तुम्हारा पत्र मिल गया है। मुझे लगता है कि अब समझौता होनेपर ही हम मिल सकेंगे। बात न बनी तो हमें स्वतन्त्र नही रहने दिया जायेगा और यह ठीक भी होगा। सन्धि होगी या नही, यह तो ईश्वर जाने। सत्याग्रहीके लिए दोनो बराबर होने चाहिए। वह सुलहके लिए सदा प्रयत्नशील रहे और लड़ाईके लिए भी हमेशा तैयार रहे।

मैं वहाँके काममें अभी नही पड़ना चाहता। यथाशक्ति और यथाबुद्धि काम करते हुए तुम अनुभवसे सीखोगे। मैं न लिख सकूँ तो भी तुम तो लिखते ही रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५५०२)की फोटो-नकलसे।

२८७. भाषण : अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कौंसिल, दिल्लीमें

२२ फरवरी, १९३१

महात्माजीने आरम्भमें अपने बैठे-बैठे ही बोलनेकी कैफियत देते हुए कहा :

अध्यक्ष महोदय तथा मेरे देशभाइयो,

आप जानते हैं कि मैं इतना कमजोर हूँ कि खड़े होकर भाषण नही कर सकता; इसकी कोशिशसे मेरी सारी देह काँपने लगती है।

मौलवी मुहम्मद याकूबने कहा है कि मेरा यहाँ आना २१ करोड़ भारतवासियोका आना है।

भाइयो, मैं बनिया हूँ और मेरे लोभकी हद नही है।

सदा मेरे हृदयमें यह अभिलाषा रही है कि २१ नही ३० करोड़ भारतवासियोंकी ओरसे बोलूँ।

आप आज मेरी यह हैसियत भले ही स्वीकार न करें पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने लड़कपन तथा जवानीमें जो शिक्षा पाई है, वह हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए यत्न करनेकी ही है। कोई इसे मेरे बुढ़ापेकी खब्त नही कह सकता। मुझे विश्वास है कि भगवान एक दिन मुझे वह हैसियत अवश्य प्रदान करेंगे कि मैं

सम्पूर्ण भारतवर्षकी ओरसे बोल सकूँ। यदि इस लक्ष्यकी प्राप्तिके प्रयत्नमें ही मेरी मृत्यु हो जाये तो भी मेरे हृदयको शान्ति तो मिलेगी ही।

मैं नहीं जानता कि वाइसरायके साथ मेरी जो बातचीत चल रही है उसका फल क्या होगा। पर यदि भगवानकी मरजी हुई कि कांग्रेस गोलमेज-सम्मेलनमें शामिल हो और यदि सरकार और कांग्रेसके बीच समझौता होगा, तो जिस समस्याको हल करनेकी ओर हम सबसे पहले ध्यान देंगे, वह वही हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रश्नको हल करनेके लिए हम अपनी शक्तिभर कोई कसर उठा न रखेंगे।

विश्वास मानिए कि यह सौदेबाजी नहीं कि हम एक, दो या पाँच सीटोंके लिए झगड़ते रहें। पारस्परिक भय और अविश्वास त्याग देनेसे एकता प्राप्त की जा सकती है। जबतक हमारे हृदय शुद्ध नहीं होते और हम हिन्दुओं और मुसलमानोंको एक नहीं मानते तबतक एकता नहीं स्थापित की जा सकती।

यह कोई मुनाफेके बँटवारेका सवाल नहीं है। अगर, जैसा कि स्वर्गवासी सर सैयद अहमद खाँ फरमा गये हैं, हिन्दू और मुसलमान हिन्दुस्तानकी दो आँखें हैं तो फिर उनमें कलह और अविश्वास होनेका कोई कारण नहीं। कोई भी एक आँखको अच्छी और दूसरीको खराब नहीं कह सकता। यह बात सर्वथा सम्भव है कि दो भाइयोंके मजहब जुदा-जुदा हों फिर भी वे मेल-मुहब्बतके साथ रहें। मुझे आश्चर्य है कि लोग क्यों धर्मके नामपर, धर्मकी खातिर लड़ा करते हैं।

अपने विषयमें तो मैं कह सकता हूँ कि मैं हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करनेके काममें आपकी मदद करनेको तैयार हूँ। अब आपने अपने हृदयके झरोखेको तनिक-सा खोल दिया है तो मैं ही उसमें पैठनेकी कोशिश करूँगा। (हँसी) यह तो प्रेमी-प्रेमिकाका सवाल है। मैं उसकी तलाशमें हूँ; मैं उत्सुकतासे इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हिन्दू-मुसलमानोंका मेल हो जाये तो मेरे जीवनका लक्ष्य सिद्ध हो जाये। (हर्षध्वनि)

अन्तमें निमन्त्रणके लिए धन्यवाद देकर महात्माजीने कहा:

मुझे आशा है कि आप लोग ऐसी सभाओंमें इसी प्रकार मुझे बुलानेकी कृपा करते रहेंगे और मेरा विश्वास है कि ऐसा करके आपको पछताना न पड़ेगा। (हँसी और तालियाँ)

आज, २५-२-१९३१

हिन्दुस्तान टाइम्स, २५-२-१९३१

२८८. पत्र : नारणदास गांधीको

२२/२३ फरवरी, १९३१

चि० नारणदास,

मेरा दैनिक कार्यक्रम तो बहुत अनिश्चित हो गया है। सोना भी देरसे ही होता है। चार बजे उठ अवश्य जाता हूँ, इसलिए स्वास्थ्यपर बहुत बोझ पड़ता है। तथापि दिनमें मैं मनचाहा आराम कर लेता हूँ; इसीसे ठीक रह पा रहा हूँ।

सीतलासहायने सरोजिनी देवीको इलाहाबाद बुला लेनेका सुझाव दिया है। उसे अभी आश्रमका मोह छोड़ना होगा। रुक्मिणी आजकल मेरे साथ है, प्रफुल्लित रहती है। स्वास्थ्य भी सामान्य रूपसे ठीक रहता है। यहाँ क्या होगा, यह कोई नहीं बता सकता। मैं अपने प्रयत्नोंमें कोई कसर नहीं रखता। इसके साथ ही मैं सिद्धान्तोंको छोड़नेवाला भी नहीं हूँ। मेरे पत्रका कोई हिस्सा समाचारपत्रोंमें नहीं छपना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

प्रभात, २३ फरवरी, १९३१

फिलहाल तो सवेरे जितना लिख पाऊँ, उतना ही बहुत है। दाँयें हाथकी अँगुलीमें अचानक चाकू लग जानेकी वजहसे बायें हाथसे लिख रहा हूँ। घाव कोई बड़ा नहीं है। शंकरभाईके विषयमें दो तार सूरत भेजे हैं। मुझे 'क्रॉनिकल'की खबर आधारहीन लगती है क्योंकि जब मैं जेलमें था तभी मुझे उसके बारेमें पत्र मिला था कि उसे [तकली चलानेकी] छूट दे दी गई है।[1]

पुरुषोत्तम जेलमें कैसा रहता है? जमनादास कैसा है? घरके बड़े-बूढ़ोंके[2] पास कौन रहता है? रुक्मिणी यहाँ आनन्दसे है। केशू अब आ गया होगा।

बापू

गुजराती एम० एम० यू० — १।

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. पत्रके प्राप्तिकर्ताके माता-पिता।

२८९. तार: सूरतके जिला मजिस्ट्रेटको

२३ फरवरी, १९३१

सुना है कि सूरतके कैदखानेमें बन्दी शंकरभाई पटेल तकली कातनेकी इजाजत न मिलनेके कारण अनशन कर रहे हैं। मुझे इन्स्पेक्टर जनरलने लिखा था कि उन्हें तकली चलानेकी इजाजत दे दी गई है। कृपया पूछताछ करें और दरियागंज, दिल्लीके पते पर तार द्वारा सूचना भेजें।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

२९०. तार: कल्याणजी मेहताको

२३ फरवरी, १९३१

पता लगायें क्या सूरत जेलमें शंकरभाई तकलीके लिए अनशन कर रहे हैं। तारमें खबर दें।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

२९१. तार: ई० ई० डॉयलको

१, दरियागंज, दिल्ली
२३ फरवरी, १९३१

मेजर डॉयल
इन्स्पेक्टर जनरल जेल
पूना

शंकरभाई पटेलके बारेमें मैंने आपको यरवदा जेलसे लिखा था और आपने मुझे सूचित किया था। चूंकि यह उनका व्रत है, उन्हें तकली कातनेकी इजाजत दी जा रही है। मुझे मालूम हुआ है कि उन्हें सूरत जेलमें तकली नहीं कातने दी गई। अब सुना है कि उन्हें साबरमती जेल भेज दिया गया है। मुझे दुःख और आश्चर्य है कि उन्हें सूरत जेलमें कातनेसे

क्यों रोका गया। कृपया साबरमती निर्देश भेज दें ताकि बेगुनाह लोग आगे तकलीफोंसे बच सकें और उनकी हालत बदतर तो न हो।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९४६)की माइक्रोफिल्मसे।

२९२. तार : नारणदास गांधीको

१, दरियागंज,
२३ फरवरी, १९३१

नारणदास
सत्याग्रहाश्रम
अहमदाबाद

शंकरभाईकी बदली साबरमती कर दी गई। अगर तकलीकी इजाजत न दी जाये तो अनशन जरूर जारी रहना चाहिए।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १६९४७)की माइक्रोफिल्मसे।

२९३. पत्र : सुरेशचन्द्र बनर्जीको

शिविर दिल्ली
२३ फरवरी, १९३१

प्रिय सुरेश बाबू,

फिलहाल मैं आपके पत्रके[1] कामकाजी अंशके विषयमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अभी तो मैं आपसे यही कहूँगा कि डाक्टर जैसा इलाज करनेकी सलाह दे, वैसा करे

१. तारीख २० फरवरी, १९३१ का; जिसमें अन्य बातोंके अलावा अभय आश्रमके आर्थिक उत्तरदायित्वोंके बारेमें भी लिखा था। सुरेशचन्द्र बनर्जीने सुझाव दिया था कि "बैंकों और महाजनों, दोनों ही का सारा कर्ज अदा करनेके लिए हमें जिम्मेदार बनानेके बदले, अ० भा० च० संघको भी नुकसानका बोझ उठानेमें हाथ बँटाना चाहिए।. . .पिछले तीन-चार सालोंमें आश्रमको इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आश्रम जब तक कि अ० भा० च० संघ उसे ठोस सहायता नहीं देता, खादीकार्य फिरसे नहीं शुरू कर सकता. . .मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस विषयके लिए कुछ समय दें और यदि सुविधाजनक हो तो अन्नदा बाबूको मौका दें ताकि आपसे पूरे मामलेपर बात करें और आश्रम बचानेका कोई व्यावहारिक उपाय खोजा जा सके। श्री बैंकरकी हर बातकी पूरी जानकारी है और मुझे विश्वास है कि वे सारी स्थिति समझा सकेंगे।" (एस० एन० १६९३४)

और अपने शरीरको पहले जैसा स्वस्थ बनायें। अन्नदा बाबू जिस दिन चाहें आ सकते हैं और किस्मत आजमा सकते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा आना-जाना बहुत ही अनिश्चित है। मैंने श्री बैंकरसे थोड़ी बात तो शुरू कर ही दी है।

हृदयसे आपका,

श्री सुरेशचन्द्र बनर्जी
पी० ३९, फर्न रोड, बालीगंज
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १६९३५) की माइक्रोफिल्मसे।

२९४. पत्र : आर० आर० बाखलेको

शिविर १ दरियागंज, दिल्ली
२३ फरवरी, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र आपके लिखे विवरणकी[1] छः प्रतियोंके साथ मिल गया है। मेरे पास कुछ ही समय था, इसलिए मैंने जितना जरूरी था उतने ध्यानसे इस विवरणको देख लिया है और मैं निःसंकोच कह सकता हूँ कि वह अच्छी तरह लिखा गया है और वह अतिशयोक्ति तथा शब्द-चातुर्यसे मुक्त है। मैं सोसाइटीसे सम्बन्धित किसी भी व्यक्तिसे ऐसी ही रिपोर्टकी आशा करता हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री आर० आर० बाखले
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
बम्बई-४

अंग्रेजी (एस० एन० १६९८५) की माइक्रोफिल्मसे।

१. बोरसदमें महिलाओंके जुलूसपर लाठी चलाए जानेके सम्बन्धमें।

२९५. पत्र : एच० एस० एल० पोलकको

शिविर दिल्ली
२३ फरवरी, १९३१

प्रिय हेनरी,

काश मैं तुम्हें लम्बा-सा पत्र लिख सकता। लेकिन फिलहाल तो तुमने जो जानना चाहा है, उतना ही लिखकर सन्तोष करता हूँ। हाँ, तुम्हारी भेजी हुई नमककी डिबिया पाकर खुशी हुई। अभीतक वह मेरे हाथमें नहीं आई है। फिर भी इतने ध्यानसे भेजे गये इस उपहारके लिए कृपया श्री . . . को[1] धन्यवाद देना। तुम सबको मेरा प्यार। दिल्लीकी घटनाओंके बारेमें मुझे कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें समुद्री तारसे सारी खबर मिलती ही रहती होगी।

हृदयसे आपका,

श्री हेनरी एस० एल० पोलक
पाँचवीं मंजिल, डेन्स इन हाउस
२६५ स्ट्रेन्ड, लन्दन, डब्ल्यू० सी० २

अंग्रेजी (एस० एन० १६९४१)की फोटो-नकलसे।

१. मूलमें यहाँ नाम छोड़ दिया गया है।

२९६. पत्र : रेजिनॉल्ड रेनॉल्ड्सको[1]

शिविर दिल्ली
२३ फरवरी, १९३१

प्रिय रेजिनॉल्ड,

अपने लम्बे, स्पष्ट और जोरदार पत्रके लिए मेरा समादर स्वीकार करो। उससे जहाँ मुझे दृढ़ताकी आवश्यकता होगी, वहाँ दृढ़ बने रहनेमें मदद मिलेगी। इतना कहनेके बाद, मैं यह भी बता दूँ कि मैं तुमसे इस बातमें कतई सहमत नही हूँ कि तीनों मित्रोंके[2] आनेतक निर्णय या कार्यवाही मुल्तवी रखकर मैंने गलती की। सत्याग्रह प्रतीक्षा कर सकता है। वह नम्र हो सकता है; और जहाँ नम्र होना कर्त्तव्य है वहाँ तो सत्याग्रहको नम्र होना ही चाहिए। उन लोगोंका निर्णय चाहे जितना भ्रान्तिपूर्ण क्यों न सिद्ध हो, मैं इन मित्रोंको अपने ही जैसा देशभक्त मानता हूँ। जैसे मैं यह नही चाहूँगा कि वे मेरे बारेमें अपने मनकी कोई राय कायम करें उसी तरह उनके गुण-दोषोंको देखनेसे हमें कोई सरोकार नही है। और मैं तुम्हे विश्वास दिलाता हूँ कि रुके रहनेमें हमारे उद्देश्यको जरा भी नुकसान नही पहुँचा है। यह हो सकता है कि वहाँके हितवादी मित्र मुझे अपनी आशाके विपरीत काम करते देखकर थोड़ी परेशानी महसूस करें। लेकिन हो सकता है कि समयके साथ तुम्हें और उनको कई बार ऐसा आघात लगे। मैं अपने-आपको सत्याग्रहके क्षेत्रका एक तपा हुआ सिपाही मानता हूँ। मैंने पहले भी आजकी तरह समझौते किये हैं; वे मौके ऐसे ही नाजुक थे और मुझे ऐसा एक भी अवसर नहीं याद आता जब कि उद्दिष्ट कार्य प्रतीक्षा करनेके कारण विफल हो गया हो। इसके विपरीत मुझे ऐसे कई अवसर याद आते हैं जब कि प्रतीक्षा करना लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इसलिए तुम्हारे लिए मेरा इतना आश्वासन देना काफी होना चाहिए कि जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, सिद्धान्तकी बातपर अर्थात् माँगके मुख्य अंशपर हम कतई नही झुकेंगे और मुझे इसमें सन्देह नही है कि कांग्रेस भी बिलकुल नहीं झुकेगी। यह भी

१. अपनी पुस्तक टु लिव इन मैनकाइन्डमें रेजिनॉल्ड रेनॉल्ड्स लिखते हैं "... जैसे ही सरकारसे बातचीत फिर शुरू हुई, मैंने उन्हें पत्र लिखा कि सम्भव है मेरा ऐसा करना कोई अशिष्टतापूर्ण हस्तक्षेप लगे, किन्तु ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य सर्वथा उचित है और वह यह कि मैं ब्रिटेनमें कांग्रेसके मामलेकी हिमायत करनेवाले इने-गिने लोगोंमें से हूँ। इस नाते मुझे मालूम होना चाहिए कि उनकी ठीक-ठीक स्थिति क्या है। मेरे लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है कि यदि मुझे भारत तथा उसके नेताओंके पक्षमें लिखते और बोलते रहना है तो मुझे उनके रवैयेके बदलनेका कारण समझ लेना चाहिए। इस पहले पत्रका जवाब गांधीजीने दिल्लीसे २३ फरवरी, १९३१ को दिया।"

२. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू और मु० रा० जयकर।

याद रखो कि सत्याग्रह पूर्ण विश्वास दिलाने और मनुष्यके विवेक और सहानुभूतिकी भावनाको जगाकर उसके हृदयको बदल देनेका तरीका है। यह इतना मानकर चलता है कि हर आदमीमें अन्ततोगत्वा भलाई अन्तर्निहित रहती है, फिर चाहे वह आदमी किसी अवधिमें कितना ही पतित क्यों न रहा हो। यदि इससे तुमको सन्तोष न हो तो जरूर मेरे साथ बहस करो। तुम्हें बहस करके मुझसे सन्तोष पानेकी माँग करनेका हक है। तुम लोग वहाँ जिस बहादुरीसे संघर्ष कर रहे हो, उसके बारेमें मुझे कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है। ईश्वर तुम सबपर कृपा रखे और सफलता तथा शक्ति दे। दिल्लीमें जो-कुछ हो रहा है, उसके बारेमें कुछ कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि बातचीत अभी चल ही रही है और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि समुद्री तारोंसे तुम्हें प्रतिदिनकी बातोंकी सूचना मिलती रहती है। इसलिए आज मैं जो-कुछ भी बता सकता हूँ, यह पत्र तुम्हारे पास पहुँचने तक वह पुराना पड़ जायेगा।

तुम्हारे विवाहके बारेमें क्या खबर है?

सस्नेह,

बापू

रेजिनॉल्ड रेनॉल्ड्स महोदय
८ फेयरडेन रोड
वॉल्सडन, सरे

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५३९)की फोटो-नकलसे; तथा एस० एन० १६९४८से भी।
सौजन्य: स्वार्थमोर कालेज, फिलाडेल्फिया

२९७. पत्र: जॉन हेन्सहोम्सको

शिविर १ दरियागंज, दिल्ली
२३ फरवरी, १९३१

प्रिय मित्र,

फिलहाल मैं कुछ समयके लिए जेलसे बाहर हूँ, इसलिए आपको यरवदाकी अपेक्षा अधिक विस्तारसे लिखनेका अवसर मिल गया है। भारतकी तरफसे आपने जो प्रयत्न करनेकी कृपा की है, उन्हें मैं बराबर देखता आ रहा हूँ और उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे अधिकाधिक विश्वास होता जाता है कि यदि भारत स्वतन्त्र हो जाये तो जिस विश्वशान्तिके लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, यह शायद उस मानेमें सबसे बड़ा योगदान होगा। अभी जो बातचीत चल रही है, उसके बारेमें आपको कुछ अन्दाज देना समयसे बहुत पहले कुछ कह देना ही होगा। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ कि मैं सम्मानपूर्ण शान्ति हासिल करनेके प्रयत्नमें कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। लेकिन अन्ततोगत्वा सत्याग्रहीके लिए शान्ति या लड़ाईमें कोई

अन्तर नहीं है। वह हमेशा शान्तिके लिए प्रयत्न करता है और लड़ाईके लिए उसे अपने आपको तैयार रखना पड़ता है। हर हालतमें जिस पथपर सत्य ले जाये, वह उसी पथका अनुसरण करता है।

मैं आशा करता हूँ कि आपने फौरन ही बीमारीसे पीछा छुड़ा लिया होगा और यह पत्र पहुँचनेतक आप पूर्णतया स्वस्थ होंगे।[1]

हृदयसे आपका,

श्री जे० एच० होम्स
न्यूयार्क कम्युनिटी चर्च
१२, पार्क एवेन्यू
न्यूयॉर्क सिटी (अमेरिका)

अंग्रेजी (एम० एन० १६९४३) की फोटो-नकलसे।

२९८. पर्ची : डा० थार्नटनको[2]

मौनवार, २३ फरवरी, १९३१

यदि मिशनरी दोस्त भारतीयोंका धर्म-परिवर्तन करने और ईसामसीहको उनके समीप लानेके अपने उद्देश्यको भूल सकें तो वे बेहद अच्छा कार्य कर सकेंगे। आपके कार्यके पीछे धर्म-परिवर्तनका इतर उद्देश्य रहता है। इस मामलेमें चेतावनी देनेवालोंमें प्रथम कुछ लोगोंमें मैं भी था। यह जाननेके लिए कि मिशन कितना नुकसान कर रहे हैं, आपको श्री एन्ड्रयूज जैसे आदमीको मिलना चाहिए। मिशनरी लोगोंके भारतीयोंको नया धर्म देनेके दर्पके प्रति उनकी आत्मा कैसे विद्रोह करती थी, यह वही बता सकते हैं। वे कैम्ब्रिज-मिशनसे सम्बद्ध थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया; क्योंकि उन्होंने ईश्वरकी सर्वव्यापकताका अनुभव करने पर सोचा कि हर धर्म चाहे वह कितना ही दोषपूर्ण क्यों न हो, ईश्वरभक्ति सिखाता है। आप निश्चय ही मेरे धर्मके दोष मुझे बता सकते हैं और उन्हें सुधारनेमें मदद दे सकते हैं, लेकिन आपका यही आग्रह हो कि मैं अपने धर्मके जरिये ही मुक्ति पानेका प्रयत्न करूँ। मुझे एक उपमा याद आती है। मैं जब मैदानी इलाकेमें पैदा हुआ और मैदान जैसा पालन-पोषण दे सकते हों, मुझे वही पाना है तो ऊँचे पहाड़ पर जानेमें क्या फायदा! सच तो यह है कि दो विभिन्न धर्मोंमें ऐसा कोई मतभेद नहीं है कि समझौता न किया जा सके। यदि आप सतहके नीचे जायें तो तलमें एक ही चीज पायेंगे; आप अपना

१. अपने जवाबमें होम्सने यह तार भेजा था: "आपके सन्देशका हृदयसे अनुमोदन। भारतके अमेरिकी मित्र आपके देशकी आजादीकी लड़ाईमें, हो सके तो शान्ति द्वारा और जरूरी हो तो युद्ध द्वारा, आपका बराबर साथ देंगे। (हिन्दू, ३-३-१९३१)

२. एक ईसाई मिशनरी।

मिशनरी उद्देश्य भूल जाइये और सिर्फ लोगोंके बीच रहने लगिए। आपके साथ सम्पर्क स्थापित होनेके कारण और आपकी अनिच्छाके बावजूद हममें अपने धर्मके दोष देखनेकी वृत्ति जागती है; उसमे [सम्पर्कसे] यह सहायता तो मिलती ही है। आप नहीं चाहते कि हम इन दोषों पर विचार करें, क्योंकि आपको जहाँ अनैतिकता दिखलाई देती है वहाँ हम आध्यात्मिकता देखते हैं। मैं जब आपकी संस्थाओंमें जाता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी भारतीय संस्थामें जा रहा हूँ। इसी बातसे मुझे चिन्ता होती है।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी।
सौजन्य: नारायण देसाई

२९९. तार: तीर्थसिहको

२४ फरवरी, १९३१

तीर्थसिह
सचिव
स्वदेशी प्रदर्शनी समिति
कराची

स्वदेशी भ्रामक शब्द है। अधिक जानकारीके अभावमें निर्णय नहीं दे सकता। हर हालतमें आपको स्वागत समितिकी स्वीकृति जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

३००. सन्देश: खद्दर प्रचारिणी सभा, दिल्लीको[1]

२४ फरवरी, १९३१

देखता हूँ कि खद्दरकी कमीके कारण लोग निराश होते जा रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि खादी पहनना कांग्रेसी लोगोका धर्म है और यदि एक बार हम यह भूल गये तो विदेशी वस्त्र बहिष्कार करना कठिन हो जायेगा। मिलका बना कपड़ा केवल उन लोगोंके लिए है जो खद्दरके सन्देशको समझ नही पाये है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २४-२-१९३१

३०१. पत्र: क० मा० मुंशीको

दिल्ली
२४ फरवरी, १९३१

भाईश्री मुंशी,

आपका पत्र मिला है। वह वकीलको शोभा दे, ऐसा तो है। पेरीनबहनको तार करनेमें मेरे मनका सन्तोष ही पहली बात थी। किन्तु सत्याग्रही अपने दोष जगतसे भी नही छिपा सकता और यदि छिपाये तो उसके सत्य पर आँच आती है। इसलिए उसके लेखों और वचनोमें स्पष्टता होनी ही चाहिए। आपके पत्रमें मुझे यह नही दिखाई देती। यदि बम्बईमें जबर्दस्तीकी जा रही है[2] तो वह कांग्रेसवालोंकी रायके बिना हो रही है, हम यह कैसे कह सकते हैं? सारे स्वयंसेवक कांग्रेसी ही माने जायेंगे। जबर्दस्ती होती है, यह तो मैं यरवदा मन्दिरमें था तब वहाँ भी देख पाता था। यदि आप यह मानते हों कि जबर्दस्ती करके हमारे दिन नही बदलेंगे, तो जबर्दस्तीकी गन्ध तक न रहे, इस दिशामें जितना बने उतना भगीरथ प्रयत्न कीजिए।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५१४) से।
सौजन्य: क० मा० मुंशी

१. यह सन्देश जमनालाल बजाजने सभा द्वारा आयोजित एक आम सभामें पढ़कर सुनाया था।
२. देखिए "तार: पेरीन कैप्टनको" १७-२-१९३१।

३०२. 'परदेशी कापडनी सामे हरीफाई केम करवी' की भूमिका

दिल्ली
२५ फरवरी, १९३[१][1]

यह भाई मोहनदास द्वारा अपनी ही अंग्रेजी पुस्तकका[2] अनुवाद है। मैं अनुवाद पढ़ नही पाया हूँ। मूल मैंने यरवदा मन्दिरमें पढ़ा था। पुस्तक समयानुकूल है और सिद्ध करती है कि विदेशी वस्त्रका बहिष्कार चरखा और खादीके बिना नही हो सकता। पूर्ण बहिष्कारके लिए क्या करना चाहिए, यह बतानेका लेखकने सराहनीय प्रयत्न किया है। पुस्तकसे अनेक उपयोगी आँकड़े प्राप्त हो सकते हैं और बहिष्कारके धर्मको समझनेकी इच्छा रखनेवालेको इससे ठीक मदद मिल सकती है।

मोहनदास गांधी

[गुजरातीसे]

गुजराती (जी० एन० ११) की फोटो-नकल; तथा परदेशी कापडनी सामे हरिफाई केम करवीसे भी।

३०३. पत्र: मनमोहनदास गांधीको

दिल्ली
२५ फरवरी, १९३१

भाई मनमोहन,

आपको भी रकावमें पाँव रखे-रखे ब्रह्मोपदेश चाहिए। यह हमेशा सम्भव नहीं है। बहुत-से पत्र पड़े है। उनमें से आपके पत्रपर नजर पड़ गई, इसलिए यह जवाब लिख पा रहा हूँ। किन्तु जिस रकावमें पाँव रखे हुए ब्रह्मोपदेशकी इच्छा करनेवाले सवारको एक-दो वाक्य ही उपदेशमें मिल पाये थे, उसी तरह मेरी प्रस्तावनामें भी एक-दो वाक्य हैं। ये रहे वे वाक्य . . .[3]

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ११)की फोटो-नकलसे

१. साधन-सूत्रमें १९३२ है। इस समय गांधीजी जेलमें थे, इसलिए यह स्पष्ट ही भूल है। फरवरी १९३१ में गांधीजी दिल्लीमें थे।

२. हाउ टु कॉम्पीट विद फॉरेन क्लाथ।

३. देखिए पिछला शीर्षक।

३०४. पत्र : शिवाभाई पटेलको

दिल्ली
२५ फरवरी, १९३१

भाई शिवाभाई,

तुम्हारे प्रश्नका जवाब देने-भरका समय है; या कहो उतना समय निकाल रहा हूँ। तुम्हारा लम्बा पत्र मिल गया था। विदेशी वस्त्रके विरोधमें धरना देते समय जबर्दस्तीका कोई भी स्थान नही होना चाहिए, चाहे धरना असफल ही क्यों न हो जाये। उपवास हमेशा बल-प्रयोग ही है, ऐसा तो मैं नही मानता। इस विषयमें मैंने 'नवजीवन' के ताजे अंकके लिए लेख[1] लिखा है, इसे पढ़ लेना और मुझसे कुछ पूछना पड़े तो पूछ लेना। जबर्दस्ती किसी प्रकार भी सहन नही करनी है, यह निश्चय कर लेनेपर ही धरना देने और दूसरे तरीकोंसे बहिष्कारको सफल करनेके उपाय हमें सूझेंगे। शराबकी दूकानपर धरना देनेसे शराब पीनेवाले अपने घर छिप-छिपकर शराब बनायेंगे और कई तो बेचेंगे भी। यदि हम इसे सहन करने लायक उपाय कर लेंगे तो यह सहन करने योग्य होगा। किन्तु इस तरह अनेक लोग तो शराब पीना बन्द कर ही देंगे। मेरी तो मान्यता यह है कि हमने शराबकी दूकानोंपर धरना देते हुए उससे होनेवाली आमदनी कम करनेको प्रमुख पद दिया या उसी पर ध्यान दिया है, जब कि हमारा कर्त्तव्य तो शराब पीनेवालोंको रोकना है। इसका हमें पूरा भान हो और काम करनेवाले मिल जायें तो पीनेवालोंको उनके घर-घर जाकर समझायें और शराबके बदले निर्दोष पेयोंको पीनेकी शिक्षा दें। जहाँ-जहाँ असत्याचरण होता हो, वहाँ-वहाँ तुम्हारे जैसोंको उसे बन्द करना चाहिए। यह न हो तो सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९५०६) की प्रतिसे।

३०५. पत्र : हेमप्रभादास दासगुप्तको

दिल्ली
२५ फरवरी, १९३१

चि० हेमप्रभा,

तुम्हारा पत्र और 'गीता प्रवेशिका' का अनुवादका हिस्सा आ गया है। समय मिलनेसे अनुवाद पढ लुंगा। शंकरलालसे कुछ हाल सुन लिये हैं।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० १६८६ की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "क्या नहीं करना चाहिए?", १-३-१९३१।

३०६. भाषण : हिन्दू कालेज, दिल्लीमें[1]

२५ फरवरी, १९३१

जय-जयकारके नारोंके बीच महात्माजीने स्वर्गीय लाला लाजपतरायके सुन्दर चित्रका अनावरण किया और निम्न आशयका भाषण दिया :

मैं आप लोगोंका बड़ा ही आभारी हूँ कि आपने मुझे लाला लाजपतरायके चित्रका अनावरण करनेके लिए आमन्त्रित किया। भारतकी आजादीकी लड़ाईके दौरान एक महान् देशभक्तके चित्रका अनावरण करना सही भी है। लेकिन केवल उनके चित्रका अनावरण करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने मनमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि आप लाला लाजपतरायके श्रेष्ठ गुणोंको हृदयमें उतारेंगे। आप लोगोंने जो थैलियाँ भेंट की हैं, उनके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। मुझे हमेशा विद्यार्थियोंके साथ बैठनेमें, उनसे बात करनेमें, उनके साथ खेलनेमें, उनकी प्रशंसा करनेमें और उनको डाँटनेमें (हँसी) बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि मेरा एक निजी स्वार्थ है और वह है 'पूर्ण स्वराज्य' और यह पूर्ण स्वराज्य तबतक हासिल नहीं किया जा सकता जबतक कि मैं हर विद्यार्थीका हृदय आकर्षित नहीं कर लेता और इस समय देशमें चल रहे यज्ञके लिए बलिदान करनेका उनका त्याग-बल मेरे हाथमें नहीं आ जाता।

सारा संसार विद्यार्थियोंकी ओर देख रहा है और यदि आप इस परीक्षामें उत्तीर्ण न हुए तो मुझे बहुत व्यथा और दुःख होगा। मुझे इस बातका खेद है कि विद्यार्थियोंने स्वाधीनताके संग्राममें उचित भाग नहीं लिया है। इसमें सन्देह नहीं कि आप 'इन्कलाब'के नारे बड़े जोरसे लगाते रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये तीन गुण विकसित करें (१) मर्यादा (२) संयम और (३) चरित्रबल। ये तीनों चीजें अन्यत्र कहाँ पाई जा सकती हैं? स्वराज्य-संघर्ष आत्मशुद्धिका यज्ञ है और मुझे आशा है कि इस यज्ञमें विद्यार्थी सबसे बड़ा योगदान देंगे।

लेकिन मुझे खेद है कि इस मामलेमें आपने मेरी आशा पूरी नहीं की। आपसे जिस त्यागकी आशा थी उसमें आप पिछड़ गये हैं। भारत माता आपसे कहीं ज्यादा त्यागकी आशा करती थी और मुझे दुख है कि आप उसके लिए आगे नहीं आये।

मै आशावादी हूँ और आशा नही छोड़ूँगा। मुझे अब भी उम्मीद है कि आप देशकी आशाएँ पूरी करेंगे। इसी विचारसे मैं आप लोगोंके समक्ष भाषण देने आया हूँ।

१. प्रिन्सिपल एस० के० सेनके स्वागत-भाषणके बाद गांधीजीको हिन्दू, सेन्ट स्टीफैन्स और दो कालेजोंकी तरफसे तीन थैलियाँ भेंट की गईं।

आपके सामने तीन काम हैं। पहला, हिन्दू-मुस्लिम एकता; बूढ़ों (हिन्दू-मुसलमानों)को लड़ने दीजिए, क्योंकि उनके हृदयमें भीरुताजनित अविश्वास भरा है। मौतके निकट पहुँच चुके लोगोंमें ऐसा अविश्वास हो ही जाता है। लेकिन युवक अविश्वासको पास न आने दें और सच्चे मनसे हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए काम करें, क्योंकि इस कामके लिए वे ही सबसे ज्यादा योग्य हैं। उनके धर्म जुदा हैं तो उससे क्या? हाथकी पाँच अँगुलियोंकी तरह उन्हें एक दूसरेकी रक्षा और सहायता करनी चाहिए। यह दुखकी बात है कि हम लोग धर्मके नामपर अधार्मिक काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी पूरे हेलमेलके साथ भाइयोंकी तरह रहनेका और हिन्दुओं तथा मुसलमानोंमें सद्भावना और स्नेह स्थापित करनेका वादा करें। आपके सामने दूसरा काम यह है कि आप अस्पृश्यताके अभिशापको दूर करें। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल अस्पृश्योंको छू लेना बल्कि इसका अर्थ है देशके गरीबसे-गरीब और छोटेसे-छोटे व्यक्तिको अपने समान मानना। तीसरा काम यह है कि आपको खद्दरका प्रयोग अवश्य करना चाहिए और चरखेके, जो कि अपने आपमें एक बड़ा शस्त्र है, उपयोगको प्रोत्साहन देना चाहिए। सर सी० वी० रमण और सर जगदीशचन्द्र वसु अपनी वैज्ञानिक खोजोंके लिए प्रशंसाके अधिकारी हैं, लेकिन चरखा भी एक शक्तिशाली शस्त्र है जो हमारे देशके करोड़ों लोगोंको मुक्ति दिलायेगा।

यदि देशके करोड़ों लोग आज मेरे अनुयायी हैं और मुझे महात्मा कहते हैं तो इसलिए नहीं कि मैंने बैरिस्टरी छोड़ दी है लेकिन इसलिए कि मैं गरीबसे-गरीबको भी अपना भाई मानता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि हमारे देशकी मुक्ति चरखे और हिन्दू-मुस्लिम एकतामें निहित है। मैं अपना हर क्षण इन उद्देश्योंको प्राप्त करनेमें लगा रहा हूँ।

महात्माजीने मुस्कराते हुए फिर कहा :

यदि आप मेरा अनुसरण करें तो आप सब भी महात्मा बन सकते हैं (हंसी) और तब मुझे अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके प्रयत्नमें सहायता करनेवाले अनेक साथी मिल जायेंगे। (हँसी)

महात्माजीने ईश्वरसे यह प्रार्थना करते हुए भाषण समाप्त किया कि वह विद्यार्थियोंको प्रेरित कर उनमें त्याग करनेकी इच्छा और शक्ति भर दे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २७-२-१९३१

३०७. धरना

मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी हेतुको ठीक उसी हदतक चोट पहुँचती रहती है, जिस हदतक हिंसा द्वारा उसका समर्थन किया जाता है। जो दिखलाई दे रहा है, मैं यह बात उसके विपरीत कह रहा हूँ। यदि मैं एक आदमीको, जो मेरे काममें रुकावट डाल रहा है, मार डालूँ तो मुझे मिथ्या सुरक्षाके भावका अनुभव हो सकता है। लेकिन वह सुरक्षा अल्पकालिक होगी, क्योंकि उससे बाधाका मूल कारण हल नहीं होता। कुछ समय बाद निश्चय ही मेरे काममें रुकावट डालनेवाले और लोग उठ खड़े होंगे। इसलिए मेरा काम उस आदमी या आदमियोंको मार डालना नहीं है जो मेरे काममें रुकावट डालते हैं, बल्कि उस कारणका पता लगाना है जो उन्हें रुकावट डालनेपर बाध्य करता है; और मुझे उस कारणसे ही निबटना चाहिए। इसी तरह व्यक्तिको लोगोंके विदेशी वस्त्र बेचनेके कारणको समाप्त करना चाहिए, न कि उन लोगोंपर हिंसापूर्ण हाथ डालने चाहिए जो उस वक्त विदेशी वस्त्रके व्यापारी हों। कारण तो सतहपर ही है। जब तक विदेशी वस्त्र खरीदने-वाले लोग हैं, तब तक व्यापारी भी रहेंगे। इसलिए हमें उन खरीदनेवाले लोगोंसे अपनी बात पूरी करानी चाहिए। यदि हम केवल इस मूल तथ्यको पहचान लें, तो हम ज्यादासे-ज्यादा जोर उन गाँवोंमें काम करनेपर देंगे, जहाँके लाखों लोगोंको विदेशी वस्त्र खरीदने जाना पड़ता है। लेकिन मेरी इस बातका यह मतलब तो कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम शहरों और व्यापारियोंकी ओरसे उदासीन रह सकते हैं। मेरे सुझाये तरीकेमें केवल न तो निराश होनेकी जरूरत है, न हिंसाके थोड़े भी उपयोगकी ही। इसके अलावा यदि मेरे तरीकेपर पूरी तरह अमल किया जाये, तो उसमें सफलताकी सम्भावनाएँ निश्चित हैं और इस तरह किया हुआ काम हुल्लड़बाजीका रूप तो कभी नहीं ले पायेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अहिंसा और सत्यसे बँधे हुए हैं। इन दो प्रकाश-स्तम्भोंकी दिशामें दृढ़तासे चलते रहकर और उनका सान्निध्य साधकर प्रयत्न करनेसे हम किनारेपर पहुँच जायेंगे; इस तरह यथासम्भव कमसे-कम समयमें लोगोंको शिक्षित कर सकेंगे और साथ ही उससे हमें कठिन परिस्थितियोंमें प्रभावशाली तरीके खोज लेनेमें मदद भी मिलेगी। जो लोग इसपर विश्वास रखते हैं, वे यदि देखेंगे कि कुछ व्यापारी कांग्रेसके निर्देश और अपेक्षाएँ पूरी नहीं कर रहे हैं, तो भी वे हताश नहीं होंगे। ऐसी निराशाओंका उपयोग अपने पारस्परिक संगठनको निर्दोष बनाने और अपने दोषोंका पता लगानेमें किया जाना चाहिए, और विश्वास तो कभी नहीं खोना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २६-२-१९३१

३०८. पत्र : रैहाना तैयबजीको

१ दरियागंज, दिल्ली
२६ फरवरी, १९३१

प्रिय रैहाना,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने दो ही दिन पहले धरनेपर एक लेख[1] 'नवजीवन' के लिए लिखा है और उसमें यह लिखा है कि तुम्हारा अनशन आदर्श और धरना बिलकुल सही था। उसका कारण तो सीधा है। दोनों पक्षोंके बीच स्नेहका एक बन्धन होना चाहिए। तुम्हारे मामलेमें यह बन्धन था। उन लोगोंको मालूम था कि पाटनवासी तुम्हें उस परिवारके सदस्यके रूपमें जानते हैं जिसने पूरे राज्यके अन्य लोगोंके साथ पाटनके लोगोंकी भी सेवा की है। वह बन्धन कभी विच्छिन्न नहीं हो पाया था। इसलिए तुम्हें उनको समझानेका पूरा हक था और बात न माननेपर तुम्हें अनशन करनेका उसी तरह हक था, जैसे कि तुम्हें उस दशामें अपने माता-पिताके विरुद्ध अनशन करनेका हक होगा जब तुम्हारे विचारानुसार वे गलत रास्तेपर जा रहे हों और तुम्हारी बात न सुनते हों। यह बात काफी हदतक सच हो सकती है कि पाटनके व्यापारियोंने अपना माल बन्द किया सो तुम्हारे प्रति आदरकी भावनासे उतना नहीं, जितना कि क्रुद्ध जनताके भयसे। ऐसा बहुत सम्भव है। लेकिन किसी कार्यके गुण-दोषका विवेचन करते समय इसका खयाल करना जरूरी नहीं है। 'गीता' की भाषामें हमारा कर्त्तव्य तो मात्र कर्म करना है, फलकी चिन्ता करना नहीं। यदि उद्देश्य और कर्म शुद्ध हैं तो उससे निकलनेवाले विविध परिणामोंके लिए करनेवाला उत्तरदायी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि तू बात समझ गई होगी। यदि जरूरी लगे तो फिर लिखना।

यहाँ सब बातें अभीतक अनिश्चित हैं, लेकिन सत्याग्रहीके लिए क्या एक ही कदम काफी नहीं है? हमें 'दूरका दृश्य देखने' वाला नहीं बनना चाहिए।

सस्नेह,

बापू

कुमारी रैहाना तैयबजी
द्वारा श्री डाह्याभाई हीरालाल देसाई
बैंक ऑफ बड़ौदाके समीप
मेहसाना

अंग्रेजी (एस० एन० ९६२९) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "क्या नहीं करना चाहिए?", १-३-१९३१।

३०९. भाषण : सीसगंज गुरुद्वारा, दिल्लीमें[1]

२६ फरवरी, १९३१

इस गुरुद्वारेकी पवित्र सीमाओंके अन्दर पुलिसने गोली चलाई, उसका विवरण मैंने दुःखके साथ अपनेसे पहले वक्ताके[2] मुखसे सुना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसपर मुझे भी आप लोगोंकी तरह दुःख और रोष है। लेकिन यहाँ भी मैं वही कहूँगा, जो मैंने ननकाना साहबके हत्याकाण्डके समय सिख भाइयोंसे १९२१ में अबुल कलाम आजादके साथ ननकाना साहब जानेपर कहा था। मैंने कहा था कि हम आज किसी एक गुरुद्वारेके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उससे बड़े गुरुद्वारेके लिए जो हम सबकी पवित्र थाती है, संघर्ष कर रहे हैं अर्थात् हम पूर्ण स्वराज्यके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूर्ण इसलिए कि वह सभीके लिए समान रूपसे होगा। राजाके लिए, किसानके लिए, अमीर-जमींदारके लिए, खेतिहर-हल चलानेवालेके लिए, हिन्दुओंके लिए और मुसलमानोंके लिए, पारसियोंके लिए और ईसाइयोंके लिए और जैन, यहूदियों और सिखोंके लिए भी। उसमें जात-पाँत, धर्म या धनके कारण कोई भेदभाव नहीं होगा। पूर्ण स्वराज्य शब्दके अर्थसे ही और उसे हासिल करनेके उपायों, सत्य और अहिंसासे, जिनके लिए हम वचनबद्ध हैं, ऐसी सम्भावनाका पूरी तरह निराकरण हो जाता है कि उस स्वराज्यसे कुछ लोगोंको दूसरोंकी अपेक्षा ज्यादा लाभ होगा या कि वह किसीके प्रति पक्षपातपूर्ण और किसी अन्यके प्रति विरोधपूर्ण होगा। सत्य और अहिंसामें धोखाधड़ी या छल-प्रपंचके लिए कोई स्थान नहीं रहता। कांग्रेसने संसारका ध्यान इसलिए आकर्षित किया है क्योंकि उसने स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए ऐसे तरीके अपनानेका संकल्प किया है जो अबतक किसी राष्ट्रने नहीं अपनाये हैं। अबतक संसार केवल एक ही तरीकेसे परिचित था और वह है शारीरिक शक्तिका प्रयोग। लेकिन यह भारत तथा संसारके लिए सौभाग्यकी बात है कि भारतने अपनी स्वतन्त्रता पानेके लिए सत्य और अहिंसाका साधन अपनाया है। इतिहासमें ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता और जिस संसारने इसे संशयात्मक दृष्टिसे देखना शुरू किया था वही आज साँस रोककर भारतके महान् अहिंसात्मक प्रयोगको देख रहा है। शारीरिक युद्धमें प्रवंचना और धोखाधड़ीके लिए भी स्थान होता है, लेकिन अहिंसामें सत्य और न्यायके अलावा अन्य सभी हथियारोंका त्याग करना पड़ता है। इसलिए इस तरीकेसे मिलनेवाला स्वराज्य कभी किसी बड़ी या छोटी जातिका अधिकार हड़पकर हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि देशके कमजोरसे-कमजोर व गरीबसे-गरीब लोगोंके साथ भी एक बराबर न्यायपूर्ण और उचित व्यवहारके

१. यह "ईश्वर और हमारे बन्धन" शीर्षकके अन्तर्गत "संक्षिप्त अनुवाद" के रूपमें छपा था।

२. दलबन्तसिंहने ६ मई, १९३० को हुई गोलीबारीका विवरण सुनाया था।

पक्के आश्वासनसे हासिल हो सकता है। और यदि ऐसा है तो फिर कांग्रेस एक बच्चेका भी हक कैसे छीन सकती है।

अहिंसाकी खूबी यह है कि उसकी सुरक्षा उसके भीतर ही निहित रहती है।

मैं यह कह सकता हूँ कि कांग्रेसने अहिंसाका जो सिद्धान्त अपनाया है, वह उसकी नेकनीयतीका सबसे पक्का प्रमाण है और हमारे सिख भाइयोको उसकी ओरसे विश्वासघात होनेके भयका कोई कारण नही है। क्योकि यदि कांग्रेस विश्वास भंग करती है तो वैसा करके न केवल वह अपनी कब्र खोदेगी, बल्कि देशकी प्रतिष्ठा भी खो देगी। फिर सिख तो बहादुर लोग है। यदि कभी ऐसा मौका आ ही जाये तो वे अपने हककी रक्षा हथियारोके प्रयोगसे भी करना जानते है।

सरदार मधुसूदनसिंहने अपने भाषणमें यह आश्वासन माँगा है कि कांग्रेस ऐसा कोई काम नही करेगी जिससे सिखोंकी सहानुभूति कांग्रेसके साथ न रहे। जहाँतक उसका सवाल है, कांग्रेसने अपने लाहौर-अधिवेशनमें एक प्रस्ताव पास किया था कि अल्पसंख्यकोंके सवालके सम्बन्धमें वह ऐसा कोई समझौता स्वीकार नही करेगी जिससे किसी भी अल्पसंख्यक समुदायको सन्तोष न होता हो। मेरी समझमें नही आता कि आपको आश्वस्त करनेके लिए कांग्रेस इससे ज्यादा और क्या आश्वासन दे सकती है।

राष्ट्रीय झंडेमें सिखोंका रंग भी शामिल करनेका सवाल उठता है। इस सम्बन्धमें कांग्रेसको कोई दोष नही दिया जा सकता। मौजूदा नमूनेका सुझाव मैंने दिया था। कांग्रेसने तो औपचारिक रूपसे उसको स्वीकार भी नही किया है। मैंने सिख दोस्तोंसे कहा था कि यदि वे मुझे अपने विचार बता दें तो मैं अ० भा० कां० कमेटीके सामने उनका दृष्टिकोण रख दूंगा। लेकिन हुआ यह कि अ० भा० का० कमेटीकी उसके बाद बैठक ही नही हो सकी और कोई नही जानता कि कब हो पायेगी अथवा हो भी पायेगी या नहीं। इस समय कार्य-समिति सरकारकी कृपासे जेलसे बाहर है। इस समय जब कि कांग्रेस खुद अपने अस्तित्वके लिए संघर्ष कर रही है, यह विवाद उठाना ज्यादा न कहें, तो भी एक अशोभनीय कार्य होगा। यदि आप सहायता नही कर सकते, तो कमसे-कम रुकावट तो न डालें।

भारतके कई हिस्सोंमें, जैसे कि बम्बई और दिल्ली आदि जगहोमें, सिखोने कांग्रेसको ईमानदारीसे और निःस्वार्थ रूपसे सहयोग दिया है। लेकिन इन बहादुर लोगोने झंडेके सवालपर कभी चिन्ता नही की है। झंडेको लेकर विवाद अधिकतर वे ही लोग कर रहे है जो वर्तमान आन्दोलनसे अलग रहे है। कोई भी बहादुर आदमी दूसरे पक्षको उसके कामके लिए श्रेय अवश्य देता है। आप ऐसा विश्वास क्यो नही कर सकते? यदि कांग्रेस बादमें धोखाधडी करे तो निश्चय ही आप उससे अच्छी तरह निबट सकते है, क्योंकि आपके हाथोमें कृपाण है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि सन्देह और अविश्वास त्याग दें और स्वतन्त्रताके पवित्र यज्ञमें पूरे मनसे कूद पडें। आप देखेंगे कि जब आप बड़ेसे-बड़ा त्याग करनेको तैयार है, तब आप किसी आश्वासनका माँगना हेय समझेंगे। तब अन्य लोग आपको अपने अधिकारोंके संरक्षकके रूपमें देखेंगे और आपका काम उनकी आशाएँ पूरी करना होगा। मैं 'ग्रन्थ साहब' का बहुत

आदर करता हूँ। उसकी कई बातें हमारी बोलचालकी भाषाका अंश बन गई है। जहाँतक मैंने उसे समझा है, वह आस्था, शौर्य तथा सत्य और न्यायकी अन्तिम विजयमें अटूट विश्वासकी भावना भरता है। मैं चाहूँगा कि आप उससे प्रेरणा और निर्देश प्राप्त करें।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी बातपर और कांग्रेसके प्रस्तावपर विश्वास कीजिए कि वह एक भी व्यक्तिके साथ विश्वासघात नही करेगी, फिर जातिकी तो बात ही क्या है। यदि वह कभी ऐसा करनेका विचार भी करेगी, तो अपने ही विनाशको पास ले आयेगी। स्वतन्त्रताकी वेदीपर आत्म-बलिदान करनेको कृतसंकल्प कोई भी राष्ट्र विश्वास-भंगका दोषी नही हो सकता। मेरा जीवन एक खुली पुस्तक सरीखा रहा है। न मेरे पास कोई बात छिपानेको है, और न मैं दूसरोंको कुछ छिपानेके लिए कहता हूँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने सभी सन्देह और शंकाएँ बताकर मन हल्का कर लीजिए और मैं यथासम्भव उनका समाधान करनेका प्रयत्न करूँगा। इससे अधिक और क्या कहूँ? मैं इससे अधिक और कह भी क्या सकता हूँ कि ईश्वर उस बन्धनका साक्षी हो जो मुझे और कांग्रेसको आपसे बाँधता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-३-१९३१

३१०. भेंट : वाइसरायसे

२७ फरवरी, १९३१

मैं आज श्री गांधीसे फिर मिला। मैंने आगे आनेवाली संवैधानिक चर्चाओंके विस्तार-क्षेत्रका हवाला देते हुए बातचीत शुरू की — जिसके सम्बन्धमें मैंने कहा: अगली चर्चाओंका उद्देश्य है गोलमेज परिषदमें चर्चित भारतकी संवैधानिक सरकारकी योजनापर आगे विचार करना। वहाँ योजनाकी जो रूपरेखा दी गई है उसमें संघ अनिवार्य अंग है। इसी तरह भारतीय उत्तरदायित्व और संरक्षणके प्रश्न हैं, जिनके बारेमें प्रधानमन्त्रीने स्पष्ट किया है कि वे [प्रश्न] रक्षा एवं विदेशी मामलोंपर सम्राटका नियन्त्रण, अल्पसंख्यकोंकी स्थिति, भारतकी आर्थिक साख, और उत्तरदायित्वोंका निर्वाह जैसे मामलोंको निश्चित करनेके लिए आवश्यक हैं। संघ, उत्तरदायित्व और संरक्षणोंके आधारभूत सिद्धान्तोंको कार्यान्वित करनेके लिए किस तरह और किस रूपमें व्यवस्था की जाये, इस बातपर विचार-विमर्श किया जाना है।

इसपर उन्होंने अपनी सहमति प्रगट की।

तब कर्जकी अदायगीकी जाँच करनेके बारेमें उन्होंने जो प्रश्न उठाया था, मैंने उसका उल्लेख करते हुए कहा कि परमश्रेष्ठकी सरकारके विचारमें इससे भारतकी

साख गिर जायेगी; इसलिए उनके लिए यह सम्भव नहीं है कि वे भारतीय ऋणकी जाँचके लिए सहमत हों, और जहाँतक किन्हीं विशेष आरोपोंका सम्बन्ध है, परमश्रेष्ठकी सरकारके लिए यह सम्भव नहीं है कि इस बातको ठीक-ठीक जाने बिना कि इनका सम्बन्ध किस बातसे है, वे अपनी राय जाहिर कर दें।

इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि वे कुछ विशेष विषयोंकी चर्चा करना चाहेंगे; मगर वे कौन-से विषय हैं, इनकी वे ठीक-ठीक व्याख्या नहीं कर सकते, न करना ही चाहते हैं। फिर भी उदाहरणके तौर पर उन्होंने युद्धमें १०० लाख पौंडके उपहारका उल्लेख किया। मैंने उन्हें कहा कि मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि परमश्रेष्ठकी सरकारको, जो-कुछ उन्होंने कहा है, उसकी जानकारी दे दूँ और मुझे इस बातमें तो कोई शक नहीं है कि परमश्रेष्ठकी सरकारको इस निर्णयको अपने हाथमें रखनेकी पूरी छूट होनी ही चाहिए कि यदि कोई विशेष मामले उठाये जायें तो वह उन्हें कैसे निबटायें। इसका उन्होंने यह उत्तर दिया कि परमश्रेष्ठकी सरकारकी स्थितिको समझते हुए भी वे यह अवश्य स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि उठाये गये प्रश्नोंपर परमश्रेष्ठकी सरकारका रुख ऐसा हुआ जिसे कांग्रेस स्वीकार न कर सके तो वे सम्मेलनकी कार्यवाहीमें भाग लेना अस्वीकार कर देनेका कांग्रेसका अधिकार सुरक्षित रखेंगे।

उन्होंने कहा कि उनका ऐसा खयाल या इच्छा नहीं है कि इस विषयपर कोई सार्वजनिक घोषणा की जाये।

दूसरे जिस मामलेका मैंने हवाला दिया वह था सम्बन्ध-विच्छेद। इसपर, जैसा कि मैं पहली भेंटमें स्पष्ट कर चुका था, मैंने उनसे कहा कि मैं वर्तमान परि-स्थितिमें इस प्रश्नको केवल सिद्धान्तकी एक बहस मानता हूँ और यद्यपि मैं मानता हूँ कि वे चाहे तो इसे उठा सकते हैं, परन्तु इस इच्छाको सार्वजनिक रूपसे प्रकट करनेका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे उनके अपने हितकी हानि होगी। वह इससे सहमत हो गये।

इसके बाद हमने पुनः शान्ति स्थापित हो जानेकी दशामें उठनेवाले व्यावहारिक प्रश्नोंकी ओर ध्यान दिया। मैंने यह बात स्पष्ट कर दी कि सरकारकी ओरसे किसी भी तरहकी प्रतिक्रियाका होना सविनय अवज्ञा आन्दोलनको प्रभावकारी ढंगसे रोक दिये जानेपर निर्भर करता है। मेरे सामने जो स्मरण-पत्र था, उसमें दी गई विभिन्न गतिविधियोंको मैंने ब्योरेवार उनके सामने रखा और मैंने उसकी प्रति उन्हें भेजनेका वादा किया।

फिर उन्होंने कुछ विशेष मामलोंको लेकर कई-एक मुद्दे उठाये; वे बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं थे और काफी चर्चाके बाद यह स्थिति सामने आई कि उन विषयोंके अलावा तीन बातोंमें बड़ी भारी — उनके शब्दोंमें दुस्तर (अनसरमाउन्टेबिल) कठिनाई प्रतीत होती थी। ये थे धरना, पुलिस ज्यादतियोंकी जाँच और नमक।

इनमें से एक-एकपर मैंने स्मरण-पत्रमें जैसा विवरण दिया गया है, सरकारका रुख बताया और कहा कि मैं सरकारके उससे अधिक कुछ कर सकनेकी कोई आशा नहीं दिला सकता।

उन्होंने इन तीनों मुद्दोंपर उसी प्रणालीसे बहस की जो कई घंटोंकी चर्चाके बाद अबतक परिचित बन चुकी है। उन्होंने कल मुझे एक नोट[1] भेजनेका वायदा किया और कहा कि वे उसमें धरनेके बारेमें उनके मनमें क्या है, सो ठीक-ठीक लिखकर देंगे। मैंने कहा, मैं उसके निकलनेपर इस विषयपर विचार करूँगा। परन्तु मेरी समझमें उसका मेरे विचारपर कोई असर पड़नेकी सम्भावना नहीं दिखती। मेरा यह विचार है कि धरनेके विषयमें शान्तिपूर्ण तरीकेसे बात मनवानेके पक्षमें कुछ भी न्यायसम्मत तर्क क्यों न हो, पिछले महीनेके समूचे अनुभवसे तो यही मालूम होता है कि इस कल्पनाका व्यावहारिक तथ्योंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और इससे निःसन्देह दुर्व्यवहार और हिंसाको प्रेरणा मिलती है। हमारे पास इस बातके पर्याप्त उदाहरण हैं। जहाँतक पुलिसके व्यवहारकी जाँच और नमकका सम्बन्ध है, उनके बारेमें स्पष्ट ही उनके मनमें असन्तोष रहा।

मैंने वादा किया कि मैं उन सब मुद्दोंपर, जिनकी चर्चा की गई है, एक नोट भेजूँगा और उसमें सरकारकी स्थिति स्पष्ट करूँगा। उसे देखकर वे, आगे कोई मुलाकात लाभदायक हो सकती है या नहीं, इसपर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे यह बात मुझपर ही छोड़ेंगे। मैंने उनसे यह अनुरोध करते हुए बात समाप्त की कि वे अपने प्रभावका उपयोग शान्तिके पक्षमें करें। इसके जवाबमें उन्होंने यह कहा कि वे भी शान्ति चाहते हैं; परन्तु जब उनके मनमें दुविधा रहती है तब वे 'लीड काइंडली लाइट' और 'वन स्टैप इनफ फार मी' का सहारा लेते हैं।[2]

(ह०) इर्विन

अंग्रेजी (जी० एन० ८९४९) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "टिप्पणी: धरना देनेके सम्बन्धमें", २८-२-१९३१।

२. यह विवरण इस कथनके साथ समाप्त होता है: "सारी बातचीतके दौरान उनका रुख बड़ा सख्त रहा और मेरे मनमें स्पष्ट धारणा यह बनी कि औचित्यकी आड़में या तो वे धोखा दे रहे थे या उन्होंने निश्चय कर रखा था कि जबतक उनकी सारी शर्तें पूरी न की जायें, उनकी मंशा मामले निपटानेकी नहीं थी।"

३११. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको

२७ फरवरी, १९३१

गांधी-इर्विन वार्ता[1] शामके छः बजे समाप्त हुई। एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे भेंट करते हुए श्री गांधीने कहा:

मुझे कोई वक्तव्य नही देना है। हो सकता है कि वाइसरायके निवास-स्थानसे वक्तव्य जारी किया जाये।

प्रश्न: क्या आप बातचीतसे सन्तुष्ट हैं?

यह तो भविष्यपर निर्भर है।

क्या बातचीत फिरसे जारी की जायेगी?

हाँ, की जा सकती है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २८-२-१९३१

३१२. टिप्पणी: धरना देनेके सम्बन्धमें

२८ फरवरी, १९३१

शान्ति स्थापित हो जानेपर विदेशी वस्त्रों और शराब तथा मादक द्रव्योंकी दुकानोंपर धरना देना अनाक्रामक होगा और यद्यपि सफल होनेपर उसके राजनैतिक परिणाम तो होंगे ही, फिर भी धरना मुख्यतः सामाजिक और नैतिक उद्देश्योंसे ही दिया जायेगा, जैसा कि वह पहले उस समय था जब राजनैतिक परिणामोकी बात नही सोची गई थी और न वैसा कोई इरादा ही था। इसलिए ज्यादातर वह गाँवोमें ही सीमित रहेगा और शहरोमें भी बेचनेवालोंपर उतना ध्यान नही दिया जायेगा, जितना कि खरीदनेवालोपर। इसलिए विशेष रूपसे वह शिक्षाप्रद ही होगा। और न घेरा डाला जायेगा और न भीड़ ही इकट्ठी होगी जब कि इस समय ये धरनेकी मुख्य विशेषताएँ हैं। जनमतकी अवहेलना करके जो लोग विदेशी वस्त्र बेचनेका आग्रह करेंगे उनके विरुद्ध कोई क्रोधपूर्ण प्रदर्शन नही होंगे। स्वाभाविक है कि धरना सर्वथा शान्तिपूर्ण ढंगसे और इस तरह दिया जायेगा कि आम लोगोंको अड़चन न हो, और वह सामान्य कानूनके विरुद्ध नही होगा।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३३४) की फोटो-नकलसे; सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी; तथा जी० एन० ८९५० से भी।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

३१३. पत्र : वाइसरायको

दिल्ली
२८ फरवरी, १९३१

प्रिय मित्र,

मेरा खयाल था कि आप उन मुद्दोंपर जिन्हें आपने कल प्रस्तुत किया था, अपनी टिप्पणी मुझे भेजेंगे और उसके बाद मुझे धरने देनेके सम्बन्धमें अपनी टिप्पणी भेजनी होगी। लेकिन चूँकि आज काफी देर हो गई है, मैं और अधिक इन्तजार किये बगैर ही धरनेके सम्बन्धमें यह टिप्पणी[1] पत्रके साथ भेज रहा हूँ।

यदि मुझे पहले ही यह बताया जा सके कि कल मेरे आनेकी जरूरत होगी या नहीं तो अच्छा होगा। मै यह बात अभी जाननेको इसलिए उत्सुक हूँ कि यदि मुझे वाइसराय-भवनपर आना हो तो मुझे कल अपने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमको मुल्तवी करना पड़ेगा।

आपका,

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३३३) की फोटो नकलसे; सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी; तथा जी० एन० ८९५० से भी।

३१४. क्या नहीं करना चाहिए?

शराब और विदेशी वस्त्रकी दूकानोंपर धरना देते समय मेरी रायमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए, सो नीचे लिख रहा हूँ :

१. व्यापारी या ग्राहकको भला-बुरा न कहें; उनके साथ किसी भी प्रकारसे असभ्यताका व्यवहार न करें।

२. दूकान या गाड़ीके आगे न लेटें।

३. 'हाय-हाय' के नारे न लगायें।

४. पुतले न निकालें और उन्हें जलायें या दफनायें नहीं।

५. जिन लोगोंका बहिष्कार किया जाये, उन्हें भोजन-पानी या दूसरी जरूरतोंसे वंचित रखनेकी कोशिश करना गलत है; स्वयं उनके यहाँ खाने न जायें और उनसे किसी प्रकारकी सेवा न लें। उनकी सेवा किस हदतक की जा सकती है, इस प्रश्नपर विचार करें।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

६. चाहे कैसी स्थिति हो, उनके विरुद्ध उपवास न करें। यह उपवासकी सामान्य नीति है। दो पक्षोंके बीच समझौता हो जाये और फिर यदि अन्य पक्ष निर्णय या नीतिके विरुद्ध काम करे तब उपवास करे; जैसा रैहाना वहनने पाटनमें किया था।

कहा जा सकता है कि ऐसे मर्यादित धरनेसे शराव या विदेशी वस्त्रका वहिष्कार सफल नही हो सकता। तो उसके लिए मेरा कहना यह है कि यदि मर्यादामें रहनेसे वहिष्कार निष्फल होता है तो हो। जो ऐसी शंका उठाते है, उनके विषयमें यही कहा जा सकता है कि उन्हें अहिंसाकी अनिवार्य सिद्धिपर पूरा विश्वास नही है। ये दोनो काम वहनोको सौप देनेमें मन्शा ही अहिंसाका [पूरा-पूरा] पालन था। यदि हम अहिंसाके वातावरणको वनाये रख सकें तो मेरा विश्वास है कि थोडे ही समयमें हम दोनो वहिष्कारोमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसके विपरीत यदि हम मर्यादा छोड़ दें तो तात्कालिक परिणाम चाहे कितना सुन्दर दिखाई दे, किन्तु अन्तमें हममें ईर्ष्या-द्वेपका जहर ही फैलेगा और आपसी झगडा वढेगा। और यदि हम गृह-युद्धमें फँस गये तो वहिष्कार भी विफल होगा और स्वराज्य तो केवल स्वप्न ही सिद्ध होगा। इसीलिए मुझे आशा है कि सभी लोग मेरी सलाहको जानकार एक वद्यकी सलाहकी तरह मानते हुए उसका पालन करेंगे। मेरी सलाहमें निहित विधि-निपेध, दोनोकी रक्षा करने पर भी यदि वहिष्कार सफल न हुआ तो उसकी असफलताका वोझ मुझपर रहेगा ही, यह मै जानता हूँ। मै यह वोझ उठानेके लिए तैयार हूँ।

खादी और विदेशी वस्त्रका वहिष्कार

पिछले छः महीनोंके आन्दोलनको जैसे-जैसे देख रहा हूँ, वैसे-वैसे समझमें आ रहा है कि हम कहाँ-कहाँ भ्रममें पड़े है। आजकल कई जगहोसे खादीके विरोधमें स्वदेशीकी आवाज सुनाई दे रही है। "हम स्वदेशी अर्थात् मिलका कपडा पहनते है"—ऐसा कहकर कई अपने आपको कृतार्थ मानते है। किन्तु दीर्घ-दृष्टिसे देखें तो मालूम होगा कि खादीकी अवगणना करके जो लोग देशी मिलोंका कपडा पहनते है वे खादी और देशी मिलो, दोनोको हानि पहुँचाते है। क्योकि खादीके विना [विदेशी वस्त्रका] वहिष्कार असम्भव है। और यह इसलिए कि हिन्दुस्तानमें जितने कपड़ेकी आवश्यकता है, उसका ५० प्रतिशत वाहरसे आता है। हमारी देशी मिले इतना कपड़ा थोड़े समयमें नही वना सकती। यह काम तो खादीके द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि खादी उत्पन्न करनेकी हमारी शक्तिका आधार केवल हमारी इच्छा ही है। जैसे कि जव हम भाकरी या भात वनाना चाहते है तो उसे वाहरके या देशके कारखानोमें नहीं पकवाते, उसी तरह यदि हम आज इच्छा करे तो जितनी चाहे उतनी खादी वना सकते है। यदि यह वात समझमें आ जाये तो खादीकी अवगणनासे देशी मिलको भी किस तरह नुकसान होता है, यह समझ लेना सरल है। केवल देशी मिलोंके सहारे वहिष्कार सफल नही हो सकता। इसलिए यदि विदेशी वस्त्र देशी मिलोंके वस्त्रके साथ जोरदार स्पर्धा करे तो देशी मिलोको हानि पहुँचे विना

न रहेगी। यह अनुभव आजतक कई वार हो चुका है। इसलिए जो विना विचारे देशी मिलका कपड़ा पहनकर सन्तोष मान लेते हैं, वे अपने आपको धोखा देते हैं और वहिष्कार-आन्दोलनको नुकसान पहुँचाते है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि कांग्रेसका सन्देश जिनतक पहुँच गया है वे खादीका ही उपयोग करेंगे। उनके लिए स्वदेशीका अर्थ है शुद्ध खादी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १-३-१९३१

३१५. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

दिल्ली

२८ फरवरी/१ मार्च, १९३१

चि० गंगावहन,

यह पत्र जब पहुँचेगा तबतक तो तुम्हारे छूटनेकी बात पुरानी हो जायेगी। फिर कभी कपड़ोंको लहूसे रंगना पड़े तो रंग लेना। कुकुम या सिन्दूरके रंगसे यह रंग ज्यादा अच्छा है। आशा है कि तुम जेलके अनुभवोंके बारेमें पत्र लिखोगी।

हम मिलेंगे कि नही, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता।

रविवार, प्रातःकाल

ऊपरका पत्र तो कल लिखाया था। आज तुम्हारी इच्छासे सम्बन्धित तार देखा। मैं तो सभीसे मिलनेके लिए अधीर हो रहा हूँ। बुधवारतक यहाँसे रवाना होनेकी उम्मीद तो है। किन्तु कौन जानता है, क्या होगा? निकल सके तब भी ठीक है, पकड़े गये तब भी। पकड़ लिया जाऊँ और नही मिल सकूँ तो बिलकुल चिन्ता न करना। मुझसे सब-कुछ पूछनेकी जरूरत नही है। और ईश्वरकी इच्छा होगी तो हम मिलेंगे ही।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७७३)की प्रतिसे।

सौजन्य : गंगावहन वैद्य

३१६. भेंट वाइसरायसे

१ मार्च, १९३१

आज दोपहर बाद श्री गांधी मुझसे मिलने आए। उनके आनेसे पहले ही उनके उठाये कई मुद्दोंपर सतर्कताके साथ विचार करनेके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँच चुका था कि मेरी समझसे तो मामूली महत्त्वके और प्राविधिक मुद्दोंके अलावा मुख्यतः तीन ऐसे सैद्धान्तिक विषय थे जिनके सिलसिलेमें कोई गुंजाइश देना बिलकुल ही सम्भव नहीं है। वे मुद्दे तीन हैं: धरना और बहिष्कार; पुलिसकी ज्यादतियोंकी जाँच-पड़ताल; और नमक। इसके अनुरूप ही मैंने अपनी बातचीत इस दृढ़ निश्चयके साथ आरम्भ की थी कि कुछ भी हो जाये, मुझे पुलिसके सवालको लेकर बातचीत टूटने नहीं देनी चाहिए जिसपर मुझे पूरी आशंका थी कि श्री गांधी बातचीत तोड़नेकी कोशिश करेंगे। मैंने इसीके मुताबिक श्री गांधीके साथ वह ज्ञापन पढ़ना शुरू किया जो मैंने उनको पिछले दिन ही भेजा था और आग्रह किया था कि वे मुझे बता दें कि सरकारी दृष्टिकोणसे वे किन-किन मुद्दोंपर असहमत हैं। थोड़ी-सी देर बाद बहिष्कारके प्रश्नपर बातचीतकी प्रगति एकदम रुक गई और इस विषयके बारेमें प्राविधिक मुद्दोंपर मेरी अपेक्षा अधिक विस्तारसे बात करनेके लिए मैंने श्री गांधीकी सहमतिसे गृह-सचिव श्री एमर्सनको बुला लिया। कुछ इधर-उधर की चर्चाके बाद ऐसा लगा कि श्री गांधी शायद इसके लिए सहमत हो जायेंगे कि वे अपनी समूची शक्ति इस एक ही माँगपर केन्द्रित करें कि विदेशी वस्त्रों और मालके स्थानपर भारतीय वस्त्रों और मालका ही प्रयोग हो और उस स्थितिमें वे ब्रिटिश-मालके बहिष्कारको त्याग देंगे और बहिष्कारको एक राजनीतिक अस्त्रके रूपमें प्रयोग नहीं करेंगे। तब व्यापारियोंको पूरी छूट रहेगी कि वे इस सम्बन्धमें किये गये प्रतिबन्धात्मक करारोंको रद्द कर दें और उनपर किसी भी प्रकारकी जोर-जबर्दस्ती नहीं की जायेगी।

धरनोंके प्रश्नपर भी हमारी लम्बी बातचीत हुई। हम दोनोंने अपने-अपने दृष्टिकोणोंका फिरसे खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वे तो इतना ही चाहते हैं कि पूर्णतः शान्तिपूर्ण धरने दिये जाते रहें जो देशकी सामान्य विधिके अनुसार सर्वथा वैध हैं। मैं अपनी इसी रायपर कायम रहा कि उनके सामान्य विधिसम्मत अधिकार कुछ भी हों और उनका तर्क कितना भी विश्वासोत्पादक क्यों न हो, वर्तमान परिस्थितियोंमें धरना शान्तिपूर्ण रह ही नहीं सकता। लोगोंमें इतनी अधिक उत्तेजना है कि धरनोंका रूप इतनी आसानीसे और शीघ्रतासे बदल सकनेकी जो बात आप सोचते हैं, वह सम्भव ही नहीं है। उन्होंने बड़ी स्पष्टवादिताका परिचय दिया

और कहा कि वे कांग्रेस-कमेटीके साथ इस बातकी चर्चा चलाते रहे हैं और जहाँ भी धरने विधिवत न चल रहे हों वहाँ वे उनको बन्द कराने जा रहे हैं। और उन्होंने बिलकुल दो-टूक शब्दोंमें कहा कि वे इन मामलोंमें अपने आदेशका पालन करवा सकते हैं। हमने यहाँ यह पता लगानेके लिए कि अन्य बातोंमें हम एक-दूसरेसे कितने-कुछ सहमत हो सकते हैं, इस मुद्देकी चर्चा यहीं छोड़ दी और आगे बढ़ गये।

इसके बाद हमने पुलिसकी चर्चा आरम्भ की। इसके बारेमें उन्होंने कहा कि ज्ञापनमें जो सूत्र सुझाया गया है, वह नितान्त असन्तोषजनक है और वे इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने कहा कि उनकी दलीलको मैं महत्त्व देता हूँ; और यह इसलिए कि मेरा खयाल है कि उनको यह लगा होगा कि कुछ खास मामलोंके बारेमें उनके पास इतने अच्छे सबूत होनेपर भी मेरे सूत्रमें स्थानीय सरकारोंको यह छूट दे दी गई है कि वे चाहें तो इस आधारपर आगे जाँच करानेसे इनकार कर सकती हैं कि वास्तविक परिस्थितिकी उनको पहलेसे जानकारी है। दूसरी ओर यदि मैं उनकी इस अत्यन्त उचित बातको स्वीकार कर लेता तो उसका मतलब यह होता कि या तो मैं असंख्य मामलोंको लेकर भारतभरमें जाँच-पड़तालोंकी भरमारका एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दूँ जिसमें हर कोई पुलिससे बदला लेनेकी कोशिशमें लग जाता या फिर मुझे इस तरहकी कोई बात कहनी पड़ती कि वे दो या तीन कुछ मामले नमूनेके तौरपर चुन लें और उनकी जाँच करा दी जाये। ऐसा कहना संसारके सामने यह स्वीकार करनेके बराबर ही होगा कि वे चन्द मामले आमतौर पर पुलिसकी मौजूदा बर्बरताकी चुनी हुई कुछ मिसालोंमें से हैं। इसीलिए मैंने उनसे कह दिया कि चूँकि मैं इनमें से किसी भी विकल्पको स्वीकार नहीं कर सकता और चूँकि हम दोनों ही सचमुच शान्ति चाहते हैं, इसके देखते हुए क्या यह बेहतर नहीं रहेगा कि यह माँग बिलकुल ही छोड़ दी जाये? आदमीकी बुद्धि ऐसा कोई नुस्खा सोचकर नहीं निकाल सकती, जो इस समस्याका काफी हदतक कोई ठीक समाधान कर सके। निस्सन्देह ऐसा कोई सूत्र या नुस्खा सम्भव भी नहीं था। स्थिति यह थी कि मुझे इस बातका आभास तो देना ही था कि मैं उनको कुछ ऐसी रियायतें देने जा रहा हूँ, जिनके बारेमें मुझे मालूम है कि स्थानीय सरकारें उन्हें ये रियायतें देनेके पक्षमें नहीं हैं। वे इस किस्मकी दलीलोंसे काफी प्रभावित हुए और कुछ बातचीत करनेके बाद उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस माँगपर आग्रह त्यागनेके बारेमें सोच रहे हैं। आगे कुछ और बातचीतके बाद हमने इसके मुताबिक एक मूल सूत्रका[1] मसविदा तैयार किया, जो इस प्रकार था कि उन्होंने कुछ विशेष आरोपोंकी ओर सरकारका ध्यान आकर्षित किया था परन्तु सरकार उनकी विशेष तौरपर जाँच नहीं कराना चाहती क्योंकि सरकारके विचारमें उससे शान्ति-स्थापनाकी दिशामें कोई

१. देखिए परिशिष्ट ७, पैरा ८।

मदद नहीं मिलेगी। इन सभी बातोंको ध्यानमें रखते हुए श्री गांधीने अपनी माँग पर आग्रह नहीं किया। मसविदा वे अपने साथ लेते गये फिर भी मुझे आशा है कि हम दोनों उसपर सहमत हो ही जायेंगे।

इसके बाद हम नमकके प्रश्नपर आए। इसके बारेमें हमने उन मुद्दोंपर ही चर्चा की जिनपर पहले कर चुके थे। इसे उन्होंने जितनी कि मुझे आशा थी, उससे कहीं ज्यादा महत्त्व दिया। और मैं समझता हूँ कि यह मुख्य रूपसे आत्माभिमानकी मिथ्या धारणा ही थी। मैंने उनसे कहा कि हम कानून तोड़नेवालोंको सार्वजनिक तौरपर माफी नहीं दे सकते। उसका मतलब तो गलत तत्त्वोंको अत्यधिक प्रोत्साहन देना होगा और फिर इस कानूनको रद्द करके हम वर्तमान आर्थिक परिस्थितियोंमें राजस्वकी हानि भी नहीं उठा सकते। मैं इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए बिलकुल तैयार था कि यदि नियमित रूपसे आदेश जारी करके रद्दोबदल सम्भव होता, तो मैं कानूनके कार्य-पालक प्रशासनमें इस उद्देश्यसे थोड़ी रद्दोबदल करनेको कह सकता था कि कुछ क्षेत्रोंके निवासियोंको प्राप्त विशेषाधिकार अन्य क्षेत्रोंके निवासियोंके लिए भी सुलभ बना दिये जायें। लेकिन यह मामला ऐसा है जिसके बारेमें मुझे जितनी जानकारी है, उससे कहीं ज्यादा जानकारी अपेक्षित थी, इसीलिए मैंने सुझाव दिया कि वे शुस्टरसे मिल ले। उन्होंने कहा कि शुस्टरसे मिलकर उन्हें खुशी होगी और वे उनसे मंगलवारको मिलेंगे। इस हलके सम्भाव्य उपायोंमें से एक जो मैंने उनको सुझाया वह यह था कि वर्तमान नमक-समितिके विचारार्थ विषयोंका क्षेत्र बढ़ा दिया जाये और उनमें वे विषय शामिल कर लिए जायें जिनमें उनकी विशेष दिलचस्पी हो और जिनके बारेमें वे समितिको साक्ष्य दे सकें। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि ऐसा कर दिया जाये, तो सरकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सहानुभूतिसे विचार करेगी। मैं समझता हूँ कि नमकके सवालपर उन्हें सन्तुष्ट करनेके लिए कुछ रियायत देना शायद जरूरी होगा। मैं भली-भाँति समझता हूँ कि यह प्रश्न उनके सविनय अवज्ञा आन्दोलनके आरम्भके साथ सार्वजनिक रूपसे इतना अधिक एकाकार हो चुका है कि इस सिलसिलेमें कोई भी रियायत देनेकी बातपर मानसिक रूपसे तैयार होनेमें बड़ी कठिनाई पड़ेगी, उस पर तरह-तरहकी आपत्तियाँ की जायेंगी। काफी-कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यह किया कैसे जाता है; परन्तु मैं इस कोरी सिद्धान्तवादितामें विश्वास नहीं करता कि नमकका प्रश्न एक ऐसी लक्ष्मण-रेखा है जिसका अतिक्रमण हमें किसी भी हालतमें नहीं करना चाहिए, फिर उसके कारण समझौतेकी बात ही क्यों न टूट जाये।

इसलिए यहाँतक चर्चा करनेके बाद हमारे समझौतेकी यह स्थिति बन चुकी थी:

पुलिसके प्रश्नपर अत्यन्त ही आशानुकूल; धरने और नमकके प्रश्नोंपर अनिश्चित, परन्तु चाहें तो आगे-पीछे हटनेके लिए काफी गुंजाइश थी।

इसके मुताबिक मैंने सुझाव दिया कि वे दोपहरके भोजनके बाद फिर आयें और धरनेके सम्बन्धमें जो भी प्रस्ताव रखना चाहें, उनके वास्तविक विवरणके सम्बन्धमें एमर्सनसे चर्चा करें। यदि हो सका, तो मैं भी उनकी चर्चामें शामिल हो जाऊँगा।

दूसरी भेंट: ९.३० रात्रि, १ मार्च, १९३१

रातके ९-३० बजे मैं श्री गांधी और एमर्सनकी चर्चामें शामिल हुआ। मैंने देखा कि एमर्सन उस वक्ततक जैसे-तैसे श्री गांधीको बहिष्कारका प्रयोग एक राजनीतिक अस्त्रके रूपमें छोड़ देने और कपड़ा-व्यापारियोंको अपनी इच्छानुसार कार्य करनेकी पूरी स्वतन्त्रताका आश्वासन देनेकी बात तक ले आये थे। ये काफी ठोस उपलब्धियाँ दिखती हैं। धरनेके प्रश्नपर हम बड़ी देरतक चर्चा करते रहे। अन्तमें मैंने उनसे कहा कि दिनमें पहले मैंने जो कहा था वही सिलसिला जारी रखते हुए मैं आग्रह करता हूँ कि आप इस किस्मका समाधान स्वीकार कर लें कि वक्तव्यमें यह बात कह दी जाये कि शान्तिपूर्ण धरने वर्तमान सामान्य वैधानिक अधिकारकी परिधिमें आ जाते हैं; सरकारने इस सामान्य वैधानिक अधिकारपर कोई आपत्ति नहीं उठाई है, परन्तु देशकी परिस्थितियोंको देखते हुए श्री गांधी और कांग्रेस दो महीनों या छः हफ्तोंकी अवधितक अपने सामान्य वैधानिक अधिकारोंका इसलिए स्वयं ही कोई प्रयोग नहीं करना चाहते कि गत बारह महीनोंके दौरान शान्तिपूर्ण धरनोंको जिस रूपमें इस्तेमाल किया गया है, वे अपने आपको निश्चित तौरपर उस प्रकारके धरनोंसे अलग करना चाहते हैं, क्योंकि वह उनकी शान्तिपूर्ण धरना देनेकी स्वतन्त्रतासे मेल नहीं खाता। श्री गांधीने यह स्पष्ट कहा कि यदि कांग्रेस धरनोंका वांछित शान्तिपूर्ण स्वरूप बनाये रखनेमें असफल रही तो उससे निपटनेके लिए सरकार जो भी कदम उठायेगी, उसपर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और हमें श्री गांधीसे यह कहनेका भी अधिकार होगा कि वे धरने वापस ले लें। वे स्वयं भी लगभग ऐसा ही करना चाहेंगे। उन्होंने वादा किया कि वे मेरे सुझावपर विचार करेंगे और कहा कि वे नहीं समझते कि ऐसा कोई सूत्र तैयार करनेमें कोई बड़ी कठिनाई होगी जिसपर हम दोनों राजी हो सकें। मैं उनसे काफी कुछ सहमत हूँ; यद्यपि मैं तो चाहूँगा कि धरनोंसे सदाके लिए छुटकारा मिल जाए, फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि यदि धरनोंको राजनीतिक अस्त्रके रूपमें इस्तेमाल करनेकी कोशिश नाकाम कर दी जाये, और धरने मात्र आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित कर दिये जायें तो वे तीन हफ्तोंमें दम तोड़ देंगे। मेरे पास आनेवाले और इसके बारेमें मुझसे बात करनेवाले सभी भारतीयोंकी यही पक्की राय है।

मैंने उनसे कहा कि मैं नमकके प्रश्नके बारेमें शुस्टरके साथ कल उनका सम्पर्क करा दूँगा। इसके बाद उन्होंने ज्ञापनमें उल्लिखित अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण ऐसे विभिन्न विषयोंकी चर्चा की, जिनकी ओर उनके सहयोगियोंने उनका ध्यान आकर्षित किया

था। अतिरिक्त पुलिसके विषयमें उन्होंने कठिनाइयाँ सामने रखीं, जिन्हें मैं समझता हूँ कि हल करना कठिन हो सकता है; परन्तु हम इसपर वार्त्ताभंग नहीं करेंगे।

वल्लभभाई पटेलने गुजरातकी कुछ विशेष कठिनाइयाँ सामने रखी थीं। परन्तु मैं समझता हूँ कि उनको भी हल किया जा सकता है; तो स्थिति इस प्रकार रही :

१. हमें धरनेकी समस्याका सही समाधान पाना है जो मुझे यकीन है, मिल सकता है।

२. हमें उनको इस बातपर सहमत करना है कि वे नमक सम्बन्धी मुद्दोंको वर्तमान समितिके क्षेत्राधिकारमें शामिल कर देनेसे सन्तुष्ट हो जायें; या हमें यह देखना है कि क्या हम इसके बारेमें उनको किसी दूसरे तरीकेसे सन्तुष्ट कर सकते हैं।

३. उन्हें यह निश्चय करना है कि वे पुलिसके प्रश्नके बारेमें दी गई हमारी सफाईको किसी ऐसे रूपमें स्वीकार कर लें, जो हमारी स्थितिके अनुरूप हो।

मैं समझता हूँ, आशा की जा सकती है कि हम इन मुद्दोंको सुलझानेमें सफल हो सकेंगे और यदि हम ऐसा कर सके, तो स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो जायेगी। हाँ, कर्जोंके बारेमें उनके रुखका प्रश्न अवश्य बाकी रह जायेगा, जिसके बारेमें मुझे भारत-मन्त्रीको तार भेजना ही चाहिए। मेरा विश्वास है कि जब सचमुच समझौता-वार्त्ताके लिए हम आमने-सामने बैठेंगे, तब इस प्रश्नका समाधान पाना भी इतना अव्यावहारिक सिद्ध नहीं होगा। सप्रू बड़े स्पष्ट स्वरमें कह रहे हैं कि जब वे वास्तवमें मेजके गिर्द सामने बैठकर चर्चा आरम्भ करेंगे, तो वे इसे भी सुलझा ही लेंगे या कमसे-कम इतना तो कर ही लेंगे कि इसके परिणाम आपत्तिजनक न हों। अब रह जाता है – 'चर्चाके क्षेत्रका प्रश्न,' – जिसपर उन्होंने सम्राट्की सरकारका सूत्र स्वीकार कर लिया है और सम्बन्ध-विच्छेदका प्रश्न, जिसके सम्बन्धमें भी उन्होंने वह सूत्र स्वीकार कर लिया है जो मैंने उन्हें पढ़कर सुनाया था और जिसकी सूचना भारत-मन्त्रीको पहले ही दे दी गई है। वे नहीं चाहते कि कर्जों और सम्बन्ध-विच्छेदके इन दोनों विषयोंके सम्बन्धमें सार्वजनिक रूपसे कोई वक्तव्य दिया जाये।

(ह०) इर्विन

अंग्रेजी (जी० एन० ८९५२)की फोटो-नकलसे।

३१७. टिप्पणी

[२ मार्च, १९३१][1]

मैं चाहता हूँ कि मैंने कल जो कहा था तुम अक्षरशः उसका वही अर्थ लो। ऐसा लगता है कि तुम अपने आपको एकाकी और विरक्त जैसा महसूस करते हो। ऐसा नही होना चाहिए। मेरी शक्तिका आधार तुम हो। मैं जो-कुछ कर रहा हूँ, उसमें तुम्हारा सक्रिय सहयोग चाहता हूँ और वैसा सहयोग मैं तवतक नही पा सकता जवतक कि तुम आलोचना नही करते, रद्दोवदल या सुधार करनेका सुझाव नही देते या मुझसे असहमति आदि नही प्रकट करते। तुम्हारे पास पूरा एक दिन है। इन टिप्पणियोंपर विचार करनेके लिए इस समयका पूरा उपयोग करो। मैंने अवतक भाषाकी चिन्ता नही की थी। लेकिन प्रार्थनाके वाद मैंने भाषापर अच्छी तरह विचार किया है। भाषामें किये गये परिवर्तनों सहित टिप्पणियोंपर विचार करो; यहाँतक कि जहाँ तुम उनके सारसे सहमत हो, वहाँ भी शब्दोके सम्वन्धमें सुझाव दो। जाँचके सम्वन्धमें वाइसरायके मसविदेपर भी विचार करो। मैंने कुछ परिवर्तन[2] किये हैं। व्यक्तिगत रूपसे इस सुझावके सारसे, जिसका उल्लेख पहले मैंने ही कठिनाइयोंके सम्भाव्य हलके रूपमें किया था, सहमत हूँ।

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल संख्या ३२९, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

३१८. पर्चा: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, ते० ब० सप्रू० और मु० रा० जयकरको[3]

नई दिल्ली
३ मार्च, १९३१

आपको जाना नही चाहिए। आपकी उपस्थिति यहाँ अनिवार्य है। अभी कई कठिनाइयाँ हल करना बाकी है।

[अंग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, ५-३-१९३१

१. मौनवारकी यह टिप्पणी कार्य समितिकी १ मार्चकी बैठकमें अस्थायी समझौतेपर हुई बातचीतके बाद जवाहरलाल नेहरूको लिखी गई लगती है। ४ मार्च, १९३१ को हुई बैठकमें समझौतेका अनुमोदन कर दिया गया। अस्थायी समझौतेके मूल पाठके लिए देखिए परिशिष्ट ६; उसपर जवाहरलाल नेहरूकी टिप्पणीके लिए देखिए परिशिष्ट ५।

२. अस्थायी समझौतेके खण्ड ८ में।

३. दिल्लीसे जानेकी इच्छा व्यक्त करते हुए उनकी एक पर्चीके जवाबमें।

३१९. भेंट: वाइसरायसे

[३ मार्च, १९३१][1]

मैं कल श्री गांधीसे फिर मिला। श्री गांधीके अनुरोधपर हमारी बातचीतके दौरान एमर्सन भी उपस्थित थे]।

अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण विषयोंसे चर्चा आरम्भ करके हम उन जमीनोंको वापस कर देनेकी बाततक पहुँचे, जो दूसरे लोगोंको बेची जा चुकी थीं। उन्होंने सरकारका यह दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया कि यदि जमीनें उनके असली मालिकोंको लौटाई जानी हैं, तो यह काम उन खरीदारोंको ही करना चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि जबतक सरकारी अधिकारियोंकी सहानुभूति प्राप्त नहीं होगी, तबतक इस काममें वास्तविक कठिनाई आयेगी। मैं इस मतपर दृढ़ बना रहा कि भारत सरकारको बम्बई सरकारपर किसी तरहका भी दबाव डालनेके लिए मना किया गया है और बम्बई सरकार कुछ करनेमें बड़े हीले-हवाले करेगी; परन्तु भारत सरकार इस मामलेमें निष्पक्ष रहेगी और यह खरीदारोंपर ही छोड़ देगी कि वे जो कुछ कर सकते हों, करें। उन्होंने इसपर बिलकुल कोई सन्तोष जाहिर नहीं किया और कहा कि वल्लभभाईने स्पष्ट ही शंका व्यक्त की है कि जबतक इसके लिए कोई रियायत नहीं दी जाती, तबतक वे गुजरातमें समझौतेको कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे। बहरहाल, मैंने उन्हें बता दिया कि अपना मत बदलना मेरे अपने अधिकारसे बाहरकी बात है।

अतिरिक्त पुलिसके सवालको हल कर लिया गया। हम अन्तमें इस बातपर सहमत हो गये कि राशिके प्रश्नको उसी तर्कसंगत आधारपर हल किया जाये, जिस पर जुर्मानोंकी माफी की जाती है (अर्थात् वसूल की हुई राशि तभी वापस की जाये जब वह अपेक्षित राशिसे ज्यादा हो। परन्तु जो राशि वसूल की हो न गई हो, उसे बट्टे-खातेमें डाल दिया जाए)। इसके बाद हम बहिष्कार और धरना देनेकी बातपर आए। मैंने उनपर बड़ा जोर डाला कि वे या तो (अ) अशान्ति और साम्प्रदायिक भावनाका कारण सामने रखकर स्वेच्छासे धरना देना बिलकुल ही छोड़ दें या (आ) सरकारके साथ यह करार कर लें कि एक निश्चित अवधि तक कहीं धरना नहीं दिया जायेगा। वे दोनोंमें से कोई भी बात माननेको तैयार नहीं थे। पर उन्होंने मुझे अत्यन्त विश्वासभरे स्वरमें आश्वस्त किया कि इस मामलेमें मैं उनके और कांग्रेसके शब्दोंपर भरोसा रखूं। धरनोंका रूप ऐसा नहीं होगा जिसपर किसीको आपत्ति हो सके। उनका तो इतना ही मन्शा था कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ होनेसे पहले जो स्थिति थी उसपर लौट जायें। हो सकता है कि धरने, आन्दोलन शुरू

१. रिपोर्ट ४ मार्चको तैयार की गई थी।

होनेसे पहले जितने दिये जाते थे, उससे कुछ ज्यादा दिये जाएँ; क्योंकि लोग स्वदेशीके बारेमें अब ज्यादा रचनात्मक ढंगसे सोचने लगे हैं; परन्तु वे इस बातकी गारंटी दें सकते हैं कि किसी प्रकारका हस्तक्षेप, डराने-धमकाने या इस तरहकी कोई और बात नहीं होगी। काफी वाद-विवादके बाद हम समझौतेमें शामिल किये जानेवाले बहिष्कार और घरने सम्बन्धी सूत्रपर आए। मैं समझता हूँ कि यह सूत्र खास कमजोर नहीं है। यह दोनों पक्षोंको काफी कस देता है, और कांग्रेस वचनबद्ध हो गई है कि यदि इसका किसी तरह भी दुरुपयोग हो तो वह एकदम सारा आन्दोलन स्थगित कर देगी।

हमें पुलिस सम्बन्धी सूत्र निश्चित करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने एक-दो शाब्दिक परिवर्तन ही किये और मेरी समझमें उससे कुल मिलाकर सुधार ही हुआ। इस सिलसिलेमें हुई हमारी संक्षिप्त चर्चाके दौरान, उन्होंने एक रहस्य प्रकट कर दिया और अब मैंने भी महसूस कर लिया है कि उनके साथ पेश आनेका यही सबसे अचूक तरीका है। उन्होंने कहा: "आप या श्री एमर्सन जब अपने बढ़ियासे-बढ़िया तर्क देते हैं तब मुझपर उनका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, परन्तु जब आप कहने लगते हैं कि सरकार एक कठिन परिस्थितिमें पड़ गई है और मेरी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकती, तब मुझे लगता है कि आपके आगे हथियार डाल दूँ।" पुलिस सम्बन्धी चर्चाका इतिहास बिलकुल यही था।

हमारी चर्चाका अन्तिम विषय था नमक, जिसके सम्बन्धमें उनकी शुस्टरसे सुबह बातचीत हो चुकी थी और वे एक कामचलाऊ सूत्रपर पहुँच चुके थे। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि दोपहर ढलने लगी और ऐसा दिखाई देता था जैसे कि वे शामके खानेके लिए जल्दी करने लगे हैं, क्योंकि सूर्य छिप जानेके बाद वे खाना नहीं खा सकते। इसीलिए उनसे पूछा वे क्या चाहते हैं कि इसके बारेमें क्या किया जाए। अन्तमें यह निर्णय किया गया कि मीराबाई (कु० स्लेड) उनका भोजन यहाँ ले आएँ। ऐसा ही किया गया। मैं उनसे मिलनेका बहुत इच्छुक था। उनके बारेमें मैंने बहुत-कुछ सुन रखा था। स्पष्ट ही मैंने देखा कि उनके (गांधीजीके) प्रति उनकी गहरी श्रद्धा है और उनके सान्निध्यमें ऐसा अनुभव होता था मानो हम एकाएक किसी दूसरी दुनियामें पहुँच गये हों।

चर्चाधीन सारे विषयोंको हम समाप्त नहीं कर सके और इसीलिए मैंने गांधीजीसे कहा कि वह ९ बजे फिर आएँ और एमर्सनके साथ जहाँतक हो सके, मुद्दोंकी चर्चा आगे बढ़ाएँ। मैंने वायदा किया कि मैं एक प्रीतिभोज खत्म होनेके बाद आकर देख लूँगा कि कितनी–क्या प्रगति हो रही है।

बादकी भेंट: रातके ९ बजे

मैं उनकी बातचीतमें १०-३० बजे फिर शामिल हुआ और मैंने पाया कि वक्तव्यका आज जो स्वरूप है उसके बारेमें वे काफी कुछ सहमत हो चुके थे।

शब्दोंमें काफी परिवर्तन करके दुबारा मसविदा तैयार करना पड़ा; इसमें वक्त लग गया। परन्तु पुलिस-जांचकी बात खत्म होने और ब्रिटिश मालका बहिष्कार वापस ले लेनेके बारेमें सहमत हो जानेपर हमने सर्वाधिक बुनियादी कठिनाईको पार कर लिया।

नमकके बारेमें जितनी मैं चाहता था, उससे ज्यादा रियायत हमने दी है; परन्तु मैं समझता हूँ कि इससे और कम रियायत दिये बिना काम नहीं चल सकता था। हमारी वार्त्ता इस तरह पूरी हुई। वृद्ध पुरुष मुझे भरोसा दे रहे थे कि वे संविधानके निर्माणमें सहयोग करनेके प्रयत्नमें अपना समूचा हृदय और आत्मिक बल लगा देंगे; और हालाँकि उनको महसूस हो रहा है कि इस निर्णयसे एक बहुत ही भारी दायित्व उनके ऊपर आ गया है, पर वे अपने पूरे मनसे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर करे यह सफल हो। सदाकी भाँति इस बार भी उनके हृदयकी सचाईसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। एक प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने मुझसे कहा कि परिषदमें होनेवाली चर्चाके अन्ततक सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिरसे न शुरू करनेके बारेमें तो उनका मत बिलकुल दृढ़ है और ऐसी आशा भी मनमें है कि उसे शायद फिर कभी शुरू ही नहीं करना पड़ेगा।[1]

(ह०) इर्विन, ४-३-१९३१

अंग्रेजी (जी० एन० ८९५३)की फोटो-नकलसे।

३२०. पत्र : वाइसरायको

१ दरियागंज, दिल्ली
४ मार्च, १९३१

प्रिय मित्र,

मैं यह पत्र गुजरातमें बकाया करकी वसूलीके लिए बेची गई सत्याग्रहियोंकी जमीनके बारेमें लिख रहा हूँ। आपपर कामका बहुत ज्यादा भार है इसलिए इस मामूली दिखनेवाले कामके विषयमें आपको लिखनेका मुझे बहुत खेद है। लेकिन मुझे लगता है कि हालमें हुए समझौतेकी सफलता इसीपर निर्भर है। सरदार वल्लभभाईने मुझे बताया है कि समझौतेपर पूरी तरहसे अमल करनेकी इच्छा होते हुए भी कांग्रेसका जिम्मेदारी निभाना उन्हें तबतक सर्वथा असम्भव लगता है जबतक कि जमीनें अपने असली मालिकोंको वापस नही दे दी जाती। मैं अच्छी तरहसे जानता हूँ कि भारत सरकारके प्रमुखके नाते आप पहले दिये गये वचनके कारण इस मामलेमें दखल नही दे सकते, किन्तु जिस समझौतेके लिए इतने धैर्यपूर्वक अथक परिश्रम

१. भारतमंत्रीको भेजे वाइसरायके चर्चाके निष्कर्षके बारेमें अहवालके लिए देखिए परिशिष्ट ७।

किया गया हो, उसे सफलताके साथ सम्पन्न करवानेके इच्छुक एक अंग्रेजके नाते आप शायद न्यायकी दिशामें अपने प्रभावका उपयोग कर सकते हैं। इससे आप समझौतेका मार्ग निष्कंटक बनानेमें सहायक होंगे। श्रीमती गंगाबहनने, जिनके बारेमें मैं पहलेके पत्रव्यवहारमें आपको लिख चुका हूँ और जो खेड़ा-जिलेके बोरसद तालुकेमें काम करती रही हैं, मुझे बताया है कि रासमें, जिसके आस-पास वे सामाजिक कार्य कर रहीं थी, जमीन धारालाओंको कौड़ियोंके दाम बेच दी गई और इन धारालाओंने पुराने मामलतदारके उकसानेपर और उनके साथ मिलकर छलपूर्वक उस जमीनको खरीद लिया। यदि ठीक जाँच हो तो मैं तथाकथित साँठगाँठको साबित करनेकी जिम्मेदारी लेना चाहूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस वक्त मुझे जहाँतक हो सके, तफसीलके बारेमें एक भी शब्द नही कहना चाहिए। मुझे लगता है कि सब जमीनें कौड़ियोके दाम बेची गई थी। इस बातको तत्काल मान लिया जायेगा। कमसे-कम यह तो माना ही जायेगा कि इस तरह जमीनें उठाकर दे देना स्थानीय अधिकारियोंकी बुद्धिहीनताकी चरम सीमा थी।

इसलिए इस कठिनाईको पार करनेमें आप जितनी भी मदद कर सकते हों उतनी मददका मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। मुझे विश्वास है कि कोई ऐसा हल निकाल सकनेमें आप बम्बई-सरकारका सहयोग पानेके लिए यथासम्भव सभी कुछ करेंगे, जिससे फिर शान्ति स्थापित हो सके ताकि सरदार वल्लभभाई और मैं समझौतेको सफल बना सकें।[1]

आपका,

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३३५) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

३२१. भेंट: वाइसरायसे

४ मार्च, १९३१

श्री गांधी १२ बजे आये। हमारे बीच जो समझौता सम्पन्न हुआ उसके ब्योरेवार मसविदे और उसकी कार्यान्वितिके लिए इस्तेमाल किये जानेवाले तरीकोंके बारेमें ही मुख्यतः उन्होंने एमर्सनके साथ दो या तीन घण्टे बातचीत की। मैंने इन चर्चाओंमें भाग नहीं लिया, परन्तु तीसरे पहर मैं थोड़ी देरके लिए उनसे उस पत्रके[2] सिलसिलेमें मिला था जो उन्होंने गुजरातकी जमीनोंके बारेमें मुझे लिखा था।

पत्रका मुद्दा यह था कि जबतक मैं उन्हें ऐसा आश्वासन नहीं दे देता कि बेची हुई जमीनें कभी किसी अनिर्दिष्ट अवधिके बाद उनके मालिकोंको अवश्य लौटा दी जायेंगी तबतक वह समझौता नहीं कर सकते। दुःखकी बात यह है कि वह बात

१. इसके सम्बन्धमें इर्विनके विचारोंके लिए देखिए अगला शीर्षक।
२. देखिए पिछला शीर्षक।

उनके मनमें एक ऐसे नैतिक संकोचका रूप ले चुकी थी जो संसारकी अन्य सभी चीजोंसे अधिक महत्त्व रखती हैं। वे इस आशयकी एक सूचना पाकर परेशान थे कि रास गाँवकी कुछ जमीन एक बेईमान मामलतदारने अनुचित तथा अन्यायपूर्ण ढंगसे धारालाओंको बेच दी थी। उनकी सूचनाके अनुसार, ऐसा जानबूझ कर किया गया था जिससे कि पाटीदारोंसे बदला लिया जा सके क्योंकि धारालाके लोग उनके जन्मजात शत्रु है। जो मैं पहले भी कई बार उनसे कह चुका था, मैंने फिर वही कहा कि हमारे नोटमें कहा गया है कि जहाँतक सरकारका सम्बन्ध है, ये सौदे अन्तिम समझे जाने चाहिए; इसलिए मै बम्बई-सरकारके प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हूँ कि मै इसी स्थितिको स्वीकार किये रहूँ। मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि इन वचनोंके औचित्यकी अवहेलना करके मैं एक ऐसे मामलेमें बम्बई-सरकारपर दबाव डालूँ जिसके लिए मैंने सरकारको अपना समर्थन देनेका आश्वासन दिया था। उन्होंने इसका औचित्य महसूस कर लिया; परन्तु कहा कि उनकी कठिनाई किसी-न-किसी तरह जरूर दूर की जाए। मैंने उन्हें बताया कि ऊपर बतायी गयी स्थितिको मै नहीं बदल सकता और न मैं उनके सुझावके अनुसार समझौतेके वक्तव्यमें उस बय शुदा जमीनका कोई हवाला देनेसे ही चूक सकता हूँ। वैसा करनेसे अनिवार्यतः यही ध्वनि निकलेगी कि यह प्रश्न अनिर्णीत छोड़ दिया गया है और सरकारका इसके प्रति कोई निश्चित रुख नहीं है। ज्यादासे-ज्यादा मै इतना ही कर सकता हूँ कि मै सर फ्रेडरिक साइक्सको एक पत्र लिख दूँ जिसमें इस मामलेके बारेमें श्री गांधी मुझे जो भी वक्तव्य देना चाहें, उसके प्रति उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे कहूँ कि वे निजी तौर पर एक न्यायपूर्ण समाधान निकालनेका प्रयास करें। यद्यपि मुझे आशा नहीं है कि सर फ्रेडरिक साइक्स ऐसा हल ढूँढ़ निकालनेमें सफल होंगे जिससे मामलेका निबटारा हो जाये, तो भी मै यह करनेपर राजी हो गया। किसी भी हालतमें ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि तत्काल कुछ किया जा सके। परिस्थितियाँ बदल जानेपर जब सब-कुछ शान्त हो जाएगा, तब यदि कुछ सूरत निकल आये तो दूसरी बात है। श्री गांधीने कहा कि सवाल हल करनेमें कितना वक्त लगता है, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं, परन्तु वह उनके मनमें इतनी ज्यादा चुभ रही है कि किसी समझौतेके बिना वह खेड़ा-जिलेमें एक रिसते हुए जख्मकी तरह बनी रहेगी और वे इस स्थितिको कभी भी सन्तोषके साथ स्वीकार नहीं कर पायेंगे।

बात हमने यहीं छोड़ दी और मै एक उद्यान-समारोहमें शामिल होने चला गया। वहाँ मैं सप्रू, जयकर, शास्त्री, पुरुषोत्तमदास और रहीमतुल्लासे मिला। मैंने उन्हें कठिनाई बताई और उनसे अनुरोध किया कि वे समझौतेको टूटनेसे बचानेके लिए गांधीजी पर पूरा-पूरा दबाव डालें।

सप्रू, शास्त्री और जयकर एक यह वैकल्पिक सुझाव लेकर मुझसे मिलने रात १०-३० बजे आए —

१. कि हम वक्तव्यमें से पैराग्राफ निकाल दें।

२. कि हम बेची हुई जमीन वापस न करनेकी शर्त के रूपमें ये शब्द बीचमें डाल दें — "उचित और विधि-सम्मत ढंगसे बेची हुई।"

मैंने उनसे कह दिया कि ये दोनों ही बातें असम्भव हैं। लम्बी-चौड़ी बहसके बाद अन्तमें एक टिप्पणी[1] जोड़नेका सुझाव सामने आया और इस टिप्पणीको वह रूप मिला जो प्रकाशित वक्तव्यमें मौजूद है। ऐसा लगा कि इससे अपेक्षाकृत कोई हानि नहीं होगी; और वे १२-३० बजे (रात) इसे गांधीजी से स्वीकार करानेके लिए चले गए। बादमें उन्होंने इसे मान लिया। इस घटनासे मेरे मन पर ऐसी कुछ छापें पड़ीं:

१. बहुत जरूरी है कि नैतिक संकोचोंको बढ़नेके लिए और ज्यादा वक्त न दिया जाए। स्पष्ट है कि यद्यपि ऐसे संकोच अधिक सारभूत दिखाई नहीं पड़ते तो भी मनपर उनका बोझ और (असर) बहुत होता है।

२. हो सकता है कि कुछ जमीनें बेचनेके लिए अपनाए गए तरीकोंमें किये गये किसी गोलमालकी शिकायतमें सचाई भी हो; और फिर सचाई हो या न भी हो, इतना तो है ही कि पाटीदार गाँवोंके बीचों-बीच वांछित जमीनके मालिक बने धारालाओंकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। मुझे यह कल्पना कर लेनी चाहिए थी कि दो या तीन महीनोंके बाद यह सम्भव हो सकता है कि मैत्रीपूर्ण ढंगसे कुछ ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाये कि यथेष्ट मुनाफा देकर धारालाओंसे जमीन खरीद ली जाये या सम्भवतः ऐसी किसी और जगह जमीनें खरीदनेमें उनकी सहायता की जाये, जहाँ इतनी विकट कठिनाइयाँ पैदा न हों।[2]

अंग्रेजी (जी० एन० ८९५४)की फोटो-नकलसे।

३२२. पत्र : जी० कनिंघमको

१ दरियागंज, दिल्ली
४ मार्च, १९३१

प्रिय श्री कनिंघम,

आज दोपहर बाद महामहिम वाइसरायके साथ भेंटके समय मैंने जो एक नैतिक प्रश्न उठाया था, उसके सम्बन्धमें मैंने कार्य-समितिके साथ पूरी-पूरी चर्चा कर ली है। अन्तिम निर्णयकी जिम्मेदारी मेरे कन्धोंपर है। अपनी स्पष्ट मर्यादाओंके लिए मुझे महामहिमसे माफी अवश्य माँगनी चाहिए।

१. देखिए परिशिष्ट ६, १७ (सी) पैराके बादकी "टिप्पणी"।

२. यहां साधन-सूत्रमें ५ मार्चकी भेंटका वाइसराय द्वारा दिया गया वृत्तान्त है, जिसके लिए देखिए "भेंट: वाइसरायसे", ५-३-१९३१।

उस मामलेके सम्बन्धमें मैंने श्री एमर्सनको जो विकल्प सुझाया था उसे मैं दुहराता हूँ: 'बेची हुई' शब्दके साथ 'उचित और विधि-सम्मत ढंगसे' शब्द जोड़ दिये जायें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत-सरकार अनुचित और अवैध सौदोको संरक्षण नही देना चाहती।

यदि यह संशोधन महामहिमको ठीक न लगे, तो मैं इसी तरहके किसी दूसरे संशोधनपर विचार करनेको तैयार रहूँगा।

मुझे मालूम है कि सर्वश्री शास्त्री, सप्रू और जयकर इस विषयमें महामहिमसे मिलनेवाले हैं। इस विचाराधीन प्रश्नके हल होने तकके लिये मैं अपना वह पत्र[1] नही भेज रहा हूँ जो मैंने आज सुबह महामहिमको दिया था और जिसमें थोड़ा परिवर्तन करना है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३३६)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: इंडिया आफिस लाइब्रेरी

३२३. टिप्पणियाँ

स्वराज्य आत्मशुद्धि है

यह मेरे लिए और मैं आशा करता हूँ कि 'यंग इंडिया'के पाठकोके लिए भी बड़े हर्षका विषय है कि मोतीलाल श्राद्ध-दिवसपर[2] अनगिनत स्त्री-पुरुषोंने स्वराज्यके लिए आत्मशुद्धि करनेवाली प्रतिज्ञाएँ की। आत्मशुद्धिमें मेरे विश्वाससे मुझे लगता है कि यदि इन प्रतिज्ञाओंका पूरा-पूरा पालन किया गया तो हम अपने लक्ष्यके काफी निकट पहुँच जायेंगे। पत्रों द्वारा तथा अन्यथा मिली सूचनाओसे मुझे मालूम हुआ है कि जिन लोगोने प्रतिज्ञाएँ की हैं, उनमे सभी वर्गो और सभी धर्मोके स्त्री-पुरुष, बालक-बालिकाएँ शामिल हैं। इनमें कई हिन्दू, मुसलमान और ईसाई नाम तो मैं पहलेसे ही जानता था। जो प्रतिज्ञाएँ की गईं वे विभिन्न प्रकारकी थीं। कुछ लोगोने ब्रह्मचर्य-पालनकी प्रतिज्ञा की है, कुछने धूम्रपान न करनेकी और कुछने खादीके सिवा अन्य कोई कपड़ा न पहननेकी। पाठक मुझसे या स्वयं अपनेसे यह सवाल नही करें कि ये प्रतिज्ञाएँ स्वराज्य प्राप्तिमें कैसे सहायक हो सकती है। यह तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकनेवाला मामला नही है। संसारका अनुभव सिद्ध करता है कि जहाँ कहीं लोगोने जीवनमें पवित्रताको अपनाया, वहाँ स्वशासन याने दूसरे शब्दोमें स्वराज्य स्थापित हो गया। और करोडो लोगो द्वारा स्वशासन करोडो लोगोंका स्वराज्य है। इससे भिन्न स्वराज्य स्वराज्य नहीं मृग-मरीचिका है। गत बारह महीनोमें हमें

१. देखिए "पत्र: वाइसरायको", ४-३-१९३१।
२. फरवरी १५को; देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", ९-२-१९३१।

उत्तरोत्तर इस बातका अनुभव हुआ है कि मात्र वैयक्तिक शान्तिके लिए नहीं बल्कि राष्ट्रके सुखके लिए की जानेवाली शुद्धिके परिणामस्वरूप ऐसी सुख-शान्ति अवश्य मिलती है। सुखका अर्थ यहाँपर मानवीय प्रतिष्ठाका ऐसा जगरूक बोध और मानवकी स्वतन्त्रताकी ऐसी उत्कट अभिलाषा है, जिन्हें व्यक्ति केवल स्वार्थपूर्ण निजी आरामकी जरूरतें पूरी करने और भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिसे ज्यादा मूल्यवान समझता है और सहर्ष एवं तत्परतासे उन सब चीजोंका त्याग आत्माकी रक्षाके विचारसे करता है।

क्या मैं आत्मवंचना करता रहा हूँ?

एक मित्र लिखते हैं कि आप यह मानकर कि विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार मुख्यतया अहिंसाके जरिये किया गया है, आत्मवंचना करते आये हैं। मुझे इस आरोपको अस्वीकार करना ही होगा; क्योंकि हमारे धरनेमें जो हिंसाकी भावना आ गई है, उससे मैं अनभिज्ञ नही हूँ। मेरी रायमें हिंसापूर्ण धरनेसे काममें जितनी मदद मिलेगी वह न केवल अल्पकालिक सिद्ध होगी बल्कि उसकी ऐसी प्रतिक्रियाएँ होनेकी सम्भावना भी है, जिनकी हम सब निन्दा करेंगे। आचरणका यह एक ठीक सिद्धान्त है कि 'व्यवसाय और उसी-जैसे मामलोंमें कोई दबाव न डाला जाये।' धरना देना विश्वासके लिए, विचार-परिवर्तनके लिए मूल्यवान ही नही अनिवार्य रूपसे सहायक भी है। लेकिन जो आदमी धमकी या शारीरिक बल-प्रयोगके आगे झुक जाता है वह मन-ही-मन उससे चिढ़ जाता है और अपने पहलेके तौर-तरीकोंपर वापस लौट जानेके उपयुक्त अवसरकी प्रतीक्षा-भर करता रहता है और मौका मिलनेपर इसका बदला भी लेता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पाठक भी मेरी तरह यह विश्वास कर सकें कि हिंसा हर तरहसे नुकसानदेह है और अन्तमें हम विगतका उतना ही फल आत्मसात् कर सकेंगे जो हिंसाके बिना लोगोंके स्वेच्छापूर्वक कष्ट-सहनसे मिला होगा।

कुमारप्पा

मैं जानता हूँ कि अदालतके सामने श्री जे० सी० कुमारप्पाने जो वक्तव्य दिया है, उसपर पाठक गर्वका अनुभव करेंगे। जिस किसी व्यक्तिने भी उसे पढ़ा है, वह कह सकता है कि उन्हें जो दण्ड मिला, वे उसके योग्य नही थे। उनका त्याग एक नहीं, अनेक प्रकारसे शुद्ध और पूर्ण त्याग था।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-३-१९३१

३२४. कार्यसमितिका प्रस्ताव : अस्थायी समझौतेपर[1]

५ मार्च, १९३१

भारत-सरकार तथा कांग्रेसकी ओरसे महात्मा गांधीके बीच जो अस्थायी समझौता[2] हुआ है, उसकी शर्तोंपर विचार कर चुकनेपर कार्य-समिति उसका अनुमोदन करती है और सभी कांग्रेस कमेटियोंको उन शर्तोंके अनुसार तत्काल कार्यवाही करनेका निर्देश देती है। समिति आशा करती है कि जहाँतक इन शर्तोंका कांग्रेसकी विविध कार्यवाहियोंसे सम्बन्ध है, देश उनका पालन करेगा और उसका विचार है कि पूर्ण स्वराज्यकी दिशामें भारतकी प्रगति कांग्रेसकी तरफसे उठाई गई जिम्मेदारीको पूरी तरह निभानेपर ही निर्भर करती है।

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल सं० ३२९, १९३१। सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

३२५. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[3]

५ मार्च, १९३१

सबसे पहले तो मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जो समझौता हुआ है वह वाइसराय महोदयके अथक धैर्य और श्रमशीलता तथा उनके अनवरत शिष्ट व्यवहारके बिना कदापि सम्भव नहीं था। मैं जानता हूँ कि मेरी ओरसे यद्यपि अनजानेमें ही उनको क्षुब्ध करनेवाली बातें होती रही होंगी; मेरी बातोंसे अनेक बार वे ऊब भी गये होंगे, पर मुझे एक भी ऐसा अवसर याद नहीं आता, जब उन्होंने खीझने या धीरज खो बैठनेका कोई चिन्ह प्रगट किया हो। मुझे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि इतने नाजुक मामलेपर बातचीतके दौरान भी वह मुझसे हमेशा सब-कुछ साफ-साफ कहते रहे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर बिलकुल ही असम्भव न हो जाये, तो समझौता करनेका निश्चय कर लिया था। मुझे यह भी स्वीकार करना होगा कि मैंने बड़े ही संशय भावसे समझौतेकी बातचीत शुरू की थी। मेरे मनमें अविश्वास भी भरा था। पर वाइसरायने बातचीत शुरू होते ही मेरी आशंकायें दूर कर दी और मुझे आश्वस्त कर दिया। अपने विषयमें मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ

१. अनुमानतः इसका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था।

२. देखिए परिशिष्ट ६।

३. "समझौतेकी शर्तोंके सम्बन्धमें अमेरिकी और भारतीय पत्रकारोंकी सभामें प्रस्तुत वक्तव्य" के रूपमें प्रकाशित हुआ था।

जब कि मैंने पत्र लिखकर उनसे मुलाकात करनेकी इच्छा प्रगट की, मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि अगर किसी भी प्रकार सम्मानपूर्ण समझौता सम्भव हो, तो मैं किसीको अपनेसे उस प्रयत्नमें आगे न निकलने दूँगा। अतः मैं भगवानको धन्यवाद देता हूँ कि अन्तमें समझौता हो गया और देश कमसे-कम इस समय तो, और मैं तो मानता हूँ कि सदाके लिए, कष्ट और कुरबानीसे बच गया। समझौता न हो सकनेकी दशामें इसका परिमाण सैकड़ों गुना बढ़ जाता।

इस प्रकारके समझौतेमें यह नहीं कहा जा सकता — कहना उचित भी नहीं है कि अमुक पक्ष विजयी हुआ। अगर किसीकी विजय हुई ही हो तो मैं तो कहूँगा कि वह दोनों पक्षोंकी हुई है। कांग्रेसने तो विजय-प्राप्तिकी चेष्टा कभी नहीं की।

स्वभावतः कांग्रेसका एक निश्चित लक्ष्य है और उसे प्राप्त किये बिना उसके विजयी होनेकी बात ही नहीं उठ सकती। अतः मैं देशके सब भाई-बहनोंसे साग्रह अनुरोध करता हूँ कि अगर समझौतेकी शर्तोंमें उनके विचारसे गर्व करने लायक कुछ हो तो भी वे गर्व न करें, बल्कि भगवानके सामने विनयसे सिर झुकायें और कर्त्तव्य-पथपर चलनेके लिए बल तथा बुद्धि देनेकी प्रार्थना करें, फिर चाहे इस समय वह पथ कष्ट-सहनका हो या धर्यके साथ बातचीत और विचार-विमर्श करनेका।

अतः मैं आशा करता हूँ कि भारतके जिन लाखों स्त्री-पुरुषोंने पिछले १२ महीने इस कष्ट-सहनकी लड़ाईको चलाया है, वे अब सलाह-मशविरे तथा रचनात्मक कार्यके समय भी वैसी ही तत्परता, एकता और संगठन, उद्योगशीलता और बुद्धिमत्ताका परिचय देंगे, जो उन्होंने पिछले १२ महीनोंमें — जिसे मैं भारतके आधुनिक इतिहासका वीरगाथा-काल कहूँगा — भरपूर मात्रामें दिखाई है।

पर मैं जानता हूँ कि एक ओर जहाँ कुछ लोग इस समझौतेपर गर्वमें फूल उठेंगे, वहाँ दूसरी ओर ऐसे भी बहुतसे लोग हैं, जिन्हें इससे गहरी निराशा होगी, और हुई है।

वीरोचित कष्ट-सहन उनके जीवनका अनिवार्य अंग हो गया है। उन्हें कष्ट सहनेमें जो मजा मिलता है, वह और किसी बातमें नहीं मिलता। वे मुद्दतों असह्य कष्ट सहन करते रहेंगे, पर कष्ट समाप्त हो जानेपर उन्हें ऐसा मालूम होगा कि अब जिन्दगीमें कुछ काम ही नही रहा और लक्ष्य भी आँखोंसे ओझल हो गया है। उनसे मैं यही कह सकता हूँ कि भाइयो, धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए, भगवानसे प्रार्थना कीजिए और आशा बनाये रखिए।

कष्ट-सहनकी एक निर्दिष्ट सीमा है। कष्ट-सहन करना बुद्धिमानी भी हो सकती है और मूर्खता भी। एक परिस्थितिके बाद कष्ट-सहन गलती ही नहीं, हद दरजेकी नासमझी है।

जब विरोधी पक्ष आपकी अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्तिके सम्बन्धमें बातचीत करनेका रास्ता खोल रहा हो, उस समय कष्ट सहनेके रास्तेपर ही बढ़ते जाना बेवकूफी होगी। अगर सचमुच ऐसा रास्ता मिल रहा हो, तो उसका फायदा उठाना कर्त्तव्य है, और मेरी विनीत सम्मतिमें जो समझौता हुआ है, उससे ऐसा मौका मिल गया है। जैसा कि यह है, ऐसे समझौतेका अस्थायी होना अनिवार्य है। जो शान्ति स्थापित

हुई है, उसका कायम रहना कई और बातोंके हो जानेपर अवलम्बित है। इससे पहले कि कांग्रेस गोलमेज-परिषदकी बहसमें शरीक हो, और कितनी ही बातोका होना जरूरी है। इन बातोंको गिनानेकी अनिवार्य आवश्यकता थी; फलत: समझौतेका अधिकांश 'सन्धिकी शर्तोंसे' भरा पड़ा है। पर काग्रेसका लक्ष्य पुरानी शिकायतोका निराकरण नही है, यद्यपि वे भी महत्त्वपूर्ण हैं। काग्रेसका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है, जिसको अंग्रेजीके अनमने अनुवादमें 'कम्पलीट इडिपेंडेंस' (पूर्ण स्वाधीनता) कहा गया है।

राष्ट्र कहे जाने लायक दूसरे किसी भी राष्ट्रकी तरह भारतका यह जन्मसिद्ध अधिकार है और भारत इससे कममें कभी सन्तुष्ट नही हो सकता। पूरे समझौतेमें मनको प्रफुल्लित करनेवाला शब्द कही नही मिलता। जिस धारामें यह शब्द चतुराईके साथ अन्तर्हित है, उसके दो अर्थ किये जा सकते हैं; यह जानबूझ कर किया गया है।

सघ-राज्य (फेडरेशन) मृगजल-मात्र भी हो सकता है, और वह ऐसा महत्त्वपूर्ण संगठित राज्य भी हो सकता है, जिसके दो अंग सारी देहकी पुष्टिके लिए कार्य करे। उत्तरदायित्व गोलमेज-योजनाकी इमारतका दूसरा शहतीर है। सम्भव है, यह भी केवल छायामात्र हो; और सम्भव है, वह लम्बा शानदार, मजबूत, अडिग ओकका वृक्ष हो जिसे कभी न झुकाया जा सके। सरक्षणोंकी भी यही बात है। सम्भव है कि इनसे भी भारतका हित होनेकी बात महज आँखका धोखा हो और ये भारतके हाथ-पैर कस देने और भारतका गला घोंटनेवाली रस्सियोंका काम करे; और यह भी हो सकता है कि ये सुकुमार पौधोकी रक्षा करनेवाले बाडे बन जायें।

यह सम्भव है कि एक पक्ष इन तीनो शहतीरोंका एक अर्थ लगाये, दूसरा पक्ष दूसरा अर्थ लगाये, उक्त धारामें इस बातकी गुंजाइश है कि दोनों पक्ष अपने-अपने रास्तेपर चलते रहे। और यदि काग्रेस गोलमेजके विचार-विमर्शमें शामिल होनेको तैयार हुई है, तो वह इसीलिए कि वह संघ-राज्य उत्तरदायित्व तथा सरक्षणको, इन्हें चाहे जिस नामसे भी पुकारें, ऐसा रूप देना चाहती है कि वे देशकी सच्ची राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक प्रगतिके साधन बन सकें।

अगर काग्रेस गोलमेज-परिषदमें अपनी बातें मंजूर करा सकी तो मेरा दावा है कि उसके उद्योगका फल पूर्ण स्वराज्य होगा। पर मैं जानता हूँ कि उस ओर जानेवाला रास्ता हमें पस्त कर सकता है। उसमें कितनी ही चट्टानें हैं और कितने ही गहरे गड्ढे छिपे हुए हैं; पर यदि काग्रेसी अपने सामने उपस्थित इस नए काममें विश्वास और साहसके साथ जुट जायेंगे तो मुझे फलके विषयमें कोई शंका नही है। अत. अब यह उन्हीपर निर्भर है कि जो नया अवसर उनको मिला है, उसका उपयोग करके कोई उत्कृष्ट और दर्शनीय वस्तु बनायें, या आत्मविश्वास और साहसकी कमीके कारण इस अवसरको यों ही हाथसे चला जाने दें।

पर मैं यह भी जानता हूँ कि काग्रेसवालोंको इस काममें दूसरे दलों, बडे-बड़े राजा-महाराजाओकी सहायताकी आवश्यकता होगी और अंग्रेजोंकी सहायता पाना भी उतना ही जरूरी है, चाहे हम उनकी गिनती सबसे आखिरमें करें। मैं इस समय विभिन्न दलोसे अपील करना आवश्यक नही समझता। मुझे इस बातमें कोई शंका नही है कि वे भी देशको सच्ची स्वतन्त्रता दिलानेके लिए काग्रेसकी ही तरह उत्सुक हैं।

पर राजाओंका मामला दूसरे प्रकारका है। उनके संघ-राज्यका सिद्धान्त स्वीकार लेनेसे मुझे सचमुच ही आश्चर्य हुआ है। पर यदि वे संयुक्त भारतमें बराबरीके हिस्सेदार बनना चाहते हों तो मै यही सलाह देता हूँ कि उन्हें स्वेच्छया उस स्थितिकी ओर बढ़ना चाहिए जिसे प्राप्त करनेके लिए तथाकथित 'ब्रिटिश भारत' इतने वर्षोंसे प्रयत्न करता आ रहा है।

एकदम निरंकुश शासनका, चाहे वह कितना ही उदार क्यों न हो, और विशुद्ध लोकतन्त्रका सम्मिश्रण इतना बेमेल होगा कि फलस्वरूप विस्फोट होना अनिवार्य हो जायेगा। अतः मेरे विचारसे उन्हें कड़ा रुख नही अपनाना चाहिए और उन्हें अपने भावी साझेदारकी या उसकी ओरसे की जानेवाली अपील सुननेसे अधीरतापूर्वक इनकार नही करना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो कांग्रेसकी स्थिति अनिश्चित तो क्या, वह सचमुच कठिनाईमें पड़ जायेगी। कांग्रेस सम्पूर्ण भारतका प्रतिनिधित्व करती है या करनेका प्रयत्न करती है। वह ब्रिटिश भारत और रियासतोंमें रहनेवालोंको दो नही मानती।

कांग्रेसने रियासतोंकी भीतरी कार्रवाइयों और मामलोंमें हस्तक्षेप न करनेकी नीतिपर चलनेमें बड़ी ही बुद्धिमानी और बड़े ही संयमसे काम लिया है। इसके पीछे यह विचार तो था ही कि रियासतोंका मन अकारण न दुखे, पर उसका यह भी विचार था कि इस आत्मसंयमके कारण उचित अवसर आनेपर उसकी बात रियासतोंमें अधिक सुनी जायेगी। मुझे लगता है कि वह अवसर अब आ गया है। अतः क्या मैं यह आशा करूँ कि हमारे गौरवशाली राजा-महाराजा अपनी प्रजाकी ओरसे की जा रही कांग्रेसकी अपील अनसुनी नही करेंगे?

मै ऐसी ही अपील अंग्रेजोंसे भी करना चाहता हूँ। यदि मेल-जोल और सलाह-मशविरेसे भारतको स्वतन्त्रता प्राप्त करनी हो तो अंग्रेजोंकी सद्भावना और सक्रिय सहायता नितान्त आवश्यक है। मुझे कहना पड़ता है कि लन्दन-सम्मेलनमें जो-कुछ दिया गया है, वह जो भारत चाहता है, उसका आधा भी नही है। उससे भारतका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। यदि अंग्रेज वास्तवमें सहायता करना चाहते हों, तो उन्हें भारतको उस स्वतन्त्रताका अनुभव करने देनेके लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसे प्राप्त करनेके लिए वे अपने प्राणतक दे सकते है। अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको भारतको गलतियाँ करते हुए उस जंगलमें भटकने देनेका साहस करना होगा। ऐसी स्वतन्त्रता, जिसमें गलती करने, यहाँतक कि पाप करनेकी भी स्वतन्त्रता न हो, प्राप्त करने लायक नहीं है। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वरने अपने छोटेसे-छोटे जीवको गलती करनेकी स्वतन्त्रता दी है, तो मेरी समझमें नही आता कि मनुष्योंको, चाहे वे कितने ही अनुभवी और योग्य क्यों न हों, अपने ही साथियोंसे यह अमूल्य अधिकार छीन लेनेमें कैसे आनन्द आ सकता है।

जो हो, कांग्रेसको परिषदमें आनेके लिए निमन्त्रित करनेका अर्थ निश्चित रूपसे यही है कि कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनताकी माँगपर जोर देनेमें अयोग्यताके सिवा और किसी भी बाधाको स्वीकार न करेगी। पर कांग्रेस भारतको बीमार बच्चा नही समझती, जिसे शुश्रूषाकी, बाहरी मदद या सहारेकी आवश्यकता हो।

मैं महान अमेरिकी प्रजातन्त्र तथा संसारके दूसरे राष्ट्रोंसे भी अपील करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि सत्य और अहिंसापर आधारित हमारे इस संघर्षको देखकर ये राष्ट्र चौंक उठे हैं और उन्हें हमारे बारेमें कौतूहल भी हुआ है। हालांकि मुझे खेद है कि हम सत्य और अहिंसाके उपासक कई बार अपने मार्गसे भटक भी गये। अब कौतूहलसे देखनेके स्थानपर उन्होने, खासकर अमेरिकाने सहानुभूति रूपी ठोस सहायता देनी शुरू की है। और मैं कांग्रेसकी तथा अपनी ओरसे कह सकता हूँ कि हम इस सहानुभूतिके लिए कृतज्ञ हैं। मुझे आशा है कि कांग्रेस अब जिस कठिन कामको आरम्भ करनेवाली है, उसमें उनकी सहानुभूति पहलेकी तरह बनी ही नही रहेगी, वरन् उसमें दिन-प्रति-दिन वृद्धि होती जायेगी। मैं नम्रतापूर्वक यहांतक कह सकता हूँ कि यदि भारत सत्य और अहिंसाके मार्गसे अपने लक्ष्यतक पहुँच जाये तो वह संसारमें शान्तिकी स्थापनाके लिए — जिसके लिए संसारके सभी राष्ट्र तरस रहे हैं — एक बहुत बड़ा काम होगा और ऐसा करके भारत कुछ हदतक इन राष्ट्रोकी उन्मुक्त सहायताका कुछ बदला भी चुका पायेगा।

मेरी अन्तिम अपील पुलिस और प्रशासनिक सेवाके अन्य विभागोसे है। समझौतेकी धारासे प्रकट होता है कि मैंने पुलिसपर आरोपित कुछ ज्यादतियोकी जाँच करानेके लिए कहा था। उस जाँचका विचार छोड़ देनेके कारण भी समझौतेमें ही दे दिये गये है। सिविल सर्विस उस यन्त्रका अविभाज्य अंग है, जिसे पुलिस-विभाग चलाता है। यदि वे वास्तवमें अनुभव करते हैं कि भारत शीघ्र ही खुदमुख्तार होनेवाला है और उन्हें स्वाभाविक नौकरकी तरह उसकी सेवा करनी है, तो उनका कर्त्तव्य है कि वे अभीसे जनताके साथ इस प्रकारका व्यवहार करे, जिससे उसे ऐसा लगे कि जब उसका सिविल सर्विस और पुलिस विभागोके कर्मचारियोंसे काम पड़ता है, तो वे मालिकोकी तरह नही बल्कि सेवकों — निस्सन्देह सम्मानित और बुद्धिमान-सेवकोंकी तरह काम करते हैं।

मुझे अपने उन हजारों नही तो सैकड़ों पुराने साथी कैदियोसे भी दो शब्द कहने हैं, जिनकी ओरसे मेरे पास तार आते रहे हैं, जो पिछले १२ महीनोमें जेल भेजे गये थे या सत्याग्रही कैदियोंके छूट जानेपर भी जेलोंमें पड़े रहेंगे। व्यक्तिगत रूपसे मेरे विचारमें हिंसा करनेवालोको भी दण्डस्वरूप कैद कर रखनेसे कोई लाभ नही है। मै जानता हूँ कि जिन्होंने राजनीतिक उद्देश्यसे हिंसा की है, वे बुद्धि होनेका न सही पर मेरे बराबर देशप्रेमी और त्यागी होनेका दावा कर सकते हैं और इसलिए यदि मैं उनकी स्वतन्त्रता न्याय्य रीतिसे प्राप्त कर सकता, तो मैं सचमुच अपने और अपने साथी सत्याग्रहियोसे पहले उन्हें मुक्त कराता।

पर मुझे विश्वास है कि मै न्यायत: उनकी रिहाईकी मांग नही कर सकता था। वे इस बातको समझ सकेंगे। पर इसका यह अर्थ नही कि मुझे या कांग्रेस कार्य समितिके सदस्योंको उनका ध्यान नही है।

कांग्रेसने जानबूझकर, यद्यपि अस्थायी तौरपर ही सहयोगको अपनाया है। यदि कांग्रेसवाले समझौतेकी उन शर्तोंको जो उनपर लागू होती है, ईमानदारीसे पूरी

तरह लोगोंमें प्रतिष्ठित करें तो कांग्रेसके मानका बढ़ना अपरिहार्य हो जायेगा और सरकारको भी विश्वास हो जायेगा कि कांग्रेसमें शान्ति-रक्षाकी भी योग्यता उसी प्रकार है, जिस प्रकार मेरे विचारमें वह सविनय-अवज्ञा करानेकी अपनी योग्यता सिद्ध कर चुकी है।

यदि जन-साधारण कांग्रेसको यह शक्ति और प्रतिष्ठा दिला सके तो मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही ये सब राजनीतिक कैदी और नजरबन्द तथा मेरठके और दूसरे कैदी भी, छूट जायेंगे।

निःसन्देह भारतमें एक छोटा, पर सक्रिय संगठन ऐसा भी है जो हिंसात्मक कार्योंसे भारतको स्वतन्त्र करना चाहता है। जैसा मैं पहले कर चुका हूँ, आज उस संगठनसे फिर अपील करता हूँ कि उन्हें विश्वास न भी हो तो भी कमसे-कम वक्त देखते हुए इस समय अपने कामोंसे बाज आयें। कदाचित् उन्हें अबतक अहिंसाकी महान शक्तिका अनुभव भी हो गया होगा। वे इस बातसे इनकार नहीं करेंगे कि जो आश्चर्यजनक सार्वजनिक जागृति हुई है वह अहिंसाकी गहन तथापि अचूक शक्तिके ही कारण हो सकी है। मैं उनसे कहता हूँ कि आप धैर्य रखें और कांग्रेसको या मुझे ही सत्य और अहिंसाकी योजना कार्यान्वित करनेका मौका दें। अभी दाण्डी-यात्राको मुश्किलसे एक वर्ष भी नहीं हुआ है। तीस करोड़ आदमियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रयोगके जीवनमें एक वर्ष एक क्षणके समान है। आप कुछ दिन और ठहरें। आप मातृभूमिकी सेवाके लिए अपने बहुमूल्य प्राणोंकी रक्षा करें, जल्दी ही सबकी पुकार होगी। अभी आप कांग्रेसको दूसरे सब राजनीतिक कैदियोंको छुड़ानेका, और सम्भवतः हत्याके अपराधमें फाँसीकी सजा पाये हुए कैदियोंको भी बचानेका मौका दें।

पर मैं झूठी आशा दिलाना नहीं चाहता। मैं अपनी और कांग्रेसकी आकांक्षाओंको केवल सार्वजनिक रूपसे प्रकट कर सकता हूँ। हमारा काम केवल प्रयत्न करना है, फल सदा ईश्वरके हाथ है।

अपने विषयमें एक बात कह दूं, फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। अपने विचारमें मैंने सम्मानपूर्ण समझौता करानेके लिए प्राणपणसे चेष्टा की है। मैंने लॉर्ड इर्विनको वचन दिया है कि जहाँतक कांग्रेस उनसे बाध्य है, मैं समझौतेकी शर्तोंका पालन करवानेकी जी-जानसे कोशिश करूँगा। मैंने यह समझौता पहला मौका मिलते ही तोड़नेके लिए नहीं, वरन् आज जो अस्थायी है, उसे हर तरहसे स्थायी और कांग्रेसके लक्ष्यका मंगलाचरण बनानेका भरसक प्रयत्न करनेके लिए किया है।

अन्तमें मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ जो समझौता करानेके लिए अविरत प्रयत्न करते रहे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९३१

३२६. तार: प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंको[1]

१ दरियागंज
५ मार्च, १९३१

काग्रेसकी ओरसे कार्य-समिति और भारत सरकारके बीच हुए अस्थायी समझौतेको ध्यानमें रखते हुए आपसे अनुरोध है कि अपने प्रान्तकी सभी काग्रेस कमेटियोंको उसके अनुसार काम करनेके लिए सूचना देनेके निमित्त आप तत्काल कदम उठायें। सविनय-अवज्ञा और कर अदा न करनेके आन्दोलनके अभियान बन्द कर दिये जायें और कानूनो या विनियमोंका आगे और उल्लंघन न किया जाये। केवल ब्रिटिश मालका बहिष्कार बन्द करके उसको पूरी स्वतन्त्रता दी जाये; परन्तु नशीले पेय तथा पदार्थों और सारे विदेशी वस्त्रों तथा शराबकी दूकानोके बहिष्कारकी अनुमति है। जहाँ भी आवश्यकता हो, इसे जारी रखा जाये। धरनेमें किसी तरहका झगड़ा करनेकी कोई बात नही होनी चाहिए और जोर-जबरदस्ती, डराना-धमकाना, रोक-टोक, विरोध, प्रदर्शन, जनताके काममें अड़चन डालना या आमतौर पर प्रचलित किसी कानूनके अन्तर्गत कोई अपराध धरना देते हुए नही होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्रमें ये शर्तें पूरी न हों तो वहाँ धरना स्थगित कर दिया जाये। सभी प्रकारके विदेशी मालके मुकाबले स्वदेशी मालके लिए अपना आग्रह भी कायम रखना है। नमक-कानूनोकी संगठित रूपसे अवज्ञा नही होगी और धावे नही किये जायेंगे, परन्तु जिन क्षेत्रोंमें नमक इकट्ठा किया या बनाया जाता है, वहाँके निवासी ग्रामीणोंको घरेलू उपयोग या पड़ोसमें बेचनेके लिए नमक इकट्ठा करने या बनानेकी अनुमति है; परन्तु उसे बाहर बेचने या बाहर उसका व्यापार करनेकी मनाही है। अनधिकृत समाचारपत्र बन्द कर दिये जायें। करदाता लगानका भुगतान करनेके लिए तैयार रहें और वे जो गाँव खाली करके आ गये हैं, वहाँ वापस चले जायें। आर्थिक विपत्ति या अदायगीकी सामर्थ्य न होनेकी स्थितिमें उसकी माफी या स्थगनके लिए दूसरे तरीके अपनाये जाने चाहिए। कैदियोंकी रिहाई विचाराधीन है, इसे ध्यानमें रखते हुए कराची-कांग्रेसके लिए

१. अनुमान है कि इसका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था।

प्रतिनिधियोंके चुनावके सिलसिलेमें समाचारपत्रोंके जरिये विशेष निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

सैयद महमूद
महामन्त्री

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल सं० ३२९, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

३२७. तार : स्वामी आनन्दको

५ मार्च, १९३१

स्वामी आनन्द
द्वारा श्री
बम्बई

तारीख अनिश्चित। बम्बई आनेकी कोशिश करूँगा। विलेपार्लेको एक दिन दे सकता हूँ।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

३२८. तार : नारणदास गांधीको

५ मार्च, १९३१

नारणदास
आश्रम
साबरमती

प्रभावती, वसुमती और अन्य लोगोंको कहो जल्दी पहुँचनेकी कोशिश कर रहा हूँ।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

३२९. तार: मुहम्मद शफीको

५ मार्च, १९३१

सर मुहम्मद शफी
लाहौर

आपके तारके लिए धन्यवाद। मातृभूमिकी आजादीके लिए जो इस वक्त बहुत जरूरी है ऐसी एकताके विषयमें आप जैसे मित्रोंकी सहायता हताश नही होने देती।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

३३०. भेंट: वाइसरायसे

५ मार्च, १९३१

आज सुबह श्री गांधीने मुझे लिख भेजा है कि मैंने कल रात टिप्पणीमें परिवर्धनका जो मसविदा तैयार किया है वे उसे स्वीकार करनेको तैयार हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि यद्यपि बम्बई-सरकारसे सम्बन्धित मामलेमें वे मेरे करारको समझते हैं फिर भी उन्हें विश्वास है कि इस कठिनाईका हल निकालनेमें मैं अपने प्रभावका उपयोग करूँगा।[1] मैंने जो जवाब दिया है उसमें इस विषयपर बम्बई सरकारको पहले दिये हुए वचनको दुहराते हुए यह कहा है कि उस वचनसे मैं जिन सीमाओंमें बँध जाता हूँ उनका उल्लंघन न करके जो-कुछ आपने इस विषयपर कहा है वह सब गवर्नरको जरूर बताऊँगा और इस कठिनाईका उचित हल ढूंढनेकी दिशामें प्रयत्न करनेके लिए उनसे जो-कुछ भी उचित रूपसे कहा जा सकता है, जरूर कहूँगा।

(ह०) इर्विन

अंग्रेजी (जी० एन० ८९५४)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: वाइसरायको", ४-३-१९३१, और "पत्र: जी० कर्निघमको", ४-३-१९३१।

३३१. पत्र : जी० कनिंघमको

१ दरियागंज, दिल्ली
६ मार्च, १९३१

प्रिय श्री कनिंघम,

आपके दोनों पत्रोंके लिए धन्यवाद। बेची गई जमीनोंके सम्बन्धमें मेरे चार तारीखके पत्रपर[1] महामहिमने जो तत्काल कार्यवाही की है उसके लिए कृपया उन्हें मेरी ओरसे धन्यवाद दें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३३७)की फोटो-नकलसे; सौजन्य : इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी; तथा अ० भा० कां० कमेटीकी फाइल सं० १६-सी, १९३१ से भी।

३३२. पत्र : जी० कनिंघमको

१ दरियागंज, दिल्ली
६ मार्च, १९३१

प्रिय श्री कनिंघम,

उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रान्तकी जनता जिन कठिनाइयोंको सह रही है, बातचीतके दौरान मुझे उनका जिक्र करनेका अवसर मिला था। परमश्रेष्ठने मजाक करते हुए कहा कि यदि मैं वहाँ जाऊँ तो शायद सब मामला शान्त हो जाये। जो बात मैंने मजाकमें कही गई समझी थी वही अब उस प्रान्तके तीन मित्रोंने सर्वथा गम्भीरतापूर्वक कही है। उनका कहना है कि पं० जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और डा० सैयद महमूद तथा श्रीमती नायडूके साथ मुझे उस प्रान्तमें जाना चाहिए और उन्होंने वचन दिया है कि अधिकारियोंकी रजामन्दीके साथ सहायता मिलनेपर न केवल प्रान्तमें बल्कि सीमापर रहनेवाली सीमान्त जातियोंमें भी सामान्य स्थिति वापस आ सकती है। अब चूँकि मेरा उद्देश्य हर जगह फिरसे शान्ति स्थापित करवाना और जहाँ भी हो सके इस काममें मदद देना ही हो सकता है, इसलिए मैं फिलहाल परमश्रेष्ठकी अनुमतिके बिना कहीं भी जाना नहीं चाहता। शायद स्थानीय अधिकारियोंसे सलाह-मशविरा किये बिना वे मुझे जवाब नहीं दे सकेंगे और इसलिए

१. देखिए "पत्र : वाइसरायको", ४-३-१९३१।

आज ही जवाब दे सकना शायद उनके लिए सम्भव न हो। लेकिन वे जल्दी जवाब दे सकें तो मैं आभारी होऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि स्थानीय अधिकारी मेरे प्रस्तावको अस्वीकार नही करेंगे।

मैं अगले इतवार तक दिल्लीमें हूँ और इतवारकी रातको अहमदाबादके लिए रवाना होनेकी सोच रहा हूँ। यदि परमश्रेष्ठको सीमान्त प्रान्तमें जानेका मेरा विचार पसन्द आये तो मेरा इरादा कराची-कांग्रेसके बाद तुरन्त ही वहाँ जानेका है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३३८) की फोटो-नकलसे; सौजन्य : इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी; तथा अ० भा० कां० कमेटी फाइल संख्या १६-सी, १९३१से भी।

३३३. पत्र : वालचन्द हीराचन्दको[1]

६ मार्च, १९३१

प्रिय वालचन्द,

पत्रके लिए धन्यवाद। मेरी रायमें बहिष्कार सम्बन्धी धाराका अर्थ बिल्कुल साफ है। 'बहिष्कार' शब्द अपनी व्युत्पत्ति अथवा हालकी घटनाओंके कारण छोड़ा भी जा सकता है। पर मैं कह सकता हूँ कि देशी माल और देशी जहाजी, बीमा आदि कम्पनियोंके मुकाबलेमें ब्रिटिश माल तथा कम्पनियोंके त्यागकी उक्त धारामें केवल इजाजत ही नही, बल्कि उसका समर्थन किया गया है। जिस बातका इस धारामें निषेध किया गया है, वह है गुण-दोषका विचार किये बिना ब्रिटिश माल और कम्पनियोंके मुकाबलेमें दूसरे देशोंके माल और कम्पनियोंको तरजीह देना। सत्याग्रहकी

१. वालचन्द हीराचन्दके ६ मार्चके पत्रके जवाबमें, जो इस प्रकार था : "समझौतेकी शर्तोंके बारेमें आजकी सरकारी विज्ञप्तिमें 'बहिष्कार' का जो उल्लेख किया गया है उसे मैं समझना चाहता हूँ। मेरे विचारानुसार इसका अर्थ यह है कि जहाँ कहीं देशी उद्योग, सामान अथवा सेवा उपलब्ध है, वहाँ ऐसे गैर-भारतीय सामान अथवा सेवाका बहिष्कार करना हमारे लिए उचित है चाहे वे सामान व सेवाएँ ब्रिटिश ही क्यों न हों।

"अपनी बात साफ करनेके लिए मैं जहाजरानी और समुद्रतटपर बीमेका उदाहरण दूँगा। वहाँ भारतीय जहाजरानीका मुकाबला केवल ब्रिटिश जहाजरानीसे है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जहाजी व्यापारी ब्रिटिश जहाजरानीका बहिष्कार तो कर ही सकते हैं; बल्कि आप उनसे यह आशा भी करते हैं कि वे भारतीय जहाजरानीको प्रोत्साहन देनेके लिए उनका बहिष्कार करेंगे ही। यही बात भारतीय बीमा कम्पनियों और भारतीय वस्त्रके बारेमें भी कही जा सकती है।

"यदि आप सविस्तार अपने विचार मुझे लिख भेजें और उन्हें प्रकाशित करनेकी इजाजत दें तो मैं आभारी होऊँगा।"

लड़ाईके समय देशने राजनीतिक उद्देश्यसे इस हथियारसे काम भी लिया और इसका जबर्दस्त असर हुआ। यदि वर्तमान अस्थायी समझौतेका उद्देश्य स्थायी समझौता हो, जैसा कि निश्चय ही है, तो जब स्थायी मित्रता जोड़नेकी बातचीत चल रही हो, उस समय बहिष्कार या अलगावकी, जो भी हम उसे कहे, बन्द रहना ही ठीक है। परन्तु विदेशीके मुकाबले स्वदेशीको तरजीह देना – चाहे उसका कोई राजनीतिक परिणाम हो या न हो, एक ऐसा नित्य कर्त्तव्य है जिसकी उपेक्षा कोई भी राष्ट्र अपने स्वार्थकी हानि किये बिना नही कर सकता।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, ८-३-१९३१

३३४. पत्र : वसुमती पण्डितको

दरियागंज, दिल्ली
६ मार्च, १९३१

चि० वसुमती,

तेरा पत्र मिला। अब अधीर न हो। हम सोमवारको मिलेगे। यहाँसे रविवारको चलनेका निश्चय किया है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है।

महादेव
बापूकी ओरसे

गुजराती (एस० एन० ९३२१) की फोटो-नकलसे।

३३५. पत्र : प्रभावतीको

दरियागज, दिल्ली
६ मार्च, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र मिला। मिलनेकी तेरी अधीरता समझता हूँ। यहाँसे रविवारको निकलकर सोमवारको वहाँ पहुँचनेका विचार है। इसलिए हम सोमवारकी शामको मिलेंगे।

महादेव
बापूकी ओरसे

गुजराती (जी० एन० ३४०८)की फोटो-नकलसे।

३३६. भेंट : एस० हसनअली खाँसे[1]

६ मार्च, १९३१

भेंटके दौरान श्री एस० हसनअली खाँने कई प्रश्न पूछे जिनका गांधीजीने तुरन्त सन्तोषजनक जवाब दिया।

जैसा कि स्वाभाविक था, पहला प्रश्न वाइसराय और कांग्रेसके बीच हाल ही में हुए समझौतेके सम्बन्धमें था तथा गांधीजीने बताया कि मैं समझौतेसे, जिस रूपमें वह है, सर्वथा सन्तुष्ट हूँ।

प्र० : आगामी संविधानमें जमींदारोंकी क्या स्थिति होगी?

उ० : उनको वही सुविधाएँ और वही अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि इस समय हैं। जमींदारों और किसानोंसे हर तरहका न्याय किया जायेगा बशर्ते कि वे हमारे साथ-साथ चलें।

आप जानते हैं कि देशका कल्याण कृषिपर निर्भर है और देशके ज्यादातर लोग कृषक हैं। हालके आन्दोलनके दौरान कुछ नवयुवक कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंने किसानोंको जमींदारोंके खिलाफ खड़ा करनेका प्रयत्न किया है। पण्डित जवाहरलाल नेहरूने भी लाहौरमें अपने अध्यक्षीय भाषणमें देशके जमींदारोंके खिलाफ अपने विचार स्पष्ट रूपसे व्यक्त किये थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि उस वक्तव्यका क्या महत्त्व है? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि इस महत्त्वपूर्ण वर्गके लोगोंसे सम्बद्ध सवाल पर कांग्रेसका क्या विचार है?

हाँ, मैं जानता हूँ कि देश पूरी तरहसे कृषिपर निर्भर है और कृषि देशके दो प्रमुख वर्गों—जमींदारों और किसानोंपर निर्भर करती है। कांग्रेस-अधिवेशनमें ऐसा कोई निर्देश नहीं किया गया था। हम नहीं चाहते कि किसान जमींदारोंका विरोध करें। लाहौर अधिवेशनके समय मैं वहाँ उपस्थित था। स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और मैंने जमींदारों और शासकोंसे सम्बद्ध प्रस्तावका मसविदा तैयार किया था, जिसका अभिप्राय केवल प्रजातन्त्र स्थापित करना था। हमने जो कहा उसका यह अर्थ कभी नहीं था कि जमींदारों या भूतकालके तथाकथित अवशेषोंके लिए कोई स्थान नहीं होगा। सच तो यह है कि यदि जमींदार किसान-वर्गके प्रति अच्छा रुख दिखाते हैं तो हमें उनसे पूरी सहानुभूति होगी। हम जमींदारोंको आश्वासन देते हैं कि स्वराज्यके संविधानमें उनके हकोंपर पूरा-पूरा ध्यान दिया जायेगा। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वे कांग्रेसके प्रति उदार रहें।

[अंग्रेजीसे]
पायोनियर, १६-३-१९३१

१. संयुक्त प्रान्त जमींदार-संघके।

३३७. भेंट : 'कैसर-ए-हिन्द' के प्रतिनिधिसे[1]

दिल्ली
६ मार्च, १९३१

महात्माजीने कल मुझसे विशेष भेंट की, जिसके दौरान उन्होंने 'कैसर-ए-हिन्द' और उसके मालिक श्री हीरजी वहीदीन द्वारा देश-हितमें की गई महान सेवाओंकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और देशके स्वातन्त्र्य संघर्षको प्रभावशाली ढंगसे आगे बढ़ानेमें पारसी समाजने जो महान योग दिया है, उसकी बड़ी सराहना की। महात्माजीने कहा :

'कैसर-ए-हिन्द' खूब सेवा बजावी (कैसर-ए-हिन्दने सेवा की है।)

गांधीजीने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारतके इतिहासमें पारसी महिलाओं और पुरुषोंकी सेवाएँ स्वर्णाक्षरोंमें लिखी जायेंगी और उन्होंने मुझसे अपने पत्रके माध्यमसे पारसी समाजको यह विश्वास दिलानेको कहा है कि वे उन लोगोंकी ये सेवाएँ नहीं भूलेंगे।

मैंने महात्माजीको बताया कि अल्पसंख्यक-वर्ग विशेषाधिकारों और संरक्षणके लिए शोर मचा रहे हैं और यद्यपि गोलमेज-परिषदमें तीन पारसी थे फिर भी उनमेंसे किसीने पारसियोंके अधिकारोंकी वकालत नहीं की। मैंने महात्माजीसे पूछा कि क्या वे उनके हकोंकी वकालत करेंगे, और यह इसलिए कि कांग्रेसने अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंपर पूरी तरहसे ध्यान देनेका निर्णय किया है। महात्माजीने कहा कि पारसी इतने शक्तिशाली हैं कि वे स्वयं अपनी देखभाल कर सकते हैं और यदि मैं यह कहूँ कि उनके हितोंकी हिमायत करूँगा तो यह अहंकार प्रतीत होगा। उनके मामलेकी विशेष वकालत करनेकी जरूरत नहीं है और उनके हितोंकी उपेक्षा न करनेके लिए कहनेकी भी कोई जरूरत नहीं है। मैं उनके अधिकारों और उनकी सेवाओंकी अवहेलना नहीं कर सकता।

ध्यानपूर्वक थोड़ा सोचनेके बाद गांधीजीने कहा :

यदि मुझे यह दिखलाया गया कि पारसियोंको कुछ नुकसान हुआ है तो मैं उसे चक्रवृद्धि ब्याज सहित अदा कर दूंगा।

इस सन्देशको उन्होंने मुझे अपने प्रिय समाजतक पहुँचा देनेकी अनुमति दी।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-३-१९३१

१. बम्बईका पत्र; यह विवरण विशेष प्रतिनिधिने ७ मार्चको भेजा था।

३३८. भेंट : पत्रकारोंसे[1]

[६ मार्च, १९३१][2]

आज सुबह ठीक साढ़े ग्यारह बजे महात्मा गांधीने उन अनेकों भारतीय तथा विदेशी पत्रकारोंको बुलाया जो समझौतेकी बातचीतके संवाद अखबारोंमें देते रहे थे। वे लगभग १ घंटेके लिए उनके सवालोंके जवाब देते रहे।[3]

प्र०: आप कहते हैं कि 'कम्प्लीट इंडिपेंडेंस'—पूर्ण स्वराज्यका विगुण पर्याय है। तो फिर पूर्ण स्वराज्यका सही अर्थ क्या है?

उ०: सही पर्याय मैं नहीं बता सकता। जहाँतक मैं जानता हूँ, इसके पूरे अर्थको व्यक्त करनेवाला अंग्रेजी शब्द या शब्द-समूह अंग्रेजी भाषामें नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इसका अर्थ समझा सकता हूँ। स्वराज्यका शब्दार्थ है, अपने-आपपर शासन करना। अतएव स्वराज्यका अर्थ हुआ, आन्तरिक नियमनवाला राज्य, और पूर्ण अर्थात् पूरी-पूरी तरह। 'इंडिपैंडेंस' में ऐसी मर्यादा नहीं है। 'इंडिपैंडेंस' का अर्थ स्वेच्छाचार भी हो सकता है। स्वराज्य विधिरूप [कर्त्तव्य] है। 'इंडिपैंडेंस' निषेधात्मक संज्ञा है। पूर्ण स्वराज्यका अर्थ किसी भी राष्ट्रके साथ सदाके लिए सम्बन्ध तोड़ना नहीं है, फिर इंग्लैंडकी तो बात ही क्या। पर यह सम्बन्ध स्वेच्छया सिर्फ पारस्परिक लाभके लिए ही दृढ़ रखा जा सकता है। इस तरह कई देश ऐसे भी हैं, जो 'इंडिपैंडेंट' कहलाते हैं, पर जिन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं है; जैसे कि नेपाल। स्वराज्य पवित्र शब्द है, वैदिक शब्द है, और इसका अर्थ है, स्वशासन, स्वनियन्त्रण, न कि सभी नियन्त्रणोंसे मुक्ति जैसा कि बहुधा 'इंडिपेंडेंस' का अर्थ किया जाता है।

क्या समझौतेकी शर्तें लाहौरके प्रस्तावसे मेल खाती हैं?

अवश्य। कराची-कांग्रेस लाहौरवाले प्रस्तावकी निश्चय ही पुष्टि कर सकती है, और आगामी गोलमेज-परिषदमें वैसा रुख अपनानेसे कांग्रेसजनोंको कोई भी रोक नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहना कोई विश्वासभंग करना है; सच तो यह है कि समझौतेका विचार करनेसे पहले मैंने बहुत ही सावधानीके साथ इस मुद्देको समझनेके बाद कांग्रेसकी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। परिषदमें पूर्ण स्वराज्यके आग्रह पर दृढ़ रहना मैं अपना धर्म समझता हूँ। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारी हस्तीका अर्थ ही क्या होगा।

१. यह भेंट "समझौता और उसका अर्थ" शीर्षकसे छपी थी। साथमें महादेव देसाईकी प्रास्ताविक टिप्पणी थी: "समझौते और उसके निहितार्थके बारेमें सब जगह सवाल पूछे जाते हैं, अतएव नीचे लिखी प्रश्नोत्तरी देना लाभप्रद होगा। आशा है, इससे बहुतसे लोगोंकी शंकाएँ दूर हो जायेंगी। जहाँतक हो सका है, उत्तर गांधीजीके ही शब्दोंमें दिये हैं।"

२ और ३. **अमृत बाजार पत्रिका**, १०-३-१९३१ से।

आपके कथनमें था 'आवश्यकता पड़नेपर साम्राज्यके बाहर स्वराज्य'; इसका क्या अर्थ है?

अब साम्राज्य तो रहेगा ही नही, वह तो राष्ट्रमण्डल बन जायेगा, और राष्ट्रमण्डलमें स्वराज्य बिलकुल शक्य है। हम स्वतन्त्र राष्ट्र होते हुए भी राष्ट्र-मण्डलके अंग बनकर रह सकते है, जैसे कि अमेरिकाके संयुक्त राज्य रहते हैं।

क्या आप मानते हैं कि हमारा संघ-शासन — 'फेडरेशन' — अमेरिकाके संयुक्त राज्यों जैसा होगा? संघ-शासनके स्वरूपके बारेमें आपको किसी प्रकारका आश्वासन मिला है?

आश्वासन तो कुछ भी नही मिला। पर वह 'औपनिवेशिक स्वराज्य'से कम तो हो ही नही सकता।

संरक्षणोंके विषयमें सहमत हो जानेके बाद आप यह बात किस प्रकार कह सकते है?

जो संरक्षण हिन्दुस्तानके हितके लिए न हो, वैसे किसी भी संरक्षणके लिए मैंने सम्मति नही दी है। मै जानता हूँ कि यह शब्द बदनाम है और जोखिमसे भरा है। पर मै ऐसे कई संरक्षणोंका विचार कर सकता हूँ जो हिन्दुस्तानके लिए हितकर है। भारतीय हित सम्बन्धी संरक्षणोंका सिद्धान्त तो निश्चय ही कबूल किया गया है, पर कोई संरक्षण विशेष कबूल नही किया गया है। जिन संरक्षणोकी मैंने कल्पना की है, वे बिलकुल भिन्न प्रकारके हैं। इसलिए आप देखेंगे कि उसमें संक्रमण अवस्थाका उल्लेख नही है। हम उन्हें दूसरों द्वारा लादे गये बोझके रूपमें तो कभी स्वीकार नही कर सकते। उन्हें रक्षक अर्थात् देशके सच्चे हितकारी होना ही चाहिए। जिनसे भारतके हितकी रक्षा न होती हो, वैसे संरक्षण मै कभी मान ही नहीं सकता।

क्या यही चीज १९२९के दिसम्बरमें आपके सामने पेश नहीं की गई थी? यदि हमारी स्थिति वहीकी-वही बनी रहती है, तो हमें इतने भयंकर कष्ट सहनेकी क्या जरूरत थी?

आप बहुत बड़ी भूल कर रहे है। आज स्थिति वही नही है। उस समय लार्ड इर्विन न तो किसी प्रकारका वचन ही दे सकते थे और न ही देनेको तैयार थे। 'औपनिवेशिक स्वराज्य'के ध्येयकी बात वे बार-बार दोहराते थे। आज 'औपनिवेशिक स्वराज्य'का निश्चित वादा किया गया है और उसे ऐसा व्यापक रूप देना हमपर निर्भर करता है जिसका अर्थ पूर्ण स्वराज्य हो सके। १९२९ में हम यह भी नहीं जानते थे कि भारतीय प्रतिनिधि क्या रुख अख्तियार करेंगे। आज हम जानते हैं।

लाहौरके 'पूर्ण स्वराज्य' वाले प्रस्ताव और इस समझौतेकी बातचीतमें तो जमीन-आसमानका फर्क दिखाई पड़ता है।

लाहौरवाला प्रस्ताव पेश करते वक्त मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि स्वराज्य का अर्थ यह नही है कि ब्रिटिश सम्बन्धका सर्वथा त्याग हो। यदि हमारी लड़ाई हिंसक होती तो दो पक्षोमें से एकका विनाश हो जाता। पर हमारा युद्ध तो अहिंसक रहा है जिसमें समझौतेकी सम्भावना तो एक मानी हुई बात रहती है। हम सदासे ऐसा मानते और चाहते आये है। मैंने लार्ड इर्विनको इसी भावनासे पत्र लिखा था। मौजूदा अस्थायी समझौता हमारे लिए परिषदमें जाकर मनचाही चीज मांगनेका रास्ता खोल देता है। एक सत्याग्रहीकी हैसियतसे मेरा यह धर्म था कि मैं ऐसा कोई रास्ता ढूंढनेकी कोशिश करूँ।

आप कहते हैं कि भारतके लिए हितकर संरक्षणोंकी आप कल्पना कर सकते हैं। क्या जिन संरक्षणोका उल्लेख किया गया है, वे इस प्रकारके हैं?

नहीं, वे तो असह्य बोझ ही हैं। अंग्रेज भले ही कहे कि वे हिन्दुस्तानके हितके लिए हैं। पर उनको अभी मुझे विश्वास कराना होगा।

क्या आप भावी संविधानमें संरक्षणोंको स्थान देनेके लिए तैयार होंगे?

जो संरक्षण वाजिब और बुद्धिसम्मत हों, वे बने रह सकते हैं। मसलन अल्पसंख्यकोंका सवाल। मैं समझ सकता हूँ कि यदि हम अल्पसंख्यकोंके हकको पवित्र धरोहर नहीं मानेंगे तो राष्ट्रकी हैसियतसे हम अपना ध्येय सिद्ध न कर सकेंगे। इससे सम्बन्धित संरक्षणको मैं उचित कहूँगा। दूसरा सवाल आर्थिक सरंक्षणका है; यदि हमपर सरकारी कर्ज हो तो उसके लिए संरक्षणकी आवश्यकता जरूर होगी। इस संरक्षणके स्वरूपका विचार मैंने अभी अपने मनमें नहीं किया है। रही फौज और दूसरी नौकरियोंकी बात; मैं कबूल करता हूँ कि ब्रिटिश अफसरो और सैनिकोकी तनख्वाहके सम्बन्धमें और अन्य बातोंके सम्बन्धमें जो शर्तें हमने मंजूर की हों, उनका पालन करनेके लिए हम बँधे हुए हैं। पर भारतके कल्याणके लिए किसको और कब रखना जरूरी है, और वेतन आदिके सम्बन्धमें क्या-क्या शर्तें आवश्यक है, इसका निश्चय तो हमें ही करना होगा।

आप भारतपर जो ऋण हैं, उनको अस्वीकार करेंगे?

जो ऋण उचित रीतिसे हमपर निकलता होगा, उसके एक पैसेको भी मैं अस्वीकार नहीं करूँगा। पर दुर्भाग्यसे उस ऋणको अस्वीकार करनेके सम्बन्धमें भारी गलतफहमी फैली हुई है। कांग्रेसका यह इरादा कभी नहीं रहा कि वह राष्ट्रीय ऋणका एक रुपया भी अस्वीकार करे। कांग्रेसकी जो माँग है, और जिसपर वह जोर देगी वह तो यह है कि जो ऋण भावी सरकारके मत्थे मढनेका प्रयत्न किया जायेगा, वह ऋण न्यायोचित सिद्ध होना चाहिए; उसी तरह, जिस तरह ग्राहक माल खरीदते वक्त यह जानना चाहता है कि उसे क्या जिम्मेदारी उठानी पडेगी। कांग्रेसने यह सुझाव दिया है कि यदि इस प्रश्नका निपटारा आपसी समझौतेसे न हो, तो उसके लिए निष्पक्ष न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिए।

क्या आप राष्ट्रसंघको इसके लिए योग्य न्यायाधिकरण मानते हैं?

तात्कालिक उत्तर देनेके लिए तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रसंघ एक योग्य न्यायाधिकरण हो सकता है। पर मैं नहीं जानता कि इंग्लैंड संघसे इस सवालकी जाँच करानेको तैयार होगा या नहीं। और उनके संकोचको मैं समझ सकता हूँ। इसके अलावा राष्ट्रसंघ शायद ऐसी जिम्मेदारी कबूल भी न करे। पर, ऐसा न्यायाधिकरण नियुक्त करनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जो दोनोंको स्वीकार्य हो।

क्या आप गोलमेज परिषदमें इस सवालपर जोर देंगे?

राष्ट्रीय ऋणकी जाँच और स्वीकृतिका सवाल जब खड़ा होगा, तब ऐसा करना पड़ेगा। हमारे लिए कौन-सी रकमें स्वीकार कर लेना उचित है, इस बारेमें हम अपनी राय पेश करेंगे; पर अगर इंग्लैंडका मत उससे भिन्न हुआ तो फिर पंच-फैसलेका सवाल उठ खड़ा होगा और ऐसा कराना आवश्यक हो जायेगा। इसलिए हम तो यह चाहते हैं कि हिसाबकी उचित जाँच की जाये।

जैसा 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने आज लिखा है, क्या यह अस्थायी समझौता ईसाके गिरि-प्रवचनका व्यावहारिक उपयोग है?

मैं नहीं समझता कि मैं इसका निर्णय कर सकता हूँ। समझौतेमें दोनों पक्षवालोंने किन तत्त्वोंका उपयोग किया है, इसका निर्णय करना आलोचकोंका काम है।

आपकी पूर्ण स्वराज्यकी कल्पना क्या है? क्या ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर रहते हुए हमें पूर्ण स्वराज्य मिल सकता है?

मिल सकता है, पर वह सम्पूर्ण समानताके आधारपर। 'कम्प्लीट इंडिपैंडेंस' का अर्थ सम्बन्ध-विच्छेद हो सकता है, और जन-साधारण इसे इसी रूपमें समझता है। पर यदि हम सम्पूर्ण समानताके आधारपर राष्ट्र-मण्डलमें रहे, तो साम्राज्यका केन्द्र डाउनिंग स्ट्रीट न रहकर दिल्ली होना चाहिए। भारतवर्षकी आबादी ३० करोड़की है, और इस तथ्यकी अवहेलना नहीं हो सकती। मित्रोंका कहना है कि इंग्लैंड इस स्थितिको कभी कबूल नहीं करेगा। पर मैं निराश नहीं होता हूँ।

अंग्रेज व्यवहारचतुर हैं, और चूँकि वे स्वयं स्वतन्त्र रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरोंके लिए उसी स्वतन्त्रताकी कामना करना उनके लिए बहुत कठिन बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब हिन्दुस्तानको समानता देनेका समय आयेगा, तब वे कहेंगे कि हमारा तो शुरूसे यही इरादा था। अंग्रेजोंमें अपनेको धोखा देनेकी — आत्मवंचना की — जो प्रवृत्ति है, वैसी दूसरी किसी जातिमें नहीं है और मेरी दृष्टिमें समानताका मतलब अलग होनेका हक है।

क्या आप यह पसन्द करेंगे कि पूर्ण स्वराज्य ब्रिटिश झण्डेके नीचे हो?

दोनोंका एक संयुक्त झण्डा हो सकता है, अथवा दोनों पक्षोंका अलग-अलग झण्डा भी हो सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-३-१९३१

३३९. तार : हीरालाल अमृतलाल शाहको

७ मार्च, १९३१

हीरालाल अमृतलाल[1]
बम्बई

सरदार[2] वहाँ [समझौतेकी शर्तोंका] अर्थ समझाने — निर्देश देनेके लिए हैं।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

३४०. तार : कृष्णदासको

७ मार्च, १९३१

कृष्णदास
खादी भण्डार
कलकत्ता

समझौतेकी शर्तोंमें धरना देनेकी इजाजत है लेकिन यदि किसी उपद्रवकी आशा हो तो मुल्तवी कर दीजिए। विक्रेताओंको [विदेशी वस्त्र व्यापारसे] पराङ्मुख करनेके तरीके सोच रहा हूँ।

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

३४१. तार : प्रभाशंकर पट्टणीको

दिल्ली
७ मार्च, १९३१

सर प्रभाशंकर पट्टणी
भावनगर

इतवारकी शामको छोटी लाइनसे अहमदाबादके लिए रवाना हो रहा हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ५९१४)की फोटो-नकलसे; तथा एस० एन० १६९२४ की माइक्रोफिल्मसे भी।

१. बम्बईके एक खादी कार्यकर्ता।
२. वल्लभभाई पटेल।

३४२. पत्र : वाइसरायको[1]

१ दरियागंज, दिल्ली
७ मार्च, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके अत्यन्त स्नेहपूर्ण पत्रने मेरे हृदयपर गहरा असर डाला। आपसे फिर दिल खोलकर बात शुरू करनेमें मुझे हमेशा ही खुशी होगी; अब हम सिर्फ यही आशा करें कि परिस्थितियाँ पहलेसे कम कठिन हो जायेंगी। आपके स्नेहपूर्ण स्वभावने उस कठिन प्रयत्नको इतना सुखप्रद कार्य बना दिया था कि मैं उत्सुकतासे उसकी प्रतीक्षा करने लगा था। मैं भी आपके साथ हृदयसे प्रार्थना करता हूँ—ईश्वर उसे पूरा करे।

आपका सच्चा मित्र,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३३९)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

३४३. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

दिल्ली
७ मार्च, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

अम्बालासे आये एक अत्यावश्यक सन्देशमें मेरा ध्यान छावनीके उन आदेशोंकी ओर खींचा गया है जिनमें ऐसे व्यक्तियोंको, जिनपर कांग्रेससे सहानुभूति रखनेका या कांग्रेसकी मदद करनेका सन्देह किया जाता है, छावनीकी हदसे बाहर चले जानेकी और छावनी से बाहर रहनेवालोंको छावनीके अन्दर न आनेकी हिदायत है

१. उनके ६ मार्चके निजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ९३४०)के उत्तरमें, जो इस प्रकार था : "मैं आपको निजी तौरपर अपना एक छोटा-सा पत्र लिखना चाहता हूँ। इन पिछले कठिन दिनोंमें जब हम साथ काम करते रहे हैं, आपने जो-कुछ किया है उस सबके लिए मैं आपको भूरिशः धन्यवाद देता हूँ। आपसे मिलने और आपको जाननेका सुअवसर प्राप्त होना मेरे लिए बड़े सौभाग्यकी बात है और मैं आशा करता हूँ कि भारत छोड़नेसे पहले या इंग्लैंडमें मुझे आप फिर मिलनेका सुअवसर देंगे। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है—जैसा कि मुझे विश्वास है—कि इतिहास यह कहे कि आपको और मुझे भारत और मानवताके लिए एक बड़ा काम करनेका साधन बनाया गया था। पुनः अनेक धन्यवाद और गहरी सद्भावना. . ."

और मुझसे पूछा गया है कि क्या ऐसे व्यक्ति समझौते द्वारा सुरक्षित है या नहीं। इस तारसे मुझे याद आया है कि कई छावनियोंमें ऐसे ही हुक्म जारी हुए हैं। ऐसे व्यक्ति समझौते द्वारा सुरक्षित हैं, यह बात जिस तरह मेरे सामने साफ है उसी तरह आपके सामने भी हो तो क्या आप कृपया आवश्यक निर्देश जारी कर देंगे।

आपका,

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल सं०-१६-बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

३४४. भाषण : दिल्लीकी सार्वजनिक सभामें[1]

७ मार्च, १९३१

अपना भाषण शुरू करनेके पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे मौलाना शौकत अलीका यहाँ न होना बहुत अधिक खटक रहा है। वे आज सुबह ही पहुँचे हैं। उनके यहाँ उपस्थित न होनेका मुझे अवर्णनीय दुःख है और निःसन्देह आपको भी मेरे साथ दुःख होगा। परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मौलाना और दूसरे मुसलमान हमारे साथ एक ही मंचपर काम करें, मैं इसपर उन्हें सहमत करनेका कोई अवसर नहीं जाने दूंगा। इस दिशामें कोई भी कसर उठा नहीं रखूंगा। यह शर्मकी बात है कि 'बड़ा भाई' जिसके साथ मैं दो सालसे ज्यादा देशमें घूमता रहा और जिनके बारेमें यह कहते हुए मुझे विशेष आनन्द होता था कि वह मुझे अपनी जेबमें डालकर ले जा सकता है, आज यहाँ मेरे साथ नहीं है। परन्तु यदि यह शर्मकी बात है भी तो मुझे नहीं मालूम कि इसके लिए मैं कहाँतक उत्तरदायी हूँ। इस शर्मको दूर करनेके लिए मैंने कोई कोशिश उठा नहीं रखी है। परन्तु मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि सगे भाइयोंमें भी गहरे मतभेदकी वजहसे अलगाव हो जाता है। परन्तु हमारे मतभेदोंसे हमारी मित्रतापर बिलकुल आंच नहीं आई है। मैं आज भी उन्हें अपना मित्र और भाई मानता हूँ। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे भी मुझे वैसा ही मानते हैं। परन्तु मुझे इससे सन्तोष नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वे भारतके कल्याणके लिए मेरे साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर काम करें। मैं उनसे अपनी शर्तों पर सहयोग चाहता हूँ जैसे कि वे कभी मुझे दिया करते थे। पर एक स्थिति ऐसी

१. यह "दिल्लीका भाषण" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। इसके साथ महादेव देसाईकी यह प्रास्ताविक टिप्पणी थी: "७ मार्चको दिल्लीकी एक सार्वजनिक सभामें, जिसमें ५०,००० से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे गांधीजीने हिन्दीमें भाषण दिया, जिसका यह संक्षिप्त रूप है।"

आई कि उनके लिए उस कामका आकर्षण समाप्त हो गया और उन्होंने कांग्रेस मंच छोड़ दिया।

मैं आज जो-कुछ कहने जा रहा हूँ, उसका आभास आपको इस भूमिकासे मिल गया होगा। यदि हिन्दुओं और मुसलमानोंमें सच्ची सुलह न हुई तो जो समझौता अभी हुआ है, उसका कुछ परिणाम नही निकलेगा। और इस सुलहके विना हमारा परिषदमें जाना बेकार होगा। परिषद एकता स्थापित करनेमें हमारे लिए सहायक हो सकती है, यह दावा तो कोई नही कर सकता। शुद्ध हृदयसे अविश्वास निकाल देनेके वाद ही मन मिल सकते हैं; वह भी केवल परिषदके वाहर ही। इसमें मैं आपका सहयोग माँगता हूँ और आप विश्वास रखें कि मैं अपनी शक्ति-भर कोशिश करता रहूँगा।

मुझे कल एक पत्र मिला है जिसमें पत्र-लेखकने मुझसे पूछा है कि मैं मुसलमानोंसे वही प्रस्ताव क्यों नही करता, जो मैंने वाइसरायसे किये है। वह पूछता है कि मै उन श्रद्धेय मुसलमान मित्रोंके पास क्यों नही जाता जो एकताके लिए उत्सुक हैं और मैं घुटने टेककर उनसे सहयोगका अनुरोध क्यों नहीं करता? मुझे यह सुझाव पसन्द आया है और पत्र-लेखक यकीन रखें कि मै मुसलमान मित्रोंसे अभ्यर्थना करनेमें कोई कसर उठा नहीं रखूँगा। परन्तु आपको यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि हर व्यक्तिकी क्षमताकी एक सीमा होती है और जिस क्षण वह मिथ्या-भिमानमें यह महसूस करता है कि वह सारा काम निभा सकता है, ईश्वर उसका अभिमान चूर-चूर कर देता है। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मुझमें स्वभावसे ही इतनी विनम्रता है कि मैं छोटे एवं दूध पीनेवाले बच्चों तकसे सहायता लेनेको तैयार हूँ। और इससे मुझे याद आती है कि अपने इस उद्देश्यमें मैं अपनी उन वहनोंके हार्दिक एवं सक्रिय सहयोगपर निर्भर रह सकता हूँ, जिन्होंने पिछले वीरतापूर्ण आन्दोलनके दौरान कष्ट-सहन एवं त्यागमें सवको मात कर दिया था। उनसे मेरा कहना है: यदि आप हिन्दू-मुस्लिम एकताको अनिवार्य मानती है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने देशवासियोंके विरुद्ध भी सत्याग्रहका वही अस्त्र काममें लायें जिसका प्रयोग आपने सरकारके विरुद्ध इतने प्रभावशाली ढंगसे किया है। आप पुरुष-वर्गसे कह दें कि जवतक वे गन्दे जातीय झगड़ोंको तिलांजलि नहीं दे देते तवतक आप उनसे असहयोग करेंगी, उनके लिए खाना नही बनायेंगी, स्वयं भूखी रहेंगी और उन्हें भी भूखा रखेंगी। आप मुझे अपने सहयोगका आश्वासन दें। इससे मेरा वल और मेरी अनुरोध करनेकी शक्ति वहुत ज्यादा वढ़ जायेगी।

हम हिन्दुओंको बहुसंख्यक जाति कहा जाता है और कुछ हदतक यह सही भी है। उन्हें मैं अब भी वही कुछ कहूँगा जो मैं १९२१ में कहा करता था अर्थात् दोनोंमें से कोई भी और अपेक्षतः वहुसंख्यक जाति यदि अपने अधिकार और विशेषाधिकार स्वेच्छासे त्याग दे तो इससे इस एकतापर तत्काल असर होगा। हिन्दुओंके लिए ऐसा आत्मत्याग वहुत बड़ी और बहादुरीकी वात होगी। वे मुसलमानोंसे कहें: "लाभांशका जितना बड़ा हिस्सा आप चाहते है, ले लें; हमें आपकी सेवा करके ही

सन्तोष होगा।" आखिरकार यें चीजें, जिनके लिए आप झगड़ रहे है, है क्या? हवा और पानीके लिए तो आप नही झगड रहे। झगड़ा तो विधान-सभाओ और स्थानीय संस्थाओमें प्रतिनिधित्वका है। आपमें से बहुतसे लोगोको उससे क्या काम है? आपमेंसे कितने लोग वहाँ जा सकते है? और वहाँ क्या कर सकते है? विधानसभाओंके बाहर आपने आश्चर्यजनक काम किये। आपने अध्यादेशोकी अवहेलना की, आपने लाठी और गोली चलनेकी परवाह नही की, क्योकि आपको अपनी शक्तिका अन्दाज था। यदि आपमें इतना ही विवेक बना रहे तो संसदमें सब मुसलमान हो और कोई हिन्दू न हो तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मै प्रतिनिधित्वके झगड़ोंसे और मिथ्या अधिकारकी होड़से तग आ गया हूँ। काश! मै सब काग्रेसियोंको समझा सकूँ कि उनको उन विधान-सभाओसे कोई वास्ता नही रखना चाहिए। स्वेच्छाप्रेरित त्याग ही आपको वह शक्ति देगा जिसके बारेमें आपने कभी स्वप्नमें भी न सोचा होगा।

और मेरी बहनो, आप संसदमें जाकर क्या करेंगी? क्या आपकी महत्वाकांक्षा कलैक्टर, कमिश्नर या वाइसराय बननेकी है? आपमें से कोई एक यदि भारतकी वाइसराय बन जाये तो वह क्या करेगी? मुझे मालूम है कि आप वाइसराय बनना नही चाहेंगी क्योकि वाइसरायको प्राणदण्ड और फांसीका हुक्म देना होता है। यह ऐसा काम है जिससे आप हृदयसे घृणा करेंगी। कल्पना कीजिए कि हम 'नेता लोग' वाइसराय बननेकी होड़में लग जायें तो हम केवल अपना ही गला घोटेंगे। हमने इसी फलकी कामना नही की है। हमारे मनमें तो देशसेवक बननेकी तीव्र इच्छा है। मै तो यही चाहता हूँ कि यह सेवाभाव वातावरणमें व्याप्त हो जाये। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आपकी भी यही महत्वाकाक्षा हो। परन्तु यदि आपको यह ठीक न लगे तो आप मुझे छोड दें, क्योंकि मै इसी शर्तपर सेवा करता हूँ। मेरे पास स्वेच्छापूर्वक त्यागके अलावा और कोई रहस्य नही है।[1]

इस परचेके गुमनाम लेखकने पूछा है: 'शान्ति कहाँ है?' 'स्वर्गीय पण्डित मोतीलालको मृत्यु-शैयापर भी गढ़वालियोकी चिन्ता थी। आपने उनके लिए क्या किया है?' यह दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया है। तो मै आपको बता दूँ कि अपने जीवनके अन्तिम दिन उन्होने जब गढ़वालियोका जिक्र किया, उस वक्त सिर्फ मै उनके पास था और कोई नही था—जवाहरलाल भी नही। इसे अपने लिए उनकी अन्तिम वसीयत मानता हूँ, क्योकि वे उनके अन्तिम शब्द थे जो मैंने उनके मुँहसे सुने थे। परन्तु वे क्या सोच रहे थे, यह मै आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। लेखक अपने आपको 'यंग इंडिया' कहकर पुकारता है, परन्तु मै उसे बता दूँ कि मै अब भी 'यग इडिया' का सपादक हूँ। जो व्यक्ति मुझे 'यग इंडिया' के संपादनसे हटा देना चाहता है; वह मेरे सामने आये और मै उसे बताऊँगा कि पण्डित मोतीलाल नेहरूका सकेत किस ओर था। आप यह जरूर याद रखें कि उस वक्त 'शान्ति वार्ताएँ' नही चल रही थी। तबतक शान्ति-दूत आये भी नही थे, और

१. इस वक्त गांधीजीको एक 'लाल' परचा दिया गया, जिसमें उनसे बहुत-से प्रश्न पूछे गये थे।

गढ़वालियोंकी स्वतन्त्रताका प्रश्न स्वर्गीय पण्डितजीके मनमें नहीं हो सकता था। वे जानना चाहते थे कि गढ़वालियोंके रिश्तेदारों और आश्रितोंकी देखभाल ठीक तरह की जा रही है या नहीं।

अगला सवाल भगतसिंह और दूसरे लोगोंके बारेमें है, जिनको मौतकी सजा दी जा चुकी है। मुझसे पूछा गया है कि जब कि इन देशभक्तोंके सिरपर मौतकी छाया मँडरा रही है, शान्ति हो कैसे सकती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन पत्रकोंको बाँटनेवाले नौजवान ऐसी सीधी-सादी बात भी नहीं समझ सकते। उन्हें समझना चाहिए कि हमने कोई शान्ति-सन्धि नहीं की है। सिर्फ अल्पकालीन और अस्थायी समझौता किया है। मैं युवकोंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे व्यवहार-बुद्धि, आवेशहीन वीरता, धैर्य और विवेकको तिलांजलि न दे दें। मैंने ६२ वर्षीय युवक होनेका दावा किया है। परन्तु यदि मुझे जीर्ण-शीर्ण, बूढ़े और पुराणपन्थीकी संज्ञा भी दे दी जाये तो भी मुझे आपसे विवेकपूर्ण काम करनेकी प्रार्थना करनेका अधिकार है। मैं यह नहीं चाहता कि बूढ़े लोग आपको जो-कुछ कहें, आप उसे निःसंकोच स्वीकार कर लें। परन्तु मैं चाहता हूँ कि आप उसपर सोच-विचार करें, उसे तोलकर देखें; और यदि आपको लगे कि बूढ़े लोगोंने काम बिगाड़ दिया है और हम कमजोर साबित हुए हैं, तो सब प्रबन्ध हमसे ले लें और खुद काम सँभाल ले। परन्तु उसकी पहली शर्त है: आवेशहीन वीरता और ठोस व्यावहारिक ज्ञानका होना।

परन्तु मैं आपको बता दूँ कि भगतसिंह और बाकी लोग रिहा क्यों नहीं किये गये हैं। हो सकता है कि यदि आप समझौतेकी बातचीत कर रहे होते तो आप वाइसरायको ज्यादा अच्छी शर्तोंके लिए राजी कर लेते, परन्तु कार्यसमितिके लोग तो इससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते थे। मैं आपको बता दूँ कि सारी समझौता-वार्त्ताके दौरान मैंने स्वतन्त्र रूपसे कुछ नहीं किया। मुझे सारी कार्य-समितिका समर्थन प्राप्त था। समझौते करते समय हम जितना दबाव डाल सकते थे, उतना हमने डाला और अस्थायी समझौतेके अन्तर्गत हमें जो-कुछ न्यायपूर्वक मिल सकता था, उससे सन्तोष कर लिया। अस्थायी सन्धिके लिए मध्यस्थता करनेवाले हम लोग सत्य और अहिंसाके अपने प्रण और न्यायकी सीमाओंको नहीं भूल सकते थे।

परन्तु जिनका आपने नाम लिया है, उन सबको रिहा करानेका रास्ता अब भी खुला है। आप समझौतेको कार्यरूप दें, तो ऐसा हो सकता है। 'यंग इंडिया' समझौतेका समर्थन करे और इसकी सारी शर्तोंको पूरा करे और यदि ईश्वरने चाहा और हमारे उपर्युक्त स्थितिपर पहुँचनेतक भगतसिंह और दूसरे लोग जीवित रहे तो वे फाँसीके तख्तेपर लटकनेसे ही नहीं बच जायेंगे परन्तु रिहा भी कर दिये जायेंगे।

परन्तु मैं 'यंग इंडिया'को एक चेतावनी दे दूँ। इन चीजोंको माँगना आसान है, पाना नहीं। आप उन लोगोंकी रिहाईकी माँग करते हैं जिन्हें हिंसाके आरोपमें फाँसीकी सजा दी गई है। यह कोई गलत बात नहीं है। मेरा अहिंसा-धर्म-चोर-डाकुओं और यहाँतक कि हत्यारोंको भी सजा देनेके पक्षमें नहीं है। भगतसिंह जैसे बहादुर आदमीको फाँसीपर लटकानेकी बात तो दूर रही, मेरी अन्तरात्मा तो

किसीको भी फाँसीके तख्तेपर लटकानेकी गवाही नही देती है। परन्तु मैं आपको बता दूँ कि आप भी जबतक समझौतेकी शर्तोंका पालन नही करते, उन्हें बचा नही सकते। यह काम आप हिंसा द्वारा नहीं कर सकते। यदि आपको हिंसापर ही विश्वास है, तो मै आपको निश्चयपूर्वक बता सकता हूँ कि आप केवल भगतसिंहको ही नही छुड़ा सकेंगे बल्कि आपको भगतसिंह-जैसे और हजारो लोगोका भी बलिदान करना पड़ेगा। मैं वैसा करनेके लिए तैयार नही था। और इसलिए मैंने शान्ति और अहिंसाका मार्ग ज्यादा बेहतर समझा। आपने जो मार्ग अपनाया है, उसकी शताब्दियोसे परीक्षा हो रही है। इतिहासमें इस तथ्यके असंख्य उदाहरण हैं कि जो तलवारका प्रयोग करते हैं वे तलवारसे ही नष्ट हो जाते है। आप हिंसाका प्रयोग अपने शासकोंके विरुद्ध ही नही करेंगे, आप अपने भाई-बहनोके विरुद्ध भी उसका प्रयोग करेंगे और आपकी-जैसी विचारधारा वाले लोग उसका प्रयोग आपके विरुद्ध करेंगे।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप कैदियोंकी रिहाई चाहते है तो अपने तरीके बदल डालिए और समझौता मान लीजिए और तब आकर गढवालियों और भगतसिंहके बारेमें बात कीजिए। जब आप समझौतेको कार्यान्वित कर ले और शक्तिसंचय कर लें तो उसके छः महीने बाद आप मेरे पास आइए और जो प्रश्न मुझसे आज पूछे हैं वे तब पूछिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी तसल्ली करा दूंगा।

सविनय अवज्ञाको स्थगित करके अब हम अनुशासित आज्ञा-पालनके युगमें प्रवेश करते हैं। अब हमने विदेशी वस्त्र और शराबकी दुकानोके आगे धरना देनेमें सब तरहकी निष्क्रिय, सक्रिय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंसासे बचनेकी प्रतिज्ञा ही नही की, बल्कि इसके अलावा हमने अंग्रेजी कपडेको छोड़कर बाकी अंग्रेजी मालके बहिष्कारमें ढील देनेका वचन भी दिया है। समझौता फिरसे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेकी दिशामे एक प्रयास है और इसलिए इसका मतलब है कि हम सजा देनेके अपने सब हथियार त्याग दें। अंग्रेजी मालके बहिष्कारकी कल्पना वास्तवमें सजा देनेके एक साधनके रूपमें की गई थी और इसलिए अब उसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए। परन्तु हमें रचनात्मक कार्यक्रमको और भी ज्यादा उत्साहसे आगे बढ़ाना है, अर्थात् विदेशी वस्त्र और शराबका बहिष्कार करना है। इस कार्यक्रमका अभिप्राय है हमारे गरीब और भूखे रहनेवाले लाखो लोगोकी आर्थिक और नैतिक मुक्ति।

मैं यह भी स्पष्ट कर दूँ कि अंग्रेजी मालका बहिष्कार करनेमें ढील देनेका मतलब यह नही है कि हम भारतीय मालके स्थानपर अंग्रेजी मालको तरजीह दें। आप विदेशी मालके स्थानपर तो हमेशा भारतीय मालको ही तरजीह देंगे। समझौतेके अन्तर्गत आपकी प्रतिज्ञा यह है कि आप ऐसा नही करेंगे कि अंग्रेजोके प्रति बहिष्कारका अस्त्र इस्तेमाल करें और दूसरे विदेशियोंके प्रति अपना रवैया अच्छा रखें। और उस शर्तके होनेपर भी आप अंग्रेजी मालको तरजीह देनेके लिए बाध्य नही हैं। इसका इतना ही बन्धन है कि आप अबतक जो जबरदस्ती करनेवाली बहिष्कारकी नीति अपनाते रहे है उसे न अपनाएँ।

क्या आप राष्ट्रसंघको इसके लिए योग्य न्यायाधिकरण मानते हैं?

तात्कालिक उत्तर देनेके लिए तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रसंघ एक योग्य न्यायाधिकरण हो सकता है। पर मैं नहीं जानता कि इंग्लैंड संघसे इस सवालकी जाँच करानेको तैयार होगा या नहीं। और उनके संकोचको मैं समझ सकता हूँ। इसके अलावा राष्ट्रसंघ शायद ऐसी जिम्मेदारी कबूल भी न करे। पर, ऐसा न्यायाधिकरण नियुक्त करनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जो दोनोंको स्वीकार्य हो।

क्या आप गोलमेज परिषदमें इस सवालपर जोर देंगे?

राष्ट्रीय ऋणकी जाँच और स्वीकृतिका सवाल जब खड़ा होगा, तब ऐसा करना पड़ेगा। हमारे लिए कौन-सी रकमें स्वीकार कर लेना उचित है, इस बारेमें हम अपनी राय पेश करेंगे; पर अगर इंग्लैंडका मत उससे भिन्न हुआ तो फिर पंच-फैसलेका सवाल उठ खड़ा होगा और ऐसा कराना आवश्यक हो जायेगा। इसलिए हम तो यह चाहते हैं कि हिसाबकी उचित जाँच की जाये।

जैसा 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने आज लिखा है, क्या यह अस्थायी समझौता ईसाके गिरि-प्रवचनका व्यावहारिक उपयोग है?

मैं नहीं समझता कि मैं इसका निर्णय कर सकता हूँ। समझौतेमें दोनों पक्षवालोंने किन तत्त्वोंका उपयोग किया है, इसका निर्णय करना आलोचकोंका काम है।

आपकी पूर्ण स्वराज्यकी कल्पना क्या है? क्या ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर रहते हुए हमें पूर्ण स्वराज्य मिल सकता है?

मिल सकता है, पर वह सम्पूर्ण समानताके आधारपर। 'कम्प्लीट इंडिपैंडेंस'का अर्थ सम्बन्ध-विच्छेद हो सकता है, और जन-साधारण इसे इसी रूपमें समझता है। पर यदि हम सम्पूर्ण समानताके आधारपर राष्ट्र-मण्डलमें रहें, तो साम्राज्यका केन्द्र डाउनिंग स्ट्रीट न रहकर दिल्ली होना चाहिए। भारतवर्षकी आबादी ३० करोड़की है, और इस तथ्यकी अवहेलना नहीं हो सकती। मित्रोंका कहना है कि इंग्लैंड इस स्थितिको कभी कबूल नहीं करेगा। पर मैं निराश नहीं होता हूँ।

अंग्रेज व्यवहारचतुर हैं, और चूँकि वे स्वयं स्वतन्त्र रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरोंके लिए उसी स्वतन्त्रताकी कामना करना उनके लिए बहुत कठिन बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब हिन्दुस्तानको समानता देनेका समय आयेगा, तब वे कहेंगे कि हमारा तो शुरूसे यही इरादा था। अंग्रेजोंमें अपनेको धोखा देनेकी — आत्मवंचना की — जो प्रवृत्ति है, वैसी दूसरी किसी जातिमें नहीं है और मेरी दृष्टिमें समानताका मतलब अलग होनेका हक है।

क्या आप यह पसन्द करेंगे कि पूर्ण स्वराज्य ब्रिटिश झण्डेके नीचे हो?

दोनोंका एक संयुक्त झण्डा हो सकता है, अथवा दोनों पक्षोंका अलग-अलग झण्डा भी हो सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-३-१९३१

३४५. तार : वल्लभभाई पटेलको

८ मार्च, १९३१

वल्लभभाई पटेल
बम्बई

फिनले[1] ने तार दिया है कि उनके गोदाम पर धरना दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि उनके कपड़े पर प्रतिबन्ध जारी रखते हुए गोदामो परसे धरना देनेवालोंको हटा लेना चाहिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४) की माइक्रोफिल्मसे।

३४६. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

१ दरियागंज, दिल्ली
८ मार्च, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

नेलौरमें आया एक तार (नकल) पत्रके साथ भेज रहा हूँ। मेरा खयाल है कि वहां अभी समझौतेका पता नही लगा है, इसलिए लाठी चला दी गई। जो भी हो, मुझे लगता है कि ऐसे सभी मामलोंको आपके ध्यानमें लाना चाहिए। यदि आप ऐसा न चाहें तो बात दूसरी है।[2]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीमें]

अ० भा० कां० क० फाइल सं० १६-बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. फिनले मिल्स, बम्बई।
२. इसका उसी तारीखको उत्तर देते हुए एमर्सनने लिखा : "...सरकारकी इच्छा है कि समझौतेको जल्दीसे-जल्दी और पूरी तरह कार्यान्वित किया जाये और हमने स्थानीय सरकारोंको पत्र भेज दिए हैं... हम मद्रास-सरकारसे रिपोर्ट भेजनेके लिए कहेंगे।"

३४७. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

दिल्ली
८ मार्च, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

तत्काल उत्तर[1] देनेके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे बिलकुल सहमत हूँ कि सभी अलग-अलग जगहोंपर निर्देश पहुँचनेमें कुछ समय तो जरूर लगेगा। मुझे लगा कि तार आपतक पहुँचाना मेरा कर्त्तव्य है जिससे कि जो कार्यवाही आपको आवश्यक लगे आप वह करें। आपने तार पर कार्यवाही की है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल सं० १६-बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

३४८. समुद्री तार : लन्दनके 'स्पेक्टेटर' को[2]

[९ मार्च, १९३१से पूर्व][3]

धन्यवाद। राष्ट्रमण्डलमें भारतका बना रहना उसके साथ अंग्रेजोंके उचित व्यवहार पर अवलम्बित है। यह बात स्वराज्यकी शर्त कदापि हो नहीं सकती और दोनों पक्षोंकी हार्दिक इच्छापर ही अवलम्बित रहेगी।

आज, १२-३-१९३१

१. देखिए पिछले शीर्षककी पादटिप्पणी।

२. यह सम्पादकके इस समुद्री तारके उत्तरमें दिया गया था: "समझौतेके लिए हार्दिक बधाई। मैं ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें भारतकी भलाईके लिए भरसक प्रयत्न करूँगा।"

३. यह तार "नई दिल्ली, ९ मार्च, १९३१" तिथिके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

३४९. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

अहमदाबाद
१० मार्च, १९३१

प्र०—यदि कराची कांग्रेसने अस्थायी समझौतेकी शर्तें अस्वीकृत कर दीं तो आप क्या करेंगे?

उ०—ऐसी हालतमें मुझसे गोलमेज-परिषदमें उपस्थित होनेको न कहा जायेगा। मैं वाइसरायसे गांधीकी हैसियतसे नहीं, बल्कि कांग्रेसका सदस्य होनेकी हैसियतसे मिला था।

क्या आप अपने आश्रम जायेंगे?

मैं आश्रम नहीं जा सकता; यदि मैं आश्रम गया तो आश्रमके रहनेवाले मुझे निकाल बाहर कर देंगे। मैं वहीं रहूँगा जहाँ मुझे भिक्षा मिल सकेगी। यदि गोलमेज-परिषदमें ऐसा शासन-विधान तय हो सका जो कांग्रेस पसन्द कर सके तो मैं आश्रम लौट सकूंगा।

क्या आप किसानोंको मालगुजारी देनेकी सलाह दे सकेंगे?

किसानोंने प्रतिज्ञा की है कि जब श्री वल्लभभाई पटेल कहेंगे तभी हम मालगुजारी देंगे। श्री वल्लभभाई पटेल जैसा कहेंगे वैसा ही किसान करेंगे। मैं जैसा कहूँगा वैसा वे नहीं करेंगे।

आप और वाइसरायमें समझौतेकी शर्तोंके बारेमें जो बातें हुई हैं, क्या उनका विवरण प्रकाशित किया जायेगा?

मुमकिन है वाइसराय प्रकाशित करें, मैं यह नहीं कर सकता।

आज, १२-३-१९३१

३५०. तार: प्रफुल्ल सेनको[1]

[१० मार्च, १९३१ या उसके पश्चात्]

तार मिला। अत्यन्त दुःख हुआ। कार्रवाई कर रहा हूँ।[2] और विवरण भेजिए। आरामवागमें जुलूस किस लिए निकाला गया तार द्वारा सूचना दीजिए।[3]

वापू

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल सं० १६-वी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

३५१. तार: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

११ मार्च, १९३१

वंगालसे आये एक तारमें[4] लिखा है कि इसी महीनेकी ९ तारीखको आरामवागमें निकाले गए जुलूसमें पुलिसने लाठियों और वन्दूकोंके कुन्दोंसे ग्यारह महिलाओं पर प्रहार किया। यदि सच हो तो यह अत्यन्त चिन्ताजनक वात है।[5]

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल सं० १६-वी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. उनके १० मार्च, १९३१ के तारके उत्तरमें, जो इस प्रकार था: "आरामवागमें कलके जुलूसमें ग्यारह महिलाओंपर पुलिस द्वारा लाठियों, वन्दूकों और वन्दूकके कुन्दोंसे प्रहार।"

२. देखिए अगला शीर्षक।

३. गांधीजीको भेजे गए सेनगुप्तके तारमें लिखा था: "९ तारीखको आरामवागमें समझौतेके उपलक्ष्यमें निकाला गया जुलूस तितर-बितर कर दिया गया।"

४. देखिए पिछले शीर्षककी पाद-टिप्पणी ३।

५. गांधीजीको लिखे अपने १३ मार्चके पत्रमें एमर्सनने लिखा: "भारत-सरकारने बंगाल-सरकारको घटनाकी सही जानकारी देनेके लिए कहा है।"

सन्तोष होगा।" आखिरकार यें चीजें, जिनके लिए आप झगड़ रहे हैं, हैं क्या? हवा और पानीके लिए तो आप नहीं झगड़ रहे। झगड़ा तो विधान-सभाओं और स्थानीय संस्थाओंमें प्रतिनिधित्वका है। आपमें से बहुतसे लोगोंको उससे क्या काम है? आपमेंसे कितने लोग वहाँ जा सकते हैं? और वहाँ क्या कर सकते हैं? विधानसभाओंके बाहर आपने आश्चर्यजनक काम किये। आपने अध्यादेशोंकी अवहेलना की, आपने लाठी और गोली चलनेकी परवाह नहीं की, क्योंकि आपको अपनी शक्तिका अन्दाज था। यदि आपमें इतना ही विवेक बना रहे तो संसदमें सब मुसलमान हों और कोई हिन्दू न हो तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं प्रतिनिधित्वके झगड़ोंसे और मिथ्या अधिकारकी होड़से तंग आ गया हूँ। काश! मैं सब कांग्रेसियोंको समझा सकूँ कि उनको उन विधान-सभाओंसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। स्वेच्छाप्रेरित त्याग ही आपको वह शक्ति देगा जिसके बारेमें आपने कभी स्वप्नमें भी न सोचा होगा।

और मेरी बहनो, आप संसदमें जाकर क्या करेंगी? क्या आपकी महत्वाकांक्षा कलैक्टर, कमिश्नर या वाइसराय बननेकी है? आपमें से कोई एक यदि भारतकी वाइसराय बन जाये तो वह क्या करेगी? मुझे मालूम है कि आप वाइसराय बनना नहीं चाहेंगी क्योंकि वाइसरायको प्राणदण्ड और फांसीका हुक्म देना होता है। यह ऐसा काम है जिससे आप हृदयसे घृणा करेंगी। कल्पना कीजिए कि हम 'नेता लोग' वाइसराय बननेकी होड़में लग जायें तो हम केवल अपना ही गला घोटेंगे। हमने इसी फलकी कामना नहीं की है। हमारे मनमें तो देशसेवक बननेकी तीव्र इच्छा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि यह सेवाभाव वातावरणमें व्याप्त हो जाये। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आपकी भी यही महत्वाकांक्षा हो। परन्तु यदि आपको यह ठीक न लगे तो आप मुझे छोड़ दें, क्योंकि मैं इसी शर्तपर सेवा करता हूँ। मेरे पास स्वेच्छापूर्वक त्यागके अलावा और कोई रहस्य नहीं है।[1]

इस परचेके गुमनाम लेखकने पूछा है: 'शान्ति कहाँ है?' 'स्वर्गीय पण्डित मोतीलालको मृत्यु-शैयापर भी गढ़वालियोंकी चिन्ता थी। आपने उनके लिए क्या किया है?' यह दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि अपने जीवनके अन्तिम दिन उन्होंने जब गढ़वालियोंका जिक्र किया, उस वक्त सिर्फ मैं उनके पास था और कोई नहीं था — जवाहरलाल भी नहीं। इसे अपने लिए उनकी अन्तिम वसीयत मानता हूँ, क्योंकि वे उनके अन्तिम शब्द थे जो मैंने उनके मुँहसे सुने थे। परन्तु वे क्या सोच रहे थे, यह मैं आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। लेखक अपने आपको 'यंग इंडिया' कहकर पुकारता है, परन्तु मैं उसे बता दूँ कि मैं अब भी 'यंग इंडिया'का संपादक हूँ। जो व्यक्ति मुझे 'यंग इंडिया'के संपादनसे हटा देना चाहता है; वह मेरे सामने आये और मैं उसे बताऊँगा कि पण्डित मोतीलाल नेहरूका संकेत किस ओर था। आप यह जरूर याद रखें कि उस वक्त 'शान्ति वार्ताएँ' नहीं चल रही थीं। तबतक शान्ति-दूत आये भी नहीं थे, और

१. इस वक्त गांधीजीको एक 'लाल' परचा दिया गया, जिसमें उनसे बहुत-से प्रश्न पूछे गये थे।

युक्तिसंगत है। कांग्रेस ऐसा कोई संरक्षण स्वीकार नही करेगी जो साफ तौरपर भारतके हितमें न हो और जिन संरक्षणोंकी चर्चा लन्दनमें की गई थी, वे निश्चय ही भारतके हितमें नहीं हैं।

भारतके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंपर टालमटोल करना खतरनाक होगा। यदि कांग्रेस गोलमेज-परिषदमें अपने प्रतिनिधि भेजेगी तो वह मनमें किसी प्रकारका दुराव रखे बिना सारी बात साफ-साफ कहेगी। इसलिए मैं श्री बाल्डविनके अनुदार-दलकी नीति सम्बन्धी वक्तव्यका स्वागत करता हूँ। इससे कांग्रेसको उन शक्तियोंको समझनेमें मदद मिलेगी जो उसके विरोधमें खड़ी की जायेंगी।

[अंग्रेजीसे]
टाइम्स ऑफ इंडिया, १२-३-१९३१

३५५. भाषण: अहमदाबादमें स्वयंसेवकोंके समक्ष[1]

११ मार्च, १९३१

आज सुबह पुरुष और महिला स्वयंसेवकोंकी छोटी-सी एक सभामें भाषण करते हुए गांधीजीने नये कार्यक्रमके सिद्धान्तोंकी व्याख्या की। आरम्भमें ही उन्होंने स्वयंसेवकोंको उनके कामके लिए बधाई दी और कहा कि यद्यपि स्वयंसेविकाओंकी संख्या कम है तो भी उनका योगदान बहुत ज्यादा है। इतनी स्वयंसेविकाएँ खुशीसे जेल जानेके लिए और मारपीट सहन करनेके लिए आगे आयेंगी, ऐसा बहुत कम लोग मानते थे और भारतसे बाहर तो लोग इसे बिल्कुल ही सम्भव नहीं मानते थे। दुनियापर इसका भारी असर पड़ा है। किन्तु यह नहीं सोचना चाहिए कि आप लोग कोई गलती नहीं करते। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण नहीं है, परन्तु कुल मिलाकर मुझे लगता है कि तुलनामें आपके अवगुण बहुत कम हैं।

भावी कार्यक्रमके बारेमें बताते हुए गांधीजीने कहा कि उसमें हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और इस कार्यक्रमको अपेक्षाकृत शान्त वातावरणमें कार्यान्वित करना होगा। जिन्हें बाहरी प्रोत्साहनकी जरूरत पड़ती है उन्हें यह नीरस लगेगा। शान्तिपूर्वक धरना देनेका मतलब है कि एक भी कठोर शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इतने महान कार्यमें तत्काल जादूसे फल मिलनेकी आशा नहीं की जा सकती। आपको धरना देनेके भावी कार्यक्रममें दिलचस्पी नहीं खो देनी चाहिए। आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि कहाँ तक यह काम पुरुषों और महिलाओं दोनोंको मिलकर करना चाहिए। महात्मा गांधीने कहा, मेरी यही इच्छा है कि केवल महिलाएँ ही इस कामको करें। उससे वातावरण और भी उत्कृष्ट होगा। महिलाएँ चाहें तो संगठन आदिके काममें पुरुषोंकी मदद ले लें, परन्तु धरना देना उन्हींका विशेष काम

१. सेठ रणछोड़लालके बंगलेपर लगभग ३०० स्वयंसेवक, जिनमें महिलाएँ भी शामिल थीं, उपस्थित थे।

होना चाहिए। बाकी लोग खद्दर तैयार करनेके काममें लग जायें, क्योंकि उसके बिना विदेशी वस्त्रका बहिष्कार असम्भव है। भाषण समाप्त करते हुए गांधीजीने कहा कि हालाँकि स्वयंसेवकोको निर्वाह-लायक भत्ता दिया जाता है, परन्तु उनका मान भारतीय प्रशासन सेवाके अधिकारियोंसे ज्यादा होना चाहिए।

ब्रिटिश मालके बहिष्कारके बारेमें गांधीजीसे कई सूक्ष्म प्रश्न पूछे गये। गांधीजीने कहा कि आप किसी आदमीको हमेशा मारते नहीं रह सकते। जब समझौतेके लिए बातचीत चल रही है तो आपको अपना चाबुक एक किनारे रख देना चाहिए। ब्रिटिश मालका बहिष्कार अंग्रेजोंको सजा देनेका एक तरीका ही था। परन्तु यदि अंग्रेज लोग हमसे मित्रता करते हैं और हमें पूर्ण स्वराज्य दे देते हैं, तो हम [अन्य किसी देशके मुकाबलेमें] ब्रिटिश मालको तरजीह दे सकते हैं। माल मित्रसे ही खरीदना चाहिए।

जब उनसे पूछा गया कि जिन्होंने अंग्रेजी मालका बहिष्कार करनेकी प्रतिज्ञा कर रखी है, उन्हें क्या करना चाहिए, तब गांधीजीने कहा कि हम ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि किसी एक व्यक्तिको प्रतिदिन दो कोड़े लगाये जायें।

सरकारी कालेजोंमें प्रवेशके बारेमें पूछे जानेपर गांधीजीने नकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि हम अन्तिम समझौतेके बाद ही ऐसा कर सकते हैं।

शिविरोंमें स्वयंसेवकोंको जिस अनुशासनका पालन करना चाहिए, उसके बारेमें एक प्रश्नके उत्तरमें गांधीजीने कहा कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बीड़ी-सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे चाय पी सकते हैं, गांधीजीने मजाकमें कहा कि उन्हें साबरमती नदीसे चाय पीनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-३-१९३१

३५६. भाषण : अहमदाबादमें मजदूर संघके समक्ष[1]

११ मार्च, १९३१

मैं जब आपके बारेमें सोचता हूँ तो मेरे मनमें आपके प्रति सहानुभूति उमड़ आती है और मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बीच प्रेमका नाता और भी मजबूत हो जाये और आप महसूस करें कि आपमें और मुझमें किसी तरहका अन्तर नहीं है। मैं मिल-मालिकोंसे मिलता रहता हूँ और उनका आतिथ्य स्वीकार करता हूँ। परन्तु मेरा मन सदैव आपके पास रहता है। ईश्वरसे मेरी यह उत्कट प्रार्थना है कि वह मुझे आपसे कभी अलग न करे और मैं गरीबोंकी सेवामें अपने प्राण न्योछावर कर दूं।

१. महादेव देसाई लिखित "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत।

आपने अपने वक्तव्यमें ठीक ही कहा है कि मेरे सपनोंका स्वराज्य गरीबोंका स्वराज्य है। आप जीवनकी आवश्यकताओंका उपभोग वैसे ही करें जैसे कि राजा लोग और धनाढ्य करते है। परन्तु इसका यह मतलब नही कि आपको भी उन लोगोंके जैसे महल मिलने चाहिए। सुखी जीवनके लिए उनका होना जरूरी नही है। आप या मैं तो उनमें भटक ही जायें। परन्तु धनी आदमी जीवनकी जिन आवश्यक सुविधाओंका उपभोग करता है, वे सब आपके लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए। मुझे इसमें रत्ती भर भी सन्देह नही कि जबतक स्वराज्यमें आपके लिए ये सुविधाएँ प्रदान करनेका आश्वासन नही दिया जाता तबतक वह स्वराज्य पूर्ण स्वराज्य नही माना जा सकेगा। मुझे नही मालूम कि हम इसे कब प्राप्त करेंगे परन्तु हम सबको इसके लिए प्रयत्न तो करना है . . .।

अपने कामके कारण सारी दुनियामें आपका नाम होता जा रहा है। पश्चिमके विद्यार्थी आपके अद्भुत संगठनको देखकर चकित है और इसका अध्ययन करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। आपका संघ उनको अद्वितीय लगता है। आपके संघके सदस्य अपने अधिकारोंके प्रति सचेत है और उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर करनेको तैयार है, परन्तु उनके नेताओंके मनमें, जो उनका पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं, पूंजीपतियोंके प्रति दुर्भावना नहीं है। उनके कल्याण और शक्तिमें आपको अपना कल्याण और शक्ति दिखाई देती है। यही आपकी शक्तिका रहस्य है। बाहरके लोग आपकी स्थिति नही समझ सकते। उनकी धारणा है कि पूंजीपति शोषक, और मजदूर लोग शोषित हैं। कुछ-एक लोगोंके मतानुसार सभी पूंजीपति जन्मजात राक्षस है। परन्तु दोनोंके बीच किसी ऐसे सहज विरोधकी कोई आवश्यकता नही है। यह एक गलत धारणा है। पूंजीपतियोंको यदि अपनी सम्पत्तिका अभिमान हो सकता है तो मजदूरोंको अपनी संख्याकी शक्तिका अभिमान हो सकता है। पूंजीपतियोंकी तरह हमें अपनी शक्तिका नशा हो सकता है और हम भी आवेशमें झूम सकते है। हम दोनोंको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उस आवेशके नशेमें न बहें। मुझे लगता है कि अहमदाबादमें मिल-मालिकों और मजदूरोके परस्पर सम्बन्ध किसी वर्ग-युद्धसे विपाक्त नही हैं। मुझे आशा है और यही मेरी प्रार्थना है कि उनके बीच मौजूदा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध सदा बना रहे।

परन्तु आपकी सफलताका रहस्य यह है कि जो पुरुप और महिलाएँ आपका पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें उनका अपना कोई नीच स्वार्थ नहीं है।

यही इस संगठनकी खूबी है जिसके कारण संघके लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेना सम्भव हो सका। संघके १६५ सदस्योंने धारसनाके धावेमें स्वयंसेवकोंके रूपमें भाग लिया और १९१ सदस्य स्वयंसेवक अथवा धरना देनेवालोंकी हैसियतसे जेल गये। यह एक ऐसा काम है जिसपर कोई भी संघ गर्व कर सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २६-३-१९३१

३५७. यह कैसे किया जाये

पाठक इस सप्ताहके संस्करणमें अस्थायी समझौतेका मूलपाठ[1], समाचारपत्रोंको दिया गया मेरा वक्तव्य,[2] संवाददाताओं द्वारा मुझसे की गई जिरह पर फिरसे छपा लेख[3] और मेरे कुछ अन्य ऐसे भाषण[4] पायेंगे, जिन्हें मैं समझौतेको समझनेके लिए महत्त्वपूर्ण समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि नजरसानी के लिए ही सही, पाठकोको पुनर्मुद्रित लेख उपयोगी लगेंगे। महादेव देसाईने मेरे वक्तव्य, जिरह और भाषणोका ध्यानसे संशोधन किया है।

जो पुनर्मुद्रित लेखोंको ध्यानसे पढ़ेंगे, उनके जहनमें यह बात आये बिना न रहेगी कि यदि पिछले बारह महीनोंके वीरतापूर्ण और तूफानी प्रचारसे स्वराज्यकी जल्दी प्राप्तिकी आशा बँधी है, तो राष्ट्र द्वारा समझौतेकी शर्तोंके शत-प्रतिशत पालनसे कांग्रेस राष्ट्रीय स्थितिको अभिव्यक्त करनेके लिए अदम्य शक्ति बन जायेगी। हमारे भावी आचरणसे हमारे आसन्नभूतका निर्णय होगा। यदि हम अहिंसाको सर्वोत्तम नीति ही मानते हैं तो भी हम महसूस करेंगे कि जबतक समझौता कायम है, तबतक हमारे लिए उसके अन्तर्गत कानून और व्यवस्थाका बडी सतर्कतासे मान करना अनिवार्य है। माना जा सकता है कि जो हमें ऊटपटांग लगें, ऐसे आदेशोका पालन करना कभी-कभी कठिन हो जायेगा। हमें यह आशा नही करनी चाहिए कि सरकारी क्षेत्रोंका हृदय-परिवर्तन एकदम हो जायेगा। इसलिए यदि हमें अपनी शक्ति और फिरसे सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेकी अपनी योग्यताकी प्रतीति है तो जब कभी आवश्यक हो जाये, हमें क्लेशकारी आदेशोंको भी माननेमें कोई कठिनाई नही होनी चाहिए।

सबसे बड़ी कठिनाई धरना देनेकी मर्यादाओंका पालन करनेमें होती है। अब चूँकि धरना देनेमें जोर-जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए, इसलिए अगर धरना देनेकी अवस्थामें लड़ाई-झगड़ा हो जानेका अंदेशा हो और यदि वहाँ किसी भी रूप या प्रकारकी ज्यादतीका आभास हो, तो बेहतर है कि विदेशी कपड़ा, या शराब और मादक द्रव्योकी बिक्री होने दी जाये। इस समझौतेके अन्तर्गत धरनेका स्वरूप बिलकुल ही शिक्षणात्मक प्रयत्नका रहेगा। शिक्षणात्मक प्रयासके फलस्वरूप जो हृदय-परिवर्तन होगा, उसका परिणाम स्थायी होगा। मुझे कोई सन्देह नही है कि अन्ततः ऐसा धरना, जिसमें लड़ाई-झगड़ेका अन्देशा न हो, बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण होगा और समय भी उसमें अपेक्षाकृत कम ही लगेगा। इस तरहके धरनेका अभिप्राय है कि बेचनेवाले

१. देखिए परिशिष्ट ६।
२. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", ५-३-१९३१।
३. देखिए "भेंट: पत्रकारोंसे", ६-३-१९३१।
४. देखिए "भाषण: दिल्लीकी सार्वजनिक सभामें", ७-३-१९३१।

और खरीदनेवालेपर कोई अनुचित प्रतिबन्ध नही होगा। धरना देनेवालेकी अपीलके बाद सम्बन्धित दुकानदार और खरीदार बेचने या खरीदनेके लिए स्वतन्त्र होंगे। किसी तरहका सामाजिक बहिष्कार, जैसे कि हजामत वगैरह बन्द कर देना, पानी अथवा खाद्यान्न देना बन्द करना, नही किया जाना चाहिए। परन्तु जिनका आचरण हम अच्छा नही मानते, उनसे लेन-देन रखने अथवा उनकी सेवाओंका उपयोग करनेके लिए हम बाध्य नही होंगे। इस तरह जो जनमतकी परवाह नहीं करता, हम ऐसे व्यक्तिके सामाजिक समारोहोंमें सम्मिलित होना अस्वीकार कर सकते है या विदेशी कपड़ा और शराब या मादक द्रव्योंको बेचनेके उसके व्यापारके अलावा दूसरे मामलोंमें भी उससे लेन-देनका व्यवहार बन्द कर सकते है। उत्तम बात तो यह है कि भले वह जरुरतसे ज्यादा लगे, हम सावधान रहे, अर्थात् जिसके बारेमें जरा-सा भी सन्देह हो, ऐसा काम न करें। यह बात ध्यानमें रहनी चाहिए कि जब कभी विक्रेता और धरना देनेवालोंमें झगड़ेकी नौबत आ जाये, धरना अवश्य ही स्थगित कर दिया जाये। यदि हम विक्रेताओं या उपभोक्ताओंके प्रति अपने व्यवहारमें नम्र हों तो झगड़ा टाला जा सकता है।

अनुभवसे पता चलेगा कि जिसमें झगडेका अन्देशा न हो, ऐसा धरना विक्रेताकी अपेक्षा ज्यादातर उपभोक्ताके यहाँ दिया जायेगा। दूसरे शब्दोमें इसका अर्थ है गाँवोमें कांग्रेसका दूर-दूरतक प्रवेश। वास्तविक सेवा शहरोके बजाय गाँवोंमें की जानी है।

दूसरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चीज है साम्प्रदायिक एकता। इसकी ओर तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है। कमसे-कम कांग्रेसके लिए इसके बिना परिषदमें शामिल होना और बड़े परिणामोंकी आशा रखना व्यर्थ होगा। यह एकता कैसे हो सकती है, यह मैंने अपने दिल्लीके भाषणमें, जो अन्यत्र प्रकाशित है, बताया है। यह गुत्थी केवल तभी सुलझाई जा सकती है जबकि अल्पसंख्यकोंके प्रति हिन्दुओंका विश्वास उत्पन्न हो जाये और वे अल्पसंख्यकोंको देनेके बाद तथा उनके सन्तुष्ट हो जानेपर जो बच रहे, उसमें सन्तोष मानें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९३१

३५८. 'यंग इंडिया'

अब कानूनन 'यंग इंडिया' को फिरसे प्रकाशित किया जा सकता है। टाइप किये हुए अंक तो सिर्फ यह दिखानेके लिए निकाले गये थे कि अध्यादेश कहे जाने वाले निषेधात्मक कानूनोंके बावजूद कई हजार प्रतियाँ पाठकों तक पहुँचाई जा सकती हैं। जिस क्षण सन्धि-वार्त्ताकी घोषणा की गई, उसी क्षण ये प्रतियाँ बन्द कर दी गई। सौभाग्यसे इन्हें बन्द करनेके बाद छपा हुआ संस्करण निकालनेमें दो-एक दिनकी ही देरी लगी। पाठकोंको मालूम नहीं है कि 'यंग इंडिया' के अंककी सात हजार प्रतियाँ और 'नवजीवन' के अंककी दस हजार प्रतियाँ हफ्तों तक बाँटते रहना कैसे मुमकिन हुआ। परन्तु उन्हें यह जानकर गर्व होगा कि यह काम सिर्फ 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' के उन पुराने कर्मचारियों द्वारा जो कम तनख्वाह पर काम करते रहे और दूसरे असंख्य स्वयंसेवकोंकी स्वयंस्फूर्त और बहादुरीसे की गई स्वार्थ-रहित सहायताकी वजहसे ही सम्भव हुआ था। दोनों प्रकाशनोंकी कीमत हर महीने दो हजार रुपयोंसे ज्यादा बैठती है। टाइप की हुई प्रतियाँ मुफ्त भेजी गईं, क्योंकि अध्यादेशके कारण चन्दे जब्त किये जा सकते थे। ऐसा करते समय हमें यह आशा थी कि जब पत्रोंका सामान्य प्रकाशन फिरसे शुरू हो जायेगा तो उदारमना ग्राहक अपने चन्देका बकाया चुका देना अपना कर्त्तव्य समझेंगे। मुझे सन्देह नहीं है कि यह आशा पूरी होगी और बकाया रकम अबसे आनी शुरू हो जायेगी। ग्राहकोंके पास कुछ सप्ताहतक तो अंक भेजे जाते रहेंगे और उसके बाद जो बकाया रकमका भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें भेजना बन्द कर दिया जायेगा।

मैं यहाँ इस तथ्यका धन्यवाद सहित उल्लेख करता हूँ कि बहुतसे ग्राहकोंने, जिन्हें अंक भेज सकना असम्भव था, प्रबन्धकोंके प्रस्तावके बावजूद अपने दिये हुए चन्देकी बकाया रकम वापस नहीं माँगी। उन्हें अब, जबतक उनकी बकाया रकम पूरी नहीं हो जाती, और चन्दा भेजे बिना अंक मिलते रहेंगे।

अन्तमें, जे० सी० कुमारप्पाको धन्यवाद देना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने मेरे जेल जानेके बाद अपने प्रतिदिनके कार्य-भारके साथ इस पत्रका सम्पादन करनेका कठिन भार भी अपने ऊपर लिया। उनके साथ-साथ सभी कर्मचारी और स्वयंसेवक मेरे धन्यवादके पात्र हैं। मुझे आशा है कि जनता ठोस तरीकेसे अर्थात् 'यंग इंडिया' को प्रोत्साहन देकर और इससे भी ज्यादा, 'यंग इंडिया' जिस उद्देश्यसे छपता है, उस उद्देश्यको पूरा करके मुझे सहयोग देगी। पाठक जानते हैं कि 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' का उद्देश्य व्यापारिक नहीं है। उनके प्रकाशन मात्रका उद्देश्य है सत्य और अहिंसाके साधनों द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए राष्ट्रको प्रशिक्षित करना।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १२-३-१९३१

३५९. भाषण: बोरसदमें

१२ मार्च, १९३१

हमने मार कर मरनेके बदले मरकर न्याय प्राप्त करनेका सिद्धान्त स्वीकार किया है और इस सिद्धान्तका आपने काफी हदतक पालन किया है, ऐसा कहा जा सकता है। आपके मनमें क्रोध नहीं है ऐसी बात नहीं। आप खेड़ाके पाटीदार और दूसरे वे लोग जो बात-बातपर तलवार खींच लेते हैं, अपनी क्रोधपूर्ण और तेजस्वी प्रकृतिके लिए प्रसिद्ध हैं। आपने सब-कुछ वीरतासे सहन किया, इसके लिए आप धन्यवादके पात्र हैं। बोरसदकी गलियोंमें बहनोंपर लाठी चले, उन्हें ठोकरें मारी जायें, उनका अपमान हो और आप नवयुवक शान्त बैठे हुए वह सब देखते रहें, यह बात अविश्वसनीय-सी है। किन्तु आपने बहनोंपर इस तरहका अत्याचार होने दिया और उनके बचावमें अंगुली भी नहीं उठाई। कोई और प्रसंग होता तो बहनोंपर अत्याचार होते रहने देनेवाले लोग कायर कहे जाते। किन्तु बोरसदके नवयुवकोंके लिए कायर शब्दका प्रयोग कौन करेगा? आप सब तो प्रतिज्ञाबद्ध थे। तरह-तरहसे परेशान करनेवाले सरकारी कर्मचारियोंपर हाथ न उठानेकी आपकी प्रतिज्ञा थी। भीम और अर्जुनकी तरह आप भी प्रतिज्ञाबद्ध थे। जब द्रौपदीके बाल खींचे जा रहे थे, तब भीमके मनमें क्रोध भड़कता जा रहा था, उसकी आँखें लाल हो रही थीं, किन्तु उसने गदा नहीं उठाई। दूसरे भाई भी यह सारा दृश्य देखते रहे। किन्तु उन पाँच पतियोंको कोई कायर कहता है? उन्हें तो हम साधुवाद देते हैं, पुण्यात्मा मानते हैं। इतिहास उनका यशोगान करता है। आपकी वीरताका यशोगान भी इतिहास करेगा। मेरा हृदय तो कर ही रहा है और मैं उसे व्यक्त भी कर रहा हूँ। खेड़ाके चप्पे-चप्पेपर थर्मोपोली है, ऐसा कहनेमें मैंने अतिशयोक्ति की हो, तो यह दोष आप [अपने कामसे] सुधार लें। मेरा काम भाट-चारणका नहीं है, मुझे तो आपको इस कीर्तिके योग्य बनाना है। इसलिए जितनी स्तुतिके अधिकारी आप हों, उतनी स्वीकार कर लें।

जो समझौता हुआ है उसमें तो मैं निमित्त ही था। यह समझौता हुआ तो कांग्रेस और सरकारके बीचमें, भले ही बादमें इसका नाम गांधी-इर्विन समझौता रख दिया गया। इस समझौतेको समझाना सरदारका और मेरा कर्त्तव्य है। इसको लेकर कई भाइयोंको निराशा हुई है और वे पूछते हैं कि इसे सुलह कहेंगे या कलंक? मेरे जैसा व्यक्ति लड़कर थक गया है, हतोत्साहित हो गया है और आत्मसम्मान खोकर वहाँसे लौटा है, ऐसी शंका कई लोगोंके मनमें उठती है। कहा गया है कि इस ताल्लुकेमें १३ लाखका नुकसान हुआ है। जिस समझौतेमें इस नुकसानके भरनेका उल्लेख तक नहीं, वह कैसा समझौता है, ऐसे प्रश्नका आभास भी हुआ है। मैं आपसे कहता हूँ कि यदि मैंने कभी इस नुकसानको भरनेका वचन आपको दिया हो, तो

मुझे बतायें। यदि मैंने वचन दिया हो तो प्रतिज्ञा भंग हुई, ऐसा माना जा सकता है। सरदारने भी ऐसा वचन दिया हो, यह मुझे नही मालूम। वचन देकर उसका पालन न करें तो आपके सेवक, आपके नेता, बेवफा कहलायेंगे। हम ऐसा करे तो भविष्यमें आप हमारा विश्वास किस तरह करेंगे? तब आप तो यही मानेंगे कि इन लोगोंने हमें अपने कामसे बेच डाला है; फिर भला हम इनका साथ क्यों दें? किन्तु यहाँ आपके साथ की हुई प्रतिज्ञाको भंग नही किया गया है।

यह समझौता इस संघर्षका अन्त नही है। संघर्ष तो स्वराज्य मिलनेके बाद ही समाप्त होगा। और शायद स्वराज्य मिलनेपर भी समाप्त न हो क्योंकि स्वराज्य-सरकारके विरुद्ध भी सत्याग्रह करनेका अवसर आ सकता है। आज जो समझौता हुआ है वह तो स्वराज्यकी मंजिलकी ओर एक कदम है। अब और जो कुछ लेना है वह बातचीतसे, चर्चासे, लिखा-पढ़ीसे लेना है, इसी विचार और आशासे यह समझौता किया गया है। आपका जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्तिकी बात मैंने या सरदारने की हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। किसी स्वयंसेवकने आपको यह आशा दिलाई हो, तो उसने बिना सोचे-समझे ऐसा किया है, यह मुझे कह देना चाहिए। इसके लिए आप समितिको, मुझे या सरदारको जिम्मेदार नही मान सकते। दांडीकी यात्राके बाद मैं यही कहता आया हूँ कि यह संघर्ष तो सिरपर कफन बाँध कर किया जानेवाला संघर्ष है; इस लड़ाईमें हम मिट जानेको तैयार रहें। और जो मिट जानेको तैयार हैं, वे नुकसानकी भरपाई क्यों मांगेंगे? आपका घर-बार लुट जायेगा, आपको बाल-बच्चोंके साथ परेशान होना पड़ेगा, ऐसा आपको डंकेकी चोटपर बता दिया गया था और कह दिया गया था कि इसे सहन कर सकते हो तो लड़ाईमें कूदें, नही तो इसमें न पड़ें। इसलिए १३ लाखका नुकसान न भरे जानेपर यदि आप यह मानें कि यह कोई समझौता नही हुआ तो आपकी और मेरी लड़ाई ठन जायेगी। १३ लाख मिलेंगे भी तो वे कहाँसे आयेंगे? यह रकम भी आपके ही पाससे आ सकती है। जो कर पैसेवालोंके मुकाबलेमें गरीबोंकी जेबसे ही अधिक इकट्ठा होता है, यह नुकसान उसीमें से भरना पड़ेगा। यदि हमारे हाथमें पूरी तिजोरी खाली करनेकी शक्ति हो तो भी मैं यह काम करनेके लिए सहमति नही दूंगा और कहूँगा कि आप चाहे तो किसी दूसरेको अपना न्यासी बनायें। दिये हुए धनका हिसाब आज नहीं हो सकता। यह समझौता किया जाना चाहिए कि नही, सो एक जुदा सवाल है। किन्तु इसमें हमें क्या सचमुच सिर झुकाना पड़ा है? मैं तो कहूँगा, जरा भी नही। आप बदला किसलिए मांगते हैं? जान-माल गँवायेंगे तो उसका बदला तो मिलेगा ही अर्थात् स्वराज्य। स्वराज्यके लिए आप इतना नुकसान उठानेके लिए तैयार न हों तो कहा जायेगा कि खेड़ाके लोग कंजूस थे, लुटनेके लिए तैयार नही थे। अगर हमें स्वराज्य भी मिल जाये, हममें यह नुकसान भरनेकी शक्ति भी हो और आप इसकी मांग करते हैं तो यह स्वराज्यके प्रति अपराध करना होगा।

हाँ, सरदारको और मुझे एक बात जरूर सिरपर किये गये आघात जैसी लगती है। आपकी जो जमीन दूसरोंके पास चली गई है, वह खोनेकी वस्तु नही है, यह

बिल्कुल ठीक है। हानि हुई हो तो उसका बदला नही माँग सकते; क्योंकि हम मरे हुए की जिन्दगी वापस नही माँगते या जेलसे लौटनेपर बदला नही माँगते। किन्तु यह जमीन तो मिलनी ही चाहिए। दरबार गोपालदास ढसा खो बैठे है; यदि वे मूर्ख हों तो ऐसा मानें। किन्तु वे मूर्ख नहीं हैं। वे तो मानते हैं कि मै जीवित रहा तो बादमें कई ढसा प्राप्त हो जायेंगे। यदि हमें केवल ढसा लेकर सन्तोष करना होता तो उसे इस समझौतेसे भी प्राप्त कर लेते। किन्तु इसकी जरूरत क्या थी? ढसामें बैठे दरबारको कौन जानता था? वे वहाँ थे, तब कल्याणजीने उनका जीवन-चरित्र नही लिखा। उन्हें तो ढसा छोड़कर यहाँ आनेपर ५० ढसा प्राप्त हो गये है। वह ढसा उन्हें आज मिल जाये तो स्वराज्यके बिना उसका वे क्या करेगे?

इस तरह यह जमीन आपकी है और आपकी ही रहेगी। जमीनके ऊपर पानी आ जाये वह द्वीप बन जाये अर्थात ईश्वर उसे निगल जाये तो दूसरी बात है। सरदारने आपकी जमीन वापस देनेकी बात स्वीकार जरूर की थी, मैंने नही। किन्तु आपकी जमीन आपको मिलेगी, इस विषयमें शंका नही है। कैसे मिलेगी, यह नही कहा जा सकता। पर मिलेगी यह बात सच है। सरदार और मुझे कसौटीपर परखनेके लिए इतनी बात ही काफी है, अर्थात् हाथसे गई हुई यह जमीन वापस मिलनी ही चाहिए। और जबतक यह नही मिलती तबतक स्वराज्य नही मिला और हम आपके सच्चे सेवक नही हैं, ऐसा मानें। इसके लिए हम खाक हो जायेंगे और आपको भी खाक कर देंगे।

यह जमीन बारियाओंसे लड़कर लेंगे, यह कैसे कहा जा सकता है। इस तरह लड़नेकी बात आप मुझसे कैसे करायेंगे? यह जमीन वापस लेनेकी जिम्मेदारी सरदारके और मेरे सिर है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १५-३-१९३१

३६०. भाषण : रासमें

[१२ मार्च, १९३१][1]

धाराला भाइयोंने आपका साथ नही दिया, इतना ही नही किन्तु उन लोगोंने आपकी जमीनें भी ले ली हैं। इस तरह वंश-परम्परासे चली आ रही जमीन लेकर हमारे रूढ़ धर्मका उल्लंघन किया गया है। जो ऐसे रूढ़ धर्मका उल्लंघन करता है वह देशकी नाक काटता है। आपको गाँवमें जाते इसलिये डर लगता है कि धाराला लोगोंसे झगड़ा होगा। सवाल उठता है कि स्वराज्य लेना है तो हम धाराला लोगोंको मार कैसे सकते हैं। और बहुत दिनोंसे चली आ रही पाटीदारोंकी अगुआई धाराला लोगोंके हाथ चली जाये आपके लिए यह भी असह्य है। किन्तु ऐसा होना नहीं चाहिए। गाँवका मुखिया सचमुचमें कोई हमारा सरदार नही, नौकर है; और

१. **बॉम्बे क्रॉनिकल**, १३-३-१९३१ से।

होना चाहिए। बाकी लोग खद्दर तैयार करनेके काममें लग जायें, क्योंकि उसके बिना विदेशी वस्त्रका बहिष्कार असम्भव है। भाषण समाप्त करते हुए गांधीजीने कहा कि हालाँकि स्वयंसेवकोंको निर्वाह-लायक भत्ता दिया जाता है, परन्तु उनका मान भारतीय प्रशासन सेवाके अधिकारियोंसे ज्यादा होना चाहिए।

ब्रिटिश मालके बहिष्कारके बारेमें गांधीजीसे कई सूक्ष्म प्रश्न पूछे गये। गांधीजीने कहा कि आप किसी आदमीको हमेशा मारते नहीं रह सकते। जब समझौतेके लिए बातचीत चल रही है तो आपको अपना चाबुक एक किनारे रख देना चाहिए। ब्रिटिश मालका बहिष्कार अंग्रेजोंको सजा देनेका एक तरीका ही था। परन्तु यदि अंग्रेज लोग हमसे मित्रता करते हैं और हमें पूर्ण स्वराज्य दे देते हैं, तो हम [अन्य किसी देशके मुकाबलेमें] ब्रिटिश मालको तरजीह दे सकते हैं। माल मित्रसे ही खरीदना चाहिए।

जब उनसे पूछा गया कि जिन्होंने अंग्रेजी मालका बहिष्कार करनेकी प्रतिज्ञा कर रखी है, उन्हें क्या करना चाहिए, तब गांधीजीने कहा कि हम ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि किसी एक व्यक्तिको प्रतिदिन दो कोड़े लगाये जायें।

सरकारी कालेजोंमें प्रवेशके बारेमें पूछे जानेपर गांधीजीने नकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि हम अन्तिम समझौतेके बाद ही ऐसा कर सकते हैं।

शिविरोंमें स्वयंसेवकोंको जिस अनुशासनका पालन करना चाहिए, उसके बारेमें एक प्रश्नके उत्तरमें गांधीजीने कहा कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बीड़ी-सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे चाय पी सकते हैं, गांधीजीने मजाकमें कहा कि उन्हें साबरमती नदीसे चाय पीनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-३-१९३१

३५६. भाषण : अहमदाबादमें मजदूर संघके समक्ष[1]

११ मार्च, १९३१

मैं जब आपके बारेमें सोचता हूँ तो मेरे मनमें आपके प्रति सहानुभूति उमड़ आती है और मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बीच प्रेमका नाता और भी मजबूत हो जाये और आप महसूस करें कि आपमें और मुझमें किसी तरहका अन्तर नहीं है। मैं मिल-मालिकोंसे मिलता रहता हूँ और उनका आतिथ्य स्वीकार करता हूँ। परन्तु मेरा मन सदैव आपके पास रहता है। ईश्वरसे मेरी यह उत्कट प्रार्थना है कि वह मुझे आपसे कभी अलग न करे और मैं गरीबोंकी सेवामें अपने प्राण न्यौछावर कर दूँ।

१. महादेव देसाई लिखित "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत।

किया जा सकता है कि इतनेसे लगानके लिए इतना जवर्दस्त नुकसान हो तो हमसे ज्यादा मूर्ख दूसरा कौन है? किन्तु मुझे आपके मुँहपर मूर्खता नही दिखाई देती। आप तो होशियार हैं। चतुर और वहादुर हैं। आपने मूर्खता की है, ऐसा कौन कहता है? यहाँपर एक लाख रुपया या एक रुपया कर देनेकी वात कहाँ थी? यहाँ तो 'हाँ या ना' की वात थी। एक रुपया भी करके रूपमें देना आपके लिए परेशानीकी वात थी। निश्चय तो यह था कि पूरी सल्तनत हाथीकी तरह हमें मसल दे, तो भी एक रुपया कर देनेके वदले वरसो लड़ाईमें जुटे रहें। इसलिए ऐसा उलटा हिसाव नही किया जा सकता। खो देने पर भी कुछ वाकी वचा है। परेशानी उठानेकी तो हमारी प्रतिज्ञा थी। आप कहते हैं कि कर्ज लेकर कर भरना पड़ेगा। फिर भी आपने मुझे थैली भेंट की है। इसलिए यह वात ठीक नही है। समझौतेकी शर्त यह है कि जो कर दे सकता हो वह दे। जो न दे सकता हो उसका लगान मुल्तवी रहेगा। किन्तु आपको तो यह विश्वास होना चाहिए कि आप निर्धारित समयसे पहले लगान भर सकेंगे और समय वीत गया तो कर्ज लेकर भी भर देंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-३-१९३१

३६२. भाषण: सार्वजनिक सभा, कराड़ीमें

१४ मार्च, १९३१

एक विशाल सार्वजनिक सभामें भाषण देते हुए श्री गांधीने कहा कि मुझे इस बातकी खुशी है कि मेरी गिरफ्तारीके बाद आप लोगोंने अपना काम जारी रखा और गुजरातका नाम दुनियामें रोशन किया। अब आप लोग उस काममें लग जायें जो हमारे सामने हैं।

श्री गांधीने कहा कि अब आप लोगोंको कानूनोंकी सविनय अवज्ञा नहीं करनी है, रचनात्मक कार्य करना है। उन्होंने १९२२ में जो-कुछ कहा था उसीपर जोर देते हुए कहा कि यदि आप छः महीने रचनात्मक कार्य करते रहें तो हमें स्वराज्य मिल जायेगा। परन्तु अब जो रचनात्मक कार्य करना है वह दूसरी तरहका है। जो लगान दे सकते हैं, वे उसकी अदायगी कर दें। यदि फिरसे लड़ाई शुरू करनेका अवसर आ पड़ा तो आप हर साल दिये जानेवाले लगानकी अदायगी बन्द कर सकते हैं।

श्री गांधीने आगे कहा कि आप लोगोंको गिरफ्तार होनेके लिए नमक नहीं बनाना है। जो लोग समुद्रके किनारे रहते हैं, वे अपने इस्तेमालके लिए नमक बना सकते हैं। आप उसे आपसमें बेच भी सकते है, परन्तु उसे दूरके कस्बों और शहरोंमें नहीं बेच सकते। नमक गरीबोंकी खपतके लिए बनाया जा रहा है, व्यापारके लिए नहीं। जब राजसत्ता आपके हाथ आ जाये, आप व्यापारके लिए भी नमक बना सकते हैं।

आगे श्री गांधीने कहा कि आपको शराब और विदेशी कपड़ेकी दुकानोंपर शान्तिपूर्ण धरना देनेका काम जारी रखना होगा। आपको पीनेवालोंके घर जाकर उन्हें शराबकी लत छोड़नेके लिए समझाना होगा। यदि आपके गाँवमें विदेशी कपड़ेकी कोई दुकान अब भी हो तो उसपर भी धरना देना होगा। परन्तु साथ ही आप खादी तैयार करनेमें लग जायें। श्री गांधीने कहा कि मुझे इस बातसे सन्तोष हुआ है कि आपने अपने गाँवोंमें पंच नियुक्त कर दिये हैं। मेरा पंचोंसे अनुरोध है कि वे झगड़ोंके निबटारेसे लेकर सफाई और सुरक्षा तकके अपने सारे मामले खुद सँभालें। यदि सभी गाँवोंमें ऐसे पंच नियुक्त कर दिए जायें तो स्वराज्य पाना आसान हो जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १५-३-१९३१

३६३. भाषण : वस्त्र-विक्रेताओंकी सभा, नवसारीमें

[१४ मार्च, १९३१][1]

काफी हदतक यह आयोजन अप्रासंगिक है और अनुपयुक्त स्थानपर हो रहा है। यह मण्डल मुख्यतया विदेशी वस्त्र-विक्रेताओंका है। योग्य तो यही था कि ये व्यापारी मुझे अथवा सरदारको मानपत्र या थैली भेंट न करते। यदि उन्हें थैली और मानपत्र देना ही था तो उन्हें पहले प्रतिज्ञापूर्वक यह कहना था कि हम अपना व्यापार सदाके लिए बन्द कर रहे हैं। हमारे पास जितना भी माल है उसे या तो हम जला देंगे या देशसे बाहर भिजवा देंगे और देशमें शुरू किये गये महायज्ञमें भाग लेंगे। हम तो चौबीसों घंटे इसी मन्त्रको जपते हैं कि विदेशी वस्त्रका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो जाये। ऐसे मन्त्रकी साधना करनेवाला मैं आपसे मानपत्र किस प्रकार ले सकता हूँ? यदि आप मेरी इस बातको ठीक मान सकें तो मैं इस मानपत्रको वापस ले लेनेके लिए कहूँगा। आपके मानपत्रमें आपके मण्डलकी रचना, उत्पत्ति और प्रवृत्तियोंका कुछ भी उल्लेख नहीं है। इससे प्रकट तो ऐसा होता है कि यह मानपत्र जाने-माने नागरिकों द्वारा दिया जा रहा है। आत्मशुद्धिके इस यज्ञमें दूधके अन्दर ऐसा कचरा हो, यह ठीक नहीं है; यदि मैं आपको इतनी चेतावनी न दूं तो सत्यके मेरे आग्रहपर लांछन लगता है। आजके पूरे आयोजनमें कुछ दुरावका आभास है, ऐसा मैंने सरदारसे शुरूमें ही कह दिया था। मैं तो युद्धरत मनुष्य हूँ। युद्ध समाप्त हो जाये तो भी मेरा सत्याग्रह पूरा न होगा। सत्याग्रह दगा, झूठ या चालबाजी नहीं है; वह तो सत्यकी उपासना है। सदा ही सत्यके सिवा और कोई बात न मानें, ऐसा

१. हिन्दू, १५-३-१९३१ से।

आग्रह है। इसलिए एक सत्याग्रहीके नाते ही मुझे कटु सत्य कहना पड़ा है। लोगोंने मुझे 'महात्मा' का खिताब दिया है। उससे मैं दूर भागता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल उसके लायक नहीं हूँ। किन्तु सत्याग्रहीका खिताब मैंने स्वयं लिया है; और उसके योग्य बननेका मैं निरन्तर प्रयत्न करता हूँ। इसलिए यह कटु सत्य कह देना मेरा धर्म हो जाता है। मेरे लिए यह कड़वा घूँट है, किन्तु मण्डलके लिए तो यह और भी कड़वा होना चाहिए। वह शायद इसे न समझे, किन्तु मैं बता दूँ कि इस प्रकारका सत्याग्रह मैंने अपने जीवनमें अपने भाइयों और दूसरे सगे-सम्बन्धियोंके साथ किया है। उक्त सत्याग्रह भी शुद्ध प्रेमवश मैंने किया और आजके सत्याग्रहमें भी शुद्ध प्रेम ही है। आपने जान-बूझ कर कुछ नहीं किया। अनजानमें ऐसी भूलें हमसे हुआ ही करती हैं। किन्तु यह अशुद्धि तो है ही और इसे दूर किया ही जाना चाहिए। इसलिए यह मानपत्र और थैली मैं तभी ले सकता हूँ जब आप प्रतिज्ञा करें कि भविष्यमें कभी विदेशी माल न लेंगे, न बेचेंगे; और जो माल है उसे नष्ट कर देंगे या बन्द कर देंगे। इसलिए आज तो यह मानपत्र और थैली रखे; मेरे लिए यह कच्चे पारेके समान है। यदि मैं इसकी एक कौड़ीमें भी हाथ लगाऊँ तो मेरा सर्वनाश हो जायेगा। यदि आपका आग्रह हो कि मुझे इन्हें ले ही लेना चाहिए तो मैं इन्हें ले जाता हूँ। किन्तु आपसे यही अनुरोध है कि जबतक आप मेरी कही हुई प्रतिज्ञा नहीं करते तबतक इन्हें आपकी अमानतकी तरह रखूंगा। यदि आप प्रतिज्ञा न कर सकें तो इन्हें वापस भेज दूँगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २२-३-१९३१

३६४. टिप्पणियाँ

कार्यकर्त्ताओंसे

कांग्रेसके अधिवेशनके लिए आपके मनमें कराची जानेका लोभ होगा। इस लोभको दबायें। कांग्रेसका अधिवेशन तमाशा नहीं है, उत्सव नहीं है। वह बैठक अगले वर्षका कार्यक्रम तैयार करनेके लिए है। अतएव ठीक तो यह है कि जिस कार्यकर्त्ताको सेवाके लिए जाना पड़े, वही जाये। वहाँ बहुत-कुछ सीखनेको मिलेगा, ऐसे मिथ्या मोहमें पड़ना उचित नहीं। कर्त्तव्य हो जानेपर जो जायेगा, वह अवश्य सीखेगा। साधारण जनतामें से जिसे फुरसत है, जिसके पास अपनी जगह करनेके लिये कोई सेवा-कार्य नहीं है, उसे कांग्रेस-अधिवेशनमें जानेका अधिकार है, कुछ एकका तो धर्म भी है। कर्मचारी-सेवकका धर्म इससे उलटा है। उसका सरदार उसे न भेजे तो अपने काम पर डटे रहना ही उसका धर्म है। गुजरातमें तो आजकल यह धर्म विशेष रूपसे लागू होता है। जब कि हिज्रती किसान अपने गाँवोंमें लौट रहे हैं, प्रत्येक सेवकका धर्म है कि वह उनके साथ रहे।

धरना देनेवालोंसे

आप सेवक हों या सेविका, शराबकी दुकानोंपर धरना देते हों या विदेशी वस्त्रकी दुकानोंपर, ये बातें याद रखें:

१. चाहे कितना ही लालच क्यों न आये, कभी बेचनेवाले या ग्राहकपर क्रोध न करें। उन्हें कदापि हाथ न लगायें।

२. बेचनेवाले और उसी तरह ग्राहकके प्रति विनयपूर्ण व्यवहार करें। अशिष्टतापूर्वक किसीको भी आवाज न लगायें।

३. धरना देनेके स्थलपर भीड़ न होने दें।

४. आपका काम विनयपूर्वक समझाना ही है।

५. यदि आप विदेशी वस्त्रकी दुकानपर धरना देते हों तो आपको स्वयं पूर्णतया शुद्ध खादी पहननी चाहिए।

६. आपके हाथमें बहुत महत्त्वपूर्ण और पवित्र काम है, इसलिए आप मन, कर्म और वचनसे पवित्र रहें।

७. यदि आपमें कभी अपवित्रता आ जाये तो आप नम्रतापूर्वक धरनेका काम छोड़ दें।

८. आपके समझानेके बावजूद कोई शराब पीने या विदेशी वस्त्र लेने जाये तो आप उसके प्रति निराश न हो जायें। ग्राहकको जाननेका प्रयत्न करें, उसका घर ढूँढें। उसके परिवारके लोगोंको जानें। और प्रेम तथा सावधानीसे अन्ततः आप उसे जीत लेंगे, ऐसा विश्वास मनमें रखें।

९. याद रखें कि आपका काम तो धरना देनेका है। बहिष्कार सफल करनेके लिए धरना अनेक साधनोंमें से एक शक्तिशाली साधन है; किन्तु वही एक साधन नहीं है। उसकी सफलता-असफलताके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। किन्तु आप सतत प्रयत्न करने और अहिंसा आदि नियमोंका शुद्ध पालन करनेके लिए अवश्य जिम्मेदार हैं।

१०. इस प्रकारके शान्त और सम्पूर्ण रूपसे निर्दोष धरनेका प्रत्यक्ष असर आपको न दिखाई दे तो हिम्मत न हारें, निराश न हों।

११. पत्रिकाएँ, जुलूस, मैजिक लैन्टर्नके साथ या इनके बिना भी भाषण देना धरनेका अंग है।

१२. गाँवोंमें जाकर प्रचार करना भी उसना एक अंग है।

१३. विदेशी वस्त्रके विरोधमें धरना देनेवाला अपने पास थोड़ी खादी रखे, यह आवश्यक है। उसे खादी-शास्त्रका ज्ञान होना चाहिए। उसके पास खादीका नमूना होना चाहिए। उसे खादीके भाव और आसपासके खादी भण्डारोंका ज्ञान होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त यदि पाठकोंको कोई नियम सूझे अथवा इनमें कोई सुधार सूझे तो वे मुझे लिखें, उनका आभार मानूँगा।

विदेशी वस्त्रके व्यापारियोंसे विनती

१. याद रखिए कि हिन्दुस्तानका आर्थिक स्वराज्य आपके हाथमें है।

२. याद रखिए कि विदेशी वस्त्रके गंदे व्यापारमें आप लोगोंका फँसना हिन्दुस्तानकी पराधीनताका सबल कारण है।

३. जाने या अनजाने आपके हाथों यह जो पाप हुआ है, इसे धो डालनेके लिए आप पामाल भी हो जायें, तो वह कोई बहुत बड़ा प्रायश्चित्त नहीं माना जायेगा।

४. याद रखिए कि हिन्दुस्तान कंगाल बना, उसका सर्वव्यापक उद्योग नष्ट हुआ और वह आज भी नुकसान उठा रहा है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं।

५. याद रखिए कि विदेशी वस्त्रका बहिष्कार जनताका हमेशाका धर्म है।

६. याद रखिए कि स्वराज्यमें भी विदेशी वस्त्रका व्यापार न होगा।

७. आप अपने पास पड़ा हुआ माल चोरीसे बेचते हैं, यह एक जुदा, दुःखद और लज्जाजनक बात है। पर कांग्रेस किसी भी समय आपको अपना यह माल हिन्दुस्तानमें बेचनेकी छूट नहीं दे सकती।

८. यदि आप यह निश्चय कर डालें कि यह व्यापार करना ही नहीं है, तो आप अपने पास पड़े हुए मालको घाटा उठाकर भी विदेशमें अवश्य बेच सकते हैं।

९. आप जानते हैं कि आपकी जो कुछ भी उचित मदद की जा सकती है, वह करनेका प्रयत्न जारी है।

१०. आप यह तो कदापि नहीं कह सकते कि आपको काफी चेतावनी नहीं मिली। सन् १९२० से कांग्रेस आपको जागृत करनेके लिए बड़े-बड़े प्रयत्न कर रही है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-३-१९३१

३६५. ग्यारह तारीखकी दुर्घटना

दिन-प्रतिदिन अब हम यह देख सकते हैं कि वर्तमान लोक-जागृति हमारे बसके बाहरकी बात हो गई है। इसका दुःखद सबूत हमें गत ११ वीं मार्चके दिन अहमदाबादकी स्त्रियोंकी विराट् सभामें मिला है। मेरे निकलनेके बाद इतनी धक्कामुक्की और रेलठेल हुई कि सात बहनें उसमें कुचल गईं और उन्हें चोट आई। उनमें एक श्री मूलचन्द आशारामकी धर्मपत्नी थीं। कुछ ही घण्टे बाद उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी बहन, जिनका नाम मुझे नहीं मिला है, सख्त घायल हुई हैं और मेरे अहमदाबादसे रवाना होनेतक उनकी जान खतरेमें थी। शेष पाँच बहनोंको अच्छी-खासी चोट आई है। इन सबको और स्वर्गवासिनी बहनके पति और रिश्तेदारोंको कोई कैसा आश्वासन दे? ऐसी मौतकी मातमपुर्सी किस प्रकार हो सकती है? इसमें दोष किसका कहा जाये? ऐसी दुर्घटनाएँ भी स्वराज्य-यज्ञमें बलिदान-रूप हैं। जबतक हममें नियमन शक्ति नहीं आती, हम ऐसी महान सभाओंकी व्यवस्था करना नहीं सीखते, तबतक दुर्घटनाएँ होंगी ही। और तभी हम नियमन और व्यवस्था सीखेंगे।

जागृतिको कोई रोक नहीं सकता, और सभाओंका त्याग नहीं किया जा सकता। सभाओंमें व्यवस्था बनाये रखनेके लिए सिपाही नहीं रखे जा सकते। कहीं भी सिपाही नहीं रखे जाते। सभाके स्वयंसेवक ही सम्बन्धित सभाओंकी व्यवस्था करते हैं। और बहुत-से स्वयंसेवकोंमें यह व्यवस्था-शक्ति आ गई है।

फिलहाल तो हम स्वयंसेवक-दलों द्वारा सभाओंमें साधारण व्यवस्था बनाये रखते हैं। पर दुःख और शर्म यह है कि स्वयंसेवक-दलके लिए सभाकी व्यवस्थाके नियम नहीं बने हैं। दलोंको नियम बनाकर स्वयंसेवकोंको सिखाना चाहिए और जनतामें भी उनका खूब प्रचार करना चाहिए। कुछ नियमोंका सुझाव तो मैं यहीं दिये देता हूँ :

१. जब सभामें हजारों मनुष्योंके इकट्ठा होनेकी सम्भावना हो, तब सभा खुले मैदानमें ही करनी चाहिए, और उसका आकार गोल रखकर उसमें सभाके मंच तक पहुँचनेके लिए मजबूत लकड़ीकी बाड़ बनाकर रास्ते बनाने चाहिए।

२. सभा-मंच लकड़ीके तख्तोंसे बना हो और काफी लोगोंके बैठने लायक मजबूत होना चाहिए।

३. बनाये हुए रास्तोंमें किसीको बैठने न देना चाहिए। हर रास्तेके नाकेपर स्वयंसेवक रहने ही चाहिए।

४. लकड़ीकी बाड़की बल्ली इतनी पास-पास होनी चाहिए कि उसकी सन्धिमें से कोई आ-जा न सके।

५. किसी नेताके प्रवेश करनेपर उसके आगे-पीछे स्वयंसेवकोंकी कतार कभी न चले।

६. स्वयंसेवकोंको अपने स्थानसे कदापि नहीं हटना चाहिए।

७. रास्ता आरम्भसे अन्ततक साफ न हो, तबतक नेताको बाहर कदापि नहीं ले जाना चाहिए।

८. सभाके बीचमें नियत स्थानोंपर स्वयंसेवक होने चाहिए। वे वहाँ खड़े भले न हों, पर उनकी जगह पर झंडा जरूर उड़ता रहे, जिससे सब जानें कि वह स्थान स्वयंसेवकोंका है।

९. स्वयंसेवकोंको एक-दूसरेके साथ इशारेसे बातचीत करनेकी तालीम दी जानी चाहिए जिससे वे एक-दूसरेके साथ दूर रह कर भी अपनी बातका इशारा कर सकें।

१०. यदि सभा किसी बन्द मकानमें हो तो उसमें काफी दरवाजे होने चाहिए और उसमें हदसे ज्यादा आदमियोंको दाखिल ही न करना चाहिए।

११. हरएक सभामें जैसे ही लोग सभामें जाने लगें, वैसे ही सूचना-पत्रक बाँट दिये जाने चाहिए।

१२. व्यवस्थापक सभा-मंचसे लोगोंको ये सूचनाएँ पढ़कर सुना दें, जिससे सभा शुरू होनेसे पहले शोरोगुल न हो। और भी जो तात्कालिक सूचना करनी हो वह कर दें।

१३. किसी आकस्मिक घटनाका सामना करनेके लिए पानी वगैराका और तात्कालिक सहायता आदिका प्रबन्ध पहले ही से कर लिया जाना चाहिए।

१४. सभामें लोग बहुत पहलेसे आ गये हों, तो उन्हें शान्त रखनेके लिए धुन, भजन, भाषण, वगैराका पहले हीसे विचार कर लेना चाहिए

१५. लोगोको सभा-मंचकी तरफ रेलेकी तरह बढ़नेसे रोकना चाहिए। आदमी जैसे-जैसे आते जायें वैसे-वैसे आगे न बढ़कर जहाँ जगह मिले वही बैठें, स्वयसेवकोको इसका ध्यान रखना चाहिए।

ये नियम केवल उदाहरण-रूप है। लिखते समय जो बातें ध्यानमे आ गई, वे यहाँ लिख दी है। मैं जानता हूँ कि बहुत-से महत्त्वपूर्ण नियम रह गये होंगे, और इनमें कुछ निरर्थक भी होंगे। इनपर विचार करना, इनमें कमोवेशी करना स्वयसेवक दलोंका काम है।

सेविकाओको खूब सावधान बननेकी आवश्यकता है। स्त्रियोकी आकस्मिक जागृतिके योग्य प्रबन्धकी उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। फिलहाल स्वयसेवकोकी सहायता लेनी पड़े, तो ऐसा भी करे। किसी व्यवस्थापककी ओरसे यह न कहा जाये कि जितनी देख-रेख सम्भव थी, उसके अभावमे कोई दुर्घटना हो गई।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-३-१९३१

३६६. 'नवजीवन' के ग्राहकोंसे

'नवजीवन' के गैरकानूनी ढंगसे प्रकाशित होते हुए ग्राहकोने जो सहायता दी और सहयोगियोने जिस त्यागवृत्ति तथा उत्साहसे 'नवजीवन' को लगभग दस हजार ग्राहकोके पास पहुँचाया, उस अपूर्व कामके लिए मै उन्हे धन्यवाद देता हूँ। उस समय हम अपने लगभग सभी ग्राहकोंको पत्र भेज सके। यह सूचना दे देने पर भी कि जिन्हें उस समय 'नवजीवन' की जरूरत न हो वे अपना शेष चन्दा वापस ले सकते है, शायद ही किसीने अपना चंदा वापस मंगाया हो। जिनका चदा अभी बाकी है उन्हे चंदा समाप्त होने तक 'नवजीवन' हर सप्ताह मिलता रहेगा। जिन्हे 'नवजीवन' के गैरकानूनी अंकोंकी प्रति मिलती रही है उनसे अपना बाकीका चंदा भेजनेका अनुरोध है। यदि वे लगभग एक महीनेमें रकम नही भेजेंगे तो कार्यवाहक मान लेंगे कि वे 'नवजीवन' के ग्राहक नही रहना चाहते। फिर भी चूँकि वे 'नवजीवन' के गैरकानूनी ढंगसे प्रकाशित अंक लेते रहे है, मै आशा करता हूँ कि वे उन प्राप्त अंकोंका शुल्क तो भेज ही देंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-३-१९३१

३६७. गौरवशाली गुजरात

गुजरातने अपना नाम अमर करनेके साथ-साथ हिन्दुस्तानका मान बढ़ाया है। बारडोली और बोरसदको सारी दुनिया जान गई है। यूरोपमें एक थर्मोपोलीके गीत गाये गये; जब कि टॉडने राजस्थानकी हर गलीमें थर्मोपोली होनेकी साक्षी दी है। पर वीरताके वे सारे कृत्य हिंसापर आधारित थे। गुजरातमें या यों कहें कि भारतमें जगह-जगह अहिंसापूर्ण थर्मोपोलियोंका निर्माण हुआ तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन थर्मोपोलियोंमें तो पुरुषोंने ही भाग लिया था। इस अहिंसामय थर्मोपोलीमें स्त्रियोंने भी महत्त्वपूर्ण भाग लिया है।

पर इतना करके ही कर्त्तव्य पूरा नहीं हो जाता।

जो किया उससे भी बढ़कर करनेके काम बाकी पड़े हैं। वे अधिक कठिन हैं। उनमें गर्मजोशीकी नहीं किन्तु धीरतापूर्वक इस्तेमाल की गई ताकतकी जरूरत है। जोशमें आदमी जो कर गुजरता है, उसे चित्तके शान्त हो जानेपर नहीं करता। ऊधम करना अच्छा लगता है; उद्यम करना नहीं। अब हमें उद्यम और रचनात्मक काम करने हैं। किन्तु स्वराज्य शक्तिको विकसित करना हो तो नाशक और पोषक दोनों शक्तियोंको सीखे बिना छुटकारा नहीं। खेतमें निराई आवश्यक है पर जो खेतको इस तरह तैयार करनेके बाद उसे यों ही खाली पड़ा रहने दे, उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है, और उसमें फिरसे बेकार घास उग आती है। किन्तु निराईके बाद जो खेतमें बीज बोने आदिकी क्रियाएँ करता रहता है वह किसान कुशल माना जाता है। वह सम्पन्नता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि हम रचनात्मक कार्य रूपी बुआई नहीं करेंगे तो गत बारह मासकी सविनय भंग रूपी निराई बेकार जायेगी।

किन्तु कई लोग कहते हैं कि यह समझौता समझौता नहीं, इसमें तो गम्भीर भूल हुई है और हम सब हार बैठे हैं। मैं चाहता तो हूँ कि ऐसी शंका किसी गुजरातीके मनमें न रहे; किन्तु जानता हूँ कि दूसरी जगहोंकी तरह गुजरातमें भी कई लोगोंके मनमें ऐसी शंका अवश्य है। उन्हें असंन्दिग्ध करनेका प्रयत्न करना 'नवजीवन' का कर्त्तव्य है।

एक शंका यह है:

१९२९ के दिसम्बरमें और फिर यरवदा जेलमें रहते हुए तो आपने कुछ शर्तें रखी थीं; अब ऐसी कौन-सी नई बात हो गई है जिससे आप बिना किसी शर्त या आश्वासनके गोलमेज-परिषदमें जानेके लिए तैयार हो गये हैं?

हम इस प्रश्नपर विचार करें। गोलमेज-परिषदमें हमारे लोगों या ब्रिटिश पक्षका क्या रुख होगा, इसकी खबर हमें १९२९ में या यरवदामें न थी। आज तो गोलमेज-परिषदसे क्या-कुछ हो पाता है, यह मालूम करनेपर ही हमें [भविष्यके

कार्यक्रमके बारेमें] निर्णय लेना है। यह बहुत बड़ा भेद है। उन दो अवसरोंपर गोलमेज-परिषदमें बैठनेवाले पक्षोका क्या रुख होगा इसकी हमें कुछ खबर नही थी। आज हम कुछ हदतक उसे जानते हैं। आज हम जानते है कि हिन्दुस्तानके नेताओंने पूर्ण उत्तरदायी शासनकी माँग की है। ब्रिटिश पक्षोने इस माँगको स्वीकार किया है। यह सही है कि गोलमेज-परिषदमें सभी भाग लेनेवाले दल साम्राज्यके साथ भारतके सम्बन्धको बनाये रखना स्वीकार करते है? और हम इस सम्बन्धको स्वेच्छया तोड़नेका हक माँगते हैं। हमें इस हकको गोलमेज-परिषदमें माँगनेका पूर्ण अवसर तो रहेगा ही। पूर्ण स्वराज्यकी माँग करनेका अधिकार मिलनेका पूर्ण अवसर होनेपर भी यदि हम उस अवसरका उपयोग न करें तो हम दोषी ठहरते हैं।

फिर उन दो अवसरोंपर हमें अपनी शक्तिका पूरा अनुमान भी नही था। आज थोड़ा-बहुत है। शक्तिहीन होनेपर जो विचार-विमर्शके लिए जाता है, वह भिक्षुक है। शक्तिशाली हमेशा विचार-विमर्शके लिए तैयार रहता है। यदि शक्तिशाली ऐसा करनेसे इनकार करता है तो यह दर्प कहा जाता है और वह इससे निन्दित होता है।

इसलिए समझौता करके कांग्रेसने अपनी बुद्धिमता सिद्ध की है और अपना दर्जा बढाया है।

और भी बातें आलोचनामें कही गई हैं। किन्तु उनका जवाब समझौतेके बाद दिये गये मेरे निवेदनमें[1] और उसके बाद पत्रकारोंके साथ हुए मेरे सवाल-जवाबमें[2] आ जाता है और वह 'नवजीवन' में तो छपेगा ही; इसलिए यहाँ उनका उल्लेख नही करता।

इससे जिन पाठकोंकी शंकाका समाधान हो गया होगा, वे सहज ही समझ सकेंगे कि समझौतेकी जिन शर्तोंका हमें पालन करना है, यदि हम उनका सौ फीसदी पालन करें तो कांग्रेसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जायेगी और यदि हम उनका पालन न करें अथवा उसमें कुछ ढिलाई करें तो हमें जो प्रतिष्ठा मिली है हम उसे भी खो बैठेंगे।

उनका पालन करनेके बाद हमें जो तीन काम करने है, वे है: विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार, शराबका बहिष्कार, खादीका और अधिक उत्पादन तथा प्रचार। मैं इनके बारेमें भी अच्छी तरह समझा चुका हूँ। इसलिए यहाँ इस समय इनका उल्लेखमात्र कर रहा हूँ। प्रसंग आनेपर इसपर 'नवजीवन' में चर्चा करूँगा ही। अभी तो 'नवजीवन' के कानूनन प्रकाशित इस पहले अंकमें गुजरातियोंसे इतनी विनती भर करता हूँ कि वे इस कार्यक्रममें अपना पूरा योगदान दें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-३-१९३१

१. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", ५-३-१९३१।

२. देखिए "भेंट: पत्रकारोंसे", ६-३-१९३१।

३६८. तार: वाइसरायके निजी सचिवको

बम्बई
१६ मार्च, १९३१

काग्रेसके प्रतिनिधित्वके बारेमें आपके पत्रके सन्दर्भमें २४ तारीखको कराचीमें हो रही कांग्रेस कार्यकारिणीकी बैठकसे पहले नाम बताना असम्भव होगा। हो सकता है कि मामला काग्रेसके खुले अधिवेशनमें लाना पड़े। इस दौरान श्री बेनके[1] इस वक्तव्यसे कि वित्तीय सरक्षणोके बारेमें ब्रिटिश सरकारकी नीति निश्चित है और हो सकता है कि वह भारतकी माँग स्वीकार न करे, स्थिति कठिन हो गई है। यदि सरक्षणोंके बारेमें महामहिमकी सरकारकी नीति अटल हो तो परिषदमें कांग्रेसके प्रतिनिधित्वसे क्या कुछ लाभ होगा? मैं महामहिमका समय नही लेना चाहता पर फिर भी मैं इस ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनके बहुत-से कैदियोंके अब भी रिहा न किये जानेकी खबरे आ रही है। इनमें शोलापुरके कैदी और जिनपर धारा १२४ए के अन्तर्गत आरोप लगाये गये हैं, वे कैदी शामिल हैं। यह भी सूचना मिली है कि कन्टाइमें[2] अब भी पुलिस दण्ड-कर इकट्ठा किया जा रहा है। मैं १९ तारीखकी दोपहरको फ्रटियर मेलसे दिल्लीके लिए रवाना हो जाऊँगा।[3] तबतक बम्बईमें ही रहूँगा।[4]

अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३४१)की फोटो-नकलसे; सौजन्य: इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी; तथा जी० एन० ८९५६ से भी।

१. वैजवुड बेन, भारत मन्त्री।

२. बगालका एक जिला।

३. गांधीजी मार्च १८को दिल्लीके लिए रवाना हो गये।

४. इसके उत्तरमें निजी सचिवने अपने दिनांक १७ मार्चके तारमें (सी० डब्ल्यू० ९३४२; जी० एन० ८९५७) लिखा था: "आपके तारके लिए धन्यवाद। कांग्रेस-प्रतिनिधियोंके नाम चुननेके बारेमें जो स्थिति है परमश्रेष्ठ उसे समझते हैं और २०को दिल्लीमें आपके वापस आनेपर किसी भी समय आपसे मिलनेके लिए तैयार रहेंगे। आपने अपने तारमें जिन विशेष मामलोंका जिक्र किया है उनके बारेमें उनका विचार है कि यदि आप एमर्सनसे बात कर सकें तो वह अत्यन्त सुविधाजनक रहेगा। महामहिमका प्रस्ताव है कि परिषदमें भाग लेनेवाले जो सदस्य दिल्लीमें हों उनसे निजी तौरपर विचार-विनिमय करनेके लिए शनिवार सुबह अनौपचारिक बैठक बुलाई जाये। यदि आप और आपके दो या तीन साथी, जो साथ हों, उसमें उपस्थित हो सकें तो उन्हें प्रसन्नता होगी।"

३६९. भाषण : मजदूर-सभा, परेलमें[1]

१६ मार्च, १९३१

मैं जानता था कि भारतमें साम्यवादी हैं। परन्तु मुझे मेरठ जेलके सिवा वाहर उनसे मिलनेका मौका नहीं मिला था, और न उनके भाषण ही मैंने सुने थे। दो वर्ष पूर्व संयुक्त प्रान्तके अपने दौरेमें मैंने मेरठके वन्दियोसे मिल सकनेका खास प्रयत्न किया था और तव उनका कुछ परिचय प्राप्त किया था। आज मैंने उनमें से एकका भाषण सुना। मै उनसे कह सकता हूँ कि वे मजदूरोके लिए स्वराज्य प्राप्त करनेका भले ही बड़ा दावा करते हो, परन्तु मुझे उनकी शक्तिमें शंका है। जव इन नौजवान साम्यवादियोमें से किसीका जन्म भी नही हुआ था, उससे भी वहुत पहले मैंने मजदूरोंके कामको अपना लिया था। मैंने दक्षिण आफ्रिकामें अपने समयका सर्वोत्तम हिस्सा उनके लिए काम करनेमें लगाया था। मै उनके साथ रहता था और उनके सुख-दुःखमें भाग लेता था। इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि मै श्रमिकोंकी ओरसे बोलनेका दावा क्यों करता हूँ। मै और कुछ नही तो कमसे-कम थोड़ा शिष्टतापूर्ण व्यवहार पानेकी तो आपसे उम्मीद करता ही हूँ। मैं आपको निमन्त्रण देता हूँ कि आप मेरे पास आइये और मुझसे जितने साफ दिलसे चर्चा कर सकें, कीजिए।

आप साम्यवादी होनेका दावा करते हैं, परन्तु साम्यवादी जीवन व्यतीत करते दिखाई नही देते। मैं आपको वता दूँ कि मैं साम्यवाद शव्दके उत्तम अर्थमें उसके आदर्शके अनुसार जीनेका भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। और मै सोचता हूँ कि साम्यवाद शिष्टतापूर्ण व्यवहारको तिलांजलि नही देता मै आज आप लोगोके वीच खड़ा हूँ और कुछ क्षणोके उपरान्त आपसे विछड़ जाऊँगा। यदि आप देशको अपने साथ ले चलना चाहते है तो आपमें देशको समझाकर उसपर असर डालनेकी योग्यता होनी चाहिए। आप दवावसे ऐसा नही कर सकते। आप देशको अपने विचारोका अनुगामी बनानेके लिए हिंसाका पथ ग्रहण कर सकते है। परन्तु आप कितने लोगोको मारेंगे? करोड़ोंका विनाश तो नही कर सकते। अगर आपके साथ लाखो लोग हों तो आप कुछ हजार लोगोंको मार सकते है। परन्तु आज तो आप मुट्ठी-भरसे अधिक नही है। मै आपसे कहता हूँ कि आप कांग्रेसका मत वदल सकते हों तो वदल कर उसे अपने हाथमें ले लीजिए। लेकिन आप शिष्टताके प्राथमिक नियमोको तिलांजलि देकर तो ऐसा नही कर सकते। और जव अपने विचारोको पूरी तरह प्रकट करनेका

१. यह 'कम्युनिस्टोंसे दो शब्द' शीर्षकके अन्तर्गत महादेव देसाईकी परिचयात्मक टिप्पणीके साथ प्रकाशित हुआ था जो इस प्रकार थी: "बम्बईके मजदूरोंकी एक सभामें बोलते हुए गांधीजीने हिन्दीमें जो भाषण दिया था, उसका सार नीचे दिया जाता है। इस सभामें कुछ नौजवान साम्यवादियोंने गड़बड़ मचाई थी।"

आपको अधिकार है और भारतवर्षमें इतनी सहिष्णुता है कि कोई भी अपनी बात तर्कपूर्ण ढंगसे कहे तो वह धीरजसे सुन लेगा, तो फिर कोई कारण नही कि आप साधारण शिष्टता छोड दें।

अस्थायी सन्धिसे मजदूरोंका कोई नुकसान नही हुआ है। मेरा दावा है कि मेरी किसी भी प्रवृत्तिसे मजदूरोंको कभी हानि नही हुई, कभी हो ही नही सकती। यदि कांग्रेस परिषदमें अपने प्रतिनिधि भेजेगी, तो वे किसानो और मजदूरोके स्वराज्यके सिवा और किसी स्वराज्यके लिए अपना जोर नही लगायेंगे। साम्यवादी दलके अस्तित्वमें आनेसे बहुत पहले ही काग्रेस निश्चय कर चुकी थी कि जो स्वराज्य श्रमिको और कृषकोके लिए न हो, उसका कोई अर्थ नही होगा। शायद यहाँके मजदूरोमें से किसीको भी २० रुपये मासिकसे कम मजदूरी नही मिलती। परन्तु मैं न सिर्फ आपके लिए, बल्कि उन घोर परिश्रम करनेवाले और बेकार लाखो लोगोके लिए भी स्वराज्य प्राप्तिकी कोशिश कर रहा हूँ, जिनको एक जून भी पूरा खानेको नही मिलता और जिन्हे बासी रोटीके टुकड़े और चुटकी-भर नमकसे काम चला लेना पड़ता है। परन्तु मैं आपको धोखा नही देना चाहता। मुझे आपको अवश्य यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मैं पूंजीपतियोका बुरा नही चाहता; मैं उन्हे हानि पहुँचानेका विचार नहीं कर सकता। परन्तु मैं कष्टसहन करके उनकी कर्त्तव्य-भावनाको जगाना चाहता हूँ। मैं उनके दिल पिघलाकर अपने कम भाग्यशाली भाइयोके प्रति उनसे न्याय कराना चाहता हूँ। वे मनुष्य हैं और उनसे की गई मेरी अपील व्यर्थ नही जायेगी। जापानके इतिहासमे त्यागी पूंजीपतियोके बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। पिछले सत्याग्रहके दिनोमे पूंजीपतियोने खासी संख्यामें बडा त्याग किया। वे जेलोमें गये और उन्होने बड़े कष्ट उठाये। क्या आप उन्हे अपनेसे अलग करना चाहते हैं? क्या आप नही चाहते कि समान उद्देश्यके लिए वे आपके साथ काम करे?

आपने मुझसे मेरठके कैदियोंके बारेमें पूछा है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यदि मुझमे ताकत होती तो मैं हर अपराधीको देशकी जेलोसे रिहा कर देता। लेकिन न्यायानुसार उनकी रिहाईको मैं समझौतेसे पहलेकी एक शर्त नही बना सकता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उन्हें रिहा करवानेकी भरसक कोशिश कर रहा हूँ और यदि आप सिर्फ वातावरण शान्त बनाकर मेरा हाथ बँटायें तो शायद हम उन सबको और गढवालियोंको भी रिहा करवा सके। आप स्वराज्यकी बात करते है। क्या मैं भी उसे उतना ही नही पाना चाहता जितना आप चाहते है। ('असली स्वराज्य, असली स्वराज्य' की आवाजें) हाँ, मैं असली स्वराज्य चाहता हूँ, उसकी छाया नही। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप थोडा धैर्य रखें और देखें कि वक्त आनेपर काग्रेस अपनी न्यूनतम माँगके रूपमें क्या चीज सामने रखती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम कराचीमें लाहौर प्रस्ताव दुहरायेंगे और यदि हमें गोलमेज-परिषदमें जानेका मौका मिला तो हम या तो जो चाहते हैं वही लेकर लौटेंगे, या फिर कुछ भी लेकर नही लौटेंगे।

आपने मुझसे पूछा है कि ग्यारह मुद्दोंके बारेमें क्या परिस्थिति है? मेरी समझसे उन मुद्दोमें स्वराज्यका तत्त्व आ जाता है। उनके अन्तर्गत किसान और मजदूर

ठीक तरहसे सुरक्षित है। लेकिन मैं समझौतेके समय उन्हें दुहरा नही सका, सिर्फ इसलिए कि वे सविनय अवज्ञा शुरू करनेके विकल्पके रूपमें प्रस्तुत किये गये थे। हम अब सविनय अवज्ञा कर चुके है और यदि हमें निमन्त्रित किया जाता है तो गोलमेज-परिषदमें हमें अपनी राष्ट्रीय माँगपर जोर देनेके लिए जाना है। यदि हमें वहाँ सफलता मिलती है तो सभी ग्यारह मुद्दे मिल जाते हैं। आपको यह निश्चित समझना चाहिए कि जो स्वराज्य उन ग्यारह मुद्दोंको पूरा नही कर सकता वह मुझे स्वीकार्य नही हो सकता।

ईश्वरने आपको बुद्धि और प्रतिभा प्रदान की है; उसका सदुपयोग कीजिए। मेरी आपसे विनती है कि अपनी बुद्धिपर ताला न लगाइये। भगवान आपकी सहायता करे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २६-३-१९३१

३७०. भाषण: मजदूर-सभा, दादरमें

१६ मार्च, १९३१

मैं परेलकी 'मजदूरोंकी सभासे'[1] वापस आ रहा हूँ। मैं अधिक समय नही दे सकता, परन्तु मुझे विश्वास है कि मजदूरोको लम्बे भाषणोंकी आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी-अभी एक पत्र मिला है जिसमें कई-एक प्रश्न पूछे गये है। मै उनका जिक्र यहाँ नही करूँगा। यदि प्रश्नकर्त्ता यहाँ हों तो वे जान लें कि उनके प्रश्नोंके उत्तर 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' में प्रकाशित होंगे।

मेरे लिए और कांग्रेसके लिए स्वराज्यका अर्थ है जन-समुदायकी स्वतन्त्रता। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस ऐसी कोई योजना कभी नही मानेगी जिससे मजदूरों और किसानोके हितोंका संरक्षण न होता हो। आप चिन्ता न करें, सन्धिसे मजदूरोंके अधिकारोंपर किसी तरह भी बुरा असर नही पड़ा है। इससे हमें स्वराज्य नही मिला है।

हमने आन्दोलन इसलिए बन्द नही किया कि हम बुजदिल हैं। मुझे आगे कार्यवाही न करनेके लिए पत्र भेजे जा रहे हैं। ऐसे पत्रोंका मुझपर रत्ती-भर भी असर नही हुआ। मुझे नही लगता कि सन्धिमें हमारे लिए शर्मिन्दा होने लायक कोई बात है। हो सकता है कि मैंने अनजानमें कोई गलती की हो, परन्तु भूल तो मनुष्यसे होती ही है। मेरे विचारमें इस सन्धि-वार्त्तामें ऐसी कोई बात नहीं जिसे मै गलती कह सकूँ। यह हो सकता है कि मैं कुछ और माँगनेकी स्थितिमें था, लेकिन मैंने नही माँगा। परन्तु सो भी इसलिए कि मैं ज्यादती नही करना चाहता था। मेरठ और बंगालके कैदियोंका सवाल मेरे मनमें था, परन्तु मै उसपर इस हदतक दबाव नही डाल सकता था कि सन्धि-वार्त्ता ही तोड़ देता।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

मजदूरोको अभी अपनी शक्तिका पूरा एहसास नही हुआ है। वे ठीक तरहसे सगठित नही हैं। यदि वे संगठित हो जायें तो वे भारतका शासन चला सकते हैं। ऐसा करनेसे पहले उन्हें अपना सुधार करना है। वे अपने उन अनेको दुर्गुणोको दूर करे, जो उनके लिए अभिशाप हैं। वे शराब पीना और जुआ खेलना छोड़ दें। यदि वे ऐसा करे और शान्ति और अहिंसाका सन्देश समझें तो हम मजदूरोकी ताकतसे ही स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप दक्षिण आफ्रिकी सघर्षका इतिहास पढें, तो आप देखेंगे कि वहाँ सफलता मजदूरोके कारण ही मिली। जब कुल १,००,००० आवादीमें से ६०,००० मजदूर सत्याग्रहके लिए सगठित हुए, तो जो-कुछ वे कई सालोमें नही प्राप्त कर सके थे उसे उन्होने छः महीनोमें प्राप्त कर लिया।

आप इस गलतफहमीमें न रहें कि आन्दोलन हमेशाके लिए बन्द कर दिया गया है। इसे सिर्फ थोड़े समयके लिए मुल्तवी किया गया है। हम लाहौरमें पास किये गये स्वतन्त्रताके प्रस्तावसे बँधे हुए हैं और यदि वह माँग पूरी नही हुई तो हमारे लिए लड़ाई जारी रखनेके सिवा और कोई चारा नही रहेगा, और मुझे लगता है कि अगली वार यह लड़ाई हमें और भी जमकर लड़नी पड़ेगी। ईश्वर आपको इसके लिए शक्ति दे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-३-१९३१

३७१. भेंट: सुभाषचन्द्र बोससे

बम्बई
१६/१७ मार्च, १९३१

रातके १० बजे श्री सुभाषचन्द्र बोस गांधीजीसे मिलने आये और वे उनके साथ प्रातः २-३० तक व्यस्त रहे। मुझे मालूम हुआ है कि श्री सुभाषने बंगालके सभी राजनीतिक कैदियोंकी रिहाई और स्वतन्त्रताके लिए प्रचार जारी रखनेके अधिकारके बारेमें अपने विचार उनके सामने रखे।

गांधीजीने उन्हें समझाया कि दिल्लीके समझौतेसे केवल विरोधी कार्रवाइयाँ स्थगित की गई हैं। उससे किसीको भारतकी स्वतन्त्रताके लिए प्रचार जारी रखनेसे नहीं रोका गया है। वास्तवमें कांग्रेस गोलमेज-परिषदमें भी आजादीका दावा कर सकती है। सुनते हैं कि जिनपर हिंसाका अभियोग है, उन राजनीतिक कैदियों और बंगाल अध्यादेशके अन्तर्गत नजरबन्द लोगोंकी रिहाईके बारेमें गांधीजीने कहा कि मैं इसे सन्धि-वार्ताकी शर्त नहीं बना सकता था क्योंकि मैं सरकारको ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता था कि हिंसाके अपराधमें नजरबन्द कैदी यदि रिहा कर दिये जाते हैं तो वे सन्धि-वार्ताके दौरान फिर हिंसापर उतारू नहीं होंगे। मुझे विश्वास है कि वे ज्यादासे-ज्यादा छः महीने और नजरबन्द रहेंगे और अन्तिम रूपसे शान्तिका निर्णय

करनेके वक्त कांग्रेसका सभी राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईको पहली शर्त बनाना न्यायसंगत होगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १७-३-१९३१

३७२. भाषण : बम्बईमें स्वयंसेवकोंके समक्ष

[१७ मार्च, १९३१][१]

जिस प्रकार कांग्रेस सन्धिकी शर्तोंका पालन कर रही है, उसी तरह सरकार भी अपनी शर्तोंका पालन करे, इसका मैं जरूर ध्यान रखूंगा। यह स्वाभाविक है कि सरकारको अपनी स्थिति देखते हुए सब काम नियमसे करने होते हैं और उसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है। तो भी यदि अन्तमें हमें उसके द्वारा सन्धिकी शर्तोंके भंग किये जानेकी बात मालूम पड़े तो हम भी उन शर्तोंके अनुसार चलनेके लिए बाध्य नहीं रहते। स्वयंसेवकोंको नियमित रूपसे कातना चाहिए। यदि मैं आपका सरदार होता तो मैं इस कामपर अमल करनेका आग्रह करता और जबतक आप नियमित रूपसे कातना स्वीकार न करते, तबतक आपका नाम स्वयंसेवकोंमें न लिखता। यदि हमारी पूर्ण स्वराज्यकी माँग स्वीकार नहीं की गई तो आपको भी फिरसे संघर्षमें जुटना पड़ेगा। और यह संघर्ष आजकी अपेक्षा ज्यादा कठिन होगा।

[गुजरातीसे]

गुजराती, २२-३-१९३१

३७३. भेंट : 'स्क्रूटेटर' के प्रतिनिधिसे

बम्बई
१७ मार्च, १९३१

मैंने अभी खुले तौरपर कुछ नहीं कहा है। और अभी शिकायत भी नहीं की है। परन्तु मुझे प्रतिदिन ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं कि कहीं-कहीं हालात जैसे होने चाहिए, वैसे नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि लॉर्ड इर्विन और केन्द्रीय सरकार सच्चाई ही बरत रहे हैं और समझौतेका पूरा पालन करनेकी भरसक कोशिश कर रहे हैं। परन्तु लगता है कि कुछ-एक प्रान्तीय सरकारें इससे बिलकुल उलटा कर रही हैं। यह तो पुरानी बात है कि जिला-अधिकारी सचमुच इतना शक्ति-सम्पन्न है कि वाइसराय और गवर्नरों तककी बात ताक पर रख दे। मुझे बार-बार यह अनुभव हुआ है कि जिला-अधिकारीमें सरकारकी नीतिको बनाने या बिगाड़नेकी ताकत है।

१. हिन्दू, १७-३-१९३१ से।

कुछ जगहोंपर अवश्य ही तर्कसंगत और व्यावहारिक बातें की जा रही हैं, किन्तु किन्हीं दूसरे अंचलोंमें तर्क-हीनता, आवेश और बर्बर व्यवहार हो रहा है; और यह चल इसलिए रहा है कि [कार्यकर्त्तागण] सावधानी और संकोचसे काम ले रहे हैं। लॉर्ड इर्विनकी भावनाने अभी जिलोंको नहीं छुआ है।

मेरी समझमें जिन लोगोंपर धारा १२४ के अधीन हिंसात्मक भाषण देनेका अपराध लगाया गया है, उनके बारेमें कोई कठिनाई नहीं है। इस अर्थमें किसी दूसरे व्यक्तिने मेरे जितना प्रबल विरोध नहीं किया। तथापि मैं बाहर हूँ और दूसरे लोग अभी जेलमें हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि अगले कुछ दिनोंमें इनमें से बहुत-से लोग रिहा हो जायेंगे। परन्तु इस वक्त मुझे इतनी ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं कि हालातके बारेमें मैं पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो सकता। मुझे आशंका है कि बहुत-से मामलोंमें सही ढंगसे विरोध और हिंसाके बीच विभाजक-रेखा खींची ही नहीं गई थी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १८-३-१९३१

३७४. भेंट : व्यापारी संघके प्रतिनिधि-मण्डलसे

बम्बई
१७ मार्च, १९३१

भारतीय व्यापारी संघ, बम्बईके सदस्योंका प्रतिनिधि-मण्डल[1] जिसका नेतृत्व उसके प्रधान सर चूनीलाल मेहता कर रहे थे, पिछली शाम गांधीजीके निवास-स्थान पर उनसे मिला।

व्यापारके अधिकारोंके प्रश्नपर चर्चा हुई। मालूम हुआ है कि सर चूनीलाल मेहता और श्री वालचन्द हीराचन्दने गांधीजीका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि पिछली लन्दन-परिषदकी रिपोर्टसे यह स्पष्ट है कि भारतीय और ब्रिटिश उद्योगों और व्यापारोंके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। उनका तर्क था कि देशी उद्योग इस समय पूरी तरह संगठित और विकसित नहीं हैं। इस दशामें भेदभावके न होनेके कारण यदि उन्हें ब्रिटिश और विदेशी हितोंके साथ प्रतियोगिता करनी पड़ी तो उनके विकासमें बहुत कठिनाई होगी। उन्होंने गांधीजीसे अनुरोध किया कि अगली परिषदमें अपने तर्ककी पुष्टिमें नेहरू-रिपोर्टका उद्धरण देते हुए भारतीय उद्योगोंकी सुरक्षाकी मांग करना जरूरी है।

गांधीजीने प्रतिनिधि-मण्डलसे कहा कि आप पहले तो सर तेज बहादुरके पास जाते और उनसे पूछते कि उन्होंने बिना भेदभावके भारतीय उद्योगोंकी सुरक्षाके लिए

१. इसमें वालचन्द हीराचन्द, हुसेनभाई लालजी, रतनसी मोरारजी, जे० के० मेहता और जमनालाल बजाज थे।

क्या उपाय सोचा है। कांग्रेसको इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण मामलोंसे सम्बन्धित दूसरी कठिनाइयाँ पार करनी हैं। परन्तु उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस अपनी ओरसे भारतीय व्यापारियोंके समर्थनमें जो-कुछ कर सकती है उसे करनेका प्रयत्न करेगी। उन्होंने प्रतिनिधि-मण्डलसे कहा कि आप अपना माँग-आन्दोलन जारी रखें।[1]

वर्तमान स्थितिमें मैं नही कह सकता कि कांग्रेसके प्रतिनिधि गोलमेज-परिषदमें शामिल होंगे या नही। परन्तु आप आश्वस्त रहें कि गोलमेज-परिषदमें की गई तथाकथित अधिकारोंकी बराबरीकी माँगके विरोधमें कांग्रेस आपके साथ है।

दूसरे देशोंने चाहे कुछ किया हो या न किया हो, भारतको अपने उद्योगोंकी सुरक्षा और विकासके लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए जो उसके अपने हितमें हों।

जब भी यह भारतीय हितोंके अनुकूल हो, देशवासियों और विदेशियोंके बीच भेदभाव करनेका भावी भारतीय संसदका अधिकार अक्षुण्ण एवं सुरक्षित रहेगा।

यूरोपीयोंका यह दावा कि उन्हें अल्पसंख्यक जाति मानकर उनकी सुरक्षाका प्रबन्ध किया जाये, अमान्य है।

किसीको यह अधिकार नही कि वह नेहरू-रिपोर्टके दूसरे भाग छोड़कर उसका एक अनुच्छेद उठाकर हमारे मुँहपर दे मारे।

मैं आपको सलाह दूँगा कि आप इस महत्त्वपूर्ण मामलेके बारेमें प्रचार जारी रखें।

नेहरू-रिपोर्टमें प्रकाशित अनुच्छेदके सिलसिलेमें, जिसमें कि नागरिकताकी परिभाषा दी गई है, सर तेजबहादुर सप्रू द्वारा दिये गये तथाकथित वक्तव्यका जहाँतक सम्बन्ध है, उसे पण्डित मोतीलाल नेहरू द्वारा विधान-सभामें दी गई परिभाषा और नागरिककी परिभाषाके विषयपर कलकत्तामें सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा लिये गये निर्णयके साथ पढ़ा जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १८-३-१९३१ तथा *यंग इंडिया*, २६-३-१९३१।

१. इससे आगे गांधीजी द्वारा संशोधित और *यंग इंडिया*, २६-३-१९३१ में प्रकाशित भाषणका सार है। यह गांधीजीको लिखे वालचन्द हीराचन्दके उस पत्रका भाग था, जिसमें इस पत्रको प्रकाशित करनेकी अनुमति माँगी गई थी जिससे जनताके सामने सही विवरण रखा जा सके। गांधीजीके मन्तव्यके लिए देखिए "राक्षस और बौना", २६-३-१९३१।

३७५. भाषण : आजाद मैदान, बम्बईमें[1]

१७ मार्च, १९३१

पिछली बार जेलसे छूटनेके बाद मैं आपके सामने आया था किन्तु सभामें अपार भीड़ होनेके कारण आपसे अपनी बात नही कह सका था। तबसे एक युग बीत चुका है। अब नया युग आरम्भ हो गया है। आज शाम मैं फिर आपके सामने अपनी बात कहने आया हूँ जो पिछले अवसरकी बातसे बहुत ही भिन्न है। उस दिनकी बात एक साधारण बात थी। आजकी अपेक्षाकृत जटिल है। पूरे बारह महीनोंमें हमारी मनोवृत्ति युद्धकी बन गई है। हम युद्ध ही के बारेमें सोचते रहे। हम केवल युद्धके बारेमें ही बात करते रहे; हमने और किसी चीजके बारेमें बात ही नहीं की। किन्तु अब हमें एक बिलकुल अलग स्वरमें गाना है। अब हम विराम-सन्धिकी अवधिमें हैं। मुझे मालूम है कि हममें से कुछ लोगोका शरीर सन्धिके उच्चारण मात्रसे काँप उठता है। कारण यह है कि हमने लड़ाईके सिवाय और कुछ सोचा ही नही था और हमारा यह विश्वास था कि कही कोई समझौता नही हो सकता। परन्तु यह स्थिति सच्चे सत्याग्रहीके लिए शोभनीय नही है। सत्याग्रहीको जहाँ सदा लड़ाईके लिए तैयार रहना चाहिए, वहाँ उसे शान्तिके लिए भी उतना ही तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस कार्य-समितिको जब ऐसा अवसर दिखा, उसने उसका लाभ उठाया। समझौतेकी आवश्यक शर्त यह होती है कि उसमें अपमानजनक और डरनेकी कोई बात न हो। शायद आपको इस बातका तो पक्का यकीन होगा कि जब किसी भी कीमत पर सन्धि कर लेनेके लिए असंख्य तार मेरे पास आ रहे थे, उस वक्त मुझपर उनका कुछ भी असर नही हुआ था। मैं ऐसी बातोका आदी हूँ। मैं पूरी तरह सावधान था कि मेरी अन्तरात्माने जो भी निर्णय मुझे सुझाया था, उससे ये तार मुझे बिलकुल विचलित न कर पायें। एक सत्याग्रही जहाँ आतंक और संकोचवश कभी आत्मसमर्पण नही करता, वहाँ वह दूसरे पक्षको अपमानित करने या उसके घुटने टेक कर आत्मसमर्पण करनेकी बात भी नही सोचता। उसे न्यायके पथसे विचलित नही होना चाहिए। उसे असम्भव शर्तें नही मनवानी चाहिए। उसे अपनी माँगें न बहुत ऊँची रखनी चाहिए न बहुत नीची। मैं निवेदन करता हूँ कि मौजूदा समझौता इन सारी शर्तोंको पूरा करता है। ऐसा लगता है कि समझौतेकी शर्तोंमें से एक शर्तसे कुछ लोग थोड़े निराश हुए हैं और कुछ लोगोंने उस कारण समझौतेकी एकदम निन्दा भी कर डाली है। उनकी शिकायत है कि सारे राजनीतिक कैदियोकी रिहाई करवा लेने तक हमें इस समझौतेमें शामिल नही होना चाहिए था। मैं आपको बता दूँ कि न्यायकी दृष्टिसे तो हम यह माँग नही कर सकते थे। यह बात नही कि हमारी

१. यह "समझौतेके बारेमें कुछ और" शीर्षकके अन्तर्गत महादेव देसाई द्वारा दिये गये भावानुवादके रूपमें प्रकाशित हुआ था। जवाहरलाल नेहरूने सभाकी अध्यक्षता की थी।

ऐसी मर्जी नहीं थी पर इस माँगको अदम्य बना सकनेकी ताकतकी कमी थी। समझौतेकी जो शर्तें हमपर लागू होती हैं, यदि हम उनका पूरी तरह पालन करें तो शीघ्र ही हममें वह ताकत आ जायेगी।

मैं आपको यह सूचना दे दूँ कि समझौतेके सम्बन्धमें अपना दायित्व पूरा करनेमें स्थानीय सरकारोंने ढील दिखाई है। कुछ कैदी जिन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए था अभी जेलमें हैं; कुछ मुकदमे, जो वापस ले लिये जाने चाहिए थे — जैसे चिरनरका गोलीकाण्ड — अभी चल रहे हैं। यह दुःखका विषय है। यदि यह ढिलाई या त्रुटि जानबूझ कर की गई है तो निन्दनीय है। परन्तु इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी। इससे हमारे स्वराज्यका पक्ष पहलेसे ज्यादा मजबूत बन जायेगा। बहरहाल, हम यह सोचना चाहेंगे कि सरकारकी भारी-भरकम मशीनरीको देखते हुए इस तरहकी ढिलाई जानबूझ कर नहीं की गई होगी। अनजाने ही एवं अनवधानताकी वजहसे कहीं देरी हो गई होगी। परन्तु यदि जानबूझ कर विश्वास भंग किया गया है तो हमारे पास उसका निश्चित उपाय है। यदि आप समझौतेपर दृष्टिपात करें तो अन्तिम धारामें सरकारको यह अधिकार दिया गया है कि यदि कांग्रेस अपनी ओरसे समझौता पूरा नहीं करती तो सरकार अपनी कानून और व्यवस्था कायम करनेकी मशीनरीको प्रयोगमें ला सकती है। क्या मुझे आपको यह बतानेकी जरूरत है कि निश्चित ही इस धारामें इसका विपरीत पहलू भी निहित है। यदि सरकारको अपनी मशीनरीका प्रयोग करनेकी छूट है तो जैसे ही यह लगे कि जानबूझ कर समझौता भंग किया जा रहा है, हमें भी अपना अचूक हथियार अपनानेकी छूट है।

परन्तु इस देरीसे आपको व्यग्र होनेकी या झुँझलानेकी जरूरत नहीं है। सत्याग्रहीमें असीम धैर्य, दूसरोंमें बहुत ज्यादा विश्वास और पर्याप्त आशा होती है।

अब मैं एक चेतावनी भी दे देता हूँ। जाहिर है कि समझौता अस्थायी है। परन्तु इससे हमारे कामके तरीकेमें परिवर्तन करना जरूरी हो गया है। जबकि समझौतेसे पहले सविनय अवज्ञा और जेल जाना या सीधी कार्रवाईको अपनाया जाता था, अब उसका स्थान बातचीत और समझौतेने ले लिया है। परन्तु कोई भी यह न भूले कि समझौता अस्थायी है और बातचीत किसी भी स्थितिपर टूट सकती है। इसलिए हम अपनी ताकतको हमेशा बरकरार रखे रहें और अपने हथियार सदा साफ रखें। यदि समझौता असफल हो जाये तो हम ऊँघते हुए न पाये जायें, बल्कि पहले आदेशपर युद्ध करनेके लिए तैयार रहें। इस दौरान हम आत्मशुद्धिकी प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक शक्ति और अधिक आत्मविश्वाससे चलाते रहें जिससे दिन-प्रतिदिन हमारी ताकत बढ़ती रहे।

अब मैं एक शब्द व्याख्याके तौरपर कह दूँ। समझौतेके कारण हम लाहौर प्रस्तावसे कम किसी स्थितिके लिए वचन-बद्ध नहीं हैं। निस्सन्देह हमें लाहौरकी स्थितिमें परिवर्तन करनेकी छूट है; परन्तु समझौतेमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जिससे हम इसके लिए बाध्य हों। आप विश्वास रखें कि हमारी माँग स्वतन्त्रतासे कम किसी चीजकी नहीं होगी। हम इसे प्राप्त कर पायेंगे या नहीं, यह दूसरी बात है। यह इस बातपर निर्भर है कि भारतमें दूसरे दलोंके सदस्योंपर हमारा कितना प्रभाव है या

हम उन्हें कितना विश्वास दिला सकते हैं। परन्तु तथ्य यह है कि हम अच्छे ढंगसे कार्य सम्पन्न करें और समझौतेमें ऐसी कोई चीज नही जो हमें इससे रोक सके। एक मसला संरक्षणोके मामलेका है और उसकी वडी चर्चा है। इस मामलेमें मेरा यह कहना है कि हमें श्री मैकडोनाल्ड द्वारा सुझाये गये सरक्षणोमें पूर्ण परिवर्तन करनेके लिए कहनेका अधिकार है। हम जो चाहते हैं उसे कहाँतक प्राप्त कर सकेंगे, यह रचनात्मक कार्यक्रमको सफल वनानेपर निर्भर करता है। इसके तीन स्तम्भ हैं — सम्प्रदायोमें मानसिक एकता, विदेशी वस्त्रका पूर्ण वहिष्कार, और मद्य एवं मादक द्रव्योका निषेध। हम अपना कार्यक्रम पूरा करनेका भरसक प्रयत्न करें और अपनी मांगको ऐसा वनाएँ कि उसका कोई प्रतिरोध न कर सके।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-३-१९३१

३७६. तार: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

बम्बई

[१८ मार्च, १९३१][1]

आपका सन्देश मुझे अभी-अभी दिया गया है। इससे गम्भीर गलतफहमी जाहिर होती है। विदेशी वस्तुओं — विशेषकर कपडेका वहिष्कार समझौतेमें सुरक्षित है। निस्सन्देह जो चीज इसमें शामिल नही की गई है वह अंग्रेजी मालका वहिष्कार है, दूसरे विदेशी मालका नही। समझौतेकी तारीखके तुरन्त बादके मेरे भाषण और लेखोंसे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अपनी वातचीतमें भी मैंने स्थिति सामने रखनेकी कोशिश की थी, जिसपर कोई आपत्ति नही उठाई गई थी। स्वदेशी द्वारा विदेशी माल और विदेशी उद्योगका कानूनी तरीकोंसे वहिष्कार अत्यन्त आवश्यक है। अनुरोध है कि आप धारा ६ और ७ को फिरसे पढ़ें।

गृहविभाग, राजनैतिक, फाइल सं० ३३/६, १९३१।
सौजन्य: नेशनल आर्काइव्ज आफ इंडिया

१. इस तारीखको बम्बई-सरकार द्वारा गृह-विभागको उनके १५ मार्च, १९३१ के तारके जवावमें अग्रेषित; देखिए परिशिष्ट–८।

३७७. भाषण : विलेपार्ले, बम्बईमें[1]

[१८ मार्च, १९३१][2]

थैली और मानपत्र भेंट करनेके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह थैली और मानपत्र इसलिए और भी स्वागत-योग्य है कि आजके अध्यक्ष मेरे मित्र श्रीयुत नटराजन हैं और मानपत्र श्रीमती लुकमानीने, जो तैयबजी परिवारकी एक जानी-पहचानी सदस्या हैं और जिनके साथ मैं स्नेहके बेहिसाब बन्धनोंमें बँधा हुआ हूँ, पढ़ा है तथा थैली मुझे कमलाबहनने भेंट की है जो एक ख्यातनामा महिला हैं और जिन्होंने उदार दान द्वारा ही नहीं, जेल जाकर भी आन्दोलनकी सहायता की है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं स्नेहकी इस जबर्दस्त सम्पदासे सम्पन्न होकर दिल्ली जा रहा हूँ।

आपने मानपत्रमें स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरूकी पवित्र स्मृतिका जो उल्लेख किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उनकी मृत्यु मेरे लिए ऐसी निजी हानि है जिसकी क्षतिपूर्ति नही की जा सकती। उनकी मृत्युके दिन एक समाचारपत्रको दिये सन्देशमें[3] जब मैंने यह कहा था कि मैं श्रीमती मोतीलाल नेहरूसे भी ज्यादा वैधव्यका अनुभव कर रहा हूँ तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नही थी। उन्हें तो अपने पतिकी पवित्र स्मृति और अपने पवित्र जीवन, दोनोसे कुछ सान्त्वना मिल सकती है। परन्तु अपनी सारी निष्ठा और आत्मसंयमके बावजूद मुझे उनकी विवेकपूर्ण सलाहकी प्रेरणा नही मिल सकती, जिसकी आज मुझे इतनी ज्यादा जरूरत है। वाइसरायके साथ अपनी बातचीत और कार्य-समितिके सदस्योंके साथ मन्त्रणामें इसका अभाव मुझे बुरी तरह खटकता रहा। उनकी उपस्थितिसे मेरे सिरका बोझ हल्का हो गया होता और आपके इस शोकपूर्ण उल्लेखसे अपने मित्र और सलाहकारकी पवित्र स्मृतियाँ मेरे मनमें फिरसे उभर आई हैं।

आपने अपने वक्तव्यमें जिस महान कार्यका संक्षेपमें विवरण दिया है उसके लिए आपको बधाई देनेकी जरूरत नही है। जब मैं यह सोचता हूँ कि यहाँके कामकी शुरुआत मेरे समीपतम और अत्यन्त विश्वासपात्र सहयोगियोने की थी तो मेरी खुशीका कोई ठिकाना नही रहता। परन्तु अब हम जिस स्थितिमें प्रवेश कर रहे हैं उसमें हमारे धैर्य और योग्यताकी कठिनतम परीक्षा होगी। सविनय अवज्ञा काफी कठिन थी, परन्तु एक बार समझमें आनेपर वह आसान हो जाती है। कई महिलाओंने इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया और वानर-दलके बालकोंने भी इसके द्वारा अपने-आपको

१. यह "विलेपार्लेका भाषण" शीर्षकके अन्तर्गत महादेव देसाईकी इस प्रस्तावनात्मक टिप्पणी सहित प्रकाशित हुआ था: "यह विलेपार्लेमें गांधीजीके भाषणके सारका अनुवाद है।"

२ बॉम्बे क्रॉनिकल, १९-३-१९३१ से।

३. यह संदेश ८ मार्चको याने मोतीलाल नेहरूके देहान्तके दो दिन बाद भेजा गया था। देखिए "वक्तव्य: लिबर्टीको", ८-२-१९३१।

गौरवान्वित किया।[1] क्रान्तिकी भावनासे कठिन काम आसान हो जाता है। परन्तु थका डालनेवाले नियमोंका पूर्ण पालन और अनवरत कार्य और भी कठिन है। क्षोभ और भारी नाराजगीके कई अवसर आयेंगे, परन्तु इन अवसरोंपर भी आज्ञा-पालन कर्त्तव्य हो सकता है। क्योंकि वह आज्ञा-पालन अपने-आपमें आवश्यकता पड़नेपर आगे आनेवाले संघर्षके लिए तैयारी होगी।

मुझपर बहुत ज्यादा झुक जानेका आरोप लगाया जा रहा है। कहा जाता है कि यदि हम लड़ाई जारी रखते तो हमें और भी बहुत-कुछ मिल सकता था। ऐसा कहना आसान है और करना मुश्किल। कुछ-एक चीजें जोशमें की जा सकती हैं। परन्तु हमारे सामने जो रचनात्मक काम पड़ा है उसके लिए धैर्यपूर्वक और अनवरत परिश्रम करनेकी जरूरत है। यह स्वराज्यके लिए तैयारी होगी। भारत जैसे उप-महाद्वीपपर शासन करना आसान काम नहीं है। इसके लिए धैर्यपूर्वक परिश्रमकी ही नहीं, अपितु धीर-गंभीर राजनीतिज्ञताकी भी आवश्यकता है।

समझौतेको कार्यरूप देनेमें स्थानीय सरकारोंकी टालमटोलके बारेमें शिकायतें आ रही हैं।

कुछ देरी तो अनिवार्य है। मैं धैर्य रखनेके लिए कहूँगा। यदि हमें लगा कि समझौता जानबूझकर और लगातार तोड़ा जा रहा है, तो हमारे पास इसका इलाज है—जैसे कि यदि हम समझौता तोड़ते हैं, तो सरकारके पास इसका इलाज है। समझौतेके अन्तिम अनुच्छेदमें[2] उसकी स्पष्ट विपरीत स्थितिकी ओर संकेत है। परन्तु हम हर मौकेपर अपनी तलवार नहीं निकाल सकते। हम अपने अचूक अस्त्रको इतना सस्ता नहीं बना सकते। इसलिए अपने सहयोगियोंसे धैर्य रखनेका अनुरोध करना मेरा स्पष्ट कर्त्तव्य है। सरकार जैसे किसी जबरदस्त तन्त्रकी कठिनाइयोंका विचार करना ही चाहिए। उनके लिए अपनी स्थानीय सरकारों तक उतनी जल्दी पहुँचना सम्भव नहीं है, जितना हमारे लिए है। क्योंकि यह पद्धति इतनी गली-सड़ी और इतनी ज्यादा बोझीली है कि हमें इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसी आदेशके दिल्लीसे बम्बईतक पहुँचनेमें कुछ समय लगता है। तब यह जिला अधिकारीके पास पहुँचाया जाता है, जो उसे फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुँचाता है। यह दूषित प्रक्रिया पूरी भी नहीं हो पाती कि कोई स्थानीय अधिकारी मनमें ठान लेता है कि इस आदेशका पालन नहीं करना है। हमें इन सब बातोंको ध्यानमें रखना है और उसके बाद यदि हमें लगे कि जानबूझकर और इच्छापूर्वक समझौतेको भंग किया जा रहा है या उसके पालनमें सुस्ती की जा रही है तो हम फिरसे संघर्ष शुरू कर दें। परन्तु फिलहाल बीचके समयमें बहुत सावधानी और धैर्यकी आवश्यकता है।

आपने मुझे अपने शहरके आसपासके इलाकोंमें शराबकी दुकानोंपर दिये जानेवाले धरनोंके बारेमें बताया है। जब आपने इस काममें १५० महिलाओंको लगा

१. देखिए पृ० १४१-४३।

२. देखिए परिशिष्ट ६।

दिया है, तब आधा काम हुआ समझिए। विदेशी वस्त्रों और शराबकी दुकानोंके आगे धरना देना, ये दोनों ऐसे काम हैं जिनके लिए महिलाएँ विशेष रूपसे उपयुक्त हैं। और जबतक आप भरसक कोशिश न करेंगे तबतक परिषदमें जानेवाले लोगोंके कामका कोई लाभ नहीं होगा। तर्क और बातचीत वहाँ होती रहे, परन्तु जबतक उसके पीछे रचनात्मक कार्यका बल नहीं होगा, तबतक उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

इसलिए हमारे प्रयत्नोंमें कोई शिथिलता या थकावट नहीं आनी चाहिए। विदेशी वस्त्र बहिष्कार बड़ा भारी काम है, जिसके लिए हमें शुद्धतम त्याग करना होगा और अपनी सारी शक्ति लगा देनी होगी। हम स्वराज्यके पास ही हैं, सिर्फ हमें उसे पकड़नेके लिए अपनी सारी शक्तिका भरसक उपयोग करना है। ईश्वर आपको इस कामके लिए इच्छा और बल दे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २६-३-१९३१

३७८. कांग्रेस

आजसे कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस [अधिवेशन] हमारे सिरपर आ जायेगा। जो संस्थाएँ छिन्न-भिन्न हो गई हैं, उस समयतक उनका फिरसे खड़ा हो जाना सम्भव नहीं है। प्रतिनिधियोंको भी, जिनमें से आधे तो जेलसे लौटे हुए होंगे, अपने-आपको प्रकृतिस्थ कर सकनेका समय नहीं मिल पायेगा। परन्तु फिर भी यह अधिवेशन पहलेसे भी अधिक शानके साथ तथा लाखों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चो द्वारा भोगी गई यातनाओंसे प्राप्त नई शक्तिकी भावना लेकर होगा। ये यातनाएँ पीड़ितों द्वारा बदलेमें कोई कार्रवाई न किये जानेके कारण शायद इतिहासमें अपना कोई सानी नहीं रखतीं।

परन्तु इन यातनाओंके सम्बन्धमें सोचते रहना, इनका बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करना या इनपर घमण्डसे फूल उठना गलत बात होगी। योग्य कारणोंसे अपनाये गये कष्टका कभी भान ही नहीं होता और [इसलिए] उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ऐसे कष्टोंको उठानेका अपना एक आनन्द है, और वह सभी आनन्दोंसे बढ़कर है। इसलिए हमने जो-कुछ पूँजी १२ महीनोंमें इकट्ठी की है, यदि हम उस पर दिन काटें, तो हम आत्महत्याके दोषी होंगे। एक ओर हमें हमेशा अनावश्यक कष्ट उठानेसे बचनेका प्रयत्न करना चाहिए और दूसरी ओर हमें उन्हें झेलनेको सदैव तैयार भी रहना चाहिए। यों तो होता यह है कि जो लोग सही रास्तेपर चलते हैं वे कष्टोंसे बचनेका प्रयत्न करनेके बावजूद यातनाओंसे बच नहीं पाते। कष्टोंको झेलना तो किसी भी देशभक्त, सुधारक तथा, उनसे भी अधिक, सत्याग्रहीका सौभाग्य है।

जो समझौता हुआ है यद्यपि यह अस्थायी है, फिर भी वह ईश्वरकी ही कृपा से हुआ है। बातचीतके दौरान ऐसे मौके भी आये, जब बातचीत बिलकुल टूटती-सी लगने लगी थी। इसमें कोई सन्देह नही कि यदि बातचीत टूट जाती तो हमारे कष्ट दस-गुना बढ़ जाते। तथापि सम्मानजनक ढंगसे शान्ति स्थापनाके असम्भव हो जाने पर मैं राष्ट्रसे इन कष्टोको सहनेके लिए कहता। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनसे अधिक जबर्दस्त और भीषण यातनाएँ सहे बिना हम अपने उद्देश्यतक पहुँच सकेंगे। हमें जो-कुछ पाना है, शुद्धिकरणके हमारे प्रयत्न उसके पासंगके बराबर भी नही बैठते। हम अभी विचारपूर्वक और राष्ट्रीय स्तरपर अस्पृश्यताके शापसे मुक्त नही हो पाये हैं और न हम अपने आपसी अविश्वासको ही छोड़ पाये है। धनी वर्गने काफी उन्नति की है; परन्तु उसने अपने भाग्यको गरीबोंके भाग्यसे नही जोडा; उनके जीवनका गरीबोके जीवनसे तनिक भी साम्य नहीं है। शराब, अफीम, गांजा आदि मादक द्रव्योके प्रयोगके सम्बन्धमें भी काफी सुधार हुआ है, परन्तु अभीतक बहुत-कुछ करना बाकी है। उस दिशामें जो-कुछ काम अबतक हुआ है, उसे भी सांगोपाग नही कहा जा सकता। शराब पीनेवाले जनमतके सामने झुके तो है, किन्तु उन्होंने अपनी आदतको तिलांजलि नहीं दे दी है। मद्यप इनकी बुराईसे परिचित तो है, पर उसे इन्हे जहरकी तरह त्याज्य मानना नही सिखाया गया है। 'सिखाया' शब्दका प्रयोग यहाँ जानबूझ कर किया गया है। स्वयंसेवकोंने अभीतक अपने-आपको शराब और अफीम आदिकी दुकानोतक ही सीमित रखा है। उन्होंने व्यसनी लोगोंके हृदयको छूनेका प्रयत्न नही किया है। हमने विदेशी कपड़ों और शृंगारके साधनोंके प्रयोगकी अपनी इच्छाको नही त्यागा है और न कपड़ा व्यापारियोंने ही इस बातको समझा है कि अपने इस व्यापारसे उन्होने राष्ट्रको कितनी भारी हानि पहुँचाई है। उनमेंसे बहुतसे अभीतक व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके सिद्धान्तकी दुहाई देते हैं। इन और अन्य बहुत-सी आसानीमे गिनाई जा सकनेवाली बुराइयोंसे पता चलता है कि आत्मशुद्धिके लिए अभी कितना करनेको पड़ा है। इसमें कोई आश्चर्य नही कि हम अपने बीच अभी पूर्ण स्वराज्य पानेका वातावरण नही बना पाये है। इसलिए बातचीत और परिषद आदि किस हदतक सफल होती हैं, इस सम्बन्धमें पहलेसे कुछ कह सकना बहुत कठिन है। पर इतना बिलकुल सही है कि दलीलोंसे किसीको इतमीनान नहीं दिलाया जा सकता। ब्रिटेनको ठीक उसी अनुपातमें इसका इतमीनान होगा, जितनी कि शक्ति हमने अर्जित की है। राष्ट्रने जब यह तय कर लिया है कि हम केवल आत्मशुद्धिके द्वारा ही शक्ति अर्जित करेंगे तो यदि कुछ मासकी इस अवधिमें हममें ऊपर उल्लिखित बुराइयोसे छुटकारा पानेकी सद्बुद्धि नही उत्पन्न होती तो हमने अबतक जो कष्ट उठाये हैं भविष्यमें उनसे भी घोर कष्टोंकी आगमें से गुजरना होगा। इसलिए हमें विनम्र भावसे तथा अपनेमें विद्यमान प्रत्येक कमजोरीको दूर करनेके दृढ़ निश्चयके साथ कांग्रेसमें शामिल होना चाहिए। हमें परिषदों आदिको जरूरतसे ज्यादा प्रधानता नही देनी चाहिए। पिछले १२ महीनोने यह बात हमारे सामने साफ कर दी है कि स्वराज्य जब भी आयेगा, हमारे अपने ही भीतरी

प्रयत्नोंसे आयेगा; किसीसे बाहरसे भेंटमें नहीं मिलेगा और न ही मात्र तर्क-वितर्कसे मिलेगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १९-३-१९३१

३७९. टिप्पणियाँ

सरकारका कर्त्तव्य

तमिलनाडु, आन्ध्र, बिहार, पंजाब, बंगाल तथा अन्य जगहोंसे मेरे पास ऐसे समाचार आ रहे हैं कि स्थानीय अधिकारी समझौतेकी शर्तोंका पालन नहीं कर रहे हैं अथवा उन्हें लागू करनेमें उदारतासे काम नहीं ले रहे हैं; यहाँतक कि भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १२४ अ के अन्तर्गत दोषी ठहराये गये कैदियोंको भी अभी तक नहीं छोड़ा गया है। सच तो यह है कि सत्याग्रहियोंको अनेक धाराओंके अन्तर्गत — हिंसा सम्बन्धी धाराओंके अन्तर्गत भी — सजाएँ दी गई थी, चाहे उन्होंने न कभी कोई हिंसा की हो और न उनका विचार ही हिंसा करनेका रहा हो। शोलापुरके कैदियोंको भी, जिनकी संख्या लगभग १५० है, अभीतक नहीं छोड़ा गया है। उनमें से अधिकांश हिंसाके दोषी नहीं हैं, यदि हैं तो उतने ही जितना कि मैं। वे छोड़े जानेको थे। मैं समझ नहीं पाता कि उन्हें क्यों रिहा नहीं किया गया है। कंटाईकी स्थिति और भी भयानक बताई गई है। कहा जाता है कि वहाँसे अभी अतिरिक्त पुलिस-खर्च सम्बन्धी जुर्माना वसूल किया जाना है। वहाँ एक जुलूसको भी तितर-बितर किये जानेका समाचार सुननेमें आया है। मैंने इन घटनाओंकी ओर सम्बन्धित लोगोंका ध्यान आकर्षित किया है और आशा करता हूँ कि स्थानीय अधिकारी समझौतेको कार्यरूप देंगे। समझौतेको लागू करनेमें सरकारकी कुछ देरीको तो टाला नहीं जा सकता; पर इसकी कुछ सीमा अवश्य होनी चाहिए और जुर्मानेकी वसूली जारी रखना, यदि यह सूचना सही है, तो समझौतेका स्पष्ट उल्लंघन है। यह बात माफ नहीं की जा सकती। इतना तो समझौतेके अन्तर्गत आनेवाले मामलोंके सम्बन्धमें हुआ।

बंगालके नजरबन्द तथा अन्य राजनैतिक कैदियोंका भी सवाल है। समझौतेकी शर्तके रूपमें उन्हें छोड़ देनेके लिए जोर डालना सम्भव नहीं था। परन्तु मैं लोगोंको विश्वास दिलाता हूँ कि उनको भुला नहीं दिया गया है और मुझे आशा है कि कुछ समय बाद वे रिहा कर दिये जायेंगे। मैं केवल सन्तोष रखने तथा स्थानीय अधिकारियोंके ढील करनेपर भी अपना कर्त्तव्य निभाये चलनेकी बात ही कह सकता हूँ। ऐसा करनेसे हम उन लोगोंको भी, जिनका उल्लेख समझौतेमें नहीं हुआ है, छुड़ा सकनेमें और अधिक सक्षम हो सकेंगे। चाहे कुछ भी हो, लोगोंको समझ लेना चाहिए कि कांग्रेसके लिए यह कुछ महीनोंकी ही बात है; क्योंकि या तो सत्ता

राष्ट्रके हाथोंमें सौंप दी जायेगी अथवा, ईश्वर न करे, यदि कष्ट-सहनके पुराने मार्गके अलावा और कोई मार्ग नही रहा तो फिर उसपर ही चलना होगा। इसलिए जिनको राष्ट्रीय जागृति में विश्वास है वे उन बहुत-सी बातोके बारेमें जिन्हे अभी सुनियोजित करनेकी आवश्यकता है, अत्यधिक जल्दबाजी अथवा उत्सुकता व्यक्त नही करेंगे।

विदेशी वस्त्रके व्यापारी

विदेशी वस्त्रके व्यापारी ऐसा सोचते प्रतीत होते है कि समझौतेसे उन्हें अपना व्यापार मनमाने ढंगसे चलानेकी छूट मिल गई है। यह सही है कि धरना देनेवाले किसी भी बातके लिए जबरदस्ती नही करेंगे तथा वे लोग जिन्हे लगता है कि उन्होंने दबावके कारण अपना माल बन्द कर दिया था, परेशान किये जानेके भयको त्याग कर अब अपना माल खोल सकते है। पर उन्हे यह जान लेना चाहिए कि न तो धरना बिलकुल बन्द किया जायेगा और न ही लोगोके मनमें विदेशी कपड़ेका विरोध ही कम होगा। जहाँतक हम भविष्यको देख सकते है, विदेशी कपड़ेका हमेशाके लिए बहिष्कार करना राष्ट्रकी परम आवश्यकता है। यदि उन व्यापारियोंका अपने देशपर विश्वास है तो उन्हे यह जान लेना चाहिए कि स्वराज्य दूर नही है। पर चाहे स्वराज्य पास हो या दूर, विदेशी कपड़ा विरोधी आन्दोलन, शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओंके विरोध आन्दोलनके समान ही, चालू रहेगा। और जब स्वराज्य मिल जाये तो राष्ट्रीय सरकारका पहला काम विदेशी कपडे, और शराब तथा नशीली वस्तुओंका निषेध करना होना चाहिए। एकसे राष्ट्र कंगाल होता है और दूसरेसे आत्माका विनाश होता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-३-१९३१

३८०. भेंट : वाइसरायसे

१९ मार्च, १९३१

श्री गांधी बम्बईसे लौटनेके बाद आज मुझसे मिलने आये। सबसे पहले उन्होंने मेरा ध्यान उस वक्तव्यकी ओर खींचा, जो भारत-मंत्रीने वाद-विवादके दौरान हाउस ऑफ कामन्समें दिया था और जिसमें उन्होंने इस बातपर जोर दिया था कि महामहिमकी सरकारके सुविचारित मन्तव्यके अनुसार फेडरल स्ट्रक्चर कमेटीमें प्रस्तावित वित्तीय संरक्षणोंमें कोई कमी नहीं की जा सकती। जैसी कि मुझे आशा थी, उन्होंने यही बात कही कि भारतकी साखकी रक्षाके सामान्य उद्देश्यको बरकरार रखनेकी मुख्य आवश्यकताके अतिरिक्त, यदि इस विषयमें किन्हीं विशेष प्रस्तावोंके सम्बन्धमें सरकारका रुख नहीं बदला जा सकता, तो मुझे इस बातमें बहुत सन्देह है कि कांग्रेसका भाग लेना लाभदायक होगा या नहीं।

मैंने उनसे कहा कि मैं भारत-मंत्री द्वारा महामहिमकी सरकारकी स्थितिके स्पष्टीकरणमें शिकायतका कोई कारण नहीं देखता। आपके अपने मित्र और आप स्वयं भी बराबर कांग्रेसकी स्थितिका वर्णन वैसे ही स्पष्ट शब्दोंमें करते आ रहे हैं। उदाहरणार्थ, मैंने आज सवेरे ही पण्डित जवाहरलाल नेहरूका एक भाषण देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जबतक हर ब्रिटिश सैनिकको भारतसे नहीं हटा लिया जाता, कांग्रेस किसी बातके लिए राजी नहीं हो सकती। निस्सन्देह यह हो सकता है कि श्री गांधी और उनके मित्रोंको महामहिमकी सरकारकी सुविचारित स्थिति सम्बन्धी वक्तव्यको स्वीकार करनेमें वैसी ही कठिनाई हो जैसी कि महामहिमकी सरकारको पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई स्थितिको स्वीकार करनेमें होगी। पर निश्चय ही विस्तृत बातचीत द्वारा समझौते हो सकने के बारेमें निराश हो जाना अनावश्यक है। इस बातचीतमें जो लोग भाग लेंगे उनका यह कर्त्तव्य होगा कि वे अपनी स्थितिके पक्षमें तर्क और कारण पेश करें। मुझे ऐसा कहनेमें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है कि इस सम्बन्धमें महामहिमकी सरकारका मुख्य उद्देश्य केवल भारतकी साख और उसके स्थायित्वको जहाँतक हो सके, निश्चित बनाना होगा। भारत-मंत्री और महामहिमकी सरकारके विचारमें सुझाया गया तरीका इस नतीजेपर पहुँचनेके लिए सबसे अच्छा है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि यदि कोई और अच्छा तरीका बता सके, जो इससे कम कारगर न हो और जिसके द्वारा ज्यादा व्यापक समझौता किया जा सकता हो, तो महामहिमकी सरकारको उसपर ध्यानपूर्वक विचार करनेमें तनिक भी संकोच होगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्रोंके साथ स्थितिपर विचार करूँगा। इस मुद्देके सम्बन्धमें अपनाये गये उनके रुखसे तथा उसके बाद उनके साथ हुई बातचीतसे मुझे यह महसूस हुआ कि वे इसे यों ही नहीं छोड़ देंगे।

इसके बाद मैंने संक्षेपमें उन विषयोंकी चर्चा की जिनपर वे श्री एमर्सनसे बातचीत[1] करनेवाले थे। उनमें सबसे पहले वे शिकायतें हैं जो, मुझे मालूम हुआ है, उन्होंने किन्हीं विशेष व्यक्तियोंकी रिहाईके बारेमें समझौतेको लागू करनेकी सरकारको असफलताके सम्बन्धमें की हैं। जहाँतक इसका सम्बन्ध है, मैंने उनसे कहा कि मैं स्वयं भी विभिन्न व्यक्तियोंके मामलोंसे अपने आपको अवगत नहीं रख सका हूँ, पर जो सूचनाएँ मुझे गवर्नरोंसे मिली हैं उनसे मैं पूरी तरह सन्तुष्ट हूँ। राज्य-सरकारें इस सम्बन्धमें निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं; कुछ ही दिनोंमें चौदह हजार कैदियोंका निपटारा कर देना एक उल्लेखनीय कार्य है। निःसन्देह ऐसे बहुत-से मामले थे, जिनमें कुछ सन्देह उठे। उनकी यथासम्भव शीघ्रतासे जाँच की जा रही है। पर इस तथ्यको मान लेना चाहिए कि इन मामलोंकी जाँच करनेमें उन मामलों

१. देखिए परिशिष्ट ९।

की बनिस्बत अधिक समय लगता है जिनके सम्बन्धमें कोई सन्देह नहीं रहता, तथा सन्देहास्पद मामलोंमें निर्णयका अधिकार स्थानीय सरकारोंको है। मैंने उनसे कहा कि आपके सहयोगी बड़े उतावले प्रतीत होते हैं, और मुझे लगा कि वे इस बातसे असहमत नहीं थे।

इसके अनन्तर हमने स्वदेशी वस्तुओंके निर्माणको प्रोत्साहन देनेके लिए कांग्रेस द्वारा अपनाये जा रहे उपायोंपर काफी बातचीत की और मैंने उनसे कहा कि जो मिलें कांग्रेस द्वारा रखी गई शर्तोंको नहीं मानतीं उनका बहिष्कार करनेका तरीका मुझे हमारे समझौतेकी भावनाके बिल्कुल विपरीत लगा है, क्योंकि इससे व्यक्तिकी स्वतन्त्रतापर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ता है। अपने बचावमें उनका कहना था कि खरीदारोंको केवल भारतीय कपड़ा खरीदनेके लिए प्रोत्साहित करनेकी बातपर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती; इसको ध्यानमें रखते हुए कांग्रेसको यह बतानेका पूरा अधिकार है कि कौन-कौनसी मिलें भारतीय कपड़ा बनाती है और इससे अन्य मिलोंको स्वयंमेव स्वीकृत-सूचीमें शामिल होनेके लिए पूरी की जानेवाली शर्तोंको जान लेनेकी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने इस बातका जोरदार शब्दोंमें खण्डन किया कि यह काम उस लिखित समझौते या उसकी भावनाके, जो भारतीय उद्योगको पूरा-पूरा प्रोत्साहन देती है, विपरीत जाता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा यह काम पूरी तरहसे आर्थिक दृष्टिसे किया गया है और हमने एक विशेष परिपत्र द्वारा ऐसे किसी भी ब्रिटिश मालको जो भारतमें नहीं बन सकता, किसी अन्य विदेशी मालकी तुलनामें न खरीदनेकी मनाहीको समाप्त कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे बहुत-से साथियोंने मुझे बताया है कि प्रभावकारी धरनेके अभावमें, जो उनकी रायमें समझौतेके अन्तर्गत किया जाना असम्भव है, मेरी योजना सफल नहीं हो सकती। मैंने इस विषयको यह कहकर छोड़ दिया कि मैं सारे तथ्योंकी जाँच करूँगा तथा उनसे कहा कि आप इस विषयमें श्री एमर्सनसे विस्तारपूर्वक बात करें।

अन्तिम विषय, जिसपर हमारी बातचीत हुई, गोल-मेज परिषदकी भावी व्यवस्था था। इसपर उन्होंने कहा कि यदि कोई ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डल पहले भारत नहीं आया तो इंग्लैंडकी बड़ी गोलमेज-परिषदमें कांग्रेसका भाग लेना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। भारतको ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डल भेजनेके मूल विचारको छोड़ देनेके कारण पहले ही बड़े सन्देहका वातावरण बन गया है। भारत आनेवाला प्रतिनिधि-मण्डल निर्णय लेनेकी स्थितिमें हो यह आशा तो नहीं की जा सकती; और अन्तिम स्थितियोंपर लन्दनमें ही पहुँचा जा सकता है। परन्तु सम्बन्ध स्थापित करने, भारतीय भावनाओं और विचारके निकट सम्पर्कमें आनेके लिए, उन्होंने जून अथवा जुलाईमें एक ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डलके भारत आनेको अत्यधिक महत्त्व दिया और कहा कि यदि ऐसा हो सके तो इसके उपरान्त लन्दनमें होनेवाली परिषदमें सभी दलोंके भाग लेनेमें मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती।

मैंने उन्हें बताया कि जवाहरलालका जो रुख समाचारपत्रोंमें छपा है, मेरा उससे सहमत होना असम्भव है। स्पष्ट ही उनमें शान्ति भावना नहीं है; उनके भाषणोंकी मेरे मनपर यह साफ छाप पड़ी है कि वे निश्चित रूपसे वर्तमान व्यवस्थाको केवल एक ऐसा अस्थिर समझौता मानते हैं जिसका उपयोग अगले संघर्षके लिए कांग्रेसको मजबूत बनानेमें किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल चंचल तो बहुत हैं परन्तु अब उनमें शान्ति आती जा रही है। तथापि मैंने इसपर यही कहा कि मुझ ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

अन्तमें उन्होंने कहा कि कराचीमें कोई दिक्कत पैदा होनेकी सम्भावना नहीं लगती और मैं शनिवारको आपकी अनौपचारिक बैठकमें[1] भाग लूंगा। आशा है कि आपके निमन्त्रणके अनुसार अपने साथ दो अथवा तीन अन्य साथियोंको भी ला पाऊँगा।

उनका सामान्य व्यवहार मित्रतापूर्ण था और वे शान्तिके पथपर आगे बढ़नेके लिए पिछले सप्ताहसे कम आतुर नहीं थे।

जाते-जाते उन्होंने कहा कि आप भगतसिंहका उल्लेख करनेकी आज्ञा दें तो मैंने अखबारमें पढ़ा है कि फाँसीकी तारीख २४ मार्च घोषित की गई है। यह एक दुर्दिन ही होगा; ठीक उसी दिन कांग्रेसके नये अध्यक्ष कराची पहुँचेंगे और जनतामें बड़ी उत्तेजना होगी।

मैंने उन्हें बताया कि मैंने इस मामलेपर बहुत ध्यानसे विचार किया है, पर मुझे अपने मनमें सजा कम करनेके औचित्यका कोई ठोस आधार नहीं मिला। जहाँतक तारीखका सवाल है, मैंने कांग्रेसके अधिवेशनके समाप्त होनेतक इसे टालनेकी सम्भावनापर विचार किया था, पर जानबूझ कर अनेक कारणोंसे उसे रद कर दिया, जैसे

१. कि, आदेश दे देनेके बाद केवल राजनीतिक कारणसे फाँसीको स्थगित करना मुझे ठीक नहीं जँचा;

२. कि, फाँसीको स्थगित करना अमानवीय होगा; क्योंकि इससे मित्रों और सम्बन्धियोंको लगेगा कि मैं सजा कम करनेकी बात सोच रहा हूँ; और

३. कि, कांग्रेस उचित रूपसे यह शिकायत कर सकेगी कि सरकारने उसे धोखा दिया है।

ऐसा लगा कि उन्होंने इन तर्कोंके आधारको सही माना और आगे कुछ नहीं कहा।

(ह) इर्विन

अंग्रेजी (जी० एन० ८९५८) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "गोलमेज-परिषदके प्रतिनिधियोंकी बैठकमें बातचीत", २१-३-१९३१।

३८१. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

दिल्ली
२० मार्च, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

अपने वादेके अनुसार मैं आपको बोरसदके मामलतदार द्वारा जारी किये गये एक परिपत्र और नोटिसका अनुवाद भेज रहा हूँ। उनके बारेमें मेरा कुछ कहना जरूरी नहीं है। मेरे विचारसे वे स्पष्ट ही समझौतेकी शर्तोंके विपरीत है।[1]

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० कमेटी फाइल सं० १६-बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

३८२. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

१ दरियागंज, दिल्ली
२० मार्च, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

आपका जो पत्र[2] अभी-अभी मिला, उसके लिए धन्यवाद। आपने जिस सभाका उल्लेख किया है, उसके बारेमें मुझे मालूम था। मैंने पहलेसे ही यथासम्भव पूरी सावधानी बरत ली है और आशा करता हूँ कि कोई भी ऐसी-वैसी घटना नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि वहाँ पुलिसकी शक्तिका प्रदर्शन होता न जान पड़े और सभामें किसी प्रकारका हस्तक्षेप भी न किया जाये। निःसन्देह जनता खिन्न है। उसे अपनी खिन्नता इस तरह सभाओं आदि द्वारा व्यक्त करने देना अच्छा होगा।

हृदयसे आपका,

एच० डब्ल्यू० एमर्सन महोदय
मुख्य सचिव, भारत सरकार
नई दिल्ली

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० कमेटी फाइल संख्या १६-बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१, २. देखिए परिशिष्ट १०।

३८३. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

१ दरियागंज, दिल्ली
२० मार्च १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

मैं आपके पास नमकके सम्बन्धमें रणपुरसे प्राप्त एक तार[1] तथा सत्याग्रही कैदियोंके सम्बन्धमें पटनासे प्राप्त दूसरा तार भेज रहा हूँ। दूसरा तार मेरे एक बहुत ही अच्छे और सुसंस्कृत साथीका है, जो किसी भी तरहका वक्तव्य देनेमें बहुत ही सावधानीसे काम लेता है। नमक सम्बन्धी तार जिस व्यक्तिने भेजा है वह बम्बई विधान-सभाका सदस्य रह चुका है और एक ऐसे प्रभावशाली साप्ताहिक समाचारपत्रका सम्पादक है जिसके पाठकोंकी संख्या काफी है। मनमाने ढंगसे एक मीलकी सीमाका निर्धारण समझौतेकी राहत-विषयक धाराको[2] लगभग बेकार बना देता है। स्पष्टत: यह सीमा नमक-क्षेत्रके गाँवोंकी किसी सही जानकारीके बिना ही निर्धारित कर दी गई है। मेरी रायमें सीमा क्षेत्रको मीलोंके हिसाबसे तय नहीं किया जा सकता। मैंने सुझाव दिया था कि यदि गाँवोंके लोग पैदल चलकर किसी नमक-क्षेत्रमें पहुँचें तो उन्हें न रोका जाये। इस हिदायतको आसानीसे सीमा-निर्धारणका सही आधार बनाया जा सकता है। राहत-विषयक धाराका ध्येय निर्धनोंको पर्याप्त सहायता देना था। यदि एक मीलकी दूरीकी सीमा बाँध दी जाये, तो राहत कदापि नहीं मिल सकती। मैं आशा करता हूँ कि दोनों ही मामलोंपर शीघ्र ध्यान दिया जायेगा। यदि आप कार्यवाही करनेके बाद तार लौटा दें, तो मैं आभारी होऊँगा।[3]

हृदयसे आपका,

एच० डब्ल्यू० एमर्सन महोदय
मुख्य सचिव, भारत सरकार
नई दिल्ली

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल संख्या १६-बी, १९३१
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. अमृतलाल सेठ द्वारा गांधीजीको भेजे गये २० मार्चके तारमें लिखा था: "सरकारी आदेश मिल गये हैं जिनमें केवल उन गाँवोंको नमक-क्षेत्रमें घोषित किया गया है जो खाड़ीसे एक मील तककी दूरीपर हैं। इससे समझौतेकी शर्तोंके अनुसार ६० गाँवोंको लाभ होनेके बजाय अब केवल ५ गाँवोंको ही लाभ होगा। यह स्थिति समझौतेकी शर्तोंको बिलकुल बेकार कर देती है। स्वयंसेवक और गाँववाले बहुत ही परेशान हो उठे हैं और संघर्षके लिए जोर दे रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मुझे पता चला है कि अधिकारियोंके विचारानुसार मौजूदा कर्मचारियोंकी सहायतासे समझौतेकी शर्तोंके अन्तर्गत नमकके मामलेपर अमल सम्भव नहीं है।

२. धारा २०; देखिए परिशिष्ट ६।

३. एमर्सनके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ११ और १२।

३८४. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

दिल्ली
२१ मार्च, १९३१

यदि लॉर्ड सैंके और श्री वैजवुड वेन गोलमेज-परिषद द्वारा निश्चित किये गये सरक्षणोंको उसी रूपमें और सारतः अन्तिम मानते हैं, तो हमारे लन्दन जानेसे कोई लाभ नही है और जहाँतक भारतीय जनताका सम्वन्व है, द्वितीय गोलमेज परिषद असफल ही होगी।

गांधीजीने वताया कि लॉर्ड इर्विनके साथ किये गये हाल ही के समझौतेकी शर्तोंके तहत संरक्षणोंके सम्वन्वमें न केवल यह स्पष्ट होता है कि पूरी तरह और खुलकर वातचीत की जा सकती है, वल्कि उससे यह भी साफ होता है कि संरक्षणों पर भारतके लाभकी दृष्टिसे विचार किया जायेगा।

इसलिए मैं समझता हूँ कि श्री वैजवुड वेन और लॉर्ड सैंके द्वारा ससदमें दिया गया यह वक्तव्य कि संरक्षण भारतके साथ-साथ इंग्लैंडकी भलाईमें भी होने चाहिए, समझौतेकी भावनाके सर्वथा अनुरूप नही है।

हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नके वारेमें गांधीजीने कराची अधिवेशनसे पहले एकता स्थापित होनेमें अत्यधिक सन्देह व्यक्त किया। तथापि उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इस सम्वन्वमें थोड़ी-वहुत सुलह हो जायेगी जिससे इन दोनों जातियोंमें, जिनके आपसी मतभेदने भारतको शताब्दियोसे त्रस्त कर रखा है, आखिरकार कुछ समझौता होना सम्भव हो जायेगा।

यह पूछे जानेपर कि क्या आप द्वितीय गोलमेज-परिषदका जेनेवामें होना पसन्द करेंगे, गांधीजीने कहा :

यदि ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डलको एक निष्पक्ष न्यायाधीशके रूपमें भारतके भविष्यका निर्णय करना हो तो परिषद जेनेवामें होनी चाहिए, पर ऐसा तो नही है। एक तरहसे ब्रिटिश हमारे विरोधी हैं। इसलिए उनका जोर हर वात सीधे ही करनेपर है। इस प्रकारकी वातचीतमें वातावरण, पास-पड़ोस तथा स्थानीय प्रभावका वहुत वड़ा हाथ रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इंग्लैंड जेनेवाके लिए कभी राजी नही होगा। यदि मेरा वस चले तो मैं दो परिषदें करूँ, पहली भारतमें और दूसरी इंग्लैंडमें। इससे पूरा-पूरा न्याय होगा। पर परिषद जहाँ-कही भी हो, उसके लिए सवसे आवश्यक वात है कि वह समय गँवाये विना फौरन की जानी चाहिए।

प्र० : क्या आप राष्ट्रीय कांग्रेसको लॉर्ड इर्विनसे हुए समझौतेकी शर्तें मनवानेकी आशा करते हैं?

उ० : हाँ, पर यदि भगतसिंहको फाँसी दी जाती है, जैसा कि अब निश्चित ही लगता है, तो इसका नौजवान कांग्रेसियोंपर बहुत ही उलटा प्रभाव पड़ेगा और वे कांग्रेसको विभाजित करनेका प्रयत्न कर सकते हैं।

क्या आपको कोई ऐसी आशा है कि भगतसिंहको शायद अन्तिम समयपर बचाया जा सकेगा?

है तो, पर बहुत क्षीण।

गांधीजीको लन्दनके समाचारपत्रोंकी इस बहसपर हँसी आई कि क्या वे मीराबाईको लन्दन लायेंगे।

यदि मैं द्वितीय गोलमेज परिषदमें भाग लेने जाऊँ तो मैं उसे अपने साथ क्यों न लाऊँ? वह बहुत ही अच्छी सहायिका है तथा इसके अतिरिक्त उसकी माता लन्दनमें है और वह उनसे मिलनेकी बड़ी इच्छुक है।

राजनीतिसे हटकर सामान्य विषयोंके सम्बन्धमें गांधीजीने कई प्रश्नोंके उत्तर दिये।

क्या आप सोचते हैं कि राष्ट्रसंघ युद्धको समाप्त करनेमें सफल हो सकेगा?

जबतक लोग और राष्ट्र अधिक आध्यात्मिक नहीं हो जाते और भेदभाव नहीं छोड़ देते तथा स्पर्धा और पशुबल त्यागकर भ्रातृभाव एवं एकताका सिद्धान्त नहीं अपनाते तबतक कोई भी संस्था युद्ध समाप्त नहीं कर सकती। पश्चिमके लोग आध्यात्मिक चीजोंकी शक्ति नहीं पहचानते, पर एक दिन वे उसे पहचानेंगे और तब वे युद्धमें होनेवाली हिंसा, अपराधों और उन सब बातोंसे जो इन दुष्कर्मोंके साथ-साथ चलती हैं, मुक्त हो जायेंगे। पश्चिममें अत्यधिक भौतिकता, स्वार्थ और संकुचित राष्ट्रीयता है; हमें अपनेमें अन्तर्राष्ट्रीयताकी उस भावनाको उत्पन्न करनेकी आवश्यकता है जिसमें समस्त मानव जातिके कल्याण और आध्यात्मिक उत्थानकी बात हो।

आप शस्त्रीकरण कैसे हटायेंगे?

अहिंसाके द्वारा जो कि अन्तमें सभी राष्ट्रोंका शस्त्र होगा। 'अन्तमें' मैं जानबूझकर कह रहा हूँ, क्योंकि अभीतक हम काफी लम्बे समयतक युद्ध करते रहेंगे और शस्त्रोंका प्रयोग करते रहेंगे। ईसाने आजसे दो हजार वर्ष पहले अपना गिरि-प्रवचन दिया था, पर संसारने मानवोंके परस्पर व्यवहारके सम्बन्धमें दिए गये इस शाश्वत महान उपदेशका अनुसरण बहुत ही थोड़ा किया। जबतक हम ईसाके समस्त सिद्धान्तोंको अपने हृदयोंमें नहीं बैठाते, तबतक युद्ध, घृणा और हिंसा जारी रहेगी।

अमेरीकामें प्रचलित हिंसा, तलाक और मद्यपानके अपराधोंके लिए आपका क्या समाधान है?

मैं तो उन सबका आत्मशुद्धि और अहिंसासे निराकरण करूँगा।

आपने अहमदाबाद-नगरपालिकाको अपना स्मारक खड़ा करनेकी स्वीकृति क्यों नहीं दी ?

क्योंकि एक मनुष्यका सर्वोत्तम स्मारक पत्थरकी कोई इमारत नहीं है, वरन् उसके जीवन्त कार्य ही उसका स्मारक हैं। यह स्मारक उन लोगोंके मनमें हमेशा बना रहता है जिनकी उसने सेवा की है। ऐसे कोषोंका उपयोग गरीबोंके उत्थान-कार्यमें किया जाना चाहिए न कि जिस व्यक्तिने केवल अपने भाइयोंकी सेवा की है, उसे संगमरमरकी मूर्ति बनाकर अमरत्व प्रदान करने और गौरव देनेमें।

आप कबतक जीते रहनेकी आशा करते हैं ?

अनन्त काल तक।

क्या आप अमरत्वमें विश्वास करते हैं ?

जी हाँ, आत्माका पुनर्जन्म और शरीर-परिवर्तन हिन्दू-धर्मके दो मूलभूत सिद्धान्त हैं।

यदि सब लोग आपके अनुसार सादा जीवन, उपवास और साधना आदिको अपना लें, तो क्या आप सोचते हैं कि वे शतायु होंगे ?

जी हाँ, पर इसका निर्णय मेरे मरनेपर अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है।

कौन-सी सरकार आपके आदर्श सरकारके विचारके सबसे नजदीक बैठती है ?

कोई भी नहीं। आदर्श सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसमें आदमी जीवनके प्रत्येक पहलूमें अपने उच्चतम शिखरतक पहुँचे और जिसमें उसके हितोंको अन्य सब बातोंसे महत्त्वपूर्ण माना जाये।

क्या समाजवाद यह कर सकता है ?

वह समाजवाद नहीं, जो कि आजकलकी राजनीतिमें प्रचलित है।

यह पूछे जानेपर कि जब भारतको स्वराज्य मिल जायेगा, तब क्या आप अमेरिकी तथा अन्य विदेशी धर्मप्रचारकोंके भारतमें बने रहनेका समर्थन करेंगे, गांधीजीने कहा :

यदि वे पूरी तरहसे मानवीय कार्यों तथा गरीबोंकी सेवा करनेके बजाय डाक्टरी सहायता, शिक्षा आदिके द्वारा धर्म-परिवर्तनका काम करेंगे तो मैं निश्चय ही उन्हें चले जानेको कहूँगा। प्रत्येक राष्ट्रका धर्म अन्य किसी राष्ट्रके धर्मके समान ही श्रेष्ठ है। निश्चय ही भारतके धर्म उसके अपने लोगोंके लिए पर्याप्त हैं। हमें धर्म-परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नहीं है[1]।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २२-३-१९३१

१. देखिए खण्ड ४६, "विदेशी मिशनरी" २३-४-१९३१ भी।

३८५. बातचीत : गोलमेज परिषदके प्रतिनिधियोंकी बैठक, दिल्लीमें[1]

२१ मार्च, १९३१

आजकल दिल्लीमें देशी रियासतोंके जो राजागण और गोलमेज-परिषदके प्रतिनिधि रुके हुए हैं, महामहिमने आज सवेरे (२१ मार्च, १९३१) ११ बजे उनसे भेंट की। श्री गांधी, पं० मदनमोहन मालवीय और सर ह्यू कुक भी उस समय वहाँ उपस्थित थे।

महामहिमने उपस्थित सज्जनोंका स्वागत करते हुए और जिन मोटे-मोटे मुद्दोंके सम्बन्धमें उन्हें लगता था कि चर्चा लाभप्रद हो सकती है, उनका हवाला देते हुए कार्रवाई प्रारम्भ की।

मुद्दे पाँच थे; जो इस प्रकार थे:

१. जिस क्रियात्मक कार्यक्रमके चलनेकी आशा की जाती है उसके सम्बन्धमें भारत-मन्त्री द्वारा संसदमें दिया गया वक्तव्य।

२. गोलमेज-परिषद द्वारा सुझाई गई कुछ विशेष जाँच-पड़तालें करना।

३. भारतमें ही साम्प्रदायिक एकता और रियासतोंमें संघीय प्रणालीके बारेमें चल रही चर्चाओं जैसे प्रश्नोंको लेकर क्या कुछ हो रहा है?

४. संघीय संरचना-समितिका कार्य जिस तरह आगे बढ़ रहा है, लोग उसको किस नजरसे देखते हैं और उसपर आगे अधिक बातचीत करने योग्य वातावरण कब तक बन जायेगा?

५. क्या गोलमेज-परिषदके भारतीय प्रतिनिधियोंका अन्य लोगों सहित गर्मियोंमें भारतमें मिलना लाभप्रद होगा?

मुद्दा १ : पहले मुद्देके सम्बन्धमें महामहिमने पूछा कि भारत-मन्त्री द्वारा पेश की गई आम योजनाके सम्बन्धमें विशेष-रूपसे ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डलके भारत न आनेके सम्बन्धमें जनताका क्या विचार है। . . . महामहिमने परिषदसे सीधे यही पूछा कि क्या आम राय यह है कि किसी ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डलका भारतमें भेजा जाना आवश्यक है। बहुत-से प्रतिनिधियोंने उत्तर दिया: 'हाँ'। . . .

श्री गांधीने कहा कि आजकी स्थितिमें किसी प्रतिनिधि-मण्डलके यहाँ बुलाये जानेसे कुछ लाभ नहीं होगा। (यद्यपि उन्होंने बादमें जो विचार व्यक्त किये उनसे यह तात्पर्य लगाया जा सकता था कि वे केवल यह कहना चाहते थे कि वर्तमान स्थितिमें अर्थात् जबतक साम्प्रदायिक स्थिति और साफ नहीं हो जाती, यह बेकार है।) . . .

१. केवल कुछ अंश ही यहाँ उद्धृत हैं।

महामहिमने इस मुद्देपर होनेवाली चर्चाको यह कहकर समाप्त किया कि अब हमारे सामने जो समस्या है, वह यह है कि क्या किसी प्रतिनिधि-मण्डलको, चाहे वह कैसा भी क्यों न हो, भारत भेजना शरद्में होनेवाली गोलमेज-परिषदके लन्दनमें जल्दी ही अपना काम शुरू कर सकनेके लिए रास्ता साफ करनेमें सहायक हो सकता है।

मुद्दा २ : इसके पश्चात् महामहिमने उन सुझावोंको लिया जिनपर गोलमेज परिषद द्वारा जांच करनेकी सिफारिशें की गई थीं। इनमें पहली बात मताधिकारकी जांच थी। भारत-सरकारकी राय थी कि भारत-मन्त्री द्वारा एक आयोग नियुक्त किया जाये, जो हो सकता है कि [देशका] दौरा करे; वह लगभग ६ महीनेके लिए नियुक्त किया जाये। पर जो समस्या इस समय हमारे सामने एकदम खड़ी हो गई है, वह यह है कि जबतक साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं हो जाती, क्या तबतकके लिए मताधिकार सम्बन्धी जांचको रोके रखा जाये। . . . यह पूछे जानेपर कि क्या साम्प्रदायिक समस्याके शीघ्र हल होनेके कोई आसार हैं, श्री गांधीने कहा कि कांग्रेसकी विचारधाराके अनुरूप इसके हलके लिए वे सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं जो किये जा सकते हैं तथा इसके अतिरिक्त यहाँ तथा बाहर भी इसकी कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि जबतक साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं हो जाती, कांग्रेसके लिए यहाँ तथा इंग्लैंडमें गोलमेज-परिषदकी चर्चाओंमें भाग लेना कठिन होगा। कांग्रेस रोज-रोज इसी निर्णयपर पहुँचती जा रही है। अतः वह इसके हलके लिए कोई भी कसर उठा नहीं रखेगी। अपने इस प्रयत्नमें उन्हें सबसे पहले बेगम शाहनवाज और फिर सर मुहम्मदशफी तथा अन्य लोगोंके, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं हैं, आश्वासनोंसे मदद मिली है। उन्होंने बतलाया कि वास्तविक स्थिति यह है कि कांग्रेस साम्प्रदायिक समस्याके किसी भी ऐसे हलको नहीं मानेगी, जो सम्बन्धित सम्प्रदायोंके लोगोंको सन्तुष्ट न करता हो। श्री गांधीने यह बात स्पष्ट करनेके विचारसे कही कि इस समस्याका हल निकालना कांग्रेसका परम कर्त्तव्य है। यदि कांग्रेस दुर्भाग्यवश अपने इस कर्त्तव्यको निभानेमें असफल रहती है तो वह इसकी सूचना महामहिम और देशको दे देगी। श्री गांधी यह नहीं कह सके कि मुझे इस समस्याके तत्काल हल हो जानेकी आशा है; पर जैसी स्थिति आजकल चल रही है, उसमें उन्हें निराश होनेका भी कोई कारण नहीं दिखा है। यदि कांग्रेस सफल हो जाती है तो वह निकट भविष्यमें तत्सम्बन्धी घोषणा करेगी। यदि वह असफल होती है तो उसकी इस असफलतासे उसकी अयोग्यता सिद्ध हो जायेगी तथा फिर अन्य लोगोंको अवश्य ही इस कामको अपने हाथमें ले लेना चाहिए। कांग्रेस प्रत्येककी सहायता माँगेगी। कठिनाइयाँ बहुत जबर्दस्त हैं, पर दुस्तर नहीं हैं। पण्डित मदनमोहन मालवीय गांधीजी द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारोंसे सहमत थे। सर मुहम्मदशफीने श्री गांधी द्वारा संक्षेपमें प्रकट किए गए सराहनीय विचारोंका समर्थन किया और कहा कि उन्हें उसमें

कुछ और नहीं जोड़ना है। महामहिमने कहा कि चूँकि मैं इस दिशामें कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ और लगभग तटस्थ हूँ, मैं तो पूरे मनसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ। जो लोग शान्तिके लिए जी-तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं उन्होंने उनकी सफलताकी कामना की।

अन्तमें सर्वसम्मतिसे यह तय पाया गया कि जबतक साम्प्रदायिक समस्याका प्रश्न बना हुआ है, मताधिकार-आयोगके गठनसे कोई लाभ नहीं होगा।

तब महामहिमने प्रश्न किया कि यदि इस समस्याका हल नहीं निकलता तो यह परिषद महामहिमकी सरकारको क्या करनेकी सलाह देगी? "ऐसी स्थितिमें क्या महामहिमकी सरकार स्वयं कोई निर्णय ले ले?" सर मुहम्मदशफी, सर तेज बहादुर सप्रू, सर ए० पी० पात्रो और सर बी० एन० मित्रने कहा कि उस स्थितिमें सरकारको अवश्य ही कोई फैसला करना चाहिए। तथापि श्री गांधीने कहा :

यदि हमें अपनी लाचारीमें महामहिमकी सरकारसे यह कहना पड़े कि हम असफल हो गये हैं, तो मैं यह घोषणा करनेको जीवित नहीं रहना चाहता। इस समस्याके आपसी हलपर ही इस बहुपीड़ित देशकी भविष्यकी खुशियाँ निर्भर करती हैं। मैं एकदम यह नही कह देना चाहता कि महामहिमकी सरकारको हमारे बीच मध्यस्थता करनी चाहिए; क्योंकि उस घोषणाका यही अर्थ होता है। पर जैसे-जैसे मुसलमान और सिखोंसे हमारी बातचीत बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे हम अधिकाधिक इस निर्णयपर पहुँचते जा रहे हैं कि किसी भी हलकी अनिवार्य शर्त होगी वयस्क मताधिकार। भारतकी इस विशिष्ट स्थितिमें वयस्क मताधिकार एक कठिन बात लग सकती है; पर हमारी साम्प्रदायिक समस्याओंका समुचित समाधान न कर पानेसे कठिनाइयाँ और भी बढ़ जायेंगी। मुसलमान और सिख भी ऐसा ही महसूस करते हैं। मुसलमान इस सम्बन्धमें हो सकता है, एक मत न हों; पर मुसलमानोंकी एक बहुत बड़ी संख्याका मत है कि वयस्क मताधिकार ही वास्तविक समाधान है। मैं जितने जोरदार शब्दोंमें इस बातको रख रहा हूँ, इसे देखकर किसीको शंकित होनेकी आवश्यकता नही है। वयस्क मताधिकार लागू करना उतना कठिन सिद्ध नही होगा जितना कि वह प्रथम दृष्टिमें दिखाई देता है। जो योजना बनाई जा रही है उसपर हमें पूर्ण रूपसे विचार करना चाहिए। उचित समय आनेपर मैं इस योजनापर चर्चा करनेको तैयार रहूँगा। इस बीच मैं यह चाहता रहा हूँ कि लोगोंको यह मालूम हो जाये कि कांग्रेस किस प्रकार काम कर रही है। वयस्क मताधिकार साम्प्रदायिकता की समस्या हल करनेकी अनिवार्य शर्त सिद्ध हो सकती है।

सर अकबर हैदरीने बताया कि मताधिकार-समिति मताधिकार और संघीय विधानसभाके लिए चुनाव-क्षेत्र तय करनेपर तबतक काम नहीं कर सकती जबतक कि हम यह न जान लें कि दोनों सदनोंकी सदस्य-संख्या क्या होगी। महामहिमने कहा कि इससे पता चलता है कि किस प्रकार सब सवाल एक-दूसरेसे जुड़े हुए हैं; पर आपको कहीं-न-कहींसे शुरू कर देना चाहिए — या तो इस छोरसे या उस

छोरसे। विशेष कार्योंके लिए जिम्मेदार व्यक्तियोंको विकल्पोंको भी सामने रखना चाहिए।

मुद्दा २: (ख) तब महामहिमने उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्तकी उन दो जाँचोंका जिक्र किया, जिनकी गोलमेज-परिषदने सिफारिश की थी। उन्होंने भारत सरकारके संकल्पित कार्यके सम्बन्धमें समझाया। परिषदने उसे मंजूर कर दिया। महामहिमने इसी प्रकार सिन्धके सम्बन्धमें बताया और उसे भी परिषदने मंजूर कर दिया। परिषदने विभिन्न विषयोंके सम्बन्धमें विभागीय जाँच-पड़तालकी भी मंजूरी दी, पर अलग रेलवे-प्राधिकार सम्बन्धी जाँचके बारेमें कोई विचार प्रकट नहीं किया।

श्री गांधीके एक कथनका यह अभिप्राय जान पड़ा कि उड़ीसाको पृथक करनेके विचारको कांग्रेसका समर्थन प्राप्त है . . .।

मुद्दा ५: सर तेज बहादुरने पूछा "यदि एक ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डल आता है तो क्या होगा?" महामहिमने इसके उत्तरमें कहा कि तब पूरी परिषदकी बैठक अवश्य होनी चाहिए . . .। सर तेज बहादुर सप्रूने श्री गांधीके विचार भी जानने चाहे।

श्री गांधीने कहा कि जब मैं और मेरे मित्र इस प्रश्नपर विचार कर रहे थे तब वे भारत-मन्त्री द्वारा बार-बार कही गई तीन बातोंके सम्बन्धमें आश्वस्त हो चुके थे। भारत-मन्त्री एक प्रतिनिधि-मण्डलके भारत आनेकी सम्भावना देखते थे, इसे श्री गांधी और उनके मित्रोंने एक अच्छा विचार माना था, क्योंकि इससे उन्हें विभिन्न विषयोंपर जितना खुलकर चर्चा करनेका मौका मिलता उतना उन्हें लन्दनमें होनेवाली पूर्ण परिषदमें नहीं मिल सकता था। उन्होंने प्राथमिक परिषदके भारतमें होने तथा बादमें सारे कार्यकलापको समाप्त कर अपने सुविचारित विचार की घोषणा करनेके लिए गोलमेज-परिषदके लन्दनमें होनेके विचारका भी स्वागत किया था। वह और उनके मित्र अब भी उस विचारपर दृढ़ हैं। तदनुसार श्री गांधीको आज इस विचारके प्रकट किये जानेपर खुशी हुई कि भारतमें एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजे जानेका विचार, जिसे पहले महामहिमकी सरकारने त्याग दिया था, फिरसे उठाया जाना चाहिए और एक प्रतिनिधि-मण्डल आना चाहिए। परन्तु कांग्रेस अपनी आन्तरिक कठिनाइयों, जैसे कि साम्प्रदायिक समस्याके समाधानका कोई हल निकालनेमें असफल होनेकी सम्भावनाके कारण अभी पूरी तरहसे कोई मत नहीं बना पाई है। जिस प्रकार कांग्रेस एक प्रतिनिधि-मण्डलके भारत आनेका स्वागत करेगी और इसे एक तरहसे बिल्कुल अनिवार्य ही मानेगी ताकि कांग्रेसको सारी जानकारी मिल सके, उसी प्रकार ब्रिटिश-दलोंको तथा उन लोगोंको भी जो भारत आनेके लिए चुने जायें, सारी जानकारी मिलनी चाहिए। तीसरी बात जिसके कारण कांग्रेस भारतमें परिषदका होना वास्तवमें अनिवार्य मानती है और उसका स्वागत करती है, उसकी कठिनाइयोंको जानना है। श्री गांधीने कहा कि हम लोग उन्हें जानते हैं; उन्हें नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोगोंका यह विचार है कि भारतीय वातावरणमें

मिलना और बातचीत चलाना असुविधाजनक होगा। पर श्री गांधी यह अनुभव करते हैं कि अभीतक सन्देह विद्यमान है। भारतीयों और यूरोपियोंके बीच सन्देह घर किए हुए है। नौकरशाहीपर याने अधिकारियोंपर लोगोंको और भी अधिक सन्देह है। उनका और उनके मित्रोंका यह खयाल है कि एक सम्मानपूर्ण समझौतेपर पहुँचनेमें बहुत-सी रुकावटें डाली जा रही हैं। वे स्वयं इन बातोंसे घबराते नहीं। उनका यह कहना है कि यदि भारतको अपनी सरकार चलानी पड़ी तो उसे बदली स्थितियोंमें इस नौकरशाहीके साथ काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने मनमें सोचता हूँ कि अगर स्वराज्यकी बड़ी-बड़ी जिम्मेवारियाँ उठानेके समय इन अधिकारियोंने भारतको सहायता न दी तो देशको किन-किन कठिनाइयोंका सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँतक कांग्रेसका सम्बन्ध है, परिषदका भारतमें ही होना श्रेयस्कर और आवश्यक भी है। यह परिषद न्यायाधीशों अथवा मध्यस्थोंकी तरह काम नहीं करेगी। यदि वह वैसा करती है तो उन्हें युक्तिसंगत यही लगता है कि वह किसी निष्पक्ष स्थानमें होनी चाहिए और उसे वहीं अपना निर्णय देना चाहिए। वे इन्हें यथार्थ शर्तें नहीं मानते। परिषद अपनी बैठकोंसे आसपासके वातावरणको प्रभावित करेगी और स्वयं भी उससे प्रभावित होगी। मुझे ऐसा लगता है कि परिषद अवश्य ही भारतमें होनी चाहिए। यदि भारतमें बैठक करनेमें कुछ असुविधाएँ हैं तो लन्दनमें बैठक करनेमें भी कुछ असुविधाएँ हैं। यदि परिषद पूरी तरह परिणामोंका सामना नहीं करती और भारतमें तथा लन्दनमें नहीं बैठती तो यह एक अधूरी परिषद होगी। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, कांग्रेस एक फैसलेपर पहुँचनेको बेचैन है। मैं तीन बातें सोचता हूँ। पहली यह कि जितनी जल्दी ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डल आता है उतना ही अच्छा है; दूसरी, जितनी जल्दी गोलमेज-परिषद होती है उतना ही अच्छा है; तथा तीसरी, जितनी जल्दी गोलमेज-परिषद लन्दनमें अपनी कार्रवाई समाप्त करती है उतना ही अच्छा है। उल्लिखित विभिन्न उप-समितियोंका हवाला देते हुए श्री गांधीने कहा कि मुझे उनकी आन्तरिक गतिविधियों और कार्रवाइयोंके बारेमें कोई जानकारी नहीं है। पर मैं यह समझता हूँ कि समितियोंको अपनी चर्चाएँ प्रारम्भ करनेसे पहले कांग्रेसके विचारोंको अवश्य ही सुन लेना चाहिए। यदि इन समितियोंने अभीसे अपना काम चालू रखा तो यह कांग्रेसके लिए असुविधाजनक होगा। लन्दनमें हुए निर्णयोंको कांग्रेस अभी नहीं मान सकती। कांग्रेसको उस समस्याके सम्बन्धमें अपना सुविचारित मत प्रकट करना है जिसपर अस्थायी मत वहाँ [लन्दनमें] पहले ही प्रकट किये जा चुके हैं। इसलिए श्री गांधीने कहा कि कांग्रेसके विचार पूरी तरह सुने बिना कोई अगला कदम न उठाया जाये। महाराजा अलवरने पूछा कि क्या श्री गांधी एक सप्ताहके लिए दौरे पर आनेवाले ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डलसे सन्तुष्ट हो जायेंगे। श्री गांधीने कहा 'हाँ'। मैं महामहिमकी सरकारकी भारतमें परिषदके लिए सर्वोत्तम प्रतिनिधि न भेज सकनेकी असमर्थताको भली-भाँति समझ सकता हूँ। उन्होंने

कहा कि मैं इसपर ध्यान नहीं देता। मैं समझता हूँ कि हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए और किसी सर्वसम्मत निर्णयपर आ जाना चाहिए। हमें हमेशा इंग्लैंडके प्रमुख राजनीतिज्ञोंपर प्रभाव डालनेकी ही बात नहीं सोचनी चाहिए। वह वांछनीय तो है, पर हमारा एक सर्वसम्मत निर्णयपर पहुँचना और अपने सम्बन्धमें एकाग्र होना भी उतना ही आवश्यक है। अधिकारी और जातियाँ यहाँ हैं, और वे यहीं रहेंगी, वे लन्दन नहीं भेज दी जायेंगी। अतः सब बातोंको देखते हुए मुझे यह आवश्यक लगता है कि एक परिषद भारतमें होनी चाहिए। भारतीयोंको अपने भीतर एकता पैदा करनी पड़ेगी और वे कांग्रेसके बजाय किसी अन्य संस्थाके अन्तर्गत अधिक अच्छी तरह एकता स्थापित नहीं कर सकते। भारतीयोंको अपनी स्थितिका पता लगाना चाहिए तथा लन्दन जानेसे पहले उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वे कहाँ हैं। परम माननीय उपस्थित लोगोंको सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि मुझे लगेगा कि हम आपसमें बँटे हुए हैं तो मैं कहूँगा कि हमें लन्दन नहीं जाना चाहिए। पर यदि हम सब सहमत हो गये और एकमतके हुए तो मैं अत्यधिक आशा और विश्वासके साथ लन्दन जाऊँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी अपनी स्थितिसे मैं अंग्रेजोंको सहमत करा सकूँगा। श्री गांधीने जो-कुछ कहा, पण्डित मदनमोहन मालवीयने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंडको कभी इससे बड़ी समस्याका सामना नहीं करना पड़ा और आवश्यकता इस बातकी है कि जो काम हाथमें लिया गया है, उसे यथासम्भव कमसे-कम विलम्ब लगाकर जारी रखा जाये। अंग्रेज राजनीतिज्ञोंका भारतके प्रति यह कर्त्तव्य है कि वे भारत आनेका समय निकालें। सभी दलोंका उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको इंग्लैंडमें इस प्रकार व्यवस्था-कार्य करना चाहिए, जिससे उनके सर्वोत्तम व्यक्ति भारत आ सकें। उनका कहना था कि महामहिमको इसी प्रकारकी अपील इंग्लैंडके राजनीतिज्ञोंसे करनी चाहिए। उनके विचारसे यदि ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डलके साथ पहले भारतमें चर्चा हो जाये तो गोलमेज-परिषदका अन्तिम कार्य और भी आसान हो जायेगा। एक भारतीय प्रतिनिधि-मण्डलका लन्दन भेजा जाना मामलेको केवल अन्तिम रूप देनेके लिए ही आवश्यक होगा। . . .

महामहिमने दो तर्कोंका जिक्र किया — एक, जो पण्डित मदनमोहन मालवीयने दिया था और एक, जो श्री गांधीने। जहाँतक मालवीयजी द्वारा दिए गये तर्कका सवाल है, उन्होंने कहा कि भारतीयोंके एकमत होकर अपनी इच्छा प्रकट करने तथा उसे महामहिमकी सरकारके सामने पेश करनेके लिए एक ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डलका भारत आना आवश्यक नहीं है और ऐसा कोई विचार ब्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधियोंके बीच चर्चा द्वारा किसी निर्णयपर पहुँचनेके विपरीत है। पण्डित मदनमोहन मालवीयने बताया कि उनके कथनका यह मन्तव्य नहीं था। जहाँतक श्री गांधीके इस विचारका प्रश्न है कि जबतक कांग्रेसके विचारोंको पूरी तरह नहीं सुन लिया जाता, कोई अगला

कदम नहीं उठाया जा सकता, महामहिमने पूछा कि क्या यह बात गोलमेज-परिषद द्वारा सुझाई गई उन विशेष और विशेषज्ञोंकी जाँचोंके सम्बन्धमें कही गयी है, जिनके सम्बन्धमें महामहिमने पहले ही विस्तारसे कह दिया है। श्री गांधीने कहा कि तत्काल अलग-अलग जाँच करनेके सम्बन्धमें मुझे कोई शिकायत नहीं है; मेरी शिकायत तो अबतक की सामान्य सिफारिशोंकी कांग्रेस द्वारा जाँच होने और उनके सम्बन्धमें कांग्रेसका मत सुननेसे पहले संघीय संरचनासमितिकी बैठक होने और उसका कार्यक्रम चालू रहनेसे है।

महामहिमने उपस्थित सज्जनोंको परिषदमें आने और अपने विचार प्रकट करनेके लिए धन्यवाद दिया। महामहिमकी सरकारकी ओरसे भारतमन्त्री द्वारा हाल ही में दिए गये वक्तव्यको देखते हुए, उस समय उन्होंने स्वयं ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डलके इंग्लैंडसे भारत आने अथवा न आनेपर क्या स्थिति पैदा हो सकती है, इस सम्बन्धमें कोई विचार व्यक्त नहीं किये। ऐसा करनेपर हो सकता है बाद तबमें दुस्तर कठिनाइयाँ खड़ी हो जायें। पर महामहिमने कहा कि यदि कोई सर्वोत्तम निष्कर्ष प्राप्त न हो सके तो भी हरेक व्यक्ति यह महसूस करेगा कि यदि हम वास्तवमें एक समझौतेकी खोजमें हैं, तो जो अच्छेसे-अच्छा दूसरा तरीका सिद्ध हो, उसीपर सन्तोष कर लें।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३४७) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

३८६. मेरी टिप्पणियाँ

दारुण दुर्घटना

भाई छगनलाल जोशी लिखते हैं[1]:

ऐसी दुर्घटनाओंसे हम क्षण-भरके लिए जागृत होते हैं, और फिर नींद लेने लगते हैं। यह दुर्घटना कुदरतकी ही भेजी हुई है, इसलिए हमें किसीको दोष देकर सन्तोष पानेका अवसर भी नहीं है।

ऐसी दुर्घटनाओंके लिए दुःख भी किसके पास जाकर प्रकट करें? यह दुःख किसी एकाध कुटम्बका नहीं, सारी जनताका है।

ऐसी दुर्घटनाएँ तो होती ही रहेंगी। हमारे महान युद्धमें ये समुद्रमें बूंदके समान हैं। लगता है कि इस घटनाका पड़ोसके गाँवों और बेघरबार हुए लोगोंने ठीक-ठीक उपयोग किया है। पड़ोसियोंने पूरी-पूरी मदद की तथा बेघरबार हो चुके लोगोंने तनिक भी निराशा प्रकट नहीं की। इस प्रकार उन्होंने मृत्युको शुद्धिका साधन बनाया

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें चुनाव क्षेत्रके इसणार गाँवमें आगसे होनेवाली हानिका विवरण था; और बताया गया था कि गाँवके किसानोंने किसी प्रकार भी दान लेनेसे इनकार करते हुए बड़े साहससे काम लिया था।

है और हमें यह पदार्थपाठ सिखाया है कि मौतसे डरने या उसका शोक मनानेका कोई कारण नहीं।

उक्त गाँव और उनके पड़ोसियोंको सरदारके तथा मेरे अभिनन्दन स्वीकार हों।

"जे गमे जगतगुरु देव जगदीशने,
ते तणो खरखरो फोक करवो;[1]"

हमें तो आँख मीच कर अपने ध्येयकी ओर बढते जाना है।

उपनगरोंमें अस्पृश्यता

विलेपार्लेकी सभामें[2] स्वामी आनन्दने अपने विवरणमें एक वाक्य खास तौरपर ध्यान आकर्षित करनेके लिए रखा था। वहाँकी तथाकथित राष्ट्रीय शालाओंमें अभी 'अस्पृश्यों' को स्थान नहीं है। बारह महीनेके संघर्षके बाद भी यह दोष अभी बना हुआ है, यह कितने दुःख, कितने शर्मकी बात है। उपनगरोंके ऊँचे वर्गके लोगोंने अनेक काम करके अपने कलंकको धो डाला है, ऐसा कहा जा सकता है। वे संघर्षमें धनकी मदद देते हैं, जेलमें जाते हैं और दूसरे जोखिम भी उठाते हैं, पर यह सब करनेपर भी यदि अस्पृश्यता रुपी मैलको वे नहीं धो डालते तो उनके सारे किये करायेपर पानी पड़ जानेकी सम्भावना है। स्वराज्यमें सार्वजनिक मन्दिरों, सार्वजनिक शालाओं, सार्वजनिक कुओंका उपयोग ब्राह्मण और भंगी एक-सा करेंगे। यदि ऐसा न हो तो वह स्वराज्य नहीं माना जायेगा। नाममात्रका स्वराज्य मिलनेके बजाय जबतक अस्पृश्यता वर्तमान है तबतक तो यही अच्छा कि स्वराज्य न मिले। सत्याग्रहके द्वारा संघर्ष करनेवालेकी जीत लड़नेमें ही निहित है। इसलिए उसे चाहिए कि वह स्वराज्य रूपी फल देखनेकी अधीरतामें 'अस्पृश्यों' के अधिकारोंको कभी न छोड़े।

कराची-कांग्रेसके लिए प्रस्थान करते हुए महात्मासे

यत्र योगेश्वरो गांधी वल्लभश्च धुरंधरः।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम॥[3]

सरदारके और मेरे लिए यह श्लोक स्तुति नहीं, किन्तु आशीर्वाद है। दोनों ही एक कठिन अवसरपर वहाँ जा रहे हैं। उसमें यह आशीर्वाद फल दे। आशीर्वाद वयोवृद्ध नरसिंहराव भाईका है। विलेपार्लेके कार्यक्रमका श्रीगणेश इस गुप्त आशीर्वादसे हुआ था। मैंने नरसिंहराव भाईसे कहा कि इसमें विनोद भी है। उससे इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह श्लोक उनके हृदयसे उद्भूत उद्‌गार है। उसमें विनोदको अवकाश नहीं है। हम क्या हैं, यह तो ईश्वर जानता है। किन्तु इस देशमें हम मंगल, विजय और समृद्धिकी कामना जरूर करते हैं, हम भले ही साधनहीन क्यों न हों।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २२-३-१९३१

१. जगतके गुरु और स्वामी ईश्वरको जो मंजूर है, उसपर दुःख करना व्यर्थ है।
२. देखिए "भाषण: विलेपार्ले, बम्बईमें" १८-३-१९३१।
३. भगवद्‌गीता, १८/७८; श्लोकमें 'कृष्ण' की जगह 'गांधी' और 'पार्थ' की जगह 'वल्लभ' शब्द रख दिये गये थे।

३८७. राजा और रंककी बात

विलेपार्लेके कार्यकर्त्ताओंकी सभामें नीचे लिखा प्रश्न पूछा गया था :

> **आप कहा करते हैं कि आपकी कल्पनाका स्वराज्य राजा और रंक दोनोंके साथ न्याय करेगा, दोनोंकी रक्षा करेगा, दोनोंके हक सुरक्षित रखेगा। इसमें विरोध पैदा नहीं होता? देखिए, मजदूर और मालिक, धनवान और उसका ड्यौढ़ीवान, ब्राह्मण और भंगी, अमीर और गरीब, जिस ओर नजर डालिए, द्वन्द्व युद्ध ही दिखाई पड़ता है। 'है' और 'नहीं' का झगड़ा अनादि प्रतीत होता है। ऐसा मालूम होता है मानो दूसरेको दुखी किये बिना मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता। यह स्थिति प्रकृतिकी ही बनाई हुई मालूम होती है। जान पड़ता है, आप प्रकृतिके विरुद्ध खड़े होना चाहते हैं। क्या यह हवाको आलिंगन करने जैसी बात नहीं?**

इस संक्षिप्त सवालको मैंने जरा विस्तारसे लिखा है। भाव नहीं बदला। प्रश्न अच्छा है और बहुतोंके मनमें उठता होगा। अब इसपर विचार करें।

यदि इस जगतमें रामराज्य जैसी कोई चीज किसी समय थी, तो वह पुनः स्थापित होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि रामराज्य था। राम अर्थात् पंच; पंच अर्थात् परमेश्वर; पंच अर्थात् लोकमत। जब लोकमत बनावटी नही होता, तब वह शुद्ध होता है। जो राज्य लोकमतपर निर्भर है वह उस जगहका रामराज्य हुआ। ऐसा तन्त्र कही-कही आज भी हम देख पाते हैं। कुछ जमीदार आज अपनी रियायाके साथ सादगीमें होड़ कर रहे हैं, और उनमें घुल-मिल जानेकी कोशिश कर रहे हैं। सभी राजा लुटेरे ही हों सो बात नहीं है। अपनी यात्राओंमें मैंने भले, बुरे सभी तरहके शासक देखे हैं। सभी मालिक हृदयहीन नही होते। यह सच है कि गरीबोंके रक्षक या मित्र बनकर रहनेवाले धनिकोंके पर्याप्त उदाहरण मैंने नहीं देखे और जो देखें हैं, उनमें भी मैंने सुधार की गुंजाइश तो पाई ही है। ये अनुभव उस तन्त्रमें मिले हैं जिसे मै राक्षसी मानता हूँ। पर लंकामें भी विभीषण अपवाद रूप हो तो आश्चर्य ही क्या? जहाँ एक है, वहाँ अनेककी आशा अवश्य की जा सकती है। अपवादका गुणाकार करनेसे अपवाद साधारण स्थितिका रूप धारण कर लेता है। यह तो जो सम्भव है, मैंने उसकी बात की है। पर इतनेसे ही प्रश्नकर्त्ताओंको सन्तोष नही होगा।

शक्यको अस्तित्वमें लानेका प्रयत्न सत्याग्रह है। सत्य अर्थात् न्याय। न्यायतन्त्र अर्थात् सत्ययुग, अथवा स्वराज्य, धर्मराज्य, रामराज्य, या लोकराज्य। ऐसे तन्त्रमें राजा प्रजाका रक्षक होता है, मित्र होता है। उसके और जनताके गरीबसे-गरीब अंगके जीवनमें आज-जैसा जमीन-आसमानका अन्तर नही होता। राजाके महल और प्रजाके झोंपड़ेमें उचित साम्य होता है। दोनोंकी आवश्यकताओंमें कुछ भेद हो भी तो वह मामूली ही होता है। राजा और प्रजा दोनोंके लिए सुन्दर जलवायु हो। प्रजाको

अपनी आवश्यकताके अनुसार खानेको मिले। राजा अपने भोजनमें छप्पन भोग न रखकर छ: भोगसे सन्तोष माने। गरीब लकड़ी या मिट्टीके बरतनसे काम चलाये, और राजा चाहे तो पीतल आदि धातुके बरतनोंका इस्तेमाल कर ले। सोने-चाँदीके बरतनोंका लोभ करनेवाला राजा तो प्रजाको लूटनेवाला ही होगा। गरीबको उसकी आवश्यकताके कपड़े मिलने चाहिए। राजाके पास कुछ अधिक कपड़े हो सकते हैं, पर उसके और गरीबके कपड़ोंमें द्वेष उपजानेवाला अन्तर नहीं होना चाहिए। राजा और रंक दोनोंके बालक एक ही प्राथमिक शालामें पढते हों। राजा प्रजाका बड़ा बनकर न रहे। प्रजाका कुछ हित करे, तो मनमें यह खयाल न लाये कि मैंने उपकार किया है। धर्ममें उपकारको स्थान नहीं है। प्रजाकी सेवा करना राजाका धर्म है। जो बात राजाके लिए कही है, वह सब धनवानोंपर लागू होती है। जिस प्रकार राजाका धर्म प्रजाका रक्षक और मित्र बन कर रहनेका है, उसी प्रकार गरीबका भी यही धर्म है कि वह राजासे द्वेष न करे। उसे इस बातका ध्यान होना चाहिए कि उसकी गरीबीका बहुत-कुछ कारण उसके अपने दोष और कमजोरियाँ हैं। रंक अपनी स्थितिको सुधारनेका प्रयत्न करते हुए भी राजासे द्वेष न करे, उसका नाश न चाहे, उसके सुधारकी ही इच्छा करे। रंक राजा बननेकी आकांक्षा न करे, बल्कि अपनी आवश्यकताएँ पूरी करके सन्तुष्ट रहे। इस प्रकार दोनों एक दूसरेकी मदद करते रहें; यही मेरी कल्पनाका स्वराज्य है।

मेरी दृष्टिमें इस स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए राजा और प्रजा दोनोंकी शिक्षा-दीक्षामें महत्त्वपूर्ण फेरफार आवश्यक है। लुटेरे और लुटनेवाले दोनों अन्धेरेमें भटक रहे हैं। वे रास्ता भूले हैं। दोमें से एककी भी स्थिति सहन करने योग्य नहीं है। पर राजवर्ग और धनिकवर्गके गले यह बात जल्दी नहीं उतरेगी। एकके गले उतरी तो दूसरेके अपने-आप उतर सकेगी, यह सोचकर मैंने रंक या गरीबकी सेवा पसन्द की है। सब राजा नहीं हो सकते, पर 'सब' में तो सभीके समा सकनेकी गुंजाइश है। इसलिए यदि गरीबको अपने हकका और साथ ही अपने कर्त्तव्यका भान हो जाये, तो आज ही स्वराज्य है। यह खयाल सत्याग्रह द्वारा जितनी तेजीसे व्याप्त होता है, उतनी तेजीसे और किसी मार्गसे कभी नहीं हो सकता। पिछले बारह महीनोंमें हमने प्रत्यक्ष इसका अनुभव किया है। इस सत्याग्रहमें जिस हदतक दोष आ गया था, उस हदतक हमारे स्वराज्य-प्राप्तिके मार्गमें बाधा पडी है।

सत्याग्रह लोक-शिक्षा और लोक-जागृतिका बड़ेसे-बड़ा साधन है। सत्याग्रहका दूसरा अर्थ है आत्मशुद्धि। राजवर्गसे आत्मशुद्धिकी बात ही की जा सकती है; उसपर असर होनेमें समयकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गरीब तो सहारेकी तलाश ही में रहते हैं; उन्हें अपने दर्दका अहसास तो है ही, उपाय वे नहीं जानते। इस कारण जो उपाय बतानेवाले मिल जाते हैं, उन्हींके उपाय वे आजमाते हैं। ऐसी दशामें कोई सच्चा सेवक मिल जाता है, तो वे दृढ़तासे उसके साथ हो जाते हैं और यथाशक्ति उसके उपायोंके अनुसार चलते हैं। अतः एक दृष्टिसे रंकको हम जिज्ञासु कह सकते हैं। स्वराज्य भी उसीकी मारफत मिलेगा। वह अपनी शक्तिको पहचाने और

पहचानकर भी उसका मर्यादित उपयोग ही करे। इतना हो, तो मेरी कल्पनाका स्वराज्य आया ही समझना चाहिए। प्रजा इतनी शक्ति प्राप्त कर लेनेके बाद उसे रोकनेवाले परराज्य और स्वराज्य, दोनोंका सफल मुकाबला कर सकती है।

इसलिए कार्यकर्त्ताओंका धर्म केवल लोक-सेवा है। लोक-सेवा सत्य और अहिंसाके ही मार्गसे हो। सेवामें इनका जितना मेल होगा, उतनी लोक-प्रगति अधिक होगी।

इस बीच यदि राजवर्ग और धनिकवर्ग समयको पहचानें तो वे अपने द्रव्य और द्रव्योपार्जनकी अपनी शक्तिके मालिक न रहकर उसके न्यासी बन जायें और न्यासी रहकर ही अपनी आजीविका पानेका हक प्राप्त करें। यदि ऐसा न हुआ तो राजा और रंक, अमीर और गरीबके बीचका विषमय द्वन्द्व बना ही रहेगा। सत्याग्रहका वेग इस विषको निःशेष करेगा, इस आशासे मेरे-जैसे लोगोंने इस अस्त्रको सर्वार्पण किया है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २२-३-१९३१

३८८. 'जोडणीकोश'

विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित 'जोडणीकोश' की दूसरी आवृत्ति छप गई है, यह तो पाठक जानते ही होंगे। इस नई आवृत्तिकी नवीनता यह है कि इसमें संक्षेपमें प्रचलित अर्थ भी देनेका प्रयत्न किया गया है। शास्त्रीय और सम्पूर्ण कोष बनानेके लिए भगीरथ प्रयत्न और बहुत-से भाषा-प्रेमियोंका होना जरूरी है। विद्यापीठका यह प्रयास ऐसे परिपूर्ण कोशको दृष्टिमें रखते हुए किया गया है। इसकी कीमत चार रुपये है। दाम कमसे-कम रखा गया है। गुजरात विद्यापीठके महामात्रको लिखकर और मनीआर्डर भेज कर कोश मँगाया जा सकता है।

कोशमें शुद्धिपत्र है, यह उसकी कमी है। किन्तु ऐसी कमी हमारे यहाँ अभी अनिवार्य ही है। हमारी प्रजाकी गरीबी, भाषा-प्रेमकी कमी, अर्धशिक्षित कम्पोजिटर आदि ऐसे अनेक कारणोंसे दोष रह जाते हैं। कोशका उपयोग करनेवालोंको मेरी सलाह है कि वे पहले कोशमें सुधार कर लें और बादमें उसका उपयोग करें।

इन दोषोंके बावजूद मैं कोशको बहुत उपयोगी मानता हूँ। भाषा-प्रेमीको शब्दोंके शुद्ध हिज्जे लिखने चाहिए। ऐसा न करना भाषाका अनादर है और आलस्यकी निशानी है। जहाँ प्रेम हो वहाँ आलस्य को अवकाश नहीं है। किन्तु इतना होने पर भी जहाँ साधन न हों तो उत्साही भी शुद्ध हिज्जे कहाँसे जानें? फिर हिज्जोंके बारेमें गुजरातमें अराजकता चलती आई है। ऐसी अव्यवस्थाको दूर करके जितने विद्वानोंकी सम्मति मिल सकी, उसे प्राप्त करके विद्यापीठने हिज्जोंमें एकरूपता स्थापित की है। इस वर्तनीको दिन-प्रतिदिन मान्यता प्राप्त होती जा रही है। मुझे आशा

है कि जिन राज्यों, वाचनालयो और संस्थाओंको ये हिज्जे पसन्द आये है वे इस कोशका प्रचार करेंगे। हरएक कर्मचारीके पास कार्यालयोमें और अदालतोमें भी इस कोश की प्रति होनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २२-३-१९३१

३८९. भेंट : 'शिकागो ट्रिब्यून' के प्रतिनिधिसे

दिल्ली

[२३ मार्च, १९३१से पूर्व][1]

महात्माजी कोई भी ऐसी बात सार्वजनिक रूपसे न कहनेके लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे जिसका हालमें चल रही बातचीतपर कोई बुरा असर पड़ सके; पर वे सामान्य प्रश्नोंपर चर्चा करनेको राजी हो गये।

मेरा तरीका प्रेम और सत्यका है, इनके विरुद्ध कोई भी शक्ति सफल नही हो सकती। आप जो प्रश्न चाहें, पूछें। मुझसे बना तो मैं उत्तर दूंगा।

प्रश्न : क्या आपको अब भी अंग्रेजों और उनके वायदोंपर विश्वास है?

उत्तर : १९१९ तक मुझे उनपर विश्वास था; परन्तु अमृतसरके कत्लेआम तथा पंजाबमें हुए अन्य अत्याचारोंके बाद मेरा मन बदल गया और तबसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे मेरा विश्वास पुनः लौट आये, कमसे-कम पिछले १० महीनोंमें तो ऐसा कुछ हुआ ही नही। परन्तु मेरे अपने देशवासियोमें मेरा विश्वास बढ़ा है, विशेष रूपसे पिछले दस महीनोंमें। वर्तमान आन्दोलनमें औरतों और बच्चोंके योगदानपर विचार करें। संसारने ऐसा दृश्य विशेष रूपसे बच्चोमें आई जागृति इससे पहले कभी नही देखी।

बच्चोंके योगदानके बारेमें आप क्या कहेंगे?

यह केवल ईश्वरका ही कार्य हो सकता है। निःसन्देह हमारे इस संघर्षमें भगवान हमारे साथ है।

वे कातते रहे और बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि वे अब भी उन ग्यारह मुद्दोंपर दृढ़ हैं जो पिछले वर्ष राष्ट्रीय माँगके रूपमें पेश किये गये थे और जिनके वाइसराय द्वारा मान लिये जानेपर उन्होंने सविनय अवज्ञा शुरू न करनेकी बात कही है। उन मुद्दोंमें पूर्ण मद्यनिषेध, नमक-करका रद्द किया जाना, लगान और सेनाका खर्च ५०

1. यह भेंट गांधीजीके २३ मार्च, १९३१ को कराचीके लिए रवाना होनेसे पहले डा० अन्सारीके घरपर हुई थी।

प्रतिशत तक कम करना, राजनीतिक कैदियोंकी रिहाई तथा विदेशी कपड़ेपर प्रतिषेधात्मक कर लगाना, आदि बातें शामिल हैं।

मैं अभी भी उन्हें भारतके लिए अत्यावश्यक मानता हूँ और किसी भी संविधानकी कसौटी इन माँगोंकी पूर्ति करनेकी उसकी सामर्थ्य होगी। तथापि अब स्थिति बदल गई है और, मैं समझता हूँ, उसके साथ उनको प्राप्त करनेका तरीका भी बदलना चाहिए।

यदि स्वराज्य मिल जाता है तो क्या आप अपने कार्यकी समाप्ति समझेंगे और कार्य-निवृत्त हो जायेंगे या भारतीयों द्वारा भारतके पुनर्निर्माणमें सक्रिय भाग लेंगे?

यदि मेरा स्वास्थ्य और शक्ति बनी रही और मेरे देशवासियोंका मेरे तरीकोंमे और मुझमे विश्वास बना रहा तो मैं अपने देशके पुनर्निर्माणमें सक्रिय योगदान देते रहना चाहूँगा।

क्या आप यह सोचते हैं कि स्वराज्य मिलनेपर भारतकी बहुत-सी बुराइयाँ समाप्त हो जायेंगी?

हाँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, पर यह सब कष्ट या कठिनाई झेले बगैर नही होगा। मैं सदैव आशावान रहा हूँ।

पर क्या आप समझते हैं कि मात्र स्वराज्य मिल जानेसे बड़े-बड़े सामाजिक व आर्थिक प्रश्न, जैसे कि पूंजीपतियों और मजदूरोंका सम्बन्ध, जमींदार और काश्तकारों-का सम्बन्ध, आपकी अपनी विशेष साम्प्रदायिक तथा दलित वर्गोंकी समस्याएँ इतनी आसानीसे हल हो जायेंगी?

जी हाँ, जब हम खुदमुख्तयार हो जायेंगे, तब इन सब समस्याओंको हल करना काफी आसान हो जायेगा। मैं जानता हूँ कि कठिनाइयाँ हैं, पर मुझे अन्तमें इन्हें हल करनेकी अपनी शक्तिमें विश्वास है। इन्हें हम आपके पश्चिमी तरीकेसे हल न करके उस अहिंसा और सत्यपर आधारित ढंगसे करेंगे जिसपर हमारा यह आन्दोलन आधारित है और जो हमारे भविष्यके संविधानकी आधारशिला होनी चाहिए।

वैसी स्थितिमें कोई पूंजीपति असमानताओं और अन्यायोंके पक्षमें कैसे बोल सकेगा?

वह उनका समर्थन नहीं कर सकेगा। मैं सोचता हूँ कि ये समस्याएँ शीघ्र और सफलतापूर्वक हल कर ली जायेंगी।

और आपकी भाषा? राष्ट्रीय सरकारके अन्तर्गत अंग्रेजीकी क्या स्थिति होगी?

अंग्रेजी तब भी एक सांस्कृतिक भाषाके रूपमें रखी जायेगी। यह हमारे लिए उतनी ही लाभप्रद होगी जैसी कि यूरोपके लिए फ्रेंच भाषा है। हिन्दुस्तानी अदालतो और विश्वविद्यालयोंमें प्रयुक्त की जानेवाली राष्ट्रभाषा हो जायेगी। देशी भाषाओंको, जिनमें से कईमें बढ़िया साहित्य है और जिन्हें २० लाखसे ४० लाख तक लोग बोलते हैं, प्रोत्साहन दिया जायेगा।

यह सही नहीं है कि मैं स्कूलोंको समाप्त कर दूँगा। मैं, किसी भी अन्य व्यक्तिकी तरह शिक्षा द्वारा अपनी संस्कृतिको बनाए रखनेको उत्सुक हूँ। परन्तु आजकल हम अपने स्कूलोंमें केवल वही सब सीखते हैं जो हमारे विदेशी मालिक हमें सिखाना चाहते हैं। हमें वह प्रशिक्षण नहीं मिलता जिसकी हमें अधिकसे-अधिक आवश्यकता है।

२३ साल पहले गांधीजीने 'हिन्द स्वराज्य'[1] नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसने पश्चिमी सभ्यतापर अपने भीषण प्रहारोंसे भारत और शेष संसारको स्तम्भित कर दिया था। अपनी उस पुस्तकमें उन्होंने लिखा था, "यह आसुरी राज्य है तथा हिन्दू इसे कलियुग कहते हैं"। उसमें उन्होंने बिना मिलों, रेलों, सेनाओं या जल-सेनाओंके और थोड़े-से अस्पतालों, डाक्टरों और वकीलोंवाले आदर्श राज्यकी कल्पना की थी।

क्या आपने इनके सम्बन्धमें अपने विचार बदल दिये हैं?

लेशमात्र भी नहीं। पश्चिमी सभ्यताकी बुराईयोंपर मेरे वे विचार अब भी ज्योंके-त्यों हैं। यदि मैं पुस्तकको पुनः प्रकाशित करूँ, तो मैं शायद अनुच्छेदोंको थोड़ा ऊपर नीचे करनेके सिवा एकाध शब्द भी मुश्किलसे ही बदलूँगा।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-३-१९३१

३९०. पत्र : वाइसरायको

१ दरियागंज, दिल्ली
२३ मार्च, १९३१

प्रिय मित्र,

आपको यह पत्र लिखना आपके प्रति क्रूरता करने-जैसा लगता है; पर शान्तिके हितमें अन्तिम अपील करना आवश्यक है। यद्यपि आपने मुझे साफ-साफ बता दिया था कि भगतसिंह और अन्य दो लोगोंकी मौतकी सजामें कोई रियायत किये जानेकी आशा नहीं है, फिर भी आपने मेरे शनिवारके निवेदनपर विचार करनेको कहा था। डा० सप्रू मुझसे कल मिले और उन्होंने मुझे बताया कि आप इस मामलेसे चिन्तित हैं और आप कोई रास्ता निकालनेका विचार कर रहे हैं। यदि इसपर पुनः विचार करनेकी कुछ गुंजाइश हो, तो मैं आपका ध्यान निम्न बातोंकी ओर दिलाना चाहता हूँ।

जनमत, वह सही हो या गलत, सजामें रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धान्त दाँवपर न हो तो लोकमतका मान करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है।

१. देखिए खण्ड १०।

प्रस्तुत मामलेमें स्थिति ऐसी है कि यदि सजा हल्की की जाती है तो बहुत सम्भव है कि आन्तरिक शान्तिकी स्थापनामें सहायता मिले। यदि मौतकी सजा दी गई तो निस्सन्देह शान्ति खतरेमें पड़ जायेगी।

मैं आपको यह सूचित कर सकता हूँ कि क्रान्तिकारी दलने मुझे यह आश्वासन दिया है कि यदि इन लोगोंकी जान बख्श दी जाये तो यह दल अपनी कार्यवाहियाँ बन्द कर देगा। यह देखते हुए मेरी रायमें मौतकी सजाको, क्रान्तिकारियों द्वारा होनेवाली हत्याएँ जबतक बन्द रहती हैं, तबतक तो मुल्तवी कर देना एक लाजमी फर्ज बन जाता है।

राजनीतिक हत्याओंके मामलोंमें इससे पहले भी तरह दी जा चुकी है। यदि ऐसा करनेसे बहुत-सी अन्य निर्दोष जानें बचाई जा सकती हों तो उनका बचाना लाभदायक होगा। हो सकता है कि इससे क्रान्तिकारियोंकी आतंकपूर्ण कार्यवाहियाँ लगभग समाप्त हो जायें।

चूँकि आप शान्ति-स्थापनाके लिए मेरे प्रभावको, जैसा भी वह है, उपयोगी समझते प्रतीत होते हैं, इसलिए अकारण ही मेरी स्थितिको भविष्यके लिए और ज्यादा कठिन न बनाइए; यों ही वह कुछ सरल नही है।

मौतकी सजापर अमल हो जानेके बाद तो वह कदम वापस नही लिया जा सकता। यदि आप यह सोचते है कि फैसलेमें थोड़ी भी गुंजाइश है, तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूँगा कि इस सजाको, जिसे फिर वापस नही लिया जा सकता, आगे और विचार करनेके लिए स्थगित कर दें।

यदि मेरी उपस्थिति आवश्यक हो तो मैं आ सकता हूँ। यद्यपि मैं बोल नही सकूँगा,[1] पर मैं सुन सकता हूँ और जो-कुछ कहना चाहता हूँ, वह लिखकर बता सकूँगा।

दया कभी निष्फल नहीं जाती।

मै हूँ,
आपका विश्वस्त मित्र

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३४३)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

१. मौनवार होनेके कारण। उसी दिन अपने पत्र (सी० डब्ल्यू० ९३४४) में, जिसपर 'गोपनीय' लिखा था, वाइसरायने यह उत्तर दिया, "मैंने आपकी हर बातपर दुबारा बड़े गौरसे विचार किया है और मैं आपका काम कदापि और कठिन नहीं बनाना चाहूँगा, खासकर वर्तमान हालातमें। लेकिन मुझे लगता है कि उन कारणोंसे, जिन्हें बातचीतके दौरान मैंने आपको पूरी तरह समझानेकी कोशिश की थी, मुझे किसी तरह ऐसा नहीं लगता कि आप जो-कुछ करनेका अनुरोध कर रहे हैं, उसे करना ठीक होगा।"

३९१. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

दिल्ली

२३ मार्च, १९३१

संयुक्त प्रान्तमें लगान न देनेके सम्बन्धमें लिखे आपके २१ तारीखके पत्रके[1] लिए मुझे आपको धन्यवाद देना है। मेरे अनुरोधपर पंडित जवाहरलाल नेहरूने इस प्रश्नपर एक टिप्पणी[2] तैयार की है, जिसे मैं आपकी सूचनाके लिए भेज रहा हूँ। जैसा कि टिप्पणीसे लक्षित होता है, मुझे स्थानीय कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई कार्रवाई, टिप्पणीके दिये गये वर्णनके अनुसार, निर्दोष लगी है। नि:सन्देह कार्रवाईका औचित्य अथवा अनौचित्य तो सारी बात किस प्रकार हुई, इसपर निर्भर करता है। मेरे विचारसे यदि स्थानीय अधिकारी कांग्रेस कमेटियों द्वारा उठाए गए कदमोंका प्रतिरोध न करें और उनके कार्योंको सन्देहास्पद दृष्टिसे न देखें तो सब-कुछ ठीक हो जायेगा। जैसा कि आप टिप्पणीमें देखेंगे, आन्दोलनका उद्देश्य ही पूरी तरह बदल गया है। यह आन्दोलन अब लगान अदा न करनेके लिए नहीं है। यह अब सिर्फ आर्थिक राहत पानेका आन्दोलन है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

१. इस पत्रमें एच० डब्ल्यू० एमर्सनने १९ मार्चको गांधीजीके साथ हुई बातचीत (देखिए परिशिष्ट ९) की ओर संकेत करते हुए संयुक्त प्रान्तसे प्राप्त हुए एक तारको उद्धृत किया था और लिखा था : "यदि बयान किये गये तथ्य सही हों तो मेरा विश्वास है कि आप इस बातसे सहमत होंगे कि इस सम्बन्धमें समझौतेकी भावनाका पालन नहीं किया जा रहा है और मुझे पूरा निश्चय है कि किसी भी तरहकी गलतफहमीको दूर करनेके लिए आप समुचित कदम उठायेंगे।"

२. यहाँ नहीं दी जा रही है, तथापि ३१ मार्चके अपने पत्रमें इसका जिक्र करते हुए एमर्सनने लिखा था : "इस टिप्पणीके प्रथम अनुच्छेदसे लगता है कि जवाहरलाल नेहरूकी यह धारणा है कि जब कांग्रेस संयुक्त प्रान्तमें सविनय अवज्ञा आन्दोलनके ही एक हिस्सेके रूपमें चलनेवाला अपना मालगुजारी व लगान विरोधी आन्दोलन बन्द कर देगी, तब वह मालगुजारी व लगान अदा किए जानेके मामलोंमें व्यवस्थित रूपसे सक्रिय भाग लेगी। इस सम्बन्धमें मेरा कहना है कि बातचीतके सम्बन्धमें महामहिमको यह स्मरण है कि आपने यह तो कहा था कि मालगुजारी व लगान विरोधी आन्दोलनके बन्द किये जानेसे जमींदारों और काश्तकारों द्वारा क्रमशः मालगुजारी व लगानके भुगतानमें आर्थिक संकटके कारण उठनेवाली दिक्कतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु पण्डितजीकी टिप्पणीके पहले अनुच्छेदमें बताए गए प्रयोजनके लिए कांग्रेसके कोई कदम उठानेकी बात नहीं हुई थी।

"आपके और मेरे बीच इस सम्बन्धमें जो बातचीत हुई थी उससे भी मुझे ऐसा आभास नहीं हुआ था। मुझे याद पड़ता है कि मैंने कहा था कि आर्थिक संकटका प्रश्न राजस्व-प्रशासनका प्रश्न है, जिसे भारत सरकार और स्थानीय सरकार सर्वाधिक महत्त्व देती हैं और स्थानीय सरकारें इस प्रकारकी राहत देनेकी आवश्यकताके सम्बन्धमें सजग हैं।"

३९२. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

दिल्ली
२३ मार्च, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

विदेशी वस्त्रके बारेमें कांग्रेसकी कार्यवाहीके सम्बन्धमें आपने इसी महीनेकी २२ तारीखको जो पत्र लिखा[1] है उसके लिए धन्यवाद। प्रश्नों और उत्तरोंका जो मसौदा आपने सुझाया है, वह मुझे सही लगता है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

गृह विभाग, राजनैतिक, फाइल सं० ३३/६, १९३१
सौजन्य : नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया

३९३. वक्तव्य : भगतसिंह और उनके साथियोंको फाँसी दिये जानेपर

नई दिल्ली
२३ मार्च, १९३१

भगतसिंह और उनके साथी फाँसी पाकर शहीद बन गये हैं। ऐसा लगता है मानो उनकी मृत्युसे हजारों लोगोंकी निजी हानि हुई है। इन नवयुवक देशभक्तोंकी यादमें प्रशंसाके जो शब्द कहे जा सकते हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो भी देशके युवकोंको उनके उदाहरणकी नकल करनेके विरुद्ध चेतावनी देता हूँ। बलिदान करनेकी अपनी शक्ति, अपने परिश्रम और त्याग करनेके अपने उत्साहका उपयोग हम उनकी तरह न करें। इस देशकी मुक्ति खून करके प्राप्त नहीं की जानी चाहिए।

सरकारके बारेमें मुझे ऐसा लगे बिना नहीं रहता कि उसने क्रान्तिकारी पक्षको अपने पक्षमें करनेका सुनहरा अवसर गँवा दिया है। समझौतेको दृष्टिमें रखकर और कुछ नहीं तो फाँसीकी सजाको अनिश्चित कालतक अमलमें न लाना उसका फर्ज था। सरकारने अपने कामसे समझौतेको बड़ा धक्का पहुँचाया है और एक बार फिर लोकमतको ठुकराने और अपने अपरिमित पशुबलका प्रदर्शन करनेकी शक्तिको साबित किया है।

1. देखिए परिशिष्ट १३।

पशुबलसे काम लेनेका यह आग्रह कदाचित् अशुभका सूचक है और यह बताता है कि वह मुँहसे तो शानदार और नेक इरादे जाहिर करती है, पर सत्ता नहीं छोडना चाहती। फिर भी प्रजाका कर्त्तव्य तो स्पष्ट है।

कांग्रेसको अपने निश्चित मार्गसे नही हटना चाहिए। मेरा मत तो यह है कि ज्यादासे-ज्यादा उत्तेजनाका कारण होनेपर भी कांग्रेस समझौतेको मान्य रखे और आशानुकूल परिणाम प्राप्त करनेकी शक्तिकी परीक्षा होने दे।

गुस्सेमें आकर हमें गलत मार्गपर नही जाना चाहिए। सजामें कमी करना समझौतेका भाग नही था, यह हमें समझ लेना चाहिए। हम सरकारपर गुण्डाशाही-का आरोप तो लगा सकते है, किन्तु हम उसपर समझौतेकी शर्तोको भंग करनेका आरोप नही लगा सकते। मेरा निश्चित मत है कि सरकार द्वारा की गई इस गम्भीर भूलके परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी हमारी शक्तिमें वृद्धि हुई है और उसके लिए भगतसिंह और साथियोने मृत्युको भेंटा है।

थोडा भी क्रोधपूर्ण काम करके हम मौकेको हाथसे न गँवा दें। सार्वजनिक हड़ताल होगी, यह तो निर्विवाद ही है। बिल्कुल शान्त और गम्भीरताके साथ जुलूस निकालनेसे बढकर और किसी दूसरे तरीकेसे हम मौतके मुँहमें जानेवाले इन देशभक्तोका सम्मान कर भी नही सकते।

[गुजरातीसे]
गुजराती, २९-३-१९३१

३९४. भेंट : 'मैंचेस्टर गार्जियन' के प्रतिनिधिसे

[२४ मार्च, १९३१ से पूर्व][1]

महात्मा गांधीने 'मैंचेस्टर गार्जियन' के भारत-स्थित विशेष संवाददाताको एक महत्त्वपूर्ण भेंट दी। उक्त संवाददाताके बयानके अनुसार महात्माजीने यह कहा है कि मुझे इस बातका निश्चय है कि अगर संरक्षणोंके प्रश्नपर, भारतमें योग्य तथा दृढ़ स्वायत्त शासन स्थापित करनेकी दृष्टिसे पुनर्विचार न होगा, तो गोलमेज-परिषदमें कांग्रेसवालोंके जानेका कुछ मतलब न होगा। महात्माजीने कहा :

सरक्षणोके सम्बन्धमें श्री बेनने जो वक्तव्य दिया है, उसके रुखको देखकर मै बहुत उद्विग्न हो रहा हूँ। मुझे जोर देकर कहना पड़ता है कि अगर ब्रिटेनकी कुछ माँगोको अन्तिम बात कहकर परिषदके हाथ-पैर बाँध दिये गये तो वह कदापि अपने उद्देश्यमें सफल न हो सकेगी।

अंग्रेजोंको भारतमें व्यापारके विषयमें समान अधिकार मिलनेके विवादके सम्बन्धमें महात्माजीने कहा :

१. भेंटका यह विवरण "लन्दन, २४ मार्च, १९३१" तिथिके अन्तर्गत छपा था।

जो ब्रिटिश व्यवसाय यहाँ पहलेसे कायम हो चुके हैं, उनके विषयमें बातचीत करके समझौता करना जरूरी है और इस विषयमे भारत अन्याय या अनुदारतासे कदापि काम नही करना चाहता। पर भारतको जो रास्ता भविष्यमे उचित मालूम हो उसपर चलकर अपनी आर्थिक उन्नति करनेकी स्वतन्त्रता तो रहनी ही चाहिए।

संघ शासनके विषयमें महात्माजीने कहा कि राजा अपनी प्रजाको अनिवार्य रूपसे आवश्यक कुछ अधिकार अवश्य दे दें, अन्यथा पूर्ण स्वेच्छाचारी शासन पद्धति और लोकतन्त्र पद्धतिका गठजोड़ असम्भव होगा।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, २७-३-१९३१

३९५. पत्र : महालक्ष्मी माधवजी ठक्करको

बोरसद
२४ मार्च, १९३१

चि० महालक्ष्मी,

तुम्हारा पत्र मिला था। जवाब जल्दी नही दे सका। तुमने दोनों बहनोंके कामका अच्छा विवरण दिया है। वातावरण गन्दा हो गया था, सो क्यो? बहुत-सी बातें मेरे सुननेमें आती हैं। इसलिए ज्यादा जानकारीके लिए पूछता हूँ। शराब पीनेवालेके पास बार-बार जाकर और उससे वही एक बात कहनेसे लाभ नहीं होता। मैंने मरोलीके भाषणमें जो कहा था, वह याद रखना। शराब पीनेवालेके जीवनमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, उसे काम करनेमें लगाना चाहिए, भले ही वह कातनेके सिवा कोई दूसरा ही काम करे। हम उसके सुख-दुखकी बात सुनें, उसकी पत्नी और बच्चोंसे मिलें। बच्चोंका विश्वास प्राप्त करके उनका हाल सुधारे। इस प्रकार उसकी सेवा करनेसे वह शराबकी लत छोड़ देगा। यह भी न सोचना कि एक ही व्यक्तिपर अपना सारा समय लगायें तो ऐसा करनेसे लाखों ऐसे दूसरे मनुष्योंतक कैसे पहुँचेंगे। लाखोंतक भी इसी तरह पहुँच सकते हैं। एक अच्छी तरह सुधर जाये तो दूसरे भी सुधरते हैं। एकको निःस्वार्थ सेवामें अनेकोंकी सेवा आ जाती है।

बच्चोके बारेमें जो लिखा, सो समझ गया।

माधवजीने कुछ भूल की, मुझे ऐसा नही लगता। फिर उन्होंने मुकदमेकी खबर नही दी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६८१२)की फोटो-नकलसे।

३९६. प्रश्नोत्तर

वे क्या करें?

बम्बईके कार्यकर्त्ताओंकी सभामें जो कई प्रश्न पूछे गये थे, उनमें एक यह भी था कि वे विद्यार्थी, जिन्होंने संघर्षके दौरान स्कूल छोड दिये थे, अब क्या करें? पर उस समय वक्तकी कमीसे मैं इसका जवाब नहीं दे सका था।

अब मेरा जवाब यह है:

१. संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसने एक भिन्न अर्थात् रचनात्मक रूप ले लिया है।

२. विद्यार्थी शराबियों, अफीमचियों और विदेशी वस्त्र पहननेवालोंके घर जायें, उनमें घुलें-मिलें, उनका हृदय जीतें।

३. जो बहनें शान्तिपूर्ण धरना देनेमें लगी हैं, विद्यार्थी उनकी सहायता कर सकते हैं।

४. वे गाँवोंमें जाकर बस सकते हैं और वहाँ खादी-कार्यको संगठित कर सकते हैं।

५. वे शहरोंमें खादीकी फेरियाँ लगा सकते हैं।

६. सब विद्यार्थियोंको प्रतिदिन कमसे-कम आध घंटा चरखे या तकलीपर सूत कातना चाहिए।

७. और अधिक जानकारीके लिए उन्हें राष्ट्रीय विद्यापीठोंके पंजीयकोंसे (रजिस्ट्रारोंसे) पत्र-व्यवहार करना चाहिए।

विदेशी-वस्त्रके व्यापारी

दूसरा सवाल यह था: अब जबकि धरना देनेमें कुछ ढिलाई आ गई है, विदेशी वस्त्र नये सिरेसे मँगाये जा रहे हैं, और मौजूदा मालकी बिक्री भी तेज हो गई है, आप उसे रोकनेके लिए क्या करनेवाले हैं?

उस सवालमें यह बात गृहीत है कि अबतकके धरनोंमें हम लोगोंपर दबाव डालते थे। अगर यह सच रहा हो तो ध्यान रखें कि किसीसे भी उसकी इच्छाके विरुद्ध काम करानेकी अपेक्षा उसे काम करनेकी स्वतन्त्रता देना बेहतर है। मेरा तो यह विश्वास है कि अगर कार्यकर्त्ता अविरत प्रचार-कार्य करते रहें, तो खरीदारोंका दिल बदलेगा। हमने व्यापारियोंकी ओर बहुत अधिक ध्यान दिया है, और खरीदारों पर बहुत कम। अतः इस सम्बन्धमें जरूरत यह है कि लोगोंमें लगातार प्रचार किया जाये, उन्हें तालीम दी जाये। हमारा ध्येय हृदय-परिवर्तन है, जोर-जबर्दस्ती नहीं। जोर-जबर्दस्ती हिंसाका परिणाम है। हृदय-परिवर्तन अहिंसा और प्रेमकी परिणति है, फल है।

क्या आप यादवी रोक सकेंगे?

तीसरा सवाल यह है: मजदूरों, किसानों और कारखानोंके श्रमिकोंको लाभ पहुँचाकर क्या आप यादवी — आपसके युद्धको — रोक सकते हैं?

हाँ, यह मैं निश्चय ही रोक सकता हूँ, बशर्ते कि लोग अहिंसक पद्धति अपनायें। पिछले बारह महीनोंने यह बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि नीति या युक्तिके तौरपर भी अहिंसाको अपनानेमें कितनी शक्ति है। जब लोग उसे सदाचारके सिद्धान्तके रूपमें स्वीकार करते हैं, तो पारस्परिक युद्ध असम्भव हो जाते हैं। इसका प्रयोग अहमदाबादमें हो रहा है। अबतक उसके फल बहुत सन्तोषजनक रहे हैं और बहुत सम्भव है कि वे निर्णायक रूपसे प्रभावशाली भी सिद्ध हों। अहिंसक पद्धति पूँजीपतिका नाश नहीं चाहती, पूँजीवादका नाश चाहती है। तब हम पूँजीपतिसे कहते हैं कि वह अपनेको उन लोगोंका संरक्षक समझे जिनपर वह अपनी पूँजीके निर्माण, स्थिति और वृद्धिके लिए आश्रित है। यह भी आवश्यक नहीं है कि मजदूर पूँजीपतिके हृदय-परिवर्तन तक ठहरे। अगर पूँजी एक शक्ति है, तो श्रम भी शक्ति है। दोनोंका प्रयोग विनाश और सृजनके लिए किया जा सकता है। दोनों एक-दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे ही मजदूरको अपनी शक्तिका पता चलेगा, वह पूँजीपतिका गुलाम न रहकर उसका भागीदार बन जायेगा। यदि वह स्वयं सर्वेसर्वा बननेकी आकांक्षा रखता है, तो बहुत सम्भव है कि वह उस मुर्गीको ही हलाल कर डाले, जो सोनेके अण्डे देती है। बुद्धिकी और अवसरकी असमानता तो अन्ततक बनी ही रहेगी। नदीके किनारे रहनेवाले आदमीको किसी भी दशामें उस आदमीकी अपेक्षा खेती करनेके अधिक अवसर प्राप्त हैं, जो घोर मरुभूमिमें रहता है। पर जहाँ असमानताएँ हमारे सामने मुँह बाये खड़ी हों, वहाँ हमें मुख्य समानताको भी नजर-अन्दाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह पशु-पक्षियोंको जीवन-निर्वाहके योग्य प्राप्त होता रहता है, मनुष्योंको [कमसे-कम] उतना अधिकार तो है ही। फिर अधिकारके साथ उसके कर्तव्य भी लगे रहते हैं, और अधिकारोंको छीननेके प्रयत्नका निराकरण भी; इसलिए सवाल केवल उन कर्त्तव्यों और उपायोंको खोज निकालनेका है, जिनसे मूलभूत समानताकी रक्षा हो सके। अपने शरीरसे कुछ-न-कुछ परिश्रम करना हमारा कर्त्तव्य है और जो हमें हमारे श्रमके फलसे वंचित रखता है, उसके साथ असहयोग करना, उक्त उपाय है। अतएव यदि मैं पूँजीपति और मजदूरकी मूलभूत समानताको कबूल करता हूँ, और मुझे यह कबूल करना भी चाहिए, तो मेरा लक्ष्य पूँजीपतिका नाश नहीं हो सकता। मुझे तो उसके हृदय-परिवर्तनका प्रयत्न करना चाहिए। उसके साथ मेरा असहयोग अपनी गलतियोंके प्रति उसकी आँखें खोल देगा। मुझे इस बातका भय नहीं होना चाहिए कि मेरे असहयोग करनेके फलस्वरूप कहीं कोई दूसरा मेरा स्थान न ले ले। मैं तो अपने साथियोंको भी इस प्रकार प्रभावित करनेकी आशा रखता हूँ कि वे पूँजीपतिके पापमें उसकी मदद न करें। इसमें शक नहीं कि मजदूरोंको इस प्रकार सुशिक्षित बनानेकी क्रिया एक धीमी क्रिया है, पर इस उपायके रामबाण होनेके कारण निश्चित रूपसे यह सबसे तीव्र गतिशील क्रिया भी है।

यह बात आसानीसे साबित की जा सकती है कि पूंजीपतिको मार डालनेका अन्तिम और अवश्यम्भावी परिणाम मजदूरकी मृत्यु है। फिर जिस प्रकार ऐसा कोई भी मनुष्य-प्राणी नही है जिसका पुनरुद्धार हो ही न सके, उसी प्रकार कोई मनुष्य इतना पूर्ण भी नही है कि उसे यह अधिकार हो कि वह उस मनुष्यको मार डाले जिसे भूलसे वह पूरी तरह दुष्ट मानता है।

बेकारोका क्या होगा?

चौथा सवाल यह था कि सत्याग्रह-आन्दोलनके उन कैदियोका क्या होगा जो जेलोंसे छूट चुकनेपर इस समय बेकार बैठे है?

अगर वे काम करना चाहते हैं और ईमानदार है, तो निःसन्देह वे कांग्रेस संस्थाओंमें कामपर लगाये जा सकते है। साथ ही हरएकको कामके लिए कांग्रेस और उससे सम्बद्ध संस्थाओंका ही मुंह नहीं ताकना चाहिए। मजदूरको उसकी योग्यतानुरूप मजदूरी मिल ही जाती है। अतः जो ईमानदार है और परिश्रम करना बुरा नही समझते, उन्हे अपनी उपयोगितामें विश्वास रखना चाहिए; इसकी परवाह नही करनी चाहिए कि जेल जानेसे पहले वे क्या थे।

सत्यके लिए देशका बलिदान

पांचवां सवाल यह था :

> कांग्रेसके गोलमेज-परिषदमें भाग न लेनेका निश्चय कर चुकनेके बाद आपके उसमें सहर्ष और सरलताके साथ सम्मिलित होनेकी तत्परता प्रकट करनेमें जो असंगति है, उसका आप क्या जवाब देते हैं; जवाहरलाल कुछ ही महीनों पहले उसमें शामिल होनेवालोको व्यंगमें 'बूढ़ी औरतें' कहा करते थे?
>
> क्या आप सत्यकी खातिर अपने देशका सदैव बलिदान ही करते रहेंगे और सत्य तथा अहिंसाके अपने प्रयोगमें हमारा उपयोग उस प्रयोगके साधनोंके रूपमें किया करेंगे? क्या आप यह अनुभव करते हैं कि आप अपने निजके आत्म-विकासकी खातिर सारे राष्ट्रको दांवपर लगा रहे हैं?
>
> हममें से कई यह अनुभव करते हैं कि आप एक ऐसी 'राष्ट्रीय वृत्ति' बन गये हैं, जो पूंजीपतिके लिए तो लाभप्रद है, पर शोषितोंके लिए दुःखदायी है।

समयके साथ रिवाज भी बदलते हैं। 'मूर्खतापूर्ण सुसंगति निभाते रहना अल्पमति व्यक्तियोंकी भूल ही है।' मेरे कामोंमे असगति भले हो, उनमें कारण तो बुद्धि ही है। तथापि मैं तो अपने आजके और पहलेके व्यवहारमें कोई असगति नही देखता। हमेशाके लिए गोलमेज-परिषदके बहिष्कारका सवाल तो कभी रहा ही नही। जब कांग्रेस अपनी शर्तोंपर कायम रहते हुए उसमें न जा सकी, तब उसने जानेसे इनकार कर दिया; अब वह जा सकती है क्योंकि उसकी रायमें [उद्देश्य-प्राप्तिका] मार्ग खुल चुका है। और मुझे आशा है कि जो लोग जायेंगे, वे पूरी दृढ़ताके साथ वहां राष्ट्रकी बात रखेंगे। इसमें 'सत्यकी खातिर देशका बलिदान करने' की कोई

बात नहीं उठती। पहली बात तो यह है कि यह निश्चय समिति द्वारा किया गया है, और दूसरी यह कि इसमें देशका कोई बलिदान नहीं है। पर विवादकी दृष्टिसे मुझे यह कहते हुए जरा भी संकोच नहीं कि अगर सत्य और देशके स्वार्थमें से चुनाव करनेका सवाल हो तो मुझे चाहिए कि मैं सत्यके लिए देशका बलिदान कर दूं क्योंकि मेरे लिए सत्य ही परमेश्वर है। मेरा यह भी विश्वास है कि सत्यका बलिदान करके किसी भी राष्ट्र या व्यक्तिने कभी लाभ नहीं उठाया, अतः सच तो यह है कि 'सत्यकी खातिर देशका बलिदान' करने जैसी कोई बात होती ही नहीं है।

मेरे सत्यके प्रयोगोंमें जो मेरे साथ हो लेते हैं, वे मेरे 'प्रयोगके साधन' नहीं हैं, बल्कि वे मेरे बहुमूल्य सहयोगी हैं और मेरे साथ उस हर्षमें हाथ बँटाते है जो सत्यकी शोधको छोड़कर और किसी शोधसे प्राप्त नहीं होता।

मैं ऐसा अनुभव नहीं करता कि मैं अपने 'आत्म-विकासके लिए सारे देशको दाँवपर लगा रहा हूँ।' राष्ट्रके विकासके साथ व्यक्तिका विकास पूर्णतया सुसंगत है। जिन इकाइयोंसे राष्ट्रका निर्माण होता है, उनकी प्रगतिके बिना राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, और इसी तरह राष्ट्रका एक अंग होनेके नाते कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रकी प्रगतिके स्वयं भी प्रगति नहीं कर सकता।

अन्तिम आरोप अविचारपूर्वक लगाया गया है। मेरे प्रयोगोंका आरम्भ दक्षिण आफ्रिकामें हुआ था और वे पीड़ितोंके हितके लिए शुरू किये गये थे। पीड़ितोंने उनसे लाभ उठाया। चम्पारन, खेड़ा और अहमदाबादमें पुनः उनसे उन्होंने लाभ उठाया। और अगर मैं बोरसदके उस संग्रामका श्रेय भी ले लूं जिसका संचालन मेरी अनुपस्थितिमें, पर ठीक मेरे ही बताये हुए ढंगसे, सरदार वल्लभभाईने तेजस्विताके साथ किया था, तो मै कह सकता हूँ कि इसमें और बादमें बारडोलीके संग्राममें लाभ किसानोंको ही हुआ। आगे चलकर देशव्यापी पैमानेपर जो अन्तिम प्रयोग होगा, अभी तो उसकी कसौटी ही हो रही है। अभी उसके फलका अनुमान करना जल्दबाजी होगी। पर आँखोंवाले देख सकते है कि जो असाधारण जनजागृति हुई है, वह जनसमूहके स्तरके असाधारण रूपमें उठे बिना हो नहीं सकती थी। यह सब मैंने अपने लिए इस श्रेयका दावा करनेकी दृष्टिसे नहीं लिखा है। मै तो ईश्वरके हाथोंमें एक नम्र साधन, निमित्त-मात्र हूँ। श्रेय तो सत्य और अहिंसाको ही है। प्रश्नकर्त्ताके सवालोंसे सत्यकी और उससे भी अधिक अहिंसाकी अमोघतामें सन्देहकी ध्वनि निकलती है। जो अनेक उदाहरण मैंने दिये हैं, उनसे सब सन्देहोंका निराकरण हो जाना चाहिए। यदि हम सविनय अवज्ञा कर रहे थे तो वह पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए कर रहे थे और अब उसे स्थगित करके, सब शर्तोंके पूरा होनेपर, हम गोलमेज-परिषदमें जानेको तैयार है, सो भी उसी उच्च ध्येयकी प्राप्तिके लिए। यह बिलकुल सम्भव है कि हम उस ध्येयको पानेमें असफल रहें। यह होते हुए भी यदि हम सरकार द्वारा बढ़ाये गये हाथकी उपेक्षा करते हैं, तो हम गलती करेंगे। अगर हम इस युद्ध-विरामका सही उपयोग करें, अगर हम समझौतेकी शर्तोंका यथासम्भव पूरा-पूरा पालन करें, अगर हम द्विविध बहिष्कारको सम्पूर्ण कर लें, अगर

हम खादी-भावनाको व्यापक बना दें, तो इस सन्धिकालके अन्तमें, यदि उस समयतक हमें अपना ध्येय न मिला तो, हम अपनेको युद्धके लिए अधिक शक्तिशाली पायेंगे, हमें समझौतेमें श्रद्धा रखते हुए अपने ध्येयकी सिद्धिके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २६-३-१९३१

३९७. राक्षस और बौना

मैं पाठकोका ध्यान इस अकमें अन्यत्र प्रकाशित श्री वालचन्द हीराचन्दके पत्रकी ओर आकर्षित करता हूँ।[1] मेरे विचारोको ठीक रूपमें रखनेकी दृष्टिसे उसमें कुछ हेरफेर किया गया है। इस पत्रमें चर्चित विषयका उद्‌गम यह सूत्र-वाक्य है: 'हिन्दुस्तानमें व्यापार करनेवाले ब्रिटिश व्यापारी वर्ग, ब्रिटिश पेढ़ियो और कम्पनियोके अधिकारो तथा हिन्दुस्तानी लोगोके अधिकारोके बीच किसी भी प्रकारका भेद नही होना चाहिए।' यह सूत्र-वाक्य पढ़ते समय तो निर्दोष ही दिखाई पड़ता है, पर इसके भीतर जो स्थिति छिपी है, वह अत्यन्त भयकर है।

आज परिस्थिति इस प्रकार है: अग्रेज हिन्दुस्तानमें मालिक हैं और भारतीय अपने ही देशमें गुलाम हैं। देशके इस शासनमें भारतीयको साधारणत: केवल मुहर्रिरी ही मिल पाती है। व्यापारमें बहुत हुआ तो वह दलाल-भर बनकर जैसे-तैसे पाँच फीसदी प्राप्त करता है, जबकि उसका अग्रेज मालिक ९५ फीसदी ले जाता है। शासक वर्गका होनेके कारण अग्रेजको जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें विशेषाधिकार प्राप्त है। किसी असंगति और अतिशयोक्तिके भयके बिना यह कहा जा सकता है कि वह भारतीय व्यापार और उद्योगका नाश करके स्वावलम्बी बना है। लंकाशायरको समृद्ध बनानेके लिए भारतीय घरेलू उद्योग-धन्धोको नेस्तनाबूद होना पडा है और ब्रिटिश जहाजरानीकी वृद्धिके लिए भारतीय जहाजरानीको। सार-रूपमें, सिर्फ इसलिए कि अंग्रेज शिमला-शिखरपर रह सके, हमें दबा दिया गया है। जब श्री गोखलेने कहा था कि हमारा विकास कुण्ठित हो गया है, तब वह केवल अलंकृत भाषाका प्रयोग नही था। अतएव भारतीयोंके हित और अग्रेजो या यूरोपीयोंके हितमें किसी प्रकारका भेदभाव न रखनेकी बात कहना, भारतीयोकी दासताको स्थायी बनानेके समान है। राक्षस और बौनेके बीच अधिकारोकी समानता ही क्या? लम्बे और बौनेकी समानताका विचार कर सकनेसे पहले बौनेको राक्षसके बराबर ऊँचा उठाना पड़ेगा; और चूँकि मैदानोंमें रहनेवाले करोडों लोगोका शिमलाकी ऊँचाई तक जा चढ़ना मुमकिन नही, इसलिए इन शिखरोपर विराजनेवाले लोगोको मैदानोंमें उतरकर आना पडेगा। शायद यह प्रक्रिया कठोर प्रतीत हो। पर अगर मैदानोमें रहनेवाले करोडो लोगोंको उन मुट्ठी-भर विशेष अधिकारवालोकी बराबरीमें खडा करना हो, तो ऐसा किये बिना चारा नही।

1. देखिए "भेंट: व्यापारी संघके प्रतिनिधि-मण्डलसे", १७-३-१९३१।

इसलिए मुझे लगता है कि समानताकी स्थितितक पहुँचनेसे पहले हमें ऊँचे-नीचेको समतल करनेकी प्रक्रियामें से गुजरना ही पड़ेगा। न्यायका यह तकाजा है। इस प्रक्रियाको जातीय भेद कहना अनुचित होगा। ऐसी कोई बात है ही नही। यदि वे अपनी विशिष्ट स्थिति छोड़ दें और हमारे सुख-दुखके भागीदार बन जायें तो हमारे देशमें हरएक अंग्रेज स्त्री, पुरुष और बालकके लिए काफी जगह है। तब ब्रिटिश फौज और शहरोंकी शरण छोड़कर उन्हें सारे राष्ट्रके सद्भावकी छाँह गहनी होगी और यह सद्भाव उन्हें इच्छा करते ही प्राप्त हो सकता है। जो सर्वोत्तम संरक्षण हम दे सकते हैं, वह तो हमारा सद्भाव ही है और मैं साहसके साथ कहता हूँ कि यह संरक्षण अन्य किसी भी संरक्षणकी अपेक्षा हम दोनोंके लिए अनन्त-गुना अच्छा और सम्मानपूर्ण होगा। इस प्रक्रियामें सर्वत्र स्पष्ट भेदभावका आभास होगा, पर जो यह बात महसूस करते है कि मौजूदा हालत अन्यायपूर्ण और अस्वाभाविक है, कोई कारण नही कि उन्हें यह ऐसा लगे। यह बतानेके लिए कि इस माँगमें किसी भी प्रकारका जातीय भेदभाव नही है, इतना कहना ही काफी होगा कि जो भारतीय अंग्रेज आश्रयदाताओंकी आड़में सुरक्षित छिपे बैठे हैं, उनसे भी मैदानोंमें बसनेवाले अपने भाइयोंकी बराबरीपर आनेकी अपेक्षा की जायेगी। इसलिए सच्चा सूत्र तो यही माना जाना चाहिए। वर्तमान अस्वाभाविक असमानता दूर करनेके लिए शासक-वर्ग और जो उनके साथ भागीदार बने हुए हैं, उन दूसरोंके विशेषाधिकार इतने कम किये जायेंगे कि वर्गों और जातियोंके बीच समानताकी स्थिति पैदा हो सके।

अंग्रेजोंके जीवन और सम्मानको अपने जीवन और सम्मानके जैसा ही पवित्र मानना भारतीयोंका धर्म होना चाहिए। मन्शा ब्रिटिश व्यापार या हितका विनाश करना नही है और न होना चाहिए। जो अंग्रेज इस देशमें बसे हैं उन्हें चाहिए कि वे अपने लिए प्रतिष्ठित रूपसे जीवनयापनका साधन जुटानेके लिए अपनी व्यवस्थित आदतों, विकसित बुद्धि, भारी परिश्रम और व्यवस्था-शक्तिपर विश्वास रखें और इस दरम्यान जिस वफादारीके साथ उन्होंने अपनी मातृभूमिका साथ दिया है, उसी वफादारीके साथ वे इस देशकी सेवा करे।

हम जब ब्रिटेनके साथ सम्मानपूर्ण सम्बन्धकी स्थितिमें पहुँच जायेंगे तब जो ब्रिटिश व्यापार भारतके हितको हानि पहुँचानेवाला न होगा, उसे तरजीह दी जा सकती है। इसमें शक नही कि भीतरी व बाहरी लूटसे मुक्त हो जानेपर भारतवर्षकी समृद्धि आश्चर्यजनक वेगसे होगी। समृद्धिके साथ-साथ उसकी आवश्यकताएँ भी बढ़ेंगी ही; आवश्यकताओंके बढ़नेपर निश्चय ही उसका आयात भी बढ़ेगा। उस समय अगर ब्रिटेन भारतका भागीदार या मित्र बने, तो भारत जिनसे माल लेगा, वह उनमें सहज ही प्रधान रह सकेगा।

यह ऐसा स्वप्न है जिसे साकार करना मेरे लिए खुशीकी बात होगी। इसी स्वप्नको साकार बनानेके लिए मैं समझौतेका एक घटक बना हूँ। भारतवर्ष इस ध्येयको सिद्ध कर सके, इसके लिए मैं प्रत्येक अंग्रेजकी मदद चाहता हूँ। मेरी कल्पनाका पूर्ण स्वराज्य दूसरोंसे विच्छिन्न स्वतन्त्रता न होकर एक स्वस्थ और शोभनीय

स्वतन्त्रता है। मेरा राष्ट्रवाद उग्र होते हुए भी वर्जनशील नही है, और उसका उद्देश्य किसी भी राष्ट्र या व्यक्तिको हानि पहुँचाना नही है। कानूनी सिद्धान्त उतने वैधानिक नही, जितने नैतिक है। अपनी सम्पत्तिका उपभोग इस तरह कर कि पड़ौसीको कष्ट न हो — इस सूत्रके सनातन सत्यपर मेरा विश्वास है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २६-३-१९३१

३९८. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको[1]

करांची
२६ मार्च, १९३१

मैं भगतसिंह और उसके साथियोकी मौतको सजामें परिवर्तन नही करवा सका और इसी कारण नवयुवकोने मेरे प्रति अपना क्रोध प्रदर्शित किया है।[2] मैं इसके लिए पूरी तरहसे तैयार था। यद्यपि वे मुझपर बहुत नाराज थे, फिर भी मैं सोचता हूँ कि उन्होने अपने क्रोधका प्रदर्शन बहुत ही सभ्य ढगसे किया। वे चाहते तो आसानीसे मारपीट कर सकते थे; पर उन्होने ऐसा कुछ नही किया। वे कई तरहसे मुझे अपमानित कर सकते थे पर उन्होने अपने क्रोधपर अकुश रखा और मेरा अपमान केवल काले कपड़ेके फूल, जो कि, मैं समझता हूँ, तीनो देशभक्तोकी चिताकी राखके प्रतीक थे, देकर किया। इन्हे भी वे मेरे ऊपर बरसा सकते थे अथवा मुझपर फेंक सकते थे, पर उन्होने यह सब न करके मुझे अपने हाथोसे फूल लेनेकी छूट दी और मैंने कृतज्ञतापूर्वक इन फूलोको लिया। निःसन्देह उन्होने 'गांधीवादीका नाश हो,' 'गांधी, वापस जाओ' के नारे लगाये और इसे मैं उनके क्रोधका सही प्रदर्शन मानता हूँ। इस प्रकारके तथा इससे भी कही अधिक प्रचण्ड प्रदर्शनोका आदी होनेके कारण मैं अविचलित रहा और मैंने इस अपमानको उनके दुःख और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले क्रोधका एक सौम्य प्रदर्शन मात्र माना। मैं आशा करता हूँ कि वे कांग्रेसके पूरे अधिवेशन भर उसी तरहके सयमसे काम लेंगे जैसा कि उन्होने कल प्रदर्शित किया था, क्योकि वे जानते है कि मैं भी उनके साथ उसी उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए प्रयत्नशील हूँ। अन्तर केवल इतना है कि मेरा रास्ता उनसे बिलकुल अलग है। और मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नही कि जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा, वे यह समझ जायेंगे कि उनका रास्ता गलत था। अन्य देशोके सम्बन्धमें चाहे कुछ भी सच हो, पर इस देशमें जहाँ करोड़ों भूखे लोग भरे पडे है, हिंसाका सिद्धान्त कोई अर्थ

१. महादेव देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत।

२. यहाँ गांधीजीका इशारा करांचीके पास मालीर स्टेशनपर नौजवान भारत-सभाके (लाल कमीज पहने हुए) सदस्यों द्वारा किये गये प्रदर्शनकी ओर है; देखिए "भाषण: करांची कांग्रेसमें", २६-३-१९३१ भी।

नहीं रखता। आत्म-दमन और कायरतासे भरे दब्बूपनवाले इस देशमें हमें साहस और आत्म-बलिदानका आधिक्य नहीं मिल सकता। भगतसिंहके साहस और बलिदानके सम्मुख मस्तक नत हो जाता है। परन्तु, यदि मैं अपने नौजवान भाइयोंको नाराज किये बिना कह सकूँ तो मुझे इससे भी बड़े साहसको देखनेकी इच्छा है। मैं एक ऐसा नम्र, सभ्य और अहिंसक साहस चाहता हूँ जो किसीको चोट पहुँचाये बिना अथवा मनमें किसीको चोट पहुँचानेका तनिक भी विचार रखे बिना फाँसीपर झूल जाये।

प्रश्न: क्या भगतसिंह और उसके साथियोंको फाँसीकी सजा दिये जानेके कारण समझौतेके सम्बन्धमें आपकी स्थितिमें कुछ फर्क पड़ता है?

उत्तर: मेरी व्यक्तिगत स्थितिमें तो बिलकुल कोई फर्क नहीं पडता, किन्तु यह अत्यधिक उत्तेजक घटना है। मैं यह मानता हूँ कि इस सजाको रद करना समझौतेका अंग नहीं था और जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, शर्तोंके बाहर दी गई कोई भी उत्तेजना मुझे उस मार्गसे नहीं डिगा सकती जो मैंने समझौता करते समय तय किया था।

क्या आप ऐसी सरकारको क्षमा करना अविवेकपूर्ण मानते हैं जो हजारों लोगोंकी हत्याके लिए जिम्मेदार है?

मुझे ऐसा कोई भी उदाहरण याद नहीं आता जहाँ क्षमा करना अविवेकपूर्ण हो।

परन्तु आजतक किसी भी देशने इस प्रकारकी क्षमा नहीं दिखाई जैसी क्षमा भारत ब्रिटेनके प्रति दिखा रहा है?

इससे मेरे उत्तरमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। जो व्यक्तियोंके सम्बन्धमें सत्य है, वही राष्ट्रोंके लिए भी सत्य है। क्षमाशीलताकी कोई सीमा नहीं है। निर्बल क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा बलवानका ही भूषण है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-४-१९३१

३९९. वक्तव्य: कानपुरके दंगोंपर

कराची
२६ मार्च, १९३१

एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिने कार्य-समितिकी सभामें उपस्थित गांधीजीको कानपुरकी परिस्थितिका विवरण दिया। गांधीजीने निम्नलिखित वक्तव्य दिया:

कार्य-समितिने, जिसकी यह वक्तव्य देनेके समय बैठक हो रही है, कानपुरमें चल रहे भयंकर साम्प्रदायिक झगड़ेकी रिपोर्ट पढ़ी है और उसे वहाँ की घटनाओं पर कष्ट और शोक हुआ है। मेरे पास इसकी भर्त्सना करने योग्य पर्याप्त कठोर शब्द नहीं है। निश्चय ही एक समिति कारणोंकी जाँच करेगी। परन्तु दूसरे जरियोंसे भी ऐसे इंगित मिलते रहे हैं जिनसे पता चलता है कि साधारण-सी बातसे भी लोगोंका मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है। मैं तो केवल यह आशा ही कर सकता

हूँ कि इस जहरको बना नही रहने दिया जायेगा और लोग शान्त रहेगे तथा मधुर सम्बन्धोको बिगड़ने नही देंगे। मै यह भी आशा करता हूँ कि कानपुरके स्थानीय नेता परस्पर परामर्श करेंगे और शीघ्र ही फिरसे शान्तिकी स्थापना कर लेगे। जो लोग भारतकी आजादी हासिल करनेके लिए उतावले है, वे यह बात याद रखें कि ऐसे हर झगड़ेसे उस ध्येयके प्रति प्रगति अधिकाधिक कठिन होती जायेगी।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २७-३-१९३१

४००. उत्तर: भारतीय व्यापारी संघके प्रतिनिधि-मण्डलको

२६ मार्च, १९३१

खरीदारों और जहाजी व्यापारियोंकी संस्थाओं और भारतीय व्यापारी संघके प्रतिनिधिके रूपमें कराचीके भारतीय व्यापारियोंका एक शिष्टमण्डल आज सुबह कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्योंसे मिलने आया। इसका नेतृत्व श्री जमशेद मेहता कर रहे थे। वे ब्रिटिश-वाणिज्यिक हितोंकी ब्रिटिश और भारतीय वाणिज्यको समान व्यापारिक अधिकार देनेकी माँगके सिलसिलेमें बात करने आये थे। . . .

कार्य-समितिकी ओरसे उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा कि इस बारेमें कांग्रेसको प्रेरित करनेकी कोई जरूरत नहीं; कांग्रेस स्वयं ही व्यापारिक अधिकारोंकी समानता सम्बन्धी धाराको पूरी तरह रद करानेके लिए यथासम्भव सभी कदम उठायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रश्नपर कांग्रेस व्यापारियोंसे कहीं अधिक चिन्तित है और वह निश्चय ही शिष्टमण्डलके सदस्यों द्वारा भारतीय हितोंके संरक्षणके बारेमें रखी गई माँगसे कुछ अधिककी ही माँग करेगी।

गांधीजीने भारतीयोंके साथ शक्तिशाली ब्रिटिश वाणिज्यिक समाजकी बराबरीकी माँगकी तुलना हाथीको चींटीके बराबर स्तरपर आनेकी माँगके साथ की। गांधीजीने कहा कि वे इस प्रश्नकी चर्चा 'यंग इंडिया' में एक पत्रके सम्बन्धमें कर चुके हैं। वह पत्र वालचन्द हीराचन्दने बम्बईके एक व्यापारीसे हुई अपनी एक भेंटके बारेमें लिखा था। गांधीजीने कहा कि कांग्रेसकी ताकतको बढ़ा-चढ़ाकर आँकना न तो सम्भव है और न नीतिपूर्ण ही। जैसा कि भगतसिंह और उनके साथियोंके सिलसिलेमें स्पष्ट सामने आ चुका है, कांग्रेस भरसक कोशिश करनेके बावजूद उनको फाँसीसे नहीं बचा सकी।

परन्तु वे शिष्टमण्डलके सदस्योंको कांग्रेसकी ओरसे आश्वासन देना चाहते थे कि स्वराज्यका दर्जा कुछ भी हो, कांग्रेस ऐसे किसी भी व्यर्थके संविधानको कदापि स्वीकार नहीं करेगी जो राष्ट्रीय हितके लिए जरूरी होनेपर भी गैर-राष्ट्रीय हितोंको प्रतिबन्धित करनेके भावी भारतीय संसदके अधिकारको किसी भी तरहसे सीमित करता

हो। गांधीजीने आगे कहा कि इस आश्वासनको हमारा संकल्प समझें। उन्होंने अपनी ओरसे आग्रह किया कि भारतीय व्यापारियोंने राष्ट्रीय संघर्षमें अबतक जितना भाग लिया है, उससे ज्यादा भाग लें और सुझाव दिया कि वे गरीबोंको, जिनमें मजदूर और अछूत शामिल हैं, अपने सगे-सम्बन्धियों जैसा ही समझें।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २७-३-१९३१

४०१. भाषण: कराची कांग्रेसमें[1]

२६ मार्च, १९३१

कांग्रेस-मण्डपमें गांधीजीने प्रथम भाषण — जिसे मंगलाचरणका भाषण कहना भी अनुचित न होगा — तारीख २६ मार्चको दिया और विशाल श्रोता-समूहने मन्त्रमुग्ध होकर उसे सुना। गांधीजीने भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा:

हम आकाशको ईश्वरका राज्य मानते आये हैं। हमारी यह कल्पना है कि ईश्वर हमें अपने सन्देश और आदेश ऊपरसे भेजता है, और इस तरह हम उसके साथ सम्बन्ध बनाये रखते हैं। आजतक हम ईश्वर और अपने बीचमें पर्दा रखे हुए थे। स्वागत-समितिने यह पर्दा हटा दिया है और हमारा ईश्वरके साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ दिया है। मैं इसके लिए समितिका आभार मानता हूँ। अब हम अपने में मलिनताको घुसने देकर नया पर्दा पैदा न करें। इसे अपनी कीमती पूँजी मान कर अब हम अपना काम शुरू करें। स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिए हमने सत्य और अहिंसाका सनातन मार्ग पसन्द किया है। इस सीधे और सँकरे रास्तेपर चलनेवालेकी कभी दुर्गति होती ही नहीं, ईश्वरके इस अभिवचनसे हमें श्रद्धा और आशा प्राप्त करनी चाहिए।

भगतसिंह वगैराकी फाँसीके विषयमें गांधीजीने कहा:

उन्हें फाँसीपर लटकाकर सरकारने लोगोंको गुस्सा होनेका जबर्दस्त कारण दिया है। मुझे भी इससे चोट पहुँची है, क्योंकि हमारे विचार-परामर्श और बातचीतसे मुझे धुँधली-सी आशा बँध गई थी कि भगतसिंह, राजगुरु, और सुखदेव शायद बच जायेंगे। मैं उन्हें बचा नहीं सका, इससे अगर नौजवान मुझपर गुस्सा होते हैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, पर कोई कारण नहीं कि मैं भी उनसे गुस्सा होऊँ। एक तो मेरी जिन्दगीमें इस तरहकी यह कोई पहली घटना नहीं है; जो आदमी मानवजातिकी सेवा करनेका दावा करता है, उसका धर्म है कि वह उनपर क्रोध न करे जिनकी वह स्वयं सेवा करता है। मैं तो अहिंसाको धर्म माननेवाला ठहरा, इसलिए मैं किसीपर क्रोध कर ही नहीं सकता। पर सेवक अहिंसाधर्मी हो या न हो, यदि वह सच्चा है तो उसका धर्म यही है कि वह अपने स्वामीपर क्रोध न करे।

१. महादेव देसाईके "आकाश-छतके तले" शीर्षकके विवरणसे उद्धृत।

उसके लिए क्रोध त्याज्य वस्तु होनी चाहिए। परन्तु यदि वह विना क्रोध किये रह ही न सकता हो, तो उसके लिए समाज-सेवकका काम छोड़ देना उचित है। मुझे तो ऐसा करना नही है; इसलिए मै कहता हूँ कि उन नौजवानोको क्रोध करनेका हक था, मुझे नही। पर उन नौजवानोसे मै यह जरूर कहूँगा कि उनके पैदा होनेसे बहुत पहलेसे मैं किसानो और मजदूरोकी सेवा करता आया हूँ। मै उनके साथ रहा हूँ। मैंने उनके सुख-दु:खमें भाग लिया है। जबसे मैंने सेवाका व्रत लिया है, तभीसे मै अपना सिर मानवजातिको अर्पण कर चुका हूँ। मेरी गरदन उतार लेना दुनियाका एक आसानसे आसान काम है। इसके लिए थोड़ी भी तैयारी या संगठनकी आवश्यकता नही। और वाहरी रक्षाका तो मैंने कभी प्रयत्न ही नही किया। सच पूछो तो मेरी रक्षाका विचार करना ही फिजूल है। रक्षा करनेकी सामर्थ्य तो एक ईश्वरमें ही है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। इतना कहनेके बाद मुझे यह भी कहना चाहिए कि कल नौजवानोंने जो प्रदर्शन[1] किये, उनसे नाराज होनेके बदले मैं राजी हुआ हूँ, क्योकि उन प्रदर्शनोंमें किसी प्रकारका अविवेक न था। वे मुझपर हाथ उठा सकते थे, पर वे तो उलटे मेरे अगरक्षक बन गये और मुझे मोटर तक ले गये। मैं कबूल करता हूँ कि जब मैंने उन्हे पहली दफा देखा, तो मेरे मनमें आया कि शायद आज दक्षिण आफ्रिकाके उस अनुभवका पुनरावर्तन होगा, जब लोगोकी भीडने मुझे घेर लिया था और मुझे मारा था।

पर ऐसा भय करनेका कोई कारण न था। वे नौजवान तो सिर्फ यही पुकार रहे थे, 'गांधी, वापस जाओ', 'गांधीवादका नाश हो'। उन्हे ऐसा करनेका हक था, क्योंकि वे मानते थे कि मैंने भगतसिंहको बचानेके लिए अपनी शक्ति-भर कोशिश नही की, या अहिंसाधर्मी होनेके कारण मैं भगतसिंह और उनके साथियोको एकदम भूल गया। किन्तु उन नौजवानोंका इरादा मुझे या किसी औरको हैरान करनेका नही था। उन्होंने सबको जाने दिया और तब एक नौजवानने आकर काले कपड़ेके फूल मेरे हाथोंमें दिये। ये फूल मुझपर फेंककर वे मेरा अपमान कर सकते थे, पर वैसा करनेका उनका इरादा न था। फूल मुझे जगह-जगह दिये जाते हैं। वहनों द्वारा दिये जानेपर भी साधारणत: मैं उन फूलोंके विषयमें निरपेक्ष रहता हूँ, और कभी-कभी तो इस प्रकार फूलोंका दुर्व्यय करनेके लिए उन्हें उलाहना भी देता हूँ। परन्तु ये फूल तो मैंने ले लिये है और इन्हें सँभाल कर रखा है। यदि वे नौजवान मेरे पास आकर कहेगे कि उन्हें क्रोध नही करना चाहिए था और मेरे विषयमें उनकी शंका अकारण थी और यदि वे फूल वापस लेना चाहेंगे तो मैं खुशीसे उन्हें लौटा दूंगा। किन्तु यदि उन्होंने ऐसा न किया, तो ये फूल मैं आश्रममें भेज दूंगा और वहाँ ये एक विरासतमें मिली हुई वस्तुकी तरह सुरक्षित रखे जायेंगे।

वे नौजवान तो दुनियाको यह बताना चाहते थे कि उन्हें विश्वास है कि महात्मा चाहे जितना महान् क्यों न हो, वह हिन्दुस्तानका नुकसान कर रहा है।

१. गांधीजीके मालीर स्टेशनपर पहुँचनेपर। देखिए "भेंट: पत्र-प्रतिनिधियोंको", २६-३-१९३१ भी।

अगर वे मानते हैं कि मैं देशको दगा दे रहा हूँ तो मेरी पोल खोलनेका उन्हें अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि आप इस सम्बन्धमें मेरे दृष्टिकोणको समझें। मैं इन नौजवानोंके साथ इसके सिवा और किसी तरहका व्यवहार कर ही नही सकता क्योंकि मुझे तो उन्हें प्रेम द्वारा जीत लेना है। तलवारका त्याग करनेके बाद अपने विरोधीको देनेके लिए मेरे पास प्रेमके प्यालेको छोड़ कर और कुछ रहा ही नही है। यह प्याला देकर मैं उन्हें अपने नजदीक खीच लेनेकी आशा रखता हूँ। यह बात मेरी कल्पनासे परे है कि मनुष्य-मनुष्यके बीच वैर कायम रह सकता है। और मैं पुनर्जन्मको मानता हूँ, इसलिए मैं यह भी आशा रखता हूँ कि इस जन्ममें नही, तो किसी और जन्ममें समस्त मानव-जातिको प्रेमपाशमें बाँध सकूँगा।

इस छोटी-सी बातका इतना लम्बा विवेचन मैंने इसलिए किया है कि कही आप इन नौजवानोंके बारेमें खराब राय न बना डालें। आप मेरी रक्षा करनेका यत्न न कीजिए। हम सबकी रक्षा करनेवाला तो वह अनन्तबाहु है। आप विश्वास रखिए कि जब मेरे दिन पूरे हो जायेंगे, तब दुनियाका मशहूरसे-मशहूर हकीम भी मेरे और ईश्वरके बीचमें खड़ा नही हो सकेगा।

अब उन नौजवानोंके लिए एक सन्देश है कि अगर आपको मुझसे सेवा करवानी हो, तो मेरा त्याग न करें। मेरे पास आओ और एक-एक बात समझ लो। आपको जानना चाहिए कि खूनीको, चोरको, डाकूको भी सजा देना मेरे धर्मके विरुद्ध है। इसलिए इस शक की तो कोई वजह हो नही सकती कि मैं भगतसिंहको बचाना नही चाहता था। परन्तु मैं चाहता हूँ कि आप भगतसिंहकी भूलको भी समझें। भगतसिंह और उनके साथियोंसे बातचीत करनेका मौका मुझे मिला होता तो मैं उनसे भी कहता कि आपके द्वारा अंगीकृत मार्ग मिथ्या और व्यर्थ था। मैं सरेआम कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने करोड़ों भूखों मरनेवालोंके लिए, बहरों और गूंगोंके लिए, लूलों और लंगड़ोंके लिए स्वराज्य लेना चाहते हैं, तो वह तलवारके रास्ते नहीं लिया जा सकता। ईश्वरको साक्षी रखकर मैं इस सत्यकी घोषणा करना चाहता हूँ कि हिंसाके रास्ते स्वराज्य नही मिल सकता; हाँ, उसके मार्गमें रुकावटें जरूर आ सकती हैं। पिता अपने बालकोंके साथ जिस अधिकारसे बातें करता है, उस समस्त अधिकारके साथ मैं इन नौजवानोंको कहना चाहता हूँ कि हिंसा-मार्ग केवल विनाशकी ओर ले जानेवाला है। कैसे, सो आपको समझाऊँगा। क्या आप मानते हैं कि पिछले संघर्षमें स्त्रियों और बच्चोंने जो यश प्राप्त किया है, वह उन्हें मिला होता यदि हम सबने हिंसाका मार्ग स्वीकार किया होता? क्या आज वे यहाँ होते भी? दुनियामें नम्रसे-नम्र मानी जानेवाली हमारी स्त्रियोंने, गंगाबहन जैसी स्त्रियोंने, जिन्होंने खूनसे साड़ी तरबतर हो जानेतक लाठीके प्रहार सहे हैं, जो अद्वितीय सेवा की है, वे क्या यह सेवा कर सकी होतीं, यदि हमने हिंसाका मार्ग अख्तियार किया होता? मुँहसे रामनामका स्मरण करके गंगाबहन और उनके साथकी बहनोंने मनमें जरा भी गुस्सा हुए बिना जालिमोंको चुनौती दी थी। और हमारे बालक — हमारी वानरसेना। वे बालक जिन्होंने खिलौने, पतंग और पटाखोंका त्याग किया और जो स्वराज्यके

सैनिक बने उन्हे आप हिंसक युद्धमें किस प्रकार शामिल कर सकते थे? हम करोड़ो स्त्री-पुरुष और बालकोको स्वराज्यके सैनिक बना सके, इसका एकमात्र कारण यह था कि हम अहिंसाकी प्रतिज्ञासे बँधे थे। मैं नौजवानोसे विनती करता हूँ कि वे धैर्य रखें और अपने मनपर काबू रखें। क्रोधसे हमारी तरक्की न होगी। यह आवश्यक नही है कि हम अंग्रेजोको शत्रु मानें। मैंने उनके खिलाफ सत्याग्रह किया है, पर उन्हें शत्रु तो कभी नही माना। मुझे तो उनका हृदय-परिवर्तन करना है, और इसका एक ही मार्ग है और वह है प्रेमका मार्ग। तूफानी प्रदर्शनोमें अपना समय बरबाद नही करना; उससे मनोरथ सिद्ध नही हो सकता। क्या वे भगतसिंहको फिर जिन्दा कर सकते है? वे कुछ करेंगे, तो स्वराज्यका उदय और टल जायेगा। मैं कबूल करता हूँ कि सरकारने उत्तेजनाका पूरा कारण पैदा किया है, पर मैं इन उतावले नौजवानोसे ईश्वरके नामपर अपनी, प्यारी जन्मभूमिके नामपर प्रार्थना करता हूँ कि वे इस अहिंसक युद्धमें सच्चे मनसे जूझ पड़ें। चालीस वर्षोंके मेरे अखण्ड अहिंसात्मक आचरणपर वे विश्वास रखें।

परन्तु ऐसा न करके यदि वे मुझे मारना चाहें, तो भले मार डालें, पर गाधीवादको वे नष्ट नही कर सकते। यदि सत्यको मिटाया जा सकता है तो गाधीवादको भी मिटाया जा सकता है। अगर अहिंसा नष्ट हो सकती है, तो गाधीवाद भी नष्ट हो सकता है। क्योकि सत्य और अहिंसाके जरिए स्वराज्य प्राप्त करनेके सिवा गांधीवाद और है ही क्या? क्या सत्य और अहिंसा द्वारा प्राप्त स्वराज्यको नामजूर करेंगे? इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सिन्धके कार्यकर्त्ताओने जो अद्भुत काम किया है, वे उसे न विगाड़ें। उन कार्यकर्त्ताओने सिर्फ तीन हफ्तोमें यह कांग्रेस-नगर इसलिए खड़ा किया है कि किसानो, मजदूरो, भगियो—जिन्होने मिलकर इन पर्ण-कुटियोवाली नगरीको बनानेमें कन्धेसे-कन्धा मिला कर मेहनत की है—लूलो और अन्धो, भूखो और तृप्तो, पीड़ितो और कगालो, सबके लिए स्वराज्य शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो सके। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनके किये हुए सुन्दर कामको आप बिगाड़ियेगा नही।

यह बात मेरा ध्यान उस भयंकर खून-खराबीकी ओर ले जाती है जो कानपुरमें हो रही है। इसकी ज्यादातर वजह वह हिंसा है, जो हमने एक-दूसरेके लिए अपने दिलोमें भर रखी है। यह दीवारपर लिखे हुए अक्षरोकी तरह साफ है। हम मर्यादित अहिंसाका पालन जरूर कर सके है, पर हमने हृदयोमें हिंसाको पुष्ट किया है, हमने जबर्दस्ती करनेका गुनाह किया है। अखबारोसे पता चलता है कि भगतसिंहकी शहादतसे कानपुरके हिन्दू पागल हो गये, और भगतसिंहके सम्मानमें दुकान बन्द न करनेवालोको धमकाने लगे। नतीजा आपको मालूम ही है। मेरा विश्वास है कि अगर भगतसिंहकी आत्मा कानपुरके इस काण्डको देख रही है, तो वह अवश्य गहरी वेदना और शरम अनुभव करती होगी। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि मैंने सुना है कि वह अपनी टेकका पक्का था। और हमने कैसा कहर बरपाया है! स्त्रियोकी इज्जत लूटी गई है। बच्चोंका कत्ल हुआ है। वे बालक मुसलमान थे, यह सोच कर कोई हिन्दू सन्तोष न माने; वे हिन्दू थे, यह खयाल करके कोई मुसलमान राजी न हो। वे

किस धर्मके थे, यह मै नही जानता। लेकिन हमें इतना कबूल करना होगा कि हिन्दू और मुसलमान दोनो अपना आपा भूल गये थे। वे सब इस जन्मभूमिके बालक थे, एक ही मातृभूमिकी सन्तान थे।

इन खूंरेजीके कारनामोंसे मैं बेहद शर्मिन्दा हुआ हूँ। और जिनतक मेरी आवाज पहुँच सकती है, उन सबको पुकार कर कहना चाहता हूँ कि ये बातें किसी दिन मेरे लिए असह्य हो जायेंगी। जहाँ हिन्दू और मुसलमान एक दूसरेका गला काटते हों वहाँ हम किस बूतेपर यह दावा कर सकते हैं कि हम अहिंसक रहे हैं? इस तूफानकी लहर चारों ओर फैले, तो मेरे समान सत्यका उपासक कैसे यह मान सकता है कि एक राष्ट्रकी हैसियतसे हम अहिंसक हैं? यदि मैं इसे मानूँ, तो अपने को और अपने सरजनहारको दगा देनेवाला गिना जाऊँ। मेरे चारो ओर कत्लेआम हो रहा है, उस हालतमें मैं शान्त कैसे बैठ सकता हूँ? इसलिए मै सरेआम कहे देता हूँ कि ऐसी खून-खराबीका साक्षी बननेके बनिस्बत मै चाहता हूँ कि मुझमें अनशन करके मर-मिटनेकी हिम्मत हो। आप अबतक यह तो जान चुके होंगे कि गम्भीरता और स्वेच्छासे की गई प्रतिज्ञाओंका भंग होना मैं नही सह सकता।' व्यापारी और दूसरे लोग अपनी प्रतिज्ञा तोड़ें; जो अपनेको कांग्रेसी कहते है और कांग्रेसके प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत करते है, वे प्रतिज्ञाको दिलमें या सरे-आम भंग करें; इसे देखनेसे तो मैं मर जाना ज्यादा पसन्द करता हूँ। इस तरहका प्रतिज्ञा-भंग यदि मैं ठण्डे दिलसे देख सकूँ, तो दुनियाके सामने और अपने पैदा करनेवालेके सामने मैं कौन मुँह ले कर खड़ा रहूँ? वे तो मुझे कहेंगे कि तूने असत्यमय जीवन बिताया है, दम्भ और कपटसे पूर्ण जिन्दगी बिताई है। मै अपनेको और दुनियाको धोखा नही दे सकता। मेरे जीवनका एक-एक पल सत्य और अहिंसा द्वारा स्वराज्य हासिल करने की साधनाको अर्पण हो चुका है।

आप कहेंगे कि ऐसी घटनाएँ तो इतने वर्षोंसे हो रही हैं, और फिर भी उन्हें रोकनेके लिए मैंने कुछ भी नही किया। प्रायश्चित्त मेरे लिए यांत्रिक क्रिया नही है। जब अन्तरात्माकी आवाज कहे तभी मै प्रायश्चित्त करता हूँ। इन दिनों मेरे दिलमें क्या हो रहा है, आपसे कहता हूँ। ऐसी आन-बानका मौका शायद फिर न आये, क्योंकि या तो मैं बिलावजह क्षुब्ध हो रहा हूँ, या मुझमें सत्यको प्रत्यक्ष देखनेकी हिम्मत नहीं रह गई है। मुझे अपने सरजनहारके प्रति वफादार रहना है, इसलिए जिस घड़ी, जिस पल, मुझे जीवन असह्य मालूम होगा, मुझे उम्मीद है उस वक्त मैं पीछे न हटूँगा। जो शरीर विरोधीके दिलमें भाव जागृत करनेकी शक्ति खो बैठा हो, और सत्य-मार्गकी खोजमें रुकावट डालने लगा हो, उसका स्वेच्छासे त्याग करनेके सिवा और दूसरा अच्छा बदला मै क्या दे सकता हूँ?

गांधीजी भाषण पूरा करनेको थे कि इतनेमें यह सवाल[१] पूछा गया। पूछनेवालेका आशय गड़े मुर्दे उखाड़नेका न था। उसने इसी इरादेसे सवाल पूछा था कि लोग सब बात जान सकें। गांधीजीने जवाब देते हुए कहा:

१. साधन-सूत्रमें अनुच्छेद शीर्षकके रूपमे छपा प्रश्न: "आपने भगतसिंहको बचानेके लिए क्या किया?"

मैं अपना बचाव करनेके लिए नहीं बैठा था, इसलिए मैंने आपको विस्तारसे यह नहीं बताया कि भगतसिंह और उनके साथियोंको बचानेके लिए मैंने क्या-क्या किया। मैं वाइसरायको जिस तरह समझा सकता था, उस तरहसे मैंने समझाया। समझानेकी जितनी शक्ति मुझमें थी, सब मैंने उनपर आजमा देखी। भगतसिंहकी परिवारवालोंके साथ निश्चित आखिरी मुलाकातके दिन, अर्थात् २३ मार्चको सवेरे मैंने वाइसरायको एक खानगी खत[1] लिखा। उसमें मैंने अपनी सारी आत्मा उँडेल दी थी, पर सब बेकार हुआ। आप कहेंगे कि मुझे एक बात और करनी चाहिए थी :– सजाको घटानेके लिए समझौतेमें एक शर्त रखनी चाहिए थी। ऐसा हो नहीं सकता था। और समझौता वापस ले लेनेकी धमकी देना तो विश्वासघात कहा जाता। कार्य-समिति इस बातमें मेरे साथ थी कि सजा घटानेकी शर्त समझौतेकी शर्त नहीं हो सकती। इसलिए मैं इसकी चर्चा तो सुलहकी बातोंसे अलग ही कर सकता था। मैंने उदारताकी आशा की थी। मेरी वह आशा सफल होनेवाली न थी, पर इस कारण समझौता तो कभी नहीं तोड़ा जा सकता।

और मनुष्यकी शक्ति-भर प्रयत्न मैंने अकेलेने ही नहीं किया। पूज्य पण्डित मालवीयजी और डाक्टर सप्रूने भी अपनी शक्ति-भर प्रयत्न कर देखा। पर इस निष्फलतामें हम चिन्तातुर क्यों हों? सफलता ईश्वरके हाथकी बात है। अपनी निष्फलतामें हमें अधिक प्रयत्न करनेकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। इस प्रयत्नका अर्थ यह है कि हम अपने प्रति सत्यनिष्ठ बनें, हिन्दू और मुसलमान भाइयोंकी तरह हृदयकी एकताके साथ रहनेका निश्चय करें, व्यापारी और दूसरे लोग स्वेच्छासे की हुई प्रतिज्ञाका पालन करें, और कार्यकर्त्ता विचार, वाणी और व्यवहारमें हिंसाका त्याग करें। ईश्वर हमें अपने-आपको सुधारनेमें सहायता दे। स्वयं अपने प्रति और उसके प्रति सत्यनिष्ठ रहनेकी हमें वह शक्ति प्रदान करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १२-४-१९३१

१. देखिए पृष्ठ ३५३-५४।

४०२. पत्र : रुक्मिणी बजाजको

करांची
२७ मार्च, १९३१

चि० रुक्मिणी,

तेरा पत्र मिला है। मुझसे सदा ही पत्रकी आशा मत रखा कर। तू बराबर लिखती रह। मैं तो ४ तारीखको दिल्ली पहुँचूंगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। सब आनन्दसे हैं। राधाका स्वास्थ्य ठीक रहता है। केशू यहीं आ गया है।

प्रभावती
कृते बापू

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२९३) की प्रतिसे।
सौजन्य : बनारसीलाल बजाज

४०३. भेंट : कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओंसे

कराची
२७ मार्च, १९३१

बताया गया है कि गांधीजीने भेंट करनेवाले कार्यकर्त्ताओंसे अपनी बातचीतके दौरान संघ [फैडरेशन] के प्रश्नके बारेमें अपना यह विचार व्यक्त किया कि कांग्रेसको चाहिए कि वह कड़ी शर्तें न लगाये क्योंकि राजे-महाराजे संकोचशील हैं और हो सकता है कि वे डर जायें। कांग्रेस पहलेसे बहुत ज्यादा शर्तोंपर आग्रह करने लगे और राजे-महाराजे साथ छोड़ दें, वे ऐसा नहीं होने देंगे। परन्तु आवश्यकता पड़ी तो वे राजा-महाराजाओंपर अपने प्रभावका उपयोग उन्हें यह महसूस करानेके लिए अवश्य करेंगे कि रियासतोंमें रहनेवाले लोगोंकी माँगोंको उचित सीमातक पूरी करना आवश्यक है।

गांधीजी अब भी यह महसूस करते हैं कि साम्प्रदायिक समझौतेके बारेमें उनको अभीतक कोई निश्चित मार्ग नहीं दिख पाया है और उनका विचार है कि ज्यादा उपयुक्त यही रहेगा कि कांग्रेस इसके बारेमें अभी निश्चित रूपसे कुछ न कहे।

आज गांधीजीसे सबसे पहले मिलनेवालोंमें श्री सुभाषचन्द्र बोस और श्री सत्यमूर्ति थे। दोनोंने जोर डाला कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनके सिलसिलेमें सजा पाये हुए सारे कैदियोंकी रिहाईके लिए आग्रह किया जाये। श्री सुभाषचन्द्र बोसने इससे भी आगे बढ़कर बंगालके सारे कैदियोंकी रिहाईके लिए आग्रह करनेको कहा।

बताया गया है कि गांधीजीने उनको आश्वस्त कर दिया है कि इन मामलोंमें स्पष्ट शर्तें लगानेकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वाइसरायके साथ बातचीतके दौरान उन्होंने हमेशा ही इन बातोंपर जोर दिया है और उन्हें सन्तोष है कि कुछ समय बाद सारे ही कैदी रिहा कर दिये जायेंगे। प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों या स्थानीय अफसरशाहीकी टालमटोलके कारण कुछ देर हो सकती है। उपयुक्त समयके बाद भी यदि कांग्रेसको ऐसा लगे कि समझौतेके अन्तर्गत सारे कैदी रिहा नहीं किये गये, तो समझौता भंग करना निश्चय ही उचित जान पड़ेगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २८-३-१९३१

४०४. भाषण : कानपुरके दंगोंपर, कराची कांग्रेसकी विषय-समितिमें[1]

२७ मार्च, १९३१

दोषी कौन है, यह तय करनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम यह तथ्य भूल जायें कि हम हिन्दू और मुसलमान हैं। हम याद रखें कि हम भारतीय हैं। कानपुरकी लज्जास्पद घटना सारे भारतके लिए लज्जाजनक है। जहाँतक हिन्दुओंका सम्बन्ध है, समाचारपत्रोंका कहना है कि यह हो सकता है कि कसूर हिन्दुओंका ज्यादा हो। पर यह सारा हत्याकाण्ड किसलिए? हम इतने पागल कैसे हो सकते हैं? मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि खबर है कि गणेशशंकर विद्यार्थी लापता हैं; सम्भवत: वे मार डाले गये हैं। ऐसे सच्चे, उत्साही और नि:स्वार्थ साथीकी मृत्युपर किसे शोक नहीं होगा? परन्तु इस मामलेका दूसरा पहलू भी है। इसकी अपेक्षा कि कई छोटे-मोटे हिन्दू मारे जायें, क्या यह अधिक ठीक नहीं कि गणेशशंकर जैसे नेताकी हत्या कर दी गई? क्या अनेक असहाय मुसलमानोंकी मौतकी अपेक्षा शान्ति और एकताके हितमें डा० अन्सारीकी मौत ज्यादा स्वागत-योग्य नहीं है? यह इसलिए कि डा० अन्सारीके शरीरमें छुरा घोंपनेसे ऐसा कुछ लगेगा जैसे हम सबके शरीरमें छुरे घोंप दिये गये हों। इसलिए यह सौभाग्यकी बात है कि गणेशशंकर विद्यार्थीने, जो अपनी साम्प्रदायिक निष्पक्षताके लिए प्रसिद्ध थे और जिनका अपना व्यक्तित्व महान था, और जो वहांके अग्रणी कार्यकर्त्ता थे, शान्तिके हितमें अपने प्राण दे दिये। उनके महान उदाहरणसे हम सबको प्रेरणा मिले। हम अपने कर्त्तव्यके प्रति सचेत हो जायें। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस मामलेपर गम्भीरतासे चिन्तन करें और इस विकट प्रश्नको सुलझानेमें सहायता करें। कानपुरकी लज्जास्पद

१. महादेव देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत।

घटनासे हम सबक सीखें कि ३०० पुरुषों या महिलाओंके प्राण त्यागसे भी यदि स्थायी शान्ति प्राप्त हो सके तो यह कोई बड़ी कीमत नहीं है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २-४-१९३१

४०५. बातचीत: लाल कुर्तीधारी नौजवान भारत सभाके प्रतिनिधि-मण्डलसे[1]

[२७ मार्च, १९३१][2]

लाल कुर्ती दलके कुछ प्रतिनिधि शिष्टमण्डलके रूपमें गांधीजीसे मिलने आए और उन्होंने गांधीजीसे जी खोल कर बात की। उन्होंने बताया कि हम कभी आपको शारीरिक हानि नहीं पहुँचाना चाहते। आपका जीवन और स्वास्थ्य हमारे लिए भी उतना ही बहुमूल्य है जितना किसी औरके लिए। वैयक्तिक आतंकवाद हमारा पन्थ नहीं है। हम समझौतेके बारेमें अपने विरोधपर डटे हुए हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि यह समझौता हमें भारतमें मजदूरों और किसानोंके स्वतन्त्र गणतन्त्रके उद्देश्यकी ओर कभी नहीं ले जायेगा। गांधीजीने कहा:

किन्तु, मेरे प्रिय युवा पुरुषो, आप बिहारमें जायें और वहाँ देखें कि मजदूरो और किसानोंका गणतन्त्र चल रहा है। दस साल पहले वहाँ भय और गुलामी थी, अब उत्साह और बहादुरी है और गलत कामोंका विरोध है। यदि आप चाहें कि पूँजी मिट जाए या आप यह चाहते हों कि कहीं भी धनिक और पूँजीपति न रहें तो उसमें आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको तो यह करना चाहिए कि आप पूँजीपतियोंको मजदूरोंकी शक्तिका ज्ञान कराएँ; तब वे अपने लिए परिश्रम करनेवाले मजदूरोंके ट्रस्टी बननेपर सहमत हो जायेंगे। मैं मजदूरों और किसानोंके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता कि उन्हें पर्याप्त भोजन, रहनेको अच्छे घर और पहननेके लिए कपड़ा मिले और वे आत्मसम्मानके साथ किंचित आरामका जीवन बिता सकें। जब हालात ऐसे हो जायेंगे तो उनमें से प्रखर बुद्धिवाले मजदूर अपने अन्य साथियोंकी अपेक्षा निश्चय ही ज्यादा सम्पत्ति जुटा लेंगे। परन्तु मैं जो-कुछ चाहता हूँ, वह मैंने आपको बता दिया है। मैं चाहता हूँ कि अमीर लोग अपनी सम्पत्तिको गरीबोंकी धरोहरके रूपमें अपने पास रखें या गरीबोंके लिए अपनी सम्पत्ति त्याग दें। क्या आपको मालूम है कि मैंने टॉल्स्टाय-फार्मकी स्थापनाके समय अपनी सारी सम्पत्ति छोड़ दी थी? रस्किनके 'अनटु दिस लास्ट' से प्रेरणा मिली और उसी पद्धति पर मैंने यह फार्म बनाया। अब आप मानेंगे कि मैं एक प्रकारसे आपके किसानों और

१. कराचीमें; महादेव देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठी" से।
२. बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-३-१९३१ से।

मजदूरोंके गणतन्त्रका संस्थापक सदस्य हूँ। सम्पत्ति और काम दोनोंमेंसे आप किसको अधिक महत्त्व देते हैं? कल्पना कीजिए कि आप सहाराके रेगिस्तानमें भटक जाएँ और आपके पास ढेरका-ढेर पैसा हो तो इससे आपका क्या बनेगा? परन्तु यदि आप काम करें तो आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो फिर पैसेको कामपर तरजीह कैसे दी जा सकती है? आप स्वयं जाकर अहमदाबादके मजदूर-संघके कामको देखें कि वे किस तरह अपना गणतन्त्र स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं।

प्र० — महात्माजी, पंजाबमें तो गुण्डाराज है। आपको हृदय-परिवर्तन कहाँ दिखाई देता है?

परन्तु मैंने यह कभी नहीं कहा कि सरकारका हृदय-परिवर्तन हो गया है।

तो आपने लॉर्ड इर्विनको इस तरहका प्रमाणपत्र क्यों दिया?

उसी तरह जैसे मैंने आप लोगोंको प्रमाणपत्र दे दिया है। यद्यपि अपने विरुद्ध आपकी कार्रवाईका मैं अनुमोदन नहीं करता तो भी मैंने आपके आत्मसंयमकी सराहना की है। उसी तरह लॉर्ड इर्विनकी स्पष्टवादिता, सहृदयता और मित्रताकी भावना मुझे प्रशंसनीय लगी और मैंने उनकी सराहना की। ऐसा करना मेरे लेखे असाधारण बात नहीं है। इसमें हृदय-परिवर्तनका कोई प्रश्न नहीं है। समझौतेको मैंने हृदय-परिवर्तनका द्योतक कभी नहीं माना; इसलिए प्राणदण्ड दिये जानेसे स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं आया। परन्तु यदि सरकारने सजाओंमें छूट दे दी होती, तो मैं सरकारको उसका श्रेय अवश्य देता।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २-४-१९३१

४०६. भाषण: अस्थायी समझौतेपर, विषय समितिकी बैठकमें[1]

[२८ मार्च, १९३१][2]

गांधीजी अस्थायी समझौतेके प्रस्तावपर[3] विषय समितिकी बैठक और अधिवेशनमें[4] दोनों जगह बोले। विषय समितिमें उनका जो अंग्रेजीमें भाषण हुआ उसका विवरण इस प्रकार है:

यद्यपि यह प्रस्ताव आपके सामने अत्यन्त संक्षिप्त रूपमें है, फिर भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि यह सर्वांगीण है और पूर्ण स्वतन्त्रतामें विश्वास करनेवाला आदमी

१. महादेव देसाईके "मुख्य प्रस्तावोंपर गांधीजी" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित विवरणसे उद्धृत।
२. हिन्दू, २९-३-१९३१ से।
३. प्रस्तावके मूल पाठके लिए देखिए "प्रस्ताव: अस्थायी समझौतेपर", २९-३-१९३१।
४. देखिए "भाषण: कराची कांग्रेसमें अस्थायी समझौतेपर", ३०-३-१९३१।

जो कठिनतम परीक्षा निर्धारित कर सकता है, उसमें यह पूरा उतरेगा। इस प्रस्तावसे परिषदकी बहसमें भाग लेनेवाले किसी भी शिष्टमण्डलका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह कांग्रेसके उद्देश्यको, पूर्ण स्वराज्यके कांग्रेसके ध्येयको — जैसी कि उसकी व्याख्या लाहौर प्रस्तावमें की गई थी — ध्यानमें रखें; मद्रास-प्रस्तावके अनुसार नही, जहाँ केवल उसकी कामना ही व्यक्त की गई थी। आज पूर्ण स्वराज्य कोई मंगल-कामना नही रह गई है। पूर्ण स्वराज्य राष्ट्रकी आत्माकी अनवरत और तीव्र उत्कण्ठा है, वह इसे पानेके लिए अधीर है और उसने अपनी इस अधीरताका प्रदर्शन पिछले बारह महीनोंमें किया है। शिष्टमण्डलको परिषदमें होनेवाली किसी भी बातसे सहमत होनेके लिए इसी उद्देश्यको सर्वप्रथम अपने सामने रखना है। परन्तु इतना ही काफी नही है। पूर्ण स्वराज्यकी कुछ रूपरेखा या संकेत यहाँ आवश्यक मानकर दिया गया है, इसलिए यह आपके शिष्टमण्डलका कर्त्तव्य है कि वह रक्षा-सेनाएँ आदि [घटकों] पर नियन्त्रण प्राप्त करे।

परन्तु जिसे आप फंदा या दावपेंच कहेंगे, वह प्रस्तावके अन्तिम भागमें छिपा हुआ है: "कांग्रेस शिष्टमण्डल भारतके हितमें जो व्यवस्थाएँ जरूरी माने, उन्हे स्वीकार करनेके लिए स्वतन्त्र होगा।" अब यह एक फंदा हो सकता है और सम्भव है यह कोई फंदा न हो। यदि आप अपना शिष्टमण्डल अच्छी तरह चुनें और उसपर विश्वास करें तो इसमें कोई फँसनेका सवाल नही है। फँसना इसलिए सम्भव है कि व्यवस्थाएँ वास्तवमें यहाँ संरक्षणोंकी समानार्थी है। संरक्षणोंका सिद्धान्त समझौतेकी शर्तोमें स्वीकार किया गया है, परन्तु जो संरक्षण स्वीकार किये जायें, वे भारतके हितमें होने चाहिए और जैसा बहुत-से संशोधनोंमेंसे एकमें सुझाया गया है, वे पूर्ण रूपसे ही नही, अपितु प्रत्यक्ष रूपमें भी जरूरी होने चाहिए। हमारे उद्देश्यके लिए 'प्रत्यक्ष रूपसे' कहना 'पूर्ण रूपसे' कहनेसे ज्यादा अच्छा है। संरक्षणोंका मैं जो अर्थ समझता हूँ, वह मैंने अन्यत्र[1] विस्तारपूर्वक बताया है और यहाँ उसकी चर्चा नही करूँगा।

यह कह चुकनेके बाद मैं, दूसरे जिस संशोधनका सुझाव दिया गया है कि शिष्टमण्डलके सदस्य जो भी कार्यवाही करें, उसका कांग्रेसकी विशेष बैठक द्वारा या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, उसके बारेमें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपके सामने अपनी सारी शक्तिसे यह सुझाव देनेका साहस करता हूँ कि यह [संशोधन] केवल अनावश्यक ही नही है, अपितु उस कांग्रेसके लिए अशोभनीय भी है जो कांग्रेस पिछले ४५ सालोंसे उत्तरोत्तर प्रगति करती आ रही है और भारतमें जिसके समान सम्मान अन्य संगठनको नहीं मिला और जिसने अब सारे संसारमें भी वैसा ही सम्मान प्राप्त कर लिया है। निश्चित रूपसे यह कांग्रेस इतनी तुच्छ नही है कि ऐसे प्रतिनिधि न भेज सके, जो उसका किसी सम्मेलन अथवा किसी सभामें पूरी तरह प्रतिनिधित्व कर सकें। इसलिए यदि आप अपना शिष्टमण्डल भेजें तो शिष्टमण्डलके पास ऐसे अधिकार होने चाहिए मानो सारी कांग्रेस ही वहाँ उपस्थित हो। इसके बिना हमारे सामने जो मामले हैं, वे सुलझाये नही जा सकते। हमारा दल बहुत-से

१. देखिए "भेंट: पत्रकारोंसे", ६-३-१९३१।

दलोंमें से एक होगा। जो लोग सम्मेलनमें जाते हैं, उनके बारेमें यह आशा की जाती है कि उनकी संस्थाका उनपर पूर्ण विश्वास है और उन्हें अपने नेताओंको प्रतिज्ञाबद्ध करनेके पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु यदि वे वहाँ जायें और उन्हें यह कहना पड़े कि हम यहाँ आये हैं, हम बात करेंगे परन्तु हम अपनी बातोंसे अपने नेताओंको नहीं बाँध सकते, हमें अपने नेताओंसे सलाह करनी होगी — तो यह प्रक्रिया बहुत लम्बी, कष्टकर और उद्दिष्ट लक्ष्यके लिए पूरी तरह निरर्थक हो जाती है। इसलिए यह निहायत जरूरी है कि जैसा सुझाव दिया गया है, वैसी कोई शर्त न रखी जाये।

कांग्रेसकी भीतरी स्थिति क्या है? मध्यस्थ समितियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कार्य-समितिके सन्दर्भमें कांग्रेसकी क्या स्थिति है? यद्यपि कांग्रेसकी ओरसे मुख्तारीके अधिकार समितियोंको दिये गये हैं, फिर भी कांग्रेस उनके प्रस्तावोंको अस्वीकृत करनेके अधिकारसे कभी अपने-आपको वंचित नहीं रख सकती। कोई भी संस्था या कोई संस्था-प्रमुख वास्तवमें अपने-आपको इस अधिकारसे वंचित नहीं रख सकता। आपके शिष्टमण्डलको जो मुख्तारीके अधिकार दिए जायेंगे, वे इस प्रस्तावके अन्तर्गत कार्यवाही करनेके लिए होंगे। आपका शिष्टमण्डल जबतक इस प्रस्तावकी सीमामें रहकर काम करता है, उसका प्रत्याख्यान करना अनुचित होगा। यदि वह सीमाका उल्लंघन करता है तो आपको ऐसा करनेका पूरा अधिकार होगा। यह एक चीज है। प्रभावपूर्ण प्रत्याख्यानकी जरूरत तब पड़ेगी जबकि वे देशद्रोह करें और आपको बेच दें, या वे इतना मूर्खतापूर्ण और नासमझीका काम करें कि उनके लिए जो जाल फैलाये गये हों, उन्हें न देख सकें और उनमें से किसी एकमें फँस जायें। तब भी माना जायेगा कि उन्होंने मुख्तारीके अधिकारोंकी सीमाका उल्लंघन किया है। उस स्थितिमें उन्होंने जो-कुछ किया हो, उसका प्रत्याख्यान करनेका आपको पूरा अधिकार होगा। और यह अधिकार सारे संसारके विरोधमें लागू हो सकता है। यदि आपके प्रतिनिधि आपने उन्हें जो अधिकार दिये हैं, उनसे बाहर जाकर काम करें तो आपको प्रत्याख्यानका पूरा अधिकार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह वैधानिक स्थिति है, इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि इस प्रस्तावके साथ पुनः समर्थनकी शर्त जोड़ना निष्प्रयोजन और अनावश्यक ही नहीं, वह आपके लिए अशोभनीय भी है। आप उनसे जो काम लेना चाहते हैं, इससे उसकी प्रगतिमें रुकावट पड़ेगी। इसलिए मुझे आशा है कि आप आगे किसी बहसमें पड़े बिना इस संशोधनको तो वापस ले ही लेंगे।

इस मंचसे अवसर मैंने जो चेतावनी दी है यदि आप उसे मानें तो मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि अपनी कार्य-समिति बनानेके बाद, आपकी कार्य-समिति जो प्रस्ताव पेश करे, उसके मजमूनमें बिना विचार किये उतावलीसे हस्तक्षेप न करें क्योंकि सब पक्ष-विपक्ष और सम्भवतः जो आपत्तियाँ प्रस्तावके कई एक भागोंके बारेमें उठाई जा सकती हैं, उनकी जाँच कर चुकनेका श्रेय कार्य-समितिको देना ही ठीक है। वास्तवमें यह आपका अपने वास्तुकारीके शिल्पमें हस्तक्षेप करने-जैसा होगा। परन्तु आप एक काम कर सकते हैं; वह यह कि आप अपने महत्त्वपूर्ण अधिकारका उपयोग कर सकते हैं

अर्थात् आप इस प्रस्तावको पूर्ण रूपसे अस्वीकार कर सकते हैं। भले ही यह प्रस्ताव एक पूर्ण इकाई है और इसलिए आप इसकी तफसीलोंमें हस्तक्षेप न कर सकें, फिर भी आपको इसे पूरी तरह रद कर देनेका अधिकार है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप वास्तवमें ऐसा समझते हैं कि आप कुल मिलाकर प्रस्तावसे सन्तुष्ट नही हैं, तो आप अपनी सारी शक्तियाँ, बुद्धि और सूझबूझ पूरी तरह बहसमें लगा दें और प्रस्तावको रद कर दें। इसलिए आपके पास यही विकल्प है कि या तो आप प्रस्तावको जिस रूपमें यह है, उसी रूपमें स्वीकार कर लें या रद कर दें, क्योंकि यह प्रस्ताव आपके विश्वस्त प्रतिनिधियोंने बहुत ध्यानसे और बहुत समय लगाकर, जो आप कभी नहीं कर सकते थे, तैयार किया है। एक कारण यह है कि आपके पास वक्त नहीं है और इतने ज्यादा लोग इस किस्मके प्रस्तावपर दिमाग लगा भी नही सकते। इसलिए जहाँतक इस प्रस्तावके विषयका सम्बन्ध है, यदि आप चाहें तो आप इसे फाड़कर फेंक दीजिए। चाहें तो आप पूरी तरह निर्मम होकर इसकी जाँच कर लें और यदि उसके बाद आप इस निर्णयपर पहुँचें कि कुछ भी हो, यह राष्ट्रके हितमें नही है तो इस प्रस्तावको नष्ट कर दीजिए। परन्तु यदि आप महसूस करते है कि समझौतेका समर्थन करनेसे राष्ट्रको हानि नहीं हो सकती बल्कि लाभ ही होगा तो ऐसा आप हिम्मतके साथ कहिए और इसके मुताबिक काम कीजिए। समर्थनका मतलब है इसके मुताबिक शत-प्रतिशत काम करनेके लिए ईमानदारीसे मेहनत करना। मैं नही चाहता कि आप इस प्रस्तावको कृपणतासे या अनमने भावसे स्वीकार करें या इसलिए स्वीकार करें क्योंकि इसके पीछे महात्मा है या इसके पीछे कार्य-समिति है। राष्ट्रके प्रतिनिधियोंके रूपमें आप पूरे विचार-विनिमयके बाद यदि इस निर्णयपर पहुँचें कि यह रद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपके मतमें यह समझौता विचार करने योग्य नहीं है या यह लोगोंके लिए बनाया गया जाल है, तो आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी और न ही दुनियाकी नजरमें आपका मान कम होगा। तब इसे रद करना आपका आवश्यक कर्त्तव्य हो जायेगा।

परन्तु ईश्वरके लिए आप अभी हालमें जो फाँसीकी सजाएँ हुई हैं, उन्हें अपने रास्तेमें मत आने दीजिए। ध्येयके प्रति बढ़नेमें, परिषदकी ओर आगे जानेमें उत्तेजित होनेके कई अवसर आयेंगे। कोई भी उत्तेजना आपको सही रास्तेसे विचलित न करे। किसी उत्तेजनासे आपकी निर्णय करनेकी शक्ति कमजोर न पड़े। अपनी अक्ल पूरी तरह और बिना पूर्वाग्रहके इस्तेमाल कीजिए। समझौतेकी जाँच उसके अपने गुणावगुणोंके आधारपर कीजिए। इस बातपर मत जाइये कि सन्धिवार्त्ता और अस्थायी समझौतेके अन्तर्गत सारे कैदी अभी रिहा नही किये गये हैं। उसकी आपको चिन्ता नहीं होनी चाहिए। यह देखना कार्य-समितिका काम है कि वे सब लोग जो सन्धिवार्त्ताके अन्तर्गत आते हैं, रिहा किये जाते हैं या नही। यदि सन्धिवार्त्ताके अन्तर्गत एक भी कैदी जेलके अन्दर रह जाता है तो यह कार्य-समितिके मानका प्रश्न है; तब वह सन्धि-वार्त्ताको भंग कर सकती है। इसलिए किसी प्रासंगिक विषयको लेकर आप अपने पथसे विचलित न हों। आपको अपना ध्यान इसपर केन्द्रित करना चाहिए।

समझौतेका क्या महत्त्व है? समझौतेसे कांग्रेसको अपना अधिकार काममें लानेकी कितनी गुंजाइश मिलती है? इस प्रस्तावसे शिष्टमण्डलको जो अधिकार मिलते हैं, वे उसे अनजाने ही सही, आगे जानेकी कितनी गुंजाइश देते हैं? यदि आपको लगे कि शिष्टमण्डलको बाध्य करनेकी दृष्टिसे यह पर्याप्त रूपसे व्यापक नहीं है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप इस प्रस्तावको एकदम रद कर दें।

अंग्रेजी-भाषी लोगोंको मैं चेतावनी देता हूँ कि अगले साल वे एक भी वक्ताको अंग्रेजीमें बोलनेपर मजबूर न करें। मैं आशा करता हूँ कि अगले साल वे सभाकी कार्यवाहीको समझनेके लिए पर्याप्त मात्रामें हिन्दुस्तानी सीखे होंगे और उस भाषामें अपने विचार सही रूपसे व्यक्त कर सकेंगे। हर दिन और हर साल हम ही लोगोंको हिन्दुस्तानीको अन्तर्प्रान्तीय व्यवहारकी समान भाषा माननेका अभ्यस्त करते आये हैं। अब उस मार्गसे कदम वापस लेने और विराट सभाओंको अंग्रेजी [में भाषण सुनने-समझने] का अभ्यस्त बनानेका समय कभीका बीत चुका है।[1]

इस मामलेमें[2] अपने विचार मैंने समझौतेके तुरन्त बाद समाचारपत्रोंको दिये गये वक्तव्यमें प्रकट कर दिये थे। स्वाभाविक है कि इस मामलेमें राजा-महाराजा तुनुकमिजाज है और जहाँतक बने, हम उनकी भावनाओंको ठेस न पहुँचाएँ। हम यह बात स्पष्ट कर दें कि जनता और राजाओंके संघका तभी कुछ प्रयोजन होगा, जब राजा-महाराजा जनताका मन जीतनेके लिए झुके और अपने-आपको लोगोंके स्तरपर ले आयें। हम अंग्रेजोंसे भी ऐसा ही तो कहते हैं कि वे शिमलाकी ऊँचाइयोंसे मैदानोंपर उतर आयें। परन्तु हम उन्हें इस बारेमें कोई चुनौती नहीं देना चाहते। हम उनपर इतना विश्वास करेंगे और मानेंगे कि वे समयको पहचान कर चलेंगे। मुझे निश्चय है कि यदि हम बाकी बातोंमें सफल हो जायें तो राजाओंके कारण कोई कठिनाई नहीं होगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ९-४-१९३१

१. इस अनुच्छेदको रिपोर्ट ऑफ द फॉर्टीफिफ्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पृष्ठ १०४-५ से उद्धृत किया है। साधन-सूत्रमें इसके बादका अनुच्छेद गांधीजीके हिंदी भाषणसे अनूदित करके रखा गया है।

२. संघीय व्यवस्थाके सम्बन्धमें; देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", ५-३-१९३१।

४०७. भगतसिंह

वीर भगतसिंह और उनके दो साथी फाँसीपर चढ़ गये। उनकी देहको बचानेके बहुतेरे प्रयत्न किये गये, कुछ आशा भी बँधी, पर वह व्यर्थ हुई।

भगतसिंहको जीवित रहनेकी इच्छा नहीं थी; उसने माफी माँगनेसे इनकार किया। अर्जी देनेसे इनकार किया। यदि वह जीते रहनेको तैयार होता तो वह या तो दूसरोंके लिए काम करनेकी दृष्टिसे होता या फिर इसलिए होता कि उसकी फाँसीसे कोई आवेशमें आकर व्यर्थ ही किसीका खून न करे। भगतसिंह अहिंसाका पुजारी नहीं था, पर वह हिंसाको भी धर्म नहीं मानता था; वह अन्य उपाय न देखकर खून करनेको तैयार हुआ था। उसका आखिरी पत्र इस प्रकार था: "मैं तो लड़ते हुए गिरफ्तार हुआ हूँ। मुझे फाँसी नहीं दी जा सकती। मुझे तोपसे उड़ा दो, गोलीसे मारो।" इन वीरोंने मौतके भयको जीता था। इनकी वीरताके लिए इन्हें हजारों नमन हों।

पर उनका कार्य अनुकरणीय नहीं है। मैं यह माननेको तैयार नहीं कि उनके कामसे देशको लाभ हुआ है। नुकसान तो देख रहा हूँ। यह प्रवृत्ति न होती और अगर हम केवल अहिंसक युद्ध लड़ सके होते तो स्वराज्य कभीका मिल गया होता। मेरे इस अनुमानके बारेमें मतभेद भले हो, पर इस बातसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर हमारे यहाँ किसीकी हत्या करनेवालेकी प्रशंसा करना रूढ़ हो जाये तो जिसे हम न्याय समझते हैं, उसके लिए एक-दूसरेका खून करने लगें। जिस देशमें करोड़ों कंगाल और अपाहिज लोग हों, उस देशमें यह स्थिति भयानक होगी। हमारे बल-प्रयोगका असर इन गरीबोंपर पड़े बिना नहीं रहेगा। यह उचित है कि सब इसके परिणामको सोच लें। और हम तो इन गरीबोंका स्वराज्य माँगते हैं, और इनके ही लिए माँगते हैं। हिंसाको धर्म बनाना तो अपने हाथसे पाँवपर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।

इसलिए इन वीरोंकी वीरताकी स्तुति करते हुए भी इनकी प्रवृत्तिको हम कदापि सहन न करें।

सरकारने फाँसी देकर अपना पशु-स्वभाव प्रकट किया है, लोकमतका तिरस्कार कर सत्ताके मदका ताजा प्रदर्शन किया है। इस फाँसीसे यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि सरकारकी नीयत जनताको सच्ची सत्ता सौंप देनेकी नहीं है। सरकारको फाँसी देनेका अधिकार था जरूर, पर कई अधिकारोंकी शोभा इसीमें है कि वे सिर्फ थैलीमें बन्द पड़े रहें; उनका प्रयोग न किया जाये। अन्तमें तो सारे अधिकार नष्ट ही होने हैं। इस वक्त अगर सरकारने अपने अधिकारका उपयोग न किया होता, तो वह शोभा देता और शान्ति-रक्षामें उससे बड़ी सहायता मिलती।

पर यह जाहिर है कि अभीतक सरकारमें इतनी विवेक-शक्ति नहीं आई है। सरकारने जनताको क्रोधित होनेका स्पष्ट अवसर दे दिया है। लोग क्रोधित होंगे

तो हाथमें आई बाजी खो बैठेंगे। कई अधिकारी तो मनसे ऐसा चाहते भी होंगे। वे चाहें या न चाहें, हमारा मार्ग सीधा है। समझौता करते समय भगतसिंहकी फाँसीकी सम्भावना आँखोंके आगे ही थी। हमें आशा थी कि सरकार उनकी और उनके साथियोंकी सजा माफ करनेकी शिष्टता दिखायेगी। इस आशाके पूरा न होनेपर भी हम अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ें, बल्कि इस चोटको सहकर प्रतिज्ञाका पालन करें। ऐसी कठिन परिस्थितिमें भी प्रतिज्ञाका पालन करनेसे इच्छित वस्तुको पानेकी हमारी शक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। प्रतिज्ञा भंग करनेसे अर्थात् समझौतेको तोड़नेसे हमारा तेज कम होगा, शक्ति घटेगी और ध्येय तक पहुँचनेमें जो कठिनाइयाँ हमारे मार्गमें हैं, उनमें वृद्धि होगी। इसलिए गुस्सेको पीकर समझौतेपर डटे रहना और कर्त्तव्यका पालन करना ही हमारा धर्म है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-३-१९३१

४०८. अन्सारीकी धर्मशाला

वैसे तो डा० अन्सारीकी उदारताका मुझे पर्याप्त अनुभव हो चुका था; पर इस बार मेरी दिल्ली-यात्रामें उनके घर मुझे इसका अधिक अनुभव हुआ। उनका आग्रह था कि कार्य-समितिके सभी सदस्य उन्हींके यहाँ ठहरें। इन सदस्योंके सिवाय दूसरे मेहमान तो थे ही; इसके लिए उनका विशाल बंगला छोटा पड़ गया और उसके मैदानमें तम्बू तानने पड़े। रोज लगभग सौ मेहमान उनके यहाँ खाना खाते होंगे। एक ओर उनकी बढ़ी-चढ़ी प्रैक्टिस और उसमें लगनेवाला समय था, दूसरी ओर राजा-महाराजाओंके आदमियोंकी आमद-रफ्त और तीसरी ओर इतने मेहमानोंकी खातिरदारी और कांग्रेसके कार्योंके सम्बन्धमें बातचीत। इतना सब होते हुए भी मैंने डा० अन्सारीको किसी दिन चिन्ताग्रस्त, अधीर या क्रोधके आवेशमें नहीं देखा। इतने मेहमानोंकी आवभगत करते हुए साधारण मनुष्य तो हार ही जाये, पर डाक्टर अन्सारीको मैंने कभी हारा-थका नहीं पाया।

ऐसी सुन्दर व्यवस्थाका क्या कारण होगा? इसका कारण बेगम अन्सारी हैं। एक दिन मैंने डाक्टर अन्सारीसे बेगम साहिबाके सामने पूछा: "इतने मेहमान यहाँ खाना खाते हैं तो भी आप सबकी देखभाल किस तरह कर पाते हैं?" उन्होंने कहा: "यह सब बेगम साहिबाका प्रताप है। मैं तो जितना पैसा कमाता हूँ, इन्हें सौंप देता हूँ। ये बहुत अच्छी उर्दू जानती हैं। पाई-पाईका हिसाब रखती हैं। जो इच्छा होती है, मँगाती हैं, इच्छानुसार खर्च करती हैं, इसलिए घर चलानेकी चिन्ता मैंने कभी की ही नहीं।" यह सुनकर मेरा सर बेगम अन्सारीके सामने झुक गया। हिन्दू और मुसलमानोंमें ऐसी एक ही स्त्री नहीं है; न जाने कितनी जगह ऐसे रत्न छुपे पड़े होंगे। इतना ही है कि हम उन्हें नहीं जानते।

पाठक यह जानकर खुश होंगे कि डा० अन्सारीके घर दो रसोईघर चलते हैं। निरामिष आहार करनेवालोंके लिए ब्राह्मण रसोइये जुदा भोजन बनाते हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-३-१९३१

४०९. तार: छोटूभाईको

२९ मार्च, १९३१

छोटूभाई,
जम्बूसर (भड़ौंच जिला)

आपका तार मिला। सर पुरुषोतमदासको पूरा विवरण भेज दो। दुबारा बिक्री रोकनेकी कोशिश करो।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

४१०. तार: छोटेलालको

२९ मार्च, १९३१

छोटेलालजी
सत्याग्रहाश्रम
वर्धा (म० प्र०)

तुम्हारा पत्र मिला। बालकृष्णकी हालत लिखो। दूसरी [अप्रैल] तक यहाँ हूँ।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १६९२४)की माइक्रोफिल्मसे।

४११. प्रस्ताव: भगतसिंह और उनके साथियोंके सम्बन्धमें[1]

२९ मार्च, १९३१

यह कांग्रेस किसी भी रूप अथवा प्रकारकी राजनीतिक हिंसासे अपना सम्बन्ध न रखते हुए और उसका समर्थन न करते हुए स्वर्गीय भगतसिंह और उनके साथी सर्वश्री सुखदेव और राजगुरुके बलिदान और बहादुरीकी प्रशंसाको अभिलेखबद्ध करती है और इनकी जीवन-हानिपर शोकातुर परिवारोंके साथ शोक प्रकट करती है। कांग्रेसकी राय है कि इन तीनोंको फाँसीपर लटकाना अत्यंत निम्न प्रतिशोधका कृत्य है और इस तरह सजा कम करनेकी राष्ट्रकी सर्वमुखी माँगका जानबूझकर निरादर किया गया है। इस कांग्रेसकी यह भी राय है कि सरकारने दो राष्ट्रोंके बीच अत्यन्त आवश्यक सद्भाव बढ़ानेकी इस घड़ीका, और जो दल निराश होकर राजनीतिक हिंसाका सहारा लेता है, उसे शान्तिके मार्गपर लानेका सुनहरा मौका खो दिया है।

[अंग्रेजीसे]

४५ वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी रिपोर्ट

४१२. प्रस्ताव: अस्थायी समझौतेपर[2]

[२९ मार्च, १९३१][3]

कार्य-समिति और भारत-सरकारके बीच हुए अस्थायी समझौतेपर विचार करनेके बाद यह कांग्रेस उसका अनुमोदन करती है और यह बात साफ कर देना चाहती है कि कांग्रेसका पूर्ण स्वराज्यका उद्देश्य ज्योंका-त्यों बना हुआ है। जब कभी ऐसा मौका हुआ कि कांग्रेसके लिए ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधियोंके साथ किसी भी परिषदमें प्रतिनिधित्व करनेके लिए दूसरा रास्ता खुला तो कांग्रेस शिष्टमण्डल इस उद्देश्यके लिए और विशेष रूपसे सेना, विदेशी मामलों, वित्त और राजस्व तथा आर्थिक नीतिपर राष्ट्रका नियन्त्रण रखने, और भारतकी ब्रिटिश सरकारके लेन-देनकी निष्पक्ष न्याय-मण्डल द्वारा जाँच करवाने, और भारत या इंग्लैंड द्वारा अपने ऊपर लिये हुए उत्तरदायित्वोंका परीक्षण और निर्धारण करने, और हर एक पक्षको, इच्छा होनेपर, साझेदारी खत्म करनेका अधिकार दिये जानेके लिए काम करेगा। इसमें शर्त

१. इसका मसविदा गांधीजी द्वारा बनाया गया था; देखिए खण्ड ४६, पृष्ठ १। प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था।

२. ऐसा अनुमान है कि इसका मसविदा गांधीजी द्वारा तैयार किया गया था। इसे जवाहरलाल नेहरूने प्रस्तुत किया था।

३. देखिए "पत्र: जी० कनिंघमको", ४-४-१९३१।

यह होगी कि कांग्रेस-शिष्टमण्डल जो प्रत्यक्ष रूपमें भारतके हितमें हो, ऐसी व्यवस्थाको स्वीकार करनेके लिए स्वतन्त्र होगा।

कांग्रेस परिषदमें अपना प्रतिनिधित्व करनेके लिए महात्मा गांधीको नियुक्त करती है और उन्हें अधिकार देती है। कार्य-समिति उनके नेतृत्वमें[1] काम करनेके लिए जो सदस्य नियुक्त कर दे, उन्हें वे अपने साथ रख सकते हैं।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३४५) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: इण्डिया आफिस लाइब्रेरी

४१३. भाषण: कराची कांग्रेसमें, अस्थायी समझौतेपर

३० मार्च, १९३१

हमारे नौजवान भाइयों और बहनोंको समझौतेसे दुःख हुआ है। उनके लिए मेरे दिलमें सिवा प्रेमके और कुछ नहीं है। मैं उनके दुःखको समझ सकता हूँ। इस सन्धिके विषयमें उन्हें शंका करनेका पूरा हक है, इसलिए मेरे दिलमें उनके विरोधसे चिढ़ पैदा नहीं होती। गुस्सा भी नहीं आता। पहले हमने गोलमेज-परिषदका विरोध किया; यह भी कहते रहे कि उस परिषदमें कुछ भी न मिलेगा। अब ऐसा क्या हो गया है कि जिससे हमें ऐसा लगता है कि परिषदमें जानेसे कुछ लाभ होगा? मुझमें कोई जादू नहीं है, न कांग्रेसमें किसी प्रकारका जादू है, जिससे गोलमेज परिषदका मनोभाव बदल जाये और सब-कुछ प्राप्त हो जाये। इसलिए आप मुझसे यह अच्छी तरह सुन रखें कि मैं ऐसा वचन नहीं देना चाहता कि हमारे गोलमेज परिषदमें जानेसे पूर्ण स्वराज्य मिल जायेगा। मेरे दिलमें पूरा शक है, और कई बार दिलमें यह प्रश्न पैदा होता है कि इस परिषदमें जाकर हम क्या करेंगे? आज हम जो माँगते हैं, उसके और गोलमेज परिषदमें आजतक जो माँगें पेश की गई हैं, उनके बीचमें इतना बड़ा समुद्र फैला है कि यह शक दिलसे निकलता ही नहीं है कि वहाँ जाकर हम करेंगे क्या?

पर जो वस्तु परिस्थितिविशेषमें धर्म बन जाये, यदि उसे न करें, तो वह पाप होगा। सत्याग्रहका यह नियम है कि जिसके खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हों, उसके साथ यदि सलाह-मशविरा करनेका वक्त आये, तो सलाह-मशविरा करना चाहिए। हमारी यह कोशिश हो कि जिसे हम दुश्मन मानें उसके साथ मुहब्बत करके उसे जीत लें। इस तरह उसे जीतना सत्याग्रहीकी टेक होनी चाहिए। यदि उसमें यह बात न हो, बल्कि वैरभाव हो, ईर्ष्या-द्वेष हो, तो वह सत्याग्रही नहीं, दुराग्रही कहलायेगा। परन्तु कांग्रेसके ध्येय-मंत्रमें तो दुराग्रहको स्थान ही नहीं है; उसमें तो

१. कांग्रेस कार्य-समितिके २ अप्रैलके प्रस्ताव सं० ३ में लिखा था: ["अस्थायी समझौते पर] कांग्रेस प्रस्ताव सं० ५ के सन्दर्भमें कार्य-समितिकी यह राय है कि गोलमेज परिषदमें कांग्रेसकी ओरसे केवल महात्मा गांधी ही एकमात्र प्रतिनिधि होंगे।"

मात्र सत्य और अहिंसाको स्थान है। इसलिए यदि हम यह मानें कि जिसके खिलाफ सत्याग्रह किया है उसके साथ समझौता हो ही नही सकता, तो वह बड़ी भूल होगी। यह भूल दूर करनी चाहिए। यो मैं खुद इसके परिणामके विषयमें शंकित हूँ। तिस पर भी जब हमें निमंत्रण दिया गया है, जब हमें कहा जाता है कि आप क्या चाहते है, आकर हमसे कहिये, हमे समझाइये, लडते रहनेके बजाय हमें जानने दीजिये कि आपकी माँगें क्या हैं, तब हमारा और क्या कर्त्तव्य हो सकता था? ये शब्द प्रधान मन्त्रीके हैं। वाइसराय महोदयने भी ऐसे ही शब्द कहे हैं। मैं जब जेलमें था तब भी उन्होने कहलवाया था कि मैं जब उनसे मिलना चाहूँ, मिल सकता हूँ। बादमें उन्होंने भाषण किया; और उसके बाद हम छूटे। छूटने पर मैंने उन्हे पत्र लिखा, और परिणामस्वरूप उनसे मिलना तय हुआ। मुलाकात हुई और बातचीतके अन्तमें समझौता हुआ। इस समझौतेमे ऐसी एक भी बात नही है जिससे हमें शरमिन्दा होना पड़े। यहाँ मैं यह समझाना नही चाहता कि इस समझौतेमें अमुक चीज क्यो नही आती, और अमुक बात क्यों रह गई है। पर मैं आपको यह समझाऊँगा कि यह समझौता करना कार्य-समितिके लिए धर्म कैसे बन गया। जब सरकारने कार्य-समितिको छोडा, तब उसका यह धर्म हो गया कि या तो वह सविनय-अवज्ञा करके फिरसे जेल चली जाये, या कोई दूसरा काम करे। यदि हमने यह दूसरा तरीका न अपनाया होता और सविनय-अवज्ञा करके जेल चले गये होते, तो दुनियामें वाहवाही न होती, बल्कि हम बदनाम होते।

यह एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि हमने यह लड़ाई थक कर बन्द नही की है। स्वामी गोविन्दानन्दकी[1] बात मुझे पसन्द नही आई। उन्होने कहा है, 'हम तो एक वर्ष और लड़नेको तैयार थे।' मैं भी इस बातको मानता हूँ। मैं तो इससे भी आगे बढ़ कर कहता हूँ कि एक नही बल्कि बीस बरस तक हम यह युद्ध जारी रख सकते थे। हम तीस करोड हैं, जिनमें से एक करोड तो लड़ाई करते ही। और सत्याग्रही तो और सबोंके थक कर ऊब जानेपर भी अकेला ही लड़ता रहता है। इसलिए यह कहना ठीक नही कि हम थक गये थे इसलिए कार्य-समितिको समझौता करना पड़ा। इस प्रकार थक कर जो सत्याग्रह बन्द करता है, वह ईश्वरको धोखा देता है, कौमको धोखा देता है, देशको धोखा देता है। पर यह समझौता इस तरह नही हुआ। यह समझौता हुआ, क्योंकि इसे होना चाहिए था। हममें लडनेकी शक्ति थी, इसलिए लडते ही रहना चाहिए, ऐसा तो कहा नही जा सकता। और अगले सालतक लडते तो भी आखिर सवाल तो यही आकर पेश होता। क्या तब भी आप यही कहते कि "नही, हम तो लड़ते ही रहेंगे?" जो सिपाही यह कहता है कि मैं तो लडता ही रहूँगा, वह तो मिथ्याभिमानी कहलाता है और ईश्वरका कसूरवार बनता है। अतः जो समझौता हुआ है, वह होना ही चाहिए था।

१. एक सिन्धी कांग्रेसी नेता जिन्होंने सुभाषचन्द्र बोसके साथ गांधी-इर्विन समझौतेका विरोध किया था।

अब दूसरी बात यह है कि अभी तो यह भी पता नही कि हम गोलमेज-परिषदमें शामिल होंगे या नही। और शामिल हुए भी तो यह माननेका कोई कारण नहीं कि वहाँसे कुछ लेकर ही आयेंगे। हम कुछ भी लेकर न आये तो भी आपको हमारी निन्दा करनेका अधिकार नही रहता, न आप हमारी हँसी ही उड़ा सकते है, क्योंकि मै ऐसा वचन नही देता कि जायेंगे तो अवश्य कुछ न कुछ ले ही आयेंगे। पर एक बात है, और वह यह कि गुलामी लेकर कभी न लौटेंगे। इस प्रस्तावमें जो मर्यादा बाँधी है, उसे छोड़कर कुछ भी नही लायेंगे। पर कुछ न लायेंगे, इसलिए हमें कांग्रेसका कारोबार किसी दूसरेको सौंप देना पड़ेगा, यह कैसे सिद्ध होता है? आज भी कांग्रेसका कारोबार आपके पास है। आज आप ही ने सरदार वल्लभभाई पटेलको सभापति बनाया है; कल आप उन्हें हटाना चाहें तो हटा सकते है। कार्य-समितिको बदलना चाहें तो बदल सकते है। इसलिए आप यह न कहें कि इस प्रस्तावके पीछे 'महात्मा' हैं। इसके पीछे कार्य-समिति है, अतएव 'महात्मा'को जाने देना होगा। इससे तो बेहतर है कि आप प्रस्तावके हकमें मत न दें। हम कुछ लोगोने कुछ किया है, इसलिए हमें आप बनाये ही रखें, सो बात बिलकुल जरूरी नही है। हम बेवफा साबित हुए हों या हमने बेवकूफी की हो तो जरूर हमें हटाइये। यानी गोलमेज-परिषदसे वापस आनेपर हमें हटानेके बजाय तो यह समझ लेना अच्छा है कि हटानेका मौका आज ही है। हम आपके सेवक है, इस्तीफा दे कर हम खिसक जायेंगे। हममें थोड़ा भी स्वाभिमान होगा तो हम हट जायेंगे, और इसकी वजहसे कोई आपको उलाहना न देगा। दुनिया कहेगी कि इन लोगोने ठीक ही किया।

पर यदि आप यह मानते हों कि मै 'महात्मा' हूँ इसलिए ऐसा नही हो सकता, तो यह आपकी दुर्बलता है। अगर 'महात्मा'के बिना स्वराज्य न मिल सकता हो तो विश्वास रखिये कि आप स्वराज्य कभी चला ही नही सकते। मै दाँडीके लिए रवाना हुआ, तभी मैंने कहा था कि तमाम नेता जेलमें चले जायेंगे, तो भी लड़ाई बन्द न होगी। जो बाहर रहेंगे, वे चलायेंगे। आपने तो यह करके बताया है। तमाम नेता ही नही, बल्कि तमाम कार्यकर्त्ता जेल चले गये, तो भी हमारा काम न रुका। स्त्रियोंने काम उठा लिया और वे गिरफ्तार होती गईं, तब भी काम न रुका।

कराचीकी डिक्टेटर कीकीबहन लालवानी — आचार्य कृपालानीकी बहन — क्या 'डिक्टेटर' बनने लायक थी? वह तो बेचारी क्षयसे पीड़ित रहा करती थी। पर वह मैदानमें कूद पड़ी और डिक्टेटर बन कर जेल पहुँच गई। उस रोगिणीका रोग मिट गया और वह वीरांगना बन गई। इसलिए आप यह समझ गये होंगे कि 'महात्मा'की कुछ भी जरूरत नही है। आगे बढ़ कर मै यह भी कहूँगा कि मुझमें महात्मापन अगर है तो वह मुझे मेरी सेवाके कारण मिला है। मै सेवा करना छोड़ दूँ, उसी दम 'महात्मा' न रहूँ। अतएव यह न मानिये कि चूँकि यह प्रस्ताव 'महात्मा'का या कार्य-समितिका है, इसलिए इसका विरोध नही किया जा सकता। अगर आप विचारपूर्वक इस प्रस्तावको अस्वीकार करेंगे तो मै दुनियाके सामने आपका बचाव करूँगा।

पर अगर आप यह मानते हैं कि यह लडाई जिन लोगोंने छेड़ी है, वे जैसा कहेंगे, वैसा आप करेंगे, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे साथ रह कर सच्चे ढंगसे लडाई लडिये। यानी आपके प्रतिनिधि खाली हाथों लौटें तो भी परवाह नही; कुछ लेकर आयें तो अच्छा है; पर यदि न लायें तो फिरसे लडेंगे। बात सिर्फ यह है कि इतने लोग जेल गये, इतनोंने लाठियाँ खाईं, अनेकने तकलीफें उठाईं, अब आगेके लिए हम यह सब कष्ट नाहक नही उठाना चाहते। पर अपना कर्त्तव्य कर चुकनेपर यदि हम जो चाहते हैं वह न मिल सका तो लड़नेका निश्चय है ही। और, हम वहाँ गये हों, उस दरम्यान जो यहाँ रहें — विरोधी हो या दूसरे — उन्हे बचा हुआ काम पूरा करना है।

डाक्टर किचलूका यह कहना ठीक नही कि हमारे गोलमेज [परिषद] में जाने पर बाकीका काम नौजवानोंको करना पड़ेगा। बहनोंने विदेशी कपड़ेकी दुकानोंपर और शराबकी दुकानोंपर जैसा धरना दिया, वैसा और कौन दे सकता है? धरनेकी जो मर्यादा हमने ठहराई है, उसके अन्दर रह कर वे धरनेका काम करेंगी। जमशेद मेहता जैसे पुरुषको — जो यहाँ 'भगत' के नामसे मशहूर हैं — हमारे खिलाफ सख्त कडवी शिकायत करनी पडी है। सब उनके लेखको पढ जायें, और उन्होंने जो दोष बताये है, उन सब दोषोंको छोड़ें और मर्यादामें रह कर धरना दें। खादी-कार्य करके विदेशी वस्त्र-बहिष्कारका काम पूरा करें। यह काम अकेले नौजवानोंका नही, बल्कि सबका है।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने पठानको शोभा देनेवाली जो सीधी-सादी बातें की है, उनके बारेमें मैं दो शब्द कहूँगा। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्हें बुलाया और उनकी बात सुननेका हमें मौका मिला, यह अच्छा ही हुआ। मैं तो पठानोंमें रहा हूँ। पठानोंकी मैंने वकालत की है। पठान स्वभावको मैं जानता हूँ। अगर पठान लोग मानते हों कि कांग्रेसकी वजहसे उन्हें फायदा पहुँचा है — और मैं मानता हूँ कि फायदा हुआ है — तो मैं उन्हें इस बातका विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हाथों ऐसा एक भी काम न होगा जिससे उनकी आजादी कम हो। दूसरे प्रान्तोंको जिस प्रकारकी स्वतंत्रता मिलेगी, हम प्रयत्न करेंगे कि सीमा-प्रान्तको भी वैसी ही आजादी मिले। मैं तो उस प्रान्तमें जानेका इरादा रखता था, पर यह जाहिर करते हुए दु:ख होता है कि यह मौका मुझे नही मिलेगा। मुझसे कहा गया कि सीमा प्रान्तके उस पारके अफ़गान लोग भी मेरी मुक्ति चाहते थे। अफ़गान लोग किसलिए मेरी मुक्तिकी कामना करते होंगे? सरहदके पठानोंके लिए मैंने काम किया है, पर अफ़गानोंके लिए कुछ भी नही किया। हाँ, यह जरूर कहूँगा कि हमारी आजादीमें उनकी भी आजादी है। पर आज इतना समभाव जाहिर करनेके सिवा और उनकी कोई विशेष सहायता नही की जा सकती। आजाद बन कर हिन्दुस्तान दूसरे किसी देशसे लड़ना नही चाहता। पठानोंको और अफ़गानोंको इतना विश्वास हम दिला सकते हैं। पठानोंका इस प्रकार हमारे संग्राममें शामिल होना एक बडी बात है, क्योंकि हमें मुफ्तकी सेना मिलेगी।[1]

१. इसके बादके अनुच्छेद यंग इंडिया, ९-४-१९३१ में "मुख्य प्रस्तावोंपर गांधीजी" शीर्षकके अंतर्गत प्रकाशित विवरणसे उद्धृत हैं।

आपके सामने प्रस्तावमें जो बात छोड़ दी गई है उसके बारेमें मैं दो-एक शब्द कहूँगा। जो एक चीज छोड़ दी गई है वह है संघ। 'संघ' शब्दका अर्थ क्या है? क्या वह एक ओर राजाओ या रियासतो और दूसरी ओर सब प्रान्तोंको मिलाकर बनाया गया संघ है? जिन शर्तोंके अधीन वह संघ बनना है वे शर्तें क्या हैं, हम बिलकुल नहीं जानते। परन्तु राजाओंने एक रुख अख्तियार कर लिया है कि संघीय सरकार उनके अन्दरूनी मामलोंमें हस्तक्षेप नही कर सकती। संघके बारेमें मैंने केवल यह सुझाव दिया है कि वे इस बातको स्वीकार कर ले कि ब्रिटिश भारत कहे जानेवाले भागके लोगोंके जो मूलभूत अधिकार है, वही रियासतोंकी जनताके भी होने चाहिए। यदि संघीय संविधानके अन्तर्गत वे अधिकार सुरक्षित हैं तो उन अधिकारोकी सुरक्षाके लिए स्वाभाविक तौरपर कोई संघीय संस्था होगी, जैसे कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय या आप उसका कुछ भी नाम रखें, जहाँ अपील की जा सके। मुझे आशा है कि राजे-महाराजे इन दो बातोंको स्वेच्छासे मान्यता देंगे और रियासतोंकी प्रजाको प्रत्यावेदन करने देंगे। ऐसा करनेसे राजाओंकी प्रभुसत्ता सम्भवतः कुछ कम हो जायेगी। परन्तु यदि वे उस संघका भाग बनना चाहते हैं जिसके बड़े भागका प्रशासन पूर्ण जनतन्त्रकी भावनासे होगा, तो यह उनपर निर्भर है कि वे स्वेच्छासे एवं अपने-आप अपनी कुछ शक्ति कम कर दें। मुझे आशा है कि ऐसी कोई घटना अवश्य घटेगी और यही कारण है कि आपको इस प्रस्तावमें संघका कोई जिक्र नही मिलता।

उन्होंने प्रस्तावकी एक महत्त्वपूर्ण शर्त, अर्थात् "यदि दूसरा कोई रास्ता खुला होगा" के बारेमें भी कुछ शब्द कहे।

कल्पना करें कि यदि हम हिन्दू-मुसलमान एकताके इस नाजुक सवालपर किसी समझौतेपर नहीं पहुँचते तो कांग्रेसकी क्या स्थिति हो जाती है? यदि हम किसी तरह साम्प्रदायिक समस्याका उपयुक्त हल नही निकाल सके तो, जहाँतक मुझे दिखाई देता है, कांग्रेस प्रतिनिधि-मण्डलका परिषदमें भाग लेना व्यर्थ होगा। परन्तु इसी वक्त मैं आपको अपना अन्तिम निर्णय या अन्तिम राय नही दे सकता। मुझे नहीं मालूम। बहुत-सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनके कारण प्रतिनिधि-मण्डलके लिए परिषदमें भाग लेना वांछनीय या अनिवार्य हो जाये। परन्तु वास्तवमें इसका निर्णय भविष्यमें ही होगा।

अन्तमें उन्होंने इसको अस्वीकार करनेवाले या स्वीकार करनेवाले दोनों पक्षोंको निम्न चेतावनी दी और निष्ठावान रहनेका पवित्र संकल्प करनेको कहा।

यदि कांग्रेस समझौतेको पूरी तरह अस्वीकार कर दे तो सम्भवतः कांग्रेसके विरोधमें कुछ भी नही कहा जा सकता। कांग्रेसका अधिकार सर्वोच्च है। कार्य-समिति उसकी गुलाम है। सम्भव है, कार्य-समिति या मेरे द्वारा की गई कार्यवाही आपको अच्छी न लगे। उस हालतमें सहिष्णुता या अनुग्रहका कोई प्रश्न नही होना चाहिए। यदि चाहें तो आपमें से हरएकको यह अधिकार है कि प्रस्तावको अस्वीकार या भंग

कर दे। परन्तु यदि आप समझौतेका अनुमोदन करें तो फिर यह आपका कर्त्तव्य ही हो जाता है कि आप सक्रिय होकर इसका समर्थन करें, इसकी सारी बातोंको ईमानदारीसे और सम्मानपूर्वक कार्यान्वित करे, और प्रस्तावमें आपके समक्ष प्रस्तुत किये गये विभिन्न काम करे, जिससे कि आप प्रतिदिन कांग्रेसकी शक्ति बढाएँ और काग्रेस प्रतिनिधि-मण्डलके लिए यह सम्भव बनाएँ कि वह काग्रेसकी स्थितिको स्पष्ट कर सके और सम्भवतः वही चीज प्राप्त कर सके जिसके लिए आपने पिछले बारह महीनोसे कष्ट उठाया है।

एक बात और है। यदि यह प्रतिनिधि-मण्डल परिषदतक पहुँच भी जाता है तो इसका यह अर्थ नही कि प्रतिनिधि-मण्डल पूर्ण स्वराज्य अपनी जेबमें ले आयेगा। यदि यह स्वराज्य लेकर नही आता तो इसका यह अर्थ नही कि यह अपमानित होकर वापस लौटता है। ऐसी कोई बात नही है। हमें केवल इतना कर सकनेकी उम्मीद है कि हम वहाँ जाएँ और अग्रेज जनताको और ब्रिटिश मन्त्रीको यह बताएँ कि हम क्या चाहते है। और काग्रेस प्रतिनिधि-मण्डलसे प्रस्तावकी शर्तोंके अन्दर जो-कुछ स्वीकार करनेकी अपेक्षा रखती है, यदि वह हमें न मिले तो हमें खाली हाथ ही लौटना होगा। और तब भी हमें आपकी ओरसे सम्मान ही मिलना चाहिए, उपेक्षा या अपमान नही। परन्तु यदि हम देशके हित बेच कर वापस आयें तब आप हमें बुरा-भला कह सकते है। वैसा करनेका आपको पूरा अधिकार होगा। परन्तु आपके लिए यह कहना सही नहीं होगा, "आपने अपने वायदे पूरे नही किये", क्योंकि हमने कभी कोई वायदा नही किया है। अब भी ऐसा कोई वायदा नही किया जा रहा है कि यदि प्रतिनिधि-मण्डल यहाँ या इग्लैडमें हो रही परिषदमें जाकर, या आगे बातचीत शुरु करनेपर पूर्ण स्वराज्य ले आयेगा। पूर्ण स्वराज्य तो तभी आयेगा जब काग्रेसकी पूरी शक्ति प्रगट हो जायेगी; उससे एक मिनट भी पहले नहीं। यदि काग्रेस स्वराज्य ले आये तो यह कांग्रेसकी बडी भारी उपलब्धि होगी। मैं अपनी ओरसे और किसी भी प्रतिनिधि-मण्डलकी ओरसे जिसे आप मेरे साथ भेजना चाहें, केवल सच्चे दिलसे यह वायदा कर सकता हूँ कि हम किसी भी तरह या किसी भी रूपमें कांग्रेसके प्रति विश्वासघात नही करेगें।

अपीलका सबपर असर हुआ और लगभग सब संशोधन वापस ले लिये गये और एक अक्षर भी बदले बिना प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

हिन्दी नवजीवन, ६-४-१९३१

४१४. प्रस्ताव: मौलिक अधिकारों और आर्थिक परिवर्तनोंके सम्बन्धमें[1]

३१ मार्च, १९३१

इस कांग्रेसकी राय है कि कांग्रेसकी कल्पनाके स्वराज्यका आम जनताके लिए क्या अर्थ होगा, यह बात समझानेके लिए कांग्रेसकी स्थितिका बयान इस ढंगसे करना जरूरी है, जिसे जनता आसानीसे समझ सके। राजनैतिक स्वतन्त्रतामें जनसाधारणके शोषणका अन्त करनेकी दृष्टिसे भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगोंके सच्चे आर्थिक स्वातन्त्र्यका समावेश होना ही चाहिए। इसलिए कांग्रेस यह घोषणा करती है कि उसकी ओरसे जो भी संविधान बनाया जाये, उसमें इतनी बातोंका समावेश होना चाहिए अथवा स्वराज्य सरकारको इनका प्रबन्ध करनेका अधिकार मिलना चाहिए:

१. प्रजाके मौलिक अधिकार, जिनमें निम्नलिखित शामिल हों:

(क) सभा और संगठनकी स्वतन्त्रता;

(ख) बोलनेकी और अखबारों आदिमें लिखनेकी स्वतन्त्रता;

(ग) अन्तरात्माका अनुसरण करनेकी और स्वतन्त्र जीविकोपार्जन और धर्माचरणकी स्वतन्त्रता बशर्ते कि उससे अमन, कानून और नैतिकतामें बाधा न पड़े;

(घ) अल्पसंख्यकोंकी संस्कृति, भाषा और लिपियोंकी रक्षा;

(ङ) स्त्री-पुरुषका भेदभाव न रखते हुए तमाम नागरिकोंके समान अधिकार और कर्त्तव्य;

(च) कोई भी नागरिक अपने धर्म, जाति-पाँति, विश्वास या लिंग-भेदके कारण सार्वजनिक नौकरीमें, सत्ता या सम्मानके पदोंमें और किसी भी व्यापार अथवा धन्धेमें किसी भी प्रकारसे निर्योग्य न ठहराया जाये;

(छ) सार्वजनिक रास्तों, कुँओं, पाठशालाओं और सार्वजनिक उपयोगकी दूसरी तमाम जगहोंकी बाबत सब नागरिकोंके समान अधिकार;

(ज) हथियार रखनेके बारेमें जो नियम और मर्यादाएँ बनाई गई हों, उनके अनुसार हथियार रखने और धारण करनेका अधिकार;

(झ) सिवा कानूनकी रू के और किसी भी तरह किसी भी मनुष्यकी स्वतन्त्रता न छीनी जाये, और न उसके घर या उसकी जमीन-जायदादमें हस्तक्षेप किया जाये और न उसपर कब्जा किया जाये और न उसे जब्त किया जाये;

२. धर्मके विषयमें सरकारकी निष्पक्षता।

३. बालिग उमरके तमाम मनुष्योंको मताधिकार।

१. अनुमान है कि इसका मसविदा गांधीजी द्वारा बनाया गया था।

४. मुफ्त प्राथमिक शिक्षा।

५. कारखानोंके मजदूरोंको जीवन-निर्वाहके लिए पर्याप्त मजदूरी, मजदूरीके नियत घंटे, कामकी जगह आरोग्यप्रद और साफ-सुथरी, बुढापा, बीमारी और बेकारीके आर्थिक परिणामोंके विरुद्ध सुरक्षा।

६. दासत्व या लगभग दासत्व जैसी दशासे मजदूरोंकी मुक्ति।

७. मजदूर-स्त्रियोंकी रक्षा और खास करके प्रसूति-कालके समयमें छुट्टीका पूरा बन्दोबस्त।

८. पाठशालामें जाने योग्य उम्रके बालकोंसे कारखानोंमें काम लेनेपर रोक।

९. पंचायतके जरिये झगड़े निबटानेके उचित प्रबन्धके साथ अपने हितकी रक्षाके लिए संघ कायम करनेका मजदूरोंका हक।

१०. किसान जो कृषि-कर या लगान देते हैं, उसमें खासी कमी, और जो जमीनें आर्थिक दृष्टिसे नुकसान देनेवाली हों, उन्हें जितने समयके लिए आवश्यक मालूम हो उतने समयतक करसे मुक्ति, और इस कमीके कारण जहाँ आवश्यक मालूम हो वहाँ छोटे जमींदारोंको जरूरी राहत।

११. कमसे-कम ठहराई हुई रकमसे अधिक होनेवाली खेतीकी आमदनीपर आमदनीके प्रमाणमें आयकर लगाना।

१२. क्रमशः बढ़नेवाला विरासत-कर।

१३. मौजूदा फौजी खर्चको कमसे-कम आधा करना।

१४. असैनिक विभागोंके खर्च और तनख्वाहोंमें भारी कमी। खास नियुक्त किये गये विशेषज्ञों आदिके सिवा किसी भी सरकारी नौकरको एक नियत रकम, जो साधारणतः ५०० रुपयोंसे अधिक न हो, से अधिक वेतन न दिया जाये।

१५. विदेशी वस्त्र और विदेशी सूत पर पाबन्दी लगाकर देशी वस्त्रको संरक्षण देना।

१६. शराब और अन्य नशीले पदार्थोंका सर्वथा निषेध।

१७ हिन्दुस्तानमें तैयार किये गये नमकपर कोई कर न लगाया जाये।

१८ विनिमयकी दर पर सरकारका ऐसा अंकुश, जिससे भारतीय उद्योगोंको मदद पहुँचे और सर्वसाधारणको राहत।

१९. मुख्य उद्योगों और खनिज पदार्थोंके स्वामित्वपर सरकारका नियन्त्रण।

२०. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें लिए जानेवाले ऊँचे दरके व्याजपर अंकुश।

अ० भा० का० कमेटीको छूट रहेगी कि वह इनमें इस ढंगसे परिवर्तन, संशोधन या परिवर्द्धन कर सके, जो ऊपरकी बातोंकी नीति और सिद्धान्तोंके खिलाफ न हो।

[अंग्रेजीसे]

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी फाइल सं० १९९, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

४१५. भाषण : मौलिक अधिकारोंपर, कराची कांग्रेसमें[1]

३१ मार्च, १९३१

कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें मौलिक अधिकारोंपर[2] प्रस्ताव पेश करते हुए गांधीजीने हिन्दीमें बोलते हुए कहा :

यह प्रस्ताव उनके लिए है जो विधायक नही है और जिनकी संविधानके पेचीदा सवालोंमें दिलचस्पी नही है और जो देशके प्रशासनमें सक्रिय भाग नही लेंगे। इस प्रस्तावका अभिप्राय गरीब और गूँगे भारतीयको स्वराज्य अथवा रामराज्यकी प्रमुख विशेषताओसे अवगत कराना है। अपनी दांडी-यात्रा से पहले मैंने इनमेंसे कुछ वातोंको अपने ग्यारह मुद्दोंमें शामिल किया था। उन्हें और भी व्यापक वनाया है। वे अव एक अलग प्रस्तावमें आपके सामने पेश किये गये है। उन्हें जानवूझ कर मुख्य प्रस्तावमें नही रखा गया क्योंकि उनके कारण प्रतिनिधि-मण्डलके लिए दिये गये आदेश वोझिल हो जाते। लेकिन यह प्रस्ताव पारित करके हम संसारके सामने और अपने लोगोके सामने यह स्पष्ट कर देते है कि स्वराज्य पानेपर हम क्या करना चाहते हैं। सरकार भी इसपर गौर करे। जिन्हें हमसे वात करनी है, वे लोग भी इस तथ्यको ध्यानमें रखें कि स्वराज्य मिलनेपर वाइसरायको भी ५०० रु० मासिकसे ज्यादा नही मिलने चाहिए। स्थिति यथासम्भव स्पष्ट कर दी गई है, ताकि हमपर यह आरोप न लगाया जाये कि जिन लोगोंको हमसे वातचीत करनी है, हमने अचानक ही उनके सामने एक आश्चर्यजनक वात रखकर उन्हें चिन्तामें डाल दिया है। अभिप्राय सभी सम्बद्ध लोगोंको पहलेसे आगाह करना भी है। उन्हे आनेवाले परिवर्तनोंके प्रकाशमें अपना जीवन ढालकर आनेवाले विधानके लिए अपने-आपको तैयार कर लेना चाहिए।

मैं कुछ-एक दृष्टान्त दूंगा। मौलिक अधिकारोंकी धारा १ (घ) में अल्पसंख्यक जातिकी संस्कृति, भाषा और लिपियोंके संरक्षणकी वात है। यद्यपि मुझे निश्चय है कि इस्लाम और आर्य संस्कृतियाँ परस्पर विरोधी और मौलिक रूपसे भिन्न नही हैं, तथापि मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूँ कि मुसलमान इस्लाम-संस्कृतिको आर्य संस्कृतिसे भिन्न मानते हैं। इसलिए हम सहनशील वनें। हम इसके लिए मुसलमानोका आग्रह समझें और उर्दू भाषा तथा उर्दू लिपि सीखनेकी कोशिश करें।

उसके वाद सरकारी नौकरियों, मान या अधिकारके पदोंके लिए महिलाओं पर लगाई गई निर्योग्यताएँ समाप्त करनेकी वात है। इतना कर देनेके साथ ही जिन कारणोंसे महिलाएँ अयोग्य समझी जाती हैं, वे कारण समाप्त हो जायेंगे। जहाँ तक कांग्रेसका सवाल है, हम ऐसी किसी निर्योग्यताको नही मानते। हमने डा० वेसेंट

१. यह "मुख्य प्रस्तावोंपर गांधीजी" शीर्षकके अन्तर्गत "वीस सूत्र" उपशीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२. प्रस्तावके मूल पाठके लिए देखिए पिछला शीर्षक।

और श्रीमती सरोजिनी देवीको अपना अध्यक्ष बनाया है और भावी स्वतन्त्र राज्यमें हमें महिलाओंको राष्ट्रपति बनानेकी खुली छूट होगी।

धार्मिक निरपेक्षता उसकी एक और महत्त्वपूर्ण धारा है। स्वराज्य हिन्दू धर्मको इस्लामपर या इस्लामको हिन्दू धर्मपर कोई तरजीह नही देगा। परन्तु हमारा राज्य धार्मिक निरपेक्षतापर आधारित हो इसलिए हम अभीसे इस सिद्धान्तको अपने दैनिक जीवनमें अपना लें। हिन्दू व्यापारी योग्य मुसलमानोको नौकरी देनेमें सकोच न करे और हर कांग्रेसी धर्म-निरपेक्षताको जीवनके हर क्षेत्रमे अपना सिद्धान्त बना ले।

पांचवी मदपर मिल और कारखानोंके मालिकोंको तत्काल ध्यान देना चाहिए। उन्हें इन धारामे मानवीय विधानकी जो झलक मिलती है, उसके लिए पहलेसे तैयारी कर लेनी चाहिए।

अन्तिम धाराका सम्बन्ध सूदखोरीके नियन्त्रणसे है। इस्लाममें सूद लेनेकी सख्तीसे मनाही है। परन्तु ऐसा कोई कारण नही कि हिन्दूके लिए भी उसे पाप न समझा जाये। पठान इस्लामकी निषेधाज्ञाको भूल गये है, उन्होने हमारे गलत आचरणका अनुसरण किया है और वे २०० से ३०० प्रतिशत तकका सूद लेनेके लिए बदनाम है। काश! मैं खान अब्दुल गफ्फार खांको हमारे इलाकोंमें जानेके लिए और अपने सहधर्मियोंको सूदखोरीसे छुडानेके लिए राजी कर सकता। हमारे बैंकर और साहूकार भी समय रहते अपने सूदकी दरमें भारी कमी कर दें। कही ऐसा न हो कि जब इस सम्बन्धमें कड़ा कानून बन जाये तो वे उसके लिए तैयार न मिलें। किसानोका खून चूसकर उनका गला घोटा जा रहा है। इसलिए साहूकार उन्हें राहत देनेके लिए सूदकी दर ज्यादासे-ज्यादा आठ प्रतिशत रखे।

जमींदारो और महाराजाओंको आश्वासन दे दिया जाये कि कांग्रेस उन्हें नष्ट नही करना चाहती, परन्तु वह अन्याय और बुराईको समाप्त करनेके लिए कृत-सकल्प है। इससे पहले कि विधान उनपर हावी हो जाये, वे अपने काश्तकारोके कष्ट समझें और उन्हें राहत देनेके लिए सच्चा प्रयत्न करें। जैसे कि कालाकाकरके राजा साहबने और चौधरी रघुबीर नारायणसिंहने किया है। वे कांग्रेसमे प्रवेश करनेके लिए स्वतन्त्र हैं।

यह भी समझ लिया जाये कि यह प्रस्ताव किसी भी तरह अन्तिम नही है। अ० भा० का० कमेटी उसके बीस मुद्दोंमें संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन करनेके लिए स्वतन्त्र है। इसलिए कोई भी व्यक्ति केवल तफसीलको लेकर इसका विरोध न करे। जो लोग इसकी नीति और सिद्धान्तके विरोधी हैं, वे इसे जरूर रद कर दें परन्तु वे यह अवश्य ध्यानमें रखें कि गरीब आदमीका स्वराज्य शीघ्र आ रहा है। और कही ऐसा न हो कि वास्तवमें उसके आनेपर वे सोते ही रहें।[1]

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ९-४-१९३१

१. प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

४१६. तार : बालकृष्ण शर्माको[1]

कराची

[१ अप्रैल, १९३१][2]

मैं इतना व्यस्त रहा हूँ कि पत्र या तार नही भेज सका। यद्यपि कलेजा फट रहा है तो भी गणेशशंकरकी इतनी शानदार मृत्युके लिए शोक-सन्देश नही दूँगा। चाहे आज ऐसा न हो, परन्तु उनका पवित्र खून किसी दिन अवश्य हिन्दुओं और मुसलमानोंको एक करेगा। इसलिए उनका परिवार शोक-सन्देशका नही, बधाईका पात्र है। उनकी मिसाल अनुकरणीय सिद्ध हो।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३-४-१९३१

४१७. भेंट : 'स्टेट्समैन' के प्रतिनिधिसे

कराची

१ अप्रैल, १९३१

आज सुबह एक घंटेकी बातचीतके दौरान श्री गांधीने कुछ हदतक मुझे इसका आभास दिया कि वे किस ढंगसे गोलमेज-परिषदमें अपना मामला पेश करेंगे। जैसे कि संरक्षणोंके बारेमें उनका क्या रुख है, साम्प्रदायिक समस्याके बारेमें उनकी आशंकाएँ और आशाएँ क्या हैं, और अन्तमें इतनी ही महत्त्वपूर्ण बात यह कि ग्रेट ब्रिटेनकी भारत सम्बन्धी वर्तमान नीतिकी ईमानदारीके बारेमें, फिर चाहे वह नीति कितनी ही गलत क्यों न हो, उन्हें कितना विश्वास है।

उन्होंने कहा कि इस हफ्ते कांग्रेसमें जो काम हुआ उससे कुल मिलाकर मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ।

मैंने श्री गांधीसे पूछा कि कांग्रेसने गोलमेज-परिषदमें कामके लिए आपको स्वतन्त्र रहकर निर्णय करनेका जो अधिकार-पत्र दिया है क्या आप उसके कारण अपनेको पूरी तरह आश्वस्त महसूस करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया :

१. सम्पादक, **प्रताप**, कानपुर।

२. यह तार २ अप्रैल, १९३१ को संवाददाता द्वारा प्रेषित तारके रूपमें प्रकाशित हुआ था। तथापि ऐसा ही तार **नर्मदा**के "गणेशशंकर विद्यार्थी स्मृति अंक" में गणेशशंकर विद्यार्थीके भाई हरिशंकर विद्यार्थीके नाम तारीख १ अप्रैलके अन्तर्गत छपा था।

यह अधिकार-पत्र मुझे पूरी स्वतन्त्रता नही देता। क्योकि काग्रेसने इस हफ्ते जो मुख्य प्रस्ताव[1] पारित किया है, मै उसकी शर्तोसे बँधा हूँ। वे काफी व्यापक जरूर है, लेकिन मै नही समझता कि आप यह कह सकते है कि वे शर्तें किसी तरह अस्पष्ट है।

तो भी उनसे मुझे कुछ छूट मिलती है। और जैसी बहस हम परिषदमें करनेवाले है उसके लिए स्पष्टत: कुछ छूट तो होनी ही चाहिए। उदाहरणके तौरपर इन शब्दोका — 'ऐसी व्यवस्थाएँ जो भारतके हितमें प्रत्यक्ष रूपसे आवश्यक हो' — वही अर्थ है जो इनसे अभिप्रेत है, परन्तु इनमें, यदि हमें स्वतन्त्रताकी दृष्टिसे आवश्यक जान पड़े तो संरक्षणो और दूसरी चीजोके बारेमें अपने मौजूदा विचार बदलने या उनकी व्याप्ति कम करनेकी गुंजाइश भी उत्पन्न हो जाती है।

हम अपने मानकी रक्षा करते हुए जितना छोड़ा जा सकता है, उतना छोड़नेके लिए तैयार है, परन्तु किसी अपमानजनक समर्पणका सवाल नही उठता।

प्रश्न : आप इन दिनों 'बराबरीकी साझेदारी' शब्दोंका उपयोग कर रहे हैं। इस नये पदसे आपका ठीक क्या अभिप्राय है? क्या इसका अर्थ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके अन्दर आस्ट्रेलियाकी तरहका राष्ट्रीय दर्जा है?

उत्तर : नही, उसका वह अभिप्राय नही है। थोड़े समय पहलेतक मै सोचा करता था कि भारतके लिए ऐसा दर्जा उपयुक्त है; परन्तु अब मुझे मालूम हो गया है कि उसके रास्तेमे कुछ खास अड़चनें है।

आपको मालूम है कि जो राष्ट्र ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें है वे मूलत: तो ब्रिटिश ही है या दक्षिण आफ्रिकाकी तरह वे अपनेको ब्रिटिश विचार और संस्कृतिसे एकरूप मानते है। वहांके लोग अंग्रेज जातिके है और उनकी संस्थाएँ अंग्रेजी संस्थाएँ हैं। हम भारतके बारेमें यह बात नही कह सकते। हमारी महत्वाकांक्षा अपनी संस्कृतिको ब्रिटेन और पश्चिमसे अभिन्न माननेकी नही है। हम सन्तुष्ट है और सच्चे मनसे अपनी संस्कृति और समाज-व्यवस्थाको बनाये रखना चाहते है और उसका विकास भी करना चाहते है। इसलिए आस्ट्रेलियाके दर्जे और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें भारतके भावी दर्जेकी वास्तविक रूपमें कोई तुलना नही की जा सकती।

बहरहाल, ब्रिटेन और भारतके बीच साझेदारी हो सकती है; इसका मतलब होगा दोनो देशोके बीच बहुत-सी चीजोमें एक-दूसरेकी मददके लिए और पारस्परिक दायित्वोके लिए आपसी व्यवस्था।

आपका अभिप्राय है, अर्द्धानुबन्ध-जैसी कोई चीज? आप कदाचित् ब्रिटेन और भारतके बीच ऐसा सम्बन्ध चाहते है जैसा कि इंग्लैंडका युद्धके किन्हीं विशेष उद्देश्योंके लिए फ्रांसके साथ है; अन्तर इतना ही होगा कि इस सम्बन्धमें युद्धके अतिरिक्त कई-एक दूसरी चीजें भी होंगी और यह ज्यादा लाभदायक होगा और कह

१. देखिए "प्रस्ताव : अस्थायी समझौतेपर", २९-३-१९३१।

सकते हैं कि यह साझेदारी सिर्फ युद्धके लिए स्थापित सम्बन्धसे ज्यादा सुखकर होगी।

हाँ, हाँ, वास्तवमें अभिप्राय यही है।

और अब आप कोई वाइसराय या कोई लॉर्ड इर्विन नहीं चाहते?

जी हाँ, मुझे अब लॉर्ड इर्विन और दूसरे वाइसराय नहीं चाहिए।

परन्तु गोलमेज-परिषदमें जानेपर जब आपको यह विश्वास दिलाया जाये कि औपनिवेशिक स्वराज्य भारतके लिए अनुकूल है, तो क्या आप यह माननेको तैयार हो जायेंगे? यदि वहाँ आपको ऐसा लगे कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलकी सदस्यता भारतके सम्मानजनक हितमें है, तो क्या आप औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर लेंगे?

मैं उसे माननेके लिए तैयार हूँ; परन्तु मुझे इसकी सम्भावना नहीं दिखाई देती। आप जो कुछ कह रहे हैं, यदि मुझे उसका यकीन करा दिया जाये तो मैं उसे साफ तौरपर स्वीकार कर लूँगा; और कांग्रेसको उसी मतके अनुकूल बनानेका भरसक प्रयत्न करूँगा।

औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार करना अधिकार-पत्रसे बाहरकी बात है। इसलिए पहले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और शायद कांग्रेससे भी परामर्श करना होगा। परन्तु शब्दोंके बारेमें कोई झगड़ा नहीं होगा। यदि झगड़ा हुआ ही तो वह वस्तुके बारेमें होगा।

श्री गांधी, संरक्षणोंके बारेमें आपका क्या विचार है? कार्य-समितिने कुछ एक खास संरक्षणोंकी आवश्यकता तो स्वीकार की है। क्या उनमें अंग्रेजी सेनाको भारतमें बनाये रखना भी है?

मैं स्वयं तो यह नहीं मानता कि किसी तरहकी भी भारतीय या ब्रिटिश सेनाकी कोई आवश्यकता है। परन्तु इस मामलेमें कार्य-समिति मुझसे सहमत नहीं है। जब ऐसी बात है तो मैं यह माननेके लिए तैयार हूँ कि संक्रमण-कालमें भारतीय सेनाको कुछ अंग्रेज अफसरोंकी जरूरत होगी। क्योंकि आधुनिक युद्ध और कौशलके बारेमें जो-कुछ सीखना जरूरी है, वह आप लोगोंने हमारे अफसरोंको कभी सीखने नहीं दिया है। सम्भवतः कुछ अंग्रेज पलटनें भी जरूरी होंगी — बहुत कुछ इन्हीं कारणोंसे। परन्तु वे भारत सरकारके अधीन होंगी।

परन्तु आप किस तरह और क्यों यह आशा रखते हैं कि वे एक विदेशी सरकारके अधीन नौकरी करना पसन्द करेंगी?

यह ठीक है, अतीतमें यूरोपमें वेतनके लिए काम करनेवाले सैनिक हुआ करते थे। यद्यपि अब शुद्ध धन-लाभकी जगह देशभक्तिका आवेश प्रेरक कारण बन गया है, तो भी सिपाही अब भी अपनी सेवाओंके बदले वेतन माँगता है और लेता है। वह इसी तरहकी शर्तोंपर अपनी सेवाएँ मानवताके कल्याणके लिए देना नापसन्द क्यों करेगा? परन्तु यदि आपके आदमी और अफसर यहाँ हमारी सरकारके अधीन काम नहीं करेंगे, तो ठीक है; हम उनके बगैर गुजारा करेंगे।

क्या आप ब्रिटिश टुकड़ियोंका साम्प्रदायिक दंगोंके दौरान यहाँ होना जरूरी नहीं मानते?

मैं इस बातसे सहमत नही हूँ। यदि हमारी अपनी सेना स्थिति न सँभाल पाये तो ज्यादासे-ज्यादा यही हो सकता है कि कुछ समय हमें गृहयुद्धका सामना करना पड़े। परन्तु यह ज्यादा अच्छा है कि हमारे यहाँ साम्प्रदायिक दगे होनेपर हम उनके विरुद्ध खुद ही संघर्ष करे बनिस्बत इसके कि हम किसी दूसरे देशसे अपने घरमें शान्ति स्थापनाके लिए अपील करे और जो सेनाएँ आयें उनपर हमारे देशके लोगोका कोई नियन्त्रण न हो।

बहुत सम्भव है कि स्वराज्य मिल जानेपर कुछ जबर्दस्त साम्प्रदायिक उपद्रव हो। परन्तु वे थोड़े ही दिन चलेंगे। मैंने जो तरीका सुझाया है यदि उस तरह उन्हे रोकनेमें आप हमारी मदद नही करेंगे तो सम्भवत: किसी दिन लोग थककर झगड़ना बन्द कर दे या फिर झगड़ा किसी एक जातिके विनाशसे ही समाप्त हो। विभिन्न दलोंमें और मतोंमे (यदि आप इस मुद्देपर जोर देना ही चाहते हो) यहाँतक कि विभिन्न प्रान्तोंमे भी लड़ाई-झगड़ा ठप हो सकता है।

यह किसी देश या जातिके आत्म-सम्मानके अनुरूप नही है कि वह किसी दूसरे राष्ट्र या किसी दूसरी जातिको या उसके किसी सदस्यको यह कहनेका पूर्ण अधिकार दे कि 'ये लोग अपनी शासन-व्यवस्था खुद नही सँभाल सकते इसलिए इन्होने हमें यह काम अपनी ओरसे करनेकी छूट दी है।'

यहाँ हममें चाहे जो मतभेद हो, हम सब भारतीय हैं और भारत हमारी जन्म-भूमि है। परन्तु मैं इतना निराशावादी नही हूँ जो यह सोचूँ कि हमें इसका अहसास वक्त बीत जानेपर होगा।

आपके मनमें और दूसरे संरक्षण क्या हैं? उदाहरणके तौरपर वित्तका मामला है। आपने भारतमें उन लोगोंको जो रुपयेकी क्रय-शक्तिका ह्रास सहन नहीं कर सकते, कुछ डरा दिया है। दूसरे भारतीय वे हैं जिन्होंने बहुत-सी पूंजी देशसे बाहर इस खयालसे भेज दी है कि उन्हें आशा है कि जब स्वतन्त्र भारतमें रुपयेकी कीमत बहुत कम हो जायेगी तब उस पूंजीको वापस लानेसे उन्हें भारी लाभ होगा।

हाँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा हो रहा है और यह बुरी बात है। इसे अवश्य रोक दिया जाना चाहिए। और मुझे मालूम है कि भारतके कुछ भागोमें ऐसे लोग हैं जो नही चाहते कि रुपयेका आनुपातिक मूल्य कम हो। परन्तु मैं नही समझ पाता कि रुपयेको अपनी पुरानी कीमत १ शिलिंग ४ पैंस पर क्यो नही आना चाहिए।

जहाँतक उन वित्तीय सरक्षणोंका सवाल है जिनकी चर्चा गोलमेज-परिषदमें की जाती है, नि.सन्देह हम आपसे जो भी सहायता लेगे उसके लिए पैसेकी अदायगीका करार तो हमें करना ही चाहिए।

अंग्रेज पहले तो भारतमें केवल व्यापार करनेके लिए आये, अब वे कहते है कि भारतमें बने रहना उनका कोई उत्तरदायित्व है। उनके शासनसे भारतका अनर्थ

हुआ है। परन्तु फिर भी मैं यह मानता हूँ कि सर्वसाधारणको सच्चे मनसे यह विश्वास है कि उसे खुद ही भारतके प्रति अपना दायित्व निभाना है। फसादकी जड़ अज्ञान है; और वर्तमान अज्ञान संकीर्ण विचारोंके कारण है।

मैंने कहा है कि जब मैं गोलमेज-परिषदमें जाऊँगा तो औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार करनेकी बात सोच भी नहीं सकता। मैं बराबरकी साझेदारीमें ऐसे निकट सम्बन्धका स्वागत करूँगा जो अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्जातीय मामलोंमें आध्यात्मिक ऊँचाई तक उठनेके लिए विशेष योगदान कर सके।

[अंग्रेजीसे]

स्टेट्समैन, २-४-१९३१

४१८. भाषण: अ० भा० कां कमेटीके कराची अधिवेशनमें कार्य-समितिका प्रस्ताव करते हुए

१ अप्रैल, १९३१

महात्माजीने अध्यक्ष और श्री जवाहरलाल नेहरूसे सलाह-मशविरा करके रातोंरात एक सूची तैयार की थी जिसे उन्होंने समितिके सामने रखा। उन्होंने उसमें नये नाम शामिल करनेकी दृष्टिसे जगह बनानेके लिए कुछ नाम निकाल देनेकी बातको विस्तारसे समझाया . . .।

महात्माजी अ० भा० कां० कमेटीकी बैठकमें आये और उन्होंने प्रस्ताव किया कि नई कार्य-समितिमें पदाधिकारियोंके अलावा निम्नलिखित लोग शामिल किये जाने चाहिए: गांधीजी, डा० अन्सारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर्वश्री राजेन्द्रप्रसाद, सेनगुप्त, अणे, नरीमन, डा० आलम, श्रीमती नायडू और सरदार शार्दूलसिंह। उन्होंने कहा कि डा० आलम, श्री नरीमन, श्रीमती नायडू और श्री अणेके लिए स्थान बनानेके लिए सर्वश्री राजगोपालाचारी, पट्टाभि, सत्यपाल और शिवप्रसाद गुप्तको छोड़ दिया जाना चाहिए। हिन्दीमें बोलते हुए उन्होंने इस मामलेमें जो परम्परा चल पड़ी थी, उसका उल्लेख किया और यह इच्छा प्रकट की कि अ० भा० कां० कमेटीको चालू वर्षके लिए कांग्रेसकी यह कार्य-समिति स्वीकार कर लेनी चाहिए।

श्री पुन्नैया शास्त्री (आन्ध्र)ने पूछा कि आन्ध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्कलको कोई स्थान नहीं दिया गया तो बम्बईको ८ स्थान क्यों दिये गये हैं?

गांधीजीने उत्तर दिया कि इन मामलोंमें आपको प्रान्तोंके आधारपर नहीं सोचना चाहिए। आपको जो काम सामने हैं, उनपर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैंने जो नाम सुझाये हैं, क्या वे जरूरी नहीं हैं।

कई-एक सदस्य उठे और उन्होंने उन नामोंका प्रस्ताव किया जो उनकी समझसे छोड़ दिये गये थे।

तब गांधीजीने उत्तर दिया:

यह बड़े दुर्भाग्यकी बात है कि मेरे दक्षिणवासी मित्र हिन्दुस्तानी नहीं समझ सकते, अन्यथा श्री सत्यमूर्तिने जो टीका-टिप्पणी अभी-अभी की है, उसकी बहुत-सी बातें वे न कहते। मैंने कहा कि दक्षिणको जान-बूझकर छोड़ दिया गया है और मैंने यह भी कहा है कि मैंने यह किसी उद्देश्यसे किया है। मैंने ये नाम जान-बूझकर इसलिए छोड़ दिये हैं क्योंकि निजी तौरपर मुझे दूसरोंके लिए स्थान बनानेके लिए ऐसा करना जरूरी लगा। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे आशा थी कि यदि मैं इन नामोंके छोड़े जानेकी बातके साथ यह भी बता दूंगा कि यह कार्य-समितिका संयुक्त काम नहीं बल्कि यह मेरा ही सुझाव है तो इसे गलत नहीं समझा जायेगा। दक्षिणके लोग जानते हैं कि मेरे कई विश्वस्त साथी कार्यकर्ता दक्षिणके ही हैं। वे यह भी जानते हैं कि आज मैं जो-कुछ हूँ, सब दक्षिणकी बदौलत हूँ। मैं दक्षिण आफ्रिकामें दक्षिणके साथ अपने घनिष्ठ सम्बन्धके कारण भारतमें प्रसिद्ध हुआ और वह घनिष्ठ सम्बन्ध एक गिरमिटिया भारतीयके कारण हुआ जिसका नाम सोमसुन्दरम् था।[1] यदि सोमसुन्दरम बहुत ज्यादा जख्मी न हुआ होता और मैंने उसे सहायता न दी होती तो सम्भवत. सारी दुनियाने तो क्या भारतीय जनताने भी गांधीका नाम न सुना होता। तबसे मेरा सम्बन्ध न केवल दक्षिणके हिन्दुओंसे, परन्तु मुसलमानों और ईसाइयोंसे भी घनिष्ठ होता गया। कार्य समितिके सदस्योंकी सूचीमें दक्षिणके लोगोंके नाम क्यों नहीं लिये गये, इसके बारेमें आप मुझसे और ज्यादा क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं? क्या आप समझते हैं कि मैंने डा० पट्टाभिका नाम छोड़ दिया है, इसलिए उनसे मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। आखिर सन्धिपत्रमें उनका भी हाथ था। कार्य-समितिकी बैठकोंमें सदस्योंके आपसी सम्बन्धोंमें बिलकुल कोई तनाव नहीं है। कार्य-समितिमें हर बातपर विचार किया गया था। श्री सत्यपालको छोड़कर सभी सम्बन्धित लोग वहाँ उपस्थित थे। यह संयोगकी बात है कि श्री सत्यपाल वहाँ नहीं थे। श्री राजगोपालाचारी वहाँ थे और क्या आप सोचते हैं कि मैं उनका नाम किसी उद्देश्यसे छोड़ सकता हूँ? क्या आप समझते हैं कि जो काम वह कर सकते हैं, वह काम मैं उनसे नहीं लेनेवाला हूँ? यदि आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो यह आपकी भूल होगी। मैं अपने मित्रोंसे कहूँगा कि गोपबन्धु चौधरीका नाम पहले इसलिए रखा गया था कि अगला अधिवेशन उत्कलमें होना है। परन्तु हमने देखा कि हमारे पास दूसरे जो नाम थे उनमें से कोई-सा भी नाम हम नहीं निकाल सकते इसलिए इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर मुझे ही वह नाम वापस लेना पड़ा।

१. इस गिरमिटिया भारतीयका नाम बालसुन्दरम था। देखिए खण्ड २, पृष्ठ २२ और खण्ड ३९, पृष्ठ १२१–२२।

किसीने श्री वेंकटप्पैयाके नामका सुझाव दिया था। मैं आपको बता दूँ कि मेरा काम उनके बगैर नही चल सकता। परन्तु मुझे मालूम है कि जब भी चाहूँ, मैं उनकी सेवा प्राप्त कर सकता हूँ।

एक सदस्य: श्री राजेन्द्रप्रसाद भी।

महात्माजी: उन्हें पिछले साल जान-बूझकर छोड़ दिया गया था। आप उन्हें उतना नही जानते जितना कि मै जानता हूँ। इसलिए मैंने लाहौरमें उनका नाम तुरन्त अस्वीकार कर दिया था। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि इस बार राजेन्द्रबाबूको क्यों शामिल किया गया है तो वह इसलिए कि कार्य-समितिको उनकी मददकी जरूरत है।

एक सदस्य: क्या आपको श्री राजगोपालाचारीकी मददकी जरूरत नहीं है?

महात्माजी: हाँ, है। मुझे उनकी सहायता भी चाहिए। परन्तु उन्हें इसलिए हटाया गया है कि दूसरोंके लिए स्थान बनाया जा सके। उन्हींमें से ये नाम हैं। उनमें से कुछ-एकके साथ मेरे सम्बन्धोंको सारा भारत जानता है। इसलिए इसमें उत्तर और दक्षिणका कोई प्रश्न नही था। जब महासचिवोंकी रिपोर्टमें वाक्य काट देनेपर बहस हुई तो मै वहाँ उपस्थित नही था। मैंने समाचारपत्रोंमें इसका विवरण नहीं पढ़ा है। मेरे पास समाचारपत्र पढ़नेका वक्त नही है। जितना पढ़ना जरूरी होता है, उतना मै पढ़ता हूँ। दूसरी चीजें मुझे दी जाती हैं। मुझे मालूम है कि एक वाक्य रिपोर्टसे निकाल दिया गया था। मैंने श्री राजगोपालाचारी और पण्डित जवाहरलाल नेहरूकी इस मामलेपर हो रही बातचीत सुनी थी। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। आपके विचारमें रिपोर्टसे दक्षिणपर चाहे कुछ भी आक्षेप हुए हों, इस प्रस्तावका उससे कतई कोई सम्बन्ध नही है। यह पूरी तरहसे एक स्वतन्त्र चीज है और इसकी उत्पत्ति मेरे निश्छल स्वभाव और सरलता तथा उनपर मेरे अत्यधिक विश्वाससे हुई है।

एक आवाज: क्या पण्डित मदनमोहन मालवीयका नाम विचाराधीन था?

गांधीजी: वह जानबूझकर नही रखा गया।

डा० शास्त्री: श्री राजगोपालाचारीके बारेमें आप क्या कहते हैं?

अध्यक्ष: मैंने उनका नाम उनकी ओरसे वापस ले लिया था। मैं श्री राजगोपालाचारीको आपसे ज्यादा जानता हूँ।

डा० शास्त्री: दक्षिणमें कांग्रेसके भावी कामके लिए श्री राजगोपालाचारीका कार्य-समितिमें होना जरूरी है।

गांधीजी: यहाँ जिन प्रान्तोंका प्रतिनिधित्व नहीं है, कार्य समिति आवश्यकता होनेपर वहाँके लोगोंको आमन्त्रित करनेका प्रयत्न करेगी। मैं समझता हूँ कि यही ठीक होगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २-४-१९३१

४१९. भाषण : जमायत-उल-उलेमा सम्मेलन, कराचीमें[1]

१ अप्रैल, १९३१

जमायत-उल-उलेमामें ऐसे बहुतेरे भाई है, जिन्हें मैं जानता हूँ। कई ऐसे है जिन्होंने सत्याग्रहमें भरपूर कुर्बानी की है और कई तरहसे मदद पहुँचाई है। इसके लिए मैं उनका एहसानमन्द हूँ। सब महसूस करते हैं कि इस वक्त हिन्दुस्तानमें वातावरण बहुत खराब हो रहा है। कानपुर, बनारस, मिर्जापुरमें हिन्दू-मुसलमान पागल हो गये हैं। सुना है कि कानपुरमे हिन्दुओंकी ओरसे उपद्रव शुरू हुआ। मैं कबूल करता हूँ कि उन लोगोंने बड़ी गलती की। मैं असहयोग आन्दोलनके जमानेसे पुकार-पुकार कर कह रहा हूँ कि अगर हमें शान्तिके साथ काम करना है, तो सबको समझा कर उनके दिलपर असर डालनेकी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम जबर्दस्तीसे काम लेंगे तो खुदाके दरबारमें झूठे ठहरेंगे। विदेशी कपडे और शराबके धरनेमें भी लोगोंने मर्यादा भंग की। मुमकिन है कि इसका तात्कालिक परिणाम अच्छा हुआ हो, पर कानपुरकी घटनासे हमें पता चलता है कि इसमें कितना खतरा है। हिन्दुओं द्वारा किये गये अत्याचारोंकी खबर जब मुझे मिलती थी, मेरा सिर मारे शर्मके झुक जाता था। दोनों कौमोंमें से चाहे जो कौम अत्याचार करे, मुझे तो शरम आनी ही चाहिए, पर हिन्दुओंके अत्याचारसे कुदरती तौरपर मुझे बहुत ही शर्म आती है। अफसोसकी बात है कि अबतक हिन्दू-मुसलमान दोनों कौमोंमें से एकको भी अक्ल नहीं आई। आजकल तो हमने गालीके जवाबमें चाँटा और चाँटेके जवाबमें गोली मारनेका रिवाज अख्तियार किया है। यह रिवाज असभ्यताका है। मैं तो कहता हूँ कि चाँटेके जवाबमें चाँटा भी नहीं मारना चाहिए। इस बारेमें मैं उलेमाकी कदमबोसी करके उनकी मदद चाहता हूँ कि मुसलमानोंपर आपका जो असर हो, आप उसका उपयोग करें।

राजनैतिक मामलोंमें भी हम एक-दूसरेसे लडते हैं। इस बारेमें भी जितनी मदद आपसे मिले, मैं लेना चाहता हूँ। अगर हम इसमें कामयाब न हुए तो गोलमेज-परिषदमें जाना लगभग बेकार-सा होगा। मैं नहीं चाहता कि यह हकूमत पंच बनकर हमारी आपसी लडाईका फैसला करे। जमायत-उल-उलेमासे मैं नम्रताके साथ कहूँगा कि इस बारेमें वह बहुत मदद कर सकती है। कांग्रेसी और हिन्दूकी हैसियतसे मैं कहता हूँ कि मुसलमान जो चाहें, मैं देनेको तैयार हूँ। मैं बनियापन नहीं करना चाहता। मुसलमानोंकी शराफतपर सब छोड देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जिस चीजकी ख्वाहिश करते हों वह एक कोरे कागजपर लिख दीजिये और मैं उसे कबूल कर लूँगा। जवाहरलालने भी जेलमें यही बात कही थी। सीमाप्रान्तके

[1] ईदगाह मैदानमें।

पठान वन्दूक रखते हैं, तलवार रखते हैं, पर इस युद्धमें उन्होंने तलवार और वन्दूक नहीं चलाई, वल्कि बहादुरोंकी तरह सीनेपर गोलियाँ खाईं, और जितनी तकलीफें आईं, उन्हें शान्तिके साथ सहन किया। जवाहरलालने कहा था कि ऐसे लोगोंके हाथमें तो मैं कलम सौंप दूँगा और कहूँगा, आपको जो चाहिए, लिख दीजिए, मैं दस्तखत कर दूँगा। कांग्रेसका फर्ज हो गया है कि छोटी कौमोंके साथ वह अब इसी तरीकेसे फैसला कर लें। जो कांग्रेसमें हैं, वे हिन्दू-मुसलमानके बीच फर्क नहीं रख सकते। यहाँसे हम दिल्ली जायेंगे। मौलाना शौकत अलीका हमें तार मिला है कि दिल्लीमें मुसलमानोंकी परिषद हो रही है। उसमें कांग्रेसकी तरफसे एक समिति भेजो। सरदार पटेलने इस समितिके सदस्योंके नाम भी भेज दिये हैं। चार-पाँच तारीखको वह परिषद होगी। उसमें पूरी कोशिश की जायेगी। मुसीवतोंका पहाड़ सामने खड़ा है, पर आप भी कोशिश कीजिए कि दो-तीन दिनमें ही मामला साफ हो जाये। मैं भी करूँगा। मैं जानता हूँ कि कानपुर वगैराकी घटनाओंसे मुसलमान वहुत चिढ़ गये हैं, पर इस समय हमारा फर्ज है कि किसी न किसी तरह हम इस मामलेका निपटारा कर लें।

कांग्रेसने लम्बा प्रस्ताव पास करके अपनी जो नीति ठहराई है, उससे पता चलेगा कि जो स्वराज्य होगा, वह गरीबोंके फायदेके लिए होगा। कांग्रेस गरीबोंकी है, किसानोंकी है।[1]

कांग्रेसपर यह आरोप लगाया जाता है कि वह हिन्दुओंकी है; यह आरोप झूठा है। कांग्रेस हर कौमकी है। उसमें मुसलमान शामिल न हों तो वह क्या करे? सब वालिग मर्द और औरतोंको उसमें शामिल होनेका हक है, किसी भी कौमके लिए रुकावट नहीं। जो मुसलमान कांग्रेसमें हैं, उन्हें पूछ लीजिए। वे आपको बतायेंगे कि कांग्रेसमें मुसलमानोंके शामिल होनेमें कोई अड़चन नहीं है। इसलिए आप इस खयालको अपने दिलसे हटा दें कि कांग्रेस हिन्दुओंकी है। मैं तो आपसे अर्ज करता हूँ कि आप कांग्रेसपर कब्जा जमा लें। जबर्दस्तीसे ऐसा कब्जा कभी नहीं जमाया जा सकता; हाँ उसकी सेवा करके जरूर यह हक हासिल किया जा सकता है। जबसे कांग्रेस कायम हुई है, तभीसे जिन लोगोंने उसकी खिदमत की है, उन्हींका उसपर कब्जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेस सिर्फ उन्हीं लोगोंकी है, वह सबकी है। वह तो आनेवाले स्वराज्यकी सरकार है। इस सरकारका दर्जा अंग्रेज-सरकारसे कहीं बढ़-चढ़कर है। कांग्रेसका सभापति वाइसरायसे बड़ा है। वाइसरायको बड़े-बड़े धनवान ही जानते हैं, वे ही उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि वहाँतक जानेके लिए मोटरकी जरूरत होती है। पर सरदारके पास जानेके लिए मोटर नहीं चाहिए। सरदार खुद ही पैदल देहातके किसानोंके घर चले जाते हैं। खुदाकी निगाहमें भी गरीबोंकी खिदमत करनेवालोंका दर्जा ऊँचा है। हुकूमत करना तो सबको पसन्द है। अगर स्वराज्य मिलनेपर राज्यकी बागडोर आप अपने हाथमें लेना चाहते हों, तो आज

१. इसके बादका अनुच्छेद यंग इंडिया, १६-४-१९३१में छपी महादेव देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठी" से लिया गया है।

ही कांग्रेसमें शामिल होकर उसकी लगाम भी अपने हाथोंमें सँभाल लें। सारे देशमें सबसे ज्यादा ताकतवर संस्था सिर्फ कांग्रेस ही है। मैं आपसे अर्ज करूँगा कि आप कांग्रेसमें आइए, हम आपका स्वागत करेंगे।

इस वक्त मुझे हजरत उमरकी सादगी और उनकी सख्ती याद आती है। हजरत उमर न खुद ऐशोआराम और शानोशौकत पसंद करते थे, न अपने अमीर उमरावोंकी। जो मलमल या मखमल पहनते, उनकी पोशाक उतरवा कर वे उन्हें खादी पहनवाते थे। महीन आटेके शौकीनोंसे उसका त्याग करवाते थे। मुसलमान आज गरीबोंकी खातिर ऐसा त्याग क्यों न करें?

कांग्रेसके अधीन चरखा-संघ नामकी जो संस्था है, उसने आजतक इस काममें ३० लाख रुपये खर्च किये हैं। ये रुपये किसे मिले हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका बडा हिस्सा गरीब मुसलमान औरतोंको मिला है, क्योंकि चरखा चलानेवाली बहनोंमें ज्यादातर बहनें मुसलमान हैं। अधिकतर महीन खादी मुसलमानोंके पाक हाथोंसे कते सूतकी बुनी जाती है। खादी बुननेवाले बहुतेरे जुलाहे मुसलमान हैं। तो क्यों इस तरह बनी हुई खादी आपके लिए अपवित्र है और मैन्चेस्टरमें बना हुआ कपड़ा हलाल है? मुसलमान कातने-बुननेवालोंको भी भूल जाइए। यह तो एक आकस्मिक बात है कि मुसलमानोंको अधिकतर पैसा मिलता है; लेकिन क्या हिन्दू जुलाहे आपके भाई नहीं हैं? क्या उनकी बनाई हुई चीज आपके लिए जायज नहीं हो सकती? आप खुदाको रहीम कहते हैं, कलमा पढ़ते हैं; मैं तो एक अदना आदमी हूँ, पर मैंने भी 'कुरान शरीफ' पढ़ा है। लेकिन उसमें एक भी शरीयत ऐसी नहीं है, जिससे आपको विदेशी कपड़ा पहननेका हक मिलता हो। यों 'कुरान' की इजाजत न होते हुए भी बहुत थोड़े मुसलमान खादी पहनते होंगे। अगर बहुत भले-मानस हुए तो मिलका कपड़ा पहनेंगे, बाकी तो ज्यादातर विलायती ही पहनेंगे। अगर जमायत-उल-उलेमाको गरीबोंसे मुहब्बत हो, तो उसका फर्ज है कि वह खादीका काम अपना ले। मैं साठ बरसकी एक बूढी औरतको जानता हूँ, जो सूत कात कर गुजर करती है। उससे कितना मिलता होगा? फिर भी अगर उसका सूत खरीदा नहीं जाता, तो वह रोने लगती है। आपकी नजरोंमें कौड़ीकी कोई कीमत न हो, उस बेचारीके लिए तो कौड़ी भी कीमती है। वह हर हफ्ते सूतकी कमाईसे तम्बाकू या सिगरेटें नहीं खरीदती, बल्कि अपने बच्चोंके लिए दाल, भाजी, घी, दूध खरीदती है। यह तो मैंने एक मिसाल आपके सामने पेश की। क्या हजारों ऐसे गरीबोंके लिए आपके दिलमें रहम नहीं है? तो, मैं आपसे कहूँगा कि दिलमें रहम न हो, तो पाँच दफा नमाज पढनेसे जन्नत (स्वर्ग) नहीं मिलता। आपके समान विद्वानोंको, उलेमाओंको एक हिन्दू यह बात निहायत अदबके साथ कहना चाहता है। और नम्रताके साथ मैं आपसे यह भी कहूँगा कि आप नमाज भले न पढ़ें, पर खुदासे डरें, इन्सानसे हरगिज न डरें। अगर इसमें मैं गलती कर रहा होऊँ, तो मुझे माफ कीजियेगा, और सिर्फ मेरे दिलके भाव समझ लीजियेगा।

दो बातें सिन्धके मुसलमान जमीदार भाइयोंसे भी कहना चाहता हूँ। मेरी राय है कि सिन्धका अलग सूबा बनाना चाहिए। पर आजकल मेरे पास सिन्धके

सैकड़ों हिन्दुओंकी तरफसे तार और चिट्ठियाँ आ रही हैं। आज हिन्दुओंका एक मण्डल भी मुझसे मिलकर गया है। मैंने अपनी समझके अनुसार उन्हें जवाब दिया है, लेकिन साथ ही मैंने उनसे यह भी कहा कि जिस तरह आप मेरे पास आते हैं वैसे ही मुसलमानोंके पास भी जाइए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वे लोग आपके पास आनेसे डरते क्यों हैं? आप उन लोगोंकी तकलीफें देखनेके लिए क्यों उनके पास नहीं चले जाते? सिन्धके हिन्दुओंको आपपर इतना अविश्वास क्यों है? वे आपसे डरते हैं। आपसे क्यों डरते हैं? क्या उनका डर मिटाना आपका काम नहीं है? अगर वे आपसे डरते हैं, तो क्या यह आपके लिए शर्मकी बात नहीं है? निहायत अदबके साथ मैं आप उलेमासे अर्ज करता हूँ कि आप सिन्धके मुसलमानोंको समझाएँ कि वे सिन्धके हिन्दुओंका विश्वास करें। मैं चाहता हूँ कि हिन्दू और मुसलामन दोनों मिलकर मुझे तार भेजें कि दोनों सिन्धको अलग सूबा बनाना चाहते हैं। सिन्ध मुसलमानोंका ही नहीं, बल्कि दोनोंका सूबा है। सिन्धको उम्दासे-उम्दा प्रान्त बनाना आपके हाथमें है। जमशेद मेहता जैसे फकीर भक्त सिन्धमें मौजूद हैं। सिन्धके मुसलमान धनाढ्य हैं। सिन्धमें होशियार और धनी आमिल लोग हैं। सिन्धमें ऐसे भाई मौजूद हैं, जो दुनियाके कोने-कोनेमें पहुँच चुके हैं। इन सब ताकतोंको इकट्ठा करके आप सिन्धको सबसे बढ़िया प्रान्त बना सकते हैं। मेरे पास हिन्दुओंके तार आने बन्द हो जायें, तो देशका धन बचे, मैं ज्यादा सूत कात सकूँ और अपना वक्त ज्यादा महत्त्वके कामोंमें लगा सकूँ। अगर आप इतना कर सकें, तो आपके कामका असर दूसरे सूबों पर भी अच्छा पड़ेगा। यही छोटी-सी मेरी अर्ज है। खुदासे मैं बन्दगी करता हूँ कि मेरी बात आपके दिलोंको छुए, और खुदा हम सबके दिलोंको पाक करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-४-१९३१

४२०. भाषण: पारसी राजकीय मण्डल[1], कराचीमें[2]

[१ अप्रैल, १९३१][3]

मुझे पता न था कि पारसी भाई-बहन डरपोक होंगे। यह तो श्री सिध्वाके कहनेसे ही मालूम हुआ। पर आपकी शान्तिके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि पारसी कौमके मुट्ठीभर आदमी दुनियाके किसी भी कोनेमें क्यों न पड़े हों, उन्होंने वहाँ कभी मुसीबत नहीं उठाई। पोरबन्दरमें मेरे पिताजीके दिनोंमें दो या तीन पारसी परिवार थे, पर उन्होंने अपनी स्थिति बड़ी अच्छी बना रखी थी। इसका कारण क्या था? क्या पोरबन्दर-राज्यमें पारसियोंके हितोंकी रक्षाके विशेष कानून थे? राजकोटका

१. जमशेद मेहता, आर० के० सिध्वा और बजोरजी भरूचा द्वारा संचालित एक पारसी संगठन।

२. महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे उद्धृत।

३. बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्सके अनुसार।

भी यही हाल है। अक्ल और होशियारीसे चाहे जहाँ अपने लिए रास्ता निकाल लेनेवाले पारसी [जाति]को रक्षा-कानूनकी क्या जरूरत? जिन पारसी रुस्तमजीका नाम मैंने दुनियामें मशहूर कर रखा है, दक्षिण आफ्रिकाके सार्वजनिक जीवनमें उनका स्थान किसी रक्षा-कानूनके कारण था क्या?

स्वराज्यमें आपके हकोंकी रक्षा करनेवाला मैं कौन हूँ? आपको अपनी होशियारी और बलिदानसे अपना स्थान बना लेना होगा, और याद रखिए कि परमात्माका यह वचन है कि किसीका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। एक लाखकी आबादीमें से कितने भाई-बहन जेल गये और कितने खादी पहननेवाले हैं, इसकी गिनती करें, तो सम्भव है कि हिन्दुओंकी अपेक्षा आपका स्थान आगे हो। हिन्दू भले इसे न पहचानें, खुदा तो पहचानेगा ही। कभी यह नहीं सुना कि कोई पारसी किसीसे दब गया; उसने अक्सर अपनी योग्यतासे और भलमनसाहतसे, एकाध बार कभी शहजोरीसे भी अपना रास्ता साफ किया है। आपको खास सरक्षणकी क्या जरूरत है? आपकी सख्याके हिसाबसे आपको धारासभामें जगह दें तो कितनी जगहें मिलेंगी? प्रधानमण्डलमें कितने आयेंगे? पर अपनी योग्यताके कारण ही दूसरी सब कौमोकी अपेक्षा आप ही के लोग आज अधिक सख्यामें ऐसी जिम्मेदारीकी जगहपर अग्रगण्य हैं। इसलिए आपसे कहता हूँ, खबरदार, आप अपने अधिकारोकी रक्षाकी कोई बात न करें। ऐसे भयकी बातें कहकर मुझे शर्मिन्दा न करें। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक तलवार रखें, और स्वराज्यमें मैं जिन्दा रहूँ, और आपके साथ इन्साफ न हो तो उस तलवारसे मेरी गर्दन उतार लें। अन्यथा याद रखिए कि आपका सूर्य अस्त होनेवाला नहीं है, आप तो अखण्ड अग्नि जलानेवाले हैं, आपको कभी आँच तक न आयेगी। जिस दिन आपको यह लगे कि अग्रेजके राज्यमें तो मजा था, इस हिन्दू-मुसलमानोके राज्यमें हमारा क्या होगा, उस दिन मेरे टुकड़े करके समुद्रमें बहा देना, सरदार और जवाहरलालकी भी यही गति करना।

पर अब आपकी स्तुतिके बाद थोड़ी निन्दा भी कर लूँ। आप रेशमी साड़ीकी आदतकी क्या बात करते हैं? तब तो आप कह सकते हैं कि गुलामीकी भी आदत पड़ गई है। सिध्वाने कहा है कि आपमें से ५० आदमी खादी पहनते हैं, पर इससे मेरा पेट नहीं भरता। आप सबको विदेशी वस्त्र-बहिष्कारका व्रत लेना ही चाहिए। आप शराबीको सभाका सदस्य नहीं बनाते, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपमें कुछ ऐसे भी हैं जो शराब छोड़नेको तो कहते है, पर मजेदार ताड़ी (बियर)का जायका कैसे छूटे? उसका नाम लेते ही आपके मुँहमें पानी भर आता है। शोकके अवसरपर ताड़ी, और हर्षके अवसरपर ताड़ी; सरदी हो तो ताड़ी और गरमी हो तो ताड़ी–यह कहाँका न्याय है? यदि इसमें कोई एक गुण है, तो अनेक अवगुण हैं। इसलिए आपने सभाकी सदस्यताका जो नियम बनाया है वह अच्छा है। उस नियमको स्वीकार करके सब इस सभामें शामिल हों और पारसियोंमें शराबबन्दीका प्रचार करें। अनेक धमकियाँ दिये जानेपर भी मीठूबहन पारसी दुकानदारोसे झगड़ती हैं; दरबारी साधू जैसे वैरागी पारसीने कराड़ी जैसे नन्हेंसे गाँवमें बैठे-बैठे इसी

कामको अपना धन्धा बना लिया है और यही काम करते हुए वे जेल भी गये हैं। इन सेवकोंके खयालसे ही सही, आप खून चूस लेनेवाले इस जहरीले पेयको त्याग दें। आपके समान दानशील कौमें कम हैं। पर याद रखिए कि शराबकी आदत बनाये रखकर आप अपने ऐश्वर्यको कायम नहीं रख सकते। भागवतकारने कहा है कि यादव शराब पीनेके कारण नष्ट हो गये। दूसरी बात यह याद रखिए कि स्वराज्यके राष्ट्रपतिको ५०० से ज्यादा वेतन नहीं मिलेगा, इसलिए आप ऐशोआराम छोड़िए। अन्यथा स्वराज्यके तन्त्रमें पारसी भाइयोंके लिए हाथ बँटाना मुश्किल हो जायेगा।

यहाँ आते समय सरदारने मुझे कहा: "मैं पारसियोंसे मिल लूँगा, आप आराम करें।" मैंने कहा: "और जगह मैं आपको अपनी मुख्तारी सौंप देता, पर यहाँ नहीं।" यहाँ तो मुझे अपना हिसाब बताना चाहिए और आपसे हिसाब पूछना चाहिए। मेरा हिसाब तो जाहिर है। आपके हिसाबकी जाँच करते हुए मालूम होता है कि आपके खातेमें खादी और मद्यनिषेधकी मदमें बड़ी रकम उधार पड़ी है। ये दोनों ऋण चुका डालिए और बड़ी संख्यामें इस सभामें शामिल हों। बस, फिर सदा आपकी जय है, जय है, जय है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १२-४-१९३१

४२१. कांग्रेस अधिवेशनके बाद

कांग्रेस-अधिवेशन समाप्त हो चुका है। सत्वर प्रबन्धकी दृष्टिसे यह अधिवेशन एक पदार्थपाठ था। तीन हजार स्वयंसेवकों, स्त्री, पुरुष और बच्चों, तथा जनताके स्वेच्छापूर्वक सहयोगके बिना बीस हजार लोगोंको आश्रय देनेवाली और सब तरहकी सुविधाओंसे पूर्ण नगरी २५ दिनोंके अन्दर तैयार नहीं हो सकती थी। व्यापारियोंके एक मण्डलने रसोईकी जिम्मेदारी अपने सिरपर ले ली और इस सम्बन्धमें उपयोगिता, किफायतशारी तथा सुन्दर सेवाका विश्वास दिलाया। स्त्री-सेविकाओंने कठिन कामोंमें पुरुषोंके साथ स्पर्धा की और अक्सर रात-रातभर जागरण भी किया। पर सच्चा श्रेय तो कराचीके महान पारसी जनसेवी और दानी लॉर्ड मेयर जमशेद मेहताको है। वहाँ कुछ ऐसे पुराने और अनुभवी कार्यकर्त्ता थे, जिन्होंने कांग्रेसके प्रबन्धको सम्पूर्ण बनानेमें पूरी मेहनत की। पर उनका जिक्र करनेकी जरूरत नहीं। अधिवेशनके लिए किये गये निर्माण-कार्यकी मुख्य विशेषता तो उसका वह विशाल मण्डल था, जिसके शामियानेकी जगह नीला आकाश शोभा देता था। इसके कारण दो बातें आसान हो गईं: एक तो लोग खुली हवामें बैठ सके और दूसरे बैठनेवालोंके लिए स्थानकी कमी नहीं रही। इसके कारण पैसेकी भी बहुत बचत हुई। सभामंच और गैलरियोंको अलगसे बनानेके बजाय अहमदाबाद-कांग्रेसकी भाँति ऊँची-नीची खुदाई करके ही यह काम कर लिया गया था। दूसरी विशेषता थी खादीकी वह महान् प्रदर्शनी, जिसकी

सुन्दर व्यवस्थाने पहलेकी सब प्रदर्शनियोंको मात कर दिया। यद्यपि यह प्रदर्शनी किसी बड़ी प्रदर्शनीका अंग न थी, तो भी झुंडके-झुंड लोग इसे देखने आते रहे और आर्थिक दृष्टिसे भी यह पूर्णतया सफल रही।

सरदार वल्लभभाईका भाषण शायद पहलेके तमाम अध्यक्षोके भाषणोसे मुख्तसर था। कांग्रेसकी कार्यवाहीको वे दो दिनमें समाप्त कर सके थे, यह भी मामूली काम नही है। एक दिनकी बचतसे बहुत कुछ खर्चेकी बचत होती है और अत्यधिक थके-मांदे स्वयंसेवकोको भी बहुत राहत मिलती है।

कराची-कांग्रेसने अस्थायी समझौतेका समर्थन किया है, और अपने प्रतिनिधियोको स्पष्टतम शब्दोंमें आदेश दिया है।

इसके पहले कि कांग्रेसके प्रतिनिधि किसी परिषद्में शामिल हो, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। काग्रेसियोका कर्त्तव्य अब स्पष्ट है। उन्हे अस्थायी समझौतेकी शर्तोंका ईमानदारीके साथ पालन करना चाहिए। वे वातावरणमें हिंसाकी बू तक न रहने दें और ऐसा करनेके लिए पहले उन्हें अपने हृदयको टटोलना और आत्मशुद्धि करनी चाहिए। राष्ट्रको विदेशी वस्त्रके बहिष्कारको सफल बनाना ही चाहिए और चरखेका सन्देश गाँव-गाँवमें फैलानेका प्रयत्न करना चाहिए। यह काम पूरा करनेसे पहले अपने करोड़ो भूखों मरनेवाले भाइयोंके प्रति हमारे मनमें अब पहलेसे अधिक प्रेम होना चाहिए। शराबियों और नशेबाजोंको समझाना-बुझाना चाहिए, व्यसन छोड़नेके लिए उनके साथ जबर्दस्ती न की जानी चाहिए। इन बातोंके लिए पहलेसे अधिक व्यवस्था, आपसी सहयोग और मनसा, वाचा, कर्मणा अहिंसामें अधिक श्रद्धाकी आवश्यकता है। अहिंसाको हम नीति मानें या धर्म? जबतक वह नीति या धर्म है, तबतक उसका मन और वचनसे पूरा पालन होना चाहिए।

जबतक समझौता कायम है हमें ब्रिटिश वस्तुका, ब्रिटिश वस्तुके नाते बहिष्कार न करना चाहिए। और आखिरमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दुओं और मुसलमानोमें एकता स्थापित होनी ही चाहिए। मैं जानता हूँ, इसे कैसे करना चाहिए। हिन्दुओको साहसके साथ मुसलमानो तथा सिखोपर विश्वास करना चाहिए और जो वे लेना चाहें, उन्हें ले लेने देना चाहिए। इससे राष्ट्र सब तरहकी कौमी बुराइयोसे मुक्त हो जायेगा। पर इसका विचार आगे कभी करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-४-१९३१

४२२. हम पश्चात्ताप करें

जो घृणा पैदा की गई और जिसे शब्दों और कामोंमें अभिव्यक्त किया गया, इतनी असह्य है कि हम यह सोचनेपर विवश हो जाते हैं कि क्या घृणाकी जबर्दस्त शक्तियोंको देशभरमें फैलाया जाना उचित है? सुबहसे लेकर रातमें देरतक भाषणों, गीतों, नारोंके द्वारा कानोंसे घृणाकी धारा आ-आकर टकराती रहती थी। लोगोंका इतनी बड़ी संख्यामें ऐसा अधः पतन देखकर जी बैठ जाता था। मैं 'अधः पतन' शब्दका प्रयोग पूरी जिम्मेदारीके साथ कर रहा हूँ। ऐसा लगता था मानों लोगोंको झूठ बोलनेकी पूरी छूट और स्वतन्त्रता हो। किसी ऐसी बातको लेकर जो बिलकुल ही झूठ हो, किसी ऐसी घटनाको लेकर जो कभी हुई ही नहीं, सरकारी अधिकारियों, पुलिस अफसरों और ऐसे लोगोंपर जो अपनेसे असहमत हों, आक्रमण करना आम और रोजमर्राकी बात हो गई है। ऐसी घटना सड़कोंपर और किसी भी जगह देखनेमें आती रहती थी। विशेषकर ब्रिटिश मालके व्यापारियों और कुछ दूसरे विदेशी मालके व्यापारियोंपर किये गये अत्याचार और अन्याय इतने सर्वव्यापी, असह्य और अक्षम्य थे कि शब्दों द्वारा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक आदमीको किसी चीजका व्यापार न करने और दूसरेको वह चीज न खरीदनेके लिए अनुरोध करना एक बात है, परन्तु यथासम्भव सभी उपायोंको काममें लाकर, उसे गाली देकर, उसके रास्तेमें बाधा डालकर, हर तरह उसका जीवन कष्टमय बनाकर उससे जबर्दस्ती करना दूसरी बात है। हमें अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ अहिंसा बुरी तरह असफल हुई। मेरा पक्का यकीन है कि इससे जो घृणा पैदा हुई और जो अत्याचार हुए, वे अहिंसासे कोसों दूर हैं और महात्माजीकी शिक्षाओं और सिद्धान्तोंके बिलकुल प्रतिकूल हैं। जब कभी कोई आम आन्दोलनसे सहमत न हो तो उसका जीवन दूभर बना देना और उसके कामोंमें बाधा डालना आम बात हो गई थी। हर प्रान्तमें अलग-अलग किस्मकी गतिविधियाँ जारी थीं, और परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि या तो ऐसी बातोंको स्वीकार कर लेना पड़ता था या फिर छोटे बड़े, महिलाओं, वयस्क पुरुषों या बच्चोंके किसी दलके द्वारा आपपर जो भी गुजरे, उसे सहन करना पड़ता था। उनके विचारमें किसी भी तरहकी असहमतिका मतलब था अंग्रेजोंका और सरकारका पक्ष लेना या देशके प्रति दगाबाजी करना। स्पष्ट ही मानसिक रूपसे घृणाकी इन शक्तियोंके शिकार बने हुए ऐसे लोग आज कई घरोंमें हमें मिल सकते हैं।

परन्तु खतरा इससे भी कहीं बड़ा है। खूनका स्वाद — कानूनका तोड़ना — इतना आकर्षक सिद्ध हुआ है कि आज सत्याग्रह, यह भला शब्द हर-एककी जबानपर है। जब भी आपका स्कूलमें, घरमें, किसी मण्डलीमें, मित्रोंके बीच, व्यापारमें, दफ्तरमें — जहाँ कहीं किसीसे मतभेद हो, आप देखेंगे कि हर वक्त आपको सत्याग्रहकी धमकी दी जाती है। मालिक और कर्मचारीमें, मकान-मालिक और किरायेदारमें, माता-पिता और बच्चोंमें, अध्यापकों और शिष्योंमें, भाई और दोस्तोंमें, सब जगह सत्याग्रहकी बर्छीकी नोक तैयार ही है। समाज या राज्यके कानूनों और नियमोंको तोड़ना एक बहुत ही आसान खेल हो गया है। यदि कालेजका प्रोफेसर अनुशासनकी बात सुझाए, यदि नगरपालिकाका अधिकारी अतिरिक्त कर लगानेका प्रस्ताव करे, यदि बच्चोंसे शोर न करनेका अनुरोध किया जाये, यदि फेरीवालोंसे सड़कपर रुकावट न डालनेके लिए कहा जाये, यदि तबदीलियों या किसी परिवर्तनकी बात हो रही हो, यदि ऐसा कोई भी काम किया जा रहा हो जो किसी औरकी दृष्टिमें अच्छा न हो, तो सत्याग्रहकी यह तलवार आपके सिरपर लटका दी जाती है। उसका प्रयोग कहाँ और किस तरह किया जाना चाहिए, लगता है कि सारे राष्ट्रको इस बातका कुछ खयाल नहीं रहा है। किसी भी राष्ट्र या देशके लिए यह खतरेकी निशानी है। यह बिलकुल उस हवाई जहाजके समान है जो आम तौरपर शीघ्रतासे एक देशसे दूसरे देश जानेके लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसका बम फेंकनेके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह बिलकुल माचिसकी तीलियोंके समान है, जो प्रकाश देती हैं और घरको जलानेके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। हमें सत्याग्रहके हथियारमें भी साफ-साफ यह खतरा दिखाई दे रहा है। सत्याग्रहके उपयोगसे लाभ भी हो सकता है; परन्तु पूर्ण विनाशके लिए इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि जबतक वे लोग जो संसार-भरमें ऐलान करते हैं कि सत्याग्रह सर्वोत्तम हथियार है, इस मामलेमें अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते, जल्दी ही पायेंगे कि इससे केवल उन्हींको नहीं बल्कि सारे देशको हानि हो रही है। यदि मैं नम्रतापूर्वक यह सुझाव दे सकूँ तो मुझे लगता है कि जिन्होंने अनुशासनमें रहकर निष्ठापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कुछ-एक ऐसे नेता अब और कुछ न करें; सिर्फ घृणासे विमुक्त होकर अपने जीवनके कुछ वर्ष किसी प्रान्त, शहर और गाँवमें बितायें और लोगोंको समझायें कि वास्तविक सत्याग्रह या सच्ची अहिंसासे क्या अभिप्रेत है, इसे व्यवहारमें कैसे और कब लाया जाना चाहिए। मैं नम्रतापूर्वक यह सुझाव दूँगा कि हर प्रान्तमें अहिंसाके प्रशिक्षणका नियमित ढंगसे चलाया जानेवाला एक स्कूल होना चाहिए। वहाँ राजनीतिके छात्रोंको शिक्षण देनेके लिए इस विषयको पूरी तरह वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण ढंगसे समझनेवाले

मनस्वी अध्यापक रखे जायें और फिर यही विद्यार्थी पूरा समय देनेवाले कार्यकर्त्ताके रूपमें काम करें। वे सारे देशका भ्रमण करें, इस सन्देशका प्रचार करें और लोगोंको समझायें कि सत्याग्रह वास्तवमें है क्या। मेरे विचारमें देशको बचानेके लिए यही एक उपाय हो सकता है।

कराचीके लॉर्ड मेयर जमशेद मेहता सच्चे देशभक्त हैं। यदि उन्होंने अपनी सामर्थ्यके अनुसार कांग्रेससे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित न किये होते और यदि उन्होंने अपनी नगरपालिकाके सारे साधनोंको स्वागत-समितिके सुपुर्द न किया होता तो पच्चीस दिनोंकी अल्प-अवधिमें ऐसा आश्चर्यचकित कर देनेवाला कांग्रेस-नगर बनकर तैयार न हो पाता। आन्दोलन-कालमें सत्याग्रहियोंके साथ उन्हें कितनी सहानुभूति थी, यह बात सबको मालूम है। इसलिए उन जैसा आदमी जब किसी भी तरहकी कोई आलोचना करता है तो उसपर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए। ऊपरके अंश कराचीके आंग्ल-गुजराती साप्ताहिक 'पारसी संसार' और 'लोकसेवक'में छपे हुए श्रीयुत जमशेद मेहताके लेखमें से लिये गये हैं। यहाँ मैंने उनके द्वारा की गई जो आलोचना उद्धृत की है, उससे पहले उन्होंने उन सत्याग्रहियोंकी, जिन्होंने बिना किसी प्रतिशोधके कष्टोंको सहन किया, भूरि-भूरि प्रशंसा की है। परन्तु हमारे लिये इन प्रशंसा-पत्रों पर गर्वसे फूल जानेका कोई कारण नहीं है। जहाँतक हमारे अहिंसा पालनका सम्बन्ध है, वह तो केवल हमारा कर्त्तव्य पालन ही हुआ।

हमें चाहिए कि मानवता और अपने देशके इस सच्चे मित्रकी चेतावनीपर हम पूरा ध्यान दें और उससे शिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने कराचीके बारेमें जो-कुछ कहा है वह किन्हीं अंशोंमें दूसरी जगहोंके बारेमें भी सच हो सकता है।

यदि अहिंसाको सक्षम शक्तिका रूप लेना है तो पहले वह मनमें दृढ़ होनी चाहिए। केवल शारीरिक अहिंसा, जिसमें मनका सहयोग नहीं है, निर्बल और कायरोंकी अहिंसा है और इसलिए वह सक्षम शक्ति कभी नहीं बन सकती। जैसा कि जमशेदजीने सच ही कहा है, उस हालतमें तो उसका प्रयोग अधः पतनका सूचक है। यदि हमारे मनमें दुर्भाव और घृणा हो और हम बदला न लेनेका ढोंग करें तो वह किसी दिन उलटकर खुद हमारा ही नाश कर देगी। केवल शारीरिक अहिंसाके संयमनके लिए, जिससे किसी तरहकी हानि न हो, कमसे-कम इतना तो जरूरी है कि यदि हम सचमुच प्यार नहीं कर सकते तो घृणाको भी मनमें कोई स्थान न दें। ऐसे सारे गीतों और भाषणोंपर जिनसे घृणाकी गंध आती है, प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए।

यह कहना भी सच है कि शासनके प्रति बिना सोचे-विचारे किये गये विरोधसे निरंकुशता, असंयत स्वेच्छाचार बढ़ेगा और परिणाम आत्म-विनाश ही होगा।

यदि जमशेदजीकी आलोचनाका उनकी सराहना द्वारा बहुत कुछ सन्तुलन नहीं हो गया होता — अर्थात् यदि वास्तविक अहिंसा तुलनामें कुल मिलाकर अवास्तविक अहिंसासे बढ़ न गई होती तो भारतने जो प्रगति की है, वह न की होती। परन्तु कराचीके लॉर्ड मेयरकी सराहनासे भी ज्यादा अच्छी बात तो यह असन्दिग्ध तथ्य है

कि जिस सहज भावसे अहिंसाका पालन किया है, उसकी हमने कभी कल्पना भी नही की थी। यह उनकी अहिंसा है, जो राष्ट्रीय चेतनाकी वृद्धिमें सहायक हुई है।

अहिंसाके रहस्यमय प्रभावको इसके दिखाई देनेवाले प्रभावसे नही नापा जा सकता। परन्तु जबतक समाजमें घृणाका जहर व्याप्त होने दिया जा रहा है, तबतक हम सन्तुष्ट होकर नही बैठ सकते। यह संघर्ष हृदय-परिवर्तनके लिए किया जा रहा एक महान प्रयास है। हमारा ध्येय अंग्रेजोका हृदय-परिवर्तन करनेसे कम नही है। यह कार्य दुर्भाव रखते हुए अहिंसाका अनुसरण करनेका बहाना करके कभी पूर्ण नही किया जा सकता। इसलिए वे लोग जो अहिंसाके मार्गका अनुसरण करना चाहते है और साथ ही मनमें दुर्भाव भी रखे हुए है, अपनी भूल सुधारे और उन्होने अपनी और देशकी जो हानि की है, उसके लिए पश्चात्ताप करे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २-४-१९३१

४२३. भाषण: सिन्ध देशसेवा मण्डल कराचीमें[1]

[२ अप्रैल, १९३१][2]

किन्तु ऐसी संस्थाओंके नियम और अनुशासन कठोर होने चाहिए। मेरे सामने यह सवाल रखा गया है कि इसमें जो कार्यकर्त्ताके रूपमें आते है उन्हे आजीविकाके लिए कुछ लेना चाहिए या नही। कई लोग कुछ लेनेमें दोष मानते है और मुफ्त काम करना पसन्द करते है। दूसरे लोग कहते है कि देशसेवकोको भी खाने-पीनेके लिए मिलना चाहिए, नही तो फिर हमें लखपति देशसेवक खोजने पडेंगे। मुझे बता देना चाहिए कि काम करेगे किन्तु पैसा लिए बिना करेंगे, ऐसा सोचनेमें मिथ्याभिमान निहित है। इस प्रकार पेट भरनेके लिए वेतन लेनेमें कोई बुराई नही है। इतना पैसा लेना हमारा कर्त्तव्य है। गोखलेजीने स्वयं ४० रुपयेसे शुरू किया और ७५ रुपयोंसे ज्यादा कभी नही लिया। उन्होंने जीवनभर ७५ रुपयोमें निर्वाह किया। वे कई आयोगोमें काम करते थे और उसमे जो भत्ता आदि मिलता वह 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' को दे देते थे। इस प्रकार खाने भरके लिए खर्च ले लेना वे पुण्य मानते थे। इसे हम भूल कैसे मानें? लखपतिका बालक भी हो, तो अपनी लाखोकी सम्पत्तिपर निर्भर न रहे और ऐसे मण्डलको अपनी सम्पत्ति दान दे दे तथा बादमें दूसरे सेवकोंकी तरह आजीविका ले, यही इष्ट है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसे मण्डलोको नियमबद्ध होना चाहिए। व्रत-नियम आदिके बिना मनुष्य बिना पतवारकी नौका जैसा है। यहाँ सौ रुपयेसे कममें नही

१. स्थायी सदस्यों अथवा अस्थायी कार्यकर्ताओंके रूपमें पूर्ण-काल सेवकोंके द्वारा समाज कार्यका उद्देश्य रखनेवाली एक संस्था।

२. बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्ससे।

चला सकते यह बात मुझे खटकती है। सिन्धी भले ही यह मानते हों कि सौ से कममें नहीं चल सकता, किन्तु मुझे अनुभवसे मालूम है कि बिना कष्टके बहुत कममें निर्वाह किया जा सकता है। लालाजी और गोखलेजीकी संस्थाएँ उनके नामसे प्रसिद्ध हैं, किन्तु कष्ट सहकर संयमका पालन करनेवाली दूसरी अनेक संस्थाएँ हैं जिनमें मात्र २५-३० रुपये लेनेवाले व्यक्ति भी काम कर रहे हैं। उड़ीसामें १५-२०से ज्यादा कोई लेता ही नहीं है। इसलिए हमें अपने देशकी परिस्थिति देखकर अपनी आवश्यकताओंकी सीमा बाँध लेनी चाहिए।

आजतक हमने उलटा कारबार चलाया। सारा काम शहरोंमें ही किया और अपनी सभी योजनाएँ शहरोंका खयाल करके ही बनाई। गाँवके लोगोंसे दूर रहे, इसलिए उन लोगोंपर आजतक जो कष्ट पड़े, उसे वे दैवी प्रकोप मानते रहे हैं। दूसरा कोई कारण हो सकता है, यह उन्हें सूझता ही नही है। सेवा संघोंको इन लोगोंमें रहकर, उनके सुख-दुखका भागी बनकर, उनमें ज्ञानका प्रचार करके उनकी सेवा करनी है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १२-४-१९३१

४२४. पत्र : जी० कनिंघमको

१ दरियागंज, दिल्ली
४ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री कनिंघम,

आपके ९ मार्चके पत्रके सन्दर्भमें अब मैं आपको यह सूचना देनेकी स्थितिमें हूँ कि कांग्रेसके इस प्रस्तावकी रू-से, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, कार्य समितिने मुझे ऐसे किसी सम्मेलनमें जिसमें भारत-सरकार कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डलका भाग लेना उचित समझे, कांग्रेसका प्रतिनिधित्व करनेके लिए एकमात्र सदस्य चुना था, बशर्ते कि उस समय कांग्रेस किसी ऐसे सम्मेलनमें भाग लेनेकी स्थितिमें हो। यदि आप इस पत्रको महामहिम वाइसरायके पास पहुँचा देंगे तो मैं आपका आभार मानूँगा।

हृदयसे आपका,

सहपत्र :

१. २९ मार्चका कांग्रेस प्रस्ताव सं० ५ — अस्थायी समझौता . . .[1]
२. २ अप्रैलका कांग्रेस कार्य-समितिका प्रस्ताव सं० ३ . . .[2]

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३४५) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : इंडिया आफिस लाइब्रेरी

१ व २. यहाँ साधन-सूत्रमें दिये प्रस्ताव सं० ५ और ३ के मूल पाठके लिए देखिए "प्रस्ताव : अस्थायी समझौतेपर" २९-३-१९३१।

४२५. अपूर्व अवसर

वम्बईके एक प्रसिद्ध व्यापारी लिखते हैं :[1]

इसमें जिस हदतक सचाई हो, उस हदतक सम्बन्धित व्यापारियोंको इसका विचार कर लेना चाहिए। इतना तो तय है कि :

१. विदेशी कपड़ा हिन्दुस्तानमें आना वन्द हो ही जायेगा।

२. वचा हुआ माल हिन्दुस्तानमें वेचनेकी इजाजत कदापि नही मिलेगी।

३. यह वहिष्कार आखिर खादीके जरिये ही सफल होनेवाला है। विना खादीके सफल हो सकता हो तो भी उससे करोड़ोका काम नही वनता। इस वहिष्कारका विशेप मूल्य इस वातमें है कि इससे करोड़ोको फायदा होगा।

४. विदेशी वस्त्रके वहिष्कारका राजनैतिक परिणाम निश्चित है, पर इस वहिष्कारकी कल्पना उस परिणामके लिए नही की गई। इस वहिष्कारसे करोड़ो गरीवोंकी माली हालत एकदम सुधर जाती है और वेकार वैठी हुई जनताको उद्यम मिल जाता है। गाँवोमे वसनेवाले करोडो लोगोंके लिए यह स्वराज्य है। स्वराज्यका इससे अधिक लाभ उन्हे मिल ही नही सकता।

इतना समझ जाने पर धरनेकी जरूरत अधिक स्पष्ट हो जायेगी। इस पत्रसे पता चलता है कि वारह महीनोंकी तपश्चर्याके वाद भी व्यापारी-वर्गके अधिकांश लोगोंका हृदय पसीजा नहीं है।

वे चाहे जिस रीतिसे विदेशी वस्त्रका व्यापार करनेका सिरतोड़ प्रयत्न कर रहे हैं। किसान वरवाद हो गये है। पर ये व्यापारी अपना पापमय व्यापार छोड़कर निर्दोप व्यापार करनेको तैयार नही हैं। यह हालत होते हुए भी धरना दिया जाना चाहिए। पर, वह शुद्ध अर्थात् अहिंसक होना चाहिए। भले ही व्यापारी आज हँसी करे, भले वे वहनोको गाली दें, भले ही वे धरनेकी जगहसे हटकर दूसरी जगह अपना माल वेचें, किन्तु इसमें शक नही कि वहनोंको यह अपूर्व अवसर मिला है। अन्यत्र श्री जमशेदजी मेहताके लेखका जिक्र करते हुए मैंने कहा है[2] कि हमारा धरना निर्दोप नही था। जवर्दस्ती कराया गया वहिष्कार कभी टिका नही रह सकता। इसलिए जो वहनें वहिष्कारकी आवश्यकता समझ गई है, और यह भी समझ गई है कि धरना केवल शान्तिपूर्वक ही होना चाहिए, वे इस अवसरसे लाभ उठाकर शान्त धरनेका प्रयोग करके उसका शास्त्र रचें। कुछ परिणाम न होनेपर वे हिम्मत न हारें। हो-हल्ला कम होनेसे जिन्हे हो-हल्ला पसन्द हो वे वहनें हट जायें, तो भी

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्रमें कई व्यापारियों द्वारा विदेशी कपड़ेके वहिष्कारको धोखा दिये जानेका उल्लेख था।

२. देखिए "हम पश्चाताप करें", २-४-१९३१।

निराश न हों; वे स्वयं तो अपना काम अविचल श्रद्धाके साथ और दृढ़तापूर्वक करती रहें।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ५-४-१९३१

४२६. पत्र : नारणदास गांधीको

६ अप्रैल, १९३१

चि० नारणदास,

मेहताव वावू उत्कलके धनिक आसामी हैं। लेकिन अव तो उन्होंने सव कुछ त्याग दिया है। वे भाई जीवरामके निकट सम्पर्कमें आये है। वे कुछ समयके लिए आश्रममें रहकर स्वयं उत्कलमें ही एक आश्रम खोलना चाहते हैं। उनका ध्यान रखना, आश्रमकी नियमावली वताना और उनसे सव काम लेना। वे सरल हृदय व्यक्ति हैं।

अन्य कुछ लिखनेका मेरे पास समय ही कहाँ है? १० तारीखको वहाँ पहुँचनेकी उम्मीद है। मैं अम्वालाल भाईके यहाँ ठहरूँगा।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से; तथा सी० डब्ल्यू० ८१५५ से भी।
सौजन्य : नारणदास गांधी

४२७. भेंट पत्र-प्रतिनिधियोंसे

नई दिल्ली
६ अप्रैल, १९३१

आज 'ऑल इंडिया मुस्लिम कान्फरेंस'में श्री जहूर अहमदने जो भाषण दिया, वह श्री गांधीको दिखाया गया। श्री जहूर अहमदने भाषणमें कहा था "श्री गांधीने कहा है कि देशमें गृह-युद्ध छिड़ जायेगा और वह तवतक जारी रहेगा जवतक कि एक जाति पूरी तरह निःशेष नहीं हो जाती। मैं कहता हूँ हम आज ही क्यों न अपनी दिलेरी परख लें और फैसला कर लें?"

श्री गांधीने एक पत्र-प्रतिनिधिसे कहा :

मैंने गृहयुद्धकी भयानकताके वारेमें जो-कुछ कहा है उसकी इससे ज्यादा शरारतभरी गलतवयानी नहीं हो सकती, जैसी कि आपके अनुसार श्री जहूर अहमदने अपने भाषणमें की है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-४-१९३१

४२८. वक्तव्य : साम्प्रदायिक समस्यापर समाचारपत्रोंको

[६ अप्रैल, १९३१][1]

मैं देखता हूँ कि हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नपर मेरे रुखके बारेमें लोग बड़ी गलत बयानियाँ कर रहे हैं। मेरा अपना निजी विचार बिलकुल स्पष्ट है और वह यह है कि मुसलमान और सिख सर्वसम्मतिसे जो इच्छा व्यक्त करे उसके आगे पूर्ण समर्पण कर दिया जाये। मैं चाहूँगा कि हिन्दू इस समाधानकी खूबी समझें। यह खूबी केवल नैतिक शक्तिकी पूर्णताको समझनेसे ही ध्यानमें आ सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि हिन्दुओंका मत तैयार करनेसे पहले मेरे सामने कोई विशेष सिद्धान्त अवश्य होना चाहिए जिसके आधारपर उनका मत तैयार किया जाये। मुझे वह आधार-भूत सिद्धान्त सूझ नहीं रहा है। जो सिद्धान्त मुसलमान दलोंकी सभामें इसी ४ तारीखको कांग्रेस प्रतिनिधि-मण्डलको दिया गया था, वह सर्वसम्मतिसे स्वीकृत न्यूनतम सिद्धान्त नहीं था। क्योंकि एक तो राष्ट्रवादी मुसलमानोंने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं ऐसी कोई बात न मानूं जो बालिग मताधिकारपर आधारित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रके सिद्धान्तके अनुकूल न हो। इन राष्ट्रवादियोंमें से कुछ मेरे बहुत पुराने साथी कार्यकर्त्ता हैं। उन्हें मौलाना शौकत अलीने ईमानदारी, बहादुरी और इस्लामके प्रति सच्ची लगनके प्रमाणपत्र दिये थे और उन्होंने मौलानाके प्रमाणपत्रोंकी सचाई प्रमाणित की है। जब वे मुझसे कहते हैं कि मुसलमानोंके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र ठीक नहीं है तो मुझे उनकी बात अवश्य सुननी पड़ती है। वे यह भी दावा करते हैं कि मुसलमान जनता पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं चाहती। चाहे कुछ हो, मैं ऐसे किसी समाधानको स्वीकार नहीं कर सकता जो स्पष्ट ही साम्प्रदायिकतापर आधारित हो और उसके बाद भी उसे सम्बन्धित जातिका पूर्ण समर्थन प्राप्त न हो। यदि किसी ऐसे समाधानको जो साफ तौर पर त्रुटिपूर्ण और राष्ट्र-विरोधी है, स्वीकार किया जाना हो तो कमसे-कम उसे सम्बन्धित जातिका लगभग सर्वसम्मतिसे समर्थन तो मिलना ही चाहिए।

जो पृथक निर्वाचन क्षेत्रके विचारसे एकदम सहमत नहीं होते, उनके विरुद्ध जो क्रोध दिखाया जा रहा है वह मेरी समझमें नहीं आता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी भी बड़े दलके लोग स्वराज्यकी दिशामें देशकी प्रगतिको रोक सकते हैं। यदि विशिष्ट अल्पसंख्यक लोग भी इसका प्रतिरोध करें तो अहिंसा पर आधारित यह स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता। यह कहना या सुझाना गलत है कि स्वराज्यके अन्तर्गत बहुसंख्यक जातिका शासन होगा। सच्चे स्वराज्यमें केवल न्यायका शासन

१. हिन्दू, ७-४-१९३१ से।

हो सकता है। यह जो महान जागृति आ गई है इसके बावजूद, यदि मुसलमानों या सिखोंके मान्य नेता स्वराज्य संविधानकी प्राप्तिका विरोध करते हैं तो कमसे-कम मैं चुपचाप प्रतीक्षा करनेके लिए तैयार हूँ। स्वराज्यकी लड़ाई एक बार शुरू होकर तभी समाप्त हो सकती है जब संविधान, जो इस स्वराज्यका प्रत्यक्ष प्रतीक है, बना दिया जाये और पारित कर दिया जाये। साम्प्रदायिक समस्याका समाधान न होनेपर हमारे संघर्षका अगला रूप तो बदला जा सकता है, किन्तु उद्देश्य तब भी वही रहेगा।

सर्वदलीय मुस्लिम परिषदके सदस्योंने कानपुर, बनारस, मिर्जापुर, आगरा और दूसरे स्थानोंमें जो घटनाएँ हुई हैं, उनका क्रोधपूर्वक जिक्र किया है। परन्तु क्या क्रोधसे प्रश्न हल हो जायेगा? मैं देखता हूँ कि बहुत बढ़ा-चढ़ाकर वक्तव्य दिये जा रहे हैं। उनमें से कई तो निराधार हैं। यदि इन मित्रोंका उद्देश्य हिन्दुओं, मुसलमानों और दूसरे सब लोगोंके लिए, जिनका कि भारत घर है, आजादी पाना है तो वे इस प्रकारकी घटनाओंसे अपने-आपको न्यायके मार्गसे भटकने नहीं देंगे। इन स्थानों पर जो लोमहर्षक घटनाएँ हुई हैं, उनकी भर्त्सना करनेमें मैं उनके साथ हूँ। चाहे वे हिन्दुओंने की है या मुसलमानोंने, मैं उनके कारण लज्जित हूँ। परन्तु जब हिन्दू मारकाट करते हैं तो मेरा सिर और भी शर्मसे झुक जाता है। परन्तु हम पूरी बात नहीं जानते और इसलिए यह नहीं बता सकते कि किसका कितना कसूर है। मैं बदला लेनेमें विश्वास नहीं करता। इसलिए हिन्दू होनेके नाते, आक्रमण करते हुए या अपनी रक्षाके लिए भी जिन हिन्दुओंने हत्याएँ, आगजनी और अवर्णनीय अत्याचार किये हैं उन्हें मैं निस्सन्देह कसूरवार मानता हूँ और उनकी ज्यादासे-ज्यादा भर्त्सना की जानी चाहिए। परन्तु मैं हरएकसे प्रार्थना करूँगा कि क्रोध और घृणाकी भाषाका प्रयोग न करें क्योंकि इससे किसीका भला तो होता नहीं, केवल जलती आगमें, जो अभी बुझी भी नहीं है, घी डालनेका काम होता है।

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० कमेटी फाइल सं० ३३२, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

४२९. भाषण: भारतीय व्यापार और उद्योग संघकी बैठक, दिल्लीमें[1]

७ अप्रैल, १९३१

यदि मैं आपके सामने अपनी बात राष्ट्रभाषामें ही कहूँ तो मेरे अंग्रेज मित्र मुझे माफ करेंगे। इस मौके पर मुझे १९१८ की वह युद्ध-परिषद याद आती है, जो इसी जगह हुई थी। जब बहुत ज्यादा चर्चाके बाद मैंने युद्ध परिषद्में भाग लेना मंजूर किया तो मैंने वाइसरायसे प्रार्थना की थी कि परिषद्में मुझे हिन्दी या हिन्दुस्तानीमें बोलनेकी छूट दी जाये।[2] मैं जानता हूँ कि इस तरहकी प्रार्थना करनेकी कोई जरूरत न थी; फिर भी शिष्टताकी दृष्टिसे यह आवश्यक था, अन्यथा उनको बुरा लगता। उन्होंने मेरी प्रार्थना फौरन मंजूर कर ली और तबसे इस सम्बन्धमें मेरी हिम्मत और भी बढ़ गई है। आज उसी स्थानपर मैं उसी बातका पालन करनेवाला हूँ और व्यापार संघके सदस्योंसे भी मैं नम्रतापूर्वक यही कहूँगा कि देशवासियोंके इस संघमें जब आपको देशवालोंके साथ ही कामकाज करना है, और मौजूदा वातावरण अपना असर आपपर डाल रहा है, तब आपका धर्म है कि आप अपना कामकाज राष्ट्रभाषामें करें। अध्यक्ष महोदयका[3] भाषण मैं बहुत ही ध्यानके साथ सुन रहा था। सुनते ही मेरे मनमें यह खयाल आया कि यदि आप चाहते हैं कि उस भाषणका प्रभाव सभापर या मेरे हृदयपर पड़े तो यह बात विदेशी भाषामें कैसे सम्भव होगी? हिन्दुस्तानको छोड़कर आप दूसरे किसी भी आजाद या गुलाम देशमें चले जाइए, यहाँ जैसी स्थिति तो शायद कहीं भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। दक्षिण आफ्रिका जैसे नन्हेसे देशमें अंग्रेजी और डच भाषाके दरम्यान झगड़ा शुरू हुआ, और आखिर नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों और डच लोगोंमें समझौता हुआ और दोनों भाषाओंको बराबरीका स्थान दिया गया। बहादुर डच लोग अपनी मातृभाषा छोड़नेको तैयार नहीं हुए।

आपने एक बातपर खूब जोर दिया है — आजकल अंग्रेजोंने इंग्लैंडमें और यहाँ एक आन्दोलन शुरू कर रखा है, जिसका हेतु, जैसा कि अध्यक्षने कहा है, यह है कि अंग्रेजोंको जो अधिकार मिले हैं और वे लोग यहाँ जो पेढ़ियाँ जमाकर बैठे हैं, उनके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। अध्यक्ष महोदयने इसका जवाब देनेकी

१. यह "संरक्षणोंका प्रश्न" शीर्षकके अंतर्गत संक्षिप्त अनुवादके रूपमें प्रकाशित हुआ था। सर जॉर्ज शुस्टर, वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मदनमोहन मालवीय उपस्थितोंमें थे।

२. गांधीजीके भाषणके लिये देखिए खण्ड १४, पृष्ठ ३५६।

३. लाला श्रीराम।

कोशिश की है। कांग्रेस और कांग्रेसियोंने इस मसलेपर गौर किया है और मैं कांग्रेसकी स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे आपको यह बता देना चाहिए कि मुझे किसी भी अंग्रेजसे द्वेष नहीं है, और न मैं किसी अंग्रेजका अधिकार ही छीनना चाहता हूँ। कहा जाता है कि हिन्दुस्तानमें जब स्वराज्य होगा तब जिस कौमकी संख्या ज्यादा होगी उसीका राज्य होगा। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? अगर यह बात सच हो तो मुझमें इतनी ताकत है कि मै अकेला उस तरहके राज्यसे लोहा लूंगा। मैं ऐसे राज्यको स्वराज्य नहीं कहूँगा। मेरे मनका हिन्द स्वराज्य सबका राज्य है, न्यायका राज्य है। फिर उस राज्यमें प्रधान मन्त्री या वजीरेआज़म चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, धारासभाके तमाम सदस्य चाहे मुसलमान हों, पारसी हों या सिख, सबको इन्साफ ही करना होगा। और अगर उस राज्यमें न्याय न हुआ तो मैं उसे स्वराज्य नही कहूँगा। इसलिए जिस प्रकार किसी कौमको अपने अधिकारोंकी रक्षाकी बात करनेकी आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार अंग्रेजोंको यह भय माननेकी जरूरत भी नही है कि उनके हकोंपर पानी फिर जायेगा। ऐसी स्थिति बने, तभी कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तानमें स्वराज्य आया।

तो जब अंग्रेज बराबरीके अधिकार चाहते हैं, तो हमें ऐसा क्यों नहीं मालूम होता कि उनकी माँग उचित है? उनकी इस माँगसे हमें दुख क्यों होता है? इसका जवाब देते हुए मुझे दक्षिण आफ्रिकाकी एक घटना याद आती है। आपको पता होगा कि दक्षिण आफ्रिकामें मुझे जनरल स्मट्सके साथ लड़ते-लड़ते २० वर्ष लग गये थे। हम लोगोंके विरुद्ध वहाँ जो जाति-भेद और रंग-भेद किया जा रहा था, हमें उसका मुकाबला करना था। इस सम्बन्धमें मुझे जनरल स्मट्सकी कही हुई एक बात याद आती है। मुझपर उसका जबर्दस्त असर पड़ा था। उन्होंने कहा था:

> जब हम विलायतमें एक जगह पढ़ते थे, तब मेरे दिलमें जाति-भेद या रंग-भेद न था, बल्कि अगर उस वक्त हम एक-दूसरेको जानते होते तो भाई और मित्रकी तरह रहते। तब फिर आज यह क्या बात है कि हम एक-दूसरेके प्रतिस्पर्धी हो गये हैं और यह मानने लगे हैं कि हमारे हित परस्पर विरोधी हैं? मुझे तो इसका कारण रंग-भेद या जातिभेद नहीं जान पड़ता। हाँ, कभी-कभी हमारे लोग गफलतमें ऐसी भाषाका प्रयोग जरूर कर लेते है। पर एक बात है, जो आपको स्वीकार करनी होगी। रंग-भेद या जाति-भेदके तमाम कानून मैं आज रद्द कर दूँ, पर जब आपकी और हमारी सभ्यतामें जमीन-आसमानका अन्तर है, तो आप क्या करेंगे? हम दोनोंकी सभ्यताओंमें कौन अच्छी है, इस बातको जाने भी दें तो भी यह तो कबूल करना ही होगा कि हमारी सभ्यता आपकी सभ्यतासे जुदा है। अतएव हम यह कैसे सहन कर सकते हैं कि आपकी सभ्यता हमारी सभ्यतापर आक्रमण करे? इसका नतीजा यह होता है कि हम ऐसे कानून बनाते हैं जो सबपर लागू हों, परन्तु चूँकि वे आपकी सभ्यतासे भिन्न होते हैं, इसलिए वे आपको खलते हैं।

मैं इसे समझ गया और मुझे लगा कि दक्षिण आफ्रिकामें पाश्चात्य सभ्यता ही टिक सकती है। यदि वहाँ हमारे लोगोंकी बहुतायत हो जाये, तो उनकी सभ्यताका दम घुटने लगे और नतीजा बुरा हो। अतएव अगर वहाँ रहनेका निश्चय करें तो हमें उनके ढंगसे रहना होगा, सिर्फ शर्त यह है कि उस ढंगमें अनीति न हो।

इस बातको ध्यानमें रखनेसे समान अधिकारकी आजकी चर्चाका मर्म समझना मुश्किल न होगा। मुझे नम्रताके साथ अंग्रेजोंसे कहना चाहिए कि उन्हें समान हककी बात कहते समय हमारी और उनकी सभ्यताके बीचके मूल भेदको याद रखना चाहिए; जब कि उनका आग्रह यह है कि वे अपनी सभ्यताके अनुसार रहेंगे। हमारे वाइसराय चाहे जितने सज्जन व्यक्ति क्यों न हों, पर उनके और हमारे रहन-सहनमें बहुत फर्क है। हमारे देशवासी जब विदेश जाते हैं, तब वहाँके रीति-रिवाजोंको अपना लेते हैं, पर जब वापस आते हैं, तो फिर उन्हें छोड़ देते हैं। और अगर छोड़ते नहीं हैं, तो वे विरानेसे बन जाते हैं। ईश्वरकी कृपा कहनी चाहिए कि अभी पश्चिमी रीति-रिवाजोंने हमारे यहाँ जड़ नहीं जमा ली है। पर हरएक भारतीयके दिलमें यह डर तो रहा ही है कि कहीं पश्चिमी रस्म-रिवाज और तहजीब हमारा दम न घोंट दे। मैं चाहता हूँ कि हरएक अंग्रेज भारतीयोंके इस डरको मिटानेमें मदद करे, भारतका सच्चा सेवक बने, और भारतीय सभ्यताके अनुकूल हो कर रहे। अमेरिकामें चीनियों और अमेरिकियोंका आपसी झगड़ा और चीनमें चीनियों और यूरोपियनोंका झगड़ा इसी बीजके वृक्ष हैं। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेज इस बातको अच्छी तरह समझ लें। उन्हें यह बात साफ-साफ मालूम हो जानी चाहिए कि वे हमसे जो माँगते हैं, उसे हम क्यों स्वीकार नहीं कर सकते। और उसका कारण यह है कि वे पश्चिमी ढंगसे यहाँ रहना चाहते हैं, हमारे देशको अपनाना नहीं चाहते। हमारी सभ्यतामें बहुतेरे दोष हैं—अस्पृश्यतासे बुरी आसुरी प्रवृत्ति और क्या हो सकती है? पर मैं अपनी सभ्यताको कभी छोड़ नहीं सकता। जिस धर्म, जिस सभ्यतामें पैदा हुआ हूँ, उसके दोषोंका तो मैं त्याग कर सकता हूँ, पर उस सभ्यताको कैसे छोड़ दूँ? इसीलिए अंग्रेजोंको जो हक आज प्राप्त है, हम उनका विचार भारतके हितकी दृष्टिसे करना चाहते हैं, और इसका कारण जाति-भेद या रंग-भेद नहीं है। इसका कारण तो देशके जीवन-मरणका प्रश्न है। इसमें यह डर रहा है कि कहीं उन्हें प्राप्त अधिकारोंसे हमारा नया साहस और हमारे नये अधिकार मटियामेट तो नहीं हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदयने कांग्रेसकी बहुत तारीफ की है, और साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि आर्थिक मामलोंमें किसी भी निर्णयपर पहुँचनेसे पहले कांग्रेस व्यापारियोंकी राय ले। मैं इस सुझावका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस आपकी सलाह और सहायता लेनेके लिए हमेशा आतुर रहेगी। पर मैं आपसे यह कह दूँ कि कांग्रेस किसी खास वर्गकी नहीं है, वह तो सभी वर्गोंकी है। पर चूँकि हिन्दुस्तानमें गरीब किसानोंकी ही आबादी ज्यादा है; इसलिए कांग्रेस उन किसानोंकी प्रतिनिधि बनना चाहती है अर्थात् कांग्रेस गरीब भारतीयोंकी है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग या जमींदार वर्गका नाश करके गरीबोंका हित-साधन करना है।

इसलिए जिस प्रकार अंग्रेजोंको देशकी सेवाके लिए देशमें रहना होगा, उसी प्रकार दूसरे वर्गोंको भी गरीबके हितके अनुकूल बनकर रहना होगा। कांग्रेस हिन्दुस्तानके व्यापार व उद्योगोंकी उन्नति चाहती है। इस उन्नतिके लिए कांग्रेस सतत प्रयत्न कर रही है। इसी कारण धीरे-धीरे व्यापारी वर्ग भी कांग्रेसकी ओर आकर्षित हो रहा है। पिछले संघर्षमें व्यापारी वर्गने जो मदद की थी, वह प्रशंसाके योग्य है। आज आपने मुझे यहाँ जो बुलाया है, सो इसलिए नही कि मैं गांधी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं कांग्रेसका सेवक हूँ, दरिद्रनारायणका प्रतिनिधि हूँ। मैं आपकी सेवाको भूल नही सकता, पर मैं यह चाहता हूँ कि आज आप एक कदम और आगे बढ़ें। आप कांग्रेसको अपनाइये, हम खुशीसे कांग्रेसकी लगाम आपको सौंप देंगे। जवाहरलालसे या अकेले मुझसे काम नही हो सकता। परन्तु यदि आप कांग्रेसकी लगाम हाथमें लें, तो वह इसी शर्तपर हो सकता है कि आप गरीबोंके सेवक बनेंगे, पण्डित मालवीयजीकी भाषामें 'शुद्ध कौड़ी' कमा कर आप सन्तुष्ट रहेंगे। आप कहेंगे कि यह नामुमकिन है, पर यह ठीक नही। मैं ऐसे अनेक मित्रोंको जानता हूँ जो शुद्ध नीतिसे व्यापार करते हैं। आप अपने हृदयबलसे, बुद्धिबलसे और त्यागसे कांग्रेसका तन्त्र अपने हाथमें ले सकते हैं। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि जिन मजदूरों और किसानोंके कन्धोंपर बैठकर हम जी रहे हैं, उनके कन्धोसे उतरें और उनके सच्चे प्रतिनिधि बनें।

परन्तु आप इस हदतक जानेको तैयार न हों तो मैं यह चाहूँगा कि आप हमें सहन कर लें, हमारी त्रुटियोंको दरगुजर करें और हमारे प्रयत्नमें जितना सहयोग कर सकें, करें। आप कांग्रेसके सदस्य बनकर उसकी सारी व्यवस्थाको अपने कब्जेमें लेनेका प्रयत्न करें। क्योंकि कांग्रेसको छोड़कर दूसरी ऐसी प्रजासत्ताक संस्था कौन-सी है जिसमें बालिग उम्रके हरएक स्त्री-पुरुषको मत देनेका अधिकार है? उसने यदि सत्ता, साधन-सामग्री और पुष्कल धनके अभावमें इतने वर्षोतक काम निभाया है, तो स्वराज्यमें वह कायम क्यों न रह सकेगी?

गरीबोंकी सेवाके इस कार्यमें जिस तरह मैं आपसे सहायता माँगता हूँ, उसी तरह अंग्रेजोंके सहयोगकी भी कामना करता हूँ। अंग्रेजोंके लिए कांग्रेसकी सेवा करना कोई नई बात नहीं है। आप यह न भूलें कि एक समय था जब ह्यूम, यूल, वेडर-बर्न, और डा० बेसेंट जैसे प्रभावशाली अंग्रेज स्त्री-पुरुषोंके हाथोंमें कांग्रेसकी लगाम थी। कांग्रेस स्वयं एक बहादुर अंग्रेजके मस्तिष्ककी उपज है। अतः अगर आज दरिद्र-नारायणकी सेवाके लिए मैं अंग्रेजोंको निमन्त्रण दूँ, तो वह जरा भी अनुचित न होगा। इसमें सवाल केवल हृदयका है। आप अपना हृदय हिन्दुस्तानके दरिद्रोंको अर्पण कर दें, इतना ही काफी है।

अन्तमें मैं आपको पुनः याद दिलाता हूँ कि कांग्रेस किसी एक वर्गकी नही है, बल्कि सभी वर्गोंकी है। हमारी राष्ट्रीयता दूसरे राष्ट्रोंके लिए खतरेका कारण नही होगी। जिस तरह हम लूटना नहीं चाहते, उसी तरह किसीसे अपने देशको लुटवाना भी नहीं चाहते। हमें तो स्वराज्य द्वारा जगतके हितकी साधना करनी है और मैं

इस स्वराज्यके लिए आप सबसे कुर्बानी की, आत्मत्यागकी आशा रखता हूँ। अगर आप इस कामके लिए अपनी शक्ति लगा दें, तो फिरसे सविनय भंग करनेकी जरूरत नहीं रहेगी। और आपकी बुद्धि तथा शक्तिका इतना असर पड़ेगा कि स्वराज्य प्राप्तिमें कोई भी विघ्न नही रहेगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १२-४-१९३१

४३०. अमृतसरमें सिखोंसे बातचीत[1]

[८ अप्रैल, १९३१][2]

गांधीजी: आप जितने लोगोंसे चाहें मैं आपके उतने लोगोंसे मिलने और बातचीत करनेके लिए तैयार हूँ।. . .आप देखते है कि यहाँ मै अपने ही लोगोकी गिरफ्तारीमें हूँ।. . .परन्तु अब आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। क्या आप मुझे कोई नई चीज बता सकते है?

उ० — नहीं।

तब आपको यह नही कहना चाहिए था कि मेरी उपस्थिति अनिवार्य है?

हम चाहते थे कि आप सिख लीगमें आयें।

मास्टर तारासिंहने संक्षेपमें बताया कि सिखोंकी राय क्या है। जैसा कि उन्होंने अपने भाषणमें भी बताया था: हम साम्प्रदायिकताके विरुद्ध जी-जानसे लड़नेको वचन-बद्ध हैं। आप राष्ट्रीय समाधानका सुझाव दें। हम उसे स्वीकार कर लेंगे। आपने पूर्ण आत्मसमर्पणका जो सुझाव दिया है, वह राष्ट्रीय समाधान नहीं है। कोई जाति हमें डराए या धमकाये, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे।

परन्तु यदि आप राष्ट्रीय दृष्टिकोणपर बल देते हैं तो आपने जो रास्ता अख्तियार किया है, वह कोई रास्ता नही है।

साम्प्रदायिकताके विरुद्ध लड़नेका एकमात्र रास्ता यह है कि दूसरा पक्ष भी उसी किस्मकी माँगें रखे।

१. "साप्ताहिक चिट्ठी" से। महादेव देसाईने विवरण दिया है: "ऊपरकी मंजिलमें, जहाँ गांधीजीको ठहराया गया, वहाँका शोरगुल पागल बना डालनेवाला था। गांधीजीके वहाँ पहुँचनेके समयसे या उससे कई घंटे पहलेसे बहुत रात बीतने तक भीड़ घरको घेरे रही। भीड़ दिन-भर चिल्लाती रहती, बार बार गांधीजीको बीच-बीचमें उठकर दर्शन देनेके लिए छज्जेपर जाना पड़ता। इससे उन्हें बड़ी थकावट महसूस हुई; पर कोई चारा नहीं था। इस घिरे हुए घरसे बाहर जानेका प्रश्न ही नहीं था और सिर-दर्द तथा बुखारके कारण हालत और भी बुरी हो गई। सिख मित्रोंको, जिन्हें अब सारी स्थिति समझमें आ गई थी, गांधीजीको बुलानेका सचमुच अफसोस हो रहा था और उन्होंने अपने आप सुझाव दिया कि गांधीजी सिख लीगमें भाग लेने न जायें।"

२. बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-४-१९३१ से।

आप साम्प्रदायिकताके विरुद्ध साम्प्रदायिकतासे नहीं लड़ सकते। चाहे यह साम्प्रदायिक हो या राष्ट्रीय — मेरा बताया हुआ समाधान ही एकमात्र समाधान है। जिस क्षण भी आप यह महसूस करेंगे कि हमें अपने बीच मध्यस्थताके लिए तीसरी शक्ति नहीं चाहिए — हम थोड़ी देरके लिए तो सब-कुछ समर्पण कर देनेके लिए राजी हो जायेंगे। इसलिए नहीं कि यह समस्याका आदर्श या सही समाधान है परन्तु इसलिए कि और कोई चारा नहीं है। एक जातिके आगे स्वेच्छापूर्वक समर्पण करनेकी बातसे आप इतने भयभीत क्यों हैं? राष्ट्र-ध्वजके प्रश्नपर ही मेरा रुख लीजिए। यह ध्वज मेरी अपनी निजी रचना है। दस सालोंसे यह देशके सामने है। इसके साथ बहुत-सी भावनाएँ जुड़ गई हैं। इसे लहराता रखनेके लिए बहुत त्याग करना पड़ा है और कष्ट सहने पड़े हैं। क्या आप समझते हैं कि उसमें कोई तबदीली करनेकी बात मानकर मुझे खुशी हो सकती है? परन्तु मैं जानता हूँ कि आप असन्तुष्ट हैं और मैं केवल आपकी जातिको प्रसन्न करनेके लिए ध्वजके बारेमें समिति नियुक्त करनेके लिए राजी हो गया। इसी तरह एक विशेष जातिको सन्तुष्ट करनेके लिए हमें बहुत-सी चीजें करनी पड़ सकती हैं।

परन्तु ऐसा लगा कि इससे उनका सन्देह दूर नहीं हुआ।

अच्छा तो मैं सुझाव देता हूँ कि आप राष्ट्रवादी मुसलमानोंसे मिलें। उनके साथ स्थितिपर चर्चा करें और ऐसा समाधान निकालें जिससे उनकी और आपकी तसल्ली हो और फिर आप उसे देशके सामने रखें।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-४-१९३१

४३१. भाषण : अमृतसरमें[1]

८ अप्रैल, १९३१

यद्यपि महात्माजी बीमार थे उन्होंने मानपत्रोंका हिन्दीमें संयुक्त उत्तर देते हुए स्पष्ट और धीमी आवाजमें कहा कि मेरे सिर पर जो कपड़ा बँधा है उससे पता चलता है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। कुछ महीने पहले मैं सरकारका कैदी था, परन्तु आज मैं लोगोंका कैदी हूँ। सुबह जबसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लोगोंके जमघटने बंगलेको इस तरह घेर रखा है कि मैं एक बार भी बाहर नहीं निकल सका। मैं टाउनहालमें नगरपालिकाका मानपत्र लेने नहीं जा सका, इसके लिए मैं नगरपालिकासे क्षमा माँगता हूँ। मानपत्रमें साम्प्रदायिक समस्याका उल्लेख है। साम्प्रदायिक समझौतेका यह प्रश्न हम सबके सामने है। मैं ऐसा समाधान ढूँढ़ निकालनेकी भरसक कोशिश

१. अमृतसर नगरपालिका और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधीजीके आवास स्थानपर भेंट किये गये मानपत्रोंके उत्तरमें।

कर रहा हूँ, जिससे सब दलोंको सन्तोष हो। यह एक आदमीका या अकेले महात्माका काम नहीं है। यदि हम सब दृढ़ निश्चय कर लें कि हम एक-दूसरेसे भयभीत नहीं होंगे और एक-दूसरेसे लड़ेंगे नहीं और यदि हम सब एक-दूसरेके साथ मिलकर शान्तिपूर्वक रहना चाहें तो इस मामलेको हल करनेमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। हमें इसमें पहल करनी चाहिए। आज अमृतसरमें जो होगा वही कल सारे पंजाबमें और बादमें सारे भारतमें होगा। आपने मानपत्रमें जो-कुछ कहा है यदि वह आपके सच्चे उद्गार हैं, तो मुझे आशा है कि आप अपनी मान्यताओंके अनुसार आचरण करके उन विचारोंके प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित करेंगे।

कांग्रेस कमेटीके मानपत्रका उत्तर देते हुए महात्माजीने कहा, कांग्रेसका देशमें बड़ा नाम हो गया है। सारे संसारकी आँखें कांग्रेसपर लगी हैं। गांधी-इर्विन समझौतेसे हमें अभी स्वराज्य नहीं मिला है। मुझे नहीं मालूम, वह कितना समीप या दूर है। परन्तु उसके बारेमें कोई चूक न होने पाये। कांग्रेसने पूर्ण स्वराज्यको अपना प्रथम उद्देश्य घोषित कर रखा है। जबतक हम उस उद्देश्यतक नहीं पहुँचते, हम चैन नहीं ले सकते। स्वराज्यको जल्दी पाना इस बातपर निर्भर करता है कि पूर्ण अहिंसाके सिद्धान्तपर चलनेकी राष्ट्रमें कितनी सामर्थ्य है। हम जिस हदतक ऐसा करनेमें असफल हुए हैं उस हदतक हमारी प्रगतिमें बाधा पड़ी है। मैं यह नहीं चाहता कि राष्ट्र कमजोरीकी वजहसे अहिंसाका मार्ग अपनाए। मैं राष्ट्रको जिस अहिंसाका अनुसरण करनेको कहता हूँ वह अहिंसा शक्तिशाली लोगोंका शस्त्र है। कांग्रेस अहिंसा-धर्मका पालन करनेके लिए कृत-संकल्प है।

अन्तमें महात्माजीने कहा मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ और इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं दोनों समितियोंको मानपत्रोंके लिए धन्यवाद देता हूँ। हम भारतमें जो भी काम कर रहे हैं, यदि उसे संगठित होकर करें तो निःसन्देह हमें स्वराज्य मिल जायेगा। मेरे लिए स्वराज्यका अर्थ है इन्साफका राज।

इसके बाद महात्मा गांधी एक बार फिर छज्जेपर खड़े हुए और नीचे खड़ी भीड़को दर्शन दिये। लोगोंने फिर बड़े जोरसे उनकी जयजयकार की।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, १०-४-१९३१

४३२. अन्य राजनैतिक बन्दी

इस बातसे लोगोंके दिलोंमें आग-सी जल रही है कि समझौतेकी शर्तोंमें तमाम राजनैतिक कैदियोंकी मुक्तिकी शर्त नही रखी गई; फिर भले ही इन कैदियोंको सजा हिंसाके अपराधमें मिली हो या किसी अन्य अपराधमें। न्याय और बुद्धिमत्ताकी दृष्टिसे तो ऐसी माँग करना स्पष्ट ही असम्भव था। वह सविनय अवज्ञाको स्थगित करनेकी एक शर्त नहीं हो सकती थी। हाँ, उसे अन्तिम सुलहकी एक शर्त बनाया जा सकता है। कुछ लोगोंने अविचारपूर्वक यह दलील की है कि चूँकि मैं अहिंसावादी हूँ, मैं हिंसाके अपराधमें सजा पाये कैदियोंकी रिहाईकी माँग नही करूँगा। हकीकत तो यह है कि अगर मेरी अहिंसाका कुछ मूल्य है तो ऐसी शर्त, अगर मैं उसे उचित मानता तो वह मेरे लिए कर्त्तव्य-रूप हो जाती। पर समझौतेके सिलसिलेमें मैं जो काम नही कर सकता था, कांग्रेससे उसकी सिफारिश करनेमें मैंने बिलकुल सकोच नही किया। इस सम्बन्धमें कांग्रेसका प्रस्ताव अन्यत्र छपा है। मैं मानता हूँ कि वह बहुत व्यापक है और उसमें तमाम बन्दी और वे लोग भी शामिल हैं, जो नजरबन्द है। उसमें वे लोग भी शामिल है, जो विदेशोंमें रहते हैं और जिनको हिन्दुस्तान वापस आना मना है; उसमें पंजाबके फौजी कानूनके कैदी भी आ जाते हैं, जो १९१५ से[1] जेलोंमें सड़ रहे हैं, और अब सबके सब बूढे हो चुके हैं। उसमें पंजाब और बंगालके वे ४०० नजरबन्द कैदी भी शामिल हैं, जिनका कोई भी अपराध साबित नही किया गया है। उन्हें निरंकुशतापूर्वक पकड़ लिया गया है और कैदमें रख दिया गया है। प्रस्तावमें मेरठके उन विचाराधीन कैदियोंका भी उल्लेख है, जिनके वर्षोसे चल रहे मुकदमे सचमुच लज्जाजनक हैं। इन सब बन्दियोंकी पूरी-पूरी सूची तैयार करनेका काम श्री नरीमनको सौंपा गया है। सूचीके तैयार होते ही प्रस्तावके अनुसार कुछ कार्रवाई करना सम्भव हो जायेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जिनका इससे सम्बन्ध है, वे सब श्री नरीमनकी सहायता करेंगे, जिससे वे जल्दीसे-जल्दी सूची तैयार कर सकें।

सरकारको तो इस सूचीकी भी राह नही देखनी चाहिए। मै मानता हूँ कि उसके खयालसे सब बन्दी बराबरीके या एकसे न ठहरेंगे। पर अच्छा हो अगर सरकार कमसे-कम उन लोगोंको तो उनकी रिहाई तलब की जानेसे पहले ही छोड़ना शुरू कर दे, जिनके मामले विवादास्पद नही है, और जिनके ऐसा होनेकी बात मै इस पत्रिकामें सिद्ध करनेकी आशा रखता हूँ। सजा खत्म होनेसे पहले कैदियोंको छोड़कर कोई शक्तिशाली सरकार भूल नही करती, क्योंकि उनके फिर गुनाह करनेपर उन्हें दुबारा पकड़ लेनेकी ताकत तो हमेशा उसके पास होती ही है। और जहाँ राजनैतिक अन्याय नही रहता, वहाँ राजनैतिक अपराध बहुत विरल होते हैं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ९-४-१९३१

१. जब "युद्ध सम्बन्धी आवश्यक तजवीज" के रूपमें भारत रक्षा अधिनियम पारित हुआ।

४३३. टिप्पणियाँ

गणेशशंकर विद्यार्थी

गणेशशंकर विद्यार्थीकी मृत्यु हम सबके लिए स्पृहणीय है। उनका खून अन्ततोगत्वा दोनों कौमोंको एक करेगा। कोई समझौता हमको बाँध नहीं सकता। पर जैसी वीरता गणेशशंकर विद्यार्थीने दिखाई है, उससे एक न एक दिन अवश्य ही पाषाणसे-पाषाण हृदय भी पिघल उठेंगे, और पिघलकर एक हो जायेंगे। पर यह जहर, किसी भी तरह क्यों न हो, इतना गहरा पैठ गया है कि कदाचित गणेशशंकर विद्यार्थीके समान महान, आत्मत्यागी और नितान्त वीर पुरुषका खून भी, आज हमारे मनसे उसे धो डालनेके लिए काफी न हो। अगर भविष्यमें ऐसा मौका फिर आये तो यह भव्य बलिदान हमें वैसा ही प्रयत्न करनेकी प्रेरणा दे। मैं उनकी शोकाकुल विधवा पत्नी और बच्चोंके साथ अपनी आन्तरिक संवेदना प्रकट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन्हें गणेशशंकर विद्यार्थीकी योग्य पत्नी और सन्तान होनेके नाते बधाई दे रहा हूँ। वे मृत नहीं हुए। आज वे पहलेसे भी कहीं अधिक सच्चे रूपमें जी रहे हैं, तब हम उनका भौतिक शरीर तो देखते थे पर उनकी आत्माको नहीं पहचानते थे।

हिन्दी या हिन्दुस्तानी

कांग्रेस या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यवाहीको अंग्रेजीमें चलाना अब हर साल अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके अधिकांश सदस्य अंग्रेजी इतनी अच्छी तरह नहीं समझते, जितनी हिन्दुस्तानी। और जो समझते हैं, उनका भी बहुत बड़ा बहुमत हिन्दी चाहता है। कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें सरदार वल्लभभाई मुश्किलसे श्रोताओंको इस बातके लिए राजी कर सके कि वे अंग्रेजीमें भाषण करनेवालोंको शान्तिके साथ सुनें। अगले सालके लिए दक्षिण भारतके भाइयोंने तो वादा किया है कि वे इतनी हिन्दी सीख लेंगे कि बातचीत कर सकें और हिन्दुस्तानीमें जो कार्यवाही होगी, उसे समझ सकें। अगर वे लगातार तीन महीने तक हर रोज तीन घंटे इस काममें लगायें तो उनमें से अधिकांश बिना परेशानीके हिन्दुस्तानीकी कामचलाऊ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मुझे आशा है, दक्षिण भारत और बंगालके मित्र इस दिशामें आवश्यक प्रयत्न करेंगे और राष्ट्रका समय बचायेंगे। कुछ भी हो, मैं उनसे वचन-पालन करवानेका इरादा रखता हूँ, क्योंकि एक बार अंग्रेजीकी माँग न करनेका वचन देकर भी यदि उन्होंने अंग्रेजीकी पुकार उठाई, तो मैं उसे सुनूंगा ही नहीं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ९-४-१९३१

४३४. एकमात्र प्रतिनिधि

कार्य-समितिने दो घंटेसे भी अधिककी लम्बी-चौड़ी बहसके बाद हर उस परिषदके लिए मुझे अपना एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जिसमें सरकार कांग्रेसके प्रतिनिधियोंको बुलाना चाहती हो। इसके मूलमें विचार यह था कि परिषदमें जो-कुछ कहना या पेश करना है, वह सिर्फ कांग्रेसकी ही दृष्टिसे कहना या पेश करना है, अनेक दृष्टिकोणोंसे नही। कांग्रेसके आदेशमें उसका दृष्टिकोण बता दिया गया था। जो बात आदेशमें नहीं थी, कार्य-समितिके आदेशोंवाले एक पत्रसे या समय-समयपर मिलनेवाले आदेशोसे उसका काम चला लिया जाना था। अतएव या तो सारी कार्य-समितिकी ही नियुक्ति होनी चाहिए थी या किसी एक ही ऐसे सदस्यकी, जिसे अटर्नीके अधिकार प्राप्त हों। इस प्रकार यह पिछली बात सहज ही सबसे उत्तम, सबसे प्रभावशाली और हर तरह सबसे किफायतमन्द ठहरी। क्योंकि इससे सिर्फ पैसेकी ही बचत नही, शक्तिकी भी बचत होगी। और बड़ी बात तो यह है कि बिना पर्याप्त कारणके कांग्रेस अपने उत्तम कार्यकर्त्ताओंको अधिक समयके लिए देशसे दूर नही रख सकती। कांग्रेस-जनोंका यह निश्चित विश्वास है कि आखिर स्वराज्य परिषदके कामसे हासिल नही होगा; वह तो उसी कामसे मिलेगा जो देशमें रहकर किया जायेगा। परिषदमें प्रतिनिधियोंकी योग्यताका उतना असर न होगा, जितना उनके पीछे रहनेवाली शक्तिका होगा। दूसरी बात यह सोची गई कि कांग्रेसके प्रतिनिधि तफसीलमें पड़ने या उसकी जाँच करने नही जा रहे हैं, वे तो सिद्धान्तों और उनके प्रयोगकी चर्चा करने और उन्हें जाँचने जा रहे हैं। और परिषदके अन्तमें सुलह तय रहे या संघर्ष, उस वक्त देशको एक-एक योग्य कार्यकर्त्ताकी जरूरत होगी। हम चाहते हैं कि हमारे भाई-बहन देशमें रहकर युद्धकी सम्भावनाओंको टालें। क्योंकि शान्तिको पुख्ता बनानेका सबसे अच्छा तरीका है, रचनात्मक कार्यक्रमको आगे बढ़ाना और अस्थायी सुलहकी शर्तोंको पूरा करना। साथ ही पाठकोंको यह भी जानना चाहिए कि समझौतेका जिन लोगोंपर सीधा असर पड़ा है, वे सरकारी हाकिमोंके समझौते की शर्तोंको अमलमें लानेके ढंगसे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए मौकेपर मौजूद रहकर हमेशा होशियार रहनेकी जरूरत है। अत: एक ही प्रतिनिधिकी नियुक्ति हर तरहसे न केवल वांछनीय थी, बल्कि वह लगभग आवश्यक ही थी।

पर इस नियुक्तिसे मेरा उत्तरदायित्व हजारों गुना बढ़ जाता है। फिर भी यह सोचकर मुझे अपना काम हलका लगता है कि मुझे तो उन लोगोंके आदेशोंका पालन-मात्र करना है जिनका मैं सेवक हूँ। अन्य बातोंके लिए मैं ईश्वरसे उसकी अमोघ प्रेरणाकी याचना करूँगा और निश्चिन्त रहूँगा। फिर यह भी कौन जानता है कि

जब कभी परिषदमें जानेका समय आयेगा, मेरे लिए उसमें जानेका रास्ता खुला रहेगा, या नहीं।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ९-४-१९३१

४३५. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

अहमदाबाद जाते हुए
९ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

इसी महीनेकी २ तारीखके पत्रके लिए आपको धन्यवाद। मैं फौरन उसपर कार्यवाही करूँगा।

यद्यपि मुझे अब भी बुखार है और मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो भी ३१ मार्च[1] के अपने पत्रमें आपने जिस बातका जिक्र किया है और जिसके सम्बन्धमें इस महीने-की ६ तारीखको आपके निवासपर मिलनेके समय हम दोनोके बीच चर्चा[2] हुई थी, उसके बारेमें आपको पत्र लिखनेमें मैं देरी नही कर सकता। परमश्रेष्ठ वाइसराय और बादमें आपपर जो छाप पड़ी है, उसका मात्र कारण जो मैं समझ सकता हूँ वह यह है कि हम प्रतिकूल दिशाओंमें सोचते रहे हैं। किसानोका पक्ष सामने रखना और किसानोका प्रतिनिधित्व करना तो कांग्रेसका प्रथम कर्त्तव्य है। इसे मैं कभी नही त्याग सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कांग्रेस मुख्य रूपसे किसानो और मजदूरोका संकठन है। यदि स्थानीय अधिकारी किसानोकी ओरसे बोलनेवाली कांग्रेसके प्रस्तावोंको सहानुभूतिपूर्वक नही सुनते और उन्हें मान्यता देनेसे इनकार करते है, तो सम्भवतः कांग्रेस समझौतेकी शर्तोंको कार्यान्वित नही कर सकेगी। संयुक्त प्रान्तके बारेमें आपने जिन कठिनाइयोका जिक्र किया है, उनके बारेमें मुझे विश्वास है कि यदि अधिकारियोने अपने सम्बन्धित जिलोमें कांग्रेसके अधिकारियोको बुला भेजा होता तो वे सुलझाई जा सकती थी। बहुतसे कांग्रेस-अधिकारियोको वे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मेरा सुझाव है कि और कोई भी रवैया अपनाना समझौतेकी भावनाके प्रतिकूल होगा और उससे दोनोंकी नजरमें जो उद्देश्य है वह विफल हो जायेगा। यदि स्थानीय अधिकारी स्थानीय कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओकी उपेक्षा कर उनके लिए समझौतेको कार्यान्वित करना असम्भव बना देते हैं तो समझौतेके भंग हो जानेके लिए कांग्रेसपर दोष लगाना गलत होगा। आखिर शर्तोंका पालन तो लोगो द्वारा करवाया जाना है, और यदि कांग्रेसी लोगोंकी इच्छाएँ और कष्ट अधिकारियोको नही बता सकते तो वे अपने काममें असफल होंगे ही।

१. देखिए "पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", २३-३-१९३१ की दूसरी पाद-टिप्पणी।
२. भेंटपर टिप्पणीके लिए, देखिए परिशिष्ट १४।

यह सम्भव है कि जैसे सरकारी अधिकारी गलती कर सकते हैं वैसे ही कांग्रेसके अधिकारी भी गलती कर सकते हैं। इन गलतियोंको आसानीसे ठीक किया जा सकता है। परन्तु जबतक समझौता चलता है, यदि कांग्रेसी गलती करते भी हैं तो भी कांग्रेसको सन्देह और अविश्वासकी नजरसे नही देखा जाना चाहिए।

आपको गुजरातके बारेमें जो शिकायतें मिली हैं, उनकी तहकीकात करने और श्री गैरट[1] और उसके बाद परमश्रेष्ठ बम्बईके राज्यपालके साथ भेंट करनेके बाद मैं इस स्थितिमें होऊँगा कि मैंने जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेकी कोशिश की है, उसके प्रयोगके उदाहरण प्रस्तुत कर सकूँ।

अन्तमें मुझे आपको यह विश्वास दिलानेकी आवश्यकता नहीं है कि जहाँतक सम्भव हो, कांग्रेस समझौतेकी शर्तोंका पालन करे — मैं इस दिशामें भरसक प्रयास करूँगा।

मेरा कार्यक्रम है...[2]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

एच० डब्ल्यू० एमर्सन महोदय

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल सं० १६-बी, १९३१

सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय; यंग इंडिया, २०-८-१९३१ से भी।

४३६. भेंट: 'तेज' के प्रतिनिधिसे

दिल्ली
९ अप्रैल, १९३१

भड़ौंच जाते हुए गांधीजी जब दिल्लीसे गुजर रहे थे, उनसे 'तेज' के प्रतिनिधिने भेंट की। उसने महात्माजीका ध्यान मिदनापुरके न्यायाधीशकी[3] हत्याके बारेमें प्रकाशित समाचारकी ओर दिलाया। गांधीजीने कहा:

मुझे बहुत दुःख है। जो युवक इस तरहकी हत्याओंका सहारा लेते हैं, देशका कोई हित नहीं करते। मैं उनसे अपील करता हूँ कि उन्हें यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि अहिंसात्मक आन्दोलनसे देशका बेहद लाभ हुआ है। मेरा मत है कि यदि किसी भी तरहकी हिंसाका प्रचार न किया गया होता तो और भी अधिक

१. जे० एच० गैरट, आयुक्त उत्तरी विभाग।
२. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ नहीं लिखा है।
३. पेडी।

प्रगति होती। मैं अब भी उन लोगोंसे जिनका राजनीतिक हिंसापर विश्वास है अनुरोध करता हूँ कि वे तबतक हिंसात्मक काम न करें जबतक कांग्रेस अहिंसाके सिद्धान्तको अपनाये हुए है। यदि वे अधीर हों तो वे स्वयं अवधि निश्चित कर लें। परन्तु ऐसा कर लेनेके बाद वे उसका धार्मिक निष्ठासे पालन करें और उस सम्बन्धमें प्रचार कार्य करें।

[अंग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, ११-४-१९३१

४३७. पत्र : नरसिंहराव भोलानाथ दिवेटियाको

११ अप्रैल, १९३१

सुज्ञ भाईश्री,

आपने घर बदल लिया है, यह मैं नहीं जानता था। आपका प्रसाद मिल गया है। उसके लिए आभारी हूँ। 'भजनावलि' में[1] एक और अंग्रेजी भजन है। समय होनेपर उसे भी [अनुवाद करनेको] हाथमें ले लें।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[गुजरातीसे]
नरसिंहरावनी रोजनीशी

४३८. भाषण : गुजरात विद्यापीठके दीक्षान्त समारोहमें[2]

११ अप्रैल, १९३१

आपको अर्थात् स्नातकों और ग्राम-सेवाके लिए जो लोग दीक्षित किये गये हैं उन्हें विधिवत आशीर्वाद तो मैंने इस कागजको पढ़ते समय ही दे दिया था। लेकिन आपको हृदयसे आशीर्वाद तो अब दे रहा हूँ। मैं यह आशा करता हूँ कि आपको जो प्रमाणपत्र मिले हैं उनके लिए आप अपने मनमें गर्व अनुभव करेंगे और अपनी अवगणना नहीं करेंगे। मैं यह भी आशा करता हूँ कि जो प्रतिज्ञा आपने अभी की है, आप उसका सम्पूर्ण रूपसे पालन करेंगे। लिखी या छपी प्रतिज्ञाका मुँहसे उच्चा-रण कर लेना आसान है। उसे हृदयमें उतारकर मनमें उसके पालनका पक्का संकल्प करना कठिन है। मुझे इतनी आशा तो जरूर है कि इस विद्यापीठसे अथवा राष्ट्रसे

१. देखिए खण्ड ४४।
२. भाषणका अंग्रेजी विवरण प्रथम और अंतिम अनुच्छेदको छोड़कर १६-४-१९३१ के **यंग इंडिया**में प्रकाशित हुआ था।

सम्बन्धित जितनी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, उनमें बिना सोचे-समझे अज्ञानपूर्वक एक शब्द भी नही बोला जायेगा। इसे मैं प्रगतिका प्रथम चरण मानता हूँ। विद्यार्थीके लिए भी ऐसा होना चाहिए। नहीं तो उसकी नीव कच्ची रह जायेगी। इस विषयमें मेरे मनमें कोई शंका नहीं है। यहाँ स्नातकों और ग्रामसेवा-दीक्षितोके बीच जो भेद किया गया है, वह ठीक है। सच्चाईकी रक्षा करनी हो, तो यह भेद बताये बिना काम नही चल सकता। स्नातकोंकी पढ़ाई अलग है और उन्हें इसमें वर्ष भी ज्यादा लगाने पड़ते है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कारण ग्रामसेवा-दीक्षित अपनेको कम न लेखें। यह कोई साधारण काम नही है। हो सकता है कि स्नातकोंने ज्यादा साल लगाये हों और ज्यादा विषयोंकी पढ़ाई की हो, तो भी उनको ग्रामसेवक पछाड़ दें, मुझे इसमें आश्चर्य नही होगा। पछाड़ देनेके साधन उनके पास बहुत है। मुझे पूछो तो मैं कहूँगा कि स्नातकोंसे ग्रामसेवा-दीक्षितोंकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि विद्यापीठके जन्मसे ही मैं कहता आ रहा हूँ कि विद्यापीठके जरिए हमें गाँवोंमें पहुँचना है। स्नातकके मनमें भी ऐसा उत्साह होना चाहिए और उसकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि मैं गाँवोंमें जाकर सेवा करूँगा। जिसने देहातकी सेवा करनेकी दीक्षा ली है, मुझे आशा है वह उसकी शोभा बढ़ायेगा। स्नातकको खुद ही समझ लेना चाहिए कि उसने इतने वर्ष गुजरात विद्यापीठमें किसलिए बिताये हैं। मैं यह नही कह सकता कि अबतक हमें यानी विद्यार्थियोंको पूरी तरह मालूम हो गया है कि देशकी सेवा किस ढँगसे करनी है।

मगर यह आलोचना तो भूमिकाके तौरपर है। अब जो-कुछ कहनेका विचार है, वह ज्यादातर तारीफ ही है। कराडीमें मेरे गिरफ्तार होनेके बाद हिन्दुस्तानमें जो कुछ हुआ, उसे मैंने अखबारोंके जरिये ही जाना, छूटनेके बाद लोगोसे भी सुना। विद्यापीठोंने जो हिस्सा लिया, उसके बारेमें जो सुना है उससे मेरा दिल खुशीसे उमड़ रहा है। गुजरात विद्यापीठ और उसी तरह बिहार और काशी विद्यापीठके बारेमें मैं ज्यादा जान सका हूँ। उन तीनोंमें से अध्यापक और विद्यार्थी निकल पड़े, यह कोई मामूली बात नहीं है। जब इस लड़ाईका इतिहास लिखा जायेगा, तब यह देखकर दुनिया भी खुश होगी कि लड़ाईमें विद्यार्थियोंने कितना ज्यादा भाग लिया था और विद्यार्थियोंने लड़ाईकी कितनी शोभा बढ़ाई थी। जब मैं जेलमें बैठा हुआ विद्यापीठोंके विद्यार्थियों और अध्यापकोंके बारेमें कोई भी बात अखबारोंमें देखता था, तब फौरन सरकारी पाठशालाओंके साथ उनकी तुलना कर लेता था। इस तुलनाके बाद मेरे लिए यह दियेकी तरह साफ हो गया कि १९२० में स्कूलोके बहिष्कारका जो कार्यक्रम हमने रखा था, वह कितना ठीक था। यह सच है कि सरकारी मदरसे और स्कूल-कालेज अभीतक भरे हुए ही रहते हैं। इससे भी ज्यादा सच और दुःखकी बात यह है कि वहाँ जानेके लिए विद्यार्थी इतने ज्यादा आतुर होते हैं कि वे माफी माँग लेते हैं, जुर्माना दे देते हैं और किसी न किसी तरह वहाँ चले जाते हैं। इसलिए उन कालेजोंके अफसर या शिक्षा-विभागके अधिकारी गश्ती चिट्ठियाँ जारी करते हैं कि जिन लड़कोंने इस लड़ाईमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लिया हो या जो

जेल गये हों, उन्हें भरती करनेसे पहले शिक्षा-विभागके प्रमुखको खबर दी जाये। वह विद्यार्थियोकी जाँच करेगा और फिर उन्हें भरती करेगा। जो विद्यार्थी इस ढंगसे दाखिल होते है, उनके लिए क्या कहा जाये? शिक्षा-विभागका जो अधिकारी इस तरहकी शर्तें रखे, उसके लिए भी क्या कहा जाये? हिन्दू-विश्वविद्यालयके बारेमें सरकारने जो नीति अख्तियार की थी वह आपने देखी होगी। पूज्य पण्डित मालवीयजी सामान्य योद्धा नही है। मैं भीतर का इतिहास जानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि इस वक्त मालवीयजीकी निडरतासे, हिम्मतसे और त्याग करनेकी सामर्थ्यसे हिन्दू विश्वविद्यालय बच गया है, यानी उसे जो रुपयेकी बड़ी मदद सरकारसे मिलती थी वह बन्द नही हुई है। हो जाती तो मालवीयजीकी आँखोसे एक भी आँसू न गिरता। उन्होने तय किया था कि यदि एक भी लड़केके हिन्दू विश्वविद्यालयमें प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगा, तो अनुदान नही लिया जायेगा। इससे मालूम होता है कि सरकारी दान लेनेवाले स्कूल-कालेजोमें और हममें कितना फर्क है।

यह मैंने कालेजका वर्णन किया। दूसरी तरफ विद्यापीठके निवेदनके परिशिष्ट ३ की तरफ आपका ध्यान खीचता हूँ। उसमें जो अध्यापक और विद्यार्थी जेल गये थे, उनके शुभनाम दिये गये है और उन्हें बधाई दी गई है। काकासाहबने कहा है कि विद्यार्थियोंने जो ज्ञान पिछले एक सालमें कमाया, वह पहले कभी नहीं कमाया था। विद्यापीठ तो जो पहले था वही अब भी था। राष्ट्रीय पहले भी था, फिर भी उन्होने इतना ज्ञान एक बरसमें नही कमाया था। और आगे भी हम जब कभी जेलें भरेंगे या जेल भुगतनेका कार्यक्रम होगा, तब भी यह कमाई होगी। हम समझते है कि उस वक्त हम सच्चा विद्यादान देंगे। इससे यह सार निकालना है कि स्नातकों और ग्राम-दीक्षितोको यह नही समझना चाहिए कि हम किसी मामूली विद्यापीठसे स्नातक या ग्राम-दीक्षित हुए है। उन्हें इस तरह कदापि नही सोचना चाहिए कि क्या करें; जब हम विद्यापीठमें आ ही फँसे है, तो इसकी शोभा बढा दें। भले ही आप मुट्ठीभर लगते है, तो भी आप समुद्रके बराबर है; और वे समुद्रके बराबर दीखते हो तो भी मृगजल है। उन्हें स्वराज्य लेनेकी शक्तिसे सींचना असम्भव नहीं तो मुश्किल जरूर है। राष्ट्रीय विद्यापीठोंमें इस शक्तिका सिंचन कितना हुआ है, यह हम इन विद्यार्थियोंमें देख सकते है। जिन्होने उनका किया हुआ काम देखा है, वे गवाही दे सकेंगे कि विद्यापीठ कायम करके हमने कुछ खोया नही; उसके लिए जो रुपया दिया है, वह हमने ब्याज-सहित वसूल किया है। ऐसा यहाँ आये हुए भाई-बहन समझ ले और यदि वे इसे स्वीकार न करें तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप निवेदनमें लिखी हुई बातोंके बारेमें जाँच करें। गहराईमें जाकर देखें कि जो लिखा है वह दिखावटी है या सच है। आप अध्यापकों और विद्यार्थियोंसे मिलें और उनकी परीक्षा करें। आपकी दृष्टिमें सचमुच कोई ऐसी सरकारी शाला है जिसके बारेमें आप ऐसे अनुच्छेदोंके लिखे जानेकी बात कह सकते हों? विवरणमें कितनी बालिकाओंका नाम आता है, इन सब नामोंकी मुझे खबर नहीं थी; किन्तु मनमें यही आया कि इसमें नई बात क्या है? विवरणकी इस अनुच्छेदसे शोभा तो

बढ़ती है, और वह इस प्रकार कि खुर्शेद बहनके कामके बारेमें दी गई टिप्पणीके बादमें लिखा हुआ है:[1]

विद्यार्थियोंने अपना भाग सौ फीसदी अदा किया है। १६ बरससे ऊपरके विद्यार्थियोंने लगभग अपना पूरा भाग अदा किया है। १६ वर्षसे कमके विद्यार्थियोंका इतिहास अलग है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जो मैंने बताया है उससे ज्यादा आपको विद्यापीठकी स्थिति मालूम हो सके, इसलिए मैंने यह अनुच्छेद पढ़ा है। एक ओर मैं स्नातकों और ग्राम-दीक्षितोंको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, दूसरी ओर जो भाई-बहन आये हैं उनका ध्यान काका साहब द्वारा माँगी गई भिक्षाकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप विद्यापीठको कठिनाईमें नहीं रहने देंगे और विद्यापीठके सेवकोंको आपके पास उगाही करनेके लिए आना पड़े, ऐसा भी नहीं होने देंगे।

इतना कहकर मैं दूसरे विषयपर बात करना चाहता हूँ। विद्यापीठका जो हिसाब विवरणमें दिया गया है, उसे आप देखेंगे। उससे क्या मालूम होता है? उसके पीछे कोई बात है, उसे समझ लें। कहनेका अभिप्राय यह है कि यहाँका प्रबन्ध बड़ी कंजूसीसे किया जाता है। पैसा उड़ाया नहीं जाता। मैंने सही शब्दका प्रयोग किया है; क्यों कि मैं मानता हूँ कि सार्वजनिक धनको कंजूसकी तरह खर्च करनेकी जो विद्या मैंने प्राप्त की है, उतनी शायद ही किसी और को प्राप्त हुई होगी। मैंने जवानीमें ही सीख लिया था कि सार्वजनिक धनको अपने धनकी अपेक्षा ज्यादा कंजूसीसे इस्तेमाल करना चाहिए। जिसमें कमानेकी शक्ति है वह सार्वजनिक पैसेको अपने पैसेकी तरह खर्च नहीं कर सकता। देनेवाले गरीब हैं और हम उनका पैसा इस्तेमाल करते हैं, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए। यह बात अक्षरशः सच है; क्योंकि भारत जैसा गरीब देश संसार भरमें कहीं नहीं है। हमारे गरीबोंकी संख्याके मुकाबलेमें महल-अटारीवाले राजा या करोड़पतियोंकी संख्या कितनी-सी है? राजाओं और करोड़पतियोंकी बात सोचें और गरीबोंको भूल जायें तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। इस बातकी इसलिए याद दिला रहा हूँ कि यहाँ हमारे कई सहयोगी बैठे हैं और उनके हाथमें व्यवस्था का काम भी है। सरदारने मुझे बताया कि हमारे पास पैसा कम है और हमें काम बहुत करना है। जितना बजट पेश होता है, वह सबका-सब कैसे स्वीकार किया जा सकता है? सरदारसे मैंने कह दिया कि आप कलम हाथमें ले लें और अस्वीकार करने योग्य बातोंको अस्वीकार कर दें।

हम चाहते हैं कि जो सुलह आज हुई है वह स्थायी हो जाये। इसे स्थायी करनेके लिए मुझसे जितना प्रयत्न हो सकेगा उतना मैं करूँगा। किन्तु कुदरतका विरोध कोई इन्सान नहीं कर सकता और मैं भी नहीं कर सकता। और अभी कुदरत हमारे विरुद्ध है। यदि उसके कारण स्थायी समझौता न हो सका, तो भविष्यमें जो संघर्ष होगा वह दारुण होगा। उसमें हम सब खप जायेंगे। जो देश देरतक गुलामीमें आपा

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें जिन विभिन्न बहनोंने विद्यापीठका जो काम किया था, उसका नामोंके साथ विवरण था।

भूलकर पड़ा है, वह एकदम स्वराज्य पा ले यह अच्छा तो है, पर हमें इसके लिए मरना होगा और फिर भी उसमें हमें आनन्द आना चाहिए। इस दारुण युद्धके लिए हमारे पास एक पैसा भी न हो तो भी हमें लड़ना आना चाहिए। हमारे पास, गुजरातके पास ढेरों पैसा आ जाये और उसे हम खुले हाथोंसे खर्च करें तो वह भी कम पड़ जायेगा। यों तो कुबेरका खजाना भी खाली हो जाये। इसलिए गुजरातके पास पैसा आता रहे तो उसे हमें कंजूसकी तरह खर्च करना है। कहाँ कमी कर सकते हैं या सादगीसे काम चला सकते हैं, उसका हमेशा विचार करना चाहिए। मैं अपने मनमें हमेशा आलोचना करता हूँ। हमें इतनी ज्यादा मोटरोंकी क्या जरूरत है? मैं मोटरमें बैठता हूँ तो वह मेरी कमजोरी है। नहीं तो हमारे लिए मोटर जरूरी ही क्यों हो? स्वयंसेवको, स्नातकों और ग्राम-सेवको या सेविकाओंको पैरोंके घोड़ों पर ही जाना चाहिए। हमारे हाथमें देशका कारोबार आये, तो हम उसे किस रीतिसे चलायेंगे? मैंने ११ शर्तें निश्चित की थीं; अब वे बढ़कर बीस हो गई हैं। उनमें ज्यादासे-ज्यादा वेतन ५०० हो, इस आशयका वाक्य मेरा नहीं, जवाहरलालका है। जवाहरलाल कौन है? किस तरीकेसे पला है? वह विचारशील है। उसने पाँच सौके स्थान पर छः सौ नहीं लिखा, इसलिए मैं उछल पड़ा कि जवाहरलालकी ढाल इस्तेमाल कर लूँगा। वाइसरायको हमारी नौकरी करनी हो तो ५०० में करे। उसे पाँच सौ दें तो हम कितना लेंगे? ५०० के आँकड़ेसे जवाहरलालने कांग्रेसके सामने अपना आदर्श रखा है। इसी दृष्टिसे हमें अपना खर्च चलाना चाहिए। यह मेरी सलाह ही नहीं, मेरी चेतावनी भी है। नहीं तो हमारा कारोबार ठप हो जायेगा। अभी तो सरकार गोली-बन्दूकसे लगान वसूल कर सकती है। हमारे पास तो गोली-बन्दूक आदि नहीं होंगे। उस समय तो कई ऐसे गोरखे होंगे जो अपने देश भाइयोंपर बन्दूक चलानेसे इन्कार करेंगे और हमें बन्दूक चलाकर लगान नहीं वसूल करना है। हमें तो अपना स्वराज्य एक दरिद्र देशकी तरह चलाना है। इसलिए मैंने यह सलाह दे दी। यह अप्रस्तुत बात नहीं है। किसीको गफलतमें नहीं रहना है। सुलह हो गई तो भी सावधान रहना है। सो नहीं जाना है। और इसके बाद और भी अधिक शुद्ध बनना है; ज्यादा एकाग्रता, ज्यादा सावधानीसे काम लेना है। प्रजाके एक-एक पैसेका हिसाब अपने-आपको और जगतको दिखा सकें, यदि इस तरीकेसे पैसेका इस्तेमाल करेंगे, तो अपना काम पूरा कर सकेंगे, इस विषयमें शंका नहीं है। आपको शुद्ध बलिदान करनेके लिए कहना मेरा धर्म है। स्नातकों और ग्राम-दीक्षितोंका कल्याण हो और आपने जो प्रतिज्ञा की है, ईश्वर आपको उसका पालन करनेका बल दे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३-५-१९३१

४३९. राष्ट्रीय सप्ताह

इस बार मैं तो राष्ट्रीय सप्ताहको भूल ही गया; या यों कहिए कि जबसे यरवदासे बाहर आया हूँ, तबसे सारी अवधि मेरे लिए तो राष्ट्रीय सप्ताह जैसी ही रही है। एकके बाद एक सामने आनेवाले कामके बोझमें वार, तारीख या तिथिका खयाल ही नही रहता। छः अप्रैलको एकबार भोजन करनेका भी मुझे खयाल नहीं रहा। पर सौभाग्यसे आजकल सफर और जागरणके कारण मैं प्रायः एकबार ही भोजन करता हूँ, इसलिए छठी तारीखका भी अनजानमें पालन हो गया।

मैं जानता हूँ कि जो हाल मेरा था वह दूसरोंका भी हुआ है, क्योंकि छावनीमें भी किसीको इसका खयाल था, ऐसा मुझे नहीं लगा। एक व्यक्तिको भी खयाल आता तो मुझे पता चल जाता। सच तो यह है कि पिछले बारह महीनोंकी जागृतिमें हम राष्ट्रीय सप्ताह जैसी तिथियोंको भूल ही गये थे। इससे पहले हम राष्ट्रीय सप्ताहके बहाने कुछ अधिक काम करते थे और साल-भरके आलस्यकी कमी पूरी करते थे। अब वह आलस्य नही बचा है और स्वराज्य हासिल करनेकी अधीरताने हममें से अनेकोंको अन्तिम प्रयत्नमें जुटा दिया है।

और होना भी यही चाहिए। पर यह कह सकते हैं कि जो प्रयत्न हो रहा है, वह काफी हदतक दृष्टि-विहीन है। प्रयत्नकी ही तुलनामें यदि ज्ञान और विवेक होता तो हम कबके मंजिलतक पहुँच चुके होते। उत्साह है, पर उसमें विवेकरूपी दीपस्तम्भ न होनेसे हम इधर-उधर भटक जाते हैं। यदि यह बात न होती तो कानपुर, बनारस, आगरा, मिर्जापुर वगैरामें जो दुःखद घटनाएँ हुई हैं, वे न होती। हिन्दू-मुसलमान दोनों पागल हो उठे और दोनों पशुओंसे भी नीचे गिर गये। ये लक्षण स्वराज्य लेनेके नहीं हैं। मुसलमानोंके दोष गिनानेवाले हिन्दू जिस चीजकी निन्दा करते थे, वे खुद भी वही करने लगे। हमारी शान्ति नाममात्रकी ही साबित हुई। जो शान्तिका पाठ सीखे हैं, वे जानते हैं कि शान्तिका पालन केवल अंग्रेजोंके प्रति ही नही करना है; बल्कि आपसमें भी उसे बनाये रखना है। परन्तु इस बारेमें समय मिलनेपर मैं अधिक लिखनेकी आशा करता हूँ।

खादीका भी हाल शान्ति जैसा ही है। खादीको मैंने शान्ति और अहिंसाका मूर्त-स्वरूप कहा है। और यह इसलिए कि खादीमें दरिद्रोंके प्रति शुद्ध प्रेम, उनके साथ शुद्ध सहयोग निहित है। जो भूखों मरनेवालोको दान देते है, वे दया भले करते हों, उनके साथ शुद्ध सहयोग नही करते; वे उनके प्रति मेहरबान बनते हैं, यानी उन्हें अपनेसे हलका समझते हैं। जो उनके पवित्र हाथोंसे बनी हुई खादी, चाहे वह मोटी हो या महीन, महँगी हो या सस्ती, पहनते हैं, वे उनके साथी बन जाते हैं, उन्हें उद्योगी बनानेमें मदद करते हैं, और उनके स्वाभिमानकी रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय सप्ताहमें खादी-प्रचार एक प्रधान प्रवृत्ति बन जाती है।

यही दशा अस्पृश्यताकी है। जलियाँवाला बागमें सबका खून एक साथ बहा था। उसमें स्पृश्य या अस्पृश्यका, हिन्दू, मुसलमान या सिखका भेद न था। राष्ट्रीय सप्ताहमें यह भेद भूल जानेका भी अधिक प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि यह सप्ताह आत्मशुद्धिके लिए मनाया जाता है। पाठकोंके हाथोंमें यह लेख १२ अप्रैलके दिन पहुँचेगा। अर्थात् सप्ताहके दो दिन बाकी होंगे। प्रत्येक पाठक जिसने ये तीन शुद्धिके काम न किये हों, सावधान हो जाये और यथाशक्ति इसमें अपना योगदान करे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १२-४-१९३१

४४०. विद्यापीठकी भिक्षा

मैं पाठकोंका ध्यान विद्यापीठकी वार्षिक भिक्षाकी अपीलकी तरफ खींचता हूँ। राष्ट्रीय विद्यापीठोंने पिछले संघर्षमें जो भाग लिया है वह कोई मामूली नहीं है। अध्यापकों, विद्यार्थियों, और स्त्री पुरुषों, दोनोंने जो भाग लिया है उसे देखें तो विद्यापीठोंने अपने अस्तित्वकी आवश्यकता सिद्ध कर दी है और उनपर खर्च किये गये पैसेकी भरपाई हो गई है। ऐसा कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। गुजरात विद्यापीठके अध्यापक और अध्यापिकाओं आदिका तो मुझे खुद अनुभव हुआ है। मुझे आशा है कि ४०,००० रु० की माँग तो थोड़ी ही अवधिमें पूरी हो जायेगी। आचार्य और अध्यापकोंको घर-घर भटकनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। विद्यापीठ प्रत्येक वर्ष अपनी सेवाओंका विवरण दे और लोग सहज ही उसकी अगले वर्षके खर्चकी माँग पूरी करें। ऐसा करना विद्यापीठ और प्रजा दोनोंको शोभा देता है और उससे दोनोंका काम सधता है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १२-४-१९३१

४४१. मेरी टिप्पणियाँ

विवेकहीन दलील

एक अहमदाबादी सज्जनके पत्रसे जिन्होंने अपना नाम और पता दिया है, नीचे लिखा उद्धरण[1] देता हूँ।

यह दलील अविचारसे भरी हुई है। मिल-मालिकके यहाँ ठहर कर मैं चरखेको थोड़ी भी हानि नहीं पहुँचाता। चरखेसे मुझे प्रेम है; मिल-मालिकके साथ मुझे द्वेष नहीं है। चरखेका प्रचार मैंने बारह वर्ष पहले शुरू किया था। मिल-मालिकोंके साथ भी मेरा सम्बन्ध पुराना है। उनके यहाँ मैं आज पहली बार नहीं ठहरा हूँ।

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने गांधीजीके किसी मिल-मालिकके घर ठहरनेपर आपत्ति उठाई थी और अपने उक्त विचारका कारण दिया था।

सत्याग्रही किसीसे द्वेष नहीं करता। वह अपना काम प्रेम द्वारा पूरा करता है। मिल-मालिकोंके यहाँ ठहर कर भी मैं उनसे कुछ खादी-सेवा करा लेता हूँ। मैं उनसे खादीके लिए पैसे भी लेता हूँ। मेरे ऐसे मिल-मालिक मित्र हैं जो खुद अपने परिवारवालोंके साथ खादी ही पहनते हैं। उनमें दम्भ नहीं, बल्कि खादीमें उनकी श्रद्धा होती है।

आज मिलें खादीको नुकसान नहीं पहुँचातीं, क्योंकि अभी सारे देशपर खादीका रंग नहीं चढ़ा है। अगर सारा देश खादीमय बन जाये, घर-घर चरखे चलने लगें, तो मिल-मालिक सहज ही मिलका व्यापार छोड़ दें। मैं मानता हूँ कि वे एक क्षणके लिए भी खादीके विरुद्ध नहीं जायेंगे। मैं यह भी मानता हूँ कि अगर वे विरुद्ध जानेका पाप करेंगे, तो हारेंगे, निष्फल होंगे। जबतक मिलका कपड़ा पहननेवाले बेशुमार लोग मौजूद हैं, तबतक नई मिलोंको खड़ी होनेसे रोकना लगभग नामुमकिन है। मिलोंको खादीकी स्पर्धा करनेसे रोकना चाहिए, इसे कुछ हदतक रोक सके हैं, और इसे पूरी तरह रोकनेकी कोशिश जारी है। इसलिए इस अहमदाबादी सज्जनका धर्म खादी-प्रचार है, चरखेकी प्रवृत्तिको व्यापक बनाना है। मिल-मालिकोंसे द्वेष करनेसे या उनके साथका मेरा सम्बन्ध तोड़नेसे यह काम पूरा नहीं होगा।

विदेशी कपड़ेके व्यापारी

विदेशी कपड़ेके व्यापारी अबतक भी लोभका त्याग नहीं कर सके हैं, यह जानकर दुःख होता है। उन्हें जानना चाहिए कि विदेशी कपड़ा — इंग्लैंडका, जापानका या और कहींका — अब हिन्दुस्तानमें नहीं चल सकता। उसके विरोधका वातावरण घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता जायेगा। विदेशी वस्त्रके त्यागमें करोड़ों गरीबोंकी भूलको सुधारनेका सुवर्ण उपाय निहित है। इस त्यागको सफल बनानेके लिए कई मरे हैं, हजारोंने लाठीकी चोटें सही हैं, हजारों जेल गये हैं। क्या विदेशी कपड़ेके व्यापारी इतनी कुर्बानीको काफी नहीं मानते? देशने जो नुकसान उठाया है, उसकी तुलना करके देखें तो विदेशी कपड़ेके व्यापारी समझ जायेंगे कि उन्हें अपने घाटेका रोना रोनेका अधिकार ही नहीं है। उनके घाटेका अर्थ है, कई वर्षोंतक किये गये अनीतिमय व्यापारकी कमाईमें से कुछ कमाईको छोड़ना और आगे शायद कम आमदनीसे सन्तोष मानना। वे अपना व्यापार बदल कर खादीका व्यापार क्यों न करें? खादीके व्यापारमें जो कला, जो रस और जो शुद्धि है, वह देशी मिलके कपड़ेके व्यापारमें नहीं है। खादीका व्यापार नई चीज है, इसलिए उसमें साहस और बुद्धिका भी पूरा उपयोग हो सकता है। उसमें स्वार्थ भी है, और परमार्थ भी। यानी कि यदि यह व्यापार शुद्ध रीतिसे किया जाये, तो इसे एक बिलकुल शुद्ध व्यापार कहा जा सकेगा।

पर इस लेखका आशय खादीका व्यापार नहीं, विदेशी कपड़ेके व्यापारका त्याग है। उसे छोड़कर व्यापारी जिस चीजका चाहे, व्यापार करें। पर विदेशी कपड़ेका व्यापार तो पाप समझ कर छोड़ दें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १२-४-१९३१

४४२. पत्र : जे० एच० गैरेटको

[१२ अप्रैल, १९३१][1]

प्रिय श्री गैरेट,

भारत सरकारने आपको इसके बारेमें लिखा ही होगा कि मैं समझौतेसे पैदा होनेवाले गुजरातके मामलोंके बारेमें आपसे मुलाकात करना चाहूँगा, अगर आपको एतराज न हो और आप वक्त निकाल सकें तो आज किसी भी समय, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, मैं आपसे मुलाकात करना चाहूँगा।

हृदयसे आपका,

अ० भा० कां० क० फाइल सं० १६ सी० १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

४४३. पत्र : मीराबहनको

[१३ अप्रैल १९३१ से पूर्व][2]

चि० मीरा,

मुझे तुम्हारे स्नेहभरे पत्र नियमित रूपसे मिलते रहते हैं। मैंने नोट कर लिया है कि तुम मुझे इस महीनेकी १६ तारीखको बम्बईमें निश्चित रूपसे मिलोगी। भड़ौंच जानेका कार्यक्रम रद कर दिया है। इसलिए मैं अहमदाबादसे इस महीनेकी १५ तारीखको चलूँगा। अत: मैं जिस गाड़ीमें रहूँ तुम्हारा उसी गाड़ीसे सफर करना सम्भव हो सकता है। मैं पहली मेल गाड़ी पकड़ूँगा।

यह पत्र तुम्हें कराचीसे रवाना होनेवाले दिन मिल जाना चाहिए। रोमाँ रोलाँने अम्बालाल भाईको समुद्री तार भेजकर तुम्हारी और मेरी सेहतके बारेमें पूछताछ की थी। जाहिर है कि यह संवाददाताओंकी शरारतके कारण हुआ। उन्होंने तारसे उत्तर दे दिया था कि हम दोनोंका स्वास्थ्य ठीक है। क्या तुम्हारी माताजीने भी कुछ लिखा? कुछ भी हो उन्हें कई दिन अकारण ही चिन्ता रही होगी। खसरा निकल चुकनेके बाद अब तुम्हारा शरीर पहलेकी अपेक्षा अधिक शुद्ध हो गया होगा।[3]

१. गांधीजी द्वारा माँग की हुई भेंट इसी दिन हुई। देखिए पुनश्च: "पत्र: जे० एच० गैरेटको", १३-४-१९३१।

२. मीराबहनके कराचीसे रवाना होनेके उल्लेखसे। वह अहमदाबाद १३ अप्रैलको पहुँची। देखिए "पत्र: प्रभावतीको" १४-४-१९३१।

३. **बापूज़ लेटर्स टू मीरा**में मीराबहनने स्पष्ट किया है: "कराची कांग्रेसके कैम्पमें मैं खसरेसे बीमार पड़ी और मुझे अस्पतालमें ले जाया गया"।

मैंने तुम्हें लिखा नही कि मेरा रक्तचाप १६० से कम पाया गया, जो पहलेसे बेहतर है और स्नायु-मण्डल काफी अच्छी हालतमें है। डा० अन्सारीको इन दोनोंके और बिगड़नेकी आशंका थी। कमजोर तो अभी हूँ और काममें भी मन नही लगता। परन्तु यह स्वाभाविक है। कराचीकी[1] जबर्दस्त थकानने अभीतक पीछा नहीं छोड़ा।

प्रभावती पटना गई है, उसके श्वसुरकी तबीयत ठीक नही है। कृष्णदास और बालकोबा बहुत बुरी तरह बीमार पड़े हैं। कृष्णदास व्रजकृष्णके घरमें है। बालकोबाको प्लूरिसी और तेज बुखार रहता है, कृष्णदासको निमोनिया हो गया है और उनका गैस द्वारा इलाज किया जा रहा है।

इमाम साहबकी तबीयत भी कुछ खास अच्छी नही है। मैं अभी उनसे नही मिला हूँ। मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए। उन्हें मेरे पास लानेकी बातके लिए मैंने मना कर दिया है।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५४३१)की फोटो-नकलसे। सौजन्य: मीराबहन; तथा जी० एन० ९६६५ से भी।

४४४. सन्देश: गुजरात विद्यापीठके स्नातकोंके सम्मेलनको[2]

अहमदाबाद
१३ अप्रैल, १९३१

स्नातकोंने आन्दोलनमें जो महान त्याग किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। बधाई देते समय मेरे मनमें एक बहुत बड़ी आशा भी है। स्नातक सम्भवतः मुझसे ज्यादा यह महसूस करते होंगे कि इस वक्त वातावरणमें हिंसा व्याप्त है। अहिंसाका व्यापक प्रचार क्यों नही है, इसके कारणोंका विचार किये बिना मैं स्नातकोंको स्मरण दिलाता हूँ कि वे अहिंसा और सत्यके विशेष प्रतिनिधि हैं। यदि ये दो शक्तियाँ उनके मनमें प्रबल हैं तो वे बहुत बड़ी सीमातक वातावरणको हिंसासे मुक्त कर सकते है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १४-४-१९३१

१. कांग्रेस अधिवेशन।
२. यह सन्देश सम्मेलनके मन्त्रीने पढ़ा था। (*हिन्दू*, १३-४-१९३१)

४४५. पत्र : जे० एच० गैरेटको

अहमदाबाद
१३ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री ग़ैरेट,

जिन्हें हम अवांछनीय मानते हैं और जिनका विवरण देनेका मैंने वायदा किया था, ऐसे नये मुखियों और पटेलोंका विवरण निम्नलिखित है। उनके विरुद्ध जो साक्ष्य दिया जा सकता है उसका सार साथ दे दिया गया है।

बाबर छतुर पटेल, सेजपुर, बोरसद ताल्लुका :

उसने एक डाकू बाबरदेवको बन्दूक दे दी थी। उसपर मुकदमा चलाया गया और उसे दो सालकी जेल हुई परन्तु बादमें वह सेशन कचहरी द्वारा छोड़ दिया गया। उसपर ६० से ७० तक डिगरियाँ हैं। उसकी नियुक्तिके बाद चार घर पुराने मुखियोंके और दो घर दूसरे पड़ोसियोंके जला दिये गये थे।

लाहड़ी मंगाभाई, वासना, बोरसद ताल्लुका :

तीन साल पहले उसे छः महीनेकी जेल हुई थी। इस मुखियाने झवेर गाबाको राखा नियुक्त करवाया यद्यपि उसे मालूम था कि इसे पाँच बार सजा दी जा चुकी है। उसकी अपनी गलीमें हिजरत करने जानेवालोंके तीन घर जलाये गये। उसने आग बुझानेमें सहायता करनेके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया।

मुहम्मद खान नाचेखान, पोर्डा, बोरसद ताल्लुका :

उसे गाँवकी कोई चिन्ता नहीं है। वह एक कुम्हारकी पत्नीको भगा लाया और अन्तमें उसे दूसरी जगह बेच दिया। इसी तरह वह एक ढेढ़की पत्नीको भी भगा लाया। उसपर भारी कर्ज है और गायकवाड़ राज्यमें उसके खिलाफ कैदके वारंट निकले हुए हैं।

मीरसाब मजमुद्दीन, दवल पुरा, बोरसद ताल्लुका :

उसे रिश्वतके लिए बड़ौदा रियासतने बरतर्फ कर दिया था। वह इस गाँवका नहीं है।

जामा गागा, पलज, बोरसद ताल्लुका :

वह तीन बारका सजायाफ्ता है।

झवेर राजा, रास, बोरसद ताल्लुका :

उसे चुराई हुई सम्पत्ति लेनेके लिए दो महीनेकी कैद हो चुकी है। इसके कार्यकालमें रासकी खेतियाँ लूटी गई थीं। उसकी नियुक्ति अस्थायी तौरपर है। उसने स्थायी होनेके लिए इस महीनेकी ११ तारीखको प्रार्थनापत्र दिया है।

सन्दसर :

यह मुखी शराबी है।

आनन्द और वोरीयावी :

इन मुखियोंके विरुद्ध कुर्कीके परवाने थे परन्तु जिलाधीशके कहनेपर ये रोक दिये गये थे।

जहाँगीरजी कावसजी, वरद, वारडोली :

मेरे पास जो हलफनामे हैं उनसे पता चलता है कि इसके पास १०० डुवलोंकी सेना है, जिसका उपयोग यह लोगोंमें आतंक फैलानेके लिए करता है। वह रिश्वतें लेता रहा है। उसका एक जलपान-गृह है। उसने एक अध्यापकको जो मद्य-निषेधका उपदेश देता था, बुरी तरहसे मारा-पीटा। वह निर्वाचक-मण्डल द्वारा दोषी पाया गया और उसने सबके सामने माफी माँगी।

अवूमियाँ वुहारी, वारडोली :

उसपर चोरीका अपराध प्रमाणित किया गया और उसे तीन माहकी कैद हुई।

उमरमियाँ (१) शकू (२) अम्वादा, जलालपुर ताल्लुका :

उसे डेढ़ सालकी सजा सुनाई गई।

दयालजी भागा, दण्डेसर, तरसादी और कुआवी, जलालपुर ताल्लुका :

शरावी है।

प्रेम गोपाल, टिघरा, जलालपुर ताल्लुका :

शरावी है।

गोवनराम अकोटी, बारडोली :

कई एक वक्तव्य हैं। लोगोंको तंग करने और बिना अनुमतिके गाड़ियों और बैलोंको अपने निजी उपयोगके लिए ले जानेका दोषी था। उसे गाँवमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह जो राजस्व वसूल करता है उसकी रसीद देनेसे मना करता है।

यह सूची पूर्ण नहीं है। तत्सम्वन्धी दलोंके विरुद्ध सारी शिकायतोंका सारांश भी नहीं दिया गया है। मेरे सामने जो कागजात हैं, उनसे मैंने नमूनेके तौरपर यह सूची पेश की है। जवतक मेरा सामान्य सुझाव स्वीकार नहीं किया जाता, इन मामलों और इस तरहके दूसरे मामलोंकी पूरी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। शान्ति और उपयोगिताकी दृष्टिके अलावा, मैंने सुझाव दिया है कि वे नियुक्तियाँ जो मनमाने तौरपर अस्थायी और 'अगले आदेश आनेतक' हैं, किसी भी तरह समझौतेकी शर्तोंके मुताबिक स्थायी नहीं मानी जा सकती। वहरहाल मुखीकी नियुक्तिमें जो वात आमतौरपर ध्यानमें रखी जाती है अर्थात् यह कि उसे लोगोंके वीचका होना चाहिए और कुछ हद तक उसे लोगोंका प्रतिनिधि होना चाहिए, उनमें उसकी कुछ प्रतिष्ठा और प्रभाव होना चाहिए। ये सारी वातें यहाँ किसी भी मामलेमें नही पाई जातीं। जो कुछ भी हो, ऐसा लगता है कि मुखियों और तलाटियोंकी पुनः नियुक्तिमें वड़ी सुस्ती वरती जाती है। जहाँतक तलाटियोंका सम्वन्ध है मैंने इस तथ्यकी ओर भी आपका ध्यान दिलाया था कि वारडोलीमें छंटनीको कारण वताकर कई-एक तलाटियोंको फिरसे नियुक्त नहीं किया गया है। जैसा कि कल मैंने आपको वताया था, ऐसे आदमी हैं जो इन पुराने तलाटियोंके लिए काम कर रहे हैं। यह अशुभ

और आश्चर्यजनक बात है कि बारडोलीमें एक भी तलाटीको बहाल नही किया गया है।[1]

जब्त की हुई और कब्जा की हुई सम्पत्ति

दण्ड विधान संशोधन-कानूनके अधीन बारडोलीमें जब्त की हुई सम्पत्ति पूरीकी पूरी वापस कर दी गई है। परन्तु खेड़ा जिलामें गबनके गम्भीर इल्जाम है। खेड़ा जिला कांग्रेस-कमेटीकी बहुत-सी चीजें गायब है (फाउण्टेन पेन, घड़ियोंके पट्टे, १० रुपयेके नोट आदि)। रास छावनीके कब्जेमें २५० मन ईंधन था; लगता है पुलिसने इस्तेमाल कर लिया है। ट्रांसामें मेटर नामक स्थान पर २० मन रुई और देवताजमें ५ मन तम्बाकूको कुर्क कर लिया गया। दोनों चीजोंका निबटारा नही किया गया है। परन्तु असली मालिकोंको वापस लौटाए जानेके बजाय वे चीजें चौरामें पड़ी हुई है। जब्त की हुई सम्पत्ति वापस दिलानेमें विलम्बसे बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। दुराग्रहका कोई प्रश्न ही नही है, क्योंकि जहाँ कही सम्भव है राजस्वकी नियमित रूपसे अदायगी की जा रही है। इसलिए जब्त की हुई जायदाद समझौतेके अधीन अपने आप वापस कर दी जानी चाहिए। परन्तु कुछ-एक मामलोंमें मामलतदारोंने जो लोग अपनी जमीनें वापस चाहते हैं उनसे प्रार्थना पत्र देनेके लिए कहा है। चूंकि बुआईके दिन सिरपर है इसलिए यह जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके जब्त की हुई जायदाद लोगोंको वापस दे दी जाये।

जमाबन्दी

जहाँतक जमाबन्दीका सम्बन्ध है, मैंने सुझाव दिया है कि जबर्दस्ती कर न वसूल किये जायें और किसी तरहका जुर्माना या राखोंके लिए किसी तरहकी अदायगीकी माँग न की जाये। मैंने सुझाव दिया है कि हर मामलेमें जिलाधीश हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओंसे सलाह-मशविरा करें और कितना कर होना चाहिए-इसका फैसला कर ले। रास जैसे स्थानपर जहाँ चल सम्पत्ति छीन ली गई है— घरोंके ताले तोड़ दिये गये हैं, घर जला डाले गये है, खेती नष्ट कर दी गई है, लोगोंसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे कुछ अदायगी करें। मैंने एक मामलेकी ओर आपका ध्यान दिलाया था जिसमें १० रु० राजस्वकी जगह ५० रु० की कीमतका अनाज उठवा लिया गया था और १० आनेके लिए १० रुपये रख लिये गये थे। एक और मामला नीचे दे रहा हूँ।

आबेरमें (जम्बुसर ताल्लुका, भड़ौच जिला) कुछ सत्याग्रहियोंकी जमीनें जब्त कर ली गई थी और जिन लोगोंने उन जमीनोंका लगान देना स्वीकार कर लिया था जमीनें उनके अधिकारमें कर दी गई। उन्होंने लगान दिये और सारी फसल ले

१. अपने १५ अप्रैलके पत्रमें गैरेटने उत्तर दिया : "आपके साथ १२ अप्रैलको हुई बातचीतके सन्दर्भमें मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सूरत जिलेमें जिन पटेलोंने पद-त्याग किया था उनमें से १६ को फिरसे बहाल कर लिया गया है।"

ली। वे समझते हैं कि जमीनें सदाके लिए उनके नाम कर दी गई हैं और अब वे उनका स्वामित्व छोड़नेसे इनकार करते हैं। दूसरी ओर तलाटीने बाहरके लोगोंके सुपुर्द की हुई फसलसे जो उगाही की है उसके असली मालिकको कोई रसीद नहीं दी है। इससे पहले कि जमीनें उनके सुपुर्द की जायें, उन्हें बकाया राशिकी अदायगी करनेके लिए कहा जाये।

उगत (जलालपुर) के प्रागजी वासनजी सत्याग्रहके दौरान अपना निवास छोड़कर दूसरे स्थानपर जा बसे थे। वह अपनी फसल नहीं काट सके थे। वह करकी मौकूफीके लिए प्रार्थना-पत्र लेकर मामलतदारके पास पहुँचे। मामलतदारने प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया परन्तु चार दिन बाद उनकी भैंसोंकी कुर्कीके आदेश जारी कर दिये। जब उन्होंने एक महीनेके अन्दर आधे लगानकी अदायगी करनेका वायदा किया तभी उनकी भैंसें वापस की गईं।

मैं ये उदाहरण आपके ध्यानमें यह दिखानेके लिए ला रहा हूँ कि समझौतेकी भावना कैसे भंग की जा रही है। सम्भव है, ऐसा अनजाने ही किया जा रहा हो।

यह सम्भव है कि बदलेमें लोगोंके खिलाफ शिकायतें पेश की जायें। मैंने जो आश्वासन कल दिया था, उसे फिर दोहराता हूँ कि यह सरदार वल्लभभाईकी और मेरी इच्छा है कि लोग समझौतेपर पूरी तरह अमल करें। लोग यदि अपनी ओरसे समझौतेको भंग करें तो ऐसे हर मामलेपर, जो हमारे ध्यानमें लाया जायेगा, तत्काल गौर किया जायेगा।

विचाराधीन दावे

बोरसदमें समझौता-वार्तासे बहुत समय पहलेसे ऐसे दावे विचाराधीन हैं जिनकी संख्या ८२ से कम नहीं होगी। कई-एक दावे बारडोली, आनन्द और जलालपुरके हैं। मैं विवरण सहित सूची[1] नत्थी कर रहा हूँ। कई-एक मामले, जबसे समझौता वार्ता शुरू हुई है तबसे, जब्त की हुई जमीनोंके मामलेमें सूचनाके न मिलनेके फलस्वरूप सामने आये हैं। उनका अलगसे जिक्र किया गया है।

वाजीपुराके एक रतनजी दयारामका मामला है जिनपर दूसरे दो आदमियोंके साथ भा० द० सं० की धारा ४३५ के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और उन्हें ६ महीनेकी कैद और जुर्मानेकी सजा हुई। उनके साथियोंको समझौतेके अधीन छोड़ दिया गया है परन्तु वे अभी जेलमें हैं।

मैंने आपको विद्यापीठके एक छात्र बबलभाईका नाम बताया था जो विदेशियोंके लिए बनाये कानूनके अधीन देश-निकालेका आदेश न माननेपर अभी जेलमें हैं। उसका पूरा नाम है बालकृष्ण प्राणजीवन मेहता। इतना ही नहीं है कि उसे मुक्त नहीं किया गया बल्कि उससे यह कहा गया है कि इससे पहले कि अवधि पूरी होनेपर तुम्हें रिहा किया जाये, तुम यह लिखित प्रतिज्ञा करो कि जब कभी तुम बाहर निकलोगे, बारंगवर रियासतको अपनी गतिविधियोंकी सूचना अवश्य देते रहोगे।

१. उपलब्ध नहीं है।

इसी तरहका एक मामला फकीरभाई वनजीभाईका है। उन्होंने समझौता-वार्तासे पहले आदेशकी अवहेलना की थी।

बेची हुई जमीनें

फिलहाल बेची हुई जमीनोंके बारेमें इतनी बात दुहरानेके अलावा कुछ नहीं कहता कि कमसे-कम बेची हुई जमीनोंकी सूची, जमीन कितनी एकड़ है, खरीदारोंके नाम, जमीन किस तारीख और किस तरह बेची गई — इतनी सूचना तो मुझे मिलनी ही चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

संलग्न–२[1]

[पुनश्च :]

कलकी बातचीतके लिए आभारी हूँ। मुझे आशा है कि सारे मामले प्रेमपूर्वक और सन्तोषजनक ढंगसे सुलझा दिये जायेंगे।[2]

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० कमेटी फाइल सं० १६ सी०, १९७१
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

४४६. पत्र : क० मा० मुन्शीको

१४ अप्रैल, १९३१

भाईश्री मुन्शी,

तुमने मुझे पत्र लिखकर अच्छा किया। शिकायतें तो बेहद आई हैं। किसी समय तुमसे उनके बारेमें बात करनेका भी निश्चय किया था। जिसके बारेमें शिकायत आई हो, जबतक मैं उससे बात नहीं कर लेता तबतक कोई कदम नहीं उठाता। मैंने इस बार भी इसी नियमको माना है। पर अब तुम्हींने लिखा है इसलिए

१. ये दिनांक १४ अप्रैल १९३१ की दो सूचनाओंकी प्रतियाँ हैं जो बोरसदके मामलतदारोंने दोषी थानेदारोंके नाम जारी की थीं। यहाँ नहीं दी गई है।

२. उसी दिन प्राप्तिकी स्वीकृति भेजते हुए गैरेटने लिखा "आपने जिन मामलोंका जिक्र किया है उनकी छानबीन करनेके बारेमें कदम उठाऊँगा।"

तुम्हारे साथ बात करनेका अवसर जल्दीसे-जल्दी निकालूँगा। वहाँ[1] १६ तारीखको आ रहा हूँ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५१५) से।
सौजन्य: क० मा० मुन्शी

४४७. पत्र: प्रभावतीको

१४ अप्रैल, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र और तार मिल गया है। मैं १६, १७, १८ तारीखको बम्बईमें ७ लैबर्नम रोडपर हूँ। २०-२१को आश्रममें। बड़ी लक्ष्मीका[2] विवाह करना है। मेरी तबीयत ठीक है। शायद दोपहरको थोड़ा बुखार हो जाता है। मीराबहन कल यहाँ आ गई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३९६)की फोटो-नकलसे।

४४८. पत्र: फूलचन्द के० शाहको

१४ अप्रैल, १९३१

भाईश्री फूलचन्द,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। इसके साथ भाई गोरडीयाका पत्र है। उसे पढ़कर उसपर विचार कर लें।

मुझे तो तकरारके लिए कोई बड़ा कारण नहीं दिखाई देता।

मुझे लगता है कि विवेक और विनयसे सब ठीक हो जाना चाहिए।

जो ठीक हो वह करें। ज्यादा खबर तो वहाँ होनेके कारण तुमको ही है। सत्याग्रहका अर्थ है नम्रताकी पराकाष्ठा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९१९२)की फोटो-नकलसे।

१. बम्बईमें; देखिए अगला शीर्षक।
२. लक्ष्मीदास पुरुषोत्तमदास आसरकी पुत्री।

४४९. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

१४ अप्रैल, १९३१

चि० ब्रजकिसन,

तुमारे पास मेरा कैसा लेन है? और कैसी सेवा? ईश्वर तुमारा कल्याण करेगा इस अनन्य भक्तिका बदला वही दे सकता है।

दूसरे सेवकोंको मेरे आशीर्वाद।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० २३८५ की फोटो-नकलसे।

४५०. पत्र : रॉल्फ बोरसोडीको

[१४ अप्रैल, १९३१के पश्चात्][1]

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मुझे आपकी पुस्तक 'दिस अग्ली सिविलाइजेशन' अभी नहीं मिली है। जब मुझे यह पुस्तक मिलेगी मैं इसे पढ़नेकी कोशिश करूँगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७००५)की माइक्रोफिल्मसे।

१. उनके १४ अप्रैलके पत्रके उत्तरमें जिसमें लिखा था : "प्रिय महोदय, चूँकि आपने घरेलू कताई और बुनाईको भारतके लिए किये जा रहे अपने कामका अंग बना लिया है, इसलिए उद्योगवादकी कुछ एक मूर्खताओंके विरुद्ध आप जो संघर्ष बहादुरीके साथ कर रहे हैं, उसे मैं विशेष रुचिसे देखता आ रहा हूँ। मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि मेरी नवीनतम पुस्तकमें हमारी इस औद्योगिक सभ्यताकी जो आलोचना है उसमें कुछ-एक विचार ऐसे हैं, जिनमें आपकी रुचि हो सकती है और सम्भवतः उनसे आपको कुछ मदद भी मिल सकती है। इस कारण मैं आज आपको अपने प्रकाशक, सोइमन ऐंड शूस्टर, न्यूयार्कके द्वारा अपनी पुस्तक दिस अग्ली सिविलाइजेशनकी एक प्रति भिजवा रहा हूँ। आप इसे पढ़ेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और कुछ नहीं तो मैं चाहता हूँ कि उसमें आपके बारेमें जो कई एक सन्दर्भ हैं, जिनकी पृष्ठ संख्या आपको सांकेतिकामें मिल जायेगी, उनपर आप जरूर नजर डालें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि उद्योगवादमें जो दोष हैं, उनका मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण असाधारण है। और जिस उपायका मैंने प्रस्ताव किया है उससे वही मशीनें, जिन्होंने भारतको नष्ट कर दिया है, भारतमें आर्थिक स्वतन्त्रता और आत्म-निर्भरता वापस लानेमें बिल्कुल नये तरीकेसे प्रयोगमें लाई जायेंगी। हार्दिक शुभ कामनाओं सहित, आपका"...

४५१. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे

अहमदाबाद
१५ अप्रैल, १९३१

आज सुबह महात्मा गांधी अपने आश्रममें फिर आये। एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधि द्वारा यह पूछे जानेपर कि आपने पिछले साल जो संकल्प किया था वह क्या आश्रममें आते रहनेसे भंग नहीं होता, महात्मा गांधीने कहा:

इमाम साहब सख्त बीमार हैं; और दूसरे मैं पिछले दिनों उन्हें और दूसरे बीमारोंको देखनेके लिए हर रोज आश्रम जाता रहा हूँ। यह कहना कि इससे आश्रम न जानेका मेरा संकल्प किसीन-किसी तरह भंग हुआ, बिलकुल गलत है। संकल्पका[1] अर्थ आश्रममें न रहने और वहाँ रहकर आश्रमवासियों जैसा सामान्य जीवन न बिताने से था। इसलिए बीमारोंको देखनेके लिए मेरे आश्रममें जानेसे, जिस उद्देश्यके लिए वह संकल्प किया गया है, उसे अक्षुण्ण रखनेमें किसी तरहकी बाधा नही पड़ती।

निस्सन्देह संल्कपमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे जब कभी मै अहमदाबाद आऊँ तब मेरे वहाँ रहनेपर कोई रोक लगती हो। किन्तु मै जानबूझ कर वहाँ नही जाता जिससे जो लोग संकल्पका महत्त्व पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं और जिनके पास उसका महत्त्व समझनेका अवकाश ही नही है उनके मनमें उलझन न हो। अपने बहुत-से साथियों द्वारा किए गए इस संकल्पको मै महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। कारण मैं जरूरतसे ज्यादा सावधान रहना चाहता था और इसलिए आश्रममें अस्थायी तौरपर भी नही रहा। परन्तु यदि मै वहाँ जाने और बीमारोंको दिलासा देनेके लिए या किसी दूसरे ऐसे कामके कारण वहाँ जानेसे दृढ़तापूर्वक इनकार कर दूं तो ऐसा करके मैं संकल्पके उद्देश्यको ही हानि पहुँचाऊँगा।

यह पूछे जानेपर कि क्या आपने उनमें से कुछ-एक स्वयंसेवकोंको जिन्होंने दांडी-यात्राके समय आपके साथ प्रतिज्ञा की थी, आश्रममें रहनेकी अनुमति दी है, गांधीजीने कहा:

यदि मुझे उद्देश्यकी पूर्तिके लिए अपने सहयोगियोंमें से किसी एकको आश्रममें रखना जरूरी लगे तो मै उसे आश्रममें रखनेमें संकोच नहीं करूँगा; और उसपर प्रतिज्ञा भंगका दोष नही लगाया जा सकेगा।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-४-१९३१

१. दांडी यात्राके वक्त गांधीजीने संकल्प किया था कि जबतक भारत स्वराज्य प्राप्त न करले वह आश्रम वापस नहीं आयेंगे। देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ ६४-६५ तथा खण्ड ४६, पृष्ठ ३७-३८।

४५२. पत्र : छगनलाल जोशीको[1]

[१५ अप्रैल, १९३१][2]

चि० छगनलाल जोशी,

तुम घबराते क्यों हो? खेड़ामें तुम्हारे पास काम न हो तो वहाँ मत रहो। ठीक तरहसे देखें तो जो व्यक्ति वहाँ काम करे और उसे वहाँ रखना जरूरी हो तो उसका खर्च वहींसे निकलना चाहिए। अथवा तुम्हें स्वतन्त्र रूपसे यह निर्णय कर लेना चाहिए कि क्या उन्हें आश्रमके खर्चसे वहाँ रखना है? इसमें अपने निर्णयको ही तुम मेरा निर्णय मानना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ७ : श्री छगनलाल जोशीने

४५३. पत्र : छगनलाल जोशीको

[१५ अप्रैल, १९३१]

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला।

तुम्हें मेरे पास आकर आश्रमवासियोंके कर्त्तव्यके बारेमें बात कर लेनी चाहिए। जो नियम मुझपर लागू होता है, वह तुम सबपर भी लागू हो, यह जरूरी नहीं है। नियमोंकी सलाह मैं देता हूँ इसलिए उनके बाह्य पालनके बारेमें भी कड़ाईसे काम लेना मेरे लिए ठीक है। कई नियमोंका बाह्य पालन अनावश्यक भी हो सकता है। दोनोंके अनेक उदाहरण और कारण तुम सोच सकते हो।

खेड़ाका काम हो जानेपर तुम्हारे पास सचमुच कोई काम न बचे तो तुम्हें आश्रममें रहना चाहिए। एक काम पूरा हो जानेपर दूसरा काम सामने होना ही चाहिए। यह सही है कि हम आरामकी खातिर आश्रम न जायें। पूर्ण स्वराज्यके

१. खेड़ा जिलेके उन कार्यकर्ताओंके खर्चके बारेमें पूछनेपर, जो आश्रमसे आये थे, गांधीजीने यह उत्तर दिया था।

२. साधन-सूत्रके अनुसार यह और अगला पत्र गांधी-इर्विन समझौतेके आसपास या बाद लिखे गये थे। देखिए पिछला शीर्षक।

विना आश्रममें कदम भी न रखेंगे, इसका अर्थ तो यही है न?' आश्रमको ही भोगभूमि मानकर उसमें आरामके लिए वापस जायें तो ऐसा करनेका अधिकार इस कूचके यात्रीको नहीं है। किन्तु यदि इसके विपरीत प्रश्न उठे कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेकी खातिर आश्रम जानेकी जरूरत हो तो? अथवा बाहर आश्रमके मुकाबले ज्यादा आराम है, ऐसा लगे तो? किन्तु मुझे इसका उत्तर पानेकी कोई जल्दी नहीं, कोई आग्रह नहीं। इन सब बातोंपर विचार करके तुम्हें और दूसरोंको जैसा करना ठीक लगे वैसा करना।

"संयमना हेतुथी योग-प्रवर्तना।"[2]

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो - ७: श्री छगनलाल जोशीने

१. दांडी यात्राके समय ली गई प्रतिज्ञा।

२. "योगाभ्यास संयमके उद्देश्यसे" राजचन्द्रके एक भजनसे।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

गोलमेज परिषदमें प्रधानमन्त्रीका वक्तव्य[1]

१९ जनवरी, १९३१

सम्राटकी सरकारका यह विचार है कि भारत सरकारका उत्तरदायित्व, कुछ ऐसी शर्तें लगाकर, केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानमण्डलोंको सौंप देना चाहिए जो सक्रान्ति-कालमें कुछ दायित्वोंके पालनको सुनिश्चित बनाने और अन्य विशेष परिस्थितियोंका सामना करनेके लिए आवश्यक हों; साथ ही ऐसी गारण्टियाँ भी दे दी जायें जो अल्पसंख्यक वर्गोंको अपनी राजनैतिक स्वतन्त्रताओं और अधिकारोंकी रक्षाके लिए आवश्यक हों।

सक्रान्तिकालकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए इस तरहके जो सरक्षणोपाय किए जायेंगे, उनमें सम्राटकी सरकार मुख्य रूपसे इस बातका खयाल रखेगी कि आरक्षित अधिकारोंका गठन और प्रयोग इस तरहसे हो कि उनसे नये सविधान द्वारा भारतकी पूर्ण उत्तरदायित्व और स्वशासनकी ओर प्रगतिमें कोई बाधा न पड़े।

सम्राटकी सरकारको यह घोषणा करते हुए इस बातका अहसास है कि जिस तरहके संविधानकी कल्पना की गई है, उसके प्रयोगके लिए आवश्यक शर्तोंमें से कुछ अभीतक अन्तिम रूपसे निश्चित नहीं हुई हैं। परन्तु उसे विश्वास है कि यहाँ जो काम किया गया है, उसके फलस्वरूप, ऐसी स्थिति आ गई है जो आशा जगाती है कि इस घोषणाके बाद की जानेवाली वार्ता सफल हो सकेगी।

सम्राटकी सरकारने इस तथ्यको ध्यानमें रखा है कि सम्मेलनमें विचार-विमर्शका आधार यह रहा है और यह सभी पक्षोंको स्वीकार है, कि केन्द्रीय सरकारको एक अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, जिसमें भारतीय रियासतें और ब्रिटिश भारत, दोनों एक द्विसदनीय विधानमण्डलमें एकत्रित हों। नई संघीय सरकारका ठीक-ठीक रूप और ढाँचा नरेशों और ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंके साथ बैठकर और उनके बीच विचार-विमर्श करनेके बाद निर्धारित होना चाहिए। उसको कौन-कौनसे विषय सौंपे जाने है, इसके लिए भी और विचार-विमर्श आवश्यक होगा क्योंकि सघीय सरकारका रियासतोंके मामलेमें केवल उन्हीं विषयोंपर अधिकार रहेगा जो उनके शासकों द्वारा संघमें शामिल होते समय किये गये करारोंमें उसे सौंपे जायेंगे। सघके साथ रियासतोंका सम्बन्ध इस मूल सिद्धान्तके अधीन रहेगा कि जो विषय उन्होंने सघको नहीं सौंपे हैं, उन सबके बारेमें उनके सम्बन्ध सम्राटसे होंगे, और कार्य वाइसरायके माध्यमसे किये जायेंगे।

१. देखिए, पृ० १२६।

संघीय आधारपर विधानमण्डल गठित होनेसे सम्राटकी सरकार इस सिद्धान्त-को माननेके लिए तैयार हो जायेगी कि कार्यपालिका विधानमण्डलके प्रति उत्तरदायी हो।

वर्तमान परिस्थितियोंमें प्रतिरक्षा और वैदेशिक विषय गवर्नर-जनरलके लिए आरक्षित रहेंगे, और उन्हें वे अधिकार देनेकी व्यवस्था की जायेगी जो उन विषयोंके प्रशासनके लिए आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, गवर्नर-जनरलको संकटकालमें आखिरी सहारेके रूपमें, राज्यमें अमन कायम रखनेमें सक्षम रहना चाहिए और इसी तरह उन्हें अल्पसंख्यक वर्गोंके संवैधानिक अधिकारोंका पालन करानेके लिए उत्तरदायी होना चाहिए। अतः इन प्रयोजनोंके लिए उन्हें आवश्यक अधिकार दिए जाने चाहिए।

जहाँतक वित्तका सवाल है, वित्तीय उत्तरदायित्वका स्थानान्तरण अवश्य ही ऐसी शर्तोंके अधीन होना चाहिए जिनसे गृहमन्त्रीकी आज्ञासे ग्रहण किये गये दायित्वोंकी पूर्ति सुनिश्चित हो सके और भारतकी वित्तीय सुस्थिरता और साख अक्षुण्ण रह सके। संघीय संरचना उपसमितिकी रिपोर्ट इस विषयसे निपटनेके लिए कुछ तरीकोंकी ओर इंगित करती है जिनमें एक रिजर्व बैंक, ऋण-सेवा, और विनिमय-नीति भी शामिल हैं; सम्राटकी सरकारकी रायमें इनकी नये संविधानमें किसी-न-किसी तरह व्यवस्था करनी होगी। यह चीज भारतके सभी दलोंके मूल हितोंके अनुरूप है कि वे वित्तीय स्थिरता कायम रखनेके लिए इन शर्तोंको स्वीकार कर लें। इन शर्तोंके साथ भारत-सरकारको राजस्व एकत्रित करनेके उपायोंके लिए और अनारक्षित सेवाओंके खर्चपर नियन्त्रणके लिए पूर्ण वित्तीय उत्तरदायित्व प्राप्त होगा।

इसका अर्थ यह होगा कि वर्तमान परिस्थितियोंमें केन्द्रीय विधानमण्डल और कार्यपालिकामें द्वैतके कुछ लक्षण रहेंगे जिन्हें संवैधानिक ढांचेमें बैठाना होगा।

इन परिस्थितियोंमें आरक्षित अधिकारोंकी व्यवस्था आवश्यक है। इस तरहका कुछ आरक्षण वस्तुतः अत्यन्त स्वतन्त्र संविधानोंके विकासमें अनिवार्य रहा है। परन्तु जिन परिस्थितियोंमें उनका उपयोग आवश्यक है, उन्हें पैदा होनेसे रोकनेकी पूरी तरह कोशिश होनी चाहिए। उदाहरणके लिए, यह अवांछनीय है कि मन्त्री उन उत्तरदायित्वोंसे बचनेके लिए जो वस्तुतः उनके अपने हैं, गवर्नर-जनरलके विशेषाधिकारोंका आश्रय लें और इस तरह उन अधिकारोंको प्रयोगमें लाकर जो आरक्षित हैं एवं पृष्ठभूमिमें रहनेके लिए हैं, उत्तरदायी सरकारके विकासको विफल करें। इस सिलसिलेमें कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए।

गवर्नरोंके प्रान्तोंका गठन पूर्ण उत्तरदायित्वके आधारपर होगा। उनके मंत्री विधानमण्डलसे लिए जायेंगे और वे उसके प्रति संयुक्त रूपसे उत्तरदायी होंगे। प्रान्तीय विषयोंका परिक्षेत्र इस तरह निर्धारित किया जायेगा जिससे कि उन्हें यथासम्भव अधिकसे-अधिक स्वशासन दिया जा सके। संघीय सरकारका अधिकार उन व्यवस्थाओं तक सीमित होगा जो संघीय विषयोंके प्रशासनके लिए अपेक्षित होंगी, और वह इस तरह उन विषयोंके प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करेगी जिन्हें संविधानमें अखिल भारतीय विषय कहा गया होगा।

गवर्नरके लिए केवल वे न्यूनतम विशेषाधिकार आरक्षित होंगे जो असाधारण परिस्थितियोंमें अमन कायम रखनेके लिए और लोक सेवाओं और अल्पसंख्यक वर्गोंके विधान-प्रदत्त अधिकारोंको कायम रखनेके लिए आवश्यक होंगे।

अन्तमें, सम्राटकी सरकार यह समझती है कि प्रान्तोंमें उत्तरदायी सरकारोंकी स्थापनाके लिए विधानमण्डलोंको विस्तृत करना और उन्हें और अधिक उदार मताधिकारपर आधारित करना, दोनों आवश्यक हैं।

सम्राटकी सरकार यह समझती है कि संविधानको बनाते हुए उसका कर्त्तव्य उसमें ऐसी व्यवस्थाएँ शामिल करना होगा जिनसे विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गोंको, राजनैतिक प्रतिनिधित्वके अलावा, इस बातकी भी गारण्टी दी जा सके कि धर्म, नस्ल, सम्प्रदाय या जातिके भेद नागरिक निर्योग्यताओंका कारण नहीं बन सकेंगे।

सम्राटकी सरकारकी रायमें विभिन्न सम्प्रदायोंका यह कर्त्तव्य है कि अल्पसंख्यक वर्गोंकी उप-समितिने जो मुद्दे रखे हैं और जो अभी तक सुलझाये नहीं गये हैं, वे उन पर आपसमें किसी समझौते पर पहुँच जायें। जो वार्त्ता जारी है, उसमें इस तरहका समझौता हो जाना चाहिए और सरकार इस उद्देश्यकी प्राप्तिमें सहायता देनेके लिए जो मध्यस्थता कर सकती है, करती रहेगी क्योंकि उसकी यह उत्कट इच्छा है कि नये संविधानको लागू करनेमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि उसका श्रीगणेश सभी सम्बन्धित सम्प्रदायोंकी सद्भावना और पारस्परिक विश्वाससे होना चाहिए।

जो विभिन्न उपसमितियाँ भारतीय परिस्थितियोंके अनुरूप एक संविधानके अति महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंका अध्ययन कर रही हैं, उन्होंने उसके ढाँचेके काफी भागका विस्तारसे सर्वेक्षण कर लिया है, और जो मुद्दे अभी सुलझ नहीं पाये हैं उनपर भी समझौतेकी ओर अच्छी प्रगति हो चुकी है। फिर भी सम्राटकी सरकारने परिषदके स्वरूपको और इन बातको दृष्टिमें रखते हुए कि लन्दनमें उसके पास सीमित ही समय है, यह उचित समझा है कि परिषदका कार्य इस जगह रोक दिया जाये, ताकि जो काम हुआ है उसपर भारतीय मत जानकर परामर्श कर लिया जाये और जो कठिनाइयाँ सामने आई हैं, उन्हें दूर करनेके उपायोंपर विचार कर लिया जाये। सम्राटकी सरकार शीघ्र ही ऐसी योजनापर विचार करेगी जिसके द्वारा हम अपना सहयोग जारी रख सकें ताकि जो काम हमने पूरा कर लिया है, वह एक नये संविधानके रूपमें फलित हो सके। इस बीच यदि उन लोगोंने जो इस समय सविनय अवज्ञामें लगे हैं, वाइसरायकी अपीलके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई और अन्य लोगोंने इस घोषणाकी आम नीतियोंपर सहयोग करना चाहा, तो उनकी सेवाएँ प्राप्त करनेके लिए कदम उठाये जायेंगे।

सरकारकी ओरसे मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर और इन वैयक्तिक वार्ताओंमें भाग लेकर न केवल भारतकी बल्कि इस देशकी भी जो सेवा की है, सरकार उसकी हृदयसे सराहना करती है। दोनों पक्षोंके बहुत सारे लोग विगत वर्षोंमें जो दुर्भाग्यपूर्ण मतभेद और मिथ्या धारणाएँ पैदा करते

रहे हैं, उन्हें दूर करनेके लिए वैयक्तिक सम्पर्क सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यहाँ जिस तरहका वातावरण रहा है, उसमें उद्देश्य और कठिनाइयोंके बारेमें एक आपसी सहमति पैदा हुई है, और यह मतभेदोंको मिटाने और विभिन्न दावोंमें तालमेल बैठानेके तरीके और साधन खोजनेका सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सम्राटकी सरकार इतना ऐकमत्य जुटानेकी कोशिश करेगी जिससे नया संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंटमें पास हो सके और दोनों देशोंके लोगोंकी सक्रिय सद्भावनासे उसे अमलमें लाया जा सके।

[अंग्रेजीसे]

इंडिया इन १९३०-३१

परिशिष्ट २

वाइसरायका वक्तव्य[1]

नई दिल्ली
२६ जनवरी, १९३१

महामहिम गवर्नर-जनरल द्वारा आज तीसरे पहर निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया गया है:

"प्रधान मंत्रीने १९ जनवरीको जो वक्तव्य दिया है उसपर विचार करनेका अवसर प्रदान करनेके लिए, मेरी सरकारने स्थानीय सरकारोंके साथ परामर्श करके यह ठीक समझा है कि अखिल भारतीय कांग्रेसकी कार्यकारी समितिके सदस्योंको परस्पर और पहली जनवरी, १९३० से उस समितिके सदस्यके रूपमें काम करनेवाले सभी लोगोंके साथ विचार-विमर्श करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

इस निर्णय और इस उद्देश्यके अनुरूप और इस विचारसे कि वे लोग यदि कोई सभा करना चाहें तो उसमें कोई कानूनी बाधा न रहे, सभी स्थानीय सरकारें वह विज्ञप्ति वापस ले लेंगी जिसमें फौजदारी कानून संशोधन-अधिनियमके अधीन उक्त समितिको एक गैर-कानूनी संस्था घोषित किया गया था, और श्री गांधी तथा उन लोगोंकी रिहाईके लिए जो इस समय उस समितिके सदस्य हैं या जिन्होंने पहली जनवरी, १९३० से उसके सदस्यके रूपमें काम किया है, कार्रवाई की जायेगी।

मेरी सरकार इन रिहाइयोंपर कोई शर्त नहीं लगायेगी, क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं कि फिरसे शान्तिपूर्ण परिस्थितियाँ पैदा होनेकी अधिकसे-अधिक आशा तभी की जा सकती है जब सम्बन्धित व्यक्ति बेरोक-टोक स्वतन्त्रताकी स्थितिमें विचार-विमर्श करें। यह कार्रवाई हमने इस हार्दिक इच्छाके कारण की है कि ऐसी शान्तिपूर्ण परिस्थितियाँ पैदा करनेमें सहायता की जाये जिनसे सरकार प्रधानमन्त्रीके इस वचनको कार्यान्वित कर सके कि यदि नागरिक शान्तिकी घोषणा और गारण्टी हो जाती है तो सरकार भी अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया दिखानेमें पीछे नहीं रहेगी।

१. देखिए, "पत्र: वाइसरायको", १-२-१९३१।

मैं यह विश्वास करता हूँ कि हमारे इस फैसलेका जिनपर असर पडना है वे भी इसी भावनासे, जिसकी इससे प्रेरणा मिलती है, काम करेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि वे यह समझेंगे कि जिन गम्भीर समस्याओंकी शान्तिसे और बिना किसी आवेशके समीक्षा की जानी है, यह बात उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।"

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २८-१-१९३१

परिशिष्ट ३

गंगाबहन वैद्यका पत्र[1]

आप जानते ही हैं कि लीलावतीके सम्मानमें और उनपर पुलिसके क्रूर आक्रमणके विरोधमें एक जुलूस निकालना तय हुआ था। उस जुलूससे मेरा अलग रहना सम्भव नहीं था। मैंने तो शहरके विभिन्न भागोंसे आई महिलाओंकी छोटी-छोटी टोलियोंके आगे आश्रमकी लडकियोंको रखकर उस जुलूसके संगठनकी जिम्मेदारी ही ले ली थी। मैं जब अपनी टोलीका नेतृत्व कर रही थी तो मुझे खबर मिली कि शकरीबहन और कलावतीबहनको, जो रास टोलीके आगे थी, पुलिस लाठियोंसे पीट रही है। मैं तुरन्त उधर दौडी। मैंने देखा कि एक लडकीके शरीरसे काफी खून बह रहा है। उसके पास जाकर मैंने उसकी हिम्मत बढाई और बाकी बहनोंसे कहा कि वे 'रघुपति राघव राजाराम' गाती हुई आगे बढती रहें। मैं राहगीरोंसे कह रही थी कि वे सड़कके एक तरफ रहे ताकि जुलूसमें बाधा न पड़े। तभी अचानक पुलिस लाठियाँ बरसाती हुई हमपर टूट पडी। मैंने भी काफी लाठियाँ खाईं, जिनमें से कुछ मेरे सिरपर, बाँहोंपर, पीठपर, चेहरेपर और कानोंपर पडी। सिरमें हुए एक जख्मसे खून बहने लगा, पर मैं अपनी जगहसे इंच-भर भी नही डिगी और दूसरी बहनोंसे भी मैंने बैठ जानेको कहा। यह देख कर कि मैं रुकूँगी नही, फौजदार मेरे पास आया और उसने मुझे गिरफ्तार करके पुलिसको सौंप दिया। शरीरसे खून बहते हुए ही मुझे पुलिस-चौकी ले जाया गया। वहाँ मुझे शकरीबहन, कलावती, पद्मा, लक्ष्मी और मधु मिली। उन सबको भी लाठियोंकी चोटें लगी थी। मेरे सिरसे अभी तक खून बह रहा था। मैं वहाँ बैठ गई। मेरे जख्म पर सूर्यकी किरणें पड़ रही थी। मैं बिलकुल शान्त थी। कुछ देर बाद पुलिसके एक आदमीने आकर हममेंसे हरेक से पूछा कि क्या हम जख्मी हो गई हैं? मैंने उससे कहा, "आपको क्या खुद दिखाई नही दे रहा है?" इस पर वह बोला, "आप अस्पताल जाना चाहेंगी?" मैंने कहा, "नही, मेरा ख्याल है कि हम डाक्टरी सहायताके बिना ही ठीक हो जायेंगी।" तभी एक और पुलिस-अधिकारी वहाँ आ गया और जो आदमी हमारी पीडाओंका मजा ले रहा था उससे उसने कडाईसे कहा: "क्या तुम्हे दिख नही रहा कि अभीतक इनके खून बह रहा है? इन्हें फौरन अस्पताल ले

१. देखिए पृ० १३८।

जाओ। बिना मरहमपट्टी कराये तुमने इन्हें यहाँ इतनी देर क्यों रहने दिया?" तब अस्पताल ले जाया गया, जहाँ हमें मैत्रेयी, ललिता, लक्ष्मी और अन्य लड़कियाँ मिली। उन सबपर खूब लाठियाँ पड़ी थी और उन्हें अस्पतालमें भर्ती किया जा चुका था। तब मेरे जख्मकी मरहम-पट्टी की गई। डॉक्टरने मुझे बताया कि घाव पौन या एक इंच लम्बा है। औरोंका भी उपचार किया गया, पर बादमें उन्हें छुट्टी दे दी गई। जाहिर था कि उन्होंने वसुमतीको और मुझे ही गिरफ्तारीके लिए चुना था।

हम अब हवालातमें हैं। मेरे जख्मकी रोज मरहम-पट्टी होती है और मैं बिलकुल प्रसन्न और शान्त हूँ। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, पर मुझे अभी मेरी तकली नही दी गई है। अहिंसाका थोड़ा-बहुत अर्थ इसी समय मेरी समझमें आया है। मुझपर जब लाठियाँ पड़ रही थी तब मैं बिलकुल निर्भय थी और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मुझमें जरा भी घृणा या क्रोध नही था। अभी भी पुलिसके प्रति मुझमें रोष नही है। मुझे इस बातका ज्यादासे-ज्यादा विश्वास होता जा रहा है कि अहिंसाकी भावनाको हम जितना विकसित कर सकेंगे, उतनी ही सफलता हमें मिलेगी। अन्य बहनोंने भी अनुकरणीय वीरताके साथ प्रहार सहे। कुछपर तो बहुत ही निर्दयतासे हमला किया गया था। पुलिसवालोंने अपने जूतोंकी नोकोंसे बहुतसी बहनोंकी छातियोंपर ठोकरें लगाई थीं। पर कोई भी इंच-भर भी नही डिगी। हरेक अविचलित अपनी जगहपर डटी रही। मैं सोचती हूँ कि साहस और शक्तिका यह अकस्मात् आगमन कहाँसे हुआ। मुझे विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ था। उसीने हमें शक्ति दी।

अधिक विवरण देकर मैं अब आपको और तंग नही करूँगी। लड़कियाँ खुद ही आपको लिखेंगी।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट एब्सट्रेक्ट्स, ७५० (१४) ओ- भाग ए,

परिशिष्ट ४

वाइसरायका भारत-मन्त्रीको तार[1]

फरवरी, १९३१

तात्कालिक, निजी और व्यक्तिगत

गांधीजीसे मेरी दो बार लम्बी बातचीत हुई। कांग्रेस वस्तुतः जिन शर्तोंपर सविनय अवज्ञा बन्द करेगी, उनसे सम्बन्धित विविध महत्त्वपूर्ण मुद्दोंकी चर्चा तो मैं बादमें करूँगा, पर जिन मुख्य सारभूत विषयोंपर विचार-विमर्श हुआ, वे ये हैं:

(क) भावी संविधान सम्बन्धी विचार-विमर्शका क्षेत्र

१. देखिए पृ० २१२।

(ख) कांग्रेस यदि विचार-विमर्शमें भाग लेती है, तो सविनय अवज्ञाके फिर शुरू करनेके बारेमें उसका रुख।

२. पहले विषयके बारेमें मैंने उन्हें बताया कि परिषदके तीन मुख्य सिद्धान्त थे: संघ, संरक्षणोपाय और भारतीय उत्तरदायित्व। मैंने कहा कि ये मूल सिद्धान्त हैं, परन्तु इन सिद्धान्तोके प्रयोगकी तफसीलपर और चर्चा हो सकती है।

३. विचार-विमर्शमें उन्होंने साझेदारीको खत्म करनेका सवाल उठानेके अधिकारके बारेमें पूछा, जिससे उनका अभिप्राय, जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, साम्राज्यसे अलग होनेके अधिकारसे था। मैंने कहा कि मेरा अनुमान है कि वे यदि चाहे तो यह सवाल उठा सकते हैं, पर इस आशयका यदि उन्होंने कोई सार्वजनिक वक्तव्य दिया तो वह बहुत हानिकारक होगा। मुझे लगा कि उस मुद्देको वे कोई महत्त्व नही दे रहे थे और मेरे इस खयालकी सप्रू तथा अन्य लोगोने भी पुष्टि की।

४. उन्होने रियासतोंके विषयोंका भी उल्लेख किया। मैंने कहा कि मेरा अनुमान है कि वे इस मामलेको विचार-विमर्शमें उठा सकते है, परन्तु वे अपनेको नरेशोंके विरुद्ध पायेंगे। इस विषयमें भी मुझे यही लगता है कि वे इसपर जोर देना नही चाहते है।

५. मै यह महसूस करता हूँ कि हमें इस मामलेमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि वैधानिक स्थितिके बारेमें कही हम भ्रान्ति और मिथ्याधारणाकी स्थितिमें न पहुँच जायें। मै समझता हूँ कि मैंने अबतक यह चीज स्पष्ट रखी है; पर मुझे यकीन है कि कांग्रेसको दुनियाके आगे यह कहने देना खतरनाक होगा कि विचार-विमर्श हर विषय पर किया जा सकता था, और उसने उसमें भाग लेनेकी अपनी यह शर्त स्पष्ट कर दी थी कि यदि वह सन्तुष्ट नहीं हुई तो वह पुनः सविनय अवज्ञा शुरू कर देगी। इस तरहकी परि-स्थितियोंमें शायद बेहतर यही होगा कि उसे उसमें शामिल ही न किया जाये। विचार-विमर्शके क्षेत्रके बारेमें बहुत कुछ स्पष्ट वक्तव्यपर निर्भर करता है। यदि इसमें भ्रान्ति रही तो आशंका है कि हम बादमें यहाँ और स्वदेशके सभी दलोंका पर्याप्त समर्थन खो दें और इस तरह परिषदसे जितना भी लाभ हुआ है, उस सब पर पानी फिर जाये। प्रधानमन्त्रीने अपनी विज्ञप्तिमें वायदा किया है कि जो भी लोग उनकी घोषणाकी आम नीतियोंपर सहयोग करना चाहते हैं, उनकी सेवाएँ प्राप्त करनेके लिए कदम उठाये जायेंगे। पर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि काग्रेसके साथ व्यवहार करते हुए और भी स्पष्ट व्याख्या आवश्यक है और मै निम्नलिखित आशयका एक वक्तव्य चाहता हूँ। संघ योजनाका आवश्यक अंश है, इसी तरह वे संरक्षणो-

पाय भी इसके आवश्यक अंश हैं जिनसे प्रतिरक्षा, वैदेशिक विषयों, भारतकी वित्तीय साख और दायित्वोंके पालन पर सम्राटका नियन्त्रण सुनिश्चित रहे। संघ और इस तरहके संरक्षणोपायके सिद्धान्तको ठीक-ठीक किस पद्धतिसे व्यावहारिक रूप दिया जाये, यह विचार-विमर्शका विषय है। यदि कांग्रेस इस स्थितिको स्वीकार नहीं कर सकती, तो उसके साथ विचार-विमर्शसे कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप इसपर विचार कर सकें और इन मामलों पर सम्राटकी सरकारकी स्थितिको स्पष्ट करनेवाला एक यथासम्भव अधिकसे-अधिक स्पष्ट वक्तव्य देनेको तैयार हो जायें, तो मैं आपका आभारी हूँगा। मैंने इस विषय पर आज सप्रू, शास्त्री, जयकर और शफीके साथ विचार-विनिमय किया है और वे विचार-विमर्शके क्षेत्रकी उपरोक्त व्याख्यासे सहमत हैं। इससे अधिक संकीर्ण किसी भी व्याख्याके वे विरुद्ध हैं।

६. सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द होनेके बाद फिर शुरू होनेकी सम्भावनाके बारेमें गांधीजीने मुझे बताया कि वे इस तरहका कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि कांग्रेस किसी भी परिस्थितिमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर शुरू नहीं करेगी। परन्तु यदि वह विचार-विमर्शमें शामिल हुई, तो उसे सफल बनानेकी दिली इच्छासे ही शामिल होगी और, हर हालतमें, उसकी समाप्तिसे पहले तो पुनः सविनय अवज्ञा शुरू नहीं करेगी। उनका आशय मैंने यह समझा कि जबतक भारतमें संविधानके बारेमें विचार-विमर्श जारी रहेगा तबतक उसके फिर शुरू होनेका सवाल पैदा नहीं होगा, पर इससे अधिकके लिए वे अपनेको प्रतिबद्ध नहीं कर सकते। सप्रू और अन्य लोग यह जरूरी समझते हैं कि भारतमें विचार-विमर्शके दौरान शान्तिपूर्ण वातावरण रहे इस विषयमें सुनिश्चित सम्मति होनी चाहिए, और उनका यह विचार है कि यदि यह नहीं होता तो कांग्रेसका उसमें शामिल होना बेकार है। मैं इस विचारसे सहमत हूँ, पर हम उन्हें [गांधीजीको] और अधिक प्रतिबद्ध कर सकते हैं, मुझे इसमें सन्देह है।

७. नमक जैसे मामलोंके बारेमें सरकार द्वारा आम माफीकी कार्रवाईका सवाल केवल तभी पैदा होगा जब संवैधानिक स्थिति सन्तोषजनक रूपसे स्पष्ट हो जायेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारेमें काफी परेशानीका सामना करना पड़ेगा पर यदि बातचीत इस स्थिति तक पहुँच सकी तो कोई निर्णय लेनेसे पहले निस्सन्देह आपसे परामर्श करेंगे।

८. हमारी बातचीतमें आम वातावरण काफी मैत्रीपूर्ण रहा और निजी तौरपर मुझे पता चला है कि गांधीजी खुश हैं और सुलह-शान्ति चाहते हैं। पर मुझे इस बातका बड़ा डर है कि वे अपनी चालसे

आपको और हमे कही ऐसी स्थितिमें न डाल दें कि कांग्रेसका यह दावा लोगोको सच्चा लगने लगे कि वह परिषदके कार्यसे पहलेकी स्थिति पर पहुँच गई है और उसने सारे मामले पर फिरसे विचार-विमर्शका अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसलिए समस्या यह है कि परिषदके समझौतोंकी अधिकतम सीमाओंके अन्दर विचार-विमर्शकी पूरी छूट देते हुए अपनेको इस स्थितिसे कैसे बचाया जाये।

९. मुझे ऐसा लगता है कि यदि विचार-विमर्श आगे बढ़ता है तो उसका क्षेत्र अवश्य और अधिक व्यापक होगा। आपका उत्तर मिलने पर मेरा इरादा गांधीजीसे मिलने और उन्हें यह बतानेका है कि संविधान सम्बन्धी विचार-विमर्शकी सीमाएँ ठीक-ठीक क्या होंगी। यदि वे उन्हे मान लेते हैं, या यदि उन्हें सुननेके बाद वे मामलेको आगे चलानेको तैयार हो जाते हैं, तो मेरा सुझाव यह है कि जो प्रश्न अभी बाकी हैं, उनकी एक सम्मेलनमें जाँच होनी चाहिए। उस सम्मेलनकी अध्यक्षता मैं करूँ और उसमें मेरी कौंसिलके वरिष्ठ यूरोपियन भारतीय सदस्य, गृह सचिव, सप्रू, शास्त्री, जयकर, शफी, छतारी, सम्भवतः एक और मुसलमान, असेम्बलीका एक यूरोपियन गैर-सरकारी सदस्य और गांधीजी तथा उनके द्वारा सुझाये गये दो या तीन कांग्रेसके प्रतिनिधि शामिल हों। मेरा अनुमान यह है कि यदि सब-कुछ ठीक चला तो यह सम्मेलन २७ तारीखके आसपास हो सकेगा और मैं आपको उसकी स्वीकृतिके लिए लिखूँगा।

अंग्रेजी (जी० एन० ८९५१)की फोटो-नकलसे।

परिशिष्ट ५

अस्थायी समझौतेपर जवाहरलाल नेहरूकी टिप्पणी[1]

कार्यकारी समिति और भारत-सरकारमें अस्थायी समझौता हो जानेसे, युद्ध-विरामके एक दौरकी घोषणा कर दी गई है। मुझे खेद है कि इस समझौतेके अगले ही दिन मुझे विरोधकी आवाज उठानी पड़ रही है। मैं यह मानता हूँ कि समझौतेकी शर्तें, कई पहलुओंसे, सम्मानजनक हैं और उस शक्तिका प्रमाण हैं जो राष्ट्रने गत वर्ष बलिदान करके और कष्ट सहकर प्राप्त की है। मैं यह भी मानता हूँ कि यह समझौता अस्थायी है, सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्न विवादास्पद हैं और अन्तिम समझौता अभी होना है। पर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि विचार-विमर्शके क्षेत्रके बारेमें इसमें कुछ प्रतिबद्धता है और लाहौरमें हमारा जो आदर्श निर्धारित हुआ था, उसे

१. देखिए, पृष्ठ २५६।

इसमें कुछ सीमित कर दिया गया है। इसमें संरक्षणोपायों और आरक्षणोंका उल्लेख है और यद्यपि उन्हें भारतके हितमें बताया गया है पर उनकी व्याख्या प्रतिरक्षा, वैदेशिक विषयों, वित्त और सार्वजनिक ऋणके बारेमें हमारी स्वतन्त्रता सीमित करनेके लिए की जा सकती है, और मुझे डर है कि की जायेगी। कांग्रेस और कार्यकारी समिति यह प्रतिज्ञा कर चुकी है कि प्रतिरक्षा-सेवाओं, वित्तीय और आर्थिक नीति और . . .[1] पर भारतके लोगोंका पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए। कार्यकारी समितिके मेरे बहुत-से सहयोगियोंकी यह राय है कि संरक्षणोपायों और आरक्षणोंके इस उल्लेखसे भारतकी स्वाधीनताके लिए काम करनेकी उनकी स्वतन्त्रता किसी भी तरह सीमित नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि उनकी आशा ही सही हो और वे अपने इस मतको आगामी सम्मेलनमें अपनी उपलब्धियोंसे सिद्ध कर सकें। परन्तु इस शब्द-रचनाके बारेमें मेरी शंकाएँ मिट नहीं पा रही हैं, इसलिए मैं संरक्षणोपायों और आरक्षणोंके किसी उल्लेखको स्वीकार करने या उससे अपने मनमें सन्तुष्ट होनेमें असमर्थ हूँ। फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि जो लोग इन शब्दोंकी मुझसे भिन्न व्याख्या कर रहे हैं और उनमें से स्वाधीनता लेना चाहते हैं, उनके मार्गमें कोई बाधा डाली जाये। कार्यकारी समितिने जब युद्ध-विरामकी घोषणा कर दी है, तो मुझे विश्वास है कि हम सब इसका सम्मान करेंगे और इसके बारेमें कार्यकारी समितिके आदेशोंका पालन करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० स० फाइल सं० ३२९, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

परिशिष्ट ६

अस्थायी समझौता[2]

सपरिषद् गवर्नर-जनरलके निम्नलिखित वक्तव्यमें,[3] जो ५ मार्च, १९३१के "भारतके असाधारण गजट" में प्रकाशित हुआ है, वे शर्तें दी गई हैं जिनपर समझौतेकी अन्तिम शर्तें तय होने तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित रहना है।

१. महामहिम वाइसराय और श्री गांधीमें हुई बातचीतके फलस्वरूप यह तय हुआ है कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन रोक दिया जाये और भारत-सरकार और स्थानीय सरकारें, सम्राटकी सरकारकी स्वीकृतिसे कुछ कार्रवाइयाँ करें।

२. जहाँतक संवैधानिक प्रश्नोंका सम्बन्ध है, भावी विचार-विमर्शका क्षेत्र, सम्राटकी सरकारकी सहमतिसे, भारतकी संवैधानिक सरकारकी उस योजनापर आगे

१. साधन-सूत्रमें यह स्थान खाली है।
२. देखिए पृ० २५६, २६५, २६५, २९९ और ३३६।
३. गांधी-इर्विन समझौतेके।

और विचार करना बताया गया है जिसपर गोलमेज-परिषदमें विचार-विमर्श हुआ है। वहाँ जिस योजनाकी रूपरेखा रखी गई, सघ उसका एक आवश्यक भाग है। इसी तरह भारतीय उत्तरदायित्व और प्रतिरक्षा, वैदेशिक विषय, अल्पसख्यक वर्गोंकी स्थिति, भारतकी वित्तीय साख और दायित्वोका पालन जैसे मामलोके लिए, भारतके हितमें आरक्षण या संरक्षणोपाय भी उसके आवश्यक भाग हैं।

३. प्रधानमंत्रीने १९ जनवरी, १९३१ की अपनी घोषणामें जो कहा है उसके अनुसार, सवैधानिक सुधारकी योजनापर भविष्यमें जो और विचार-विमर्श होना है उसमें काग्रेसके प्रतिनिधियोको शामिल करनेके लिए कदम उठाये जायेंगे।

४. यह समझौता उन गतिविधियोके बारेमें है जिनका सविनय अवज्ञा आन्दोलनसे सीधा सम्बन्ध है।

५. सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रभावी ढगसे बन्द कर दिया जायेगा और सरकारकी ओरसे भी अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। सविनय अवज्ञा आन्दोलनको प्रभावी ढगसे बन्द करनेका अर्थ यह है कि उसको बढ़ावा देनेवाली सभी गतिविधियाँ, चाहे वे कैसे भी तरीकोसे चलाई जा रही हो, प्रभावी ढंगसे बन्द कर दी जायेंगी, ऐसी विशेष गतिविधियाँ निम्नलिखित है :

(१) किसी भी कानूनकी व्यवस्थाओकी सगठित अवज्ञा।
(२) लगान और अन्य कानूनी देनदारियोको अदा न करनेका आन्दोलन।
(३) सविनय अवज्ञा आन्दोलनके समर्थनमें पर्चोंका प्रकाशन।
(४) सरकारी और फौजी कर्मचारियों या ग्राम-अधिकारियोको सरकारके खिलाफ करने या उन्हे अपने पदोसे त्यागपत्र देनेको प्रवर्तित करनेकी कोशिशें।

६. जहाँतक विदेशी मालके बहिष्कारका सम्बन्ध है, उसमें दो सवाल आते हैं। पहला, बहिष्कारका स्वरूप और दूसरा, उसे अमलमें लानेके तरीके। सरकारकी स्थिति यह है, वह भारतीय उद्योगोंके प्रोत्साहनको भारतकी भौतिक उन्नतिके आर्थिक और औद्योगिक आन्दोलनका अंग मानती है। इस उद्देश्यको दृष्टिमें रखकर प्रचार, प्रोत्साहन या विज्ञापनके जो तरीके प्रयोगमें लाये जायेंगे, और जो व्यक्तिके कार्य-स्वातन्त्र्यमें बाधक नही होंगे और कानून व व्यवस्था कायम रखनेके प्रतिकूल नही होंगे, उन्हें निरुत्साहित करनेकी उसकी कोई इच्छा नही है। परन्तु, सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान (सिवाय कपड़ेके बहिष्कारके, जो सभी विदेशी कपड़ेका हुआ), अभारतीय वस्तुओंका बहिष्कार यदि सर्वथा नही तो मुख्य रूपसे ब्रिटिश वस्तुओंके ही विरुद्ध था। और उसके बारेमें यह बात मान ली गई है कि वह राजनैतिक उद्देश्योसे प्रेरित था और दबाव डालनेके लिए किया गया था।

यह स्वीकार किया गया है कि इस तरहका और इस उद्देश्यसे सगठित बहिष्कार निश्छल और मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्शमे काग्रेसी प्रतिनिधियोंके सहयोगसे पूरी तरह असगत बैठता है। कारण, कि संवैधानिक प्रश्नोपर होनेवाले उस विचार-विमर्शमें भारत, भारतीय रियासतो और सम्राटकी सरकार तथा इग्लैडके राजनैतिक दलोंके

प्रतिनिधियोंको भाग लेना है और उसका आशय उन प्रश्नोंके समाधान पर पहुँचना है। इसलिए यह तय हुआ है कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनको बन्द करनेका अर्थ निश्चित रूपसे यह है कि एक राजनैतिक हथियारके रूपमें ब्रिटिश वस्तुओंके बहिष्कारका प्रयोग बन्द कर दिया जाये। इसलिए जिन्होंने राजनैतिक उत्तेजनाके दौरान ब्रिटिश वस्तुओंकी बिक्री या खरीद छोड़ दी है, उन्हें उनकी इच्छापर छोड़ दिया जायेगा और अगर वे अपना रुख बदलना चाहें तो उनपर किसी भी तरहकी रोक नहीं लगायी जायेगी।

७. अभारतीय वस्तुओंकी जगह भारतीय वस्तुओंको बढ़ावा देनेके लिए या शराब और मादक द्रव्योंके उपयोगके विरुद्ध अपनाये जानेवाले तरीकोंका जहाँतक सवाल है, उनमें ऐसे तरीकोंका सहारा नहीं लिया जायेगा जो धरनेकी श्रेणीमें आते हैं; और धरना होगा भी तो केवल उन सीमाओंके अन्दर होगा जिनकी आम कानून इजाजत देता है। इस तरहका धरना अनाक्रामक होगा और उसमें दबाव, डराना-धमकाना, प्रतिरोध, विरोधी प्रदर्शन, जन-साधारणके लिए रुकावट या आम-कानूनके अन्दर आनेवाला कोई अपराध शामिल नहीं होगा। यदि किसी जगह इन तरीकोंमें से कोई तरीका प्रयुक्त किया गया, तो उस जगह धरना स्थगित कर दिया जायेगा।

८. श्री गांधीने सरकारका ध्यान पुलिस-आचरण सम्बन्धी कुछ विशिष्ट आरोपोंकी ओर आकर्षित किया है, और उनकी सार्वजनिक जाँचको वांछनीय बताया है। आजकी परिस्थितियोंमें सरकारको इसमें भारी कठिनाई दीखती है और वह यह महसूस करती है कि वह जाँच अनिवार्य रूपसे हमें आरोपों और प्रत्यारोपों पर ले जायेगी, और इस तरह वह शान्तिकी स्थापनाके प्रतिकूल होगी। इन बातोंका खयाल करते हुए श्री गांधी इस मामलेपर जोर न देनेको राजी हो गये।

९. सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द होनेपर सरकार जो कार्रवाई करेगी वह आगेके परिच्छेदोंमें बताई गई है।

१०. सविनय अवज्ञा आन्दोलनके सिलसिलेमें जो अध्यादेश जारी किया गया था, वह वापस ले लिया जायेगा। आतंकवादी आन्दोलनसे सम्बन्धित १९३१का अध्यादेश नम्बर १ इस व्यवस्थाकी परिधिमें नहीं आता है।

११. १९०८के फौजदारी कानून संशोधन-अधिनियमके अधीन संस्थाओंको अवैध घोषित करनेवाली जो विज्ञप्तियाँ हैं, वे वापस ले ली जायेंगी। पर शर्त यही है कि वे विज्ञप्तियाँ सविनय अवज्ञा आन्दोलनके सिलसिलेमें जारी की गई होनी चाहिए।

हाल ही में बर्मा-सरकारने फौजदारी कानून संशोधन-अधिनियमके अधीन जो विज्ञप्तियाँ जारी की हैं, वे इस व्यवस्थाकी परिधिमें नहीं आती हैं।

१२. (१) जो मुकदमे चल रहे हैं, यदि वे सविनय अवज्ञा आन्दोलनके सिलसिलेमे चलाये गये हैं और ऐसे अपराधोंसे सम्बन्धित हैं जिनमें केवल तकनीकी रूपसे ही हिंसा शामिल है, जिनमें [वास्तविक] हिंसा या हिंसाके लिए उकसावा शामिल नहीं है, तो वे वापस ले लिए जायेंगे।

(२) यही सिद्धान्त दण्ड प्रक्रिया-संहिताकी सुरक्षा व्यवस्थाओंके अधीन चलनेवाली कार्रवाइयोंपर भी लागू होंगे।

(३) जहाँ किसी स्थानीय सरकारने सविनय अवज्ञा आन्दोलनके सिलसिलेमें वकीलोके आचरणके बारेमे वकालत सम्बन्धी अधिनियमके अधीन किसी उच्च न्यायालयमे मामला दायर किया है या कार्रवाई शुरू कर दी है, वहाँ वह सम्बन्धित न्यायालयको इस तरहकी कार्रवाई वापस लेनेकी अनुमतिके लिए प्रार्थनापत्र देगी। पर शर्त यही है कि सम्बन्धित व्यक्तियोका कथित आचरण हिंसा या हिंसाके लिए उकसावेसे सम्बन्धित नही होना चाहिए।

(४) सैनिको या पुलिसके आदमियोके विरुद्ध आदेशोंकी अवज्ञाके लिए यदि कोई कार्रवाई चल रही होगी, तो वह इस व्यवस्थाकी परिधिमें नही आयेगी।

१३. (१) सविनय अवज्ञा आन्दोलनके सिलसिलेमे जो बन्दी ऐसे अपराधोंके लिए कारावास भोग रहे हैं जिनमें हिंसा केवल तकनीकी रूपसे ही शामिल है, [वास्तविक] हिंसा या हिंसाके लिए उकसावा शामिल नही है, वे मुक्त कर दिये जायेंगे।

(२) उपर्युक्त (१)की परिधिमें आनेवाले किसी बन्दीको यदि जेलमें किये गये किसी ऐसे अपराधके लिए भी सजा दी गई है जिसमें हिंसा केवल तकनीकी रूपमे ही शामिल है, वैसे हिंसा या हिंसाके लिए उकसावा शामिल नही है, तो वह सजा भी माफ कर दी जायेगी, या यदि इस तरहके किसी अपराधके लिए इस तरहके किसी बन्दीके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही होगी तो वह वापस ले ली जायेगी।

(३) जिन थोडे-से सैनिको और पुलिसके आदमियोको आदेशोकी अवज्ञाके लिए दण्डित किया गया है, वे इस आम माफीकी परिधिमे नही आयेंगे।

१४. जो जुर्माने वसूल नहीं किये गये हैं, वे माफ कर दिये जायेंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिताकी जमानत-व्यवस्थाओंके अधीन जहाँ जमानत जब्त करनेका आदेश जारी कर दिया गया है और जमानत वसूल नही की गई है, वहाँ वह भी इसी तरह माफ कर दी जायगी।

किसी भी कानूनके अधीन जो जुर्माने वसूल किये जा चुके हैं और जो जमानतें जब्त और वसूल की जा चुकी हैं, उन्हें लौटाया नही जायेगा।

१५. सविनय अवज्ञा आन्दोलनके सिलसिलेमे जहाँ किसी खास इलाकेके निवासियोके खर्च पर अतिरिक्त पुलिस रखी गई है, वहाँ वह स्थानीय सरकारकी मर्जीसे हटा ली जायेगी। स्थानीय सरकारोंने यदि कोई रकम वसूल कर ली है, और वह वास्तविक खर्चसे अधिक नही है, तो वह लौटाई नही जायेगी। लेकिन यदि रकम वसूल नही की गई है, तो वह माफ कर दी जायेगी।

१६. (क) ऐसी चल सम्पत्ति जिसपर कब्जा गैर-कानूनी नही है और जो सविनय अवज्ञा आन्दोलनके सिलसिलेमे आदेशो या फौजदारी कानूनकी व्यवस्थाओके अधीन जब्त कर ली गई है, यदि अभी भी सरकारके कब्जेमें है तो लौटा दी जायेगी।

(ख) लगान या अन्य देनदारियोंकी वसूलीके सिलसिलेमें जो चल सम्पत्ति जब्त कर ली गई है या अधिकारमे ले ली गई है, वह लौटा दी जायेगी। पर शर्त यही

है कि जिला कलेक्टरके पास यह विश्वास करनेका कोई कारण नही होना चाहिए कि दोषी व्यक्ति उन्हे युक्तियुक्त अवधिके अन्दर अदा करनेसे हठपूर्वक इन्कार करेगा। युक्तियुक्त अवधि क्या होनी चाहिए, यह निश्चित करते हुए ऐसे मामलोंका खास खयाल रखा जायेगा जिनमें दोषी व्यक्ति रकम अदा करनेकी इच्छा तो रखता है पर उसके लिए उसे वाकई कुछ समय चाहिए, और यदि आवश्यक हुआ तो लगान बन्दोवस्तके साधारण सिद्धान्तोके अनुसार लगान स्थगित कर दिया जायेगा।

(ग) [सम्पत्ति] बरबादीके लिए कोई मुआवजा नही दिया जायेगा।

(घ) यदि सरकारने चल सम्पत्ति बेच दी है या उसका और तरहसे आखिरी तौरपर निपटारा कर दिया है, तो कोई मुआवजा नही दिया जायेगा और उसकी बिक्रीसे मिली रकम लौटाई नही जायेगी। लेकिन जिन कानूनी देनदारियोके लिए वह सम्पत्ति बेची गई है, उनसे वह रकम जितनी ज्यादा होगी, उतनी जरूर लौटा दी जायेगी।

(ङ) हर व्यक्तिको यह छूट होगी कि यदि सम्पत्तिकी जब्ती या उसपर अधिकार कानूनके मुताबिक नही है, तो वह उसके लिए कानूनी प्रतिकारकी माँग कर सकता है।

१७. (क) जिस अचल सम्पत्ति पर १९३० के अध्यादेश ९ के अधीन कब्जा किया गया है, वह अध्यादेशकी व्यवस्थाओके अनुसार लौटा दी जायेगी।

(ख) लगान या अन्य देनदारियोंकी वसूलीके सिलसिलेमें जब्त की गई या अधिकारमें ली गई जो जमीन या अचल सम्पत्ति सरकारके कब्जेमें है, वह लौटा दी जायेगी, पर शर्त यही है कि जिला-कलेक्टरके पास यह विश्वास करनेका कोई कारण नहीं होना चाहिए कि दोषी व्यक्ति उन्हें युक्तियुक्त अवधिके अन्दर अदा करनेसे हठपूर्वक इन्कार करेगा। युक्तियुक्त अवधि क्या होनी चाहिए, यह निश्चित करते हुए ऐसे मामलोंका खास खयाल रखा जायेगा जिनमें दोषी व्यक्ति रकम अदा करनेकी इच्छा तो रखता है पर उसके लिए उसे वाकई कुछ समय चाहिए, और यदि आवश्यक हुआ तो लगान-बन्दोवस्तके साधारण सिद्धान्तोंके अनुसार लगान स्थगित कर दिया जायेगा।

(ग) यदि अचल सम्पत्ति तीसरे पक्षको बेच दी गई है, तो वह सौदा, जहाँ तक सरकारका सम्बन्ध है, अन्तिम माना जायेगा।

नोट: श्री गांधीने सरकारके आगे यह बात रखी है[1] कि उनकी सूचना और विश्वासके अनुसार, इन बिक्रियोंमें से कमसे-कम कुछ गैर-कानूनी और अन्याययुक्त रही है। सरकारके पास जो सूचना है, वह उसके आधारपर इस बातको स्वीकार नही कर सकती।

(घ) हर व्यक्तिको यह छूट होगी कि यदि सम्पत्तिकी जब्ती या उसपर अधिकार कानूनके मुताबिक नहीं है, तो वह उसके लिए कानूनी प्रतिकारकी माँग कर सकता है।

१. देखिए "पत्र: वाइसरायको", ४-३-१९३१।

१८. सरकारका यह विश्वास है कि ऐसे मामले बहुत ही थोड़े होंगे जिनमें देनदारियोंकी वसूली कानूनकी व्यवस्थाओंके अनुसार नहीं की गई है। यदि इस तरहके कुछ मामले हुए तो उनके लिए स्थानीय सरकारें जिला-अधिकारियोंको आदेश जारी करेंगी कि इस तरहकी खास शिकायतकी तुरन्त जाँच की जाये, और यदि कानूनका उल्लंघन सिद्ध हो जाये तो उसका अविलम्ब निवारण किया जाये।

१९. त्याग-पत्रोंके कारण रिक्त हुए पद जहाँ स्थायी रूपसे भर दिये गये हैं, वहाँ सरकार पुराने पदाधिकारियोंको उनके पदोंपर फिरसे बहाल नहीं कर सकेगी। स्थानीय सरकारें त्यागपत्रके अन्य मामलोंपर उनके गुण-दोषानुसार विचार करेंगी, और फिरसे बहालीके लिए प्रार्थना करनेवाले सरकारी कर्मचारियों और ग्राम-अधिकारियोंकी पुन. नियुक्तिके बारेमें वे उदार नीति अपनायेंगी।

२०. नमक-व्यवस्थासे सम्बन्धित मौजूदा कानूनके उल्लंघनोंको सरकार क्षमा नहीं कर सकती, और न वह देशकी वर्तमान वित्तीय अवस्थाओंमें नमक-अधिनियमोंमें ठोस परिवर्तन ही कर सकती है।

फिर भी कुछ अधिक गरीब वर्गोंको राहत देनेके वास्ते वह अपनी प्रशासकीय व्यवस्थाओंको उन दिशाओंमें विस्तृत करनेको तैयार है जो कुछ स्थानोंपर अभी भी प्रचलित हैं, जिनसे जिन स्थानोंमें नमक इकट्ठा किया या बनाया जा सकता है, उनसे सटे गाँवोंके निवासियोंको घरेलू खपतके लिए या इस तरहके गाँवोंके अन्दर बेचनेके लिए नमक इकट्ठा करने या बनानेकी अनुमति दी जा सकेगी, पर वह नमक बाहरके लोगोंको बेचा नहीं जा सकेगा और उनके साथ उसका व्यापार भी नहीं किया जा सकेगा।

२१ यदि कांग्रेस इन समझौतेके दायित्वोंको पूरा करनेमें असफल रहती है, तो सरकार उसके परिणामस्वरूप, सर्व-साधारण और व्यक्तियोंकी रक्षार्थ और कानून व व्यवस्थाके पालनके लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी, करेगी।

एच० डब्ल्यू० एमर्सन
सचिव, भारत सरकार

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया १२-३-१९३१

परिशिष्ट ७

भारत-मंत्रीको वाइसरायका तार[1]

४ मार्च, [१९३१]

निजी और व्यक्तिगत

गांधीजीसे बातचीत कल रात सन्तोषजनक रूपमें समाप्त हो गई। सरकारी तौरपर हम तारसे आपको उस वक्तव्यका मूलपाठ भेज रहे हैं। आपकी अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होते ही और हमें यह आश्वासन मिलते ही — जो आशा है आज मिल जायेगा — कि कार्यकारी समितिको वह स्वीकार है, हम उसे जारी कर देंगे। यदि वे लोग कुछ छोटे-मोटे मौखिक संशोधन सुझायेंगे तो हम तारसे [आपको] उनकी सूचना देंगे ताकि, जैसा कि आप चाहते हैं, घोषणा [दोनों जगह] एक-साथ की जा सके। वह [वक्तव्य] प्रकाशनार्थ कब जारी होना है, यह भी हम सरकारी तौरपर तारसे सूचित कर रहे हैं।

मैं समझता हूँ कि वक्तव्यका मूलपाठ अपने-आपमें स्पष्ट है। महत्त्वपूर्ण खण्ड हैं बहिष्कार, धरना, पुलिस और नमक तथा विचार-विमर्शका क्षेत्र। पहली दोनों बातों पर जितनी सन्तोषजनक सहमति हो सकती थी, उतनी हो गई है। हमें इस बातका खासा भरोसा है कि हमने उन्हें ऐसे रूपमें प्राप्त कर लिया है जिससे यह निश्चित हो जाता है कि धरना अपने आक्रामक रूपोंमें शीघ्र ही खत्म हो जायेगा। यह बहुत संभव है कि केवल बहुत छोटे पैमानेपर धरनेका कोई रूप अमलमें लाया जाये। पुलिसवाला हल अच्छा है। नमकके बारेमें दी जानेवाली रियायत ऐसी है जो राजनैतिक दृष्टिसे मुझे पसन्द नहीं है; यों राजस्वकी दृष्टिसे वह महत्वहीन है। परन्तु उसके बिना समझौता असम्भव था। आप देखेंगे कि संवैधानिक विचार-विमर्शके बारेमें निश्चित आधार हमने बदल दिया है। इस विषयमें मुझे इस बातसे निराशा हुई कि वे गलतफहमीके कारण उस शब्द-रचनाको स्वीकार नहीं कर सके जो मैंने पहले सोची थी। परन्तु मेरे विचारसे जो मुख्य बातें हम चाहते हैं, वे इस शब्दावलीसे हमें मिल जाती हैं।

ऋणों और सम्बन्ध-विच्छेदके प्रश्नपर, जिनका उल्लेख नहीं है, गांधीजीकी स्थिति वही है जो मैंने २८ फरवरीके तारमें बताई थी, सिवाय

[1] देखिए, पृष्ठ २५९।

इसके कि वे मुझे यह आश्वासन देते हैं कि परिषदमें विचार-विमर्श पूरा होनेसे पहले वे ऋण-सम्बन्धी किसी प्रश्नपर सभात्याग नहीं करेंगे। उनके ख्यालसे इस बारेमें कोई कठिनाई नहीं होगी।
उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है कि हर हालतमें सम्मेलनमें विचार-विमर्श पूरा होनेतक वे सविनय अवज्ञा फिरसे शुरू नहीं करेंगे। उन्हें आशा है कि परिषदके बाद भी वह शुरू नहीं होगी, पर बादके बारेमें वे कोई निश्चित वचन नहीं दे सकते।
मुझे पूरी आशा है कि वक्तव्यका अब जो रूप है, उसे आप स्वीकार कर सकेंगे।

अंग्रेजी (जी० एन० ८९५५)की फोटो-नकलसे।

परिशिष्ट ८

बम्बई-सरकारको गृह-विभागका तार[1]

नई दिल्ली
१५ मार्च, १९३१

कृपया गांधीजीको इमर्सनका यह सन्देश पहुँचाइए: भारत सरकारको ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कांग्रेसका यह तरीका जारी है कि जो मिलें एक करार या घोषणापर हस्ताक्षर नहीं करतीं उनका नाम बहिष्कार सूचीमें लिख लिया जाता है। जो-कुछ कहा गया है यदि वह सच है तो निस्सन्देह आप यह मानेंगे कि करार पर हस्ताक्षर न करनेवाली मिलोंके सिलसिलेमें काली सूचीका प्रयोग उस तरीकेको समझाने-बुझानेकी पद्धतियोंकी परिधिसे बाहर रखता है, और व्यक्तियोंके कार्य-स्वातन्त्र्यमें हस्तक्षेप करता है। करार पर हस्ताक्षर न करनेवाली मिलो-कम्पनियो आदिका बहिष्कार करनेके लिए कांग्रेस इस तरहका यदि कोई और तरीका अपनायेगी, तो यह बात उसपर भी लागू होगी। अतः यह चीज समझौतेके शब्दों और उसकी भावनाके साफ-साफ प्रतिकूल लगती है, और मैं इस विषयकी ओर आपका ध्यान इस विश्वासके साथ आकर्षित कर रहा हूँ कि आप इस स्थितिको ठीक कर देंगे।
२. फिनलेके बारेमें भारत-मन्त्रीके तारके प्रसंगमें, उन्हें [फिनलेको] यह बता देना चाहिए कि भारत-सरकार इस मामलेमें कार्रवाई कर रही है।

[अंग्रेजीसे]

गृहविभाग, राजनैतिक, फाइल सं० ३३/६, १९३१।
सौजन्य: भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. देखिए "तार: एच० डब्ल्यू० इमर्सनको", १८-३-१९३१।

परिशिष्ट ९

गांधीजीसे भेंटपर एमर्सनकी टिप्पणी[1]

१९ मार्च, १९३१

समझौतेसे पैदा हुई कठिनाइयोंके बारेमें श्री गांधीसे मेरी आज सायंकाल कोई तीन घण्टे बातचीत हुई। उसमें मैंने यह चीज स्पष्ट कर दी थी कि मैं जो भी मत व्यक्त करूँगा वे मेरे अपने होंगे, सरकारके नहीं। श्री गांधीने पहले उन मुद्दोंका उल्लेख किया जिनकी ओर वे सरकारका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। वे इस प्रकार थे :

(क) उन्होंने कालाकाँकरके राजाके मामलेका जिक्र किया। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाकी सूचनाके अनुसार बकाया लगानके लिए उनके हाथियों, मोटरों आदिपर अधिकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं इस मामलेके तथ्योंसे भिज्ञ नहीं हैं, पर वे यह जानते हैं कि राजा कांग्रेससे सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने कहा कि तथ्योंका पता लगानेके लिए उन्होंने लिखा है। मैंने कहा कि सरकारको इसकी कोई जानकारी नहीं है। पर, व्यक्तिगत रूपसे, मेरा यह खयाल है कि हो सकता है लगान-व्यवस्थाकी साधारण प्रक्रियामें उनपर अधिकार कर लिया गया हो। यदि ऐसा है तो निस्सन्देह समझौतेका इस तरहके मामलोंपर असर नहीं पड़ना था, क्योंकि लगान-व्यवस्थाको अपनी सामान्य प्रक्रियाका अनुसरण करना ही है। मैंने यह वायदा किया कि तथ्योंका पता लगाया जायेगा।

(ख) फिर उन्होंने कुछ महीने पहले जंगल-सत्याग्रहके सिलसिलेमें कोलाबा जिलेमें घटी एक घटनाका जिक्र किया जहाँ एक दंगेके दौरान एक मामलतदार अचानक पुलिसकी गोलीसे जख्मी हो गया था। उन्होंने कहा, वह मामला तभी सेशन-अदालतको सौंप दिया गया था और वहाँ चल रहा है। उनकी सूचनाके अनुसार, अभियुक्तोंकी ओरसे कोई उत्तेजना पैदा नहीं की गई थी और उनमेंसे कुछने निश्चय ही वास्तविक हिंसा नहीं की थी। उन्होंने सुझाव दिया कि हर हालतमें उन अभियुक्तोंके विरुद्ध मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि कुछ महीनोंसे मैंने पत्र नहीं देखे हैं; पर मुझे ऐसा याद आ रहा है कि वह मामला गम्भीर हिंसाका था जिसमें पुलिस काफी मुश्किलसे अपनी रक्षा कर पाई थी और, जहाँतक मुझे याद है, जंगलके एक या दो पहरेदार मारे गये थे। मैंने उन्हें समझाया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे हम स्थानीय सरकारके आगे रख सकें। सरकार और कांग्रेसके विवरण क्योंकि [इस विषयमें] अलग-अलग हैं, इसलिए न्यायालय ही इसका फैसला करेगा।

१. देखिए पृ० ३३२।

(ग) इसके बाद वे इस प्रश्नपर आये कि भारतीय दण्ड-संहिताकी धारा १२४ ए और फौजदारी प्रक्रिया-संहिताकी धारा १०८ के अधीन आनेवाले अपराध आममाफीकी परिधिमें आते हैं या नही। उनका तर्क यह था कि इस तरहके सभी मामले उसमें आ जाते हैं और केवल हिंसाको उकसावा देनेवाले अपराध ही, यदि उस उकसावेका परिणाम वास्तविक हिंसा निकला हो तो, अपवाद माने जाने चाहिए। उनका यह भी आग्रह था कि जहाँ उकसावेका परिणाम हिंसा न निकला हो, वहाँ उसे मात्र तकनीकी माना जाना चाहिए। मैंने उन्हें समझाया कि जहाँतक मेरा सवाल है, गलतफहमीकी कोई गुंजाइश नही है क्योंकि तकनीकी हिंसा जब आममाफीमें शामिल की गई थी तो आशय बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया था। मैंने उस स्पष्टीकरणका जिक्र किया जो समझौतेपर विचार-विमर्श करते समय मैंने दिया था, यानी कि दंगेके लिए जो सजाएँ दी गई है, उनकी जाँच उनके गुण-दोषानुसार करनी होगी; एक मामूली हुल्लड़बाजीको "तकनीकी हिंसा" की परिधिमें मानना ठीक हो सकता है; किन्तु किसी दंगेको ऐसा नही माना जा सकता और उससे सम्बन्धित सभी व्यक्ति, चाहे वे वास्तविक हिंसाके दोषी रहे हो या न रहे हों, आममाफीमें शामिल नही किये जायेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि बात ऐसी थी तो अवश्य पर उन्होंने कहा कि वे यह नहीं समझे थे कि भारतीय दण्ड-संहिताकी धारा १२४ ए और फौजदारी प्रक्रिया-संहिताकी धारा १०८ अपवादोंके अन्तर्गत आयेंगी। मैंने उन्हें समझाया कि दोनों धाराओंके अधीन ऐसे मामले हैं जिनमें व्यक्तियोंपर ऐसे भाषणोंके लिए मुकदमा चलाया गया है जिनमें गम्भीर हिंसाके लिए उकसावा शामिल था। जहाँ यह कहना सम्भव नही है कि उनका प्रत्यक्ष परिणाम हमेशा या आम तौर पर हिंसा ही रहा, वहाँ इस बातमें भी कोई सन्देह नही है कि इस तरहके भाषणोंसे आतंकवादी आन्दोलनको रंगरूट मिले और इस तरह परोक्ष रूपसे वे हिंसाके लिए जिम्मेदार रहे। वास्तविक हिंसा हर हालतमें कसौटी नही मानी गई थी। मैंने कहा कि यह मामला केवल व्याख्याका नही है, बल्कि इसका बडा भारी व्यावहारिक महत्त्व है और इस प्रसंगमें मैंने उन्हें पंजाब और दिल्लीकी स्थिति बताई। लाहौर और अमृतसरकी सभाओंका जिक्र करते हुए मैंने बताया कि वहाँ भगतसिंह और हिंसाके पक्षमें आम आन्दोलन रहा है और स्थानीय सरकारको अन्देशा है कि वहाँ एक गम्भीर परिस्थिति पैदा होनेवाली है। मैंने उन्हें बताया कि पंजाब-सरकारकी ओरसे मुझे अभी-अभी एक पत्र मिला है जिसमें डा० सत्यपाल और शार्दूलसिंह कवीश्वरके भाषणोंके विवरण दिये गये हैं। ये दोनों कार्यकारी समितिके सदस्य हैं। स्थानीय सरकारने अपना हाथ इसी इच्छासे रोक रखा है कि समझौतेको क्षति पहुँचानेवाली किसी भी कार्रवाईसे बचा जाये। पर हमने उसे बता दिया है कि भारत-सरकार स्वभावतः जहाँ यह आशा करती है कि कार्रवाईकी जरूरत नही पड़ेगी, वहाँ यदि हालातकी माँग हो तो हम उसके विवेक पर अंकुश लगाना नही चाहते, और समझौतेमें यह बात शामिल नही है कि जिन्होने आम कानूनका उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ उसके अधीन कार्रवाई नही की जानी चाहिए। गांधीजीने स्वीकार

किया कि यह ठीक बात है। मैंने फिर दिल्लीका जिक्र करते हुए उन्हें उस सभाके बारेमें बताया जो चन्द्रशेखर आजादके सम्मानमें आयोजित की गई थी। दिल्लीके चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरको चिन्ता है कि हालत बिगड़ सकती है और सभाओंपर पाबन्दी लगाना आवश्यक हो सकता है। मैंने कहा कि हमारी यह इच्छा है कि जहाँतक सम्भव हो, राजद्रोही सभा-अधिनियमका सहारा न लिया जाये, पर हम खतरेकी स्थिति पैदा नही होने दे सकते, और यदि उत्तेजना बढी तो हो सकता है हमारे सामने और कोई विकल्प न रहे। पर उस हालतमें भी हम यथासम्भव उस अधिनियमके प्रयोगको हिंसाका समर्थन करनेवाली सभाओंतक ही सीमित रखेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने समाचारपत्रोमें यह खबर देखी है कि सपरिषद् गवर्नर-जनरलने भगतसिंहकी ओरसे प्रस्तुत दयाकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी है। उन्होंने बताया कि वे उसे देख चुके हैं और उसके परिणामोंके बारेमें आशंकित हैं। फाँसी देनेकी तारीख तो मैंने उन्हें नही बताई, पर यह समझाया कि वह कराची-कांग्रेससे पहले दी जाये या उसके बाद, इस प्रश्नपर सरकारने बहुत ही गम्भीरतासे विचार किया है। इन दोनों तरीकोंको अपनानेमें जो कठिनाइयाँ हैं, उन्हें सरकार समझती है; पर उसका यह विचार है कि फाँसीको स्थगित रखना दण्डित व्यक्तियोंके प्रति अनुचित होगा, और जब दण्ड-परिवर्तन पर विचार नहीं हो रहा है तो यह भ्रम रहने देना कि उसपर विचार हो रहा है, गांधीजीके प्रति भी उचित नही होगा। वे इससे सहमत थे कि दोनों विकल्पोंमें से प्रतीक्षा न करना ही बेहतर है। यद्यपि बहुत गम्भीरतापूर्वक नही, पर उन्होंने सुझाया कि दण्ड-परिवर्तनका तीसरा रास्ता ही बेहतर रहता। इस मामलेमें वे कोई विशेष चिन्तित नही लगते थे। मैंने उन्हें बताया कि यदि हम बिना किसी उपद्रवके इस स्थितिमें से पार हो जाते हैं, तो हमें अपनेको भाग्यशाली समझना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि अगले कुछ दिनोंमें दिल्लीमें सभाएँ और उग्र भाषण न हों, इसके लिए जो भी कुछ किया जा सकता है, वह उन्हें करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ किया जा सकता है, करनेका वायदा किया।

मैंने तब इन तथ्योंको उस विषय पर लागू किया जो विचाराधीन था, अर्थात् भारतीय दण्ड-संहिताकी धारा १२४-ए और फौजदारी प्रक्रिया-संहिताकी धारा १०८के अधीन सभी मामलोंको आममाफीमें शामिल करनेकी बात। मैंने यह चीज स्पष्ट कर दी कि वर्तमान परिस्थितियोंमें हम स्थानीय सरकारोंको इस तरहका सुझाव नहीं दे सकते। हिंसात्मक आन्दोलनसे गम्भीर खतरा है और उसे मामूली बात नही समझा जा सकता। इस तरहके सुझावकी बात तक सोचनेसे पहले हिंसात्मक आन्दोलन और उसे उकसानेवाली बातें खत्म होनी चाहिए। उनका तर्क था कि इस तरहके अपराधोंके लिए दण्डित व्यक्तियोंको जेलमें रखनेसे खतरा कम नही होता बल्कि बढ़ता है, क्योंकि भावना और कटु होती है। उन्होंने कहा कि वे खुद तो इसी बातपर सहमति पसन्द करेंगे कि जो भी व्यक्ति आममाफीसे पहले भारतीय दण्ड-संहिताकी धारा १२४-ए और फौजदारी प्रक्रिया-संहिताकी धारा १०८में दण्डित हुए हैं, वे सब रिहा कर दिये जायेंगे, पर भविष्यमें हिंसाके प्रचारके लिए जिन

व्यक्तियोंपर मुकदमा चले, उनको उसमें स्थान न मिले। उन्होंने कहा कि इस मुद्देपर सरकारकी समझौतेकी जो व्याख्या है, उसने उन्हें कठिन परिस्थितिमें डाल दिया है और वे इसपर और विचार करना चाहेंगे। यह विषय इसी स्थितिमें छोड दिया गया, पर मैंने कहा कि मेरे खयालमें सरकार इस सिलसिलेमें अपनी स्थिति नही बदल सकती।

(घ) उन्होंने धारा १२४-ए और धारा १०८के अधीन दो खास मामलोका उल्लेख किया — दिल्लीकी दो महिलाओंका और संयुक्त-प्रान्तके प्रोफेसर कृपलानीका। मैंने कहा कि पहले मामलेकी सावधानीसे जाँच की गई है और यह निश्चित रूपसे सोच लिया गया है कि वह आममाफीके अन्दर नही आता। प्रोफेसर कृपलानीके बारेमें उन्होने कहा कि उन्हें यकीन है कि अपने भाषणोमें उन्होने ऐसा कुछ नही कहा है जो लोगोको हिंसाके लिए उकसाये। मैंने कहा कि मैं सयुक्त-प्रान्तकी सरकारसे तथ्योंका पता लगाऊँगा। परन्तु, साथ ही मैंने उनके आगे संयुक्त-प्रान्तकी सरकारकी कार्रवाईके ऐसे तथ्य और आँकडे रखे जो यह दिखाते थे — और यह बात उन्होंने भी मानी कि सरकारने बहुत ही उदारतासे काम किया है।

(ङ) फिर उन्होंने शोलापुरके मामलोका जिक्र करते हुए कहा कि जहाँतक उन्हे मालूम है, शोलापुरका कोई भी कैदी रिहा नही किया गया है। मैंने कहा कि शोलापुरके बारेमें भी स्थिति वही है जो अन्य सब मामलोंके बारेमें है यानी, कसौटी हिंसा या हिंसाके लिए उकसावा थी, तकनीकी हिंसा नही थी, और इस कसौटीको लागू करते समय सजाओंमे, चाहे वे दीवानी अदालतों द्वारा दी गई हो या फौजदारी अदालतो द्वारा, कोई भेद नही किया गया है। मैंने कहा कि यह मामला आवश्यक रूपसे स्थानीय सरकारके अपने विवेकका है। मैं जहाँ यह सोच सकता हूँ कि वह हिंसाके विस्फोटसे सम्बन्धित अपराधोंको, स्वाभाविक रूपसे, गम्भीरतासे लेगी, वहाँ जिन व्यक्तियोंको मार्शल लॉके नियमो आदिके उल्लघनके लिए दण्ड दिया गया है, जहाँ हिंसा या हिंसाके लिए उकसावेका सवाल नही है, उन्हे वह आममाफीसे बाहर नही रखेगी। मैंने स्थानीय सरकारसे स्थितिका ठीक-ठीक पता लगानेका वायदा किया।

(च) उन्होने फिर अतिरिक्त पुलिसका सवाल उठाया। उन्होने कहा कि उन्हें ५ मार्चके बाद भी उसका खर्च वसूल करनेकी शिकायतें मिली है। मैंने कहा कि कही भी ऐसा होना मेरे खयालमें असम्भव है। पर यदि उन्होने ऐसे कोई विशिष्ट उदाहरण रखे तो मैं तथ्योंका पता लगाऊँगा। उन्होने कहा कि जिला-अधिकारियोंको आदेश न मिलनेके कारण जहाँ ५ तारीखके बाद वसूली की गई है, वहाँ एकत्रित की गई रकम वापस की जानी चाहिए। मैंने कहा कि मेरे खयालमें यह युक्तियुक्त है। यह बात मैंने उन्हें फिर स्पष्ट कर दी कि यह सम्भावना सदा हमारे ध्यानमें रही है कि अतिरिक्त पुलिसको हटानेमें कुछ देरी हो सकती है, और स्थानीय सरकारें जबतक उन्हें हालातके सामान्य होनेका सन्तोष न हो जाये, तबतक प्रतीक्षा करेंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि परस्पर सहमति इसी बातपर हुई थी।

२. मैंने तब कुछ ऐसे विभिन्न मामलोंका जिक्र किया जो सरकारी दृष्टिसे कठिनाई और गलतफहमी पैदा कर रहे हैं।

(क) पहले मैंने भारतीय मिलोंके बहिष्कारका सवाल लिया, कि कांग्रेसने यह पद्धति अपनाई है कि वह ऐसी मिलोंका नाम जिनके एजेंट एक करारपर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, एक कालीसूचीमें चढ़ा लेती है। मैंने कहा कि सरकारका सिद्धान्त तो यह है कि भारतीय उद्योगोंके प्रोत्साहनमें व्यक्तिके कार्य-स्वातन्त्र्यमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए; और मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि किसी खास मार्गको न अपनानेवाली मिलका नाम कालीसूचीमें चढ़ानेकी पद्धतिमें आवश्यक रूपसे दबावका तत्व आ जाता है और वह लगभग धमकी देने जैसी बात हो जाती है; मैंने यह भी कहा कि किसी मिलके मालके बहिष्कारके लिए उपभोक्ताको तैयार करनेको उसपर किसी प्रकारका दबाव डालना (जो समझाने-बुझानेकी हदसे बाहर हो), समझौतेको तोड़ना है। मैंने यह राय भी जाहिर की कि जिस मिलका नाम कालीसूचीमें चढ़ाया गया है, वह नुकसानके लिए दीवानी कार्रवाई करेगी। गांधीजीने कहा कि निर्माता हो या उपभोक्ता, किसीके भी प्रति समझाने-बुझानेके सिवा दूसरे तरीके इस्तेमाल करनेका कोई इरादा नहीं है, पर ग्राहकोंको यह बताना कि कौन-कौन मिलें स्वदेशीके सिद्धान्तका पालन नहीं कर रही हैं, उनके खयालमें न्यायोचित प्रचार है। मैंने यह बात स्पष्ट की कि मिलोंके डायरेक्टर और एजेंट बहिष्कार-सूचीका निश्चित रूपसे विरोध करते हैं क्योंकि वह दबावका रूप ले लेती है। जहाँतक मुझे मालूम है, वे समझाने-बुझानेके विरुद्ध नहीं हैं, पर जो तरीके मैंने बताये, उन्हें अपनानेका वे जबर्दस्त विरोध करते हैं। मैंने कहा कि इस विषयमें सरकारका दृष्टिकोण तो मुझे मालूम नहीं है, पर जो मिलें स्वदेशीके सिद्धान्तका पालन करती हैं, उनको विज्ञापनके उद्देश्यसे प्रमाणपत्र देनेका, और कालीसूचीकी जगह स्वदेशी मिलोंकी सूचीका, जिसका उपयोग केवल प्रचार-उद्देश्योंके लिए हो, वह शायद विरोध न करे। उन्होंने कहा कि इस पद्धतिको अपनानेमें कोई कठिनाई पेश नहीं आयेगी।

(ख) हमने तब विदेशी कपड़ेके निर्यातकी नई योजनापर विचार-विमर्श किया। मैंने कहा कि इस मामलेमें सिद्धान्त यह है कि व्यापारियोंके कार्य-स्वातंत्र्यमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और जो इस योजनामें शामिल होना न चाहे उसे शामिल होनेके लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। साथ ही जिन विक्रेताओं और खरीदारोंने विदेशी कपड़ेका व्यापार छोड़ दिया है, उन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए, और यदि वे अपना रुख बदलना चाहें तो उनके वैसा करने पर कोई पाबन्दी नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने निश्चित रूपसे कहा कि पाबन्दी लगानेका कोई इरादा नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे व्यापारियोंकी कल्पना की जा सकती है जिनका ईमानदारीसे यह विश्वास हो कि विदेशी कपड़ेके उनके स्टॉककी भारतमें बिक्री देशकी भलाईके प्रतिकूल है और जिन्हें उसके बेचनेमें सचमुच नैतिक दुविधाएँ हों। इस तरहके मामलोंपर आपत्ति करनेका कोई आधार मुझे खुद दिखाई नहीं देता। उसके बाद मैंने पटनाके बाबू राजेन्द्रप्रसादके भाषणकी, जो उन्होंने १० मार्चको दिया था, रिपोर्ट उनके आगे उद्धृत की, जिसमें निम्नलिखित अंश शामिल था:

व्यापारियोंसे दो शब्द। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि विराम-सन्धिका असर आपको ब्रिटिश कपड़ेको बेचने और आयात करने की पूर्ण स्वतन्त्रता देना होगा। हम जानते हैं कि आपने तकलीफ उठाई है और जो सहायता दी है उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। परन्तु गरीब लोगोंके मुकाबले, जिन्होंने अपना सब-कुछ गँवा दिया है, जिनके घरबार लूट लिए गए हैं और वहाँ मिली हर चीज ले ली गई है या नष्ट कर दी गई है, धनी व्यापारियोंकी तकलीफ क्या है! व्यापारियोंको विदेशी कपड़ेका व्यापार न करनेकी कमसे-कम दस साल पहले चेतावनी मिल गई थी, और यदि फिर भी आपको नुकसान हुआ तो उसके लिए किसी दूसरेको दोष नहीं दिया जा सकता। फिर भी कांग्रेस यह जरूर चाहती है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आये जिससे आप बरबादी और भारी नुकसानसे बच सकें। पर वह रास्ता अपने स्टॉकको भारतमें बेचनेकी अनुमति देना नहीं हो सकता। महात्माजी कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली और अन्य स्थानोंके बड़े-बड़े व्यापारियोंसे एक ऐसी योजनाके बारेमें सलाह-मशविरा कर रहे हैं जिससे मौजूदा स्टॉक भारतसे बाहर बेचा जा सके। वह बहुत बड़ी योजना है क्योंकि दस-बारह करोड़ रुपयेके विदेशी कपड़ेका सवाल है, और उस योजनाको अमलमें लानेपर भी नुकसानकी सम्भावना है। वह नुकसान व्यापारियोंको वहन करना होगा; शायद उन्हें थोड़ी राहत देनेका कोई रास्ता निकाला जाये। परिस्थितियाँ क्या बनती हैं, आपको इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए।

मैंने कहा कि इसका रेखांकित वाक्य मुझे गांधीजीकी स्थितिसे बिलकुल असगत लगता है। उन्होंने कहा कि वस्तुतः ऐसा नहीं है। जिन व्यापारियोंने उनसे विदेशी कपड़ेके व्यापारकी अनुमति माँगी, उनके प्रति उन्होंने खुद यही नीति अपनायी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस तरहकी अनुमति देना खासतौरसे कांग्रेसके सिद्धान्तके प्रतिकूल है, क्योंकि इसका अर्थ उस सिद्धान्तकी अवज्ञा करना होगा जो उनके लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कांग्रेसका यह बात स्वीकार करना कि व्यापारी जैसा चाहें वैसा करनेको स्वतन्त्र हैं, एक बात है और कांग्रेसका खास तौरपर इसकी अनुमति देना, दूसरी बात है। मैंने तब उनसे पूछा कि व्यापारी फिर यह कैसे जानेंगे कि उनकी स्थिति क्या है। सरकार यह आवश्यक समझती है कि वे इस विषयमें किसी सन्देहमें न रहें। उन्होंने कहा कि सरकार यदि स्थिति स्पष्ट करे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँतक उन्हें मालूम है, इस विषयमें कोई सन्देह नहीं है और व्यापारियोंको विदेशी कपड़ेका आजादीसे व्यापार करनेमें जो झिझक है, उसका कारण भविष्यमें क्या हो सकता है, इस विषयकी अनिश्चितता है। मैंने बताया कि ऊपर (ख)में जो-कुछ कहा गया है, उसके अनुसार "जो भारतीय मिलें कांग्रेसकी पाबन्दीके अंतर्गत न हों उनके लिए बने हाथ-करघेके

कपड़ेका प्रमाणीकरण" भिन्न ढंगसे व्यक्त करना होगा, क्योंकि कांग्रेसकी पाबन्दीका अब सवाल ही पैदा नही होता। गांधीजी इससे सहमत हो गये।

(ग) विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके आम सवालपर उन्होंने बिलकुल खरी और साफ बातें की और कहा कि उन्हें खुद इसमें जरा-भी सन्देह नही है कि यह आन्दोलन जोर-जबरदस्ती या दबावका सहारा लिए बिना ही बहुत जोर पकड़ेगा; भारतीय और अंग्रेज मिल-मालिकोंको यह विश्वास हो जायेगा कि स्वदेशी आन्दोलनमें खुद उनकी भलाई है और जो लोग अबतक अलग रहे हैं, वे स्वेच्छासे इसमें शामिल हो जायेंगे। उन्हें इस बातका पक्का यकीन है कि जो प्रचार वे करना चाहते हैं, उसके जबर्दस्त नतीजे निकलेंगे। उन्होंने यह बात बिलकुल ठीक ही कही कि किसी विशेष श्रेणीके मालके बड़े पैमानेपर बहिष्कारका, चाहे उसके तरीके कितने ही आपत्तिहीन क्यों न हों, व्यापारियोंके व्यापारकी भावी दिशापर असर पड़ेगा ही और इस तरह परोक्ष रूपसे उनके कार्य-स्वातंत्र्यपर भी असर पड़ेगा। निर्यात-योजनाके बारेमें उनकी बातें बहुत अस्पष्ट थीं और उन्होंने यह स्वीकार किया कि ब्यौरेकी बातें अभी निश्चित नही हुई हैं। उसके समर्थनमें उनका मुख्य तर्क यह था कि सर नेस वाडिया जैसे व्यक्तियोंने उसे व्यावहारिक माना है।

(घ)[1] उसके बाद मैं और भी कठिन प्रश्नपर आया। यानी मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस समझौतेकी सामान्य भावनाके पालनमें विफल रही है। जो बात गांधीजीसे मैंने पहली मुलाकातमें कही थी, वह मैंने फिर दोहरायी कि यदि समझौतेको महज कागजी रहना है और संवैधानिक समस्याओंका ईमानदारीसे समाधान खोजनेका कांग्रेसका कोई इरादा नही है, तो बेहतर यही है कि कोई समझौता किया ही न जाये। कांग्रेस यदि अमन कायम करनेकी वास्तविक इच्छा न रखते हुए निश्चित रूपसे संघर्षके लिए संगठन करती है, तो सरकारके लिए हाथपर हाथ धरे उसे देखते रहना सम्भव नही होगा। इस सिलसिलेमें मैंने विभिन्न बातोंका जिक्र किया जो मुझे खुद बेचैन किए थी, जैसे कि पंडित जवाहरलालका परिपत्र सं० १२; बरेलीके किसानोंके नाम सन्देश; संयुक्त-प्रान्तका वह आन्दोलन जो, लगता है, सविनय अवज्ञा आन्दोलनके एक अंगके रूपमें चलनेवाले करबन्दी अभियानकी जगह आर्थिक आधारों पर चलनेवाले उसी तरहके अभियानको जन्म दे रहा है; पंडित जवाहरलालके विभिन्न भाषण; 'विराम-संधि' का इस पूर्वकल्पित धारणाके साथ उल्लेख कि कोई आखिरी समझौता नहीं होना है; भावी युद्धकी बातें और सरकारका विरोधियों और शत्रुओंके रूपमें उल्लेख। कांग्रेस इस समझौतेको विजयके रूपमें प्रयुक्त करनेकी जिस ढंगसे कोशिश कर रही है, मैंने उसका भी जिक्र किया। गांधीजीको परिपत्र सं० १२ में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा और उन्होंने कहा कि अन्तमें अमन कायम न हो, वे इस सम्भावनासे इनकार नही कर सकते। साथ ही इस स्थितिको उन्होंने पूर्णतया स्वीकार किया कि समझौतेको एक 'विराम-संधि' कहना और भावी युद्धकी

१. साधन-सूत्रमें 'डी' की जगह 'ई' लिखा है।

बात करना, समस्याओ पर पहलेसे ही कोई निर्णय ले लेना और सरकारको शत्रु और विरोधी कहना गलत है। वे इस पक्षमें भी नही थे कि कांग्रेस इस समझौतेको एक विजयकी तरह प्रयुक्त करे।

मैंने उन्हे बताया कि मुझे खास तौरपर चिन्ता इस बातसे है कि काग्रेस द्वारा संयुक्त-प्रान्तमें मालगुजारी देनेवालोको सरकारके और मुजारोंको जमीदारोके खिलाफ भडकानेके एक अभियानके आसार दिख रहे हैं। देहातोमें इस तरहका आन्दोलन खड़ा करना बहुत आसान है और उसके गम्भीर परिणाम हुए बिना नही रह सकते। जहाँतक आर्थिक विपत्तिका सम्बन्ध है, स्थानीय सरकार परिस्थितिकी गम्भीरतासे पूरी तरह परिचित है और उससे निपटनेमें वह, जहाँतक परिस्थितियाँ अनुमति देंगी, अधिकसे-अधिक उदारतासे काम लेगी। लेकिन यदि काग्रेस एक सगठनकी हैसियतसे, उसमें हस्तक्षेप करनेकी कोशिश करेगी, तो उससे परिस्थिति केवल और कठिन ही होगी। मैंने उनसे उस रिपोर्टका जिक्र किया जो मैंने देखी थी कि संयुक्त-प्रान्तकी कांग्रेस-समिति या परिषदने यह सिफारिश की है कि ५० प्रतिशत मालगुजारी और लगान छोड दिये जाने चाहिए, और मालगुजारी देनेवालों तथा मुजारोको यह सलाह दी है कि जबतक स्थानीय सरकार कोई निर्णय न ले, वे अदायगी रोके रखें। दुर्भाग्यसे मेरे पास प्रासंगिक सामग्री नही थी, इसलिए मै उसे प्रमाणित नही कर सका। गाधीजीने यह स्वीकार किया कि यदि तथ्य ऐसे ही हैं जैसे कि कहे गये है, तो मुजारोको लगान रोकनेकी सलाह देना गलत है। मैंने प्रासंगिक सामग्री प्राप्त करने और उन्हे देनेका वायदा किया।

(ङ)[1] मैंने फिर गुजरातसे मिली इन निश्चित और चिन्ताजनक रिपोर्टोंकी चर्चा की कि वहाँ मालगुजारी अदा नही की जा रही है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने वल्लभभाई पटेलका एक भाषण देखा है जिसमें यह कहा गया है कि जहाँ माल्गुजारी अदा करनेमें कठिनाई है वहाँ सरकार एक साल या दो सालतक भी इन्तजार करनेको सहमत हो जायेगी। मैंने उन्हे बताया कि जो लोग आसानीसे माल्गुजारी दे सकते हैं, वे भी स्वाभाविक रूपसे, इस तरहके बयानोका लाभ उठायेंगे। मुझे इसमें कोई सन्देह नही है कि आर्थिक विपत्तिके वास्तविक मामलोपर स्थानीय सरकार विचार करेगी, पर हमें सूचना यह मिली है कि मालगुजारीके ज्यादातर भागकी तुरन्त अदायगीमें कोई मुश्किल पेश नही आनी चाहिए। मैंने कहा कि माल्गुजारी देनेवाले यदि अकारण देरी करेंगे तो उसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि जोर-जबरदस्तीकी प्रक्रियाएँ फिर शुरू हो जायेंगी और एक प्रतिकूल वातावरण पैदा होगा। गाधीजीने इसपर आश्चर्य प्रकट किया कि मालगुजारी नही आ रही है और कहा कि जहाँतक उनका सवाल है, जो लोग दे सकते हैं, उन्हें वैसा न करनेको प्रेरित करनेका उनका कोई इरादा नही है।

३. फिर उन्होने खुद उस पत्र-व्यवहारकी चर्चा की जो जब्त जमीनो और कुछ अन्य मामलोपर उनके और खेड़ाके कलेक्टरके बीच हुआ था। वह पत्र-व्यवहार

१. साधन-सूत्रमें यहाँ 'ई' की जगह 'डी' लिखा है।

उन्हें सन्तोषजनक नही लगा, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि क्यों सन्तोषजनक नहीं लगा; उन्होंने यह विषय इतना कह कर ही छोड दिया। फिर भी, उन्होंने खेड़ाके एक मामलतदार द्वारा जारी किये गये एक परिपत्रका उल्लेख किया जो इस आशयका था कि जिन ग्राम-सेवकोंने त्यागपत्र दे दिया था, उन्हें पुनः नियुक्तिके लिए केवल प्रार्थनापत्र ही नही देना होगा, बल्कि अपने आचरणके लिए खेद भी प्रकट करना होगा और पुनः नियुक्तिसे पहले जुर्माना भी अदा करना होगा। इसे वे समझौतेकी भावनाके प्रतिकूल समझते थे। मैंने कहा कि स्थानीय सरकारकी नीतिसे अनभिज्ञ होनेके कारण मैं इस विषयपर कोई राय व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वे मुझे उस परिपत्रकी एक प्रति देंगे।

४. मैंने तब उन्हे संयुक्त-प्रान्तकी सरकारसे आज ही मिला एक पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें आगरेके जबरन धरनेके एक केसका उल्लेख था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यदि ये तथ्य सही हैं, तो यह साफ तौरपर एक ऐसा मामला है जिसमें किसी भी तरहका धरना नहीं दिया जाना चाहिए। मैंने उन्हें उसकी एक प्रति देनेका वायदा किया। मैंने गैर-सरकारी सूत्रों द्वारा सूचित किये गये अमृतसर और कानपुरके धरनेके उन मामलोंका भी जिक्र किया जिनमें मालका एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जाना रोका गया था। परन्तु मेरे पास इन तथ्योंकी सरकारी पुष्टि नही थी; इसलिए मैं कारगर कार्रवाईके लिए जोर नही दे सका।

५. मेरे मन पर सामान्यतः जो छाप पड़ी, वह यह थी कि गांधीजी समझौतेको अमलमें लाने और एक वास्तविक समाधान पर पहुँचनेको उत्सुक हैं। कराची-कांग्रेसके बारेमें वे आश्वस्त लगे; पर उन्हें वाम पक्षसे विरोधकी आशंका है और उन्होंने कहा कि भगतसिंहकी फाँसीसे गम्भीर उलझन पैदा होनेकी सम्भावना है। पंडित जवाहरलालमें उनकी बड़ी निष्ठा थी, पर मुझे लगा कि वे यह बात भी बिलकुल असम्भव नही समझते कि देर-सबेर वे अपनी निजी राह अपनायेंगे। कराची-कांग्रेसमें पूर्ण स्वाधीनताके पक्षमें एक विशुद्ध प्रस्ताव पास होने और यह घोषणा होनेसे कि कांग्रेस जबतक उसे प्राप्त नही कर लेगी, लड़ाई जारी रखेगी, जो कठिनाइयाँ पैदा होंगी, उन्हें वे समझते थे। मुझे ऐसा लगा कि उन्होने स्वयं यह कोशिश करनेका निश्चय कर लिया है कि इस तरहका मार्ग न अपनाया जाये, और इस आशयके जो वास्तविक प्रस्ताव होंगे, वे ऐसे भाषणोंसे प्रभावित होंगे कि अमनकी राहका द्वार बन्द न किया जाये।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३६३) की फोटो-नकलसे, सौजन्य: इंडिया ऑफिस लायब्रेरी; तथा बॉम्बे सीक्रेट एब्सट्रेक्ट्स: गृह विभाग विशेष शाखा फाइल सं० ७५० (५७)से भी।

परिशिष्ट १०

एच० डब्ल्यू० एमर्सनका पत्र[1]

भारत सरकार
गृह विभाग, नई दिल्ली
२० मार्च, १९३१

प्रियश्री गांधी,

आपके आजके पत्रके लिए धन्यवाद। पत्रके साथ बोरसदके मामलतदार द्वारा जारी किए गए परिपत्र और नोटिसके अनुवाद भी थे। स्थानीय सरकारका ध्यान मैं इस विषयकी ओर आकर्षित करूँगा।

२. भगतसिंह आदिकी फाँसीको लेकर उत्तेजना पैदा होनेका जो खतरा है, उस पर कल रात हमारी बातचीत[2] हुई थी। उस सन्दर्भमें चीफ कमिश्नरने मुझे अब यह सूचना दी है कि शहरमें यह सूचना प्रचारित की गई है कि श्री सुभाषचन्द्र बोस आज साय ५.३० बजे एक विरोध-सभामें भाषण देंगे। इस विषयमें आपकी कठिनाइयोंको मैं पूरी तरह समझता हूँ और, मेरा खयाल है, आप सरकारकी कठिनाइयोंको समझते हैं और यह भी जानते हैं कि उसकी इच्छा इस समय, जहाँतक सम्भव हो, निवारक कार्रवाईसे बचनेकी है। पर यदि उत्तेजना बढ़ती है तो वह कार्रवाई अनिवार्य हो सकती है। यदि आज शाम सभा हुई, और खास कर यदि वहाँ उत्तेजनात्मक भाषण दिए गए, तो यह प्रायः निश्चित है कि भावना भड़केगी। इसे रोकनेमें और ऐसे हालात पैदा न होने देनेमें, जिनपर नियन्त्रण न रहनेसे गम्भीर परिणाम हो सकते हैं, यदि आप कुछ सहायता कर सकें, तो सरकार उसे बहुत ही सराहेगी।

हृदयसे आपका,
एच० डब्ल्यू० एमर्सन

मो० क० गांधी महोदय
१, दरियागंज, दिल्ली

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० स० फाइल सं० १६-बी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", २०-३-१९३१।
२. एमर्सनके नोटके लिए देखिए, परिशिष्ट ९।

परिशिष्ट ११

एच० डब्ल्यू० एमर्सनका पत्र[1]

गृह विभाग, नई दिल्ली
२१ मार्च, १९३१

प्रिय श्री गांधी,

२० मार्चके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। उसके साथ जो तार थे, उनकी नकल करवा लेनेके बाद मैं उन्हें लौटा रहा हूँ। मैं वित्त विभागसे यह पता लगा रहा हूँ कि नमकके बारेमें ठीक क्या आदेश जारी किए गए हैं। जो भी स्थिति होगी वह मैं आपको बताऊँगा।[2]

२. मैंने बिहार और उड़ीसाकी सरकारसे कैदियोंकी रिहाईके बारेमें तथ्योंकी सूचना देनेकी भी प्रार्थना की है।

हृदयसे आपका,
एच० डब्ल्यू० एमर्सन

मो० क० गांधी महोदय
१, दरियागंज, दिल्ली

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० स० फाइल सं० १६-बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

परिशिष्ट १२

एच० डब्ल्यू० एमर्सनका पत्र

डी० ओ० सं० डी० २२४६/३१-राज०
भारत सरकार
गृह विभाग, नई दिल्ली
२८ मार्च, १९३१

प्रिय श्री गांधी,

२१ मार्चके अपने पत्रमें मैंने आपको नमककी रियायतके बारेमें स्थिति बतानेका वायदा किया था[3]। मुझे अब यह पता चल गया है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्डने

१. देखिए "पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", २०-३-१९३१।
२. देखिए अगला परिशिष्ट।
३. देखिए पिछला परिशिष्ट।

९ मार्चको विभिन्न स्थानीय सरकारोंको आम आदेश जारी किए थे। उनमें उनसे यह कहा गया था कि :

१. इस आशयके आदेश शीघ्र ही जारी किए जा सकते हैं कि जो व्यवस्था हुई है, सभी सम्बन्धित अधिकारी तुरन्त उसकी भावनाके अनुरूप कार्य करें और जहाँ रियायतका दुरुपयोग हुआ लगता है, वहाँ यदि कोई कठिनाई या शंका पैदा हो जाये, तो दण्डात्मक कार्रवाई करनेसे पहले उसे ऊपरके अधिकारियोंके आगे रखें, और —

२. रियायतके प्रयोगको शासित करनेवाले प्रस्तावित स्थायी आदेश यथाशीघ्र तैयार किए जा सकते है, और भारत-सरकारके पास स्वीकृतिके लिए भेजे जा सकते हैं।

जिस तारकी नकल आपने मुझे भेजी है उसमें, अनुमान है, स्थानीय सरकारकी प्रस्तावित हिदायतोंका उल्लेख है। इन्हें अभी भारत-सरकारकी स्वीकृति नहीं मिली है, और उसका इरादा ऐसी कोई पाबन्दी लगानेका नहीं है कि रियायतकी पात्रता पानेके लिए किसीका एक निश्चित दूरीके अन्दर निवास ही आवश्यक है। जैसा कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं, सपरिषद् गवर्नर-जनरलके वक्तव्यमें[1] प्रयुक्त सूत्रकी एक बिलकुल सही व्याख्या कठिन है। पर मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड एक मोटी कार्यकारी कसौटी यह निर्धारित करेगा कि ग्रामवासी नमकके स्रोतों पर आने और वहाँसे नमक ले जानेका रास्ता पैदल ही तय करे, अन्य प्रकारसे नहीं। प्रशासकीय दृष्टिकोणसे रियायतके दुरुपयोगपर मुख्य अंकुश यह होगा कि जिस क्षेत्रमें उसका साफ तौरपर दुरुपयोग हो रहा होगा, वहाँ युक्तियुक्त चेतावनी देनेके बाद रियायत वापस ले ली जायेगी। परन्तु सरकारको आशा है कि लोग इस रियायतके दुरुपयोगसे दूर रहकर स्वयं इस तरहकी कार्रवाईकी जरूरत पैदा नहीं होने देंगे।

हृदयसे आपका,
एच० डब्ल्यू० एमर्सन

मो० क० गांधी महोदय
कांग्रेस कैम्प, कराची

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० स० फाइल सं० १६–बी।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. गांधी-इर्विन समझौतेसे सम्बन्धित, देखिए परिशिष्ट ७।

परिशिष्ट १३

एच० डब्ल्यू० एमर्सनका पत्र[1]

नई दिल्ली
२२ मार्च, १९३१

प्रिय श्री गांधी,

कलकी हमारी बातचीतके अनुसार मैं विधानसभामें जिनके पूछे जानेकी व्यवस्था की जा सकती है[1] ऐसे दो सवाल और उनके जवाबोंके मसविदे भेज रहा हूँ। यह पत्र आपके दिल्लीसे रवाना होनेसे पहले आपको मिल जाये — इस जल्दीमें मैं इन पर सरकारके आदेश प्राप्त नहीं कर सका हूँ। अतः ये अभी कच्चे ही माने जाने चाहिए। यदि इनमें कोई परिवर्तन किया गया तो, निस्सन्देह, मैं आपको उसकी सूचना दूंगा। क्या आप मुझे यह बतानेकी कृपा करेंगे कि आप इन्हें उपयुक्त समझते हैं या नहीं?

२. मिलोंके एजेंटों या मैनेजरोंने जिस करार या घोषणापर हस्ताक्षर किए हैं, उसका विशेष रूप मुझे पता नहीं है। हर हालतमें, आप यह समझ लें कि सरकार अपनेको ऐसी स्थितिमें नहीं डाल सकती जिससे यह जाहिर हो कि वह करारके किसी विशेष रूपको पसन्द करती है। ये सवाल और जबाव, इसलिए, ५ मार्चके वक्तव्यमें शामिल आम सिद्धान्तों तक ही सीमित हैं और इनसे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सरकार किसी करार या घोषणाकी विशिष्ट व्यवस्थाओंको स्वीकार करती है।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी महोदय
१, दरियागंज,
दिल्ली

[संलग्न]

सवाल

(क) क्या सरकारने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके महामन्त्री[2] द्वारा जारी की गई निम्नलिखित सूचना देखी है, जो ९ मार्च,[3] १९३१के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में निकली है:

१. देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", २३-३-१९३१।
२. सैयद महमूद।
३. साधन-सूत्रमें १० तारीख है।

"जिन मिलोंके नाम बहिष्कार-सूचीमें हैं, जिन मिलोंके साथ बातचीत चल रही है और इसलिए जिनके नाम बहिष्कार-सूचीमें नही रखे गये है, और बम्बईकी जिन मिलोंके नाम अस्थायी रूपसे स्वीकृत सूचीमें रखे गये है पर जिनके साथ कांग्रेस घोषणाकी कुछ धाराओ, उदाहरणार्थ नकली रेशमके उपयोग आदिके बारेमें बातचीत चल रही है, उनको इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि मेरा कार्यालय कराची-कांग्रेसके लिए सभी मिलोंकी अन्तिम सूची २० मार्च, १९३१ तक जारी करेगा। इस तरहकी मिलें यदि इस बातकी इच्छुक हों कि उनके नाम बहिष्कार-सूचीमें न रखे जायें, तो वे कृपया श्री शकरलाल बैंकर (मिर्जापुर, अहमदाबाद)के साथ इस मामलेको निपटा लें और इस महीनेकी १५ तारीख तक या उससे पहले घोषणापर हस्ताक्षर कर दें। श्री बैंकर १६ मार्चको बम्बईमें होगे। मुझे आशा और विश्वास है कि सम्बन्धित मिलें इस मामलेको शीघ्र निपटानेकी कृपा करेंगी। कांग्रेस इस मामले पर तत्परता और गम्भीरतासे विचार कर रही है।"

(ख) क्या सरकार यह बतायेगी कि इस सूचनाके बारेमें स्थिति क्या है?

जवाब

(क) हाँ।

(ख) वह समझती है कि जहाँ निर्माताओं, व्यापारियों या उपभोक्ताओंके प्रति समझाने-बुझानेके तरीके काममें लाये जायेंगे, वहाँ समझौतेकी शर्तोंके अनुसार ये तरीके व्यक्तियोंके कार्य-स्वातंत्र्यमें हस्तक्षेप नही करेंगे। वह यह भी समझती है कि जो निर्माता योजनामें शामिल होनेको राजी नही है, उनकी कोई बहिष्कार-सूची जारी नही की जायेगी, और जो भी कार्रवाई की जायेगी, वह प्रचार या विज्ञापनके प्रयोजनोंतक ही सीमित होगी, जैसे कि, जो निर्माता या व्यापारी स्वेच्छासे योजनामें शामिल होते हैं, प्रचारके प्रयोजनोंके लिए उनकी एक सूची जारी करना, और विज्ञापनके प्रयोजनोंके लिए उन्हें प्रमाण-पत्र जारी करना।

[अंग्रेजीसे]

गृह विभाग, राजनैतिक, फाइल स० ३३/६, १९३१, पृ० १८
सौजन्य: भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

परिशिष्ट १४

गांधीजीसे भेंटपर एमर्सनकी टिप्पणी[1]

७ अप्रैल, १९३१

१. समझौतेसे पैदा होनेवाले विभिन्न मामलोपर श्री गाधीसे मेरी कल रात पाँच घंटे बातचीत हुई। पहले हमने साम्प्रदायिक परिस्थितिपर बात की और उन्होंने स्वीकार किया कि वह बहुत ही गम्भीर है। जाहिर था कि उन्हें मुसलमानोंसे जल्दी कोई समझौता होनेकी आशा नही थी। उन्होंने इस बातपर बहुत दुःख प्रकट किया कि न केवल भावना ही बहुत कटु हो गई है, बल्कि गैर-कांग्रेसी मुसलमान उनके सुझावोंकी ईमानदारीको भी चुनौती दे रहे हैं। इस अवसरका लाभ उठाते हुए मैंने यह बात रखी कि पूरे उत्तर भारतमें इस समय जो स्थिति है उसमें कोई मामूली घटना भी गम्भीर गड़बड़ पैदा कर सकती है। इसलिए यह और भी जरूरी है कि कांग्रेस व्यक्तियोंकी स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप करनेसे बचे, क्योंकि मुसलमानोंमें जो जबर्दस्त रोष है उसका यह एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा है। मैंने इसपर भी जोर दिया कि गाँवोंमें, खासकर संयुक्त-प्रान्तमें गड़बड़ फैलनेका भारी खतरा है और देहाती इलाकोमें एक बार गड़बड शुरू हो जानेपर उसे दबानेमे कितनी ही मुश्किलें पेश आयेंगी। जाहिर था कि वे इस खतरेसे पूरी तरह परिचित थे, और मुझपर जो छाप पड़ी वह यह थी कि वे कांग्रेसपर अपने प्रभावको इस बातके लिए इस्तेमाल करेंगे कि मुसलमानोंमें क्षोभ पैदा करनेवाले कारणोंसे बचा जाये। मुझे पता चला है कि कांग्रेस मुसलमानोंकी दुकानोंपर धरनेमें अभी भी बहुत समझ-बूझ दिखा रही है और गांधीजीकी अपनी इच्छा यह है कि उनकी दुकानोंपर धरना रोक देना चाहिए।

हम तब गुजरातके मामलेपर आये। उन्होंने कहा कि वहाँसे मुझे बहुत ही चिन्ताजनक विवरण मिल रहे हैं। नये पटेलोंमें से कुछ बदमाश लोग हैं और उन्होंने गाँववालोंकी जिन्दगी दूभर कर रखी है। सरकार और कांग्रेसमें सहयोगकी सच्ची भावना कतई नही है। उदाहरणके लिए, जो जमीनें बेची हैं और जिन व्यक्तियोंको बेची गई हैं, कांग्रेसने उनकी एक सूची माँगी थी, पर उसे देनेसे इन्कार कर दिया गया। वैसे, वस्तुतः उनके अनुसार ही, कुछ मामलोंमें, जमीनोंके पिछले मालिकोंके पास इस विषयमें सही जानकारी नही है। माना यह गया था कि सरकार तीसरे पक्षोंको बेची गई जमीनोंकी वापसीके बारेमें तटस्थ रहेगी, पर वह ऐसा नही कर रही है। उदाहरणके लिए, खरीदारोंने जो जमीनें खरीदी हैं, उनका उन्हें कब्जा दिलानेमें वह पुलिस इस्तेमाल कर रही है, यद्यपि, कानूनके अनुसार, खरीदारोंको

१. देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", ९-४-१९३१।

यदि औपचारिक कब्जेसे अधिक कुछ न मिला हो तो उन्हे बाकायदा एक अदालती कार्रवाईके जरिये सरकारसे कब्जा हासिल करना चाहिए। फिर कुछ अस्थायी पटेल हैं जिनकी जगहपर अभीतक पिछले पदाधिकारी, जिन्होने इस्तीफा दे दिया था, नही लगाये गये हैं। उनकी शिकायतका मूल स्वर आमतौरपर यह था कि तीसरे पक्षको बेची गई जमीने वापस नही होगी और जिन पटेलोकी जगह स्थायी रूपसे भर दी गई है, उन्हें फिरसे उनके पदपर नही लगाया जायेगा, यह स्वीकार करके उन्होने गलती की है और यद्यपि उनका इरादा समझौतेसे पीछे हटनेका नही है, पर वे अब यह समझ गये हैं कि उसमे कितनी कठिनाइयाँ हैं।

मैंने तब उनके आगे तसवीरका दूसरा पहलू रखा। मैंने उन्हे बताया कि उन्होंने जितनी शिकायते रखी हैं, उनसे कई-गुनी दूसरे पक्षकी शिकायतें मैंने देखी हैं, भारत सरकारको स्थितिकी जो रिपोर्ट मिली है, वह यह है कि कुछ ताल्लुकोंमें भू-राजस्वका इकट्ठा किया जाना रुका पडा है, वफादार लोगो, जमीन और चल सम्पत्तिके खरीदारो और नये पटेलोंपर बराबर दबाव डाला जा रहा है; और सरकारी दृष्टिकोणसे स्थिति आमतौरपर बहुत ही असन्तोषजनक है। जहाँतक पटेलोका सवाल है, मेरे खयालसे वास्तविक स्थिति यह है कि गाँववाले नये पटेलोंको बरखास्त करवाकर पुरानोंकी फिरसे नियुक्तिकी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जिला-अधिकारी नये पटेलोंके बारेमे मिली शिकायतोपर स्वभावत. शक करते हैं। लेकिन जिस पटेलका आचरण इस तरहका हो कि नियमानुसार उसे बरखास्त करना चाहिए, उसे भी वे उस पदपर रखना चाहेंगे, मैं ऐसा नही सोचता। दूसरी ओर, जिला-अधिकारी स्वभावत पटेलोंको बेकार की शिकायतोंसे क्षति नही होने देंगे। उन्होंने यह माना कि शिकायतें सभी नये पटेलोंके खिलाफ नही है, उनमें से कुछके ही खिलाफ हैं। मैंने कहा कि सरकारकी तटस्थताका जहाँतक सवाल है, उसका अर्थ यह कैसे लगाया जा सकता है कि सरकारको जमीनोंके खरीदारोंको वे कानूनी अधिकार नही देने चाहिए जिसके कि वे अधिकारी हैं। यदि वे साधारण राजस्व-कानूनके अधीन वस्तुत. तुरन्त कब्जेके अधिकारी हैं, तो जाहिर है कि उन्हे कब्जा देना ठीक ही है।

मैंने फिर उन्हें बम्बई-सरकारके २ और ४ अप्रैलके अर्ध-सरकारी पत्रोसे उद्धरण पढ़कर सुनाये, जिससे यह साफ हो जाता था कि बोरसद और बारडोली जैसे कुछ ताल्लुकोंमें समझौतेके बादसे भू-राजस्वका इकट्ठा होना लगभग रुक ही गया है। वे उन आँकडो पर हैरान जान पडे और उन्होने मुझसे उन उद्धरणोकी एक नकल चाही; नकल देनेका मैंने उनसे वायदा किया। मैंने कहा कि यह मानना बिलकुल असंगत है कि अदायगीका इस तरह आमतौरपर रुक जाना आर्थिक विपत्तिके कारण है। हमारी सूचना तो यह है कि फसलें बहुत अच्छी हुई है, और ऐसे मामले जिनमें व्यक्तियोंको अदायगीमें सचमुच कठिनाई हो, बहुत ही थोड़े है। सरकार अदायगीमें देरीको समझौतेका गम्भीर उल्लघन मानती है; और जैसा कि आपका कहना है, यदि यह सच भी हो कि एक-दो गाँवोंमें लोगोको नये पटेलोसे तकलीफ हो रही है, तो भी यह कोई ऐसा कारण नही है जिससे भू-राजस्व अदा न किया जाये। हाल ही में बम्बई-सरकारने भारत-सरकारको यह सूचना दी है कि उसका इरादा अगले

दस दिनोमे फिरसे जोर-जबर्दस्तीकी प्रक्रियाओंको अपनानेका है, और भारत सरकारके पास जो सूचनाएँ हैं, उन्हे देखते हुए इस प्रस्तावपर शायद [वह] आपत्ति न कर सके। वैसे, बम्बई-सरकार और भारत-सरकार दोनों ही स्वभावतः यह आशा करती है कि कदाचित् उन प्रक्रियाओंका फिरसे सहारा लेना आवश्यक न हो, क्योंकि यह साफ है कि ज़ोर-जबर्दस्तीकी प्रक्रियाओंका प्रयोग जहाँ एक बार बड़े पैमानेपर शुरू हुआ, गुजरातका वातावरण पुनः बुरी तरहसे विक्षुब्ध हो जायेगा तथा अधिक दुर्भावना पैदा होगी। श्री गांधीने यह स्वीकार किया कि जोर-जबर्दस्तीकी प्रक्रियाओंसे बचना बहुत ही वांछनीय है, पर यह भी माना कि स्थानीय सरकारसे कथित अवधिसे अधिक प्रतीक्षा करनेकी आशा नही की जा सकती। उन्होने यह इच्छा प्रकट की कि समझौतेका कड़ाईसे पालन होना चाहिए और कहा कि १२ तारीखको मै अहमदाबादमें रहूँगा और तब यदि उत्तरी डिवीजनके कमिश्नरसे मेरी दिल खोलकर बातचीत हो सके तो बहुत अच्छा हो। मैंने कहा कि मेरे खयालसे यह बहुत ही अच्छा विचार है और मैं आपकी यह इच्छा बम्बई-सरकार तक पहुँचा दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि बादमें बम्बईके महामहिम गवर्नर मुझे भेंटका एक अवसर दे सकेंगे।

गुजरातके बारेमें बातचीतका मेरे मनपर जो असर पड़ा वह यह था कि वल्लभभाई पटेल और उनके मित्र गांधीजीके लिए समझौतेका पालन जितना कठिन कर सकते है, कर रहे हैं; किसी-न-किसी बहाने वे भू-राजस्वकी अदायगी रोक रहे हैं और यह आशा करते हैं कि इस तरह सभी पटेलोंकी फिरसे नियुक्ति हो जायेगी और सभी जमीनें वापस कर दी जायेंगी। वे गांधीजीके पास तरह-तरहकी शिकायतें भेज रहे हैं जिनमें से शायद ही किसीका कोई आधार हो और गांधीजी खुद कोई रास्ता निकालना चाहते है, पर निकाल नहीं पा रहे हैं। मेरा मन यह कहता है कि गुजरात लौटनेपर वे भू-राजस्वकी अदायगीके बारेमें नियमोंका पालन करायेंगे, पर उन्हें काफी विरोधका सामना करना पड़ेगा और अदायगी न करनेके लिए हर तरहके बहाने इस्तेमाल करनेकी कोशिश की जायेगी। मेरा यह खयाल है कि यदि उत्तरी डिवीजनके कमिश्नर श्री गांधी क्या कहते हैं, यह सुन सकें और उनके आगे विशिष्ट उदाहरणों सहित तस्वीरका दूसरा पहलू रख सकें, तो वह अच्छा रहेगा। गांधीजी खुद यह मानते है कि जमीनों और पटेलोंके बारेमें समझौता कायम रहना चाहिए और मेरा यह खयाल है कि उनके कुछ संदेहों और आशंकाओंको दूर किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें ये आश्वासन दे दिये जायें, कि

(क) जिन पटेलोके स्थान अभी रिक्त है, उन्हें फिरसे नियुक्त करनेकी नीति उदारतासे अमलमें लाई जायेगी;

(ख) सरकार जहाँ नये पटेलोंको बेकारकी शिकायतोंसे कोई क्षति नही होने देगी, वहाँ यदि कुछ पटेल अपने पदका दुरुपयोग करते है तो वह साधारण राजस्व-नियमोंके अधीन उनके खिलाफ कारंवाई करनेको तैयार रहेगी;

(ग) जमीनोंकी बिक्रीके बारेमें स्थानीय अधिकारियोंसे जिस तरहकी सूचनाकी युक्तियुक्त रूपसे अपेक्षा की जा सकती है, सो वे देंगे।

मैं ये सुझाव देनेका इसीलिए साहस कर रहा हूँ कि मुझे बिलकुल यकीन है कि गांधीजी समझौतेको तोड़ना नही चाहते और यह बात पूरी तरह समझते है कि जोर-जबर्दस्तीकी प्रक्रियाओसे भू-राजस्वका इकट्ठा किया जाना अवांछनीय है।

इस बीच मैंने उनके सामने यह चीज बिलकुल साफ कर दी कि स्थानीय सरकारका निकट भविष्यमें जोर-जबर्दस्तीकी प्रक्रिया शुरू करनेका जो प्रस्ताव है, भारत-सरकारका उसपर आपत्ति करनेका कोई इरादा नहीं है।

३. मैंने कनडा और धारवाड-जिलोंके भू-राजस्वकी अदायगीमें देरीके मामलोंका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस देरीकी 'वजह केवल फसलोंकी खराबी और आर्थिक तंगी है। और जब मैं महामहिम गवर्नरसे मिलूँगा तो इस मामलेका उनसे जिक्र करूँगा। मैंने तब इस विषयको और आगे नही बढाया।

४. श्री गाधीने तब संयुक्त-प्रान्तका सवाल उठाया जिसपर हमारी कोई दो घंटे बातचीत होती रही। मैंने उन्हें इलाहाबाद और मथुराके कलैक्टरोंके पत्रो, संयुक्त-प्रान्त विशेष-शाखाकी गत सप्ताहकी रिपोर्ट, और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा फतेहपुर जिला-कमेटीको भेजी गई हिदायतोंके सारांश पढ़कर सुनाये। मैंने उन्हें बताया कि सर फ्रेंक नॉयस और मैंने हाल ही में सयुक्त-प्रान्तके महामहिम गवर्नरके साथ परिस्थिति पर विचार-विमर्श किया है और बताया कि भारत-सरकार तथा स्थानीय सरकार कई जिलोंकी परिस्थिति पर बहुत चिन्तित है। इसमें सन्देह नही कि परिस्थिति बड़ी तेजीसे बिगड़ रही है और एक-दो जिलोमें किसी भी समय गम्भीर उपद्रव हो सकते है। उपद्रव यदि शुरू हो गये तो वे आसानीसे फैल सकते है और इस बातका बहुत ही जबर्दस्त खतरा है कि उपद्रवोका आरम्भ चाहे भूमिको लेकर ही क्यों न हो पर उनकी परिणति साम्प्रदायिक दंगोंके रूपमें हो जायेगी। यह बिलकुल स्पष्ट था कि श्री गांधीके आगे मैंने जो तथ्य रखे, उनसे उन्हें हैरानी हुई और उन्होंने तुरन्त ही यह बात मान ली कि कांग्रेसकी निम्नलिखित गतिविधियाँ गलत है:

(क) रैयतको लगान और भू-राजस्वकी अदायगी पूर्णतया या आंशिक रूपसे रोकनेके लिए कहना;

(ख) मथुरा जिलेमें एक कांग्रेसी तहसीलदारका कायम होना;

(ग) इस विचारका प्रचार कि स्वराज्य मिल गया है और राजस्व और लगान अदा करनेकी अब कोई जरूरत नहीं है;

(घ) जमीदारोंपर रैयतके हमले;

(ङ) मुसलमानोंके मामलोंमें हस्तक्षेप।

उन्हें विशेष चिन्ता आखिरी बातपर थी। मैंने इस तथ्यपर जोर दिया कि यदि मुसलमानोंको यह माननेके लिए कारण मिल गया कि कांग्रेस मुस्लिम जमींदारों और उनकी रैयतके बीचमें आनेकी कोशिश कर रही है, तो साम्प्रदायिक कटुता बढ़ जायेगी और गड़बड़ी होनेका भारी खतरा पैदा हो जायेगा। मैंने कहा कि सरकार संयुक्त-प्रान्तमें कांग्रेसकी लगान और भू-राजस्व सम्बन्धी गतिविधियोंको समझौतेका बहुत ही गम्भीर उल्लंघन मानती है। इस तरहकी कोई चीजकी जायेगी, इसकी कभी कल्पना भी नही की गई थी; और सरकारको अब यह विश्वास हो गया है कि

कांग्रेस आर्थिक तंगीकी आड़में वस्तुतः राजनैतिक उद्देश्योंके लिए आन्दोलन चला रही है। सरकारने मुझे आपको यह बता देनेका आदेश दिया है कि स्थानीय सरकार इस परिस्थितिसे निपटनेके लिए साधारण कानूनके अधीन जो सम्भव है, ऐसे क़दम उठाना चाहती है और भारत-सरकार इस मार्गका समर्थन करती है। इसके अलावा, दिखाई यह दे रहा है कि यदि यह कार्रवाई काफी नहीं रही, तो स्थानीय सरकार विशेष कार्रवाइयोंका सुझाव रखेगी, यानी अवैध उकसावा-अध्यादेश द्वारा दिये गये अधिकार बहाल किये जाएँ या फौजदारी कानूनसंशोधन-अधिनियमके अधीन कार्रवाई की जाए। और भारत-सरकारने मुझे आपको यह बता देनेका आदेश दिया है कि यदि इस तरहके सुझाव रखे गये, तो सरकार उनपर गम्भीरतासे विचार करेगी। अपनी निजी रायके रूपमें मैंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेसकी गतिविधियाँ जारी रही तो यह प्रायः निश्चित है कि साधारण कानूनके अधीन कार्रवाई नाकाफी सिद्ध होगी और तब विशेष कार्रवाइयाँ अनिवार्य हो जायेंगी। मैंने कहा कि इससे समझौतेका टूटना प्रायः निश्चित है जबकि सरकार यथासम्भव इस तरहके परिणामको टालनेकी उत्कट इच्छा रखती है।

मैंने तब संक्षेपमें उन्हें भू-राजस्व-नीति पर महामहिम गवर्नरका वह वक्तव्य समझाया जो उन्होंने कुछ दिन पहले प्रान्तीय विधान-परिषद्में दिया था और कहा कि स्थानीय सरकार यह समझती है कि उससे आर्थिक परिस्थितिकी आवश्यकताएँ पूरी हो जायेंगी। हर हालतमें, यह आवश्यक है कि उसे आजमाया जाए, और यदि ऊपर बताये गये परिणामोंसे बचना है तो कांग्रेसको अपना हस्तक्षेप बन्द कर देना चाहिए। श्री गांधीने मुझसे पूछा कि क्या सरकार यह मानती है कि भू-राजस्वकी अदायगी कराना कांग्रेसके कर्त्तव्यका एक भाग है। मैंने कहा कि जहाँतक संयुक्त-प्रान्तका सवाल है, मेरा खयाल है कि यदि कांग्रेस किसी भी प्रकारका हस्तक्षेप करनेसे अपनेको बिलकुल अलग रखे तो सरकार सन्तुष्ट हो जायेगी; वह इस विषयमें कांग्रेसपर किसी भी तरहका दायित्व थोपना नही चाहेगी। मैंने उन्हे समझाया कि गुजरातमें परिस्थिति भिन्न है।

श्री गांधीने कहा कि मैंने दूसरे पक्षकी शिकायतें सुनी हैं, मिसालके लिए, जमीदारोंका रैयतके साथ पाशविक व्यवहार। असली समस्या तो यह है कि इस परिस्थितिके बारेमें कांग्रेस सरकारके साथ किस तरह सहयोग कर सकती है। उन्होंने कहा कि अभीतक जो तरीके अपनाये गये हैं, वे आपके द्वारा बताये गये तथ्योंके आधार पर, निस्सन्देह आपत्तिजनक हैं; पर इसका मतलब यह तो नही है कि स्थितिको ठीक नही करना चाहिए; मै यही कर रहा हूँ। अन्तमें जो सुझाव सामने आये, वे ये थे कि हर तहसीलमें एक कांग्रेस-कमेटी होनी चाहिए जो भू-राजस्वके मामलोंमें स्थानीय अधिकारियोंके साथ सहयोग करे। साधारण हालतोंमें कांग्रेस-कमेटीको कुछ नही करना होगा क्योंकि पूरी माँग स्वाभाविक मानकर स्वीकार कर ली जायेगी; लेकिन विपत्तिके समय कांग्रेस खुद तथ्य और आंकड़े एकत्रित करेगी, जमीदारों और रैयतके विचार मालूम करेगी और कलैक्टरको प्रतिवेदन देगी जिनकी कलैक्टर जाँच करेगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सरकारको इस योजना पर कोई आपत्ति होगी?

मैंने कहा कि मेरे खयालसे भारत-सरकार और स्थानीय सरकार इसका बहुत ही जोरदार विरोध करेगी। उन्होने कहा कि इससे यह पता चलता है कि सरकारका कांग्रेसमें अविश्वास है, जो उचित नही है। सरकार और कांग्रेसके लिए युक्तियुक्त मार्ग तो यही है कि वे मिलकर काम करें। वस्तुत. सरकारकी अब कांग्रेसके साथ सुलह हो गई है, उसके साथ उसका एक समझौता हो चुका है, इसलिए ऐसा कोई कारण नही है जिससे इस सिद्धान्तको और बढाया न जाये। मैंने उन्हें बताया कि जो समझौता हुआ है, वह सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द करनेके बारेमें है जिसका एक मात्र या कमसे-कम मुख्य सम्बन्ध सरकार और कांग्रेसके साथ है; और जिन मामलोका सम्बन्ध अन्य पक्षोसे है, उनमें सरकारका कांग्रेसको बिचौलियेकी तरह इस्तेमाल करना एक बिलकुल अलग बात है। यद्यपि अविश्वासका होना खेदजनक है, पर जो तथ्य सामने रखे गये हैं, उन्हे देखते हुए जिला-कलैक्टरोसे इस योजनाके स्वागतकी आशा नही की जा सकती। इसके अलावा, यह योजना सिद्धान्ततः चाहे कितनी ही निरापद लगे, पर इस पर गम्भीर व्यावहारिक आपत्तियाँ की जा सकती है, हर हालतमें, इससे रैयत निश्चय ही अपने लगानोके बारेमें बराबर आन्दोलन करती रहेगी। इसमें जो ढंग सुझाया गया है, उसके द्वारा अपने कार्योका निराकरण कोई भी सरकार सहन नही करेगी। और यदि वर्तमान सरकारने किसी राजनैतिक दलको इस ढगसे हस्तक्षेप करनेकी अनुमति दे दी तो भावी प्रान्तीय स्वायत्त सरकारों-को उससे गम्भीर शिकायत बनी रहेगी। श्री गांधीने मुझसे पूछा कि क्या आपको समान उद्देश्योके लिए बने रैयतके संघ पर आपत्ति है। मैंने कहा कि मैं उस पर कानूनी आपत्ति तो नही कर सकता, पर मेरा यह खयाल है कि अन्तमें इस तरहके संघोसे प्रायः अनिवार्य रूपसे झझट होती है और जमीदारो और रैयतके सम्बन्ध खराब होते हैं। उन्होने तब कहा कि यदि रैयतके सघ पर कोई आपत्ति नही है तो इसमें ही क्या आपत्ति हो सकती है कि काग्रेस रैयतके हितोका प्रतिनिधित्व करे, और कि काग्रेस मानवताके आधार पर जमीदारोंसे अपील करके रैयतके ध्येयमें सहायता पहुँचाए। उनका यह कहना था कि इस तरहकी व्यवस्था खुद जमीदारोको सुविधाजनक लगेगी। मैंने उनसे कहा कि आपको यह खयाल ठीक लगता है, पर कांग्रेसको सब लोगोंका समर्थन प्राप्त नही है। मिसालके तौरपर, मुसलमान उसके बहुत ही विरोधी हैं और बहुत-से ऐसे जमीदार हैं जो उसकी गतिविधियोको भय और सन्देहकी दृष्टिसे देखते है। वस्तुत., इस समय जो बहुत अधिक अशान्ति है, उसका कारण यही है कि दूसरोंके मामलोमें हस्तक्षेप करना काग्रेसकी आम प्रवृत्ति है। इसके बाद मैंने उन्हें समझाया कि चाहे कोई-सा भी राजनैतिक दल हो, ये आपत्तियाँ सबपर समान रूपसे लागू होगी। मैंने उनसे पूछा कि, उदाहरणके लिए, यदि मुस्लिम लीग पजाबमें किसी हिन्दू जमीदार और मुस्लिम रैयतके बीचमें हस्तक्षेप करे तो क्या उनके खयालमें उससे मेल-मिलापमें सहायता मिलेगी।

श्री गाधीने कहा कि काग्रेसने रैयतके हितोका सदा समर्थन किया है और यह उसके लिए असम्भव है कि वह रैयतके साथ जमीदारोके दुर्व्यवहारको चुपचाप देखती रहे और उनकी सहायता न करे। मैंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि स्थानीय

सरकार लगानकी वसूलीके लिए रैयतके साथ दुर्व्यवहारको हर तरहसे निरुत्साहित करेगी और यदि रैयत [दुर्व्यवहार होनेपर] फौजदारी अभियोग दायर करे तो सरकार उसे बिलकुल ठीक मानेगी। हर हालतमें, सैद्धान्तिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, पर भू-राजस्व और लगानके मामलोंमें इस समय कांग्रेसके संगठित हस्तक्षेपसे गम्भीर गड़बड़ होना अनिवार्य है, और उसे अवैध ही ठहराना होगा। उन्होंने तब पूछा कि मुझे इस बारेमें क्या करना है। इससे पहले वे यह कह चुके थे कि संयुक्त-प्रान्तके मामलों पर वे बहुत चिन्तित हैं और यह महसूस करते हैं कि उन्हें खुद वहाँके हालात ठीक करनेकी कोशिश करनी होगी। इन मामलोंपर गवर्नरके साथ विचार-विमर्श करनेकी अपनी इच्छा भी वे व्यक्त कर चुके थे। मैंने यह सुझाव दिया कि कांग्रेसके लिए सही रास्ता यही होगा कि वह इन बातोंमें हस्तक्षेप न करे, जिससे कि स्थानीय सरकारकी योजना लागू की जा सके। यह माना जा सकता है कि यदि उस योजनामें प्रासंगिक हेरफेर आवश्यक हुआ तो वह कर दिया जायेगा और स्थानीय सरकार परिस्थितिकी आवश्यकताओंके अनुरूप नीति अपनायेगी। मैंने उनसे कहा कि गवर्नरसे आपकी भेंटके बारेमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर यदि उसकी मंजूरी मिल गई तो मुझे यकीन है कि गवर्नर आपको इस विषयमें सन्तुष्ट कर सकेंगे कि भू-राजस्व देनेवालोंसे उनकी क्षमतासे अधिक भू-राजस्व मांगे जानेका कोई इरादा नहीं है; स्थानीय सरकार यह चाहती है कि जमींदारोंको ज्यादा लगानकी माँग नहीं करनी चाहिए, और लगानकी वसूलीके लिए जमीदारोंकी ओरसे होनेवाले दुर्व्यवहारको वह सक्रिय रूपसे निरुत्साहित करेगी। बातोंसे मैंने अनुमान यह लगाया कि श्री गांधी किसी भी हालतमें सर मैल्कॉम हेलीकी वापसीसे पहले गवर्नरसे मुलाकात नहीं कर सकेंगे।

अन्तमें सहमति इसपर हुई कि श्री गांधी संयुक्त-प्रान्तमें भू-राजस्व और लगान सम्बन्धी वर्तमान गतिविधियोंको रोकनेके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे और सर मैल्कॉम हेलीके लौटने पर उनसे भेंट करनेका प्रयत्न करेंगे। बातचीतके इस विषयके बारेमें मेरे मनपर जो छाप पड़ी, वह यह थी कि श्री गांधी जो-कुछ हो रहा है, उसमेंसे ज्यादातर बातोंसे अनभिज्ञ हैं और उन्हें आमतौरपर नापसन्द करते हैं। भूमि-सम्बन्धी झगड़ों और साम्प्रदायिक झगड़ोंके मिल जानेके जो परिणाम हो सकते हैं, उनके बारेमें भी वे साफ तौरपर आशंकित लगते थे। साथ ही, तहसील कमेटियोंकी योजनाके प्रति भी (जिसे मैं जवाहरलालकी योजना मानता हूँ) वे कुछ आकर्षित थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह [योजना] कांग्रेस-कार्यक्रमके एक पक्षका प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अनुसार कांग्रेस सरकार और लोगोंके बीच एक बिचौलियेकी तरह काम करके, ग्रामीण वर्गोंको अपने काबूमें करना चाहती है और जो कार्य वस्तुतः सरकारके हैं, उन्हें खुद करना चाहती है। जवाहरलाल और संयुक्त-प्रान्तके अन्य नेता अपने कार्यक्रमको आसानीसे छोड़ देंगे, मुझे इसमें सन्देह है, और गांधीको उनसे निपटनेमें यदि काफी कठिनाइयोंका सामना करना पड़े तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस बीच वे यह बात भली-भाँति समझ गये हैं कि

स्थानीय सरकार तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक समझती है और यदि [कांग्रेसकी ये] गतिविधियाँ जारी रही तो और भी कदम आवश्यक हो सकते है। यह जानकारी उन्हे जवाहरलाल पर और ज्यादा नियंत्रण रखनेको बाध्य करेगी, क्योकि वे सम-झौतेको तोड़ना नही चाहते हैं और मुझे ऐसा लगा कि वे हमारी बातचीतसे पहले भी संयुक्त-प्रान्तके बारेमें चिन्तित थे।

५. इसके बाद मैंने यह विषय रखा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने एक निदेशिका जारी की है जिसमें उन मिलोकी सूची है जिन्होने एक विशेष वचन नही दिया है। श्री गाधीने कहा कि यह निदेशिका उस व्यवस्थाके अन्तिम रूपसे निश्चित होनेसे पहले जारी की गई थी जिसके अनुसार कांग्रेसको इस तरहकी कोई सूची जारी नही करनी है या कांग्रेसकी पाबन्दीका कोई उल्लेख नही करना है। उन्होंने कहा कि मैं ये हिदायतें दे चुका हूँ कि भविष्यमें इस तरहकी कोई सूची जारी न की जाएँ। स्वदेशी-आन्दोलनके सिलसिलेमें सरकार जिन बातोको अत्यावश्यक मानती है उनपर जोर देते हुए मैंने उन्हे फिर बताया कि उसके तरीके समझाने-बुझाने, प्रचार और विज्ञापन तक ही सीमित रहने चाहिए और उसका उद्देश्य राजनैतिक नही, आर्थिक होना चाहिए। मैंने यह कह दिया कि अगर सरकारको पता चला कि अन्य तरीके अपनाये जा रहे हैं तो वह जो भी कार्रवाई जरूरी समझेगी, करेगी। श्री गाधी इससे सहमत थे।

मैंने फिर यह सवाल उठाया कि मिलोंके एजेंटो द्वारा दिये गये कुछ वचनोंमें — उदाहरणार्थ, शेयर-पूंजी और प्रबन्ध-व्यवस्थाके कर्मचारियो सम्बन्धी शर्तोंमें — नस्ली भेदभाव शामिल लगता है। मैंने कहा कि यद्यपि यह मामला समझौतेके लिए हुई बातचीतमें उठाया नही गया था, पर यह समझ लेना चाहिए कि सरकार भारतमें कारोबार करनेवाली ब्रिटिश और भारतीय कम्पनियोके बीच भेदभावको आपत्तिजनक गतिविधि मानती है। इस विषयमें भारत-सरकारके विचार उसके सुधार सम्बन्धी प्रेषित पत्रमें दिये गये थे और वे बरकरार हैं। यद्यपि इस मामलेमें हमें अभी विशिष्ट शिकायतें नही मिली हैं, पर उनका मिलना असम्भव नही है। भारत-स्थित अंग्रेजी कम्पनियोसे ऐसे वचन लेनेकी कोशिशोसे जिनमें इस तरहकी शर्तें हो, निस्सन्देह भारतमें उत्तेजना पैदा होगी और मैं नये संविधानमें भेदभावके विरुद्ध व्यवस्था करनेकी आवश्यकतापर जोर दूंगा। मैंने उनसे कहा कि कांग्रेसके लिए ऐसा रास्ता अपनाना, जिससे अंग्रेजोकी भावना उसके विरुद्ध हो जाये और गोलमेज-परिषदसे जो मैत्रीपूर्ण वातावरण बना है, वह बिगड़ जाये, मूर्खता ही होगी। श्री गांधी इस विषयमें वचनबद्ध नही हुए, परन्तु उन्होंने कहा कि भेदभावके प्रश्न पर मैंने बहुत सोचा है; जिन विषयो पर ब्रिटिश मत उग्र है, मैं उनमें धैर्यपूर्वक बढनेका औचित्य स्वीकार करता हूँ; भेदभावका प्रश्न मुख्यतया जहाजरानी-जैसे मामलोमें ही उठता है। उन्होने भारतीय सभ्यताकी रक्षाके बारेमें भी अपनी भावनाएँ व्यक्त की (मैं देखता हूँ कि उसका उल्लेख उनके आजके उस भाषणमें भी है जो उन्होने 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री' में दिया है)।

६. मैंने हाल ही में पंजाब-सरकारसे प्राप्त इस रिपोर्टका जिक्र किया कि "अमृतसरके एक विदेशी कपड़ेके व्यापारीको डा० किचलूने कांग्रेस-कोषमें ३००० रुपये जुर्माना देनेके लिए 'राजी' किया है।" उसने जलियाँवाला बागमें सार्वजनिक रूपसे क्षमा माँगनेसे इनकार कर दिया था। मैंने कहा कि यदि उस व्यापारीसे पूछताछ की जाए तो सम्भवतः वह यही कहेगा कि तथाकथित जुर्माना एक दान था; पर यह विश्वास करना कि बात ऐसी ही थी, बहुत कठिन है। सरकारकी जानकारीमें आ रही इस तरहकी घटनाओंसे इस बातमे कोई सन्देह नही रहा है कि व्यक्तिके कार्य-स्वातंत्र्यके सिद्धान्तका पालन नही हो रहा है। उन्होंने वायदा किया कि अमृतसरकी अपनी आगामी यात्रामें वे स्वयं इस विषयमें पूछताछ करेंगे। प्रसंगवश उन्होंने कहा कि धरना बहुत कम हो गया है और विदेशी कपड़ेकी बिक्री बढ़ रही है। लेकिन उनके इन कथनोंका क्या आधार है, मुझे नहीं मालूम। मैंने उन्हें बताया कि हमें बिहार और उड़ीसासे धरनेके बारेमें अभी भी अनेक शिकायतें मिल रही हैं और वह वहाँ किसी भी अन्य प्रान्तसे बदतर मालूम होता है। मैंने उनसे कहा कि मै अभी-अभी मिली शिकायतोंका एक और पुलिन्दा आपको भेजूँगा और आपका यह कर्त्तव्य है कि हालातको ठीक करनेकी कोशिश करें।

७. मैंने उनसे कहा कि स्थानीय सरकारें समझौतेके बादसे राजनैतिक गतिविधिके लिए लोगोपर मुकदमे चलानेसे जान-बूझकर अपनेको रोकती रही हैं जिससे कि समझौतेको कोई क्षति न पहुँचे। परन्तु अब ऐसा कोई कारण नही है जिससे वे आगे भी अपनेको रोकती रहें और भारत-सरकारका इरादा स्थानीय सरकारोंको यह सूचित कर देनेका है कि हम यह नही चाहते कि जहाँ वे मुकदमे चलाना जरूरी समझती हैं, वहाँ भी अपना हाथ रोकें। श्री गांधीने इसपर केवल इतना कहा कि यह ठीक ही है कि जो लोग कानूनके साथ खिलवाड़ करते हैं, वे उसके परिणाम भोगें।

८. श्री गांधीने खुद जो शिकायतें रखी, उनमें ये बातें शामिल थी :

(क) विदेशी अधिनियमके अधीन निष्कासित कुछ लोगोंका मामला। मैंने कहा कि मै अगले सप्ताह बम्बई-सरकारके साथ इसपर विचार-विमर्श करनेकी कोशिश करूँगा।

(ख) छावनी-क्षेत्रोंसे निष्कासित लोगोंके कुछ मामले। मैंने स्थिति स्पष्ट की और श्री गांधीसे कहा कि आप मुझे विशिष्ट मामलोंकी जानकारी दें।

(ग) सविनय-अवज्ञाके जो कैदी अभीतक जेलमें हैं, उनका आम सवाल। उनकी शिकायत, जिसपर गम्भीरतासे जोर नही दिया गया, यह थी कि कुछ कैदी क्षमादानके अन्तर्गत आते है, पर फिर भी रिहा नही किये गये हैं। खास तौरपर उन्होंने मथुराके एक मामलेका और फिर शोलापुरके कैदियोंका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैदियोंका यह सवाल मेरे लिए कठिनाई पैदा कर रहा है। मैंने कहा कि क्षमादानके अन्तर्गत आनेवाले कैदियोंको रिहा न करनेके मामले यदि हुए भी तो बहुत थोड़े ही हो सकते हैं, और स्थानीय सरकारोने बहुत ही उदारतासे काम लिया है।

सवाल दरअसल क्षमादानके अन्तर्गत न आनेवाले कैदियोके प्रति नरमी दिखानेका है, लेकिन जबतक शान्तिपूर्ण परिस्थितियाँ निश्चित रूपसे स्थापित न हो जाएं और कांग्रेस समझौतेकी भावनाको कार्यान्वित न करे, तबतक हम इस विषयमें स्थानीय सरकारोंसे अनौपचारिक रूपसे कुछ भी नही कह सकते। मैंने वायदा किया कि श्री गांधीके लिए जो लम्बा ज्ञापन तैयार किया गया है और जिसके सारको, उनके कथनानुसार, आत्मसात् करनेका उन्हें अभी समय नही मिला है, उसे मैं पढ़ूँगा।

(घ) मुझे इसपर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने आम राजनैतिक कैदियोंका सवाल, जिनके बारेमें कराची-कांग्रेसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था, नही उठाया। जाहिर था कि वे समझौतेके बाहरकी किसी चीजके बारेमें कुछ पूछना नही चाहते थे।

९. श्री गाधीका व्यवहार मुझे बहुत ही मैत्रीपूर्ण और युक्तियुक्त लगा। कराचीकी अपनी सफलता पर वे प्रसन्न थे, पर साम्प्रदायिक परिस्थितिसे खिन्न थे। गोलमेज-परिषदमें जाने या संवैधानिक समस्याओंके एक अन्तिम समाधान पर पहुँचनेकी अपनी उत्कंठा उन्होंने छिपाई नही। मेरा यह खयाल है कि उनकी माँगें, जैसा उनके पहलेके कुछ भाषणोसे जाहिर होता था, उतनी अमर्यादित नही होंगी, और यदि वे लन्दन गये तो सम्भवतः समझौतेकी वास्तविक शर्तोंसे अधिक इस बातको महत्त्व देंगे कि समस्याओंसे निपटनेमें अन्तर्निहित भावना क्या है, और भारतीय आकांक्षाओंके प्रति ब्रिटिश दलोंका रुख क्या है। वैसे यह ठीक है कि यदि कुछ माँगें मानी नही गईं तो उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उन्हे न माननेके पर्याप्त कारण थे। सबसे अधिक कठिनाई वित्तीय संरक्षणों और उसके बाद शायद भेदभावको लेकर होगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि उनका इरादा इस समय लन्दन जानेका है और वहाँ उनका उद्देश्य अत्यधिक माँगें रखकर परिषदको भग करना नही बल्कि ऐसे समझौतेपर पहुँचना होगा जिसे वे अपने विवेकके अनुसार सम्मानपूर्वक स्वीकार कर सकें। मैं नही समझता कि वे पूरा प्रयत्न किए बिना सहज ही भारत वापस आ जायेंगे और अपनी असफलता स्वीकार कर लेंगे। दूसरी ओर, वे सफलताके बारेमें अत्यधिक विश्वास भी प्रकट नही कर रहे थे और उन्होंने बिलकुल साफ-साफ यह कहा कि इस बीच कांग्रेस यह मानकर कि एक और लडाई हो सकती है, अपनी स्थिति सुदृढ करनेकी कोशिश करेगी। मौजूदा परिस्थिति जबर्दस्त खतरेसे भरी है और व्यावहारिक सवाल, करीब-करीब यकीनन, देर-सबेर यही सामने आनेवाला है कि सरकार कहाँतक निष्क्रिय रह सकेगी। परन्तु गाधी यह समझते है कि सरकारको कार्रवाईके लिए बाध्य करना, उनके दृष्टिकोणसे, असुविधाजनक होगा और यह आशा की जा सकती है कि उनका यह समझना कांग्रेसकी गतिविधियोंपर लगाम लगायेगा। मैंने उन्हे साफ-साफ बता दिया कि कांग्रेसकी स्थितिका यह तथाकथित सुदृढ़ीकरण आसानीसे ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकता है जिसे सरकार सहन नही कर सकेगी।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३६३)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

सामग्रीके साधन-सूत्र

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गांधी साहित्य और तत्सम्बन्धी कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड–१, पृष्ठ ३४९ (प्रथम संस्करण) तथा पृष्ठ ३५५ (द्वितीय संशोधित संस्करण।

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय: अखिल भारतीय कांग्रेस समिति आलेख, नई दिल्ली।

साबरमती संग्रहालय: पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय जिसमें गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं। देखिए खण्ड–१, पृष्ठ ३४९ (प्रथम संस्करण) तथा पृष्ठ ३५५ (द्वितीय संशोधित संस्करण)।

'आज': वाराणसीसे प्रकाशित हिन्दी दैनिक।

'गुजराती': बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'टाइम्स ऑफ इंडिया': बम्बई तथा दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक पत्र।

'ट्रिब्यून': अम्बालासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'नवजीवन': गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'पायनियर': लखनऊसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'बॉम्बे क्रॉनिकल': बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'यंग इंडिया': गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।

'लीडर': इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'स्टेट्समैन': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दी नवजीवन': गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित साप्ताहिक।

'हिन्दुस्तान टाइम्स': नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू': मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

' द गोल्डन बुक ऑफ टैगोर': विश्वभारती।

'नरसिंहरावनी रोजनिशी': नरसिंहराव भोलानाथ दिवेटिया, गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद।

'श्रीनिवास शास्त्रीके पत्र': सम्पादक – टी० एन० जगदीशन; एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई।

'पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद': सम्पादक — द० बा० कालेलकर, जमनालाल बजाज ट्रस्ट, वर्धा, १९५३

'बापुना पत्रो – ४ : मणिबहन पटेलने '(गुजराती): सम्पादक : द० बा० कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो – ५ : कुमारी प्रेमाबहन कटकने' (गुजराती): सम्पादक — द० बा० कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो – ६ : ग० स्व० गंगाबहनने' (गुजराती) : सम्पादक — द० बा० कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो – ७ : छगनलाल जोशीने' (गुजराती) सम्पादक — छगनलाल जोशी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६२।

'बापुना पत्रो – ९ : श्री नारणदास गांधीने' (गुजराती): सम्पादक — नारणदास गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६४।

'बापुना पत्रो – १० : प्रभावती बहनने' (गुजराती) : सम्पादक — द० बा० कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५५।

'बापुनी विराट वत्सलता': काशिनाथ त्रिवेदी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६४।

'बापुनी प्रसादी': मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८।

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स, १९३१।

भारतीय कार्यालय अभिलेख।

'महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी:' जो स्वराज्य आश्रम, बारडोलीमें रखी गई है।

'हिस्ट्री ऑफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस': सम्पादक — बी० पट्टाभि सीतारमैया, पद्मा प्रकाशन, बम्बई, १९४६।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१६ दिसम्बर १९३० से ३० अप्रैल, १९३१ तक)

१६ दिसम्बर: गांधीजी यरवदा केन्द्रीय जेलमें ५ मई १९३० से २६ जनवरी १९३१ तक।

१९ दिसम्बर: पंजाब हाईकोर्टने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की जमानत जब्त करनेके फैसलेको उचित ठहराया।

२० दिसम्बर: लॉर्ड इर्विनके बाद लॉर्ड विलिंग्डन वाइसराय नियुक्त किये गये।

२१ दिसम्बर: दिल्ली-जेलमें चालीस महिलाओंने भूख-हड़ताल शुरू की।

२३ दिसम्बर: मदनमोहन मालवीय रिहा किये गये।

२४ दिसम्बर: वाइसरायने दो अध्यादेश जारी किये।

२५ दिसम्बर: बम्बईमें २००से ज्यादा लोग लाठी-चार्जमें जख्मी हुए।

२७ दिसम्बर: स्मिर्नामें मार्शल लॉ घोषित किया गया।

२९ दिसम्बर: कमला नेहरूकी गिरफ्तारी।

३० दिसम्बर: मेरठके स्वयंसेवक-संगठन गैर-कानूनी करार दिये गए।

४ जनवरी: मुहम्मद अलीका लन्दनमें देहान्त; वहाँ वे गोलमेज-परिषदमें भाग लेने गये थे।

५ जनवरी: अहमदाबादमें कस्तूरबा गांधीने खादी-भण्डारका उद्घाटन किया।

६ जनवरी: विधान-सभाके भूतपूर्व अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल रिहा किये गये।

७ जनवरी: रवीन्द्रनाथ ठाकुर लन्दनसे भारतके लिए रवाना हुए।

९ जनवरी: हिन्दुस्तान सेवादलके डा० हार्डीकरको कैदकी सजा दी गई।

१० जनवरी: बम्बईमें विट्ठलभाई पटेलका भारी स्वागत हुआ।

११ जनवरी: बम्बई-हाईकोर्टने नरीमानकी सजा रद कर दी।

१२ जनवरी: शोलापुरके कैदियोंको फाँसी दे दी गई।

१४ जनवरी: विधान-सभाका सत्र प्रारम्भ हुआ।

१९ जनवरी: गोलमेज-परिषदका पूर्णाधिवेशन; प्रधानमन्त्रीने भारतके भावी संविधानके बारेमें वक्तव्य दिया।

२१ जनवरी: स्वराज भवन, इलाहाबादमें ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीके 'वक्तव्यपर विचार करनेके लिए कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक हुई।

२२ जनवरी: जमनादास द्वारकादास गिरफ्तार किये गये।

२३ जनवरी: पेशावरसे मार्शल लॉ हटा लिया गया।

२५ जनवरी: लॉर्ड इर्विनने गांधीजी एवं कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्योंको रिहा करते हुए एक वक्तव्य जारी किया।

२६ जनवरी : गाधीजी यरवदा जेलसे ११ बजे रातको रिहा किये गए। वे सरोजिनी नायडूके साथ, जो उसी दिन रिहा हुई थी, गाड़ीमें बैठकर चिंचवड रेलवे स्टेशन गये; स्टेशनके प्लेटफार्म पर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाको भेंट दी; बम्बईके लिए रवाना हुए।

जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस कार्य-समितिके दूसरे सदस्य रिहा किये गये। स्वतन्त्रता-दिवसकी पहली वर्षगाँठ मनाई गई। सभाओमें पूर्ण स्वतन्त्रता-प्रस्तावका समर्थन किया गया।

कलकत्तामें मेयर, सुभाषचन्द्र बोसको कैद कर लिया गया।

२७ जनवरी : गाधीजी बम्बई प्रातः ५-४५ पर पहुँचे; दोपहरको समाचारपत्रोको भेंट; विट्ठलभाई पटेलसे मिले; काग्रेस अस्पताल देखा।

आजाद मैदानमें जनताके अव्यवस्थित हो जानेसे भाषण नही दिया जा सका; बादमें फ्री एमर्जेन्सी अस्पतालमें भीड़मे कुचले गये लोगोको देखा; इलाहाबादके लिए रवाना हो गये।

२८ जनवरी : इलाहाबाद पहुँचे।

३१ जनवरी : इलाहाबादमे काग्रेस कार्य-समितिके पहलेके सदस्य और बादमें उनके स्थानापन्न सदस्य स्वराज-भवनमें मिले; गाधीजी दो बार बोले।

१ फरवरी 'यंग इंडिया'में गाधीजीने "अहिंसा एव सत्य पर विश्वास" प्रकट किया। 'रायटर'के विशेष प्रतिनिधिसे भेंट, आम-सभामें भाषण।

बोरसदमें महिलाओके जलूसपर लाठीचार्ज किये जानेके बारेमे वाइसरायको लिखा।

३ फरवरी : इलाहाबाद नाविक-संघके समक्ष भाषण दिया; भोपालके नवाब उनसे मिले; बादमें गाधीजी भी नवाबसे मिलने गये। 'पायनियर'के प्रतिनिधिसे भेंट।

४ फरवरी : मोतीलाल नेहरूके इलाजके लिए उनके साथ लखनऊ गए। पुलिसने 'यंग इंडिया' पर छापा मारा; साइक्लोस्टाइल मशीन जब्त कर ली गई।

५ फरवरी : समाचारपत्रोसे भेंट; लगातार दमनकी भर्त्सना की।

६ फरवरी : लखनऊमें मोतीलाल नेहरूका देहान्त हो गया; शव इलाहाबाद ले जाया गया।

गांधीजी इलाहाबाद लौट आये; उन्होंने स्वरूप रानी नेहरूको सान्त्वना दी। दाह-सस्कारके समय बोले।

गोलमेज-परिषदके सदस्य वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, मु० रा० जयकर और तेज बहादुर सप्रू बम्बई पहुँच गये।

७ फरवरी : मोतीलाल नेहरूके निधनपर सन्देश देते हुए गाधीजीने प्रत्येक व्यक्तिसे "स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिए त्याग करके अपने इस नेताके त्यागका पात्र" बननेका अनुरोध किया।

८ फरवरी : 'लिबर्टी'को भेजे गये तारमें यह विचार प्रकट किया :

"रॉक ऑफ एजेज क्लैफ्ट फॉर मी,
लेट मी हाइड माइसेल्फ इन दी"

("मदर्थ दुर्भंग युगोंकी प्रस्तर भू
मुझे शरण दे तुझमें छुपा रे।")

९ फरवरी: समाचारपत्रोंको दिये गये वक्तव्यमें विस्तार सहित बताया कि मोतीलाल नेहरूका श्राद्ध-दिवस किस तरह मनाया जाये।

विधान-सभा मोतीलाल नेहरूके सम्मानमें स्थगित हो गई।

१० फरवरी: विद्यार्थियोंके समक्ष बोले।

१२ फरवरी: "प्रस्तावित संविधानमें वित्तीय संरक्षणों" के बारेमें उद्योगपतियोंसे बातचीत की।

१३ फरवरीसे पूर्व: 'न्यूज क्रॉनिकल' लन्दनसे भेंट।

१३ फरवरी: सर एस० एम० सुलेमानके आवासपर भोपालके नवाबसे मिले; शास्त्री, सप्रू, जयकर और डॉ० अन्सारी भी शामिल हुए। कांग्रेस कार्यसमितिने गोलमेज-परिषदके सदस्योंके साथ राजनीतिक स्थितिकी चर्चा की।

१४ फरवरी: बातचीत जारी रही। गांधीजीको अधिकार दिया गया कि वह वाइसरायसे समझौतेकी बात करें; गांधीजीने वाइसरायको पत्र लिखा; मुलाकातके लिए वक्त माँगा।

१५ फरवरी: आम सभामें भाषण दिया।

संविधान-सभाके भूतपूर्व सदस्य और कांग्रेस कार्य-समितिके स्थानापन्न सदस्य रफी अहमद किदवईने दिल्लीमें वाइसरायको गांधीजीका पत्र दिया।

"मोतीलाल-दिवस" मनाया गया।

१६ फरवरी: गांधीजी गाड़ीसे दिल्लीके लिए रवाना हुए; महादेव देसाई, मीराबहन और प्यारेलाल साथ थे।

१७ फरवरी: लन्दनके 'डेली हेराल्ड' ने १७-२-१९३१ के अंकमें गांधीजीको "आशावादी और शान्तिप्रिय व्यक्ति" बताया और कहा कि वे सहयोग देनेका पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

गांधीजी गाजियाबादमें गाड़ीसे उतरे; फिर शाहदरामें प्रातःकालकी सैरके बाद मोटर द्वारा डा० अन्सारीके घर पहुँचे।

पार्कमें एकत्रित हुए लोगोंसे बातचीत की; वाइसरायसे मिलनेसे पहले शास्त्री, सप्रू और जयकरसे मिले; गोलमेज-परिषदकी शर्तोंपर और उसमें कांग्रेस कितना भाग लेगी, इस बातपर चर्चा की।

सायंकाल डा० अन्सारीके घरपर प्रार्थना-सभा हुई।

१८ फरवरी: वाइसरायसे मिलनेसे पहले दोपहरको १.४० पर दर्शनके लिए इकट्ठे हुए लोगोंसे बातचीत की।

२.३० दोपहर बाद वाइसरायसे बातचीत शुरू की।

१९ फरवरी: वाइसरायने बुलाया; जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, अबुल कलाम आजाद और दूसरे कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्योंके साथ विचार-विमर्श किया; विज्ञप्ति जारी की गई।

२० फरवरी: आम सभामें भाषण दिया।

२१ फरवरी: 'न्यूज क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिसे भेंट; वाइसरायसे हुई बातचीतसे कांग्रेस कार्य-समिति सभाको अवगत कराया।

२२ फरवरी: अखिल भारतीय मुस्लिम लीग परिषदके सामने भाषण दिया।

२४ फरवरीसे पूर्व: वियाना जाते हुए विट्ठलभाई पटेलको पत्र लिखकर उनके स्वास्थ्यकी कामना की।

२४ फरवरी: वाइसरायने गोलमेज-परिषदके सदस्योको गांधीजीसे हुई बातचीतका संक्षेप बताया।

दिल्लीमें जमनालाल बजाजने खादी प्रचारिणी-सभाकी बैठकमें गांधीजीका सन्देश पढ़कर सुनाया।

२५ फरवरी: गांधीजीने हिन्दू कॉलेजमें भाषण दिया।

२६ फरवरी: गुरुद्वारा शीसगंजमें भाषण दिया।

२७ फरवरी: वाइसरायसे भेंट; कोई अन्तिम समझौता नही हुआ। गांधी-इर्विन बातचीतके बाद कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक हुई।

२८ फरवरी: गांधीजीने धरनेपर लॉर्ड इर्विनको टिप्पणी भेजी; प्रस्तावित समझौते पर लार्ड इर्विनसे टिप्पणियाँ प्राप्त की।

१ मार्च: कांग्रेस कार्य-समितिने गाधी-इर्विन समझौतेके मसविदेमें कुछ ऐसा परिवर्तन किया जिससे सन्धिकी शर्तोंके सिद्धान्तपर आँच नही आती थी।

कांग्रेस कार्य-समितिके मुद्दोपर टिप्पणियोका आदान-प्रदान करनेके लिए गांधीजी आधी रात गये वाइसरायसे मिले।

दोपहर १ वजे निवास-स्थानपर वापस आकर कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्योसे वाइसरायसे हुई चर्चाका विवरण सुनाया और रातके दो बजे उनका मौन शुरू हुआ।

३ मार्च: सर जार्ज स्कटरसे दिनके ११ बजे बातचीत शुरू हुई; यह समझौता हुआ कि समुद्री तट पर रहनेवाले लोग नमक चुन सकते हैं, बना सकते हैं और बेच सकते हैं।

कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठकने गांधी-इर्विन समझौतेके मसविदेका समर्थन किया। गांधीजी वाइसरायसे मिले।

४ मार्च: रातको वाइसरायसे फिर बात शुरू की; समझौता हो गया। कांग्रेस कार्यसमितिने गांधी-इर्विन समझौतेका एक मतसे समर्थन किया।

५ मार्च: वाइसराय-भवनमें लार्ड इर्विन और गांधीने अस्थायी समझौतेपर हस्ताक्षर किये; इसकी घोषणा सरकारी तौरपर शाम ५ बजे की गई।

कांग्रेस कार्य-समितिने अस्थायी समझौतेका समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया और इसके मुताबिक कार्यवाही करना निश्चित किया गया।

६ मार्च: समझौतेपर गांधीजीने समाचारपत्रोंके लिए वक्तव्य जारी किया। जमींदारों-के अधिकारोंके प्रश्नपर एस० हसनअली खाँने भेंट की।

'कैसर-ए-हिन्द' के प्रतिनिधिने भेंट की।

७ मार्च : पत्रकारोंसे भेंट; आम-सभामें भाषण।

९ मार्च : रात ९-३० पर अहमदाबाद पहुँचे।

१० मार्च : समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे भेंट; वानर सेनाके सामने भाषण करते हुए विदेशी वस्त्रका बहिष्कार करनेके लिए अपील की।
अस्थायी समझौतेपर आम-सभामें भाषण दिया।

११ मार्च : समाचारपत्रोंसे भेंट।
गुजरात विद्यापीठमें आश्रमवासियों और गुजरात विद्यापीठके विद्यार्थियों और अध्यापकोंके समक्ष भाषण।
स्वयंसेवकोंके समक्ष भाषण।

१२ मार्च : 'यंग इंडिया' का प्रकाशन फिरसे प्रारम्भ; गांधीजीने दिल्ली-समझौतेका अर्थ समझाया। प्रातः ६-१५ पर अहमदाबादसे वोरसदके लिए रवाना हुए; नावलि पर उतरे; किसानोंको सलाह दी कि यदि उनकी आर्थिक दशा अच्छी हो तो वे राजस्वकी अदायगी कर दें।
वोरसद, रास और सुणावमें भाषण दिया।

१४ मार्च : सुबह रेलसे नवसारी पहुँचे; दांडीमें आम-सभामें भाषण दिया; नवसारी वापस लौटे; नवसारी व्यापारी-महामंडलके समक्ष भाषण; आम-सभामें भाषण।
सिसोदरामें भाषण दिया; वारडोलीके लिए रवाना हो गये।
जयपुरके राजकीय भोजमें लार्ड इर्विनने विचार प्रकट किये और कहा "श्री गांधीसे सारी बातचीतके दौरान मुझे पूर्ण विश्वास रहा कि मैं निश्चित रूपमें उनके वचनपर भरोसा रख सकता हूँ।"

१५ मार्च : सूरतमें भाषण दिया।

१६ मार्च : प्रातः ५ बजे बम्बई पहुँचे। प्रातः ८ बजे मौन तोड़ा। परेल और दादरकी आम सभाओंमें भाषण दिया। रातके १० बजेसे २.३० तक सुभाषचन्द्र बोससे भेंट की।

१७ मार्च : सुबह ७ बजे कांग्रेस-स्वयंसेवकों और देश-सेविकाओंसे बात की।
खिलाफत भवनमें शौकत अलीसे मिले; लन्दनमें मुहम्मद अलीकी मृत्यु पर उन्हें सान्त्वना दी।
'स्क्रूटेटर' से भेंट।
सर चुनीलाल मेहताकी अध्यक्षतामें आये भारतीय व्यापार मंडलके सदस्योंसे मुलाकात की। आजाद मैदानमें बहुत बड़ी सभामें भाषण दिया।

१८ मार्च : विलेपार्लेमें कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओंके समक्ष भाषण दिया।

१९ मार्च : नई दिल्ली पहुँचे।
वाइसरायसे मिले; भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरुके मृत्यु-दण्ड पर पुनर्विचार करानेके विचारसे गृह सचिव एच० डब्ल्यू० इमर्सनसे मिले।

२० मार्च : राजाओं द्वारा दिये गये रात्रि-भोजमें लार्ड इर्विनने गांधीजीकी ईमानदारी, हृदयकी स्वच्छता और देशभक्तिकी प्रशंसा की।

२१ मार्च : गांधीजीकी समाचारपत्रोंसे भेंट।
वाइसरायने संविधान तैयार करनेके लिए अनौपचारिक रूपसे विचार विनिमय करनेके लिए राजाओंकी सभा बुलाई; गांधीजी और मालवीयजी शामिल हुए।

२३ मार्च : गांधीजीकी 'शिकागो ट्रिब्यून'से भेंट।
लार्ड इर्विनको लिखे पत्रमें भगतसिंह और दूसरे लोगोंके मृत्यु-दण्डके प्रश्नपर फिरसे विचार करनेकी अपील की।
भगतसिंहको फाँसी दे दिये जानेपर वक्तव्य जारी किया।
दिल्लीसे कराचीके लिए रवाना हुए।

२४ मार्च : "शोक – दिवस"

२५ मार्चसे पूर्व : गांधीजीने 'मैंचेस्टर गार्जियन,' लन्दनसे भेंट की।

२५ मार्च : कराची पहुँचे।
कानपुरमें हिन्दू-मुस्लिम दंगा। दंगाइयोंको शान्त करते समय प्रसिद्ध नेता गणेशशंकर विद्यार्थीकी हत्या।

२६ मार्च : कराचीमें गांधीजीने समाचारपत्रोंसे भेंट की।
कानपुरके उपद्रवोंपर वक्तव्य।
कांग्रेस कार्यसमितिकी ओरसे भारतीय व्यापारी संघके शिष्टमंडलके समक्ष भाषण दिया।
कराची-कांग्रेसमें उद्घाटन भाषण।

२७ मार्च : विषय समिति सभामें कानपुरके दंगेके बारेमें बोले।
सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान दण्डित बंगालके नजरबन्द और कैदियोंकी रिहाईके सवालपर सुभाषचन्द्र बोस और सत्यमूर्तिसे भेंट।
संघके प्रश्नपर कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंसे भेंट।
लाल कुर्ती-दलके शिष्टमण्डलसे भेंट।

२८ मार्च : विषयसमिति सभामें अस्थायी समझौतेपर प्रस्तावके विषयमें भाषण; प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

३० मार्च : कांग्रेस-अधिवेशनमें भाषण।
कराची-कांग्रेसने गांधी-इर्विन समझौतेपर प्रस्ताव पारित किया और गांधीजीको अधिकार दिया कि वह इसे गोलमेज-परिषदमें पेश करे।

३१ मार्च : कराची-नगरपालिकाके मानपत्रके उत्तरमें मेयर जमशेद मेहताको बढ़िया प्रबन्धके लिए बधाई दी।
कांग्रेस-अधिवेशनमें मौलिक अधिकारोंके प्रस्तावपर बोले; प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

१ अप्रैल : 'स्टेट्समैन'के प्रतिनिधिसे भेंट।
अ० भा० कां० क०में नयी कांग्रेस-कार्यसमितिके सदस्योंके चुने जानेका प्रस्ताव किया।

जमायत-उल-उलेमा सम्मेलनमें भाषण दिया।

पारसी राजकीय मंडलमें भाषण दिया।

२ अप्रैल: सिन्ध नेशनल सर्विस लीगमें भाषण दिया।

६ अप्रैल: साम्प्रदायिक समस्यापर दिल्लीमें समाचारपत्रोंको वक्तव्य दिया।

एच० डब्ल्यू० इमर्सनसे भेंट।

७ अप्रैल: कौंसिल हाल, दिल्लीमें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग समिति-संघके समक्ष भाषण दिया।

८ अप्रैल: अमृतसरमें सिखोंसे साम्प्रदायिकताकी समस्यापर विचार-विमर्श।

वस्त्र व्यापारी-संघके शिष्टमंडलसे विदेशी वस्त्र बहिष्कार और शान्तिपूर्ण धरना देनेके बारेमें बातचीत की।

अमृतसरसे अहमदाबादके लिए रवाना।

९ अप्रैल: दिल्ली होकर अहमदाबादके लिए रवाना।

'तेज'से भेंट।

१० अप्रैल: अहमदाबाद पहुँचे।

अस्वस्थ हो जानेके कारण भड़ौंचकी यात्रा रद की।

११ अप्रैल: गुजरात विद्यापीठमें दीक्षान्त-समारोहपर भाषण।

१२ अप्रैल: सेठ अम्बालाल साराभाईके बंगलेपर, जहाँ गांधीजी ठहरे हुए थे, उत्तरी डिविजनके कमिश्नर जे० एच० गैरेटसे भेंट।

१३ अप्रैल: गुजरात विद्यापीठकी स्नातक-परिषदमें भाषण दिया।

१४ अप्रैल: कस्तूरबा गांधीके साथ साबरमती-आश्रम गए।

१५ अप्रैल: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियासे भेंट।

अहमदाबादसे बम्बईके लिए रवाना।

शीर्षक-सांकेतिका

विविध

सांकेतिका

आ

च

छ

ध

न

भ

म

श

स

ह